त्रयोदश माला, खंड 11, अंक 3

बुधवार, 22 नवम्बर, 2000
1 अग्रहायण, 1922 (शक)

FOR REFERNCE ONLY.
NOT TO BE ISSUED

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(तेरहवीं लोक सभा)

PARLIAMENT LIBRARY
No. D 51
Date 11/10/01

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी.सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

सतेन्द्र सिंह चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2000/1922 (शक)]

अंक 3, बुधवार, 22 नवम्बर, 2000/01 अग्रहायण, 1922 (शक)

विषय	कालम
मंत्री का परिचय	1
स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में	1–5
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 41, 43, 45 और 46	6–33
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 44 और 47 से 60	33–56
अतारांकित प्रश्न संख्या 455 से 684	56–388
सभा पटल पर रखे गए पत्र	389–391
राज्य सभा से संदेश	392
संसदीय समितियां	392–393
कार्य का सारांश	392–393
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति	393
नौवां प्रतिवेदन	393
सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति	393
तेरहवां प्रतिवेदन	393
केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति	393
(एक) प्रतिवेदन	393
(दो) साक्ष्य	394
समिति के लिए निर्वाचन	394
सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति	
सरकारी विधेयक- पुर: स्थापित	395–396
(एक) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) विधेयक	395
(दो) ओरोविले (आपात उपबंध) निरसन विधेयक	396

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कालम
सदस्यों द्वारा निवेदन	396–418
(एक) देश के अनेक भागों में आई बाढ़ के बारे में	396–411
(दो) दिल्ली से लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित किए जाने के बारे में	411–418
स्थगन प्रस्ताव	419–551
कृषक समुदाय के समक्ष गम्भीर संकट	419
श्रीमती सोनिया गांधी	419, 534
श्री अनादि साहू	425
श्री महबूब जहेदी	430
प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु	433
श्री रामजीलाल सुमन	441
श्री अनन्त गंगाराम गीते	443
श्री माधवराव सिंधिया	446
श्री थावरचन्द्र गेहलोत	453
कुमारी मायावती	456
श्री ब्रह्मानन्द मण्डल	459
श्री पूर्णो ए. संगमा	462
श्री रामजीवन सिंह	466
श्री एस. जयपाल रेड्डी	469
श्री प्रसन्न आचार्य	475
श्री पी.एच. पांडियन	478
श्री आदि शंकर	482
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह	484
श्री सुदीप बंद्योपाध्याय	489
श्रीमती रमा पायलट	492
श्री साहिब सिंह	496
श्री जी.एम. बनातवाला	499
डा. सुशील कुमार इन्दौरा	500
श्री जे.एस.बराड़	502
श्री अमर राय प्रधान	506
श्री प्रभुनाथ सिंह	508
श्रीमती रेणूका चौधरी	514
श्री अवतार सिंह भडाना	517
श्री नीतीश कुमार	519
कार्य मंत्रणा समिति	551
चौदवां प्रतिवेदन	551

विषय कालम

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़-मदनगंज नगर में रेल उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 551

(दो) झारखंड की प्रस्तावित राजधानी रांची में बाई-पास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी 552

(तीन) गुजरात के बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी 553

(चार) मध्य प्रदेश के रतलाम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदान की गई भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 553

(पांच) बिहार में शेखपुरा जिला मुख्यालय में डाकघर भवन का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह 554

(छह) नारियल गिरी का समर्थन मूल्य 5000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन 554

(सात) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में ग्राम और जिला पंचायतों के लिए निधियां जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल 555

(आठ) खनन क्षेत्र का निजीकरण किए जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां 555

(नौ) विशाखापत्तनम में नेचर पार्क का विकास किए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति 556

(दस) दिसम्बर 2000-मार्च 2001 के दौरान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता

श्री धर्मराज सिंह पटेल 556

(ग्यारह) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले 557

(बारह) कारगिल स्थित विमानपत्तन को शीघ्र चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री हसन खान 558

लोक सभा

बुधवार, 22 नवम्बर, 2000/1 अग्रहायण, 1922 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

मंत्री का परिचय

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधान मंत्री जी अब मंत्री का परिचय करायेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी): अध्यक्ष महोदय, श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्री का सदन से परिचय कराता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सुषमा स्वराज, सूचना और प्रसारण मंत्री।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 41 ।

...(व्यवधान)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, स्थगन प्रस्ताव के लिए एक सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न काल के बाद इसे उठा सकते हैं। तब मैं अपनी टिप्पणी करूंगा।

श्री माधवराव सिंधिया : जी नहीं, महोदय। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अत्यधिक गंभीर समझा जाता है। *...(व्यवधान)* यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है जिसका प्रभाव इस समूचे देश पर पड़ता है। यदि कोई स्थगन प्रस्ताव हो तो सदन के सभी कार्यों को स्थगित करना पड़ता है। इसलिए हम प्रश्न काल से पहले आपका निर्णय जानना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि मैं प्रश्न काल के बाद अपना विनिर्णय दूं तो क्या कोई समस्या होगी?

श्री माधवराव सिंधिया : यदि आप अपना विनिर्णय अभी दे दें तो उचित होगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे देश में किसानों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में निम्नलिखित सदस्यों से स्थगन प्रस्ताव की 77 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं:

1. श्री देवेन्द्र सिंह यादव
2. श्री रमाकान्त यादव
3. श्री रवि प्रकाश वर्मा
4. श्री पी.एच. पांडियन
5. श्री पूर्णो ए. संगमा
6. श्री शरद पवार
7. श्रीमती सोनिया गांधी
8. श्री के.ए. सांगतम
9. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी
10. श्री माणिकराव होडल्या गावित
11. श्री अवतार सिंह भडाना
12. श्री जे.एस. बराड़
13. श्री अधीर चौधरी
14. सरदार बूटा सिंह
15. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल
16. श्री आर.एल. भाटिया
17. श्रीमती संतोष चौधरी
18. श्री ए.सी. जोस
19. श्री सुशील कुमार शिंदे

20. श्री सत्यव्रत चौधरी
21. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
22. श्री कांतिलाल भूरिया
23. श्री संतोष मोहन देव
24. श्री एम.ओ. एच. फारूक
25. श्री मणि शंकर अय्यर
26. श्रीमती प्रभा राव
27. श्री राजो सिंह
28. श्री तरुण गोगोई
29. श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा
30. श्री पवन सिंह घाटोवार
31. श्री के.एच. मुनियप्पा
32. श्री माधव राजवंशी
33. श्री जी.एस. बसवराज
34. श्री एस. जयपाल रेड्डी
35. श्री शीश राम ओला
36. श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन
37. श्री एन. जनार्दन रेड्डी
38. श्री श्यामाचरण शुक्ल
39. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
40. श्री शंकर सिंह वाघेला
41. श्री रमेश चेन्नितला
42. डा. गिरिजा व्यास
43. श्री माधवराव सिंधिया
44. श्रीमती प्रेनीत कौर
45. श्री कमलनाथ
46. श्री सलीम आई. शेरवानी
47. कुंवर अखिलेश सिंह
48. श्री तूफानी सरोज
49. श्री हन्नान मोल्लाह
50. श्री सुबोध राय
51. श्री महबूब जहेदी
52. श्री अनिल बसु
53. श्रीमती सुशीला सरोज
54. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह
55. श्रीमती रमा पायलट
56. श्री अब्दुल हमीद
57. प्रो. आई.जी. सनदी
58. श्री सुजान सिंह बुन्देला
59. श्री विनय कुमार सोराके
60. श्री के.पी. सिंह देव
61. श्री खेलसाय सिंह
62. श्री वी.एस. शिवकुमार
63. श्रीमती रेणूका चौधरी
64. श्रीमती रानी नरह
65. श्री बलबीर सिंह
66. श्री तिलकधारी प्रसाद सिंह
67. श्री विजय हान्दिक
68. श्री ए.एफ. गुलाम उस्मानी
69. श्री ताराचन्द भगोरा
70. श्रीमती श्यामा सिंह
71. श्री जी.एस. गालिब
72. श्रीमती हेमा गमांग
73. श्री धर्मराज सिंह पटेल
74. श्री दिन्शा पटेल
75. श्री के. करुणाकरन
76. श्री कोलुर बसवनागौड़
77. श्री ए. वेंकटेश नायक

मैं श्री सुजान सिंह बुन्देला, जिनके प्रस्ताव को बैलट में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, को इस रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं:

> "कृषि उत्पादन लागत में हाल ही में हुई वृद्धि और कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी के कारण कृषक समुदाय के सामने आ रहा गम्भीर संकट।"

श्री सुजान सिंह बुन्देला अब सभा में प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों ने इसी मुद्दे के संबंध में अन्य रूपों में सूचनाएं दी हैं और आपको उन्हें भी इसके साथ जोड़ना होगा। उन्होंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, नियम 193 के अधीन चर्चा आदि जैसे अन्य रूपों में सूचनाएं दी हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं। यह एक प्रक्रियात्मक मामला है। बैलट में अगला नाम किसका है?

...*(व्यवधान)*

श्री एम.ओ.एच. फारूक (पांडिचेरी): महोदय, कृपया आप बैलट में अगला नाम पुकारें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम बैलट में अगला नाम ढूढ़ रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि हम इस पर प्रश्न काल के तुरंत बाद विचार कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय स्पीकर साहब, माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं हैं। इससे पता चलता है कि किसानों के प्रति उनकी कितनी हमदर्दी है।

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, अभी प्रस्ताव प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसे मध्याह्न 12.00 बजे प्रस्तुत किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसे प्रश्न काल के पश्चात् प्रस्तुत किया जा सकता है।

अब सभा प्रश्न काल आरंभ करेगी। प्रश्न सं. 41

पूर्वाह्न 11.08 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

आतंकवाद के बारे में भारत-अमरीका संयुक्त कार्य दल

***41. श्री +पी.आर. खूंटे :**
श्रीमती रेणुका चौधरी :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक के बाद चरमपंथ और मादक पदार्थों के आवागमन पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो जिन उपायों पर सहमति हुई है, उनका ब्यौरा क्या हैं;

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या आतंकवाद की परिभाषा के बारे में दोनों देशों के दृष्टिकोण में अंतर है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिभाषा पर परस्पर सहमति बनाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 25-26 सितम्बर, 2000 तक नई दिल्ली में संपन्न, आतंकवाद-विरोधी भारत-अमरीका संयुक्त कार्यदल की दूसरी बैठक में, दोनों पक्ष अनुभव बांटने, सूचना का आदान-प्रदान करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने संबंधी दृष्टिकोण और कार्रवाई का समन्वय करने के लिए सहमत हुए हैं।

इस संयुक्त कार्य दल ने संयुक्त राष्ट्र में अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबद्ध एक व्यापक अभिसमय संबंधी भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया है, और यह दल इस प्रयोजन की दिशा में कार्य करने के लिए सहमत हुआ है। इस दल ने अपने अधिदेश में स्वापक-आतंकवाद और नशीली दवा अवैध व्यापार को शामिल करने का भी स्वागत किया है। दोनों पक्ष न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में समन्वय, संयुक्त कार्यदल के निर्णयों के कार्यान्वयन के माध्यम से द्विपक्षीय रूप से और बहुपक्षीय मंचों पर कदम उठा

रहे हैं। संयुक्त कार्यदल की चर्चा का उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने में व्यावहारिक सहयोग बढ़ाते हुए परस्पर सदभाव को बढ़ाना है।

(घ) जी, नहीं। इस दल की दूसरी बैठक के पश्चात् दोनों पक्ष इस विषय पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी करने पर सहमत हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी.आर. खूंटे : अध्यक्ष महोदय, भारत और अमरीका संयुक्त कार्य दल की दूसरी बैठक के बाद चरमपंथ और मादक पदार्थों के आवागमन पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने के लिए सहयोग बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने पर सहमत हुए हैं। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि क्या इस सम्बन्ध में अभी तक कोई परिणाम सामने आए हैं?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है कि दूसरी बैठक के बाद क्या कोई परिणाम आए हैं? मैं इसके बारे में माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूंगा कि दूसरी बैठक के बाद कई करारों पर दस्तखत हुए। आतंकवाद के बारे में जो आपसी समझ है, वह बढ़ी है। इसके अलावा म्यूचअल लीगल असिस्टैंस से बातचीत शुरू हुई। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी इस सम्बन्ध में हो चुकी है।

श्री पी.आर. खूंटे : माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों ने किन-किन मंचों पर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए हैं? क्या इस संदर्भ में माननीय मंत्री जी विवरण दे सकते हैं?

श्री जसवन्त सिंह : मैं इस बारे में काफी कुछ बता चुका हूं क्योंकि अपने आप इस प्रकार से संयुक्त रूप से कार्य दल बनाना बड़ी बात है। प्रयत्न है कि मात्र अमरीका के साथ ही नहीं, अन्य देशों के साथ भी ऐसे करार किए जाएं। जो अन्य देश विस्तृत तौर पर इस अन्तर्राष्ट्रीय समस्या के समाधान के लिए भारत के विचार के हों, भारत के विचार से सहमत हों और भारत के साथ सहयोग करने को तैयार हों, यह उसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है।

श्री पी.आर. खूंटे : आतंकवाद को समाप्त करने के लिए अमरीका और भारत संयुक्त विज्ञप्ति कब तक जारी करेंगे?

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह भारत द्वारा संयुक्त राज्य में एक कनवैंशन ऑन टैररिज्म के बारे में है। मैं उन्हें सूचित करना चाहूंगा कि उसमें भारत को कहीं अधिक समर्थन मिल रहा है। उसका प्रारूप अभी संयुक्त राज्य में कमेटी स्टेज पर है। छठी कमेटी में क्लॉज बाई क्लॉज विचार हो रहा है।

[अनुवाद]

श्रीमती रेणुका चौधरी : हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को अक्सर स्वापक पदार्थों से एकत्रित धनराशि से सहायता दी जाती है। इसलिए, 'स्वापक-आतंकवाद' की बात कही जाती है। हम जानते हैं कि अफगानिस्तान इस तरह के 'स्वापक-आतंकवाद' का अड्डा बन गया है। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत और अमरीका के बीच धर्मान्ध आतंकवाद को स्वापक-आतंकवाद से जोड़ने हेतु इस मंच में सहमति बनी है। यदि नहीं, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है? अफगानिस्तान द्वारा फैलाए जा रहे 'स्वापक आतंकवाद' को रोकने हेतु हम क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य विशेष रूप से इस पहलू के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या इस संयुक्त कार्य दल ने स्वापक आतंकवाद के मुद्दे को शामिल किया है। जी हां, महोदय। संयुक्त कार्यदल ने नए विषय के रूप में स्वापक-आतंकवाद के प्रश्न पर विचार किया है। विशेषरूप से अफगानिस्तान के संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि यद्यपि पहले दो कार्यदलों ने अफगानिस्तान में जन्में इस आतंकवाद पर विचार किया था लेकिन अब यह निर्णय लिया जा रहा है कि अफगानिस्तान समस्या के संबंध में अमरीका और भारत के बीच एक पृथक कार्यदल होगा। वास्तव में अफगानिस्तान के संबंध में कार्यदल है। उदाहरण के लिए रूस के संबंध में भी कार्यदल है जिसकी अभी हाल ही में एक बैठक हुई है।

श्रीमती कृष्णा बोस : माननीय अध्यक्ष महोदय, संयुक्त कार्यदल की पहली बैठक के बाद एक वक्तव्य जारी हुआ था और वहां कम से कम दो ठोस तरह के करार हुए। एक यह कि दोनों देश आई.सी. 814 के अपहरण के लिए दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर हमने और कुछ नहीं सुना।

निःसंदेह दूसरा मुद्दा, भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में सभी प्रकार के आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दा था। दूसरी बैठक सितम्बर में हुई जहां हमने माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर में पाया कि संयुक्त कार्य दल ने संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के संबंध में भारत के प्रस्ताव का पुनः समर्थन किया है और इस संबंध में कार्य करना चाहता है।

सर्वप्रथम, मैं यह जानना चाहता हूं कि अपहरण वाले पहले मुद्दे तथा दूसरे मुद्दे का क्या हुआ और क्या दोनों बार समर्थन देने के अलावा कोई ठोस कदम उठाया गया है ताकि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में विचार किया जा सके?

श्री जसवंत सिंह : माननीय मंत्री महोदय इसके दो पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं। एक विशेषरूप से आई.सी. 814 के अपहरण के बारे में हैं। अमरीका आई.सी. 814 के अपराधियों को पकड़ने संबंधी अन्य पहलूओं पर गुप्त सूचनाओं के रूप में पूर्ण सहयोग जैसा कि माननीय सदस्य जानते होंगे। इस संबंध में हाल ही में आरोपपत्र दायर किए गए हैं अर्थात् हमें इस संबंध में पूर्ण सहयोग मिल रहा है।

संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में आतंकवाद से संबद्ध व्यापक सम्मेलन के बारे में, जैसाकि मैंने माननीय सदस्य को पहले बताया था कि इस संबंध में भारतीय प्रारुप अब प्राप्त हो गया है और हमें पहले से अधिक समर्थन मिल रहा है। हमें अमरीका, जी-8 देशों, यूरोपीय संघ, रूस तथा जापान से भी समर्थन मिल रहा है और आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन संबंधी यह प्रारूप विचारार्थ इस समय संयुक्त राष्ट्र की समिति अर्थात् छठी समिति में रखा गया है। इस पर खण्डवार विचार किया जा रहा है। हमें केवल अमरीका से ही नहीं वरन् अन्य देशों से, जिनका इस संबंध में मैंने उल्लेख किया है, से पूरा समर्थन मिल रहा है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत : अध्यक्ष महोदय, जैसा सरकार ने बताया है, यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि भारत और अमरीका संयुक्त कार्य दल चरमपंथ और मादक पदार्थों के आवागमन पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संकट का मुकाबला करने के लिये सहयोग बढ़ाने के लिये विभिन्न उपाय करने पर सहमत हुये है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या दोनों कार्य दलों या दोनों राष्ट्रों ने ऐसे राष्ट्रों की पहचान कर उन्हें नामित करने का प्रयास किया है या नहीं? साथ ही पाकिस्तान या अफगानिस्तान जैसे देशों को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने के बारे में अमरीका का क्या दृष्टिकोण रहा है?

श्री जसवंत सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा है कि अन्य देशों को आतंकवादी देश घोषित करने में इस जाइंट वर्किंग ग्रुप ने क्या किया है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि किसी देश को आतंकवादी देश घोषित करना अपने आप में हर देश का अपना एक कानूनी व अन्य सारी कार्यवाही के बाद किया जाता है। इस जाइंट वर्किंग ग्रुप का मकसद अन्य देशों को इस प्रकार से किसी भी रूप में आतंकवादी देश घोषित करने का नहीं है। जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पूछा गया है तो माननीय सदस्य को मालूम है कि तालिबान के बारे में एक रिजोल्यूशन यू.एन.एच.सी.आर.-126 है, जिससे हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। इसलिये जाइंट वर्किंग ग्रुप किसी देश को आतंकवादी देश घोषित करने में अपने आप कोई काम नहीं करता है।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, माननीय विदेश मंत्री ने श्री पी.आर. खूंटे द्वारा पूछे गए पहले अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में अमरीका और भारत के बीच दो वर्ष पूर्व हुई प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर का उल्लेख किया।

पिछले सत्र में माननीय गृह मंत्री से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में मुझे बताया गया कि अमरीका से भारत को प्रत्यार्पित किए जाने वाले लोगों की सूची अमरीका को अभी तक नहीं दी है।

माननीय मंत्री महोदय ने पिछले वर्ष के शीतकालीन सत्र में मुझे बताया कि जो लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपराध करते हैं और जो अमरीका में रह रहे हैं, उनकी भी पहचान की जाए और प्रत्यार्पित किया जाए और मुझे माननीय गृह मंत्री से जानकारी मिली है कि अमरीका की जानकारी के लिए इस श्रेणी के किसी भी व्यक्ति की अभी तक पहचान नहीं की गई है। स्पष्टत:, अभी तक किसी भी व्यक्ति को अमरीका से प्रत्यार्पित नहीं किया गया है।

इसलिए माननीय विदेश मंत्री से मेरा प्रश्न यह है कि अमरीका के साथ संधि पर हस्ताक्षर करने के 12 माह बाद, भारत में अमरीकी राष्ट्रपति के दौरे के नौ माह के बाद और अमरीका में भारतीय प्रधान मंत्री के दौरे के तीन महीने के बाद भी यदि आप अमरीका से एक आतंकवादी भी भारत को प्रत्यार्पित करने में असमर्थ हैं तो आतंकवाद के बारे में संयुक्त कार्यदल का क्या औचित्य है?

श्री जसवंत सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्यार्पण संधि के कतिपय तथ्यात्मक पहलुओं के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि संधि पर 1997 में ही हस्ताक्षर हुए थे। पिछले वर्ष सितम्बर में ही इसकी पुष्टि की गयी थी। अत:, माननीय सदस्य का 12 माह आदि पर बल देना तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है।

श्री मणिशंकर अय्यर : कैसे? महोदय, एक वर्ष पहले इन्ही मंत्री महोदय ने सभा को बताया था कि संधि की पुष्टि कर दी

गयी है और यह लागू हो गई है। यह कहना कैसे गलत है कि यह एक वर्ष पूर्व लागू हुई? ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : मैं यह बताऊंगा ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय, मैं माफी चाहता हूं कि मैं गलत था। यह 12 माह न होकर 14 माह है ...*(व्यवधान)*

श्री जसवंत सिंह : महोदय, जहां तक तथ्यात्मक असंगति का संबंध है, माननीय सदस्य ने स्वयं तथ्यात्मक गलती स्वीकार की है। जहां तक प्रत्यार्पण का संबंध है, यह प्रश्न कि किसे प्रत्यार्पित किया जाए अथवा किसे नहीं, वास्तव में गृह मंत्रालय से संबंधित है और मैं आपकी चिंता गृह मंत्रालय तक पहुंचा दूंगा। लेकिन माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि संधि पर हस्ताक्षर होने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक स्वचालित कार्यवाही है। प्रत्येक प्रत्यार्पण हेतु किए गए अनुरोध के लिए संबंधित देश की विधायी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तभी संधि के आधार पर ऐसे प्रत्यार्पण अनुरोध भेजे जाते हैं। मैं माननीय सदस्य की चिंता से अपने प्रतिष्ठित साथी, केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत करा दूंगा और नि:संदेह वे इन्हें बता देंगे कि इस संबंध में आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, क्लिंटन जी जब भारत आए थे तो होली के समय कुछ सिखों की हत्या की गई थी। उस समय पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करने का मौका था। नारकोटिक्स का सारा पैसा हम पर हमला करने के लिए आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि रमज़ान के दिनों में सीज़फायर किया जाएगा। अगर टैररिस्ट लोगों ने हम पर हमला किया, जैसा कारगिल में हुआ तो क्या हम हवा में गोली चलाएंगे, तब सरकार की क्या नीति होगी? यह देश के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न है। ...*(व्यवधान)* यह आपसे भी जुड़ा है।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है उस प्रश्न की दिशा में समझता हूं कि यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री मोहन रावले : मगर यह टैररिस्ट्स से संबंधित है। टैररिस्ट नारकोटिक्स का सारा पैसा आतंकवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : माननीय सदस्य का कहना सही है और यह प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है कि नारकोटिक्स का आतंकवाद से सीधा संबंध है और जो माननीय प्रधान मंत्री जी ने अभी घोषणा की है कि रमज़ान के पावन मौके पर हमारी फौजें कोई ऐक्शन एनीशियेट नहीं करेंगी, उससे आपको यह आशंका नहीं होनी चाहिए कि यदि हमारी फौजों पर किसी प्रकार का आक्रमण या हमला होता है तो वह ऐसे ही बैठे रहेंगे, यह भ्रांति है।

श्री मोहन रावले : क्या आप उसका उत्तर देंगे?

श्री जसवन्त सिंह : जरूर उत्तर देंगे क्योंकि आत्मरक्षा करना तो जरूरी है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : प्रश्न संख्या 42

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): महोदय, मेरे पास इसका उत्तर है लेकिन मैं यह कहना चाहती हूं कि यह प्रश्न गलती से मेरे मंत्रालय में आ गया है। असल में यह प्रश्न मानव संसाधन विकास मंत्रालय के महिला और बाल विकास विभाग से संबंधित है। इसलिए, मैं अनुरोध करती हूं कि इसे सही मंत्रालय को भेजें, ऐसा नहीं किया गया है इसलिए मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी।

अध्यक्ष महोदय : महोदया, लेकिन आपने उत्तर दे दिया है। आपके मंत्रालय ने उत्तर दिया है।

श्रीमती मेनका गांधी : महोदय, उत्तर मेरे पास है। इसे अभी तक सभापटल पर नहीं रखा गया है। इसका उत्तर मुझे देना है।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा सहमत होती है तो इसे किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर सकते हैं।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, यह प्रश्न कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है और प्रधान मंत्री जिसके प्रमुख है। जब मैं कार्मिक मंत्रालय में मंत्री थी तब मैंने इस प्रश्न का उत्तर दिया था। यह सीधे कार्मिक मंत्रालय से संबंधित है। माननीय प्रधान मंत्री को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 43, श्री एन. जनार्दन रेड्डी।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : महोदय, क्यों?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है।

तारांकित प्रश्न संख्या 42 किसी अन्य दिन के लिए स्थगित कर दिया गया।

[अनुवाद]

मस्तिष्क ज्वर से मौतें

***43. +श्री एन. जनार्दन रेड्डी :**
मोहम्मद अनवारूल हक :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, पिछले एक वर्ष के दौरान मस्तिष्क ज्वर से राज्यवार कितनी मौतें हुई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इस रोग को नियंत्रित करने के लिए कोई सहायता उपलब्ध कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (घ) एक विवरण लोक सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) मस्तिष्क ज्वर (जापानी एन्सिफैलाइटिस) के कारण हुई मौतों की राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा वर्ष 1999 और 2000 के दौरान सूचित की गई राज्यवार संख्या इस प्रकार है:-

	1999	2000 (7 नवम्बर, 2000 तक)
1	2	3
उत्तर प्रदेश	275	240
आंध्र प्रदेश	203	42
कर्नाटक	98	10
हरियाणा	56	32
पश्चिम बंगाल	27	1
पंजाब	6	0
केरल	4	0
असम	2	64
गोवा	2	3
मणिपुर	2	0
तमिलनाडु	5	0
कुल	680	392

(ख) से (घ) जापानी एन्सिफैलाइटिस के नियंत्रण के लिए अलग से कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जापानी एन्सिफैलाइटिस के निवारण और नियंत्रण की जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय जापानी एन्सिफैलाइटिस की घटना की बारीकी से मानीटरिंग करता है और यह जापानी एन्सिफैलाइटिस के प्रकोपों के प्रबंधन और नियंत्रण में जरूरत के अनुसार सामग्रीगत सहायता (अनिवार्यतः कीटनाशक) भी प्रदान करता है। इसके अलावा जापानी एन्सिफैलाइटिस की घटना की रोकथाम करने और इसके प्रकोपों का प्रबंधन करने के लिए राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान द्वारा तकनीकी मार्गदर्शन भी प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त रोगी का शीघ्र पता लगाने और मौतों को रोकने के उद्देश्य से जापानी एन्सिफैलाइटिस के नैदानिक उपचार के संबंध में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/जिला चिकित्सा अधिकारियों के अनुकूलन (ओरियन्टेशन) प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है। भारत सरकार अपने केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली से राज्यों, जिन्हें ऐसी वैक्सीन की जरूरत होती है, को जापानी एन्सिफैलाइटिस वैक्सीन की आपूर्ति करने में मदद भी करती है।

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय द्वारा जापानी एन्सिफैलाइटिस के स्थानिकमारी वाले राज्यों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 और 2000-01 के दौरान सप्लाई किए गए कीटनाशकों का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

अनुबंध

राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अधीन 1999-2000 और 2000-01 के दौरान सप्लाई किए गए कीटनाशक

राज्य	कीटनाशक	मात्रा 1999-2000	मात्रा 2000-01
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	मैलाथियन टैक.	5 मीट्रिक टन	5 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	200 मीट्रिक टन	197 मीट्रिक टन
	डी.डी.टी.	350 मीट्रिक टन	300 मीट्रिक टन
असम	मैलाथियन टैक.	शून्य	शून्य
	मैलाथियन-25%	शून्य	शून्य
	डी.डी.टी.	1788 मीट्रिक टन	1695 मीट्रिक टन
उत्तर प्रदेश	मैलाथियन टैक.	5 मीट्रिक टन	5 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	418 मीट्रिक टन	380 मीट्रिक टन
	डी.डी.टी.	250 मीट्रिक टन	500 मीट्रिक टन
हरियाणा	मैलाथियन टैक.	शून्य	शून्य
	मैलाथियन-25%	300 मीट्रिक टन	300 मीट्रिक टन
केरल	मैलाथियन टैक.	शून्य	शून्य
	मैलाथियन-25%	शून्य	शून्य
कर्नाटक	मैलाथियन टैक.	2 मीट्रिक टन	1.5 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	30 मीट्रिक टन	100 मीट्रिक टन
महाराष्ट्र	मैलाथियन टैक.	शून्य	शून्य
	मैलाथियन-25%	शून्य	शून्य
मणिपुर	मैलाथियन टैक.	शून्य	0.5 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	शून्य	शून्य
तमिलनाडु	मैलाथियन टैक.	4 मीट्रिक टन	3.5 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	2 मीट्रिक टन	2.0 मीट्रिक टन
प. बंगाल	मैलाथियन टैक.	शून्य	1 मीट्रिक टन
	मैलाथियन-25%	शून्य	शून्य
गुजरात	मैलाथियन टैक.	शून्य	शून्य
	मैलाथियन-25%	400 मीट्रिक टन	400 मीट्रिक टन

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, माननीय मंत्री ने सभा पटल पर जो वक्तव्य रखा है, उसके अनुसार उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में दुर्भाग्य से जापानी एन्सिफैलाइटिस की वजह से अधिकतम लोगों की मृत्यु हुई है। इसका क्या कारण है? माननीय मंत्री स्वयं एक डॉक्टर हैं। उनके उत्तर में कुछ विरोधाभास है। उनका कहना है कि अलग से कोई कार्यक्रम नहीं बनाया गया है परंतु साथ ही वह टीकों की पूर्ति करने के लिए तैयार हैं। निःसंदेह उनका उदार सुझाव यह है कि मलेरिया-रोधी पाउडर, डी.डी.टी. की, जिनके द्वारा देश में मलेरिया पर नियंत्रण किया जा रहा है, पूर्ति की जायेगी।

महोदय, मैं मंत्री जी से केवल इतना ही पूछना चाहता हूं कि कम से कम अब वह इस पर किस प्रकार से नियंत्रण करना चाहते हैं। महोदय 1981 में, आंध्र प्रदेश में इसका पता चला था और आप भली प्रकार से जानते हैं कि इस बीमारी से 15 साल से कम आयु के बच्चों की किस प्रकार मृत्यु हुई है और विशेष तौर पर हर वर्ष अक्तूबर और दिसम्बर के बीच 1981 में इससे 431 लोगों की मृत्यु हुई, 1986 में 638 लोगों की मृत्यु हुई और 1993 में इससे 461 तथा 1999 में 294 लोगों की मौत हुई। वर्ष 2000 के आंकड़े वह स्वयं दे चुके हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए क्या कोई कार्यक्रम बनाया गया है।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, सबसे पहले मैं स्वास्थ्य कार्यक्रम में रूचि लेने के लिए आपको और अन्य माननीय सदस्य को धन्यवाद देता हूं क्योंकि 20 तारांकित प्रश्नों में से 10 प्रश्न स्वास्थ्य से संबंधित हैं। इसलिए, मैं सदस्यों का वास्तव में आभारी हूं। मैं सदस्यों से स्वास्थ्य विभाग के दो कार्यक्रमों अर्थात् एड्स और जनसंख्या स्थिरीकरण पर ध्यान केन्द्रित करने का अनुरोध करता हूं।

वास्तव में मस्तिष्क ज्वर जापानी एन्सिफैलाइटिस है। महोदय, वास्तव में जापानी एन्सिफैलाइटिस भारत के कुछ चावल उत्पादक राज्यों में होता है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा ही राज्य है। उसके पश्चात् कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में भी एक महामारी फैली थी।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : उत्तर प्रदेश भी उन्हीं में से है।

डा. सी.पी. ठाकुर : जी हां, उत्तर प्रदेश भी ऐसा ही राज्य है। एक महामारी केरल में भी फैली थी और कुछ समय पहले, यह बिहार में भी हुई थी ...*(व्यवधान)* यह असम, मणिपुर और तमिलनाडु में भी होती है।

यह जापानी एन्सिफैलाइटिस वायरस जीवाणु से उत्पन्न होता है और मच्छरों की एक विशेष जाति द्वारा यह फैलता है और यह मुख्य तौर पर सुअरों में होता है। इस प्रकार इस बीमारी को तीन चरणों में नियंत्रित किया जाता है। सबसे पहले, उन लोगों के जीवन स्तर में सुधार करके, जो सुअरों के बाड़े के नजदीक रहते हैं। दूसरे, उन गरीब लोगों के घरों को सुअरों के बाड़े से दूर करके, जो वहां रहते हैं। उसके पश्चात् आता है, कीटनाशकों का छिड़काव। हमने इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए दो कीटनाशकों-डी.डी.टी. और मैलाथियन की पूर्ति की है।

इसके बाद टीके का प्रश्न आता है। महोदय, इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए तीन प्रकार के टीकों का उत्पादन किया जा रहा है। एक टीका भारत में कसौली में तैयार किया जाता है और दूसरा चीन में, जो इससे थोड़ी सी अलग किस्म का है।

आंध्र प्रदेश में केन्द्र सरकार ने इस बीमारी पर नियंत्रण करने के लिए राज्य सरकार को सचेत करने के लिए इस वर्ष मार्च-अप्रैल में एक दल भेजा था। हालांकि पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष आंध्र प्रदेश में इससे कम मृत्यु हुई है। पिछले वर्ष वहां 203 लोगों की जानें गईं और इस वर्ष 42 लोगों की मृत्यु हुई है। हमने राज्य सरकार को सचेत कर दिया है कि उन्हें छिड़काव, टीकाकरण आदि जैसे कार्यक्रम आरंभ करने चाहियें। वास्तव में, उस समय टीकों के लिए क्रयादेश प्राप्त नहीं हुआ। बाद में, जब वह बीमारी फैली तो टीकों के लिए क्रयादेश आया, और हमने अपने स्टॉफ से 1.65 लाख टीकों की खुराकें भेजीं। हमने ये टीके कसौली से भेजे थे। जब महामारी फैलनी शुरू हो जाये, तो टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अतः, दिसम्बर के पश्चात् हमने फिर स्थिति का जायजा लिया। वास्तविक टीकाकरण दिसम्बर-जनवरी से शुरू किया जाना चाहिये।

तत्पश्चात् चीन और जापान से टीकों के आयात के लिए माननीय मुख्य मंत्री का पत्र प्राप्त हुआ। हमने पत्र का अध्ययन किया और विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ विचार किया, जिसने सुझाव दिया कि जापानी टीकों का आयात किया जा सकता है परन्तु चीनी टीकों का नहीं क्योंकि चीनी टीकों की प्रभाविता का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया गया है। चीनी-टीके को एक कोरियाई कंपनी बाजार में बेच रही है और नेपाल में इसे प्रयोग में लाया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुझाव दिया है कि चीनी-टीके को अभी इतना विकसित नहीं किया गया है कि हम उसका आयात कर सकें। सभी अध्ययन अभी पूरे नहीं हुए हैं। हम टीकाकरण और मच्छर नियंत्रण कार्यक्रमों के माध्यम से इस महामारी पर नियंत्रण करने के लिए तैयार हैं।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी : महोदय, यह समाचार पत्रों में छपा था और हम भी भली भांति जानते हैं कि मुख्य मंत्री महोदय ने हाल ही में चीन और जापान की यात्रा की है, हालांकि उनकी यात्रा का उद्देश्य यह नहीं था। उन्हें वहां प्रसंगवश पता चला होगा कि एक टीका विकसित किया गया है। मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि दो तरह के टीके हैं, एक जापानी टीका और दूसरा चीनी-टीका। परन्तु मैं यह नहीं जानता कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि चीनी टीका ज्यादा बेहतर है और अब वह यहां दिल्ली में चीनी दूतावास से संपर्क स्थापित किये हुए हैं। औषध-नियंत्रण महानिदेशक ने अभी तक इस संबंध में कोई मंजूरी नहीं दी है। अत:, मैं माननीय मंत्री से राज्य सरकार से बातचीत करने का और इस बीमारी को नियंत्रित करने के लिए बेहतरीन उपाय, करने का अनुरोध करता हूं। मंत्री जी इस बात से संतुष्ट हैं कि इस वर्ष केवल 42 मौतें ही हुई हैं। ये मौतें अक्तूबर और दिसम्बर अंत के मध्य हुई हैं। अत: हमें इस मामले में अभी बहुत प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं है कि हम और अधिक मौतें चाहते हैं, परन्तु स्थिति बुरी है। इस जानलेवा बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार राज्य सरकार को क्या सहायता प्रदान कर रही है?

डा. सी.पी. ठाकुर : जहां तक इन टीकों का आयात करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा औषध-नियंत्रक की अनुमति देने का सम्बन्ध है, हमने प्रयास किये हैं और चूंकि जापानी टीके को कहीं से भी आयात किया जा सकता है, अत:, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल चीनी टीके के बारे में है क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि चीनी टीके के प्रभाव का पूरी तरह अध्ययन नहीं किया गया है और इसीलिए, इसका आयात नहीं किया जाना चाहिये। अत:, हम जापानी टीके का आयात करने के लिए तैयार हैं। हम अगले वर्ष कसौली में भी अपनी क्षमता को बढ़ायेंगे। वास्तविक टीकाकरण का कार्यक्रम महामारी के दौरान नहीं अपितु जनवरी-फरवरी में किया जायेगा। आंध्र प्रदेश सरकार को पर्याप्त टीके प्रदान करने के लिए हम हरसंभव प्रयास करेंगे।

[हिन्दी]

मोहम्मद अनवारूल हक़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अभी कहा कि बिहार में भी इस रोग से लोग पीड़ित हैं। मंत्री जी खुद बिहार से आते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बिहार में गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर स्टेट तक में आप इस बीमारी के इलाज के लिए युद्ध स्तर पर छिड़काव वगैरह कब तक शुरू करेंगे जिससे बिहार इस बीमारी से मुक्त हो सके।

डा. सी.पी. ठाकुर : मैंने बिहार में दो-तीन एकेडेमिक को तो खुद स्टडी किया है। एक मुजफ्फरपुर के नजदीक है और एक पटना में है। मोतिहारी और ओनरेबल मैम्बर का क्षेत्र जो कि नेपाल से जुड़ा हुआ है, वहां पर यह बीमारी होती रहती है। जहां-जहां इसकी आवश्यकता होगी या जब स्टेट गवर्नमैंट का वेक्सीन देने का रिक्वीजेशन आएगा तब हम वह वेक्सीन देंगे।

मोहम्मद अनवारूल हक़ : अध्यक्ष महोदय, हम नेपाल सीमा से आते हैं। वहां घोड़ा, साहन, दगनिया आदि चारों तरफ से लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। मंत्री जी स्पष्ट रूप से बता दें कि नेपाल बॉर्डर से, मोतिहारी से कब तक शुरू करेंगे और उसमें माननीय सदस्यों को रखेंगे या नहीं?

डा. सी.पी. ठाकुर : वेक्सीनेशन प्रोग्राम जब भी शुरू किया जायेगा, वह माननीय सदस्यों की राय से उन क्षेत्रों में किया जायेगा।

मोहम्मद अनवारूल हक़ : आप इसे कब से शुरू करेंगे?

डा. सी.पी. ठाकुर : इसका पीरियड फरवरी के बाद से शुरू होगा।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, इसमें मध्य प्रदेश की संख्या नहीं दी गई है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं कानूनगो को बुलाया है।

[अनुवाद]

श्री त्रिलोचन कानूनगो : महोदय, माननीय मंत्री ने उड़ीसा राज्य से मस्तिष्क ज्वर के बारे में जानकारी एकत्रित नहीं की है। मस्तिष्क ज्वर की बीमारी मलकानगिरी और कंधमाल जिलों में अधिक फैलती हैं, जहां हर वर्ष सैंकड़ों मौतें हो जाती हैं।

महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या एन.एम.ई.पी. के अंतर्गत मच्छर उन्मूलन कार्यक्रम सही प्रकार से शुरू किया गया है अथवा नहीं। मच्छरों को समाप्त करने के लिए बेहतरीन उपाय लडर्ग-रोधी है। मैं जानना चाहता हूं कि लडर्ग-रोधी उपाय किये गये हैं अथवा नहीं और ऐसे उपायों की शुरूआत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ताकि इस बीमारी को विशेष तौर पर उड़ीसा राज्य में कम किया जा सके।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, इस प्रश्न का संबंध जापानी एन्सिफैलाइटिस से है। हम यह मामला सभा में किसी अन्य दिन भी उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष महोदय, जैपनीज एन्सिफैलाइटिस के संदर्भ में जो आंकड़े हमें यहां उपलब्ध कराये

गये हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकांश राज्य सरकारें इस विषय से बिल्कुल दूर हैं क्योंकि जो आंकड़ें भारत सरकार को उपलब्ध कराये गये हैं, उसमें बड़े-बड़े प्रांत जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश आदि के आंकड़ें यहां उपलब्ध नहीं हैं। मैं यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं हूं कि इन बड़े प्रांतों में जैपनीज एन्सिफैलाइटिस की मौतें नहीं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि बिहार जैसे प्रांत में जहां बीमारियों का सिलसिला हर तरीके से चलता रहता है, वहां आप अपने माध्यम से सर्वेक्षण कराकर इस बीमारी की जानकारी के लिए और इसके रोकथाम के लिए कोई पहल करेंगे? साथ ही साथ प्रश्न संख्या 47 में इस विषय पर स्पष्ट रूप से दिया गया है कि:

> "केन्द्र सरकार भी राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम जैसी केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के जरिये आम आदमी को प्रभावित करने वाले संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इन योजनाओं के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया प्रावधान संलग्न है, जिसमें मलेरिया-रोधी कार्यक्रम कालाजार, फाइलेरिया और जापानी एन्सिफैलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 1030 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं।"

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण प्रोग्राम और राष्ट्रीय तपेदिक निवारण प्रोग्राम आदि में काफी बड़ी मात्रा में पैसा खर्च किया जाता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन पैसों का राज्यवार किस प्रकार से वितरण किया जाता है और विशेष रूप से बिहार प्रांत को इसमें से कितना पैसा आबंटित किया गया है?

डा. सी.पी. ठाकुर : बिहार में इस साल जैपनीज एन्सिफैलाइटिस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर हमें ऐसी कोई सूचना मिलेगी तो हम इसकी जांच करायेंगे और माननीय सांसद को इसकी रिपोर्ट देंगे।

श्री रघुनाथ झा : अभी तो माननीय मंत्री जी ने खुद बताया है। ...*(व्यवधान)* तीन के बारे में तो इन्होंने खुद कहा है। इसके बाद यह कहते है कि कोई रिपोर्ट नहीं है। ...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : जैपनीज एन्सिफैलाइटिस का अब डायेगनोसिस हो जाता है, इसका कन्फर्मेशन हो जाता है लेकिन जहां मलेरिया से भी लोग मरते हैं वहां भी यही कहा जाता है कि जैपनीज एन्सिफैलाइटिस है। इसकी सूचना हमें जब भी मिलेगी तभी हम इसकी जांच करायेंगे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों को कितना पैसा मिलना है, उसकी डिटेल भी हम माननीय सांसद को भिजवा देंगे।

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में मलेरिया से 200 मौतें हुई हैं जिनका यहां नाम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : अध्यक्ष महोदय, आज आंध्र-प्रदेश में स्थिति बहुत चौंकाने वाली है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने ठीक ही कहा है कि उन्होंने राज्य सरकारों को कुछ सामग्री भेज दी है परंतु साथ ही, उन्होंने यह भी कहा है कि इस बीमारी को नियंत्रित करने का कर्त्तव्य राज्य सरकारों का है।

परन्तु प्रश्न यह है कि आर्थिक रूप से ये राज्य कमजोर हैं और वे इस बीमारी से निपटने में और नियंत्रण-उपाय करने में असमर्थ हैं। मूलतः, यह ऐसे स्थानों पर फैल रही है, जहां स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक वातावरण है। ये बीमारी मुख्य तौर पर कीटनाशकों और अशुद्ध जल पीने की वजह से फैल रही हैं। मस्तिष्क ज्वर सहित, ये बीमारियां अधिकतर आंध्र प्रदेश के आदिवासी इलाकों में ही फैल रही हैं परन्तु उनके पास दवाइयां नहीं पहुंच रही हैं। उनके लिए पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। टीकाकरण से इस बीमारी को कुछ हद तक नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परंतु सबसे पहले हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल स्थितियां पैदा करनी होगी। इसके लिए मस्तिष्क ज्वर के बारे में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिये। मस्तिष्क ज्वर आंध्र प्रदेश में हर वर्ष फैलता है। माननीय मंत्री ने आंध्र प्रदेश में 43 मौतों का उल्लेख किया है। यह आंकड़ा 7 नवम्बर तक का है और दिसम्बर के अंत तक यह संख्या और बढ़ जाएगी। इसलिए, क्या आने वाले वर्ष में, मस्तिष्क-ज्वर की रोकथाम हेतु कोई व्यापक कार्यक्रम बनाए जाने की योजना है?

अध्यक्ष महोदय : वे मस्तिष्क-ज्वर के उन्मूलन हेतु एक व्यापक कार्यक्रम के लिए कह रहे हैं।

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, हम लोग स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद कुछ करेंगे। पेयजल और अस्वास्थ्यकर स्थितियों के बारे में आंध्र प्रदेश सरकार से बात करेंगे और स्थिति को सुधारने के लिए योजना भी बनाएंगे।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, इस प्रश्न का उत्तर मलेरिया उन्मूलन से भी संबंधित है। यदि हम कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति के बारे में परिशिष्ट को देखें तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस संक्रामक रोग के अचानक फैलने का मुख्य कारण मच्छर और

अन्य बातें हैं। हमने साठ और सत्तर के दशक में कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति के माध्यम से सफलतापूर्वक मलेरिया का सफाया कर दिया था। संभव है हम अपनी सफलता के कारण थोड़े ढीले पड़ गए हैं और मच्छरों ने बढ़ना शुरू कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री ए.सी. जोस, इस प्रश्न का संबंध मस्तिष्क-ज्वर से है।

श्री ए.सी. जोस : मैं इस पर आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यद्यपि कि उन्होंने उत्तर भी दिया है किन्तु यह मस्तिष्क ज्वर से संबंधित है।

श्री ए.सी. जोस : महोदय, उन्होंने यह जिक्र किया है कि राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय को कीटनाशक दवाओं की आपूर्ति का अधिकार दिया गया है। डी.डी.टी. साथ ही साथ मैलेथियन का उत्पादन भी घट गया है। भारत में डी.डी.टी. का उत्पादन करने वाली चार कम्पनियां थी। उन्होंने डी.डी.टी. बनाने वाली दिल्ली स्थित एक कम्पनी को बंद कर दिया है। केरल में चल रही कम्पनी की देखभाल भी ठीक से नहीं की जा रही है।

माननीय महोदय से मेरा प्रश्न यह है कि क्या वे इसकी जांच करेंगे और कोचीन, कालामेसरी तथा दिल्ली स्थित कम्पनियों में डी.डी.टी. और मैलेथियन के उत्पादन को बढ़ायेंगे ताकि पूरे देश में कीटनाशक दवाओं की पर्याप्त आपूर्ति संभव हो सके, और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों के उन्मूलन हेतु प्रभावी नियंत्रण उपाय किए जा सकें?

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, मैं इसकी जांच करूंगा। यद्यपि इसका उत्पादन हमारे मंत्रालय के अधीन नहीं आता है फिर भी मैं इसकी जांच करूंगा।

[हिन्दी]

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : अध्यक्ष महोदय, इस सूची में मध्य प्रदेश का नाम नहीं है। मैं बालाघाट से आता हूं। वर्तमान में पिछले सप्ताह तीन ग्राम पंचायतों में 290 लोग मस्तिष्क रोग से पीड़ित थे। दूसरा उदाहरण मैं चौगान का दे रहा हूं जो मंडला जिले में आता है। हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन किया है। बैगा जाति के 18 लोग एक गांव में खत्म हुए। लांजी में, बालाघाट में लोग खत्म हुए। मंडला, बैतूल में खत्म हुए। हमारे यहां धान का क्षेत्र है। केन्द्रीय मंत्री महोदय ने जो बात कही है, हम उससे सहमत हैं कि जहां पर धान का क्षेत्र है वहां यह बीमारी संक्रामक रूप लेती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : एक ग्राम पंचायत से लगे हुए दो-तीन क्षेत्र हैं जो लगातार प्रभावित होते हैं। ...*(व्यवधान)* मेरे खुद के लोक सभा क्षेत्र में कटनी विधान सभा क्षेत्र है जहां तीन ग्राम पंचायतों में 290 लोग इससे प्रभावित हैं। लांजी में लोग मरे और डिडोरी, जिसकी बात मैं कर रहा हूं, वहां से हमारे केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

श्री प्रहलाद सिंह पटेल : आप किस रिपोर्ट को स्वीकार करेंगे? प्रदेश सरकार आपके सूचना देने में कटौती कर रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप जनप्रतिनिधि की सूचना पर कार्यवाही करेंगे? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय कुमार खंडेलवाल : उत्तर प्रदेश में मौतें हुई हैं और आपने केन्द्रीय टीम भेजी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए। प्रश्न काल के दौरान प्रश्न पूछने का यह तरीका उचित नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

डा. सी.पी. ठाकुर : मध्य प्रदेश में माननीय सांसद जो पूछ रहे हैं, उस बारे में मैं बताना चाहता हूं कि वहां हम लोगों ने टीम भेजी थी, वहां मस्तिष्क ज्वर के नहीं, सैरेब्रल मलेरिया के केस थे। वहां मौतें हुई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहां सैरेब्रल मलेरिया का बहुत ज्यादा प्रसार हुआ है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी : राजस्थान के आदिवासी इलाकों में मस्तिष्क ज्वर की बहुत ज्यादा समस्या है। मेरा आग्रह है कि आप मुझे बोलने का मौका दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 44

श्री के. येरननायडू : महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : जी हां। मैंने आपका नाम पुकारा, किन्तु उस समय आप सभा में उपस्थित नहीं थे।

गैर-आयोडीन नमक के उपभोग से प्रतिबंध हटाना

***45. +श्रीमती श्यामा सिंह :**
श्री रामचन्द्र पासवान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैर-आयोडीन नमक बनाए जाने तथा इसकी बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण तथा औचित्य हैं;

(ग) क्या 'यूनीसेफ' ने केन्द्र सरकार के निर्णय पर गंभीर चिंता व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क), (ख) और (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) जी, हां।

विवरण

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन केन्द्रीय अधिसूचना के जरिए 27.5.1998 से सीधे मानव उपभोग के लिए नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसे 30.9.2000 से हटा दिया गया है। तथापि इसी तरह का प्रतिबंध इस संबंध में राज्यों को प्रदत्त शक्तियों के अधीन उनके द्वारा जारी की गई अधिसूचनाओं के जरिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में वैध बना हुआ है।

सीधे मानव उपभोग के लिए गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध आयोडीन अल्पता विकारों से निपटने के लिए आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया था। तथापि जनसंख्या के अनेक वर्गों द्वारा विभिन्न कारणों से इस केन्द्रीय अधिसूचना का विरोध किया गया। यह प्रतिबंध एक ऐसी पद्धति की व्यवस्था करने के लिए अंततः हटा दिया गया जो ऐसे लोगों के विचारों को स्थान देने के लिए पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है जो ये विश्वास करते हैं कि जनस्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों में कोई बाध्यता नहीं होनी चाहिए और आयोडीन अल्पता विकारों से निपटने के लिए आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल को और अधिक जागरूकता पैदा करके इस उत्पाद की पहुंच, उपलब्धता और वहनीयता की मॉनीटरिंग करके आदर्श रूप में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

आयोडीकृत नमक की बिक्री के लिए एक सांविधिक बाध्यता स्थानीय सामाजिक स्थितियों, आहार संबंधी आदतों और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर आश्रित है। इस पहलू को उन राज्य सरकारों द्वारा बहुत अच्छी तरह आंका जाता है जो स्थानीय स्थितियों से बेहतर रूप से परिचित होती हैं और जो ऐसे क्षेत्रों में प्रतिबंध लगा सकती हैं जहां आवश्यकता महसूस की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा यह महसूस किया गया था कि यह निर्णय - कि क्या गैर-आयोडीकृत नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए अथवा नहीं, और यदि हां, तो किन क्षेत्रों में - राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने इस संबंध में अपनी अधिसूचना वापस ली।

अनिवार्य आडोयीकरण आयोडीन अल्पता विकारों से निपटने के लिए आयोडीकृत नमक के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करने के लिए उपलब्ध एक मात्र कार्यनीति नहीं है। सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के जरिए और अधिक जागरूकता पैदा करना तथा उपलब्धता, वहनीयता और पहुंच में वृद्धि करना इस संबंध में प्रमुख कारक हैं और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करने का सरकार का विचार है।

[अनुवाद]

श्रीमती श्यामा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने देश में आयोडीन रहित नमक के प्रयोग के संबंध में जिस तरह का उत्तर दिया है मुझे आश्चर्य हो रहा है। इसको लेकर बहुत बहुस हो चुकी है कि क्या मस्तिष्क और मानव-जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पक्षों के विकास में आयोडीन का प्रयोग उत्तम है।

मुझे उत्तर दिया गया है कि यह निश्चित करना राज्य सरकार के ऊपर है कि क्या व्यक्तियों द्वारा नमक का प्रयोग अच्छा है या नहीं। क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों को जहां साक्षरता का प्रतिशत बहुत ही कम है यह निर्णय लेना संभव है कि उनके द्वारा आयोडीन का प्रयोग अच्छा है या नहीं। इसलिए यह देखना राज्य एजेन्सियों का कार्य है कि लोगों को आयोडीन मिले ताकि वे आयोडीन की कमी का शिकार न हो और वे आई.डी.डी.-अर्थात् आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारियों का मुकाबला कर सकें। क्या मंत्री महोदय मुझे यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयोडीनयुक्त नमक लेना अनिवार्य है और क्या खासकर बिहार

और उत्तर प्रदेश में सभी बच्चों एवं महिलाओं को इसे लेना आवश्यक है।

डा. सी.पी. ठाकुर : वस्तुतः, अस्सी के दशक से ही भारत के अधिकांश राज्यों में आयोडीनरहित नमक के प्रयोग पर पाबंदी है। किन्तु केन्द्र सरकार ने इस पाबंदी को मई, 1998 में लगाया और उसके बाद इसे 30 सितंबर, 2000 को हटा लिया गया। वस्तुतः अभी भी अधिकांश राज्यों में यह पाबंदी और आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग जारी है। उपभोक्ताओं को आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के और भी कई तरीके हैं और हम लोग उन्हें अपना रहे हैं। इन क्रियाकलापों को हमने बढ़ाया है ताकि अधिक से अधिक लोग आयोडीनयुक्त नमक के प्रयोग के बारे में जान सकें। इस देश में आयोडीनयुक्त नमक की कोई कमी नहीं है।

श्रीमती श्यामा सिंह : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसा कि उत्तर-पूर्व के तमाम लोगों में आयोडीन तत्व की पूरी कमी है, सरकार उस क्षेत्र के सभी लोगों को आयोडीनयुक्त नमक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

इस प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि जब सरकार मानव शरीर में आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए दूसरे अन्य वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर कर रही है तो आखिर वे विकल्प कौन से है जिन्हें अपनाने की योजना बन रही है?

डा. सी.पी. ठाकुर : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य को आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति हो। पाबंदी हटाने के पश्चात् हमने दूसरा अध्ययन यह जानने के लिए प्रारंभ किया है कि देश के वे कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। समूचे राज्य को इसकी आवश्यकता नहीं है। यदि कहीं इसकी कमी है तो हम प्रयास करेंगे कि उस क्षेत्र को आयोडीनयुक्त नमक की अधिकाधिक आपूर्ति हो।

श्री रूपचन्द पाल : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि 27 मई, 1998 तथा उस दिन जब यह पाबंदी हटा ली गयी - अर्थात् 30 सितम्बर, 2000 के बीच कौन से परिवर्तन हुए हैं? यह कहा गया है कि पाबन्दी को अंतिम रूप से इसलिए हटा लिया गया ताकि एक ऐसी व्यवस्था प्रदान की जाए जो उन लोगों को अपने में शामिल करने में यथोचित रूप से नम्य हो जिनका यह विचार है कि किसी तरह की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। वे कौन से लोग हैं जो ऐसा विचार रखते हैं?

डा. सी.पी. ठाकुर : वास्तव में बहुत सारे संगठनों ने सम्पर्क किया और कहा कि उन्हें अपनी पसंद का नमक चुनने की छूट होनी चाहिए। किन्तु उस आधार पर हमने सोचा कि इसे उन्हीं पर छोड़ दिया जाना बेहतर है। केरल उन राज्यों में से एक है जिन्होंने कहा कि कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए और वे इस संदर्भ में सब कुछ अपने आप कर रहे है तथा खान पान के तरीकों आदि पर बाध्यता नहीं होनी चाहिए। विभिन्न संगठनों से बहुत सारे लोग आए और उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 1998 में लगायी गयी पाबंदी के पहले यह व्यवस्था अच्छी तरह से काम कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें इस संबंध में अच्छा कर रही हैं।

श्री रूपचन्द पाल : समाचारपत्रों में यह छपा है कि नमक डीलरों के कुछ वर्ग द्वारा सरकार पर दबाव डाला गया है।

डा. सी.पी. ठाकुर : जी नहीं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि 'यूनीसेफ' ने भारत सरकार के निर्णय का विरोध किया है। जब प्रधानमंत्री ने यह विचार किया कि पाबंदी लगाना आवश्यक नहीं है, तब यह मंत्रालय मंत्री महोदय के पास नहीं था। जब उन्होंने इस मंत्रालय का कार्यभार संभाला, तो एक डाक्टर के रूप में उन्होंने बेझिझक यह वक्तव्य दिया कि पाबंदी आवश्यक नहीं है। वह कौन-सी शक्ति है जिसने 'यूनीसेफ' डा. रामालिंगास्वामी और आप जैसे विशेषज्ञों की राय के बावजूद सरकार को इस पाबंदी को हटाने पर मजबूर किया। वह कौन सी शक्ति है जो कि स्वास्थ्य मंत्री से भी ऊपर थी? मैं यह जानना चाहूंगा।

डा. सी.पी. ठाकुर : बहुत सारे लोग आए और एतराज जताया कि बाध्यता जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल : वे लोग कौन थे? *...(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : महोदय, उदाहरण के तौर पर हमने जनसंख्या स्थिरीकरण के संबंध में एक निर्णय लिया और सभी इस बात से सहमत हुए कि जनसंख्या स्थिरीकरण के मामले में कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। नमक का यह मुद्दा उसके बाद आया *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बीच-बीच में टीका टिप्पणी न करें।

...(व्यवधान)

डा. सी.पी. ठाकुर : उन्होंने कहा कि कोई जोर-जबर्दस्ती नहीं होनी चाहिए। नमक के चयन के मामले में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : स्वतंत्रता लाइसेंस की तरह नहीं है।

श्री के. येरननायडू : महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में यही समस्या है। इसी सम्माननीय सभा में पाबंदी हटाने के संबंध में इस बिन्दु पर व्यापक चर्चा हो चुकी है। कुछ शक्तियों के प्रभाव के कारण पिछली सरकार ने पाबंदी लगाई है। इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। मुख्य राजनीतिक दलों ने पाबंदी हटाने के निर्णय का समर्थन किया। हम पाबंदी हटाने संबंधी कार्य पर लगातार नजर रख रहे हैं। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं। हम श्रीकाकुलम में उत्तम किस्म के नमक का उत्पादन कर रहे हैं। गरीब जनता उस नमक का प्रयोग सैकड़ों वर्षों से कर रही है। किन्तु घेघा जैसे किसी रोग का कोई उदाहरण सामने नहीं आया है। तब सरकार को यह पाबंदी क्यों लगानी चाहिए। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी और पाबंदी को हटवा दिया। इसलिए मैं सरकार के निर्णय का समर्थन करता हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं यह दोहराना चाहती हूं कि यह विस्तृत अध्ययन एवं विशेषज्ञों की रिपोर्टें थी जिन्होंने देश में आयोडीनयुक्त नमक की आपूर्ति हेतु सरकार से आग्रह किया। मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक-मंदता एवं अन्य समस्याएं पैदा हो रही हैं। ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों वर्षों तक इन तथ्यों को सामने नहीं लाया गया। किन्तु अब इस पर बहुत सारे अध्ययन हो रहे हैं जो आपके और सरकार के पास उपलब्ध हैं।

यह दुर्भाग्यपूण है कि आपने एक या दो राज्यों के दबाव में आकर आपने उस कार्यक्रम को बदल दिया है जिसका इस देश में व्यापक स्वागत हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं कि क्या वे इस संबंध में नए अध्ययन शुरू करने और भ्रांति पैदा करने के बजाय अपने निर्णय पर विचार करेंगे और सिर्फ इसलिए इस देश के बच्चों को कष्ट नहीं होने देंगे क्योंकि उनके ऊपर कुछ ऐसे राजनीतिक दबाव है जो उस चिकित्सा संबंधी राय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनों के सर्वथा प्रतिकूल है जिन्होंने इन तथ्यों को स्थापित किया है।

डा. सी.पी. ठाकुर : बहुत सारे देशों में यह पाबंदी नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : तब, मंदबुद्धि और विकलांग बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी के क्या कारण हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए। मंत्री महोदय यहां उपस्थित है और वे जवाब देंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. सी.पी. ठाकुर : मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि देश के किसी भी भाग में आयोडीनयुक्त नमक की कमी पाये जाने पर वहां इसकी आपूर्ति की जाएगी। मैं इस संबंध में सभा को आश्वस्त करता हूं।

समुद्रीय कटाव

***46. +श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल :**
श्री चन्द्रकांत खैरे :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई तटवर्ती राज्यों को समुद्रीय कटाव की समस्या का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों में समुद्रीय कटाव को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्री (श्री अर्जुन सेठी): (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां, सभी तटवर्ती राज्य कुछ पहुंचों में समुद्री कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं। केन्द्र सरकार ने पहले समुद्री कटाव रोधी कार्यों के लिए गम्भीर रूप से प्रभावित केरल और कर्नाटक राज्यों को मार्च 1992 तक क्रमशः 52.00 करोड़ रुपये और 0.92 करोड़ रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसम्बर, 1991 में हुई 43वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसरण में विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया के अनुसार वर्ष 1991-92 के बाद से केन्द्रीय ऋण सहायता देना बन्द कर दिया गया था। तथापि, फरवरी 1995 में, केरल सरकार ने तिरूवनंतपुरम, कोल्लम और त्रिसूर जिलों में 5.99 करोड़ रुपये की लागत पर समुद्री तट के आपाती संरक्षण कार्य करने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता मांगी। योजना आयोग ने निवेश स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तथा केरल में समुद्री कटाव रोधी कार्यों को जून, 1996 तक पूरा करने के लिए एकबारगी उपाय के रूप में विशेष केन्द्रीय सहायता के तौर पर फरवरी, 1996 में 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी।

तटकटाव के नियंत्रण के लिए तटवर्ती राज्यों से निम्नलिखित दो कार्यक्रमों के तहत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

(1) राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.)

(2) तटवर्ती और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों में गम्भीर कटाव रोधी कार्यों के लिए केन्द्रीय सहायता।

तटवर्ती राज्यों के सहयोग से राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना (एन.सी.पी.पी.) तैयार की जा रही है।

तटीय और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया गया है ताकि इन राज्यों में समुद्री और नदी कटाव को रोका जा सके। नई स्कीम होने के कारण कोई भी केन्द्रीय सहायता स्वीकृत करने के लिए पूरे योजना आयोग के अनुमोदन की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के तीनों ओर बहुत बड़ा समुद्र किनारा उपलब्ध है। उसके फायदे भी बहुत हैं लेकिन समुद्री कटाव के कारण कुछ छोटे देहात और खेती का नुकसान हो रहा है। जो बड़े शहर हैं, वहां कॉरपोरेशन और राज्य सरकार के माध्यम से तटबंधी रक्षा की जाती है लेकिन छोटे देहात के बारे में न राज्य सरकार का ध्यान गया है और न केन्द्र सरकार का ध्यान गया है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसे केरल और कर्नाटक राज्य के बारे में उत्तर में दिया है तथा कुछ राहत दी है, वैसे ही महाराष्ट्र में बहुत बड़ा समुद्री किनारा है और वहां बहुत से छोटे देहात और खेती का नुकसान हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि केन्द्र शासन ने उसके बारे में क्या योजना रखी है और वह योजना कब अमल करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : समुद्रीय कटाव सचमुच एक गंभीर है। विभिन्न राज्य सरकारों ने समुद्रीय कटाव को रोकने के लिए कदम उठाए है। राज्य सरकार से जब भी कोई योजना प्राप्त होती है, केन्द्र सरकार उस पर विचार करती है और विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय ऋण सहायता के अन्तर्गत निधि प्रदान करती है। हाल ही में, विभिन्न राज्य सरकारों जैसे, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल ने केन्द्र सरकार को योजनाएं भेजी हैं और सरकार ने कुछ ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान की है जिन्हें तत्काल संरक्षण की आवश्यकता है। सरकार के निर्णय के अनुसार, हमने ये प्रस्ताव योजना आयोग के पास भेज दिए हैं। योजना आयोग ने सैद्धांतिक रूप में 620 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का समुद्र तट के संरक्षण के लिए अनुमोदन कर दिया है, और 10 करोड़ रुपये संवेदनशील नदी क्षेत्रों में कटाव के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। योजना आयोग और आई.एफ.सी. ने सैद्धांतिक रूप से इस योजना को मंजूरी दे दी है। जिस वक्त योजना आयोग इस योजना को पूर्ण स्वीकृति दे देगा, इसे लागू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : पर्टिकुलरली क्या महाराष्ट्र सरकार से आपको कोई प्रस्ताव मिला है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र के लिए कितनी राशि रखी गई है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : जी हां, महाराष्ट्र सरकार से भी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : अध्यक्ष महोदय, तट-कटाव को नियंत्रण के लिए जो सभी तटवर्ती राज्य हैं, आपको किन-किन राज्यों से ये प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं? दूसरे, राष्ट्रीय तटवर्ती योजना सुरक्षा परियोजना, तटवर्ती और गंगा बेसिन राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से गंभीर कटाव संबंधी जो योजना है, इन दोनों योजनाओं के बारे में जो कार्यक्रम अभी रखा है, उसमें कितनी राशि रखी गई है क्योंकि नौवें प्लान में दस करोड़ रुपये या बीस करोड़ रुपये की बात कर रहे हैं तो आगे के सन् 2001-2002 में कैसे सब राज्यों को मदद कर सकते हैं? इस बात की मुझे जानकारी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : हमारे पास आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पांडिचेरी से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। नौवीं योजना की शेष अवधि में निधि देने के तरीके इस प्रकार होंगे केन्द्र राशि का 75 प्रतिशत भाग देगा और राज्यों को शेष 25 प्रतिशत हिस्सा वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार समुद्र और नदियों के कटाव को रोकने के लिए नौवीं योजना की शेष अवधि में 30 करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे : महाराष्ट्र के लिए कितनी राशि रखी गई है?

[अनुवाद]

श्री अर्जुन सेठी : हम महाराष्ट्र को 3.20 करोड़ रुपये की राशि देंगे।

अध्यक्ष महोदय : कृपया, उन्हें अपना उत्तर समाप्त करने दीजिए। ये क्या हो रहा है? आप मंत्री महोदय को उनका उत्तर पूरा नहीं करने दे रहे हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं माननीय सदस्यों की विस्तृत जानकारी दे दूंगा। दसवीं पंचवर्षीय योजना में हमने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई है इसलिए, दसवीं पंचवर्षीय योजना में, राष्ट्रीय तटवर्ती सुरक्षा परियोजना को 1700 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। सभी राज्य सरकारों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि वे अनुपालन रिपोर्ट भी भेजें। जब भी हमें ये रिपोर्टें प्राप्त हो जाएगी इस योजना को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, और धनराशि का दसवीं पंचवर्षीय योजना में बाह्य वित्त पोषण के लिए प्रयोग किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रो. उम्मारेड्डी, केवल आधा मिनट बचा है। आप प्रश्न पूछ सकते हैं और मंत्री बाद में आपको उत्तर भेज देंगे।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, प्रश्न यह है कि आंध्र प्रदेश उन राज्यों में से हैं जिसकी तटीय रेखा लंबी है। आंध्र प्रदेश ने काफी सुझाव भेजे हैं। प्रश्न यह है कि राज्य को ऋण नहीं बल्कि अनुदान दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आप माननीय सदस्य को बाद में उत्तर भेज सकते हैं।

श्री अर्जुन सेठी : महोदय, मैं माननीय सदस्य को लिखित रूप में उत्तर भेज दूंगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बंधुआ मजदूर

***44. श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ''एण्टी-स्लेवरी इन्टरनेशनल'' ने सरकार से देश में बंधुआ मजदूरों की कुल संख्या का पता लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा व्यापक राष्ट्रीय सर्वेक्षण कराने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वर्ष 2000 तक व्यास्क और बच्चों सहित बन्धुआ मजदूरों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई.एल.ओ.) के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने जून, 2000 में आयोजित अपने 88वें सत्र में अन्य हितबद्ध समूहों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर एन्टी स्लेवरी इन्टरनेशनल जिसने भारत सरकार से देश में कुल बंधुआं श्रमिकों का पता लगाने के लिए एक व्यापाक और अधिकृत सर्वेक्षण कराने के लिए अनुरोध किया है, सहित अपनी मानक अनुप्रयोजन समिति के माध्यम से भारत में बंधुआ मजूदर के मुद्दे पर विचार किया था।

बंधित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 176 (जिसे 20.10.1975 को एक अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित किया गया था) की धारा 10, 11, व 12 के अन्तर्गत बंधुआ और श्रमिकों का पता लगाना जिला मजिस्ट्रेटों के कार्य का भाग हैं। इस अधिनियम में राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरों की पहचान उनकी मुक्ति और पुनर्वास से संबंधित सभी अथवा किसी भी कार्य को निष्पादित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करने का प्राधिकार दिया गया है। इसमें जिला तथा उपसंभागीय स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान है जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण विकास एजेंसियों और ऋणदाता संस्थानों का प्रतिनिधित्व होगा। अतः बंधुओं श्रमिकों का पता लगाने का कार्य एक सतत प्रक्रिया है।

सरकार ने बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 1978 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम शुरू की है। इस स्कीम को और अधिक कारगर बनाने के लिए विभिन्न नए हस्तक्षेपों का प्रावधान करते हुए लाभों के पैमाने में वृद्धि करके इसमें, मई, 2000 से संशोधन किया गया है। हाल में संशोधित इस स्कीम के अंतर्गत तीन वर्षों में एक बार बंधुआ श्रमिकों का सर्वेक्षण कराने के लिए बंधुआ श्रम बहुल प्रत्येक जिले तथा प्रत्येक राज्य के पांच संवेदनशील जिलों में प्रतिवर्ष मूल्यांकन अध्ययन कराने के लिए भी राज्य सरकारों को दो लाख रुपये की दर से अनुदान देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा, भारत के उच्चतम न्यायालय ने पीपल्स यूनियन फार सिविल लिबर्टीज बनाम तमिलनाडु सरकार व अन्यों के मामलों

में भी 13 राज्यों में सर्वेक्षण कराने के लिए 1995 में आयुक्तों को नियुक्त किया था। रिपोर्टों की जांच करने के लिए पश्चात उच्चतम न्यायालय ने मानवाधिकार आयोग से मामले की संवीक्षा करने का अनुरोध किया है।

इस समय, राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर कराए गए सर्वेक्षणों के आधार पर, 31-3-2000 की स्थिति के अनुसार, 2,80,411 बन्धुओं श्रमिकों की पहचान की गयी है और उन्हें मुक्त कराया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना

***47. श्री चाडा सुरेश रेड्डी:**
श्री मुद्रागाडा पद्माणाभम्:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार आम आदमी पर पड़ने वाले भारी चिकित्सा व्यय से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार सभी नागरिकों विशेषकर अपर्याप्त साधन वाले नागरिकों को किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से आम आदमी की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए व्यवस्था करती हैं। केन्द्र सरकार भी राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण जैसी विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिए आम आदमी को प्रभावित करने वाले संचारी रोगों के बोझ को नियंत्रित करने के लिए सहायता प्रदान करती है। इन कार्यक्रमों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया प्रावधान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य बीमा की कुछ योजनाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं। बीमा क्षेत्र को विदेशी निवेश के लिए खोलने से देश में और अधिक स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के उपलब्ध होने की संभावना है।

विवरण

प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) में अनुमोदित परिव्यय

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	कुल परिव्यय (करोड़ रुपये में)
1.	(क) काला आजार, फाइलेरिया और जापानी एन्सेफलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रमों सहित राष्ट्रीय मलेरियां रोधी कार्यक्रम	1030.00
	(ख) राष्ट्रीय डेंगू नियंत्रण कार्यक्रम	
2.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम	301.00
3.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम	450.00
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम	448.00
5.	रक्त निरापदता उपायों और राष्ट्रीय यौन संचारित रोग नियंत्रण कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	760.00

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दवाओं की खरीद में घोटाले का पर्दाफास

***48. श्री राधा मोहन सिंह:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने हाल ही में, के.स.स्वा.यो. प्राधिकारियों द्वारा दवा आपूर्तिकर्ताओं की मिलीभगत से ऊंची दरों पर दवाओं की खरीद करने के घोटाले का पर्दाफाश किया है, जैसा कि दिनांक 3 नवम्बर, 2000 के 'दैनिक जागरण' समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) जी, हां।

(ख) मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जब कभी केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, सरकार उस पर आगे आवश्यक कार्रवाई करेगी।

विवरण

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

भ्रष्टाचार-निरोधक शाखा नई दिल्ली

विषयः औषध घोटाले का पर्दाफाश करने की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों की जांच प्रक्रिया से संबंधित लोक सभा स्वीकृत तारांकित प्रश्न संख्या 48

1. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निवारण (पी.सी.) अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन श्री सरनजीत देब, तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एस.एस. खत्री, तत्कालीन फार्मासिस्ट, गोल मार्किट औषधालय (के.स.स्वा.यो.) और मैसर्स ओबराय मेडिकल एंड जनरल स्टोर, चन्ना मार्किट, करोलबाग नई दिल्ली के विरुद्ध यह आरोप लगाकर आर.सी.-63 (ए)/2000-डी.एल.आई., दिनांक 31.10.2000 दर्ज की है कि उन्होंने लोक सेवकों के रूप में अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग करके छलने तथा औषधों की स्थानीय खरीद के मामले में अनुचित धन संबंधी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आपराधिक षड्यंत्र किया।

उक्त षड्यंत्र के अनुसरण में मैसर्स ओबराय मेडिकल एंड जरनल स्टोर ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, गोल मार्किट, नई दिल्ली को औषधों की आपूर्ति के लिए बढ़ा कर बिल प्रस्तुत किए जिनमें मदों की दरों की राशि उनकी बाजार की वास्तविक दरों से अधिक दर्शायी गई तथा बिक्री कर/स्थानीय उगाहियों की अधिक दरें भी लगाई। बढ़ाकर बनाए गए इन बिलों को पास कर दिया गया और आपूतिकर्त्ता को भुगतान कर दिया गया।

2. भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 420 के साथ पठित धारा 120 ख और भ्रष्टाचार निवारण (पी.सी.) अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (घ) के साथ पठित धारा 13 (2) के अधीन डा.पी.सी. प्रसाद, तत्कालीन प्रभारी, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, श्री कर्ण सिंह, फार्मासिस्ट, चित्रगुप्त रोड, डा. (श्रीमती) उषा चावला, प्रभारी, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, श्री अरूण कुमार शर्मा फार्मासिस्ट मिंटो रोड, डा. (श्रीमती) बी.सी. थम्बौली, तत्कालीन प्रभारी, केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय, श्री बी.एस. बैरवा, तत्कालीन फार्मासिस्ट प्रौजिडेंट एस्टेट और मैसर्स ऋषभ एंटरप्राइजिज, पहाड़गंज नई दिल्ली के विरुद्ध यह आरोप लगाकर आर सी 64 (ए)/2000-डी एल आई दिनांक 31.10.2000 दर्ज की गई है कि उन्होंने केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना प्रशासन को छलने तथा लोक सेवकों के रूप में अपने सरकारी पदों का दुरुपयोग करके अपने आप को और फर्म को औषधों की स्थानीय खरीद के मामले में अनुचित धन संबंधी लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक आपराधिक षडयंत्र किया।

उक्त षडयंत्र के अनुसरण में मैसर्स ऋषभ एंटरप्राइजिज ने चित्र गुप्त रोड, मिंटो रोड, और प्रैजिडेंट एस्टेट, नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों को औषधों की आपूर्ति करने के लिए कापी अधिक बढ़े हुए बिल प्रस्तुत किए जिनमें मदों की दरों की राशि उनकी वास्तविक दरों से अधिक दर्शायी गई और बिक्री कर/स्थानीय कर आदि की अधिक दरें भी लगाई गई। संगत अवधि के दौरान चित्र गुप्त रोड, मिंटो रोड, प्रैजिडेंट एस्टेट स्थित औषधालयों में तैनात उपर्युक्त नामों वाले संबंधित प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों और फार्मासिस्टों ने ऐसे बिलों को नामंजूर करने के बजाय उनके भुगतान करने की सिफारिश की जिससे उन्होंने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के प्रशासन को भारी अनुचित हानि पहुंचाई तथा उससे ऋषभ एंटरप्राइजिज और/अथवा अपने आप को लाभ पहुंचाया।

इन दोनों मामलों की छानबीन की जा रही है।

[हिन्दी]

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

***49. श्री बृज लाल खाबरी:**
श्री टी. गोविन्दनः

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/स्वास्थ्य रक्षा केन्द्रों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या मापदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में ऐसे कितने केन्द्र खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों से द्वितीयक स्तर के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की दशा में प्रभावी सुधार लाने के लिए धन दिए जाने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक प्रस्ताव का ब्यौरा और स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर):

विवरण

(क) और (ख) देश में कुल मिलाकर प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की कमी है। प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना का कार्य कुछ राज्यों में पिछड़ गया है। वर्ष 2000 में उपकेन्द्रों की अनुमानित कमी 20,332, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अनुमानित कमी 3861 और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की अनुमानित कमी 3414 है।

तथापि यह भी सही है। कि कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की कोई कमियां नहीं है। कमी के संबंध में स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) योजना आयोग द्वारा निर्धारित जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों की स्थापना राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। एक उपकेन्द्र 5000 की जनसंख्या के लिए, एक प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र 30,000 की जनसंख्या के लिए और एक समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लगभग 1.2 लाख लोगों के लिए स्थापित किया जाता है। जनजातीय, पहाड़ी और अन्य पिछड़े क्षेत्रों के लिए इन मानदण्डों में शिथिलता प्रदान की जाती है। इन क्षेत्रों में 3000 की जनसंख्या के लिए एक उपकेन्द्र, 20,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 80,000 की जनसंख्या के लिए एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किया जाता है।

(घ) नौवीं योजना (1997-2002) का लक्ष्य 7686 अतिरिक्त उपकेन्द्र, 1521 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 2903 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने का है।

(ङ) और (च) जी, हां। राज्य सरकारों से प्राप्त हुए प्रस्तावों के अनुसरण में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे को निम्नलिखित योजनाओं के जरिए सुदृढ़ किया जा रहा है:-

बड़े और छोटे सिविल कार्य: छोटे सिविल कार्यों के लिए राज्यों को 1997 से 1999 तक 49.00 करोड़ रुपये पहले ही रिलीज कर दिए गए हैं और बड़े सिविल कार्यों के लिए राज्यों को 1998-2000 के दौरान 54.62 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं।

बेहतर प्रसव सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्र सरकार की वित्तीय सहायता से अनुबंध के आधार पर चिकित्सीय और पराचिकित्सीय नियुक्त किया जाता है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे की प्रसव सेवाएं प्रदान करने में भाग लेने के लिए स्टाफ को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त मानदेय प्रदान किया जाता है।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से उप-केन्द्रों को औषध किटें ए और बी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को आपाती प्रसूति औषध किटें प्रदान की जाती हैं।

दायी प्रशिक्षण को पुर्नजीवित किया गया है। 2000-2001 के दौरान यह देश के 17 राज्यों में फैले 142 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

प्रसूति आपाती में 25% उपकेन्द्रों में रैफरल परिवहन गरीब परिवारों की महिलाओं की सहायता करेंगें।

पहचान किए गए 47 जिलों में एक सीमान्त जिला कल्सटर परियोजना शुरू की गई है जिसका उद्देश्य 4 वर्ष की अवधि के दौरान नवजात मृत्युदर और मातृ मृत्युदर में 50% तक कमी लाना है।

जागरूकता और भारतीय चिकित्सा पद्धति की औषधों की उपलब्धता में सुधार करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति व्यवसायिकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। गैर-सरकारी संगठनों को औषधीय पादपों की नर्सरियां लगाने के लिए सहायता दी जा रही है। गर्भनिरोधक प्रौद्योगिकी में उपयुक्त अनुसंधान के लिए सहायता की जा रही है।

राज्य स्वास्थ्य पद्धति परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों का उन्नयन किया जा रहा है।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या आधारभूत ढांचे को औषधों, अनिवार्य उपभोज्यों की अधिक व्यवस्था करके, प्रति सहायक नर्स दात्री (ए एन एम) यात्रा लागत

के लिए आकस्मिक व्यय प्रदान करके, अनिवार्य उपस्कर और फर्नीचर की मरम्मत करके सुदृढ़ किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उप-केन्द्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में पीने योग्य पानी की सप्लाई और पर्याप्त प्रसाधन सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, बढ़ी हुई प्रशिक्षण सुविधाओं और आवश्यकता आधारित वस्तुओं, उपस्कर, औषधों और फर्नीचर की खरीद के लिए विनिर्दिष्ट भूगोलिक क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 राज्यों में क्षेत्रीय परियजनाएं चल रही हैं।

विवरण

30.06.1999 की स्थिति के अनुसार मौजूद और प्रक्षिप्त जनसंख्या 2000 के अनुसार अपेक्षित उप केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप केन्द्र			प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र			सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		
		अपेक्षित	मौजूदा	कमी	अपेक्षित	मौजूदा	कमी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	11081	10568	513	1817	1636	211	462	238	224
2.	अरुणाचल प्रदेश	272	245	27	45	45	0	11	9	2
3.	असम	5030	5280	-	838	619	219	210	105	105
4.	बिहार	17933	14799	3134	2989	2209	780	747	148	599
5.	गोवा	154	172	-	26	17	9	6	5	1
6.	गुजरात	6889	7274	-	1148	967	181	287	206	81
7.	हरियाणा	2886	2299	587	481	401	80	120	64	56
8.	हिमाचल प्रदेश	1249	2069	-	208	312	-	52	55	-
9.	जम्मू व कश्मीर	1470	1700	-	245	337	-	61	63	8
10.	कर्नाटक	7135	8143	-	1189	1676	-	297	249	48
11.	केरल	4516	5094	-	753	962	-	188	80	108
12.	मध्य प्रदेश	13977	11947	2030	3229	1690	639	582	342	240
13.	महाराष्ट्र	11479	9725	1754	1913	1699	214	478	308	170
14.	मणिपुर	410	420	-	68	69	-	17	16	1
15.	मेघालय	626	377	249	104	85	19	26	13	13
16.	मिजोरम	105	336	-	17	55	-	4	6	-
17.	नागालैंड	415	245	170	69	33	36	17	5	12
18.	उड़ीसा	6957	5927	1030	1160	1352	-	290	157	131
19.	पंजाब	3215	2852	363	536	484	52	131	105	29
20.	राजस्थान	836	9851	-	1473	1662	-	368	263	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	सिक्किम	114	147	-	19	24	-	5	2	3
22.	तमिलनाडु	7907	8682	-	1318	1436	-	329	72	257
23.	त्रिपुरा	769	537	232	128	58	70	32	11	21
24.	उत्तर प्रदेश	26445	20153	6292	4407	3808	599	1102	310	792
25.	प. बंगाल	11854	8126	3728	1976	1262	714	494	99	395
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	60	97	-	10	17	-	2	4	-
27.	चंडीगढ़	14	31	-	2	-	2	1	1	-
28.	दादरा एवं नागर हवेली	53	36	17	9	6	3	2	1	1
29.	दमन एवं दीवी	15	21	-	3	3	-	1	1	-
30.	दिल्ली	248	42	206	41	8	33	10	-	10
31.	लक्षद्वीप	8	14	-	1	4	-	0	3	-
32.	पांडिचेरी	54	80	-	9	39	-	2	4	-
	अखिल भारत	152176	137271	20332	25361	22975	3861	6337	2935	3114

(आकड़े अनंतिम हैं) : शून्य

* : अधिशेष आधारभूत ढांचा

$: अधिशेष (*) आधारभूत ढांचा वाले राज्यों की उपेक्षा करके।

टिप्पण : जनसंख्या के मौजूदा मानकों को लागू करके अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाया गया है।
2000 ईसवीं की प्रक्षिप्त जनसंख्या पर जनसंख्या कवरेज हेतु मौजूदा मानदण्ड लगाकर 1991 की जनगणना के समान होने के कारण प्रत्येक राज्य में प्रतिशत ग्रामीण जनजातीय जनसंख्या मानते हुए, अपेक्षित संख्या का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली के अस्पतालों के आपरेशन थिएटर

***50. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या दिल्ली के अधिकांश अस्पतालों के आपरेशन थिएटरों में इस आशय के नियमों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है कि शल्य चिकित्सा करने से पूर्व आपरेशन थिएटरों को संक्रमण-मुक्त किया जाना चाहिए;

(ख) क्या रोगियों को शल्यक्रिया में प्रयुक्त होने वाले दस्ताने और टांके लगाने का धागा बाहर से ही लाने को कहा जा रहा है जिससे संक्रमण से पीड़ित होने की संभावनाएं रहती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस विषय में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) दिल्ली के तीन केन्द्रीय सरकार अस्पतालों में होने वाले संक्रमण और आपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण की गुंजाइश को न्यूनतम करने के लिए सावधानियां बरती जाती हैं। प्रत्येक अस्पताल में एक अस्पताल संक्रमण नियंत्रण समिति है जो आपरेशन थिएटरों के जीवाणु समूह (बैक्ट्रियल फ्लोरा) की नियमित रूप से मानीटरिंग करती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने सूचित किया है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के सभी आपरेशन थिएटरों में अस्पताल में होने वाले संक्रमणों और आपरेशन के बाद होने वाले जख्म संक्रमणों की गुंजाइस को न्यूनतम करने हेतु सावधानियां बरती जाती है। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन

डी एम सी) ने सूचित किया है कि इसके अस्पतालों के थिएटरों को नियमित रूप से विसंक्रमित किया जाता है और अस्पताल की संक्रमण दर बहुत कम हैं। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि इसके अस्पतालों में आपरेशन किए जाने के पहले आपरेशन थिएटर को संक्रमण रहित बनाने हेतु नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। इस तरह आपरेशन के दौरान संक्रमण की कोई संभावनाएं नहीं रह जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने भी सूचित किया है कि दिल्ली के अस्पतालों के बारे में भी ऐसी कोई रिपोर्ट/शिकायत उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में दस्ताने सीवन (सुचर) उपलब्ध रहते हैं। उन स्थितियों में भी जब रोगी अपने दस्ताने और सिलाई धागा लाते हैं, उनका उपयोग तभी किया जाता है जब वे अपूतिक (एसेप्टिक) वातावरण में पैक किए गए हों।

(घ) अंतरंग रोगियों को सभी उपभोज्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार का प्रयास रहता है।

[हिन्दी]

सुरक्षा परिषद के लिए भारत की उम्मीदवारी

***51. कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली:**
श्री प्रियरंजन दासमुंशी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी की बात उठाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका का क्या रवैया रहा?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) जी हां। प्रधान मंत्री श्री अटल विहारी वाजपेयी ने सितम्बर, 2000 में न्यूयार्क में सयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दी शिखर सम्मेलन में इस बात को दोहराया था कि "भारत पिछले कुछ वर्षों से यह कहता आ रहा है कि हमारा विश्वास है कि हमने स्वयं को निष्पक्ष मानदण्डों के आधार पर स्थायी सदस्यता की जिम्मेदारी को उठाने के लिए सक्षम बना लिया है" और यह कि "विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र, अपार क्षमता, तीव्र गति से उभरती आर्थिक शक्ति और शांति कार्यों में एक प्रमुख भागीदारी के रूप में सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत का स्वाभाविक रूप से दावा है।" संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें पूर्णाधिवेशन में मैंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की जिम्मेदारियों को उठाने की भारत की इच्छा की पुनः पुष्टि की थी।

सरकार ने विभिन्न अवसरों पर अमरीका और अन्य देशों को सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन के संबंध में अपने विचारों से अवगत कराया है। अमरीकी अधिकारियों ने सार्वजनिक वक्तव्यों में स्वीकार किया है कि सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत एक अत्यन्त प्रबल दावेदार है और इसका आकार, विश्व में इसकी भूमिका, इसकी अर्थव्यवस्था, संयुक्त राष्ट्र शांति कार्यों में इसके योगदान ने भारत को अत्यन्त महत्वपूर्ण और प्रबल दावेदार बना दिया है।

[अनुवाद]

मधुमेह के मामले

***52. श्री मंजय लाल:**
श्री अधीर चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बाल-मधुमेह समेत मधुमेह के मामले बढ़ रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में इस रोग के उन्मूलन हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के क्रियान्वयन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार मधुमेह की व्यापकता में वृद्धि का, विशेष कर देश के शहरी क्षेत्रों में जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी (एपिडमियोलॉजिकल) साक्ष्य हैं। तथापि, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि बाल-मधुमेह में भी वृद्धि हो रही है।

मधुमेह का उपचार ग्रामीण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाय प्रणाली और शहरी स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं में सभी स्तरों पर किया जाता है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रमुख संस्थाओं के अलावा देश में लगभग 100 सरकारी मेडिकल कालेज द्वितीयक और तृतीयक दोनो स्तर की मधुमेह चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। "जैव-रसायनिक प्रयोगशालाओं और गुणवत्ता आश्वासन के सुदृढ़ीकरण " के संबंध में एक प्रायोगिक परियोजना महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब राज्यों में वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना

***53. डा. सुशील कुमार इंदौरा:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी रेखा (बी.पी.एल.) से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या में कमी लाने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या इस प्रयोजन के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं/ किए जा रहें हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में, गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत में, नौवीं योजना के आधार वर्ष (1996-97) के 29.18% के कल्पित स्तर के मुकाबले योजना के अंतमि वर्ष (2001-02) में 17.98% तक गिरावट होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) से (घ) योजना आयोग, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा एकत्रित किए गए, उपभोक्ता व्यय से संबंधित वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से लगाता है। ये सर्वेक्षण लगभग पांच वर्षों में एक बार करवाए जाते हैं। गरीबी के नवीनतम उपलब्ध अनुमान वर्ष 1993-94 के हैं जो उपभोक्ता व्यय के संबंध में 50वें दौर के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आकड़ों पर आधारित हैं। नवीनतम वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण, अर्थात् 55वें सर्वेक्षण (1999-2000) से आकड़ों के इस वर्ष के अंत तक उपलब्ध हो जाने की आशा है। इस लिए 1993-94 के बाद के गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं और नौवीं योजना में यथा अनुमानित गरीबी में कमी लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग को राजसहायता

***54. श्री सुनील खां : क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या सरकार द्वारा खादी ग्रामोद्योग आयोग को दी जा रही राजसहायता वापस ले ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो खादी ग्रामोद्योग आयोग को प्रति वर्ष कितनी राजसहायता दी जाती है;

(घ) क्या सरकार लिज्जत पापड़ उद्योग से जुड़े गैर-सरकारी संगठन को और अधिक राजसहायता देने पर विचार कर रही हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) गैर-सरकारी संगठनों को ऐसे उद्योगों में शामिल करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित मानदंड क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे):

(क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान खादी ग्रामोद्योग आयोग को प्रदान की गई निधियां और चालू वित्तीय वर्ष के लिए वजट व्यवस्था संबंधी विवरण निम्नोक्त है:-

(लाख रुपये में)

	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001
योजना	44078	34623	20193	32000
गैर-योजना	31816	32006	7870	7797
कुल	75894	66629	28063	39797

(घ) से (च) जी, नहीं। सरकार प्रत्यक्षत: गैर सरकारी संगठनों को कोई आर्थिक सहायता नहीं प्रदान करती है, तथापि, गैर-

सरकारी संगठन जो कि खादी ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत के.वी.आई. कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का आशय रखते हैं उन्हें के.वी.आई.सी. द्वारा निर्धारित किए गए माडल-बाइलॉज/संघ के ज्ञापन को अपना कर के.वी.आई.सी. के यहां पंजीकृत कराना होगा।

[हिन्दी]

भविष्य निधि की वसूली

***55. श्री अरुण कुमार:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान न्यूजपेपर, नई दिल्ली द्वारा कर्मचारियों के वेतन से भविष्य निधि की कटौती को भविष्य निधि खाते में जमा नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार अनुमानित बकाया अंशदान कितना हैं;

(ग) उक्त एजेंसी से बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) भविष्य निधि की वसूली के लिए हिन्दुस्तान न्यूजपेपर के प्रबंधन के विरुद्ध कितने मामले दर्ज किए गए; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्रम मंत्री (डा. सत्यनारायण जटिया): (क) से (ङ) कर्मचारियों भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के दायरे में ''हिन्दुस्तान न्यूजपेपर , नई दिल्ली'' नाम का कोई प्रतिष्ठान नहीं है। तथापि हिन्दुस्तान टाइम्स लि. द्वारा ''हिन्दुस्तान'' नामक दैनिक प्रकाशित किया जा रहा है। मैसर्स हिन्दुस्तान टाइम्स लि. नियमित रूप से भविष्य निधि अंशदान जमा कर रहा है अत: इस संबंध में उक्त प्रतिष्ठान के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-इराक संबंध

***56. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री पवन कुमार बंसल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के संबंध में हाल में इराक के विदेश राज्य मंत्री के दौरे के क्या परिणाम निकले है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इराक के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित प्रतिबंधों को हटाने के संबंध में इराक की मांग का समर्थन करने के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री जसवंत सिंह): (क) और (ख) विदेश राज्य मंत्री की इराक यात्रा मुख्यत: वरिष्ठ स्तर पर राजनीतिक सम्पर्कों को मजबूत करने और भोजन के बदले तेल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत की हिस्सेदारी को बढ़ाने के प्रयास करने पर केन्द्रित थी। विदेश राज्य मंत्री के साथ 35 सदस्यों का एक व्यावसायिक शिष्टमण्डल गया था राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, उप राष्ट्रपति ताहा यासीन रामधन, डा. सादून हमादी, नेशनल असेम्बली के अध्यक्ष, श्री तारिक अजीज, उपप्रधान मंत्री और व्यापार, तेल, परिवहन, स्वास्थ्य और उद्योग मंत्रियों के साथ बैठकें हुई थीं।

(ग) भारत ने इराक द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संगत संकल्पों का अनुपालन करने पर क्रमानुसार प्रतिबन्धों को हटा लेने की मांग की है। भारत सरकार प्रतिबंधों के फलस्वरूप इराक के लोगों के कष्टों की ओर निरन्तर विश्व समुदाय का ध्यान आकर्षित कर रही है और इन मुद्दों के शान्तिपूर्ण और राजनयिक समाधान का समर्थन कर रही हैं।

पोलियों उन्मूलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण पोषित कार्यक्रम

***57. श्रीमती हेमा गमांग:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (आई.डी.एन) ने कुछ राज्यों में पोलियों उन्मूलन और सामान्य प्रतिरक्षण व्यवस्था को मजूबत बनाने के लिए राज्यों को सहायता स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण से सहायता प्राप्त कार्यक्रम किन-किन राज्यों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं और इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या इन कार्यक्रमों को उड़ीसा में भी आरम्भ किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस हेतु अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण ने देश भर में पोलियों उन्मूलन को कार्यान्वित करने और नेमी (रूटीन) प्रतिरक्षण कार्यकलापों को सुदृढ़ करने हेतु 142.6 मिलियन अमेरिकी डालर की कुल लागत की एक राष्ट्र-व्यापी परियोजना स्वीकृति की है। अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता के घटकों में निम्नलिखित शामिल हैं (1) पोलियों उन्मूलन (2) नेमी (रूटीन) प्रतिरक्षण, कार्यक्रम जिसमें कोल्ड चेन और इंजेक्सन निरापदता उपस्कर की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन, प्रतिरक्षण कार्यक्रम प्रबंधकों और कोल्ड चेन चलाने वालों का प्रशिक्षण तथा कार्यक्रम मानीटरिंग एवं पर्यवेक्षण की कार्यनीति शामिल हैं, और (3) कार्यनीतिक कार्य ढ़ांचा का विकास।

इस अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण सहायता के अन्तर्गत उड़ीसा को भी लाभान्वित होने वाले राज्यों में शामिल किया गया है।

(घ) अभी तक कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई हैं।

भोपाल गैस त्रासदी के कारण महिलाओं में बांझपन

***58. श्री शिवराज सिंह चौहान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित महिलाओं में बांझपन की शिकायत पैदा हुई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने गैस पीड़ित क्षेत्रों में महिला-पुरुषों की चिकित्सकीय जांच कराई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ङ) क्या पीड़ित व्यक्तियों तक चिकित्सकीय सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने कोई योजना तैयार की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (च) भारतीय आयुर्वेदिक अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययनों में महिलाओं की प्रजननता पर गैस एक्सपोजर के किसी प्रतिकूल का पता नहीं चला। तथापि, इस अध्ययन से गैस से अप्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं की तुलना में गैस से प्रभावित क्षेत्रों की महिलाओं में बाद की गर्भावस्थाओं में उच्च गर्भपात दरों का पता चला। भोपाल में गैस रिसने से प्रभावित हुए पुरुषों में अप्रजननता का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया हैं।

प्रभावित क्षेत्रों में गैस के शिकार हुए व्यक्तियों के चिकित्सीय, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणिक पुनर्वास के लिए 1990 में 163.10 करोड़ रुपये की लागत से एक पंचवर्षीय कार्य योजना मंजूरी की गई जिसे बाद में बढ़ाकर 158 करोड़ रुपये कर दिया गया। इस लागत में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की 75:25 के अनुपात में हिस्सेदारी है। चिकित्सीय पुनर्वास के अन्तर्गत किए गए उपायों में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं;

1. नये अस्पतालों औषधालयों को स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित करना और प्रभावित क्षेत्रों में मौजूदा सुविधाएं बढ़ाना।
2. भोपाल में पहले से ही विद्यमान 275 की विस्तर क्षमता के अतिरिक्त 4 नये अस्पतालों का निर्माण करके 755 विस्तर प्रदान करना।

केन्द्र सरकार ने 193.50 करोड़ रुपये का अपना हिस्सा रिलीज कर दिया है।

इसके अतिरिक्त, उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.10.91 के आदेशों के कार्यान्वयन के एक अंग के रूप में 290 विस्तरों वाले एक विशेषज्ञता वाले अस्पताल का निर्माण चल रहा है। इस अस्पताल में श्वसनीय रोगों, ह्रदय रोग विज्ञान, तांत्रिक विज्ञान, जठरान्त्र रोगी विज्ञान, नेत्र रोग विज्ञान इत्यादि संबंधी रोगों का उपचार करने की सुविधाएं होंगी। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, श्री ए.एम. अहमदी की अध्यक्षता में एक न्यास द्वारा इस अस्पताल के निर्माण की मानीटरिंग की जाती है।

गैर-सरकारी संगठन

***59. श्रीमती मिनाती सेन:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके मंत्रालय के अंतर्गत कितने गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या ये सभी संगठन पंजीकृत हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को कितनी राशि वितरित की गई;

(घ) इनके द्वारा निधियों के उचित उपयोग सुनिश्चित किए जाने हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जा रही है;

(ङ) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्राप्त किए जा रहे विदेशी निधियों की तथा गैर-सरकारी संगठनों पर कोई पर्यवेक्षण किया जा रहा है;

(च) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों के विरुद्ध वित्तीय कुप्रबंधन/अपवर्तन की कोई खबर है, और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए/प्रस्तावित किए गए है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है/

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वर्तमान में 2347 गैर सरकारी संगठनों को सहायता दे रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) गैर सरकारी संगठनों को निर्मुक्त धनराशि निम्नलिखित है:-

वर्ष	राशि (रुपये करोड़ में)
1997-98	59.62
1998-99	113.58
1999-2000	153.48

(घ) इस मंत्रालय द्वारा सहायता प्राप्त गैर-सरकारी सगंठनों की कार्यकरण की समय-समय पर मानीटरिंग और उसका मूल्यांकन किया जाता है। इन संगठनों का निरीक्षण राज्य सरकारों और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है। और जहां यह पाया जाता है कि किसी गैर-सरकारी संगठन का सेवा-स्तर मंत्रालय द्वारा उन्हें निर्मुक्त निधियों के अनुरूप नहीं है। तो उसे अपने कार्यकरण में सुधार करने के लिए चेतावनी दी जाती है। गैर सरकारी संगठन द्वारा यह सुधार न कर पाने अथवा निधियों का स्पष्ट रूप से गबन करने पर सहायता अनुदान की आगे निर्मुक्ति रोक दी जाती है और निर्धारित प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् सम्बद्ध गैर-सरकारी संगठन को काली सूची में डाल दिया जाता है और दुरूपयोग किए गए अनुदान की वसूली के लिए प्रक्रिया आरम्भ कर दी जाती है।

(ङ) गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी स्रोतो से निधियों प्राप्त करने की केवल तभी अनुमति दी जाती है जब वे विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पंजीकृत हों। यह पंजीकरण गृह मंत्रालय द्वारा गैर-सरकारी संगठन की प्रामाणिकता के बारे में संतुष्ट हो जाने के बाद ही दिया जाता है। विदेशी अंशदान की मानीटरिंग गृह मंत्रालय द्वारा पंजीकरण संगठनों द्वारा वार्षिक रिपोर्टों और बिवरण और साथ ही लेखा या अभिलेखों या ऑडिट बुकों के माध्यम से किया जाता है।

(च) और (छ) इस मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों के निरीक्षण के परिणामस्वरूप कुछ उदाहरण प्रकाश में आए हैं जहां गैर-सरकारी संगठनों का कार्यकरण असंतोषजनक है या निधियों का दुरूपयोग हुआ है। ऐसे मामलों में आगे सहायता अनुदान रोक दिया गया है या गैर-सरकारी संगठनों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उन मामलों में जहां संगठनों का स्पष्टीकरण असंतोषजनक होता है उस संगठन को काली सूची में रखा जाता है और पहले निर्मुक्त किए गए अनुदानों की वसूली करने और राज्यों/जिला प्राधिकारियों की सहायता से सरकार की निधियों में से सृजित परिसम्पत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की जाती है।

स्वर्गीय श्री.पी.आर. कुमारमंगलम का चिकित्सा उपचार

***60. श्री राम मोहन गाड्डे:**
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा स्वर्गीय श्री पी. आर. कुमारमंगलम, विद्युत मंत्री के अपोलो अस्पताल में हुए उपचार की जांच करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, इसका क्या निष्कर्ष निकला; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. सी.पी. ठाकुर): (क) से (ग) इस रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट महत्वपूर्ण टिप्पणियां और सरकार द्वारा निकाले गए निष्कर्ष इस पर प्रकार थे:

(1) श्री कुमारमंगलम को दिल्ली में स्थित इन्द्रप्रस्थ चिकित्सा निगम लिमिटेड (अपोलों अस्पताल) मलेरियां के लिए औषधियों का एक कोर्स अनुभव के आधार पर निर्धारित किया गया, यद्यपि उनके रक्त नमूनों से मलेरिया के परजीवियों का पता नहीं चला। इस बात पर ध्यान दिया गया कि भारत में ऐसी प्रेक्टिस असामान्य नहीं है।

(2) मंत्री की जांच से उनके दायें फेफड़े में एक धब्बे का भी पता चला जैसे कि छाती के एक्सरे-से पता चला और यूरीन (मूत्र) संवर्धन (कल्चर) से ई. कोली संक्रमण का पता चला। फेफड़ें के इस धब्बे की आगे की जांचों के कैंसर की कोशिकाओं और क्षयरोग न होने की पुष्टि हुई।

(3) मूत्रीय मार्ग संक्रमण और संदिग्ध असामान्य (एटिपिकल)न्यूमोनिया को देखते हुए स्वर्गीय मंत्री को एंटी बायोटिक्स दी गई। चूंकि ज्वर ठीक होने की प्रवृत्ति और रोगी की संसद के सत्र में जाने की उत्कट इच्छा होने के कारण उनको इस अस्पताल से छुट्टी दी गई। उनको यह भी परामर्श दिया गया कि ये लक्षण बने रहते हैं तो उनको बार-बार अन्तरालों पर जांच करवाने की आवश्यकता होगी।

(4) 23-04-2000 को उनके अपोलो अस्पताल से छुट्टी मिलने और 14-08-2000 को उनके अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल होने की तारीख के बीच स्वर्गीय मंत्री 8 मई, 2000 को केवल एक बार अनुवर्ती उपचार के लिए आए और उस समय भी वे अपने उपचार करने वाले काय चिकित्सक से नहीं मिले, लेकिन इस अस्पताल के अध्यक्ष के कार्यालय द्वारा अपनी छाती का एक्स-रे कराया और रक्त नमूने दिए।

उपर्युक्त (4) पर उल्लेख की गई अवधि में पूर्व मंत्री ने कुछ क्षय रोग रोधी उपचार लिया लेकिन उसका रिकार्ड उपलब्ध नहीं है।

(5) अस्थि मज्जा पुतिता (संप्सिस) के लिए अपर्याप्त पोलीनोर्फोन्यूक्लीयर ल्यूकोसाइट अनुक्रिया (रिसपौंस) दर्शाने वाले जांच परिणामों के आधार पर जांच समिति ने पाया कि नैदानिक रूधिर विज्ञानी के साथ परामर्श करके रोगी की इम्यूनो-रूधिर विज्ञानीय स्तर का मूल्यांकन करने की आवश्यकता थी अस्पताल में दाखिल रहने की इस अवधि के दौरान क्या अस्थि-मज्जा के परीक्षणों को इंगित किया गया इस रिपोर्ट मे विवादास्पद समझा गया।

(6) इस बात को नोट किया गया कि स्वर्गीय मंत्री कभी-कभी विसोलोन (स्टेराइड) का उपयोग कर रहे थे जिसका अस्पताल में उपचार करने वाले कार्य चिकित्सक के सामने उल्लेख नहीं किया गया था। इसका नैदानिक लाक्षणिकी विज्ञान को बदलने का प्रभाव हो सकता है और उपचार करने वाले कार्य चिकित्सक की जांच और उपचार के एक भिन्न-कोर्स पर चलने से ध्यान हटाने का कारण हो सकता है।

(7) कुल मिलाकर सरकार ने जांच रिपोर्ट के आधार पर निष्कर्ष निकाला है कि रूक-रूकाकर कराए गए उपचार और अविशिष्ट सामान्य नैदानिक निरूपण के कारण अपोलो अस्पताल द्वारा अपनाई गई निदान की रीति ने रोगी के इम्यून स्तर को कवर नहीं किया।

स्वर्गीय मंत्री की बीमारी की परिस्थितियों से संबंधित जन-चर्चा ने देश में द्वितीयक और तृतीयक अस्पतालों में स्वास्थ्य से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को सामने लाकर खड़ा किया है। इसकी अनुक्रिया (रिसपौंस) में सरकार ने ऐसी स्वास्थ्य परिचर्या से संबंधित मानीटरिंग और अनिवार्य उपबंधों के सम्पूर्ण सप्तक (गैमट) की समीक्षा की है और निम्नलिखित तीन प्रमुख पहलों को अपनाने का निर्णय लिया है:

(क) इस आशय का एक अनिवार्य उपबंध बनाना कि रोगी अथवा उनके परिचर (एटन्डेन्ट्स), यदि चाहे तो संबंधित अस्पताल, चाहे सरकारी हो अथवा निजी, से अपने चिकित्सीय रिकार्ड की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त कर सकता है;

(ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करके डाक्टरों के ज्ञान को निरन्तर अद्यतन बनाने के लिए 30 घंटे की अन्यन्त चिकित्सा शिक्षा लेने के पश्चात हर पांच वर्षों में पुनः पंजीकरण, और

(ग) चिकित्सीय सेवाएं प्रदान करने वाले सभी अस्पतालों, उपचर्या-गृहों और रोग-नैदानिक केन्द्रों में भौतिक बुनियादी ढांचे और जनशक्ति के न्यूनतम मानकों की अधिसूचना।

न्यूनतम मजदूरी

455. श्री एस. पी. लेपचा: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सरकार को प्राप्त होने वाला 85 प्रतिशत राजस्व लघु और अत्यंत लघु इकाइयों से प्राप्त होता है जिसके फलस्वरूप दिल्ली भारत में प्रति व्यक्ति आय में अग्रणी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लगातार बढ़ रही इन औद्योगिक इकाइयों में कामगारों को देश के कानूनों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी और अन्य सुविधाएं नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) लघु और छोटी इकाइयां निश्चित ही दिल्ली सरकार की आमद में एक मोटा योगदान प्रधान करती हैं हालांकि उनके वास्तविक योगदान के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) दिल्ली स्थित लघु औद्योगिक इकाइयों में नियुक्त कर्मकारों के दिल्ली सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत समय-समय पर नियत न्यूनतम मजदूरी प्रदान की जाती है। तथापि, जब कभी अदायगी न किए जाने/कम अदायगी करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है। तो उसकी जांच की जाती है। और यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी अदा की जाए। यदि प्रबंधन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर पाता तो अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुसार दोषी प्रबंधनों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाती है।

जिन कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी की आदायगी नहीं की जाती वे अपने दावे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन नियुक्त प्राधिकारियों अर्थात् श्रम विभाग के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

भारत-आस्ट्रेलिया संयुक्त उद्यम

456. श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:
श्री मोहन रावले:

क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया और भारत ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों के मध्य किन-किन क्षेत्रों में सहयोग किए जाने की संभावना है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान तथा 2003 तक भारतीय निर्यातकों द्वारा आस्ट्रेलिया को साफ्टवेयर का कुल कितना निर्यात किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (ग) जी, हां। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग तथा द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 18 अक्टूबर, 2000 को एक समझौता-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समान हित के क्षेत्र इस प्रकार हैं:

* सॉफ्टवेयर एवं मल्टीमीडिया सूचना-सामग्री का विकास
* उन्नत संचार प्रौद्योगिकियां
* इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य तथा सूचना उद्योग सुरक्षा: और इंटरनेट अनुप्रयोग

(घ) वर्ष 1999-2000 के दौरान आस्ट्रेलिया को कुल सॉफ्टवेयर निर्यात 88 करोड़ रुपये का होने का अनुमान है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आस्ट्रेलिया को निर्यात में लगभग 40% की वृद्धि होने का अनुमान है।

आयुर्वेद में अल्पावधिक पाठ्यक्रम

457. डा. जसवंत सिंह यादव:
श्री सुरेश रामराव जाधव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर का विचार विदेशी नागरिकों के लिए आयुर्वेद के अल्पकालीन पाठ्यक्रमों को शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और विदेश में आयुर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अल्पावधि पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पर चर्चा की गई है किन्तु विस्तृत ब्यौरे तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) देश में तथा विदेशों में आयुर्वेदिक को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इस विभाग ने विदेश में मेलों तथा सम्मेलनों में भाग लिया है और इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त किया है। विदेशों के रूचि लेने वाले समूहों के दौरों को सुगम बनाया गया है। विशिष्ट

चिकित्सा-विज्ञानों तथा आयुर्वेद के अनुप्रयोग को कवर करते हुए रूस की संघ सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने आस्ट्रेलिया, जापान, अर्जेंटिना तथा नीदरलैंड के संस्थानों से उनको मान्यता प्रदान करने तथा संबंध के लिए अनुरोध प्राप्त किए हैं।

यह विभाग सम्मेलनों तथा मेलों में भाग लेकर देश में आयुर्वेद को लोकप्रिय बना रहा है। लोगों को इन पद्धतियों तथा इनको प्रभावकारिता के प्रति जागरूक करने के लिए पैम्फलेटों तथा साहित्य का वितरण शुरू किया गया है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति का प्रचार करने के लिए सम्मेलनों तथा सेमिनारों के आयोजन के लिए संस्थान को सहायता प्रदान की जा रही है।

महाराष्ट्र में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के महाविद्यालय

458. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान महाराष्ट्र में एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तथा अन्य भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के कितने चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किए गए और अनुमानित रूप से कितने चिकित्सकों ने वहां अपना प्रशिक्षण पूरा किया;

(ख) कितने महाविद्यालयों को उनके संबंधित शीर्ष संगठनों द्वारा मंजूरी दी गई;

(ग) इन संस्थानों को सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा उच्च गुणवत्ता की शिक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम आधारभूत संरचना और शिक्षण सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकार की ओर से नए महाविद्यालयों खोलने, वर्तमान सुविधाओं का स्तर बढ़ाने, दाखिला संख्या बढ़ाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। और इन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाही की गई है/ की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख)

	कालेजों की संख्या	मान्यता प्राप्त/ अनुमोदित
(1) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के कालेज	94	94
(2) मेडिकल कालेज	34	34
(3) डेंटल कालेज	16	16

उत्तीर्ण होकर निकले छात्रों की संख्या से संबंधित आंकड़े इस विभाग में नहीं रखे जाते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान किया गया सहायता अनुदान विवरण में दिया गया है। संबंधित परिषदों ने गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन करने हेतु समय-समय पर आवधिक निरीक्षण किए।

(घ) केन्द्र सरकार को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 10 (क) के अधीन निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:

1. नया मेडिकल कालेज खोलना

(1) महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोल्हापुर में नया मेडिकल कालेज।

(2) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनंतपुर में नया मेडिकल कालेज।

(3) तमिलनाडु सरकार द्वारा वेल्लोर में नया मेडिकल कालेज।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा सफदरजंग अस्पताल में नया मेडिकल कालेज।

2. एम.बी.बी.एस. में प्रवेश क्षमता में वृद्धि

(1) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश।

(2) गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सूरत, गुजरात।

(3) बी. एस. मेडिकल कालेज, बांकुरा, पश्चिम बंगाल।

(4) नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

(5) गोवा मेडिकल कालेज, गोवा।

(6) कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, हुबली।

3. बी.डी.एस. सीटों में वृद्धि

(1) गवर्नमेन्ट डेंटल कालेज, रोहतक।

(ङ) प्रस्ताव मूल्यांकन के लिए संबंधित परिषदों को भेजे गए हैं। इन प्रस्तावों की स्वीकृति उपलब्ध आधारभूत ढांचा संबंधी सुविधाओं और उन पर परिषदों की सिफारिशों पर निर्भर करती है।

विवरण

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन महाराष्ट्र को सहायता अनुदान

		जारी की गई रकम (लाख रुपये में) 1997-98
1.	ग्रामीण आयुर्वेद महाविद्यालय, पतूर, जिला अकोला (प्राइवेट)	10.00
2.	काका साहेब मास्के होमियो मेडिकल कालेज, अहमदनगर (प्राइवेट)	10.00
3.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल आयुर्वेद महाविद्यालय, सियान, मुम्बई (प्राइवेट)	20.00
4.	सोनाजीराव क्षीरसागर होमियो मेडिकल कालेज, बीड (प्राइवेट)	10.00
5.	तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे (प्राइवेट)	10.00
6.	श्रीमती कंचनबाई बाबूलालजी आबेद होमियो मेडिकल कालेज, चंडवाड, नासिक (प्राइवेट)	10.00
7.	आयुर्वेद महाविद्यालय, नासिक (प्राइवेट)	7.00
8.	गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमदनगर (प्राइवेट)	10.00
9.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे (प्राइवेट)	10.00
10.	दपोली होमियोपैथिक मेडिकल कालेज, रत्नागिरी (प्राइवेट)	7,97,730
11.	वाई.एम.टी. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मुम्बई (प्राइवेट)	10.00
12.	श्री भगवान होमियों मेडिकल कालेज एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, औरंगाबाद (प्राइवेट)	10.00
13.	अल- जमायतुल मोहम्मदिया अल-खैराह मोहम्मदिया तिब्बिया कालेज, मालेगांव, नासिक (प्राइवेट)	5.89
	कुल	1,30,86,730

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होमियोपैथी के मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन महाराष्ट्र को सहायता अनुदान

क्र.सं.	संस्था का नाम	जारी की गई रकम (लाख रुपये में) 1998-99
1	2	3
1.	गंगा एजुकेशन सोसायटी आयुर्वेदिक कालेज, कोल्हापुर (प्राइवेट)	10.00
2.	एल.एम.एफ'' एस. होमियो मेडिकल कालेज, पुणे (प्राइवेट)	5.00

1	2	3
3.	यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय, कोंडली (प्राइवेट)	2.41
4.	वाई.एम.टी. आयुर्वेद मेडिकल कालेज, मुम्बई (प्राइवेट)	20.00
5.	डी. एम.एम. आयुर्वेद महाविद्यालय, यवतमाल (सरकारी सहायता प्राप्त)	10.36
6.	आर.जे.वी.एस. भाई साहिब सावंत आयुवेद महाविद्यालय, सावंतवादी (प्राइवेट)	10.00
7.	गुलाबराव पाटिल होमियो मेडिकल कालेज, संगली (प्राइवेट)	10.00
8.	श्री भगवान होमियो मेडिकल कालेज एंड इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल, औरंगाबाद (प्राइवेट)	10.00
9.	सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद मेडि. कालेज, सोलापुर (सरकारी सहायताप्राप्त)	10.00
10.	पंचशील हीमियो शिक्षा प्रसारक मंडल''स होमियो मेडि. कालेज एवं अस्पताल, खामगांव (प्राइवेट)	10.00
11.	पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल इंस्टीट्यूट आफ होमियो साइंसिज, अमरावती (प्राइवेट)	10.00
	कुल	107.77

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मौजूदा स्नातकपूर्व कालेजों के सुदढ़ीकरण की योजना के अधीन महाराष्ट्र को सहायता अनुदान

क्र.सं.	कालेज का नाम	मंजूर की गई रकम (लाख रुपये में) 1999-2000
1	2	3
1.	गुलाबराव पाटिल एच.एम.सी.संगली, (प्राइवेट)	10.00
2.	अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय, पूणे (प्राइवेट)	10.00
3.	सेठ गोविन्दजी रावजी, आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, सोलापुर, एम.एस. (सरकारी सहायता-प्राप्त)	10.00
4.	गंगाधर शास्त्री गुणे आयुर्वेद महाविद्यालय, अहमद नगर एम.एस. (प्राइवेट)	10.00
5.	श्रीमती कंचनबाई बाबूलाल अबद होम्यो. मेडिकल कालेज, चंदनवाद, नाशिक, (प्राइवेट)	10.00
6.	किशान दुयानोबाई मोंडा गुडी संचलित होम्यो. मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, सिरपुर, धूल एम.एस. (प्राइवेट)	10.00
7.	वेनूटई यशवंतराव चौहान, होम्यो., मेडिकल कालेज, कोल्हापुर (प्राइवेट)	10.00
8.	आयुर्वेद प्रसारक मंडल सेठ चंदनमल मूठ आर्यगंला वेदयक महाविद्यालय, सतारा, एम.एस. (प्राइवेट)	10.00
9.	गोंडियां होम्यो, एजूकेशन सोसाइटिज होम्यो. मेडिकल कालेज एंड हास्टिटल, गोंडिया एम.एस. (प्राइवेट)	10.00
10.	दादा साहेब स्वरूप सिंह नायक आयु. कालेज धूल, (प्राइवेट)	10.00
11.	होम्यो मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, संगमनर अहमदनगर (प्राइवेट)	10.00

1	2	3
12.	कालेज आफ आयु. एंड रिसर्च सेन्टर, अखूरदी, प्रधानीकरण, पूणे (प्राइवेट)	10.00
13.	तखतमल श्रीवल्लभ एचएमसी एंड हॉस्पिटल, अमरावती, (प्राइवेट)	11.70
14.	श्री भगवान एचएमसी, सीआईडीसीओ, औरंगाबाद, (प्राइवेट)	12.00
15.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, नागपुर, (राजकीय)	27.00
16.	आर. ए. पोडार आयुर्वेदिक महाविद्यालय, मुम्बई, (राजकीय)	12.00
17.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, नानदेड	27.00
18.	राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, उस्मानाबाद	10.90
	कुल	220.60

		1997-98	1998-99 (रुपये हजारों में)	1999-2000
(1)	कस्तूर्बा हैल्थ सोसायटी मेडिकल कालेज, सेवा ग्राम वर्धा को मेडिकल कालेज और अस्पताल चलाने के लिए केन्द्र सरकार के 50 प्रतिशत शेयर के प्रति सहायता अनुदान	46750	66000	80000 (बजट प्रावधान)

चिकित्सा कार्मिकों मरीजों के अधिकारों और कर्तव्यों का चार्ट

459. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी और निजी चिकित्सा प्रणालियों में चिकित्सा कार्मिकों और मरीजों के बिगड़ते संबंधों के मद्देनजर सरकार का विचार चिकित्सा कार्मिकों और मरीजों के अधिकारों और कर्तव्यों का चार्टर प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चार्टर के कब तक प्रख्यापित होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने केन्द्र सरकार के अनुमोदन से चिकित्सा आचार-संहिता प्रकाशित की है जिसमें रोगियों के प्रति चिकित्सकों के कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय ने सरकारी अस्पतालों के लिए एक आदर्श नागरिक चार्टर तैयार किया है तथा राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अस्पतालों में चार्टर को अंगीकृत करने के अनुरोध के साथ इसे सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया है। इस चार्टर में एक कार्यढांचा उपलब्ध करने का यत्न किया गया है जो नागरिकों को यह जानने में समर्थ बनाता है कि कौन सी सेवाएं उपलब्ध हैं, उन सेवाओं की गुणवत्ता क्या है जिनके लिए वे पात्र हैं, तथा वे कौन से साधन हैं जिसके जरिए सेवाओं के लिये मना करने या सेवाओं को निम्न कोटी के संबंध में शिकायतों का निपटान किया जाएगा। सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली तथा श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली ने पहले ही चार्टर प्रकाशित कर लिए हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों का प्रवेश

460. श्री रामदास आठवले: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 24 जुलाई 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उक्त जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सूचना कब तक एकत्र कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन अधिकांश संस्थानों से एकत्र कर ली गई है। लेकिन उन में से कुछ से अभी भी इसके प्राप्त होने की संभावना की जा रही है। जिन्हें लगातार स्मरण कराया जा रहा।

(घ) इस संबंध में कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं हो सकता लेकिन उसे सदन के पटल पर यथाशीघ्र रखने के सभी प्रयास किए जा रहे है।

[अनुवाद]

अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

461. श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:
श्री जी. एस. बसवराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अंधेपन को नियंत्रित करने के लिए परायोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 103.20 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार को अब तक कितनी राशि जारी की गई हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने बहुत पहले जारी की गई राशि का उपयोग कर लिया है;

(घ) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से शेष राशि जारी करने के लिए अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) वर्ष 2000-01 के दौरान राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए 103.20 लाख रुपये का आबंटन किया गया है। निधियां तिमाही आधार पर रिलीज की जाती है। अब तक इस राज्य के लिए 79.90 लाख रुपये ही रिलीज किए जा चुके हैं। इस राज्य ने सितम्बर, 2000 तक 20.40 लाख रुपये के व्यय का ब्यौरा भेजा है। चौथी तिमाही के लिए शेष निधियां जनवरी, 2001 में रिलीज की जायेगी ।

भारत-ईरान गैस पाइप लाइन का निर्माण

462. श्री नरेश पुगलिया: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईरान से भारत तक प्राकृतिक गैस लाने के लिए एक पाइप लाइन बिछाई जाने हेतु सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक भारत-ईरान संयुक्त समिति का गठन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक इस संयुक्त समिति की कितनी बैठकें हुई है; और

(घ) इन बैठकों का क्या परिणाम रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) मई, 2000 में विदेश मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान ईरान की गैस को भारत में स्थानांतरित किए जाने के मामले को देखने के लिए दोनों देशों द्वारा एक संयुक्त कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया गया। इस समिति को ईरान की गैस को भारत में स्थानांतरित किए जाने से संबंधित सभी पहलुओं की जांच करने का अधिकार दिया गया है। जिनमें परिवहन के विभिन्न तरीके, मार्गों का विकल्प तथा संबद्ध राजनैतिक, सुरक्षा, आर्थिक और तकनीकी मसले शामिल हैं। संयुक्त समिति की प्रथम बैठक 19-20 अगस्त, 2000 तक तेहरान में हुई।

(घ) (1) संयुक्त समिति की प्रथम बैठक के दौरान ईरानी गैस को भारत लाये जाने के विभिन्न संभव तरीकों की जांच की गयी। इनमें पाइपलाइन और साथ ही तरल प्राकृतिक गैस शामिल थीं। इस बात पर सहमति हुई कि स्थानांतरण का तरीका दीर्घकालिक प्रभावी और सुरक्षित होगा।

(2) संयुक्त कार्यदल की अगली बैठक 22-23 नवम्बर, 2000 तक नई दिल्ली में होगी जिसके दौरान इस मसले पर बातचीत की जाएगी।

तम्बाकू और गुटका पर प्रतिबंध

463. श्री मोहन रावले:
श्री जय प्रकाश:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने पान मसाला और गुटका के सेवन से निरंतर बढ़ते हुए मुंह के कैंसर के मामलों को ध्यान में रखकर, केन्द्र सरकार को ''गुटका और तम्बाकू'' पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस विषय में कब तक कोई निर्णय लेने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के संबद्ध नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय अधिसूचना द्वारा गुटखा सहित चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के बारे में विचार करने के लिए महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) चूंकि ऐसे उत्पादों के विनिर्माण तथा बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाने के निर्णय में स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं के अलावा अनेक पहलुओं पर विचार करना शामिल होता है, सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के पहले अंतरमंत्रालयीन सम्मति प्राप्त करनी होती है। इसके लिए, इस विषय पर व्यापाक रूप से विचार-विमर्श करने के लिए मंत्रियों का एक समूह गठित करने हेतु अनुरोध किया गया है। इस बीच ऐसे उत्पादों के विज्ञापन पर व्यापक प्रतिबंध लगाकर तथा चबाने वाले तंबाकू उत्पादों के डिब्बों पर चेतावनी को और अधिक दृष्टिगोचर बनाकर सभी तंबाकू उत्पादों की मांग को कम करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के तहत कुछ क्षेत्रों में चबाने वाले तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पहले ही प्रतिबन्ध लगा दिए हैं।

जड़ी-बूटियों का उगाया जाना और जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधियां

464. श्री समर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जड़ी-बूटियों का प्राकृतिक रूप से उगाया जाना और जड़ी-बूटियों से निर्मित औषधों को विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है और उन्होंने तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) क्या जड़ी-बूटियों से औषधियों का निर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योग को विश्व स्वास्थ्य संगठन का सहयोग नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) औषध निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्वदेशी में औषध उद्योगों को संरक्षण देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में औषध उत्पादन और व्यवसाय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों सहित वास्तविक विदेशी निवेश का क्या ब्यौरा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) इस क्षेत्र में विदेशी तकनीकी और वित्तीय सहयोग की अनुमति दी जा रही है।

(ख) और (ग) जी, नहीं, तथापि, इन पद्धतियों की क्षमता और औषधों की प्रभावकारिता को उजागर करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्रीय कार्यालय और कहीं भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति स्कंध खोलने की आवश्यकता है।

(घ) कच्ची सामग्री की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए उपाय किए गए हैं औषधीय पादप उद्यान, कृषि तकनीकों की केन्द्रीय योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की जा रही है। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्कृष्ट विनिर्माण पद्धतियां अधिसूचित की गई हैं जो औषधों की स्वीकार्यता में वृद्धि करेंगी। प्रयोगशालाओं सेवाओं में भी वृद्धि की जा रही है। निर्यात से संबंधित प्रक्रियाओं को भी सरल बनाया जा रहा है।

(ङ) अनुमोदन प्रदान किए गए विदेशी सहयोग को दर्शाने वाली एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	भारतीय फर्म का नाम	सहयोग करने वाली विदेशी कंपनी का नाम	सहयोग का स्वरूप (% इक्विटी) (रु. लाखों में)
1	2	3	4
1.	आर. के.एस. एग्रोटेक लिमिटेड	नाटेक्स प्रोजेसटेक्नोगोगीस, आस्ट्रिया	150.00 17.94%
2.	इण्डो यूरो ओलियोटेक लिमिटेड नई दिल्ली	नाटेक्स प्रोसेस टेक्नोलॉजीस जी.एम.बी.एच., आस्ट्रिया	130.00 13.63%
3.	अदिति एग्रीकल्चर एण्ड ड्रग्स लिमिटेड, पटना	नाटेक्स प्रोसेस टेक्नोलॉजीस, आस्ट्रिया	120.00 16.64%
4.	बसिल केमिकल्स एण्ड एडीटिव्स लि. लखनऊ	नाटेक्स प्रोसेस टेक्नोलॉजीस, आस्ट्रिया	650.00 40.12%
5.	कृषीरा इम्पेक्स लिमिटेड, तिरूचिरापल्ली	नाटेक्स, प्रोसेस टेक्नोलाजीस आस्ट्रिया जी.ई.एस.बी.एच., आस्ट्रिया	100.00 13.79%
6.	तनजोर जर्मन बायो टेक लिमिटेड, नई दिल्ली	नाटेक्स प्रोसेस टेक्नोलॉजीस जी.एम.बी.एच., आस्ट्रिया	100.00 13.31%
7.	विलमर स्खवाब, जी.एम.बी.एच. नांगल राया, नई दिल्ली	डा. विलमर स्खवाब जी.ए.बी.एच.एण्ड कं., जर्मनी	425.00 85.00%
8.	ग्रेस एक्सट्राक्ट्स प्राइवेट, लि. नई दिल्ली (मसालों, जड़ी बूटियों का सारतत्व जिसमे सुगन्धित तेल, ओलियों रेसिन, फाइटो रसायन और औषधीय यौगिक शामिल हैं, के उत्पादक)	मि. ओस्टोजा नागेविक जर्मनी	95.00 33.33%
9.	ग्रेस एक्सट्राक्ट्स प्राइवेट लि. नई दिल्ली	मि. ओस्टोजा नाटोविक जर्मनी	180.30 66.66%
10.	बी.एस.टी. नैचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, हैदराबाद	मैसर्स गेल इंजीनीयरिंग लि. इजरायल	तकनीकी मामला
11.	हरबोमिन हिमालयास लि. दिल्ली	मसारू यामागुची (मि.) जापान	30.00 60.00%
12.	मरूथुआ हर्बल्स एण्ड फार्म प्रोडक्ट्स बेंगलोर	मि.आर.के. कुट्टी, अनिवासी भारतीय	65.00 87.00%
13.	मैसर्स. एच. एण्ड. डी ग्रीन्स इन्टरनेशनल प्राइवेट लि. जयपुर	ह्यूबरटस फ्रांसिस मारिया, वनडारा नीदरलैंड्स	तकनीकी मामला
14.	जी. एफ. ई फार्मास्यूटिकल्स लि. दिल्ली	एलेना सालमन (मिसेस) रोमानिया	10.00 20.00%

1	2	3	4
15.	सामी केमिकल्स एण्ड एक्सट्रॉक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, बेंगलोर	सबिन्सा कारपोरेशन यू.एस.ए.	तकनीकी मामला
16.		मैसर्ज हरबालइफ इन्टरनेशनल, यू.एस.ए.	3990.00 100.00%
17.		सुरिन्दर इन्टरनेशनल, यू.एस.ए.	11825.00 100.00%
18.	धनवंतरि बोटानिकल्स प्राइवेट लि. बेंगलोर	रिनाइसां हर्ब्स इन्कारपोरेशन, यू.एस.ए.	50.00 100.00%
19.	सुरिन्दर इण्डिया प्राइवेट लि. दिल्ली 29.02.2000	सुरिन्दर इन्टरनेशनल यू.एस.ए.	100.00%
20.	सुरिन्दर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली (9.6.2000)	सुरिन्दर इन्टरनेशनल, यू.एस.ए.	100.00%

चिकित्सीय अपशिष्ट से पारिस्थितिकीय खतरा

465. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 अक्टूबर 2000 को "द टाइम्स आफ इंडिया" में "मेडिकल वेस्ट पोज़ेज इको रिस्क" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या दिल्ली के केवल 20% अस्पताल ही चिकित्सीय अपशिष्ट को ठीक तरह से नष्ट कर रहे है और 60% अस्पताल अब भी उनका समुचित ढंग से निपटान नही करते;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) त्रुटिकर्त्ता अस्पतालों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) जी, हां। इस समाचार में निम्नलिखित सूचित किया गया था:-

(1) पिछले वर्ष की तुलना में दिल्ली के अस्पतालों में अपशिष्ट प्रबन्धन पद्धतियों में मामूली सुधार हुआ है।

(2) 20% इंसीनिरेटर ठीक चल रहे हैं और डाईओक्सीनज पैदा नहीं कर रहे थे।

(3) 20% अस्पताल अच्छा पृथक्करण कर रहे हैं और 60% अस्पताल मूल पृथक्करण को नहीं अपना रहे थे।

(4) अस्पतालों के पास शार्प प्रबन्धन नीति नहीं है।

(5) 60% अस्पतालों द्वारा शार्प और नीडल्ज की हैंडलिंग उचित प्रकार से की जा रही है।

(6) अपशिष्ट के निपटान के लिए केन्द्रीकृत सुविधाओं का अभाव

(7) कुछ अस्पताल जिन्होंने पृथक्करण शुरू नहीं किया है उन्हें अपने अपशिष्ट को नगर के कुड़े के ढेर में डालना पड़ा।

(ग) और (घ) दिल्ली के तीन केन्द्रीय अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज और सबंद्ध अस्पतालों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का पृथक्करण संसाधन और निपटान जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबन्धन और निपटान) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। अस्पताल इंसीनिरेटरों से सुसज्जित हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने सूचित किया है कि उनके नियंत्रणाधीन अस्पतालों में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों के पृथक्करण की स्थिति पर्याप्त संतोषजनक है।

(ङ) कानून की उपेक्षा करने वाले अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा की जाती है।

रक्त नीति

466. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय रक्त नीति के प्रारूप की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जरूरतमंद लोगों को निर्बाध रूप से रक्त की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) व्यापक परामर्श के बाद एक प्रारूप राष्ट्रीय रक्ताधा नीति बनाई गई है और इसको अनुमोदित किया जाना बाकी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिना दिक्कत के जरूरत मंद व्यक्तियों को रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रमों के माध्यम से पर्याप्त रक्त उपलब्ध करने के लिए काफी कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैं:-

1. स्वैच्छिक रूप से रक्त दान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु दूरदर्शन के माध्यम से प्राइम टाइम में उपयुक्त अन्तरालों पर प्रसारित किए जाने वाले विशेष टी वी स्पाटो द्वारा टेलिविजन के जरिए एक अभियान शुरू किया गया है।

2. स्वैच्छिक रक्तदान पर संदेशों का प्रसारण टाइम्स एफ एम चैनल में उनके एक संगीत कार्यक्रम में किया जाता है।

3. नाको ने केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों की सहायता से स्वैच्छिक रक्तदान कार्यक्रम पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए पृथक पृथक प्रोटोटाईप आई ई सी सामग्री को फोल्डर, पोस्टर के रूप में विकसित किया है और उसको उपयोग करने और देशी भाषाओं में तैयार करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र को भेज दिया गया है।

4. राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद (विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग, भारत सरकार) ने 50 चुनिंदा शहरों से स्वैच्छिक रक्तदान उपलब्ध करने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की है। ताकि रक्त की मांग और उपलब्धता के बीच के अन्तराल को भरा जा सके।

5. रक्त बैंकों को कहा गया है कि वे स्वैच्छिक दाताओं का डेटाबेस रखें जिससे कि पुरस्कारों, प्रमाण-पत्रों, बैजों इत्यादि द्वारा उनकी पहचान करने तथा उन्हें सम्मानित करने के अतिरिक्त उनसे नियमित रूप से संपर्क बनाया जाए तथा आपात काल में संपर्क स्थापित किया जा सके।

6. प्रत्येक वर्ष 1 अक्तूबर, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोगों को शिक्षित करने के लिए विशेष अभियान तथा रक्त संग्रहण के लिए विशेष शिवर आयोजित किए जाते हैं। स्वैच्छिक रक्तदान की अपील के साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के संदेश विभिन्न मीडिया के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित किए जाते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

467. श्री शीश राम सिंह रवि: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपनी आमदनी से अधिक संपत्ति रखने तथा भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण दिल्ली से बाहर के कितने सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया; और

(ख) उनमें से अब तक कितनों को दोषी सिद्ध किया गया है और अन्य मामलों में अंतिम निर्णय लेने में हुए विलंब के कारण क्या हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो

द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, पिछले तीन वर्ष अर्थात् 1997, 1998 और 1999 के दौरान तथा सितम्बर, 2000 तक 379 लोक-सेवक गिरफ्तार किए गए जिनमें से 03 लोक-सेवक अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपति रखने के कारण तथा 376 लोक-सेवक भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण गिरफ्तार किए गए उपर्युक्त में से अभी तक, 20 लोक-सेवक दोषी सिद्ध करार दिए गए हैं। आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखे जाने और भ्रष्टाचार के अन्य आरोपों से संबंधित मामले, ऐसे अनेक दस्तावेजों पर आधारित हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों से एकत्र किए जाने अपेक्षित हैं और जिनके संदर्भ में साक्ष्यों की जांच-पड़ताल की जानी है।

इसके अतिरिक्त, कुछ मामलों में, जांच विदेशों में की जानी अपेक्षित है। अतः इन मामलों की जांच में बहुत समय लग जाता है। इसके अतिरिक्त, अन्तिम रूप से जांच-पड़ताल पूरी हो जाने के बाद, या तो अदालत में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया जाता है अथवा मामला, विभागीय कार्रवाई के लिए भेज दिया जाता है। यदि अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाता है तो सुनवाई पूरी होने में बहुत समय लग जाता है। कई मामलों में अभियुक्त विचार (सुनवाई) में देर होने देने की दृष्टि से उच्चतर न्यायालयों में याचिकाएं/ पुनर्विलोकन-याचिकाएं दायर करके बिलम्बकारी हथकण्डे भी अपनाते हैं।

[हिन्दी]

सिंचाई परियोजनाओं हेतु आर्थिक सहायता

468. श्री मामदेव हरबाजी दिवाथे: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की कुछ सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र से अतिरिक्त सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को इस प्रयोजनार्थ पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी निधि प्रदान की गई?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) चल रही वृहद/मध्य सिंचाई परियोजनाओं के वास्ते त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के तहत महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1996-97 से मुहैया कराई गई केन्द्रीय ऋण सहायता निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	के दौरान जारी केन्द्रीय ऋण सहायता					कुल
		1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	
1.	गोसीखुर्द	10.000	0.000	6.110	3.170	4.500	230.700
2.	सूर्या	2.000	5.000	0.00	3.910	1.320	12.230
3.	वाघुर	2.000	5.000	10.000	0.000	10.000	27.000
4.	भीमा	0.000	12.5000	19.750	12.255	-	44.505
5.	अपर तापी	0.000	2.500	0.000	3.800	-	6.300
6.	अपर वर्धा	0.000	30.000	0.000	20.000	17.655	67.655
7.	वान	0.000	0.000	15.000	6.740	8.620	30.360
8.	जायकवाड़ी	-	-	-	-	4.460	4.460
9.	विष्णपूरी	-	-	-	-	4.000	4.000
10.	बहुला	-	-	-	-	4.410	4.410
	कुल	14.000	55.000	50.860	49.875	54.965	224.700

[अनुवाद]

ई-कॉमर्स

469. श्री अनन्त नायक: क्या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओर से देश में ई-कामर्स के विस्तार, स्थिरीकरण और मानकीकरण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ई-कॉमर्स को अधिक सुविधाप्रद बनाने के लिए एक अन्य प्रौद्योगिकी लाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) 'ई-चैक' शुरू करने के लिए किन-किन शहरों को चुना गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) जबकि सरकार मुख्यत: एक सुविधा प्रदानकर्त्ता के रूप में कार्य करती है, इस संबंध में किए गए विभिन्न उपाय नीचे दिए अनुसार हैं:-

(1) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम, 2000 अधिनियमित कर दिया गया है। इस अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक अनुबंधों, कंप्यूटर अपराधों के निवारण, इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल करना/प्रलेखन के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान है तथा इसमें अंकीय हस्ताक्षर को वैधता प्रदान की गई है। इस अधिनियम के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रक की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है।

(2) इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता नीति (आईएसपी) कार्यान्वित कर ली गई है। इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्त्ताओं को विदेश संचार निगम लि. से अलग स्वतंत्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय गेटवे स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इन इन्टरनेट सेवा प्रदानकर्त्ताओं को विदेशी उपग्रह पर अंतर्राष्ट्रीय बैंड विड्थ भाड़े पर लेने की भी अनुमति दी गई है।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक ने सीमित प्रयोक्ता दल जिसमें बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र के अन्य संस्थान शामिल हैं, में संदेशों/निधि के सुरक्षित, सकुशल तथा सक्षम अंतरण के लिए एक व्यापक क्षेत्र उपग्रह/स्थलीय नेटवर्क-जिसे भारतीय वित्तीय नेटवर्क (इन्फीनेट) कहा जाता है स्थापित किया है। इन्फीनेट में इस्तेमाल के लिए संदेश के संगठन को भी अंतिम रूप दे दिया गया है।

(4) सीमा-शुल्क विभाग, पत्तनों, विमान पत्तनों, वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदों, बैंकों तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए संदेशों के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रानिक डेटा विनिकय नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है।

(5) ई-वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास की परियोजनाओं के एक समूह तथा परीक्षण-स्थल अनुप्रयोगों को सरकार द्वारा सहायता दी गई है।

(ग) और (घ) प्रौद्योगिकी को इस बात का सुनिश्चय करना चाहिए कि ई-वाणिज्य लेन-देन सुरक्षित, निरापद ढंग से हों तथा नेट पर डेटा प्रसारण के समय उसकी पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। इसलिए ई-वाणिज्य की बदलती आश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों में निरन्तर बदलाव किया जा रहा है।

(ङ) एक ही बैंक द्वारा जारी किए जाने वाले तथा इन्टरनेट पर इस्तेमाल के लिए ई-चेकों के प्रोटोकॉल का विकास करने के लिए बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी), हैदराबाद द्वारा एक प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई है।

[हिन्दी]

मंत्रियों द्वारा विदेशी यात्राएं

470. श्री पुष्प जैन : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान सरकार का सत्ता में आने के बाद से आज तक किन-किन मंत्रियों ने विदेश यात्राएं की और उन्होनें किन-किन देशों की कितनी बार यात्राएं की;

(ख) उनके साथ कितने सरकारी अधिकारी गए;

(ग) इन यात्राओं पर कितना व्यय हुआ;

(घ) इन यात्राओं का उद्देश्य और परिणाम क्या रहा;

(ङ) क्या कुछ मंत्रियों की यात्राएं अनुमोदित नहीं थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

चादरों और तौलियों के लिए निविदा

471. **श्री रघुनाथ झा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 31 जुलाई, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1259 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गयी है और गत तीन वर्षों के दौरान तौलियों और चादरों की कुल कितनी मात्रा की खरीद की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 1999-2000 में सफदरजंग और डा. राममनोहर लोहिया अस्पतालों में पट्टियों और गाज के कपड़े सहित कई मदों की खरीद के संबंध में कोई जांच की है;

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला;

(ङ) क्या दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों को निविदाओं के माध्यम से खरीद न कर प्रतिष्ठित विनिर्माताओं से ब्रांडेड मंदे खरीदने का निर्देश देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्य वित्त और विकास निगम

472. **श्री राजो सिंह:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य वित्त और विकास निगम को वर्ष-वार कितना धन आबंटित किया गया, और

(ख) इस अवधि के दौरान बिहार राज्य वित्त और विकास निगम द्वारा उपयोग में लाये गए धन का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातिय कार्य मंत्रालय द्वारा बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम और बिहार अनुसूचित जनजातीय सहकारी विकास निगम को निधियों की मंजूरी सीधे नहीं दी जा सकी क्योंकि उन्होंने पहले निर्मुक्त की गई निधियों के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र नहीं भेजे थे।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एन एस एफ डी सी) द्वारा स्वीकृत और आवंटित निधियों तथा बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम और बिहार अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम द्वारा किए गए उपयोग के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(रुपये लाख में)

एनएसएफडीसी द्वारा

वर्ष	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी अनुसूचित विकास निगम			बिहार अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम		
	आवंटन	निर्मुक्त	उपयोग किया गया	आवंटन	निर्मुक्त	उपयोग किया गया
1	2	3	4	5	6	7
1997-98	990.00	1085.75	50.00	578.00	शून्य	शून्य
1998-99	860.65	1075.60	286.03	452.99	165.09	शून्य
1999-2000	688.92	204.05	28.07	362.60	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

वरिष्ठ विश्लेषकों के रिक्त पद

473. श्री राजैया मल्याला: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आज की स्थिति में प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में वरिष्ठ विश्लेषकों (10,000-15,000 के वेतनमान में) के बहुत से पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रिक्तयों को नहीं भरे जाने का कारण विभाग के कामकाज के विशेष क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए हैं; और

(घ) वरिष्ठ विश्लेषकों के पद कब तक भर लिये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क), (ख) और (घ) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में वरिष्ठ विश्लेषकों के स्वीकृत पदों (वेतनमान 10,000-15,200/- रुपये) की कुल संख्या आठ है। आज की तिथि के अनुसार चार पद रिक्त हैं, जिनमें से एक पद को, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मे उप निदेशक (राजभाषा) (वेतनमान 10,000-15,200/- रुपये) के पद को 29.9.2000 से 31 जुलाई, 2001 तक निदेशक (राजभाषा) (वेतनमान 12,000-16,500/-रु.) के पद के रूप में अपग्रेड करने हेतु आवश्यक बचत का सृजन करने के लिए आस्थगन में रखा गया है। ये पद, इन पर नियुक्त वरिष्ठ विश्लेषकों के पदधारकों की पदोन्नति हो जाने और इसके फलस्वरूप समय से पूर्व अपने मूल विभागों में वापस चले जाने के कारण खाली हुए हैं। वरिष्ठ विश्लेषक का एक पद जिस पर विधिवत रूप से चयन किए गए उम्मीदवार के लिए नियुक्ति प्रस्ताव भेजा गया है, उसके द्वारा पद का कार्यभार ग्रहण किए जाने के साथ ही भर लिए जाने की संभावना है। शेष 2 पदों को भरने के लिए भी आवश्यक कार्यवाई शुरू कर दी गई है। संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया गया है कि वे विभाग के परिपत्र/विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करें और 2 उम्मीदवारों की सिफारिश करें।

(ग) जी, नहीं।

परिषद की निधियों का दुर्विनियोग

474. श्री दिनेश चन्द्र यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय यूनानी औषध अनुसंधान परिषद के कर्मचारी संघ ने वहां के निदेशक द्वारा परिषद की निधियों के गबन, दुर्विनियोग और वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अभ्यावेदन भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस जांच के क्या नतीजे निकले; और

(घ) सरकार द्वारा दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं के कुछ आरोपों की जांच की गई है और यथापेक्षित आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

भारत-बंगलादेश संधि

475. श्री तूफानी सरोज: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश ने गंगा नदी बांध बनाने और भूमिगत जल में आर्सेनिक की समस्या का हल निकालने के लिए भारत से सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच व्यापक क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में बातचीत चल रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (घ) भारत सरकार और बंगलादेश की सरकार बंगलादेश में प्रस्तावित गंगा बैरेज परियोजना में संभावित सहयोग सहित जल संसाधन के क्षेत्र में परस्पर लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग के मसले पर तथा जल में आर्सेनिक प्रदूषण की समस्या पर कार्य करने पर बातचीत कर रही हैं। ये मसले जल संसाधन राज्य मंत्री श्रीमती बिजोय चक्रवर्ती की सितम्बर, 2000 में हुई बंगलादेश की यात्रा के दौरान भी उठे।

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा-उत्पादन

476. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए आरम्भ किए गए अनेक प्रस्तावों को पुनर्जीवित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में वृद्धि के लिए तत्काल इन प्रस्तावों को कार्यान्वित करने के बारे में विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना में कुल 880 मेगावाट क्षमता की चालू परियोजनाओं, जिनके अन्तर्गत कैगा परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-1 तथा 2 (2×220 मेगावाट), राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना यूनिट-3 तथा 4 (2×220 मेगावाट) शामिल हैं, को पूरा करने और कमीशन करने के अलावा, परमाणु विद्युत के विकास संबंधी प्रस्तावों के अन्तर्गत, रूसी सहायता से तमिलनाडु में कुडानकुलम में 2×1000 मेगावाट क्षमता के परमाणु बिजलीघर के लिए ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को कमीशन करने और नौवीं योजना के अंत तक 1×500 मेगावाट क्षमता के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (पीएफबीआर) के संबंध में काम शुरू करने के अलावा, तारापुर में 2×500 मेगावाट क्षमता के संयंत्र (टीएपीपी-3 तथा 4) और कैगा में 2×220 मेगावाट के अतिरिक्त यूनिट (कैगा-3 तथा 4) को चालू किया जाना शामिल हैं।

(ग) और (घ) कैगा स्थित दो यूनिटों ने क्रमशः 24.9.1999 तथा 26.9.2000 को क्रांतिकता प्राप्त की थी और उन्हे क्रमशः 2.12.1999 तथा 12.10.2000 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया था। राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-3 ने 24.12.1999 को क्रांतिकता प्राप्त की थी और उसे 10.3.2000 को ग्रिड के साथ जोड़ा गया था। राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4 ने 3.11.2000 को पहली बार क्रांतिकता प्राप्त की थी और उसे 17.11.2000 को ग्रिड के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा योजनाओं के अनुसार, बशर्ते कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहें, दसवीं योजनावधि के दौरान दो परियोजनाओं नामतः कैगा-5 तथा 6 (2×220 मेगावाट) और राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6 (2×500 मेगावाट) को चालू किए जाने की योजना है। सभी उपर्युक्त परियोजनाएं नामतः तारापुर परमाणु विद्युत परियोजना-3तथा 4, कुडानकुलम-1 तथा 2, कैगा -5 तथा 6, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना-5 तथा 6 और प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (500 मेगावाट) को दसवी तथा ग्यारवहीं योजना के दौरान कमीशन कर दिया जाएगा। जिससे ग्यारहवीं योजना के अंत तक परमाणु विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता 8100 मेगावाट हो जाएगी।

[हिन्दी]

मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम

477. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मातृ-शिशु स्वास्थ्य के कल्याण के लिए कोई कार्य योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक माता एवं शिशु के कल्याण के लिए कुल कितनी राशि खर्च की गई हैं;

(घ) इस शीर्ष के अन्तर्गत विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को देश तथा विदेशों से कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आगामी तीन वर्षों के दौरान बिहार सहित प्रत्येक राज्य पर कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) देश में 1997 में शुरू किए गए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मातृत्व और बाल स्वास्थ्य को सुधारने और नवजात शिशु और मातृत्व रूग्णता और मृत्यु दर को कम करने के उपायों को सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये उपाय में निम्नलिखित हैं:-

बच्चों के लिए छह वैक्सीन निवार्य रोगों के लिए प्रतिरक्षण अतिसार और तीव्र श्वसनी संक्रमणों से होने वाली मौतों पर नियंत्रण, विटामिन एक की कमी, आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता के लिए रोगनिरोधन और आवश्यक नवजात परिचर्या; माताओं के लिए-अनिवार्य प्रसूति परिचर्या; आपाती प्रसूति परिचर्या पंचायतों के माध्यम से गर्भ की जटिलताओं वाली गर्भवती महिलाओं के लिए रैफरल परिवहन; प्राथमिक रैफरल यूटियों में औषधों और उपस्करों का प्रावधान; अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों और संवेदनाहारकों जैसे संविदागत स्टाफ का प्रावधान, चुनिंदा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चौबीसों घंटे प्रसव सेवाओं जैसी स्कीमों के लिए निधियां भी प्रदान की जा रही हैं।

विश्व बैंक सहायता के साथ प्रतिरक्षण कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए एक नई परियोजना को अंतिम रूप दिया गया है और इसमें बिहार के 8 जिले शामिल हैं। 30 प्रतिशत से कम की सुरक्षित प्रसव दर के साथ बिहार के 32 जिलों सहित 142 जिलों में दाइयों के प्रशिक्षण के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाओं की प्रदानगी में सुधार के लिए शिविरों के आयोजन के लिए बिहार के 16 जिलों सहित 102 जिलों की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नकद और वस्तुगत अनुदान के रूप में राज्यों को जारी की गई निधियों और उनके द्वारा सूचित व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ङ) बिहार सहित सभी राज्यों के लिए वर्ष 2001-02 हेतु प्रक्षिप्त बजट आवश्यकता 108,534 लाख रुपये है। संसद द्वारा बजटीय प्रावधानों के अनुमोदन के पश्चात ही वार्षिक आधार पर राज्य वार आबंटन किया जाता है। उसके बाद दो वर्षों के लिए अनुमानों का पता 10वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के बाद ही चलेगा।

विवरण

मातृत्व और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रदान किया गया कुल (वस्तुगत+नकद) अनुदान

(रु. लाखों में)

		प्रदान की गई वस्तुगत+नकद सहायता			कुल जारी	किया गया/सूचित किया गया व्यय			कुल व्यय
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000		1997-98	1998-99	1999-2000	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2,668.49	2,828.72	4,134.36	9,631.57	1866.38	2381.72	2283.70	6,531.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	324.13	333.22	277.20	934.55	180.37	194.03	146.29	520.70
3.	असम	1,657.95	1,353.90	1,973.39	4,985.23	1262.27	1239.64	1335.86	3,837.77
4.	बिहार	3,572.10	4,622.06	5,959.35	14,153.51	2717.72	4180.81	4704.37	11,602.91
5.	गोवा	82.55	68.49	114.28	265.33	37.85	35.25	57.57	130.67
6.	गुजरात	1,979.70	2,478.84	2,515.28	6,973.81	1326.40	1761.86	1806.63	4,894.89
7.	हरियाणा	1,322.52	1,173.54	1,382.80	3,878.86	615.71	1050.73	878.68	2,545.12
8.	हिमाचल प्रदेश	520.74	702.12	469.83	1,692.69	329.09	423.04	280.20	1,032.33
9.	जम्मू व कश्मीर	561.35	551.19	635.28	1,747.82	300.76	449.46	394.74	1,144.96
10	कर्नाटक	1,827.73	2,132.18	2,076.72	6,036.63	1240,36	1794.55	587.55	4,622.46
11.	केरल	1,380.20	1,762.10	1,479.79	4,622.09	985.48	1157.66	950.53	3,093.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.	मध्य प्रदेश	3,863.60	4,546.90	5,375.26	13,785.76	2901.19	4055.11	3777.64	10,733.94
13.	महाराष्ट्र	2,658.29	3,749.79	4,528.00	10,936.08	1881.86	3772.69	3275.05	8,929.60
14.	मणिपुर	312.48	177.16	638.68	1,128.31	197.41	179.26	191.14	567.81
15.	मेघालय	265.53	204.74	242.30	712.57	135.70	188.46	159.31	483.47
16.	मिजोरम	162.83	530.39	586.99	1,280.21	108.97	413.69	139.28	661.94
17.	नागालैंड	204.09	165.50	223.29	592.88	114.81	94.29	147.83	356.93
18.	उड़ीसा	1,791.54	2,061.83	2,409.46	6,262.82	1282.26	1685.31	1416.35	4,383.93
19.	पंजाब	1,275.33	1,026.60	1,180.27	3,482.20	769.81	997.35	861.70	2,628.86
20.	राजस्थान	2,586.56	2,872.79	3,743.80	9,203.15	1622.73	2260.06	2569.13	6,451.92
21.	सिक्किम	134.79	125.99	93.08	353.86	75.75	125.20	66.88	267.84
22.	तमिलनाडु	2,622.15	2,458.56	2,590.39	7,671.10	1672.24	2698.67	1568.93	5,939.83
23.	त्रिपुरा	210.57	411.60	389.84	1,012.01	189.48	162.01	241.67	593.16
24.	उत्तर प्रदेश	5,246,56	8,239.35	11,402.89	24,888.80	3990.73	7080.79	8194.44	19,265.96
25.	प. बंगाल	2,721.29	3,203.00	3,795.29	9,719.59	2380.72	2744.48	2606.40	7,731.60
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	44.18	118.22	52.58	214.98	33.53	31.63	45.60	110.75
27.	चंडीगढ़	50.22	55.53	139.49	245.23	28.94	49.64	24.65	103.23
28.	दादरा एवं नगर हवेली	23.37	41.23	34.42	99.02	16.52	8.99	10.43	35.94
29.	दमन एवं दीव	56.70	35.96	40.40	133.07	27.49	30.55	20.16	78.20
30.	दिल्ली	387.14	462.15	458.52	1,307.81	304.94	354.92	357.38	1,017.23
31.	लक्षद्वीप	21.65	36.42	29.38	87.45	7.52	8.96	6.81	23.29
32.	पांडिचेरी	126.36	80.89	70.42	277.66	59.31	56.40	34.70	150.42
	कुल	40,662.67	45,610.95	59,043.01	148,316.63	28664.31	41667.20	40141.59	22193.98

पशुओं के प्रति क्रूरता रोकना

478. श्री जी.एस. बसवराज:
श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने संबंधी मौजूदा कानून में संशोधन करने के लिए विशेषज्ञों और विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नया कानून कब तक बनाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार पशुओं के प्रति क्रूरता से संबंधित मौजूदा कानूनों का और सख्ती से कार्यान्वयन की निगरानी कर रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पशुओं के प्रति क्रूरता रोकने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) संसद सदस्यों सहित विभिन्न पशु कल्याण संगठनों, राज्यो सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों और जन प्रतिनिधियों ने इस संबंध में समय-समय पर अभिवेदन किया है। वर्तमान जीव-जन्तुओं के प्रति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1960 सरकार के विचाराधीन हैं। वर्तमान में नए विधान के अधिनियम के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

479. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्राप्त है और राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को इसके द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की उस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है जिसमें अल्पसंख्यकों के विकास के लिए एक 15-सूत्री कार्यक्रम की बात कही गई है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट के निष्कर्षों से सहमत हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाने जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, हां। आयोग की स्थापना राष्ट्रीय अल्संख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत की गई है। अपने किन्हीं भी कार्यों के करते समय इस आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां हैं। यह अन्य बातों के साथ-साथ किसी व्यक्ति को बुला सकता है और किसी व्यक्ति की उपस्थिति को बाध्य कर सकता है और किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक रिकार्ड को मंगा सकता है या उसकी प्रतिलिपि कर सकता है।

(ग) से (च) सरकार द्वारा 15 सूत्री कार्यक्रम के संबंध में आयोग के सुझावों पर 15-सूत्री कार्यक्रम के संशोधन के लिए इसे अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक अधिक प्रभावी साधन बनाने के लिए विचार किया गया है।

[हिन्दी]

नौवीं योजना के दौरान विकास दर

480. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, कृषि उद्योग, निवेश, रोजगार के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में विकास दर निर्धारित लक्ष्य से काफी कम रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) अब तक प्राप्त की गई विकास दर का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के मुकाबले नौवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों (1997-2002) में, विभिन्न क्षेत्रकों के निष्पादन को दर्शाने वाली एक तालिका एक विवरण के रूप में संलग्न है। कृषि, खनन एवं उत्खनन तथा विनिर्माण में विकासात्मक निष्पादन में गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। सार्वजनिक निवेश में 23 प्रतिशत की गिरावट का होना। नौवीं योजना के प्रारंभिक तीन वर्षों के दौरान सृजित रोजगार के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) नौवीं योजना के अंतिम दो वर्षों में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के प्रयास किए जाएंगे।

विवरण

क्षेत्रकीय विकास लक्ष्य एवं उपलब्धियां
(नौवीं पंचवर्षीय योजना-1997-2002)

(प्रतिशत)

	क्षेत्रक	योजना लक्ष्य (5 वर्ष)	प्रथम तीन वर्षों के दौरान उपलब्धियां
1.	कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियां	3.9	2.7
2.	खनन एवं उत्खनन	7.2	2.9
3.	विनिर्माण	8.2	4.9
4.	विद्युत, गैस एवं जल	9.3	7.7
5.	निर्माण	4.9	8.3
6.	व्यापार	6.7	6.1
7.	रेल परिवहन	3.9	3.1
8.	अन्य परिवहन	7.4	5.6
9.	संचार	9.5	14.1
10.	वित्तीय सेवाएं	9.9	11.4
11.	लोक प्रशासन आदि	6.6	12.1
12.	अन्य सेवाएं	6.6	8.8
	योग*	6.5	6.1

*संशोधित क्षेत्रकीय शेयरों के आधार पर नौवीं योजना के क्षेत्रकीय वृद्धि लक्ष्यों से 6.3 प्रतिशत के समग्र विकास लक्ष्य प्राप्त होंगे।

[अनुवाद]

भ्रष्टाचार

481. **श्री राम जी मांझी:**
श्री राम सागर रावत:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सामाजिक कार्यकर्त्ता चौकस रहकर सरकारी कार्यालयों और सरकार द्वारा नियंत्रित उपभोक्ता समितियों आदि में भ्रष्टाचार को उजागर करना आरंभ कर देते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसे सामाजिक कार्याकर्त्ताओं, जो स्वयं अथवा संसद सदस्यों के माध्यम से भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं, के लिए क्या सुरक्षोपाय उपलब्ध हैं; और

(घ) यदि सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी विभागों और उपभोक्ता समितियों में उनके व्यवसाय और हित किसी भी प्रकार से प्रभावित न हों, उनके पास क्या उपाय उपलब्ध हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) सरकार, लोक-सेवाओं से भ्रष्टाचार की बुराई उन्मूलित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। फिर भी, भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान एक सतत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि स्वयं ही, अपने-अपने संगठनों में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा बनाए रखने के जिम्मेदार है। इस बारे में विभिन्न स्थानों से शिकायतें, संबंधित मंत्रालयों/विभागों आदि में ही प्राप्त होती है। ऐसे प्राधिकारियों द्वारा व्यथाओं/शिकायतों के निवारण की समुचित कार्रवाई की जाती है। एक केन्द्रीय अन्वेषण-अभिकरण के रूप में केन्द्रीय अन्वेषण-ब्यूरो को भी सामाजिक कार्यकर्त्ताओं गैर सरकारी संगठनों इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों से उपभोक्ता समितियों आदि सहित, सरकारी कार्यालयों, विभागों में भ्रष्टाचार के बारे में शिकायतें/जानकारी मिलती हैं। इन शिकायतों/ऐसी जानकारी की सच्चाई जांची परखी जाती है और जहां कहीं भी किसी लोक-सेवक द्वारा कोई दांडिक अपराध या कदाचार किए जाने का प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हो, वहां मामले, जांच हेतु दर्ज किए जाते हैं और उपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को, सामाजिक कार्यकर्त्ताओं से मिलने वाली शिकायतों सहित, अन्य से प्राप्त होने वाली शिकायतों के बारे में जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(ग) और (घ) सामाजिक कार्यकर्त्ता सहित, कोई भी व्यक्ति संगठन से व्यथित होने पर अपनी व्यथा/शिकायत के निवारण हेतु उस संगठन के मुख्य सतर्कता-अधिकारी अथवा अध्यक्ष से अपनी व्यथा कह सकता है/शिकायत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी नागरिक, प्राधिकार-प्राप्त व्यक्तियों द्वारा अपने प्राधिकार के दुरूपयोग और भ्रष्टाचार के कारण, उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया में सक्रियता और तेजी लाने हेतु, कायम कानून के अनुसार, किसी पुलिस-स्टेशन अथवा अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

[हिन्दी]

रानी अवन्तीबाई सागर बांध

482. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश का जबलपुर क्षेत्र अत्यधिक भूकंप प्रवण क्षेत्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले महीने के दौरान जबलपुर क्षेत्र में रानी अवन्ती बाई सागर बांध भूकंप के झटकों से प्रभावित हुआ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बांध के लिए क्या सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गये हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जबलपुर भारतीय मानक (आई एस) संहिता: 1893-1984 के अनुसार क्षेत्र-3 के अन्तर्गत आता है। उपर्युक्त संहिता के अनुसार, देश को पांच भूकम्पी क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। क्षेत्र-3 साधारण भूकम्पी क्षेत्र है।

(ख) और (ग) रिएक्टर पैमाने पर 6 की तीव्रता से और मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर के पूर्वोत्तर में लगभग 20 कि.मी. की परिधि में दिनांक 22.5.97 को प्रातःकाल एक भूकम्प आया था। इस भूकम्प से रानी अवन्ती बाई सागर बांध को कोई क्षति होने संबंधी सूचना प्राप्त नहीं हुई है। यह पाया गया कि अक्तूबर, 2000 में बहुत कम तीव्रता से दूसरा भूकम्प आया था। तथापि, इससे कोई क्षति होने की सूचना मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग संघ की टिप्पणियां और आपत्तियां

483. **श्री अनंत गंगाराम गीते:**
श्री किरीट सोमैया:

क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विगत एक वर्ष के दौरान भारतीय बाजार में चीन की उपभोक्ता वस्तुओं की भरमार हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या लघु उद्योग संघ और संसद सदस्यों ने इस संबंध में आपत्तियां की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ङ) सरकार को विभिन्न स्रोतों से सूचना/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं कि देश में चीन के उपभोक्ता माल का आयात बढ़ा है। हाल ही में हुए अध्ययन से यह पता चलता है कि चीनी टायर, ड्राई सेल बैटरीज, फाईबर, बाईसिकल, रसायन, फेरो अलाय, खाद्य तेल और इलेक्ट्रानिक्स और कम्पोनेन्टस भारतीय बाजार में खूब आ गए हैं।

(च) भारत सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारी ने भारत में कस्टम टैरिफ (पता लगाया मूल्यांकन करना और पारित वस्तुओं के सम्बन्ध में प्रतिपाटन शुल्क एकत्र करने और क्षति का सुनिश्चित करने के लिए) नियम, 1995 के सैक्शन 9क, 9 ख और 9 ग के अन्तर्गत भारत में प्रतिपाटन अन्वेषण किए गए हैं जबकि घरेलू उद्योग ने पूर्णतया प्रलेखन सहित प्रतिपाटन, क्षति के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य के साथ और आयातिंत माल के प्रतिपाटन के बीच आकस्मिक संबंध और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में पदनामित अधिकारी को एक याचिका की है।

तथापि, कस्टम टैरिफ नियम, 1995 के नियम 5 (4) के अंतर्गत पदनामित अधिकारी अपनी ओर अन्वेषण शुरू कर सकता है। यदि वह कस्टम अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत नियुक्त कस्टम कलैक्टर से प्राप्त सूचना से या अन्य कोई स्रोत जो कि विदेशी माल के प्रतिपाटन, घरेलू उद्योग को हुई भौतिक क्षति और दोनों के बीच कैजूअल लिंक के संबंध में मौजूदा पर्याप्त साक्ष्यों से संतुष्ट हो।

जहां तक चीन का संबंध है 25 प्रतिपाटन मामलों में पदनामित अधिकारी ने अन्तिम जांच-पड़ताल की सिफारिश की है, प्राथमिक जांच-पड़ताल के दो मामलों में चीन सम्मिलित है और 4 मामलों में अन्वेषण प्रगति पर है।

इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने भी चीनी सामान के अवैध प्रसार से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की पहल की है।

[हिन्दी]

थायराइड रोग

484. **श्री महेश्वर सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में शहरी जनसंख्या में थाइराइड रोग खतरनाक रूप से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए उठाए गए अथवा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यह दर्शाने के लिए कोई वैज्ञानिक आंकड़े नहीं हैं कि देश में थाइरायड रोग की व्याप्तता में वृद्धि हुई है।

(ख) और (ग) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

चल चिकित्सा देखभाल केन्द्र

485. **श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के विभिन्न जिलों में चल चिकित्सा देखभाल केन्द्र खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रों को खोलने के कार्य में गैर-सरकारी संगठन शामिल हैं और यदि हां, तो इन केन्द्रों को चलाने के लिए इन संगठनों के लिए सरकार द्वारा क्या नियम और शर्तें निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 में यह उल्लेख है कि जनसंख्या के अल्पसेवित वर्गों की पहचान अधिक केन्द्रीत ध्यान देने के लिये की जायेंगी। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 विशेष रूप से यह बतलाती है कि जनजातीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों की जनसंख्या तथा विस्थापित प्रवासियों तक पहुंच तथा कवरेज में चल क्लिनिकों के नियमित उपयोग से सुधार आएगा। बिहार के 14 मध्यम स्थानिकमारी वाले जिलों तथा 8 निम्न स्थानिकमारी वाले जिलों को चल कुष्ठ एकक प्रदान किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत गैर सरकारी संगठन के लिए दिशानिर्देशों में भी परिवार नियोजन तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले चल क्लिनिकों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता देने की व्यवस्था है। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत अनुदान चाहने वाले गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रारूप फार्मेट विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों के लिए फार्मेट

भाग-I

1. गैर-सरकारी संगठन का पूरा नाम, इसका मुख्यालय तथा डाकीय पता।

2. वर्ष जब से गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहा है (पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)

3. गैर-सरकारी संगठन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सचिव के नाम तथा तिथि जब से वे अपना पद धारण किए हुए है।

4. गैर-सरकारी संगठन के सदस्यों की कुल संख्या तथा आखरी निर्वाचन का वर्ष जिसमें वर्तमान पदाधिकारी निर्वाचित हुए हैं।

5. गैर-सरकारी संगठन के पूर्णकालिक तथा अंशकालिक कर्मचारियों की संख्या (कर्मचारियों, उनकी अर्हताएं तथा उनके वर्तमान मासिक वेतन की सूची संलग्न करें)

6. गैर-सरकारी संगठनों की परिसम्पत्तियां (गैर-सरकारी संगठन की नकद तथा अचल परिसम्पत्ति एवं इसके चार्टर्ड अकाउटेंट द्वारा यथालेखापरीक्षित अद्यतन तुलन पत्र की प्रति।

7. पिछले तीन वर्षों में गैर-सरकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं सहित किए गए कार्य तथा सहायता के स्रोत के ब्यौरे के साथ पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गैर-सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त की गई सहायता, यदि कोई हो का संक्षिप्त विवरण।

भाग-II

1. भौगोलिक क्षेत्र तथा अवधि जिसमें परियोजना प्रस्तावित है, का वितरण।

2. कार्यनीति तथा कार्यप्रणाली सहित परियोजना का विवरण-1 प्रत्येक घटक के लिए वित्तीय आवश्यकता का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा परियोजना के प्रत्येक वर्ष के अपेक्षित परिणामों का उल्लेख किया जाना चाहिए।

3. गैर-सरकारी संगठन द्वारा वार्षिक, मध्यावधि तथा परियोजना की समाप्ति पर मूल्यांकन के लिए मानदण्ड का सुझाव दिया जाना चाहिए।

आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के प्रस्ताव

486. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली में आयोजित अखिल भारतीय आयुर्वेद विशेषज्ञ सम्मेलन में उठाए गए मुद्दों को लागू करने के बारे में आयुर्वेद विशेषज्ञों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त सम्मेलन में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) औषध उद्योग के विशेष संदर्भ में आयुर्वेद के विकास से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस विनिर्माता एसोसिएशन द्वारा आयुर्वेद का विकास उद्योग का परिदृश्य पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवता मानक बनाए रखने, अच्छी गुणवता वाली कच्ची सामग्री की उपलब्धता, नीति-गत पहलों को सरल बनाने के लिए डेटा बेस तैयार करना और इस क्षेत्र के विकास को गति देने संबंधी उपायों पर विचार किया गया है।

अभी तक सरकार को कोई अधिकारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

नारियल-जटा पर आधारित उद्योग

487. **श्री तिरूनावकरसु:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के पुडुकोट्टई क्षेत्र में नारियल के वृक्षों की भारी संख्या को देखते हुए वहां नारियल-जटा पर आधारित उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिले में नारियल-जटा आधारित उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन

488. **डा. वी. सरोजा:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यकरण का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण स्तर पर ''इनोवेशन'' में सहायता करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां नोडल अधिकारियों की नियुक्तियां की गई/की जानी हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन की स्थापना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत, मार्च, 2000 में एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में की गई है।

(ख) नेशनल इनोवेशन फाउन्डेशन के द्वारा एक राष्ट्रीय रजिस्टर एवं प्रारम्भिक स्तर पर अभिनव-परिवर्तन का एक आंकड़ा आधार पर तैयार किया जाएगा; स्थानीय अभिनव परिवर्तकों को औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्रकों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से जोड़ा जायेगा, अभिनव परिवर्तकों/निवेशकों एवं उद्यमियों के मध्य

संपर्क स्थापित किया जाएगा, प्रमुख अकादमिक एवं अन्य स्थानों पर कुछ इन्क्यूबेटर्स स्थापित किए जायेंगे, अभिनव परिवर्तकों की मुलाकातों के लिए समय-समय पर क्लियरिंग हाउसेस आयोजित किए जाएगें अभिनय परिवर्तकों के संयुक्त उद्यमों अथवा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलों को सहायता दी जाएगी, उत्कृष्ट छात्रों एवं अभिनव परिवर्तकों के लिए वजीफा, छात्रवृत्तियां प्रारम्भ की जाएंगी, प्रारम्भिक स्तर के अभिनव परिवर्तनों के प्रसार एवं विस्तार के लिए विशेषकर स्थानीय भाषाओं में पत्रों, किताबों का प्रकाशन किया जाएगा। नकद एवं प्रतिभूतियों के रूप में अनुदान, उपहार, ऋण, चन्दा प्राप्त किया जाएगा। और पारंपरिक एवं स्थानीय वैद्यों, जड़ी बूटियों से इलाज करने वाले, दस्तकार एवं अन्य सूचना विशेषज्ञों और साथ ही समुदायों द्वारा समसायिक सूचना के क्षेत्र में विकसित अभिनव परिवर्तनों एवं प्रयोगों में संवर्धन को सहायता दी जाएगी।

(ग) और (घ) बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, प. बंगाल एवं लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र ने जिला एवं ब्लाक/तालुक स्तर पर नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपने नोडल बिन्दुओं की पहचान कर ली है।

[हिन्दी]

ट्रेड यूनियन अधिनियम

489. श्री हरिभाऊ शंकर महाले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) श्रमिक संघ (संशोधन) विधेयक, 2000 राज्य सभा में 28.4.2000 को पेश किया गया है। इस विधेयक को श्रम और कल्याण संबंधी संसदीय स्थायी समिति को जांच करने और रिपोर्ट देने के लिए संदर्भित कर दिया गया है।

जलभराव और भूमि कटाव

490. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी बिहार के कई हिस्से जल भराव और भूमि कटाव की समस्या का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन क्षेत्रों की पहचान कर ली हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाये गए हैं/ उठाए जाने वाले हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) उत्तरी बिहार में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि जल जमाव से प्रभावित है। अधिकांश समस्या ग्रस्त क्षेत्र कोसी और गंडक कमानों में आते हैं।

उत्तरी बिहार की लगभग सभी नदियों में मृदा कटाव की समस्या है।

(ग) जहां तक जमाव की समस्या का संबंध है, बिहार सरकार ने वर्ष 1987 में एक कार्य बल का गठन किया है, जिसने कोसी कमान में 13 जल निकास स्कीमें और गंडक कमान में 11 जल निकास स्कीमों की पहचान की है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन से कोसी कमान में लगभग 0.135 लाख हेक्टेयर और गंडक कमान में 1.170 लाख हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित होगा। योजना आयोग ने अब तक केवल 6 स्कीमों को ही स्वीकृति प्रदान की है जिसमें से गंडक कमान में 5 और कोसी कमान की एक स्कीम है। इन स्कीमों की कुल अनुमानित लागत लगभग 43 करोड़ रुपये है। इनमें से कोई भी स्कीम बिहार सरकार द्वारा अब तक पूरी नहीं की गई है।

मृदा कटाव की समस्या के संबंध में, बिहार सरकार अपनी प्राथमिकता तथा इस प्रयोजन के लिए निधियों की उपलब्धता के अनुसार कटावरोधी स्कीमों को कार्यान्वित कर रही है। 75:25 (केन्द्रीय हिस्सा और राज्य हिस्सा) की वित्तीय पद्धति पर नौवीं योजना के दौरान संचालित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय द्वारा गंगा बेसिन राज्यों (बिहार सहित) संकटपूर्ण कटावरोधी कार्य प्रारंभ करने के लिए एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम का प्रस्ताव किया है। योजना आयोग ने इस स्कीम को "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान कर दिया है। इस स्कीम को व्यय वित्त समिति द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है। आर्थिक मामले संबंधी मंत्रिमंडल समिति द्वारा स्कीम के अनुमोदन के पश्चात गंगा बेसिन राज्यों को इस केन्द्र प्रायोजित स्कीम के लिए निधियां जारी की जाएगी।

[अनुवाद]

राज्यों के बीच विषमता

491. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार ने राज्यों के बीच बढ़ रही विषमता पर गंभीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों में अनुमोदित परिव्यय और व्यय में एक बहुत बड़ा अंतर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। अलग-अलग राज्यों के विकास निष्पादन में बढ़ती हुई असमानताओं पर चिंता व्यक्त की गई है। 1980 में सबसे धीमे विकास कर रहे हैं और सबसे तेज विकास कर रहे राज्यों के बीच भिन्नता की सीमा केरल में 3.6 प्रतिशत प्रतिवर्ष से राजस्थान में 6.6 प्रतिशत थी जो 2 से भी कम का गुणक था। यह सीमा 1990 में काफी बढ़ी और बिहार की 2.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो सबसे कम थी, की तुलना में गुजरात की 9.6 प्रतिशत, जो सबसे अधिक थी, के मध्य गुणक 3.5 से भी अधिक था। 1990 में बिहार की प्रतिव्यक्ति विकास दर की तुलना, गुजरात की प्रतिव्यक्ति विकास दर से करने पर सबसे कम और सबसे अधिक के मध्य अनुपात 1:7 था। राज्यों में, गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या के प्रतिशत तथा साक्षरता के प्रतिशत आदि के अर्थ में मानव विकास की दृष्टि से भी भिन्नता बहुत अधिक थी। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों, विभिन्न समुदायों तथा बहुत से राज्यों में स्त्री-पुरूषों के मध्य महत्वपूर्ण विभेदक हैं।

(ग) और (घ) जबकि बहुत से राज्य, योजना आयोग में चर्चा के दौरान अनुमोदित किए गए अपने परिव्ययों का पूरी तरह से उपयोग नहीं कर पाए हैं, उत्तर प्रदेश एवं बिहार जैसे राज्यों के मामले में अनुमोदित परिव्यय एवं व्यय के मध्य बहुत बड़ा अंतर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुमोदित योजना परिव्यय की तुलना में वास्तविक व्यय के राज्यवार ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं जो दर्शाते हैं कि कई राज्य योजना परिव्यय प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इन राज्यों द्वारा योजना परिव्यय प्राप्त न कर पाने का मुख्य कारण राज्यों के स्वयं के संसाधनों के अनुमानित स्तर को प्राप्त करने में उनकी असमर्थता है।

(ङ) योजना आयोग, राज्यों से, अन्य बातों के अलावा, राज्य स्तर के उद्यमों के निष्पादन को सुधार कर एवं गैर-कर राजस्व को बढ़ाकर तथा अपने गैर-योजना व्यय को कम करके अपने स्वयं के संसाधनों को और अधिक मात्रा में सृजित करने पर जोर देता रहा है जिससे योजना को वित्त पोषित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हो सकें।

विवरण

1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 की वार्षिक योजनाओं हेतु अनुमोदित परिव्यय/वास्तविक व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	मूल्य रूप से अनुमोदित परिव्यय			वास्तविक व्यय		
		1997-98	1998-99	1999-2000	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	3579.55	4678.95	5480.00	3707.23	4671.97	5480.00$
2.	अरुणाचल प्रदेश	600.00	625.00	665.00	489.38	463.02	503.00
3.	असम	1510.28	1650.00	1750.00	1283.18	1293.67	1500.00
4.	बिहार	2268.42	3768.74	3630.00	1711.43	2424.65	2471.99
5.	गोवा	230.56	291.34	281.19	198.59	220.61	241.00

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	गुजरात	4509.62	5450.00	6550.00	3905.07	3905.07	6550.00
7.	हरियाणा	1576.04	2260.00	2300.00	1303.61	1522.91	1785.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1008.00	1440.00	1600.00	1294.33	1539.65	1601.17
9.	जम्मू व कश्मीर	1551.81	1900.00	1750.00	1496.28	1259.61	1758.00
10	कर्नाटक	4153.59	5353.00	5800.00	4424.48	5649.04	5231.35
11.	केरल	2851.10	3100.00	3250.00	2867.62	3039.09*	3010.45
12.	मध्य प्रदेश	3718.15	3700.00	4004.00	3343.91	3426.12*	3473.75
13.	महाराष्ट्र	8393.19	11600.73	12162.00	7938.03	8187.48	12161.66
14.	मणिपुर	410.00	425.00	475.00	345.28	388.55	475.00 $
15.	मेघालय	382.00	400.00	465.00	248.83	299.38	350.00
16.	मिजोरम	290.00	333.00	360.00	295.25	272.06	380.51
17.	नागालैंड	291.00	300.00	315.00	232.33	245.97	320.50
18.	उड़ीसा	2529.46	3084.43	3309.17	2037.14	2581.61	2510.13
19.	पंजाब	2100.01	2500.00	2680.00	2008.80	2006.27	2680.00
20.	राजस्थान	3514.42	4300.00	4750.00	3987.35	3832.83	3855.14
21.	सिक्किम	220.00	237.00	250.00	190.12	218.00*	250.00 $
22.	तमिलनाडु	4004.90	4500.00	5250.00	4010.63	4515.81	5250.00
23.	त्रिपुरा	439.91	440.00	475.00	412.59	392.25	437.00
24.	उत्तर प्रदेश	7246.57	10260.00	11400.00	5652.36	6363.94	5104.08
25.	प. बंगाल	3907.62	4594.85	5787.00	2840.10	3459.64	3674.73
	जोड़ (राज्य)	61286.20	77192.04	84738.36	56223.92	62179.20	71054.46

* वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं, संशोधित परिव्यय लिया गया है।

$ राज्य सरकार द्वारा संशोधन की मांग नहीं की गई थी, अनुमोदित परिव्यय दोहराये गए हैं।

सरकारी सेवाओं में महिला अधिकारी

492. श्री ए. ब्रह्मनैया: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की सरकारी सेवाओं में अपर सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर पर महिला अधिकारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) भारत सरकार में

अपर सचिव और उस से ऊपर के स्तर के पदों पर नियुक्तियां, उन स्तरों के पद धारण करने हेतु उपयुक्त पाए जाने वाले अधिकारियों में से की जाती हैं। अधिकारियों की उपयुक्तता उन की योग्यता, सक्षमता, नेतृत्व-शक्ति और नीति निर्धारित करने की प्रक्रिया में भागीदारी की दृष्टि से सूक्ष्मदर्शिता जैसे गुण आंकने की प्रक्रिया का कड़ाई से निर्वाह करके तय की जाती है। उपयुक्ता आंकने की उपर्युक्त प्रक्रिया लिंग- निरपेक्ष है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र में महिला अधिकारियों का प्रतिनिधित्व, 25 वर्ष से अधिक समय पहले सेवा में आई और अब भी सेवा में बनी हुई महिलाओं की संख्या तथा उनके संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा, उनकी केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के प्रति सहमति दिए जाने पर निर्भर करता है।

जापान के प्रधान मंत्री का दौरा

493. **श्री भीम दाहालः** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जापान के प्रधान मंत्री की हाल की भारत यात्रा के दौरान उनसे किन मुद्दों पर चर्चा हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) दोनों देशों के बीच किन क्षेत्रों में नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जापान के प्रधान मंत्री श्री योशिरो मोरि 21 से 25 अगस्त 2000 तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए। 1990 के बाद से इस स्तर की यह प्रथम यात्रा थी। उन्होंने बंगलौर तथा आगरा की भी यात्रा की।

जापान के प्रधान मंत्री ने हमारे राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति से मुलाकात की तथा प्रधान मंत्री से सरकारी स्तर की वार्ता की। विदेश मंत्री ने उनसे मुलाकात की।

दोनों प्रधानमंत्री 21वीं शताब्दी के लिए बहुआयामी सार्वभौमिक भागीदारी करने पर सहमत हुए।

वार्ताओं में द्विपक्षीय राजनीतिक एवं आर्थिक संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ मनाने, उच्चस्तरीय वार्ता को संस्थागत बनाने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग, व्यापक सुरक्षा वार्ता, समुद्री लूटमार का सामना करने के लिए सहयोग और भारत-जापान प्रख्यात व्यक्ति ग्रुप गठित करने सहित व्यापक मसले शामिल थे।

अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई कि (1) 2002 में द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ उपयुक्त तरीके से मनाई जाएगी,

(2) जापान में भारत-जापान सूचना प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन होगा,

(3) सुरक्षा वार्ता की जाएगी (4) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार के लिए दोनों देश सहयोग करेंगे (5) भारत-जापान संसदीय मैत्री संघ गठित किया जाएगा और (6) भारत-जापान ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के दल की शीघ्र बैठक होगी।

प्रधानमंत्री मोरि ने घोषणा की कि अक्टूबर, 2000 तथा जनवरी, 2001 में उच्च स्तरीय आर्थिक मिशन भारत भ्रमण करेंगे। प्रथम अन्य स्तरीय आर्थिक मिशन 29 अक्टूबर से 4 नवम्बर, 2000 तक भारत की यात्रा पर आया।

(ख) इस यात्रा के दौरान कोई नया करार सम्पन्न नहीं किया गया।

नदियों को जोड़ना

494. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डीः** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जल-समस्या के समाधान के क्रम में, दीर्घावधि गंगा-कावेरी संपर्क परियोजना के एक भाग के रूप में, छः प्रमुख नदियों को जोड़ने की एक योजना पर कार्य प्रारंभ किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कुल कितना व्यय शामिल है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय (अब जल संसाधन मंत्रालय) एवं केन्द्रीय जल आयोग ने जल संसाधनों के विकास के लिए एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की है जिसमें जल संसाधन के अधिकतम उपयोग के वास्ते जल की अधिकता वाले बेसिनों से जल की कमी वाले बेसिनों में जल स्थानान्तरित करने के लिए गंगा सहित कावेरी एवं हिमालयी नदियों तथा विभिन्न प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। भारत सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के जल संतुलन और व्यवहार्यता अध्ययन करने और उसमें शामिल कुल व्यय के लागत प्राक्कलन तैयार करने के लिए जुलाई, 1982

में राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना एक स्वायत्त सोसायटी के रूप में की है। जल स्थानान्तरण संपर्क प्रस्ताव का कार्यान्वयन निधियों की उपलब्धता और इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित राज्यों के बीच आम सहमति होने के बाद कितनी तत्परता से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार की जाती है।

शरीरांगों का व्यापार

495. श्री रामजीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में शरीरांगों को बेचने का व्यापार अधिनियम द्वारा इसे प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद, निर्बाध रूप से चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में शरीरांगों के व्यापार को प्रतिबंधित करने वाले अधिनियम के क्रियान्वयन में खामियों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस विषय में कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) ऐसी कोई सूचना सरकार की जानकारी में नहीं आयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारत सरकार ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम 1944 पारित किया था जो 4.2.1995 से लागू हुआ। इसमें चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों को निकालने, उनके भंडारण तथा प्रतिरोपण के विनियमित करने और मानव अंगों के व्यापारिक लेन देन, तथा उससे संबद्ध या आनुषंगिक मामलों की रोकथाम करने की व्यवस्था है। इसमें बिना प्राधिकार के मानव अंगों को निकालने के लिए कठोर दण्ड की व्यवस्था भी है जिसके लिए एक अवधि का कारावास जिसे 5 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माना जिसे 10,000/-रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है। यदि एक पंजीकरण चिकित्सा व्यवसायी को दोषी सिद्ध किया जाता है तो उसका नाम संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद के रजिस्टर से पहले अपराध के लिए दो वर्षों के लिए तथा उत्तरवर्ती अपराध के लिए स्थायी रूप से हटाया जा सकता है। दो राज्यों अर्थात् मिजोरम और बिहार को छोड़कर सभी अन्य राज्यों ने मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम को अपना लिया है और इसलिए ऐसी घटनाएं यदि कोई हुई हों, भविष्य में नहीं हो सकती।

चिकित्सा महाविद्यालयों में अनु.जा./अनु.ज.जा. को कोटे के आधार पर प्रवेश

496. श्री बनलाल जाटवा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित डा. अम्बेडकर जन्मशती समारोह समिति ने अनु.जा./अनु.ज.जा. समुदाय के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 1993 में आरक्षित सीटो को पूरी तरह भरने की सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के कोर्सों के (केन्द्रीय सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले) विभिन्न संकायों/विभागों में कितनी सीटें उपलब्ध थीं;

(घ) गत पांच वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल सीटों की तुलना में उपरोक्त कोर्सों में अनु.जा./अनु.ज.जा. समुदाय के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और इनका प्रतिशत कितना था; और

(ङ) उपरोक्त सिफारिशों को संतोषजनक रूप से लागू नहीं किये जाने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) अनुदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सभी मेडिकल कालेजों में स्नातकपूर्व/ स्नातकोत्तर चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के लिए कुल सीटों की 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं और इन अनुदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) आयुर्विज्ञान संस्थाओं से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विभिन्न देशों द्वारा आयुर्वेदिक दवाओं की मांग

497. श्री रामशकल: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल में कई देशों ने भारत सरकार से आयुर्वेदिक दवाओं के निर्यात की मांग की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का कब तक इन दवाओं के निर्यात का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) कोई विशिष्ट अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, आयुर्वेदिक औषधों के निर्यात को निर्यात नीति के अधीन विनियमित किया जाता है। इच्छुक आयातकर्त्ता सरकार से बिना मांग किए औषधें प्राप्त कर सकता है।

बीड़ी-कामगार

498. श्रीमती जयश्री बैनर्जी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में कुल कितने बीड़ी-कामगार हैं और इनमें से कितने कामगारों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा जबलपुर संभाग में बीड़ी कामगार कल्याण निधि के तहत बीड़ी-कामगारों के लिए 2030 आवासीय एककों के निर्माण हेतु 1995-96 में प्रस्ताव भेजे थे;

(ग) यदि हां, तो इस विषय में अभी तक लिए गए निर्णय के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 2000 तक जबलपुर संभाग में कितने बीड़ी कारखानों का पंजीयन किया गया और आज की स्थिति के अनुसार उनमें कितने कर्मचारी/कामगार कार्यरत हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) मध्य प्रदेश राज्य में लगभग 7 लाख बीड़ी कामगार हैं। लगभग 6,93,239 बीड़ी कामगारों को पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) राज्य सरकार द्वारा भेजा गया प्रस्ताव योजना की अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। जिला प्राधिकारियों ने भी अब मकान निर्माण करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है।

(घ) बीड़ी बनाने वाले पंजीकृत कारखाने: 312

31.03.1999 की स्थिति के अनुसार उनमें कार्यरत कामगारों की संख्या: 1,14,475

युद्धबंदी

499. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री तरूण गोगोई:

क्या **विदेश मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान पाकिस्तान और भारत द्वारा रिहा किए गए युद्धबंदियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एंडरसन का प्रत्यर्पण

500. श्री रूपचन्द पाल: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने यूनियन कार्बाइड के पूर्ववर्ती अध्यक्ष श्री एंडरसन के प्रत्यर्पण हेतु अमेरिकी सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत सरकार ने अमरीकी राष्ट्रीय विधि के अनुसार प्रत्यर्पण अनुरोध की कार्रवाई चलाने के मसले पर एक अमरीकी एटार्नी से राय मांगी है।

अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में संशोधन

501. श्री प्रभात सामंतराय: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची संशोधित की है;

(ख) यदि हां, तो इस सूची में आखिरी बार संशोधन कब किया गया था;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में विभिन्न राज्यों की किन नई जातियों को राज्यवार शामिल किया गया है; और

(घ) इन जातियों को शामिल करने के लिए निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछला संशोधन 21.9.2000 को हुआ। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल की गई जातियों/समुदायों के नाम भारत के राजपत्र सं. 210 दिनांक 21.9.2000 में दिए गए हैं।

(घ) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एन सी बी सी) ने अनुरोधों पर विचार करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। जिनमें पिछड़ेपन के सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक पहलुओं को शामिल करते हुए मानदंड शामिल हैं।

[हिन्दी]

अन्य पिछड़ा वर्गों को पदोन्नति में आरक्षण

502. श्री ए. नरेन्द्र:
श्री राम टहल चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपने अन्य पिछड़ा वर्गों के कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण को बढ़ाने और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत के समय अन्य पिछड़ा वर्ग के मलाईदार तबके (सम्पन्न) कर्मचारियों की आय की ऊपरी सीमा की वार्षिक समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कुछ संगठनों से कोई सुझाव/निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (च) अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित कर्मचारियों को पदोन्नति में आरक्षण प्रदान करना कानूनी रूप से संभव नहीं पाया गया है। सरकार एक "पुनरीक्षण समिति" का गठन करने की प्रक्रिया में है, जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के परामर्श से अन्य पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर के लिए वर्तमान आय सीमा की समीक्षा करेगी। पुनरीक्षण समिति इस संबंध में इसके द्वारा प्राप्त सुझावों/अनुरोधों पर विचार करेंगी।

[अनुवाद]

दिहाड़ी मजदूर

503. श्री राजेश वर्मा: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में सेवारत दिहाड़ी मजदूरों को नियमित करने के लिए सरकार द्वारा क्या नियम और समय-अनुसूची निर्धारित की गई है;

(ख) रूड़की इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय में इस समय कुल कितने दिहाड़ी मजदूर सेवारत हैं और पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने दिहाड़ी मजदूरों को नियमित किया गया है;

(ग) उपर्युक्त विश्वविद्यालय में जिन दिहाड़ी मजदूरों ने अपनी सेवाओं की निर्धारित अवधि पूरी कर ली है उनकी सेवाओं को नियमित न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे दिहाड़ी मजदूरों की संख्या कितनी है और उन्हें कब तक नियमित किए जाने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) मौजूदा अनुदेशों के अन्तर्गत, नैमित्तिक कर्मकारों को नियमित स्वरूप के कार्य पर लगाना अनुमेय नहीं है। तथापि, विभिन्न प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को ऐसे कार्यों के लिए नैमित्तिक श्रमिकों को लगाने का अधिकार दिया गया है। जो पूर्णतः नैमित्तिक अथवा मौसमी या आवर्ती स्वरूप के हैं। वे नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने पर भी विचार कर सकते हैं यदि ऐसे श्रमिकों ने नैमित्तिक आधार पर दो वर्षों की सेवा की है जो प्रत्येक वर्ष पांच दिवसीय सप्ताह के कार्यालयों में 206 दिन और छः दिवसीय सप्ताह के कार्यालयों में 240 दिन होना चाहिए इसके अलावा, उन्हें संबंधित समूह "घ" पदों के भर्ती नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करना चाहिए। चूंकि समूह "घ" पदो के लिए नैमित्तिक कर्मचारियों का नियमितीकरण संबंधित समूह "घ" संवर्ग में रिक्ति की उपलब्धता पर निर्भर करता है, इसलिए इन नैमित्तिक कर्मकारों को नियमित करने के लिए कोई समय-सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।

(ख) से (घ) चूंकि विभिन्न प्रशासनिक प्राधिकारियों को नैमित्तिक कर्मचारियों को लगाने और नियमित करने का अधिकार प्राप्त है, अतः उनके द्वारा लगाए जाने वाले नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या केन्द्रीय रूप में उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, चूंकि ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों का नियमितीकरण संबंधित कार्यालयों में नियमित पदों की उपलब्धता और संबंधित समूह "घ" पदो के लिए अधिसूचित भर्ती नियमों की अपेक्षाओं को पूरा करने पर आधारित है, अतः ऐसे नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने के बारे में कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

गरीबी रेखा में गिरावट

504. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत कुछ वर्षों में गरीबी रेखा में गिरावट आई हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की तारीख में कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं और इनकी गत दस वर्षों में प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की तुलना में स्थिति किस प्रकार भिन्न हैं; और

(ग) किस आधार पर सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गरीबी रेखा में गिरावट आई है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) योजना आयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग पांच वर्ष के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। गरीबी के नवीनतम अनुमान वर्ष 1993.94 के लिए उपलब्ध हैं जो 50वें दौर के उपभोक्ता व्यय संबंधी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण डाटा पर आधारित है जुलाई 1999 से जून, 2000 तक की अवधि के दौरान कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी अगले व्यापक सर्वेक्षण से प्राप्त पूर्ण डाटा पर कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत का अनुमान अब तक और विगत प्रत्येक दस वर्ष की अवधि के लिए भी उलब्ध नहीं है। 1977-78 से उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी के तुलनात्मक अनुमान, राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत के अनुमान में एक नियमित गिरावट दिखाते हैं जिसे नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकता है।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत

1977-78	51.32%
1983	44.48%
1987-88	38.86%
1993	35.97%

[हिन्दी]

वर्णान्धता

505. श्री धर्म राज सिंह पटेल: क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्णान्धता से पीड़ित लोगों को किन पदों के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है;

(ख) क्या सरकार का विचार उन अभ्यार्थियों को बाहर करने का है जो लिखित और मौखिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् चिकित्सा परीक्षा में वर्णान्ध पाए जाते हैं और क्या ऐसे अभ्यार्थियों को विकलांग श्रेणी में सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में ऐसे मानदंड अपनाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वर्णान्धता विकलांगता की एक श्रेणी के रूप में शामिल नहीं है और इसलिए इस अधिनियम के अंतर्गत वर्णान्धता से पीड़ित व्यक्ति आरक्षण के लाभों का दावा करने के पात्र नहीं है। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अंतर्गत वर्णान्धता को विकलांगता की श्रेणी के रूप में मान्यता देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

"साइक्लोस्पोरिन" पर सीमा शुल्क हटाना

506. श्री कमल नाथ: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 40 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाए जाने के कारण सैकड़ों गुर्दा मरीज जीवन रक्षक औषधि "साइक्लोस्पोरिन" की अत्यधिक कीमत अदा करने में कठिनाई का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने जो सूचित किया है वह इस प्रकार है:

साइक्लोस्पोरिन पर अधिभार आदि सहित कुल कर 40,54 प्रतिशत बैठता है। 2000 के बजट से पहले साइक्लोस्पोरिन सीमा शुल्क से पूर्ण रूप से मुक्त थी। उसके बाद रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की आरंभिक सिफारिशों पर और देशी विनिर्माण क्षमता पैदा हो जाने के कारण साइक्लोस्पोरिन पर उपलब्ध छूट इस बजट में वापिस ले ली गई थी।

तथापि, 1.3.2000 के सीमा शुल्क लगाने के बाद मैसर्स सिप्ला द्वारा विनिर्मित 100 मि.ग्रा. खुराक को छोड़कर साइक्लोस्पोरिन औषध के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। वित्त मंत्रालय को साइक्लोस्पोरिन पर से सीमा शुल्क हटाने के रोगियों से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

यह मामला वित्त मंत्रालय जो सीमा शुल्क लगाने/उससे छूट देने के लिए नोड्ल मंत्रालय है, का ध्यान आकर्षित कर रहा है। प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को देखते हुए इस मामले की वित्त मंत्रालय द्वारा रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से परामर्श करने के बाद जांच की जा रही है। वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर लोक सभा में (अल्पावधि नोटिस प्रश्न संख्या 2, दिनांक 25.8.2000) और राज्य सभा में (अतारांकित प्रश्न संख्या 795 दिनांक 8.8.2000) पहले ही आश्वासन दिए हैं।

[हिन्दी]

गंगा जल का बंटवारा

507. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान गंगा जल में अपने हिस्से की मांग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वह यह मांग कब से कर रहा हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार राजस्थान में पड़े सूखे की स्थिति के मद्देनजर उसकी मांग पर विचार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राजस्थान को कब तक गंगा जल का हिस्सा दे दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) राजस्थान 1984 से राज्य के सूखा प्रवण क्षेत्रों में जल के उपयोग के लिए हरिद्वार के निकट 1133 घन मीटर प्रति सेकेन्ड (क्यूमेक) और बिजनौर के निकट 566 क्यूमेक की दर से मानसून के दौरान 100 दिनों के लिए गंगा के जल को मोड़ने (डायवर्ट) की मांग कर रहा है।

गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड ने इस प्रस्ताव का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है परन्तु यह समिति गंगा नदी की अधिशेष जल उपलब्धता कर किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा किए गए अध्ययन से यह पता चलता है कि इन दो स्थानों में राजस्थान को जल मोड़ने के लिए एक वर्ष में 20-30 दिनों से अधिक समय तक पर्याप्त जल नहीं रहता है। इसलिए यह प्रस्ताव अत्यधिक खर्चीला पाया गया था। गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की जून, 2000 में हुई चौदवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राजस्थान को गंगा जल को मोड़ने (डायवर्ट) संबंधी अध्ययन राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा किया जा सकता है।

(ङ) अन्य बातों के साथ-साथ जल हस्तांतरण संपर्क प्रस्ताव का क्रियान्वयन संबंधित राज्यों के बीच सर्वसम्मति होने के बाद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

भारत-रूस नाभिकीय करार

508. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने नाभिकीय प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए किसी करार पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या रूस कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र में नाभिकीय ईंधन की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो रूस द्वारा इस प्रयोजन समझौते में क्या निबन्धन व शर्तें निर्धारित की गई हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (घ) जी, हां, तमिलनाडु में कुडानकुलम नामक स्थान पर 2×1000 मेगावाट क्षमता के वीवीईआर (दाबित पानी रिएक्टर) की स्थापना के लिए भारत गणराज्य और भूतपूर्व सोवियत संघ (एफएसयू) के बीच 20 नवम्बर, 1988 को एक अंतर्सरकारी करार (आईजीए) पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद, इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए संशोधित शर्तों को शामिल करने के वास्ते, जिनके अनुसार परमाणु विद्युत संयंत्र का निर्माण तकनीकी तथा वित्तीय सहकार के आधार पर किया

जाएगा, भारत गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच 21 जून, 1998 को, एक ''अंतर्सरकारी करार का अनुपूरक'' पर हस्ताक्षर किए गए, इसके फलस्वरूप, प्रस्तावित परियोजना के लिए ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) और रूसी संगठन ''एटम स्ट्राय एक्सपोर्ट'' द्वारा 20 जुलाई, 1998 को एक अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किए गए, ''अंतर्सरकारी करार का अनुपूरक'' भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के बाद 18 सितम्बर, 1998 से लागू हो गया है। ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट संबंधी अनुबंध 4 अप्रैल, 2000 से प्रभावी हुआ है, इस समय, ब्यौरे वार परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। और इसके वर्ष 2001 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है, परियोजना के क्रियान्वयन के लिए ब्यौरेवार तकनीकी-वाणिज्यिक शर्तें और निबन्धन, ब्यौरेवार परियोजना रिपोर्ट को पूरा करने लेने के बाद निर्धारित की जाएंगी। 1988 के करार और उसके अनुपूरक के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, कुडानकुलम परमाणु विद्युत संयंत्र के पूरे जीवन काल के लिए रूस द्वारा नाभिकीय ईंधन सप्लाई किए जाने की व्यवस्था की गई है। भुक्तशेष ईंधन का भण्डारण और पुनर्संसाधन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। तथा पुनर्संसाधित सामग्रियों को, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के सुरक्षोपायों के अधीन भारत में ही रखा जाएगा। और उनका उपयोग किया जाएगा?

मंत्री महोदय के दौरे

509. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 माह में मंत्री महोदय के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल चीन गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान भारत और चीन के मध्य हुए समझौता ज्ञापन का विवरण क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, हां।

(ख) भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन रोजगार, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग से संबंधित है। मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा;

- श्रम एवं सामाजिक सुरक्षा विधान;
- रोजगार संवर्धन हेतु उपाय और नीतियां;
- श्रम संबंध;
- व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी नीतियां;
- सामाजिक सुरक्षा पद्धति; और
- आपसी हित के अन्य क्षेत्र।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग

510. श्री इन्द्रजीत गुप्त:
श्री पवनकुमार बंसल:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के बीच गरीबी के स्तर की गणना के संबंध में विवाद है; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण एवं शहरी अभिकरणों के अनुमानों के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) गरीबी की गणना के लिए विभिन्न दृष्टिकोण अनपाए गए हैं। परिणामस्वरूप अपनायी गई प्रणालियों में भिन्नता के कारण विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा लगाए गए गरीबी के अनुमान भिन्न हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों द्वारा किए गए गरीबी के कुछ अनुमान नीचे दिए गए हैं।

(1) विश्व बैंक: 1994 में ग्रामीण क्षेत्रों में 36.7%, शहरी क्षेत्रों में 30.5% और समग्र रूप से देश में 35% पूरे देश के लिए समग्र रूप से, 1997 में 34%। 1997 में, जनसंख्या का 44.2% भाग एक अमरीकी डालर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था और जनसंख्या का 86.2% भाग दो अमरीकी डालर प्रतिदिन की गरीबी रेखा से नीचे रह रहा था।

(2) राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली: 1994 में ग्रामीण क्षेत्रों में 39% ।

(3) भरतीय सांख्यिकीय संस्थान में आयोजित किए गए और तत्कालीन सांख्यिकीय विभाग, योजना मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक अध्ययन में वैकल्पिक गरीबी रेखाओं के अंतर्गत गरीबी अनुपातों का अनुमान लगाया गया। 1993-94 में गरीबी दरें ग्रामीण क्षेत्रों में 30.29%-42.70% के बीच और शहरी क्षेत्रों में 24.03%-33.84% के बीच और समग्र रूप से पूरे देश में 28.75%-40.26% के बीच थी।

(4) योजना आयोग द्वारा 1993-94 के लिए किए गए गरीबी दर के सरकारी अनुमान ग्रामीण क्षेत्रों में 37.27%, शहरी क्षेत्रों में 32.36% और समग्र रूप से पूरे देश के लिए 35.97% थे।

[हिन्दी]

वित्तीय सीमा में वृद्धि

511 श्री अजय सिंह चौटाला: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले 6 महीनों के दौरान लघु उद्योगों की वित्तीय सीमा और उनकी गतिविधि क्षेत्र में वृद्धी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान निर्यात बढ़ाने के लिए लघु उद्योगों को क्या सुविधाऐं दी गई;

(घ) लघु उद्योगों के विकास के लिये कौन-कौन से कार्यक्रम लागू किये गये हैं और आगामी भविष्य में कौन-कौन से कार्यक्रम लागू किये जाने वाले हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) टायर पर रबड़ चढ़ाने और काफी संसाधन के कार्यों को पिछले छः महीनों के दौरान लघु उद्योग गतिविधियों के रूप में मान्यता दी गई है। लघु उद्योगों हेतु निवेश की उच्चतम सीमा इस दौरान बढ़ाई नहीं गई हैं।

(ग) और (घ) मंत्रालय पहले ही वैयक्तिक इकाइयों द्वारा आई एस ओ-9000 प्रमाणन प्राप्त करने को प्रोत्साहित करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजी राजसहायता योजना राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनन्य रूप से लघु उद्योगों हेतु औद्योगिक संपदा स्थापित करना, क्रेडिट का सहज और सामयिक बहाव, कालेटरल रहित 25 लाख तक के ऋणों हेतु क्रेडिट गारन्टी निधि साथ ही साथ क्षेत्र विशिष्ट के प्रौद्योगिकी उन्नयन पहल जैसे कार्यक्रम कार्यान्वित करती है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री रोजगार योजना बेरोजगार युवाओं को उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में समर्थ बनाती है। अंतर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में उत्पाद प्रदर्शन द्वारा निशुल्क भागेदारी और भारतीय पैकेजिंग संस्थान द्वारा निर्यात हेतु पैकेजिंग पर कार्यक्रम जारी रखे गए हैं।

आतंकवाद पर भारत-रूस संयुक्त कार्य दल

512. डा. अशोक पटेल:
श्री रामपाल सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस ने मध्य एशिया में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एवं संयुक्त कार्यदल का गठन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दल को कब तक गठित कर लिए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति महामान्य श्री ब्लादिमिर पुतिन की 2 से 5 अक्टूबर, 2000 तक भारत की सरकारी यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि अफगानिस्तान से संबद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यदल स्थापित किया जाएगा।

(ग) अफगानिस्तान से सम्बद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यदल की प्रथम बैठक 20-21 नवम्बर, 2000 को नई दिल्ली में हुई।

[अनुवाद]

बेरोजगार लोग

513. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री बृजभूषण शरण सिंह:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अत्यधिक बेरोजगारी है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में बेरोजगारी की प्रतिशतता क्या है;

(ग) कितने राज्यों में सब से अधिक और सब से कम बेरोजगारी है और इन सभी राज्यों में गुजरात की स्थिति क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस स्थिति को एक राष्ट्रीय संकट के रूप में घोषित करने का हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है;

(च) किस वर्ष तक इस बेरोजगारी को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(छ) इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ज) इस प्रयोजनार्थ वार्षिक कितने प्रतिशत रोजगार के अतिरिक्त अवसर तलाश किये जाने की जरूरत है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा 1993-94 में किए गए सर्वेक्षण से रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी नवीनतम अनुमान उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी की घटनाएं 1.9% हैं। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) से (ज) नौवीं योजना के दौरान किए गए प्रक्षेपणों के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि सन् 2007 तक पूर्ण रोजगार तभी प्राप्त किया जा सकता है जब नौवीं योजना के लिए प्रक्षेपित 2.44% की रोजगार वृद्धि की तुलना में उसके बाद की अवधि (2002-2007) के लिए इस वृद्धि दर को बढ़ाकर 2.8% प्रतिवर्ष कर दिया जाए।

नौवीं योजना दृष्टिकोण में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी का उन्मूलन करने की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेद्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार स्वतः ही सृजित होगा।

विवरण

*वर्ष 1993-94 (यूपीएसएस) के दौरान बेरोजगारों की राज्यवार स्थिति**

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	बेरोजगार (लाख में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	0.92
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.17
3.	असम	5.59
4.	बिहार	2.18
5.	गोवा	9.45
6.	गुजरात	1.53
7.	हरियाणा	1.51
8.	हिमाचल प्रदेश	0.64
9.	जम्मू और कश्मीर	1.78
10	कर्नाटक	1.38
11.	केरल	7.76
12.	मध्य प्रदेश	1.25
13.	महाराष्ट्र	1.86
14.	मणिपुर	1.79
15.	मेघालय	0.38
16.	मिजोरम	0.89
17.	नागालैंड	2.68
18.	उड़ीसा	1.98
19.	पंजाब	1.86
20.	राजस्थान	0.47
21.	सिक्किम	0.88
22.	तमिलनाडु	2.40
23.	त्रिपुरा	3.11
24.	उत्तर प्रदेश	1.07
25.	प. बंगाल	3.22
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2.91
27.	चंडीगढ़	6.75
28.	दादरा एवं नागर हवेली	0.75
29.	दमन एवं दीव	1.35
30.	दिल्ली	2.54
31.	लक्षद्वीप	18.46
32.	पांडिचेरी	5.00
	अखिल भारतीय	1.90

*श्रम बल में बेरोजगार व्यक्तियों की प्रतिशतता।

सबसे अधिक पिछड़े राज्य की घोषणा

514. डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कांति सिंह:
मो. अनवारुल हक:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार राज्य के दो राज्यों में बंटवारे से उत्पन्न महत्वपूर्ण उस असंतुलन की ओर आकर्षित किया गया जिससे बिहार में 45 प्रतिशत राजस्व बचा रहेगा जबकि मात्र 25 प्रतिशत जनसंख्या वाले झारखंड को 55 प्रतिशत राजस्व प्राप्त होगा;

(ख) क्या योजना आयोग ने बिहार राज्य को उसमें हुए विकास के संकेतकों के रूप में अत्यधिक पिछड़ा राज्य घोषित करने के लिए आंतरिक मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार बिहार राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य घोषित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) बिहार सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पूर्व बिहार राज्य की 75% जनसंख्या नए बिहार राज्य की सीमाओं में ही रह गयी हैं। ऐसा अनुमान है कि पूर्व बिहार राज्य की 3818 करोड़ रुपये की अनुमानित कुल राजस्व प्राप्तियों में से 1970 करोड़ रुपये, जो कुल राशि का 51.5 प्रतिशत बनता है, नए बिहार राज्य का राजस्व अंश बनेंगे।

(ख) से (ङ) योजना आयोग में देश के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को पिछड़ा अथवा विकास सूचकांकों के आधार पर पिछड़ा घोषित करने के लिए प्रक्रिया नहीं चलाई जाती है हालांकि, राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) द्वारा राज्यों को निर्धारित मार्गनिर्देशों के आधार पर विशेष श्रेणी राज्य घोषित किया जाता है पूर्व बिहार राज्य की विधान सभा ने सुझाव दिया था कि झारखंड राज्य बन जाने के बाद शेष रह गए नए बिहार राज्य को विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। योजना आयोग द्वारा ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। तथापि, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के सीधे प्रभार में एक समर्पित एकक का गठन किया गया है इस एकक के लिए, अन्य बातों के अलावा, यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि बेहतर वित्तीय प्रबंधन एवं केन्द्र से प्राप्त निधियों के उचित अंतरण की सहायता से क्षेत्र का, विशेषकर मूल आधारिक संरचना क्षेत्रक के संबंध में, बहुपक्षीय विकास हो सके। हालांकि, नए बिहार राज्य के लिए विकास पैकेज की रूपरेखाओं को अग्रेषित करने वाला एक संदर्भ बिहार सरकार से प्राप्त हुआ है। जिसकी अभी जांच की जा रही है। राज्य के उन अधिकारियों, जिन्हें अब और विस्तृत परिचर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है, के साथ, पहले ही पटना में प्रारंभिक चर्चाएं की जा चुकी हैं।

मणिपुर में कल्याणकारी योजनाएं

515. श्री होलखोमांग हौकिप: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2000-2001 के दौरान मणिपुर में लागू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक इस उद्देश्य के लिए आबंटित धन का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) मणिपुर में कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं के नाम और उनके अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त धनराशि के अब तक के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।.

विवरण

मणिपुर में कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं के नाम और गत तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त निधियों के अब तक के ब्यौरे

अनुसूचित जाति का विकास (रुपये लाख में)

क्र.सं.	ब्यूरो/योजना	1998-99	1999-2000	2000-01
1	2	3	4	5
	अनुसूचित जाति का विकास			
1.	विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता (सीएसएस)	10.62	12.54	38.96

1 2	3	4	5
2. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (सीएसएस)	507.8	721.78	43.71
3. गैर सरकारी संगठनों को सहायता (सीएसएस)	30.29	33.33	29.81
अन्य पिछड़े वर्ग			
1. पीएचडी व उच्चतर स्तरों के लिए उच्चतर छात्रवृत्ति सहित मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (सीएसएस)	0.00	0.00	91.36
2. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (सीएसएस)	0.00	0.00	16.00
3. स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान (सीएस)	2.16	10.56	12.31
अल्पसंख्यक			
क. सतत् योजनाएं			
1. आर्थिक मानदंडों पर आधारित	17.63	23.74	13.91
2. कमजोर वर्गों के लिए परीक्षापूर्व कोचिंग (सीएस)	–	–	–
3. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम को अंश पूंजी (सीएस)	124.22	0.00	0.00
विकलांगता प्रभाग			
1. सहायक यंत्र और उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना (सीएस)	34.28	25.00	6.50
2. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा	29.54	57.01	28.84
3. विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम (सीएस)	0.00	12.50	0.00
समाज रक्षा			
1. मद्य निषेध और नशीली दवाओं दुरूपयोग के लिए शिक्षा कार्य (सीएस)	163.64	158.07	67.45
2. बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए योजना (सीएस)	3.53	8.06	0.00
3. वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (सीएस)	44.72	59.88	46.72
पशु कल्याण			
1. कष्ट में पड़े पशुओं के लिए एम्बुलैंस सेवा	3.95	9.82	0.00
2. पशुओं की देखरेख के लिए आश्रय गृह	4.95	7.46	6.52

बेरोजगारी

516. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ती हुई बेरोजगारी के बावजूद देश के रोजगार कार्यालयों में पंजीकरण की संख्या में तेजी से कमी आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिक्ति आधारित रोस्टर

517. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय के आर.के सभ्रवाल बनाम पंजाब राज्य तथा जे.सी. मलिक बनाम रेल मंत्रालय के मुकदमें में यह माना है कि रिक्ति आधारित रोस्टर उस समय तक प्रभावित रहेगा जब तक कि आरक्षित श्रेणियों से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को निर्धारित आरक्षण प्रतिशतता नहीं मिल जाती;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी निकायों/संबद्ध/अधीनस्थ संगठनों के अंतर्गत इसके नियंत्रणाधीन श्रेणी ''क'', ''ख'' ''ग'', ''घ'' की कौन-कौन सी नौकरियां थी जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व आरक्षण की विहित प्रतिशतता तक पहुंच गया है और जिसकी वजह से पद आधारित रोस्टर रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर लागू हो गए हैं; और

(ग) यदि सेवा की उन श्रेणियों में जहां प्रतिनिधित्व आरक्षण की विहित प्रतिशतता तक नहीं पहुंचा है रिक्ति आधारित रोस्टरों के स्थान पर पद आधारित रोस्टर लागू कर दिए जाने के क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

बहरहाल यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का विषय वस्तु है और उनके द्वारा दिनांक 2.7.1997 को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा की गयी भर्ती के लिए सभी पदों के वास्ते योजना आयोग द्वारा कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

मुल्लापेरियार बांध

518. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु एवं केरल के बीच केरल स्थित मुल्लापेरियार बांध के जल स्तर को बढ़ाए जाने के प्रश्न पर कोई विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मुद्दे पर किसी विशेषज्ञ समिति ने कोई अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बांध और इसके जल स्तर का नियंत्रण केरल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ग) मुल्ला पेरियार बांध संबंधी मामला इस समय भारत के माननीय उच्चतम न्यायलय में न्यायाधीन हैं। सरकार न्यायालय को सूचित किया है कि मुल्लापेरियार बांध के संबंध में दोनों राज्यों के बीच मतभेदों को दूर करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट दे दी है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इस समिति द्वारा अंतिम रूप से तैयार की गई कार्रवाई रिपोर्ट को उच्चतम न्यायालय में दायर कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बाढ़ नियंत्रण

519. डा. नीतिश सेनगुप्ता: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितम्बर, 2000 माह के दौरान पश्चिम बंगाल को महाविनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार और डी.वी.सी. द्वारा बाढ़ की भविष्यवाणी से उक्त महाविनाशकारी बाढ़ से बचाव किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) भविष्य में ऐसा महाविनाशकारी बाढ़ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 2000 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम, मुर्शिदाबाद नदियां और 24 परगना (उत्तर) जिलों में भीषण बाढ़ आई। ऐसा मात्रा और सघनता दोनों ही दृष्टिकोणों से अत्यधिक वर्षा होने के कारण हुआ तथा ऐसी वर्षा पहले कभी दर्ज नहीं की गई। 18 से 23 सितम्बर, 2000 के बीच अजोय बेसिन में कुल 1040 मि.मी., मयूराक्षी आवाह क्षेत्र में 1224 मि.मी. और दामोदर बेसिन में 522 मि.मि. वर्षा हुई। भागीरथी बेसिन में अत्यधिक बाढ़ आई क्योंकि भागीरथी बेसिन में उसकी सहायक नदियों से उसकी जलवहन क्षमता से कई गुना अधिक जल आ गया था। अत्यधिक जल भर जाने के कारण सभी नदियों के तटबंधों में दरारें पड़ गईं। इस तबाही का विवरण निम्नवत् है:-

(1)	कुल प्रभावित क्षेत्र	23971 वर्ग किमी.
(2)	प्रभावित फसल	19200 वर्ग किमी.
(3)	प्रभावित आबादी	218 लाख
(4)	मृतकों की संख्या	1320
(5)	लापता व्यक्तियों की संख्या	154
(6)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	21.94 लाख
(7)	प्रभावित ब्लाकों की संख्या	117
(8)	प्रभावित नगर पालिकाओं की संख्या	68

(ग) और (घ) बाढ़ पूर्वानुमान से बाढ़ों को आने से नहीं रोका जा सकता मगर इससे बाढ़ की नुकसान पहुंचाने की क्षमता कम करने में सहायता मिलती है। केन्द्रीय जल आयोग राज्य सरकारों और संबंधित अभिकरणों को समय-समय पर बाढ़ पूर्वानुमान और बाढ़ अंतर्वाह प्रणाली पूर्वानुमान जारी करता है तथा डी.वी.सी. प्रणाली और अन्य बैराजों पर स्थित कार्यालयों से बाढ़ संबंधी चेतावनियां नियमित रूप से जारी की जाती है। जिला प्रशासन, इन क्षेत्रों से होकर बहने वाले बाढ़ के जल से प्रभावित होने वाले संभावित विभिन्न ब्लाक कार्यालयों के लिए संचार की व्यापक व्यवस्था करता हैं।

(ङ) थोड़े समय में तीव्र वर्षा के कारण आई भीषण बाढ़, जैसा कि चालू वर्ष के दौरान हुआ, के विषय में भविष्यवाणी करना और उसे रोकना कठिन कार्य है। बाढ़ से प्रभावित होने वाले लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए राज्य सरकार ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में बाढ़ शरण स्थलों के निर्माण संबंधी एक कार्यक्रम शुरू किया है।

उच्च पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति/तैनाती

520. सरदार बूटा सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सांसदों ने 17-12-1996, 1-9-1997 और 23-7-1998 को प्रधान मंत्री को दिए गए अभ्यावेदनों में मांग की है कि भारत सरकार के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और उद्यमों के प्रबन्ध बोर्ड में सरकारी/गैर-सरकारी सदस्यों तथा मुख्य कार्यकारी, कार्यनिष्पादन निदेशकों और अंशकालिक अध्यक्ष जैसे पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की नियुक्ति/तैनाती की जाए;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में उक्त पदों पर कितने लोगों की नियुक्ति/तैनाती की गई;

(घ) उनमें से कितने लोग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के हैं और कुल उक्त पदों के मुकाबले उनकी प्रतिशतता कितनी हैं; और

(ङ) यदि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति के संसद सदस्यों की उपरोक्त मांगे संतोषजनक ढंग से पूरी नहीं की गई हैं तो उसके क्या कारण हैं;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

521. **श्री मानसिंह पटेल:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है;

(ख) क्या इन दोनों क्षेत्रों के बीच प्रति व्यक्ति आय के अन्तर में बढ़ोत्तरी हो रही है; और

(ग) सरकार द्वारा इस अन्तर को कम करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पाद (एनडीपी) के रूप में ग्रामीण-शहरी आय के अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित रोजगार एवं बेरोजगारी संबंधी पंचवर्षीय सर्वेक्षणों तथा जनसंख्या गणना से उपलब्ध कार्यबल अनुमानों के आधार पर, केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ) द्वारा संकलित किए जाते हैं, चूंकि ये अनुमान 5/10 वर्षों में केवल एक बार उपलब्ध होते हैं तथा राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एन.ए.एस.) की नई अंकमाला के लिए आधार तैयार करते हैं, प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पाद के ग्रामीण-शहरी अनुमान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एनएएस) में भी केवल आधार वर्ष के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। 1993-94 (50वां दौर) से संबंधित एन.एस.एस.ओ. से कार्यबल संबंधी अद्यतन उपलब्ध अनुमान तथा ग्रामीण-शहरी प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पाद के इन आकंड़ा अनुमानों का प्रयोग करते हुए वर्ष 1993-94 हेतु संकलित किया गया है।

ये वर्ष 1970-71, 1980-81 तथा 1993-94 के लिए इस प्रकार से हैं:-

प्रति व्यक्ति निवल देशीय उत्पाद

(प्रचलित मूल्यों पर रुपये प्रतिवर्ष)

		1970-71	1980-81	1993-94
1.	ग्रामीण	529	1245	5783
2.	शहरी	1294	2888	13525
3.	शहरी-ग्रामीण			
4.	अन्तर (2)/(1)	2.45	2.32	2.34

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचालित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में दर्शाई गई कमी वर्ष 1970-71 में 2.45 गुणा से कम होकर वर्ष 1980-81 में 2.32 गुणा रह गई है। तथापि, वर्ष 1993-94 के लिए अनुमानों के तदनुरूपी अनुपात में 2.34 तक की मामलू सी वृद्धि हुई है।

(ग) आय/उपभोग में शहरी-ग्रामीण अंतर कृषि तथा अन्य ग्रामीण क्रिया-कलापों पर संकेन्द्रीत कर कम करने का लक्ष्य रखा है। नौवीं योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य कृषि तथा ग्रामीण विकास को वरीयता देना है ताकि पर्याप्त मात्रा में उत्पादक रोजगार उपलब्ध हों तथा गरीबी उन्मूलन हो।

जिला उद्योग केन्द्र

522. **श्री कांतिलाल भूरिया:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय कम्प्यूटरीकरण योजना (जिला उद्योग केन्द्र की परियोजनाएं) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जिला उद्योग केन्द्र में कम्प्यूटरीकरण और ई-मेल सुविधा प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो कम्प्यूटरीकृत किए जाने वाले जिला उद्योग केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और इस सुविधा को कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग

में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जिला उद्योग केन्द्रों की योजना केन्द्रीय कम्प्यूटरीकरण परियोजना नाम से कोई केन्द्रीय योजना नहीं है। संभवतः केन्द्रीय योजना में ''लघु उद्योगों के आंकड़ों का एकत्रीकरण'' का जिक्र हैं। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खारगांव और राजगढ़ में स्थित 5 जिला उद्योग केन्द्रों का पहले ही कम्प्यूटरीकरण करके ई-मेल सुविधाएं उलब्ध करा दी गई हैं। यह सुविधा देश के उन सभी जिला उद्योग केन्द्रों को प्रदान की गई हैं जिनके पास लघु इकाइयों की वृहत सघनता है। नवीं पंचवर्षीय योजना में अन्य जिला उद्योग केन्द्रों को कम्प्यूटरीकृत करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

मेडिकल कालेजों/ अस्पतालों में एक समान शुल्क

523. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सरकारी मेडिकल कालेजों/अस्पतालों ने सभी मरीजों के लिए बिना आय वर्ग के भेदभाव के एक समान शुल्क लागू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को दिए गए निःशुल्क इलाज के घोर दुरुपयोग के कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी मेडिकल कालेजों और इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज में बहिरंग मरीज अपने आप को अजीब स्थिति में महसूस कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या उनके 180 रुपये प्रतिमाह से कम आय के दावे को ड्यूटी पर मौजूद डाक्टर अस्वीकार कर देते हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(च) यदि हां, तो माह-वार आय के ब्यौरे सहित उन रोगियों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है जिन्हें रियायती दरों पर इलाज के लिए भर्ती किया गया अथवा जिनको पूर्ववर्ती प्रणाली जिसकी 1 जून, 1957 के जी.आर. में परिभाषा दी गई, के अनुसार अस्पताल में निःशुल्क इलाज किया गया हैं; और

(छ) यदि हां, तो गरीबी रेखा से नीचे के मरीजों को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सिंचाई सुविधाएं

524. श्रीमती जस कौर मीणा: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य प्रभावी योजना आरम्भ करने पर विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर कितनी राशि व्यय की जाएगी?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजय चक्रवर्ती): (क) से (ग) केन्द्र के पास किसानों को सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दूसरी प्रभावी स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 760 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5 वर्षों में पूरी की जाने वाली लघु सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और प्रबंध के लिए जल संसाधन मंत्रालय का सहभागिता सिंचाई स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है यह लागत केन्द्र सरकार और संबंधित राज्यों द्वारा 75:25 के अनुपात में लाभग्राहियों/किसानों के निःशुल्क स्वैच्छिक श्रम और सामग्रियों के अंशदान के रूप में पूरा किया जाएगा। किसानों के श्रम/सामग्री की लागत परियोजना के लेखे से ली जायेगी और उसे ''टैंक अनुरक्षण निधि'' के नाम से अलग निधि में जमा किया जाएगा। इसे स्कीम के पूरा होने के बाद प्रचालन और अनुरक्षण प्रयोगों के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। यह योजना है कि नौवीं योजना की शेष अवधि के दौरान इस स्कीम के वास्ते 102 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके लिए केन्द्रीय घटक 77 करोड़ रु. का होगा। इसके अतिरिक्त, जल संसाधन मंत्रालय का नौवीं योजना के दौरान कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत नहीं शामिल की गई 140 परियोजनाओं के लिए प्रायोगिक आधार पर दूसरी सहभागिता सिंचाई प्रबंधन स्कीम शुरू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 37.575 करोड़ रुपये है। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा 19.90 करोड़ रुपये, संबंधित राज्यों द्वारा 17.325 करोड़ रुपये तथा शेष 0.350 करोड़ रुपये किसानों द्वारा दिए जाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सब के लिए टीकाकरण कार्यक्रम

525. **श्री टी.टी.वी. दिनाकरन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम का आरम्भ मूलत: किन रोगों के उन्मूलन के लिए किया गया था;

(ख) कार्यक्रम की प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने लक्षित रोगों का अभी उन्मूलन किया जाना शेष है;

(घ) सरकार द्वारा उनके उन्मूलन के लिए उठाए गए कदम क्या हैं; और

(ङ) सबके लिए टीकाकरण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस-बी टीका को शामिल न करने के क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985 में शुरू किया गया था और इस छह वैक्सीन निवार्य रोगों अर्थात डिफ्थीरिया, खसरा, शैशवकाल का क्षयरोग, काली खासी, नवजात को होने वाला टेटनस और पोलियों का नियंत्रण और उन्मूलन करने के उद्देश्य से 1989-1990 तक सभी जिलों को कवर करने के लिए चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया गया था।

(ख) 1998 और 1999 के बीच डिफ्थीरिया के मामलों में 74 प्रतिशत काली खांसी के मामलों में 75 प्रतिशत, नवजात टेटनस के मामलों में 64 प्रतिशत, पोलियों के मामलों में 80 प्रतिशत और खसरा के मामलों में 76 प्रतिशत कमी हुई है।

(ग) और (घ) 1995 से पोलियों का उन्मूलन करने के लिए अनुपूरक रोग प्रतिरक्षण कार्यकलाप शुरू किए गए हैं।

(ङ) हैपेटाइटिस बी को अभी तक इसकी अत्यधिक लागत होने के कारण और इसलिए के देश भर में समान रूप से नेमी रोग प्रतिरक्षण में सुधार करने से पूर्व व्यापक आधार पर दूसरा प्रमुख टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करना उपयुक्त नहीं समझा गया, व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम

526. **डा. संजय पासवान:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को मुख्य धारा में लाने और उन्हें स्व रोजगार प्रदान करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ''राष्ट्रीय वित्त और विकास आयोग'' जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास के लिए उत्तरदायी है, को केवल 100 करोड़ रुपये की बहुत कम राशि आबंटित की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) आयोग की अब तक की उपलब्धियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को अपनी बचनबद्धता की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा विशेष घटक योजना के अनुसरण में क्रियान्वित किये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति से संबंधित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या कितनी है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को मुख्यधारा में लाने तथा रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जाति के लिए विशेष संघटक योजना तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आदिवासी उपयोजना तैयार और कार्यान्वित की जा रही है। इस नीति के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की कुल आबादी में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अनुपात में योजना निधियां प्रदान की जानी है।

इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय क्रमश: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए कुछ विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रहे हैं। इन योजनाओं/कार्यक्रमों की एक सूची विवरण-1 के रूप में संलग्न हैं।

(ख) जी, नहीं, केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को अंश पूंजी के रूप में अब तक 411.00 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) दिनांक, 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की उपलब्धियों का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

(ङ) जी, हां, 13 मंत्रालयों ने अपनी विशेष संघटक योजना तैयार की है (अनुबंध-3 के रूप में सूची विवरण 3 के रूप में संलग्न है।

(च) 20-सूत्री कार्यक्रम के मद 11 क और ख के अंतर्गत, वर्ष 1999-2000 के दौरान गरीबी की रेखा पार करने के लिए निम्नलिखित लाभार्थियों की सहायता की गई है:-

अनुसूचित जाति	-	19,39,641
अनुसूचित जनजाति	-	9,98,000

विवरण-1

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चल रही योजनाओं/कार्यक्रमों की सूची

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

1. **शैक्षिक**

1. मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
2. अनुसूचित जाति के लड़कों के और लड़कियों के लिए होस्टल
3. पुस्तक बैंक
4. अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
5. कोचिंग और सम्बद्ध
6. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन
7. अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए विशेष शैक्षिक विकास कार्यक्रम

2. **आर्थिक**

2.1 अनुसूचित जाति विकास निगमों को सहायता की योजना

2.2 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम

2.3 राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

2.4 विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

2.5 सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की मुक्ति एवं पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना।

3. **सामान्य**

3.1 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण), अधिनियम का कार्यान्वयन

3.2 अनुसंधान और प्रशिक्षण

3.3. अनुसूचित जाति विकास के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान

3.4 डा. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

जनजातीय कार्य मंत्रालय

1. **शैक्षिक**

1. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल
2. अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल
3. आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूल
4. अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए कम साक्षरता वाले इलाकों में शैक्षिक परिसर
5. व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र
6. अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति
7. कोचिंग और सम्बद्ध योजना
8. पुस्तक बैंक
9. अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की योग्यता का उन्नयन

2. **आर्थिक**

2.1 आदिवासी उप योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता

2.2 अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान

2.3 आदिवासी विकास सहकारी एवं विपणन परिसंघ (ट्राइफेड) में निवेश

2.4 आदिवासी विकास सहकारी एवं विपणन परिसंघ (ट्राइफेड) को मूल्य समर्थन

2.5. राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान

2.6 ग्राम अन्य बैंक योजना

2.7 आदिम जनजाति समूहों का विकास

2.8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आदिवासी विकास वित्त निगमों को सहायता।

3. सामान्य

3.1 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

3.2 अनुसंधान और प्रशिक्षण

3.3 पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान

विवरण-2

एन.एस./डी.डी.सी.एन.एस.एफ.डी.सी.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम, 8 बालाजी एस्टेट, कालकाजी, नई दिल्ली-110019

दिनांक 31.10.2000 की स्थिति के अनुसार राज्यवार संचयी स्वीकृति और संवितरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	योजना की सं.	परियोजना लागत	एन.एस.एफ. डी.सी. शेयर	लाभार्थियों की सं.	संवितरित कुल निधियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	131	18485.60	11520.99	96828	10185.38
2.	अरुणाचल प्रदेश	48	137.98	100.90	52	102.18
3.	असम	76	2524.16	2047.94	2416	1877.66
4.	बिहार	55	5885.19	4391.35	8065	3096.64
5.	चंड़ीगढ़	25	625.63	446.11	400	429.67
6.	दादर और नगर हवेली	14	235.25	194.50	97	165.90
7.	दिल्ली	50	2029.82	1183.60	1463	952.88
8.	गोवा	22	254.80	194.77	105	160.48
9.	गुजरात	103	9080.65	6079.72	10616	6046.36
10.	हरियाणा	30	2665.34	1851.04	1366	1490.57
11.	हिमाचल प्रदेश	81	2351.14	1544.52	927	1552.56
12.	जम्मू और कश्मीर	21	1202.52	855.09	625	750.17
13.	कर्नाटक	207	9301.14	5426.78	21432	5104.03
14.	केरल	112	4263.91	2872.60	5565	2402.68
15.	लक्ष्यद्वीप	18	105.17	84.30	23	80.56
16.	मध्य प्रदेश	126	16690.61	11181.81	20545	10258.89
17.	महाराष्ट्र	170	9987.23	6559.81	9297	5887.22

1	2	3	4	5	6	7
18.	मणिपुर	64	1044.84	726.30	917	576.18
19.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0.00
20.	मिजोरम	120	1314.08	965.04	1917	875.22
21.	नागालैंड	146	1306.35	913.41	1082	913.11
22.	उड़ीसा	77	4171.76	3618.73	2335	2407.01
23.	पांडिचेरी	48	473.29	354.52	275	327.45
24.	पंजाब	24	2970.48	1925.85	1680	2138.78
25.	राजस्थान	55	2873.67	2188.17	2925	1211.03
26.	सिक्किम	33	655.60	551.42	549	474.64
27.	तमिलनाडु	97	6087.67	3337.83	7449	3831.63
28.	त्रिपुरा	64	1845.47	1492.68	1720	1259.81
29.	उत्तर प्रदेश	47	10230.35	6455.94	34822	4546.89
30.	प. बंगाल	114	5973.55	4457.23	12944	2870.95
	कुल योग	2178	124778.25	83522.95	248437	71976.53

विवरण-3

1. कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग
2. उद्योग मंत्रालय, लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग विभाग
3. श्रम मंत्रालय
4. कोयला मंत्रालय (7 सार्वजनिक उपक्रमों का सामुदायिक विकास और कल्याण कार्यक्रम)
5. वाणिज्य मंत्रालय (रबर बोर्ड, मसाला बोर्ड तथा तम्बाकू बोर्ड)
6. कपड़ा मंत्रालय (हथकरघा और हस्तशिल्प)
7. गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत् मंत्रालय (परिष्कृत चूल्हा के रूप में राष्ट्रीय कार्यक्रम)
8. मानव संसादन विकास मंत्रालय, महिला और बाल विकास विभाग
9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय (1) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित कार्यक्रम (2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (विज्ञान और सोसाइटी प्रभाग)
10. इस्पात मंत्रालय (7 सार्वजनिक उपक्रमों से संबंधित विशेष संघटक योजना)
11. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग
12. ग्रामीण क्षेत्र मंत्रालय
13. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

[अनुवाद]

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

527. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में एम.पी.एल.ए.डी.एस. दिशा निर्देशों में परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा एम.पी.एल.ए.डी.एस. के राज्य-वार प्रभावी क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा निर्देशों को अंतिम बार मई, 2000 में संशोधित किया गया था। ये संशोधन निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(1) प्रत्येक किस्त की राशि को 50 लाख रु. से बढ़ाकर एक करोड़ रु. करना।

(2) नामित सदस्यों को देश में कहीं भी कार्यान्वयन हेतु कार्यों के चयन की अनुमति।

(3) प्रति कार्य 10 लाख रु. की सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये किया गया।

(4) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सांसदों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अधिकतम 10 लाख रु. तक के कार्यों की अनुशंसा की अनुमति। ऐसे संशोधनों का ब्यौरा देश के सभी सांसदों तथा सभी जिलाध्यक्षों को पृष्ठांकित कर दिया गया है।

(ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जिलाध्यक्षों से मासिक व्यय रिपोर्ट प्राप्त की जाती है। राज्य मंत्री (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) तथा सां.स्था.क्षे.वि.यो. की लोक सभा एवं राज्य सभा की समितियों द्वारा भी समीक्षा बैठकें बुलाई जाती हैं।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य कार्यक्रम (राजस्थान)

528. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लगे स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में प्रत्येक संगठन को केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों हेतु नौकरियों का सृजन करना

529. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनजाति के लाभार्थियों के लिए कितनी नौकरियों का सृजन किया गया,

(ख) अगले वित्तीय वर्ष में कितनी नौकरियों का सृजन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित श्रेणियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में पानी की कमी

530. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों ने निकट भविष्य में उड़ीसा में पानी की भारी कमी का संकेत दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई सर्वेक्षण करवाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (घ) सिंचाई आयोग, 1972 अथवा कृषि संबंधी राष्ट्रीय आयोग द्वारा अथवा कुछ संबंधित राज्य सरकारों के

सुझावों पर सूखा प्रवण के रूप में अभिज्ञात किए गए देश के 99 जिलों के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने वर्ष 1975-82 के दौरान विस्तृत सूखा अध्ययन प्रारंभ किया था। इन 99 सूखा प्रवण जिलों में से दो सूखा प्रवण जिले अर्थात फुलबानी और कालाहांडी उड़ीसा में हैं।

(ङ) कृषि मंत्रालय द्वारा एक आकस्मिक सूखा योजना तैयार की गई है और इसे आवश्यक उपाय करने के लिए उड़ीसा सहित सभी संबंधित राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। इस स्थिति की नियमित समीक्षा की जा रही है। वर्तमान वर्ष (2000-2001) के दौरान आपदा राहत निधि की केन्द्रीय स्कीम में से 41.05 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है।

सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर

531. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के निर्यात और आयात में लगी राज्यवार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व में कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देशों में एक है;

(ग) यदि हां, तो मूल्य की दृष्टि से तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार के पास भारत के सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों की संभावनाओं के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों में भारत से सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ भेजने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के निर्यात का विवरण भेजने वाली कम्पनियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के आयात के क्षेत्र में संलग्न कंपनियों की सूचना उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) और (ग) नैसकॉम मैकिन्से रिपोर्ट के अनुसार भारतीय कंपनियों ने संसार के 1-2% सॉफ्टवेयर बाजार पर अपना अधिकार कर लिया है। किंतु भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग अर्थव्यवस्था का सबसे अधिक तेजी से विकास करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है जिसका सीएजीआर पिछले पांच वर्षों में 50% से अधिक रहा और वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्यात लगभग 4 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा है। सरकार ने भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग के लिए वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो विश्व सॉफ्टवेयर बाजार का लगभग 5-6% होगा।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। किंतु सॉफ्टवेयर कंपनियाँ अपने विशेषज्ञों को विभिन्न देशों में बाजार की संभावनाओं का अध्ययन करने के लिए भेजती हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	इकाइयों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	361
2.	दिल्ली	102
3.	गोवा	1
4.	गुजरात	189
5.	हरियाणा	16
6.	कर्नाटक	186
7.	केरल	53
8.	मध्य प्रदेश	5
9.	महाराष्ट्र	280
10.	उड़ीसा	18
11.	पांडिचेरी	2
12.	पंजाब	47
13.	राजस्थान	2
14.	तमिलनाडु	255
15.	उत्तर प्रदेश	95
16.	पश्चिम बंगाल	49
		1661

[हिन्दी]

पोलियों का उन्मूलन

532. श्री जयभान सिंह पवैया: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश से पोलियों का उन्मूलन करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार निधियों के आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) नेमी प्रतिरक्षण के अलावा, पोलियों उन्मूलन के लिए अनुपूरक टीकाकरण का कार्यान्वयन 1995 से किया जा रहा है। 1998-99 तक, शीत, ऋतु के दौरान दो राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियों के दौर किए जाते थे। 1999-2000 से, पोलियों की घटना के जानपदिक रोग विज्ञानों पैटर्न पर आधारित तक विशिष्ट कार्यनीति अपनायी गयी है। 1999-2000 के दौरान तीव्रीकृत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के चार राष्ट्र व्यापी दौर आयोजित किए गए थे जिनमें निर्धारित केन्द्रों के जरिए वैक्सीन देना तथा वैक्सीन न दिए गए बच्चों की घर-घर खोज करना तथा उन्हें वैक्सीन देना, दोनों शामिल हैं। असम, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के 8 उच्च जोखिम वाले राज्यों में उप राष्ट्रीय तीव्रीकृत पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के दो दौर भी किए गए थे। 2000-2001 की कार्यनीति में उच्च जोखिम वाले राज्यों में 2 उप राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस तथा सभी राज्यों में 2 राष्ट्रव्यापी दौर आयोजित करना शामिल हैं।

(ग) और (घ) 2000-2001 के दौरान रिलीज की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001 के दौरान रिलीज की गई निधियां (लाख रुपये में)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	457.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.31
3.	असम	393.18
4.	बिहार	2206.53
5.	गोवा	5.99
6.	गुजरात	590.06
7.	हरियाणा	352.79
8.	हिमाचल प्रदेश	66.07
9.	जम्मू व कश्मीर	96.06
10	कर्नाटक	372.20
11.	केरल	130.25
12.	मध्य प्रदेश	1334.82
13.	महाराष्ट्र	516.61
14.	मणिपुर	9.52
15.	मेघालय	13.45
16.	मिजोरम	3.59
17.	नागालैंड	7.59
18.	उड़ीसा	145.73
19.	पंजाब	312.18
20.	राजस्थान	939.58
21.	सिक्किम	2.45
22.	तमिलनाडु	329.70
23.	त्रिपुरा	12.80
24.	उत्तर प्रदेश	3535.13
25.	प. बंगाल	1104.74
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	2.09
27.	चंडीगढ़	5.15
28.	दादरा एवं नगर हवेली	1.56
29.	दमन एवं दीवी	0.98
30.	लक्षद्वीप	0.60
31.	दिल्ली	257.38
32.	पांडिचेरी	4.91
	कुल	13217.09

[अनुवाद]

भारतीय दूत को वापस बुलाना

533. **श्री के.ई. कृष्णमूर्ति:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रिया में भारत के दूत को अक्तूबर, 2000 में नई दिल्ली लौटने के लिए कहा गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विदेश मंत्रालय को आस्ट्रिया में भारत के भूतपूर्व राजदूत के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं की कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। परिणामस्वरूप संगत नियमों के तहत आरंभिक छानबीन की गयी। तदनुसार अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने उन्हें मुख्यालय में वापस बुलाने का निर्णय लिया। इस संबंध में अब विभागीय कार्रवाई चल रही है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम

534. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निधि के स्थापनार्थ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और अन्य संगठनों का क्या योगदान रहा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) 22 जुलाई, 2000 को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की बैठक को सम्बोधित करते हुए प्रधान मंत्री ने घोषणा की कि जनसंख्या स्थिरीकरण में मदद करने के लिए तैयार की गई परियोजनाओं की विशेष रूप से सहायता करने और इस राष्ट्रीय कार्य को आगे बढ़ाने में व्यक्तियों, उद्योगों, व्यापार संगठनों आदि से स्वैच्छिक अंशदान प्राप्त करने के लिए एक खिड़की (विन्डो) की व्यवस्था करने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरीकरण निधि की स्थापना की जाएगी।

राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग इस निधि की स्थापना करने हेतु आवश्यक उपाय कर रहा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में लघु उद्योग इकाइयां

535. **डा. बलिराम:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में अब तक कितने लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग स्थापित किये गये हैं;

(ख) इस पर कितना धन व्यय किया गया ;

(ग) अगले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों के विभिन्न भागों में ऐसे कितने नए उद्योग स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इन उद्योगों को कितनी सहायता धनराशि प्रदान की जाएगी और इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने इंगित किया है कि विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों में स्थापित पंजीकृत लघु उद्योगों, कृषि और ग्रामीण उद्योगों की संख्या निम्नोक्त है:-

जिला/वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
आजमगढ़	220	220	183
मऊ	300	312	300

(ख) लघु उद्योग और कृषि और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना उद्यमियों द्वारा अपने ही स्रोतों से या संस्थागत स्रोतों सहित विभिन्न अभिकरणों से उधार लेकर की जाती है। ऊपर उल्लिखित इकाईयों के संबंध में पूंजी निवेश निम्न प्रकार से हैं:-

(रु. लाखों में)

जिला/वर्ष	1997-98	1998-99	1999-2000
आजमगढ़	140.82	106.88	131.66
मऊ	247.57	143.02	242.78

(ग) चालू वर्ष और आगामी वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और मऊ जिलों के विभिन्न भागों में सम्भवतः स्थापित किए जाने वाले ऐसे नए उद्योगों की संख्या निम्नोक्त है:-

जिला/वर्ष	2000-2001	2001-2002
आजमगढ़	200	200
मऊ	300	300

क्योंकि दसवीं योजना अवधि के लिए योजना प्रस्ताव नहीं बनाए गए हैं; वर्ष 2002-2003 के संबंध में कोई आकलन नहीं किया जा सकता है।

(घ) ऊपर (ग) में उल्लिखित इकाईयों में होने वाले आंकलित पूंजी निवेश और संभावित हितलाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

जिला/वर्ष	2000-2001		2001-2002	
	पूंजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार	पूंजी निवेश (लाख रु. में)	रोजगार
आजमगढ़	130.00	500	130.00	500
मऊ	230.00	650	230.00	650

[अनुवाद]

औद्योगिक इकाइयों का बन्द होना

536. श्री मणि शंकर अय्यर: क्या **श्रम मंत्री** 2 अगस्त, 2000 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवश्यक जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त जानकारी कब तक एकत्र कर ली जाएगी?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) अपेक्षित सूचना सभी राज्य सरकारों से एकत्रित की जानी है। निम्नलिखित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सामग्री प्राप्त हो गई है:-

मध्य प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, दादर व नगर हवेली, गोवा, पांडिचेरी, अण्डमान व निकोबार, लक्षद्वीप, मिजोरम और चंडीगढ़।

शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, से सामग्री अभी प्राप्त होनी है। दिनांक 2.8.2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1531 के उत्तर में दिए गए आश्वासन को पूरा करने के लिए ससंदीय कार्य मंत्रालय से 2.2.2001 तक आज्ञा प्राप्त कर ली गई है।

[हिन्दी]

चिकित्सा उपकरण

537. श्री राम टहल चौधरी:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी चिकित्सालयों में पिछले कई महीनों से चिकित्सा उपकरण खराब पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया रही और तत्संबंधी चिकित्सालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन उपकरणों को काम में लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल में उपकरणों की कुल संख्या तथा उनमें खराब पड़े चिकित्सीय उपकरणों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल

1. उपकरणों की कुल संख्या : 637
2. खराब पड़े उपकरण : 3

(1) 4 चैनल ई.एम.जी. मशीन

(2) सिमट्रैक प्रैशर इंजेक्टर

(3) डब्ल्यू. बी.सी.टी. स्कैनर

सफरजंग अस्पताल

1. उपकरणों की कुल संख्या : 361
2. खराब पड़े उपकरण : 4

(1) 1000 एम.ए. एक्सरे मशीन

(2) अरगोन लेजर

(3) सिस्मैक्स के -1000

(4) वैक्यूम स्टीम स्टेरोलाइजर

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल:

1.	उपकरणों की कुल संख्या	:	191
2.	खराब पड़े उपकरण	:	3
	(1) वेरियोर्थ		
	(2) टिमपैनिक डिस्प्लेसमेंट		
	(3) बेरा सैंटिनल		4

चूंकि ''स्वास्थ्य'' राज्य का विषय है, इसलिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब पड़े उपकरणों के बारे में सूचना नहीं रखता है।

(ग) इन उपकरणों को चालू करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

1. कल पूर्जों की खरीद, जहां कहीं अपेक्षित हो, के लिए उपयुक्त उपाय किए गए हैं।
2. फर्मों से सम्पर्क किया गया है कि वे उन उपकरणों की मरम्मत करें जो अनुरक्षण के अधीन कवर हैं।
3. प्रत्येक अस्पताल के खराब पड़े उपकरणों की समीक्षा हर महीने की जाती है।

(घ) इस तथ्य को देखते हुए कि इन उपकरणों को चालू करने के लिए समय से उपाय किए गये, केन्द्रीय सरकार के अस्पताल के किसी भी अधिकारी के विरुद्ध लापरवाही बरतने का कोई भी मामला प्रमाणित नहीं हुआ है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास/छात्रवृत्ति

538. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी:
श्री सुबोध मोहिते:
श्री राजो सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए स्थापित किये गए छात्रवासों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान लाभान्वित छात्रों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों और सफाई कर्मचारियों के बच्चों के समग्र शैक्षिक विकास और मैट्रिक पश्चात् और मैट्रिक पूर्व उनको दिये जाने वाली छात्रवृत्ति और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए बनाए गए छात्रावासों के निर्माण के प्रभाव का मूल्यांकन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन योजनाओं पर नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान प्रदान किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या प्रदान की गयी धनराशि का पूरी तरह से उपयोग कर लिया गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में लड़कों और लड़कियों के स्वीकृत छात्रावासों और उसमें संवासियों की क्षमता का वर्ष 1997-98 से राज्य वार अलग-अलग ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन समय-समय पर करती है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति और छात्रावासों की योजना 1998-99 में शुरू की गई थी और इस चरण पर इन योजनाओं के प्रभाव का मूल्यांकन करना उपयुक्त नहीं होगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए चलाई गई संगत योजनाओं के प्रभाव के संबंध में, निष्पादन आंकड़ों से यह पता चलता है कि समग्र रूप से उनकी कवरेज में पर्याप्त वृद्धि हुई है। 1997-98 से उनकी कवरेज का ब्यौरा विवरण-2 में दिया गया है।

(ङ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के

बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवास, अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर और मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थात 2000-2001 तक निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-3 में दिया गया है।

(च) और (छ) किसी एक विशिष्ट वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता वर्ष के लिए प्रत्याशित व्यय के आधार पर प्रदान की जाती है। आगामी वर्ष में दर्शाया जाने वाला वास्तविक व्यय सामान्यतया प्रत्याशित व्यय से भिन्न होता है। अतः सामान्यतया किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान निधियों के आवंटन और उसके उपयोग में भिन्नता होती है। यद्यपि कुल मिलाकर निधियों का पूर्ण उपयोग किया जाता है।

विवरण-1

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रावासों की निर्माण की योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों और लाभार्थियों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000	
		छात्रावास	लाभार्थी	छात्रावास	लाभार्थी	छात्रावास	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	20	84	शून्य	शून्य	10	50
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	11	375	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	1	50	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	2	88	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	कर्नाटक	शून्य	शून्य	35	1725	34	1785
11.	केरल	शून्य	शून्य	7	210	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	77	3700
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	2	60	शून्य	शून्य	2	64

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	पंजाब	2	शून्य	1	56	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	27	700	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	12	650
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1	30	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	प. बंगाल	शून्य	शून्य	2	90	शून्य	शून्य
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	27	282	84	3186	135	6249

अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों और लाभार्थियों का ब्यौरा

		1997-98		1998-99		1999-2000	
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	होस्टल	लाभार्थी	होस्टल	लाभार्थी	होस्टल	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	24	10940	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	असम	20	84	शून्य	शून्य	14	70
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	कर्नाटक	8	527	15	787	16	1030
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	53	2650
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	128
19.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	9	225	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	26	1300	18	900	शून्य	शून्य
23.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1	100	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25.	प. बंगाल	शून्य	शून्य	1	50	शून्य	शून्य
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	दमन एवं दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दादरा एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	78	12851	44	2062	87	3848

अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल की योजना के अन्तर्गत कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01	
		होस्टल	सीट	होस्टल	सीट	होस्टल	सीट	होस्टल	सीट
1.	आंध्र प्रदेश	4	416	2	50	10	500	0	
2.	असम	30	150	1	50	शून्य	शून्य	0	
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	7	230	7	350	0	
4.	हिमाचल प्रदेश	1	50	शून्य	शून्य	2	100	0	
5.	दमन व दीव	1	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
6.	दादर नगर हवेली	शून्य	शून्य	2	220	शून्य	शून्य	0	
7.	केरल	शून्य	शून्य	3	180	2	100	0	
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	34	1700	शून्य	शून्य	0	
9.	मणिपुर	1	15	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
10.	मेघालय	5	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
11.	उड़ीसा	11	330	3	66	2	100	0	
12.	राजस्थान	46	शून्य	6	200	शून्य	शून्य	0	
13.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6	300	0	
14.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	1	50	शून्य	शून्य	0	
15.	उत्तर प्रदेश	1	शून्य	1	50	शून्य	शून्य	0	
16.	प. बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
17.	जम्मू और कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
18.	कर्नाटक	2	100	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	
19.	महाराष्ट्र	4	340	2	165	शून्य	शून्य	0	
20.	बिहार	शून्य	शून्य	3	150	शून्य	शून्य	0	
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	100
	कुल	106	1661	83	3111	29	1450	1	100

अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल की योजना के अन्तर्गत कवरेज

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01	
		होस्टल	सीट	होस्टल	सीट	होस्टल	सीट	होस्टल	सीट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3	312	4	200	8	400	शून्य	
2.	असम	29	145	1	50	शून्य	शून्य	शून्य	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	गुजरात	शून्य	शून्य	7	405	2	100	शून्य	
4.	हिमाचल प्रदेश	1	50	1	200	2	120	शून्य	
5.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
6.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	शून्य	1	100	शून्य	शून्य	शून्य	
7.	केरल	शून्य	शून्य	3	180	3	150	शून्य	
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	9	450	शून्य	शून्य	शून्य	
9.	मणिपुर	1	30	1	35	1	50	शून्य	
10.	मेघालय	5	200	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
11.	उड़ीसा	8	240	3	66	शून्य	शून्य	शून्य	
12.	राजस्थान	46	1150	13	450	53	2650	शून्य	
13.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	150	शून्य	
14.	त्रिपुरा	1	50	1	50	5	250	शून्य	
15.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	2	100	शून्य	शून्य	शून्य	
16.	प. बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
17.	जम्मू कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	
18.	कर्नाटक	4	200	3	150	शून्य	शून्य	शून्य	
19.	महाराष्ट्र	5	300	10	775	शून्य	शून्य	शून्य	
20.	बिहार	शून्य	शून्य	3	150	शून्य	शून्य	शून्य	
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	100
	कुल	103	2677	62	3361	77	3870	1	100

विवरण-2

1997-98 से लाभग्राहियों के कवरेज में वृद्धि दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वास्तविक कवरेज			
	अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (लाख रुपयों में)	अस्वच्छ व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (लाख रुपयों में)	अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास	अनुसूचित जनजातियों के लिए छात्रावास
1997-98	17.78	3.17	13133	4338
1998-99	18.77	3.57	5240	6472
1999-2000	22.69 (अनुमानित)	4.38 (अनुमानित)	10097	5320

विवरण-3

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

(लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001 20.11.2000 की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3197.288	2639.458	3724.605	3099.562
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	130	शून्य
3.	असम	शून्य	285.98652	2334.249	233.75
4.	बिहार	शून्य	797.152	1675.372	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	50.254	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	57.57	शून्य	126.35
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	19.832	18	21.23
9.	जम्मू कश्मीर	14.9	44.85	12	शून्य
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	1335.18	शून्य
11.	केरल	शून्य	शून्य	739.865	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	193.849	382.469
13.	महाराष्ट्र	967.78	471.24	शून्य	727.78
14.	मणिपुर	शून्य	507.8	721.78	43.71
15.	मेघालय	शून्य	749.058	608.526	4.166
16.	मिजोरम	शून्य	521.008	334.75	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	1084.26	673.11	शून्य
18.	उड़ीसा	47.16	57.35	665.4	शून्य
19.	पंजाब	शून्य	551.2841	शून्य	शून्य
20.	राजस्थान	84.7	450.53	526.59	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	0.3729	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	396.78	958.86	516.86	1950.462
23.	त्रिपुरा	शून्य	113.48448	190.01	141.2

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	705.392	621.65	1261.847	1383.22
25.	पं. बंगाल	शून्य	शून्य	411.0066	शून्य
26.	अंडमान निकोबार	शून्य	1.0613	0.5476	शून्य
27.	दमन एवं दीव	शून्य	1.15164	1.27	शून्य
28.	दादर और नगर हवेली	शून्य	1.83	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	गुवाहाटी परियोजना	3	शून्य	शून्य	शून्य
31.	पांडिचेरी	शून्य	13.95706	15	30
	कुल	5417	10000	16089.82	8143.899

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रुपए लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 20.11.2000 तक की स्थिति के अनुसार
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2.61442	30.38969	74.07773	शून्य
2.	बिहार	शून्य	2.75	33.25	शून्य
3.	गोवा	शून्य	0.358	शून्य	0.33675
4.	गुजरात	83.77803	100.600	306.3333	शून्य
5.	हरियाणा	शून्य	62.83581	13.44	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	0.04	शून्य	शून्य
7.	जम्मू और कश्मीर	1.2145	0.69	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	27.3395	9.47	शून्य	शून्य
9.	केरल	शून्य	0.7	7.0035	शून्य
10.	म. प्रदेश	9.73225	90.22125	86.04775	शून्य
11.	महाराष्ट्र	21.2515	90.9805	174.6635	160.96125

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	7.72784	शून्य
13.	पंजाब	शून्य	शून्य	4.83093	शून्य
14.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	107.5145
15.	सिक्किम	शून्य	0.07375	0.60175	शून्य
16.	तमिलनाडु	27.926	34.4335	63.26125	170.2545
17.	त्रिपुरा	1.6863	2.9082	2.0225	2.44625
18.	उ. प्रदेश	24.4575	8.55	शून्य	शून्य
19.	दिल्ली	शून्य	5	शून्य	शून्य
20.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	15	शून्य
	कुल	200,00000	440,00000	788.26	441.51325

अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल निर्माण की केन्द्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (16.11.2000 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	122.40	शून्य
2.	असम	5.50	शून्य	5.00	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	66.091	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	4.00	शून्य	शून्य	शून्य
6.	जम्मू और कश्मीर	19.51	शून्य	शून्य	शून्य
7.	कर्नाटक	शून्य	36.18	483.82	170.00
8.	केरल	शून्य	50.00	शून्य	शून्य
9.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	म. प्रदेश	666.75	574.53	254.19	765.00
11.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
12.	उड़ीसा	30.00	शून्य	7.84	शून्य
13.	पंजाब	30.00	20.00	शून्य	शून्य
14.	राजस्थान	129.66	243.20	शून्य	शून्य
15.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	211.75	शून्य
16.	त्रिपुरा	20.00	10.00	10.00	शून्य
17.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	20.00	45.00
20.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	905.42	1000.00	1115.00	980.00

अनुसूचित जातियों कि लड़कियों के छात्रावास के निर्माण की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता के ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (16.11.2000 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44.90	266.00	398.10	शून्य
2.	असम	9.00	शून्य	3.50	शून्य
3.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
5.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	25.00	शून्य	शून्य
7.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	कर्नाटक	24.36	194.51	35.44	35.44
9.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	मध्य प्रदेश	182.74	शून्य	277.99	437.51

1	2	3	4	5	6
12.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	उड़ीसा	शून्य	शून्य	24.973	शून्य
14.	पंजाब	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	राजस्थान	शून्य	84.15	शून्य	शून्य
16.	तमिलनाडु	339.00	114.00	शून्य	258.34
17.	त्रिपुरा	शून्य	10.00	10.00	शून्य
18.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
20.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	पांडिचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	600.00	693.66	750.00	731.29

अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कियों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त धनराशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-200	2000-01 (20.11.2000 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	60.2	236.44	178.88	शून्य
2.	असम	16	50	शून्य	शून्य
3.	गुजरात	शून्य	4.02	6.25	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	15	37.845	79.9	शून्य
5.	दमन एवं दीव	20	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	60	शून्य	शून्य
7.	केरल	शून्य	22.05	14.7	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	100	शून्य	शून्य
9.	मणिपुर	3	शून्य	शून्य	शून्य
10.	मेघालय	13.75	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उड़ीसा	45	17.5	13.15	शून्य

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	150.165	70.77	शून्य	शून्य
13.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	100	शून्य
14.	त्रिपुरा	17.25	51.64	शून्य	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	11.165	11	शून्य	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	कर्नाटक	14.995	शून्य	शून्य	शून्य
19.	महाराष्ट्र	10	शून्य	शून्य	शून्य
20.	बिहार	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	32.5
	कुल	376.525	769.335	392.88	32.5

अनुसूचित जनजातियों के लिए लड़कों के छात्रावासों की योजना के अंतर्गत निर्मुक्त राशि

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01 (20.11.2000 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45.45	49	87.3	शून्य
2.	असम	16	50	शून्य	शून्य
3.	गुजरात	शून्य	2.29	3	शून्य
4.	हिमाचल प्रदेश	15	108.3	87.22	शून्य
5.	दमन व दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	दादर एवं नगर हवेली	शून्य	60	शून्य	शून्य
7.	केरल	शून्य	22.05	22.05	शून्य
8.	मध्य प्रदेश	शून्य	100	शून्य	शून्य
9.	मणिपुर	13	13	26	शून्य
10.	मेघालय	13.75	शून्य	शून्य	शून्य
11.	उड़ीसा	35	17.31	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6
12.	राजस्थान	159.6	192.1	319.21	शून्य
13.	तमिलनाडु	शून्य	शून्य	50	शून्य
14.	त्रिपुरा	15.25	35.86	103.65	शून्य
15.	उत्तर प्रदेश	शून्य	9	शून्य	शून्य
16.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	जम्मू एवं कश्मीर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	कर्नाटक	27.5	29.44	शून्य	शून्य
19.	महाराष्ट्र	12.5	66.24	शून्य	शून्य
20.	बिहार	शून्य	75	शून्य	शून्य
21.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	32.5
	कुल	353.05	829.59	698.43	32.5

(दिनांक 31.10.2000 को)

1. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति (रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-01	
		निर्मुक्ति निधि	वास्तविक उपलब्धि	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि
1.	बिहार	84.60	10,566	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आं. प्र.	शून्य	शून्य	325.00	70,000	शून्य	शून्य
3.	म.प्र.	64.00	8,957	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	40	शून्य	100.00	46,920	95.785	55,068
5.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	16.00	6,150
	कुल	150.00	19,523	425.00	1,16,920	111.785	61,218

2. भारत में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-01	
		निर्मुक्ति निधि	वास्तविक उपलब्धि	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	196.50	14,410	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आंध्र प्रदेश	116.00	3,259	324.26	26,151	शून्य	शून्य

1	2		3	4		5	6
3.	म.प्र.	149.00	10,426	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	त्रिपुरा	3.00	शून्य	55.00	4,570	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	118.00	11,073	शून्य	शून्य
6.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	25.00	500
7.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	91.36	5,530
	कुल	464.50	28,095	497.26	41,794	116.36	6,030

3. अन्य पिछड़े वर्गों के लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावास (रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-01	
		निर्मुक्ति निधि	वास्तविक उपलब्धि*	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि*	निर्मुक्त निधि	वास्तविक उपलब्धि*
1.	बिहार	120.53	3 (300)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	आं.प्र.	शून्य	शून्य	144.26	19(1900)	शून्य	शून्य
3.	म. प्रदेश	10.00	1 (50)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	राजस्थान	शून्य	शून्य	57.48	7(175)	शून्य	शून्य
5.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	78.26	17(985)	शून्य	शून्य
6.	सिक्किम	शून्य	शून्य	20.00	1(50)	शून्य	शून्य
	कुल	130.53	4 (350)	300.00	44(3110)	शून्य	शून्य

*छात्रावासों की संख्या (छात्रों की संख्या)

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के राजदूत

539. प्रो. दुखा भगत: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने देशों में भारतीय उच्चायुक्त और राजदूत नियुक्त किये गये हैं;

(ख) उनमें से कितने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हैं; और

(ग) राजदूतों और उच्चायुक्तों के चयन के लिए क्या मानदण्ड तय किये गये हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जिन देशों में सरकार द्वारा राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति की गयी है उनकी संख्या 114 है।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के राजदूतों/उच्चायुक्तों की संख्या निम्नलिखित है:-

अनु.जा.	-	10
अनु. ज. जा	-	7

अ.पि.व. - चूंकि वर्तमान राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति के समय अन्य पिछड़े वर्ग का कोई वर्गीकरण नहीं था अतः इस श्रेणी की कुल संख्या रेकार्ड में नहीं दी गयी है।

(ग) विदेशों में राजदूतों/उच्चायुक्तों की नियुक्ति का निर्णय अनेक मानदण्डों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वरीयता, जीवन-वृत्त उपयुक्त अनुभव तथा कार्य और पद के लिए उसकी समग्र उपयुक्तता शामिल है।

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत-इंगलैंड समझौता

540. **श्री जी. पुट्टास्वामी गोड़ा:**
श्री आर. एस. पाटिल:

क्या **सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंग्लैंड यूरोप का सबसे बड़ा ई-कामर्स बाजार है और भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश करने वाला एकमात्र सबसे बड़ा निवेशक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इंग्लैंड ने अपने देश के सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश हेतु भारतीय उद्योगों को आमंत्रित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) ग्रेट ब्रिटेन के उद्योग एवं व्यापार मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, ग्रेट ब्रिटेन के व्यवसाय का 27% कारोबार ऑन लाइन होता है। इससे ग्रेट ब्रिटेन का स्थान जर्मनी और स्वीडन से आगे हो जाता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ग्रेट ब्रिटेन एकमात्र सबसे बड़ा निवेशकर्त्ता नहीं हैं।

(ग) और (घ) ग्रेट ब्रिटेन के ई-वाणिज्य मंत्री, सुश्री पैट्रिसिया हेविट बंगलौर में हाल ही में आयोजित सूचना प्रौद्योगिकी मेला ''बंगलौरआईटी डॉट कॉम'' में एक प्रमुख वक्ता थीं। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शाखा कार्यालय, सहायक कंपनियां खोलकर और ग्रेट ब्रिटेन की कंपनियों के साथ गठजोड़ करके ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में कारोबार करने के लिए ग्रेट ब्रिटेन में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।

रीढ़ की हड्डी की चोट हेतु चिकित्सा केन्द्र

541. **श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में रीढ़ की हड्डी की चोट हेतु चिकित्सा केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो ये चिकित्सा केन्द्र किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या उड़ीसा में कटक में उक्त केन्द्र स्थापित किए जाने का कोई प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जिससे यह मामला संबंधित है, रीढ़ की चोटों और अन्य विकलांग अशक्तताओं वाले व्यक्तियों के लिए चार क्षेत्रीय पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना चला रहा है। चार केन्द्र मध्यप्रदेश (जबलपुर), पंजाब (मोहालो), उत्तर प्रदेश (बरेली) और उड़ीसा (कटक) में खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

542. **श्री पदमसेन चौधरी:**
श्री पुष्प जैन:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार कितने स्वैच्छिक संगठनों को धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गैर-सरकारी संगठनों द्वारा सरकारी निधियों का दुरूपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान किन-किन स्वैच्छिक संगठनों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई है;

(घ) इन संगठनों द्वारा कुल कितनी धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन संगठनों के लिए धनराशि के अतिरिक्त आवंटन को सीमित करने का है;

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इन गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की गई निधियों के दुरुपयोग को रोकने के उपाय किया जा रहा है;

(छ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों द्वारा ली जा रही निधियों के उचित उपयोग के संबंध में कोई नीति तैयार करने का भी है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पिछले दो वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान सहायतानुदान निर्मुक्त किए गए हैं; विवरण-1 से 3 में राज्यवार दर्शाई गई है।

(ख) जी, हां। मंत्रालय को इस बात की सूचना है कि कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने जिन्हें हाल के वर्षों में वित्तपोषित किया गया है, उन्होंने निर्मुक्त की गई धनराशि का दुरूपयोग किया है।

(ग) हाल ही के वर्षों में तथा अक्तूबर, 2000 तक 42 संगठनों को काली सूची में रखा गया है और 15 मामलों में जिला कलेक्टरों को दुरूपयोग की गई धनराशि वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू करने के निदेश दिए गए हैं।

(घ) वर्ष 1998-99 से 132 संगठनों को निर्मुक्त 8.02 करोड़ रु. की राशि के बारे में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) से (छ) इस मंत्रालय की ओर से गैर-सरकारी संगठनों को सहायतानुदान की निर्मुक्ति तथा उनके द्वारा इसके उपयोग को विनियमित करने के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं। सतत् प्रकार के मामलों में किसी गैर-सरकारी संगठन को सहायतानुदान की आगे की किस्त पिछले अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद निर्मुक्त की जाती है। इस प्रकार, यदि किसी गैर सरकारी संगठन से किसी राशि के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्र लम्बित है तो उस संगठन को आगे निर्मुक्तियां नहीं की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सहायता प्राप्त गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन और उसे मानीटर इस मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा किया जाता है, राज्य सरकारों तथा पदनामित जांच एजेंसियों के प्रतिनिधि गैर-सरकारी संगठनों की आवधिक रूप से जांच करते हैं। यदि यह निर्धारित किया जाता है कि निधियों का दुरूपयोग हुआ है अथवा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं निर्मुक्त की गई निधियों के अनुरूप नहीं है, तो इन गैर-सरकारी संगठनों से सहायता अनुदान वसूल किए जाएंगे।

(ज) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

वर्ष 1998-99 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले योजनावार तथा राज्यवार गैर सरकारी संगठन

योजना का नाम	आं.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.	ज.क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	ना.	उड़ीसा	पं.	राज.	सि.	त.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	अ.नि.	च.	दा.ह.	द.दी.	दि.	ल.	पां.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	2	5	15	1	14	12	1	2	57	56	6	51	6	3	1	0	14	9	6	0	63	3	70	41	0	2	0	0	27	0	1	542
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	0	1	8	1	5	13	1	1	3	6	12	11	5	0	0	0	11	12	3	0	8	1	19	9	0	1	0	0	8	0	0	152
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरूपयोग निवारण	0	3	8	1	7	13	0	2	9	19	5	26	16	2	7	6	23	9	7	0	19	2	44	15	0	2	0	0	7	0	2	263
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4	1	0	0	0	0	0	0	21
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	0	1	2	0	10	0	0	1	1	2	2	8	1	0	0	0	2	1	2	0	9	0	8	24	0	1	0	0	10	0	0	95
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	0	3	1	0	1	10	1	0	8	2	2	9	26	0	0	0	37	7	1	0	30	2	36	42	0	0	0	0	6	0	0	323
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों	0	4	0	0	0	3	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	1	3	1	0	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/ स्वैच्छिक संगठनों/ स्व सहायता समूहों को सहायता																																
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0	5	6	0	1	6	0	3	28	2	17	12	6	0	0	0	32	1	13		6	2	72	17	0	0	0	0	17	0	0	300
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	2	0	0	0	1	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	32
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	0	2	6	0	1	0	0	0	3	4	7	2	10	0		0	0	0	3	0	1	0	12	0	0	0	0	0	3	0	0	65
कुल	2	27	46	3	39	57	3	9	109	97	58	132	72	5	8	6	122	42	36	1	137	10	281	154	1	6	0	0	79	0	3	1821

विवरण-2

वर्ष 1999-2000 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले योजना-वार तथा राज्य-वार गैर-सरकारी संगठन

योजना का नाम		अ.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.	ज.कश.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	ना.	उड़ीसा	पं.	राज.	सि.	तमि.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	अ.नि.	च.	द.दी.	द.न.	दि.	ल.	पां.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	86	2	3	11	2	17	10	1	2	58	49	8	26	7	4	1	0	21	10	6	0	34	1	67	43	0	2	0	0	31	0	0	502
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	8	0	1	8	1	5	3	1	0	3	2	10	13	7	0	0	0	9	6	3	0	14	1	39	8	0	0	0	0	8	0	0	146
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	15	0	7	10	3	7	13	0	2	14	21	10	48	20	2	8	8	31	12	8	1	28	2	52	18	0	2	0	0	8	0	2	352
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	12	3	1	0	0	0	0	0	0	22
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	18	0	2	1	0	14	0	0	1	4	2	1	18	1	0	1	0	1	2	4	0	12	1	9	26	0	1	0	0	9	0	0	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	131	0	7	2	0	4	17	2	4	22	4	7	18	34	0	0	0	53	13	2	0	48	3	59	40	0	1	0	0	6	0	0	486
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	5	0	2	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	1	0	1	0	2	1	0	1	0	0	1	0	0	23
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	59	0	6	6	0	8	5	0	0	36	2	23	19	12	0	0	0	41	1	16	0	8	0	91	16	0	0	0	0	27	0	0	376
9 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	17	0	4	0	0	1	8	0	0	2	0	2	14	9	0	0	0	5	0	0	0	1	0	26	5	0	0	0	0	11	0	0	105
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	9	0	3	4	0	0	0	0	1	3	3	3	2	10	0	0	0	1	0	3	0	0	0	13	0	0	0	0	0	2	0	0	0'57
कुल	353	2	35	40	6	56	59	6	10	142	83	64	159	101	6	10	8	163	46	43	1	146	8	370	169	1	7	0	0	103	0	2	2201

विवरण-3

वर्ष 2000-1 के दौरान सहायता प्राप्त करने वाले योजनावार तथा राज्यवार गैर सरकारी संगठन

योजना का नाम		अ.प्र	असम	बि.	गो.	गु	ह.	हि.	ज.क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	ना.	उड़ीसा	पं	राज.	सि.	तमि.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	अ.नि.	चं.	दा.ह.	द.दी.	दि.	ल.	पां	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	64	1	5	5	2	15	10		1	36	35	3	12	3	2	1	1		8	7		23	1	51	35								321
2. सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	11			4		5	3	3			2	6	4	3				4	2	2		9	1	17	4					8			88
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	7		15	26	3	7	13	1	2	15	21	10	53	20	2	9	8	31	12	8	1	28	2	52	18		2			8		2	376
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	2																							6	3	1							12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	30				1					2	2	2	11					2	1	4		7		3	14		1			5			58
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	20		6			2	8	1	2	15	3	5	5	20				17	8			15		33	23				4				237
7 वृद्ध व्यक्तियो के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	1		2								3																						6
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	54	8	4			13	7		2	39	2	11	10	15				61		18		10	1	56	9				29				349
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	3		4			1	2					5	3	10				4			3	2		5	1					1			44
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग																																	
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	5		1	4		1				1		4	4	8				2		1				7			•			2			40
कुल	220	1	41	43	6	44	43	5	7	108	68	46	102	79	4	10	9	121	31	40	4	94	5	230	107	1	3	0	0	57	0	2	1531

[अनुवाद]

श्रमिकों के लिए आवास सुविधा

543. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि 1998 को गुजरात में आए भुकंप में जो श्रमिक अपने मकान गवां बैठे थे, उन्हें कच्छ में मकान दिए जाने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितने मकान बनाने का प्रस्ताव था;

(ग) क्या यह सच है कि इन मकानों के निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक स्तर के काफी धीमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार ने निर्माण कार्य की गति को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

विवाहों का पंजीकरण

544. **श्री रामपाल सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जन्मदर कम से कम करने हेतु विवाह पंजीकरण को अनिवार्य बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई विधेयक लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में उल्लिखित 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले सामाजिक जनसंख्यिकीय लक्ष्यों में विवाहों के 100 प्रतिशत पंजीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सतलज-यमुना सम्पर्क नहर

545. **श्री रामचन्द्र बैंदा:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बहने वाली नदियों का ब्यौरा क्या है जिनका जल बहकर पाकिस्तान में जाता है जिसे रोका जा सकता है और उसका उपयोग भारत में किया जा सकता है;

(ख) ऐसे जल के अभाव के कारण इन राज्यों में शेष असिंचित क्षेत्र कितना है;

(ग) सतलज-यमुना सम्पर्क नहर परियोजना को 2000-2001 के दौरान पूरा करने के लिए संघ सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं/किए जाने का विचार है;

(घ) परियोजना के पूरा न होने के कारण हरियाणा में शेष असिंचित भूमि कितनी है और इसके परिणामस्वरूप राज्य को हुई अनुमानित वित्तीय हानि कितनी है; और

(ङ) परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत से सिन्धु, रावी, चिनाब, झेलम तथा सतलुज (व्यास से मिलने के बाद) नदियां पाकिस्तान में बहती हैं। दोनों देशों के बीच सिन्धु जल सन्धि, 1960 में निर्धारित किए गए अनुसार पूर्वी नदियों अर्थात् रावी, व्यास और सतलज का सम्पूर्ण जल घरेलू और गैर खपतकारी उपयोगों को छोड़कर, भारत में निर्बाध उपयोग और पाकिस्तान में सीमित कृषि उपयोग के वास्ते उलब्ध है। भारत पश्चिम नदियों अर्थात् सिन्धु, झेलम, चिनाब का सारा जल बहने देगा लेकिन वह उसके घरेलू उपयोग, गैर खपत उपयोग, सीमित कृषि उपयोग तथा नदी-प्रवाही जल विद्युत गृह से जल विद्युत शक्ति का सृजन कर सकता है। भारत को विभिन्न उपयोगों के लिए पश्चिमी नदियों पर 3.6 मिलियन एकड़ फुट जल के भंडारण की भी अनुमति दी गई है। भारत को रणबीर और प्रताप नहरों से निर्धारित निकासी की भी अनुमति दी गई है।

(ख) थीन बांध (रंजीत सागर) को शुरू करने तथा शाहपुर कांडी बराज को पूरा करने से भारत, पूर्वी नदियों के जल की औसत मात्रा का पूर्ण रूप से उपयोग कर पायेगा। इस सन्धि के अंतर्गत संबंधित राज्यों में लम्बित पूर्ण सिंचाई का विकास होने से इस सन्धि के अनुसार 13,43,477 एकड़ की स्वीकृत सीमा की तुलना में वर्ष 1998-99 के दौरान पश्चिमी नदियों के बेसिन में संभावित सिंचित फसल क्षेत्र 8,11,225 एकड़ था।

(ग) से (ङ) सतलज-यमुना नहर का पूरा होना उच्चतम न्यायालय में हरियाणा द्वारा दायर किए गए बाद के तहत न्यायाधीन है। राज्य के अनुसार, 3 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र की पहले से सृजित की गई सिंचाई क्षमता का उपयोग नहीं हो पाया है।

बिहार में कृषि आधारित उद्योग

546. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:** क्या **लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार में कृषि आधारित उद्योग बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य में कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं। और उसका क्या परिणाम निकला?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मार्जिन मनी स्कीम, जिसे कृषि आधारित उद्योगों समेत ग्रामोद्योगों के विकास हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लागू किया गया है, बिहार, राज्य में भी लागू की जा रही है। इस योजना के अधीन व्यक्तिगत उद्यमियों तथा गैर-सरकारी संगठनों को कृषि आधारित उद्योगों की जीवनक्षम परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर पिछले दो वर्षों के लिए बिहार राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का निष्पादन निम्न प्रकार है:-

वर्ष	उत्पादन (लाख रु. में)	रोजगार
1997-98	9531.73	67,505
1998-99	9415.14	68,427

विशेष रोजागर योजना

547. **श्री उत्तमराव पाटील:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में निरंतर बढ़ रही जनसंख्या को नियंत्रित करने तथा बेरोजगार लोगों को अपने आवास क्षेत्र में ही रोजगार प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी योजना कब तक तैयार किये जाने की संभावना है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) (1) महानगरों में बढ़ती हुई जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए कोई विशेष स्कीम नहीं है;

(2) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) जो 1.12.97 से कार्यान्वित की जा रही है, के अंतर्गत प्रशिक्षण के रूप में सहायता, टूलकिटों की आपूर्ति और बैंक ऋण सहित वित्तीय सहायता, स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए बेरोजगार और अल्परोजगार प्राप्त गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे शहरी गरीबों को दी जाती है। ये उद्यम स्वयं अपने आवासों पर भी स्थापित किए जा सकते हैं। अभी तक कार्यक्रम के अंतर्गत 2,38,135 लाभार्थियों को सहायता दी गयी है और 1,79,693 लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(ख) स्कीम के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए यह लागू नहीं है।

विवरण

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई)

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) पूर्व के शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों अर्थात् नेहरू रोजगार योजना (एनआरवाई), गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाओं और प्रधान मंत्री का एकीकृति शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (पीएमआईयूपीईपी) को मिलाकर 1.12.97 से शुरू की गई थी। यह स्कीम स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देने के माध्यम से अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प रोजगार प्राप्त लोगों को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयत्न करती है। यह कार्यक्रम यूबीएसपी पैटर्न पर उपयुक्त सामुदायिक संरचनाओं के सृजन पर भरोसा करती है और इनपुटों की डिलवरी शहरी स्थानीय निकायों और इस प्रकार की सामुदायिक संरचनाओं के माध्यम से की जा सकती है। एसजीएसआरवाई केन्द्र और राज्यों के बीच 75:25 आधार पर वित्त पोषित की जाती है।

एसजेएसआरवाई में निम्नलिखित दो विशिष्ट स्कीमें है:-

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

(ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

(क) शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यू.एस.ई.पी.)

इस कार्यक्रम के तीन सुनिश्चित भाग हैं;

(1) लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए वैयक्तिक शहरी गरीब लाभभोगियों को सहायता।

(2) लाभप्रद स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए शहरी गरीब महिलाओं के वर्गों को सहायता

यह उपस्कीम "शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास की स्कीम (डीडब्ल्यूसीयूए) नाम से जानी जाती है"

(3) व्यावसायिक और उद्यमशीलता से संबंधित कौशल के उन्नयन और अर्जन के लिए लाभभोगियों, संभावित लाभभोगियों और शहरी रोजगार कार्यक्रम से सम्बद्ध अन्य व्यक्तियों का प्रशिक्षण

(ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी):-

यह कार्यक्रम सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार के भीतर गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभभोगियों से नीचे जीवन-यापन कर रहे लाभभोगियों को उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है।

यह कार्यक्रम 1991 की जनगणना के अनुसार 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकायों पर लागू है।

वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत क्रमशः राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 98.63 करोड़ रुपये और 158.47 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। वर्ष 1999-2000 के लिए 118.77 करोड़ रुपये की राशि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2000-2001 के लिए भी 163.70 करोड़ रुपये की राशि अंतरिम रूप से आबंटित की गई है। जिसमें से 26.81 करोड़ रुपए की राशि राज्यों को जारी करने हेतु मंजूर की गई है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) की वित्तीय और वास्तविक प्रगति

वित्तीय प्रगति (करोड़ रुपये)

	वर्षों के दौरान जारी निधियां		आबंटन	
	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-01
शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)	62.41	82.62	50.23	83.96
शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)	30.19	48.75	51.57	54.54
सामुदायिक संरचना	06.03	27.10	16.97	25.20
कुल	98.63	158.47	118.77	163.70

वास्तविक प्रगति

विभिन्न घटकों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 31.10.2000 तक यथा-अनुमोदित वास्तविक संचयी प्रगति निम्नानुसार है:-

शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)

सृजित कार्य के श्रम दिवस 232.51 लाख

सामुदायिक संरचनाओं के लिए सहायता

शामिल किए गए लाभभोगी 273.89 लाख

प्रशिक्षित व्यक्ति 2377.63

शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी)

सहायता प्राप्त लाभभोगी 238155

प्रशिक्षित व्यक्ति 179693

शहरी क्षेत्रों में महिला और विकास क्षेत्र (डी डब्ल्यू सीयूए)

बनाए गए डी डब्ल्यू सी यू ए वर्ग 8734

डी डब्ल्यू सी यू वर्गों के महिला लाभभोगी 11413

थ्रिफ्ट और क्रेडिट समितियां (टी एंड सी एस)

बनाई गई टी एंड सी एस 36842

[अनुवाद]

विलंब से दी गई धनराशि

548. श्री दिनशा पटेल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एमपीएलएडीएसके अंतर्गत योजनाओं को लागू नहीं किए जाने अथवा धीमे क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एम पी एल ए डी एस के अंतर्गत योजनाओं के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा नए दिशा-निर्देश जारी करने का है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ सांसदों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस संबंध में जनवरी, 2000 से अक्टूबर, 2000 की अवधि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

(ग) सरकार ने योजना के अंतर्गत प्रगति की गति तीव्र करने के लिए कुछ निर्णय लिए हैं। जैसे-सांसदों द्वारा उनकी वार्षिक पात्रता के अनुसार अनुशंसित कार्यों पर प्रक्रिया करने तथा स्वीकृति देने हेतु जिला कलेक्टरों को सुझाव, कार्यकारी अभिकरणों द्वारा कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य को एक निश्चित समय-अवधि में पूरा करने के लिए, कार्य आदेश में एक समय सीमा निश्चित करना तथा सर्व संबंधित द्वारा प्रबोधन प्रावधनों का ईमानदारी से अनुसरण के लिए, सांसदों द्वारा अनुशंसित कार्यों पर प्रक्रिया करने तथा उन्हें 45 दिनों के अंदर प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु सभी जिला कलेक्टरों को सुझाव देना। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों की समीक्षा के लिए राज्य मंत्री (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) द्वारा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। पहले ऐसी समीक्षा बैठकें बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आयोजित की गई थीं।

(घ) दिशा-निर्देशों की लगातार समीक्षा की जाती है। तथा इन्हें आवश्यकतानुसार लोकसभा और राज्य सभा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समितियों के परामर्श से संशोधित किया जाता है।

विवरण

(1 जनवरी 2000 से 31 अक्तूबर 2000 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	केस की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	18
2.	अरुणाचल प्रदेश	-
3.	असम	3
4.	बिहार	23
5.	गोवा	3
6.	गुजरात	12
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	2
9.	जम्मू और कश्मीर	4
10	कर्नाटक	10
11.	केरल	7
12.	मध्य प्रदेश	16
13.	महाराष्ट्र	26
14.	मणिपुर	-
15.	मेघालय	-
16.	मिजोरम	-
17.	नागालैंड	-
18.	उड़ीसा	9
19.	पंजाब	13
20.	राजस्थान	31
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	8

1	2	3
23.	त्रिपुरा	-
24.	उत्तर प्रदेश	86
25.	प. बंगाल	9
26.	अं. एवं नि. द्वीप समूह	-
27.	चंडीगढ़	-
28.	दादर एवं नागर हवेली	-
29.	दमन एवं दीव	-
30.	दिल्ली	3
31.	लक्षद्वीप	-
32.	पांडिचेरी	-
	कुल	289

आई.सी.एम.आर. संस्थानों और केन्द्रों में प्रवेश

549. **श्री अशोक प्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित डा. अम्बेडकर जन्म शताब्दी समारोह समिति ने वर्ष 1993 में यह सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के विद्यार्थियों को सभी शैक्षणिक/अकादमिक संस्थाओं में उनके लिए आरक्षित सभी स्थानों पर प्रवेश दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाई की गई;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में आई.सी.एम.आर. के सभी संस्थानों और केन्द्रों में (1) स्नातक पूर्व (2) स्नातक और (3) स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में विभिन्न संकायों में कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिये गये;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संकायों में उपयुक्त पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के कितने विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया और कुल स्थानों की तुलना में उनका प्रतिशत कितना था; और

(ङ) यदि उपयुक्त सिफारिश का संतोषजनक तरीके से क्रियान्वयन नहीं हुआ तो उसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) अनुदेशों के अनुसार केन्द्र सरकार के अधीन सभी मेडिकल कालेजों में स्नातकपूर्व/स्नातकोतर चिकित्सीय पाठ्यक्रमों के लिए कुल सीटों की 15 प्रतिशत और 7.5 प्रतिशत सीटें क्रमशः अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है और इन अनुदेशों का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवाओं का शोषण

550. **श्री हरिभाई चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि निजी सुरक्षा एजेन्सियां बेरोजगार युवकों का शोषण करती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश सुरक्षा एजेंसियां सरकार द्वारा निश्चित किए गए न्यूनतम मूल वेतन से भी कम वेतन देती है; और

(ग) यदि हां, तो इन सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा किए जा रहे शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि सुरक्षा सेवाओं में लगे कामगारों का शोषण न हो, सुरक्षा सेवाओं को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत नियोजन की अनुसूची में जोड़े जाने का निर्णय लिया गया है। अनुसूची में प्रस्तावित रोजगार को जोड़े जाने के बारे में आपत्तियां और सुरक्षा आमंत्रित करते हुए सभी संबंधितों को सूचित करके एक प्रारम्भिक अधिसूचना 04 अक्तूबर, 2000 को जारी कर दी गयी है।

[अनुवाद]

रूसी कीमती वस्तुओं की वापसी

551. **डा. मन्दा जगन्नाथ:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने प्रसिद्ध रूसी चित्रकार स्वेतोस्लु रोदिक जिन्होंने भारत को अपना घर बना लिया था, द्वारा छोड़ी गई सभी कीमती वस्तुओं को लौटाने हेतु भारत से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) रूसी परिसंघ की सरकार की ओर से स्वतोस्लु रोदिक की अस्थियों को सेंट पीटर्सबर्ग में पुन: दफनाने के लिए वापस करने संबंधी एक अनुरोध प्राप्त हुआ है। सरकार इस अनुरोध पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

बीमारी की मुख्य जड़ गरीबी

552. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बीमारी की मुख्य जड़ गरीबी है;

(ख) गरीबी के कारण मौतों को रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने क्या कदम उठाने का सुझाव दिया है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) जी, नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने केवल यह बताया है कि निर्धनता अस्वस्थता के निर्धारकों में से एक है। क्योंकि निर्धन लोगों के पास भोजन और समय पर स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं जो उत्तम स्वास्थ्य के स्तर को हासिल करने के लिए आवश्यक है प्राप्त करने के लिए प्रर्याप्त क्रय क्षमता नहीं है।

राम मनोहर लोहिया और सफदरगंज अस्पतालों को बजटीय सहायता

553. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली के सफदरजंग और डा. राम मनोहर लोहिया अस्पतालों को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तुलना में कम बजटीय सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण सहित तत्संबंधी विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डा. राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल की बजटीय सहायता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल सिर्फ अस्पताल हैं, जबकि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एक शिक्षण संस्थान है जहां अतिविशिष्ट शिक्षण सुविधाओं के साथ-साथ स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के स्टाफ की संख्या 6000 से अधिक है, जबकि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (गैर-शिक्षण अस्पताल) की स्टाफ संख्या लगभग 2900 है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के पलंगों की संख्या 1596 है जबकि डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल की संख्या 937 है। 1531 पलंगों की संख्या वाला सफदरजंग अस्पताल भी एक गैर-शिक्षण अस्पताल है। इस अस्पताल के स्टाक की संख्या भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्टाफ संख्या से कम है। इसलिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा सफदरजंग एवं डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मध्य कोई सार्थक तुलना नहीं की जा सकती है। सरकार डा. राम मनोहर लोहिया तथा सफदरजंग अस्पतालों की आवश्यकताओं पर लगातार निगरानी रख रही है।

[अनुवाद]

सुश्रुत आयुर्वेदिक अस्पताल

554. **वैद्य विष्णु दत्त शर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान में नई दिल्ली स्थित सुश्रुत आयुर्वेदिक अस्पताल में अंशकालिक चिकित्सा अधीक्षक द्वारा काम कराया जा रहा है, जबकि बड़ी संख्या में सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के व्यापक हित में एक पूर्णकालिक अधीक्षक की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस पद समुचित नियुक्ति करने का है; और

(घ) यदि हां, तो यह नियुक्ति कब तक किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) आन्तरिक व्यवस्था के रूप में भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग के सलाहकार

(आयुर्वेद) को सुश्रुत आयुर्वेदिक अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। क्योंकि ऐसा कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं था जिसके पास पद के लिए वरिष्ठता का निर्धारित स्तर हो।

(ग) और (घ) संघ लोकसेवा आयोग के माध्यम से इस पद को नियमित आधार पर भरने के लिए विज्ञापन दिया गया है।

[हिन्दी]

परियोजनाओं की मंजूरी

555. श्री छत्रपाल सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों और चालू वित्त वर्ष के दौरान स्वयंसेवी संगठनों को राज्य-वार कुल कितनी धनराशि प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या सरकार को जिला और राज्य स्तरों के कार्यालयों में स्वयंसेवी संगठनों के प्रस्तावों का वर्षों से लंबित पड़े होने की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर और अन्य जिलों में स्वयंसेवी संगठनों के लंबित प्रस्तावों को कब तक मंजूरी मिल जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस दिशा में दिशा-निर्देश जारी करने का है; और

(च) यदि नहीं, तो लंबित परियोजनाओं के शीघ्र निपटान हेतु कौन-कौन से कदम उठाए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (च) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने "गैर सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों को सहायता संबंधी दिशानिर्देश" जून, 2000 में जारी किए हैं जिनके अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि अनुदान की प्रथम किस्त की निर्मुक्ति संबंधी मामले 31 मई से पहले तथा दूसरी किस्त की निर्मुक्ति से संबंधित मामले 30 अक्तूबर से पहले प्राप्त किए जाएंगे। नई परियोजनाओं की स्वीकृति से संबंधित मामले वित्तीय वर्ष विशेष में अधिक से अधिक 30 सितम्बर तक प्राप्त किए जाने चाहिए। इस मंत्रालय में जिला बुलन्दशहर तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त मामलों को गुणावगुण के आधार पर प्रक्रियाबद्ध किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान निर्मुक्त योजनावार और राज्यवार सहायतानुदान

(रु. लाखो में)

योजना का नाम	आं.प्र.	अरु.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.प्र.	ज.व क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	ना.	उड़ीसा	पं.	रा.	सि.	त.ना.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	482.54	3.78	3.54	83.73	6.96	30.71	23.82	2.98	3.05	203.41	158.84	6.52	52.67	15.21	4.32	1.10		61.36	20.89	31.30		112.40	2.51	189.06	140.74	1671.32
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	40.38	5.50		43.29	0.69	27.00	122.56	6.00	12.00	15.00	38.25	54.80	18.79			9.47		10.00	29.53	140.00		34.21	8.91	170.74	82.55	880.67
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	28.15	3.13		108.35	9.22	48.19	57.16		10.59	31.32	113.59	12.57	59.91	67.98	2.18	28.43	18.84	61.52	51.72	42.82	2.08	80.81	6.01	148.56	82.10	1063.00
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	6.00																							18.00	8.00	32.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	-
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	14.00		6.00			26.00				3.00	13.00		14.00	7.00		7.00		8.00		18.00		46.00		14.00	126.00	298.00
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	192.36		3.39	2.76		3.47	19.83	3.27	0.35	15.94	7.73	6.67	1.37	24.34				64.67	3.12			69.30	9.93	95.27	73.86	597.32
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता			2.80				10.00				2.50								10.00		2.50	2.50				30.00
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	186.46		1.64	25.53		2.50	8.54		1.17	167.80	1.45	39.72	46.18	9.15				92.72	4.08	17.72		4.70	2.06	170.73	96.84	878.99
9. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	1.20			9.54					0.75	2.00	0.80	7.84	1.86	1.43				3.92		7.82			0.75	18.18		55.49
कुल	961.09	12.41	17.07	273.20	16.87	137.87	241.51	12.25	27.91	438.47	337.26	127.92	194.86	125.11	6.50	44.00	18.84	300.18	119.04	268.96	2.06	348.81	29.17	825.52	599.89	5467.79

वर्ष 1997-98 के दौरान योजना-वार और राज्य-वार निर्मुक्त सहायता अनुदान

(रु. लाखों में)

योजना का नाम	अ.नि.	चंडीगढ़	दा. व न. हवेली	दमन व दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना		1.01			147.06		2.60	150.67
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता			3.21		51.97			55.18
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण		7.93			98.91		5.17	112.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम								0.00
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम					28.00			28.00
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम					9.14		3.05	12.19
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता								0.00
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान					123.65			123.65
9. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना					12.91			12.91
कुल	0.00	8.94	3.21	0.00	471.64	0.00	10.82	494.61

(रु. लाखों में)

वर्ष 1998-99 के दौरान योजनावार और राज्यवार निर्मुक्त सहायता अनुदान

योजना का नाम	आं.प्र.	अ.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.प्र.	ज.व क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	न.	उड़ीसा	पं.	रा.	सि.	त.ना.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	663.31	3.71	15.37	65.81	9.47	36.89	36.69	37.46	1.78	261.93	833.44	10.52	192.20	29.54	14.62	6.57		93.73	46.17	55.49		153.66	1.83	501.87	239.88	3305.82
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	201.83		1.23	58.22	0.35	76.59	136.52	10.00	12.00	34.3	65.44	142.15	58.26	34.28				272.05	146.69	286.27		46.52	2.80	353.45	79.75	2018.83
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	30.93		19.03	30.32	6.18	44.46	84.05		13.65	41.30	103.82	33.58	124.32	163.64	11.62	49.70	32.05	103.80	62.42	68.93		65.46	7.97	236.74	82.20	1413.17
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	3.19																							31.70	17.38	52.27
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	47.15		5.58	1.99		55.74			2.16	7.19	6.56	6.70	47.37	3.53				5.10	7.05	14.78		88.55		36.62	180.32	463.39
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	197.98		3.47	1.08		2.15	14.38	1.74		17.07	5.83	3.44	12.86	3.26				124.44	4.99	0.60		77.82	15.12	81.57	117.10	694.68
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए			38.94				23.50				17.50							3.50	20.50	5.00		12.00		24.49	3.70	149.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
पंचायती राज्य संस्थाओं/ स्वैच्छिक संगठनों/ स्व सहायता समूहों को सहायता																										
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	331.63		12.53		34.81		0.88	18.29	13.76	209.72	3.62	55.81	42.58	30.29			174.09	1.15	41.43	33.12			14.88	387.19	183.50	1589.23
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	11.18		2.70									8.50	27.65	2.16				2.69			1.73			5.59	1.13	63.33
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग			6.78								3.33	5.19						2.12								17.42
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	16.28		1.67		41.80		0.33				7.33	7.31	18.61	7.78		12.82					4.06		0.69		73.20	191.88
कुल	1503.48	3.71	107.30	204.03	16.00	216.84	315.41	48.20	43.35	579.57	1048.85	284.50	511.02	270.82	28.24	58.27	32.85	781.52	208.57	474.85	1.73	468.82	42.85	1730.42	888.84	8048.85

(रु. लाख में)

वर्ष 1998-99 के दौरान निर्मुक्त योजना-वार तथा राज्य-वार सहायता अनुदान

योजना का नाम		अ.नि.	चंडीगढ़	दा. व न. हवेली	दमन व दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	0.00	1.03	0.00	0.00	588.39	0.00	0.63	590.05
2.	सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	0.00	22.19	0.00	0.00	377.51	0.00	0.00	399.70
3.	मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	0.00	9.98	0.00	0.00	66.87	0.00	8.60	85.45
4.	समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	1.85	0.00	0.00	50.41	0.00	0.00	52.26
6.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	45.49	0.00	5.08	50.57

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00
8.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	210.88	0.00	0.00	210.88
9.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	1.13	0.00	0.00	1.13
10.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	12.90
	कुल	0.00	35.05	0.00	0.00	1353.58	0.00	20.31	1408.94

(रु. लाख में)

वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त योजनावार तथा राज्यवार अनुदान

योजना का नाम	आं.प्र.	अरु.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.प्र.	ज.व क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	न.	उड़ीसा	प.	रा.	सि.	त.ना.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	1208.35	13.00	28.35	60.32	17.88	75.38	57.51	32.42	9.24	571.99	442.04	17.43	283.72	57.06	17.41	25.31		193.96	64.94	88.13		325.89	8.82	772.39	386.83	4714.85
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	134.25		4.47	31.76	0.98	101.25	19.04	19.80		28.51	28.00	110.88	149.85	25.00				135.61	55.19	348.78		86.01	1.46	1015.70	168.48	2488.01
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	71.22		29.59	44.38	14.51	54.94	94.09		10.12	71.69	119.24	41.64	227.28	158.07	9.97	51.01	49.86	131.10	88.04	88.54	3.12	83.07	9.25	245.88	116.27	1790.88
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	22.91																	225.00						27.16	8.76	283.83
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	101.75		5.71	1.83		89.41			7.75	12.37	14.00	7.77	41.98	8.06		1.79		7.83	8.55	25.67		81.46	0.50	72.28	192.73	681.54
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	290.69		9.64	0.54		6.68	25.32	7.07		30.62	13.86	15.72	22.61	59.89				185.00	19.04	1.35		94.80	8.63	153.44	112.81	1038.17
7 वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण	50.00		28.86				29.00	10.00											31.50	10.00		10.00		27.00	10.00	206.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/ स्वैच्छिक संगठनों/ स्व सहायता समूहों को सहायता																										
8. अनुसूचित जातियां के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	489.93		23.64	46.68		19.09	16.38			294.72	2.46	83.32	145.40	33.33				312.59	8.34	68.05		81.02		545.51	182.04	2360.50
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	15.82		4.32			0.89	7.33			1.55			20.13	10.56				3.66				0.95		25.11	5.86	95.96
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग												2.13						0.85								2.98
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	28.44		7.78	52.53					1.80	3.15	16.46	21.16	1.08	17.83						5.25				80.68		236.16
कुल	2413.36	13.00	142.36	238.04	33.17	347.62	248.67	69.29	28.91	1014.80	635.86	300.05	872.05	369.80	27.38	78.11	49.86	1195.70	256.56	611.77	3.12	782.70	26.65	2984.95	1163.28	13866.86

वर्ष 1999-2000 के दौरान निर्मुक्त योजना-वार तथा राज्य-वार अनुदान

(रु. लाख में)

	योजना का नाम	अ.नि.	चंडीगढ़	दा. व न. हवेली	दमन व दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	0.00	1.41	0.00	0.00	679.04	0.00	1.44	681.89
2.	सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	376.17	0.00	0.00	376.17
3.	मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	0.00	10.66	0.00	0.00	60.49	0.00	5.43	76.58
4.	समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
5.	बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	8.59	0.00	0.00	71.66	0.00	0.00	80.25
6.	वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	1.37	0.00	0.00	16.37	0.00	10.12	27.86

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	20.00
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	197.04	0.00	0.00	197.04
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	11.02	0.00	0.00	11.02
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	9.96
कुल	0.55	32.03	0.00	0.00	1431.75	0.00	16.99	1481.32

वर्ष 2000-01 के दौरान निर्मुक्त योजनावार तथा राज्यवार अनुदान

(रु. लाख में)

योजना का नाम	आं.प्र.	अरु.प्र.	असम	बि.	गो.	गु.	ह.	हि.प्र.	ज.व क.	कर्ना.	के.	म.प्र.	महा.	मणि.	मे.	मि.	ना.	उड़ीसा	पं.	राज.	सि.	त.ना.	त्रि.	उ.प्र.	प.बं.	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	590.19	6.32	17.01	53.67	8.67	57.39	37.86		2.08	288.44	294.17	7.63	105.88	28.84	17.4	8.37	2.83	93.21	80.23	48.63		217.92	3.01	608.44	280.59	2808.78
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	185.98			10.86		55.12	43.24	38.80			19.00	34.00	12.57	6.50				14.00	24.50	172.45		28.19	0.73	831.40	22.32	1409.25
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	27.37	0.00	17.86	18.65	9.71	50.00	31.80	3.61	11.68	35.21	58.93	23.62	132.98	67.45	0.01	36.69	15.10	98.78	45.59	44.20	2.16	37.38	6.01	146.52	51.84	974.14
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	2.02																							13.28	18.82	34.12
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	11.61				2.01					5.59	3.54	2.37	22.01					6.08	2.18	3.08		8.96		10.94	33.58	111.95
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	184.05		6.29			2.36	11.01	2.10	9.61	25.24	6.32	7.15	6.41	48.75				64.85	1.78			32.88		88.85	80.57	513.80
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	10.00		11.12								22.00															43.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
8. अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	205.16		35.99	19.74		24.49	12.59		3.37	181.58	15.16	30.58	42.67	28.49				248.91		81.71		44.64	0.24	945.30	84.03	1252.65
9. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	3.27		4.45			1.42						8.25	4.50	12.31				4.66			2.11	2.80		7.68	1.27	52.72
10. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग																					0.00					
11. आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	23.81		0.86	5.54		2.30					1.29	21.42	20.76	13.91				1.69	1.03					52.96		145.57
कुल	1243.46	6.32	93.57	108.26	20.39	193.08	136.50	44.21	26.74	537.35	419.12	135.02	346.78	204.25	17.41	46.06	17.93	530.18	133.28	321.10	4.27	372.55	9.99	1975.26	493.02	7436.10

वर्ष 2000-01 के दौरान योजनावार और राज्यवार निर्मुक्त सहायता अनुदान

(रु. लाख में)

योजना का नाम	अ.नि.	चंडीगढ़	दा. व न. हवेली	दमन व दीव	दिल्ली	लक्षद्वीप	पांडिचेरी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा देना	0.00	0.00	0.00	0.00	456.54	0.00	0.00	456.54
2. सहायकयंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	113.05	0.00	0.00	113.05
3. मद्यपान तथा पदार्थ नशीली दवाओं का दुरुपयोग निवारण	0.00	5.99	0.00	0.00	37.81	0.00	3.05	46.85
4. समाज रक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए सहायता अनुदान कार्यक्रम	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
5. बेसहारा बच्चों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	2.88	0.00	0.00	28.09	0.00	0.00	30.97
6. वृद्ध व्यक्तियों के लिए समेकित कार्यक्रम	0.00	0.00	0.00	0.00	20.55	0.00	4.62	25.17
7. वृद्ध व्यक्तियों के लिए वृद्धाश्रमों/बहु: सेवा केन्द्रों के निर्माण के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं/स्वैच्छिक संगठनों/स्व सहायता समूहों को सहायता	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान	0.00	0.00	0.00	0.00	136.79	0.00	0.00	136.79
9.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कार्य स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	1.17
10.	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	आर्थिक मानदंडों पर आधारित कमजोर वर्गों के लिए परीक्षा पूर्व कोचिंग योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	10.07	0.00	0.00	10.07
	कुल	1.58	8.87	0.00	0.00	804.07	0.00	7.67	822.19

[अनुवाद]

नर्मदा बांध

556. श्री विनय कुमार सोराके: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नर्मदा नदी के बारे में उच्चमत न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय की विकास परियोजनाओं संबंधी नीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा;

(ख) क्या केन्द्र के पास पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए नर्मदा बांध जैसे अनेक प्रस्ताव लम्बित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या लम्बित प्रस्तावों पर कार्यवाही करते समय केन्द्र नर्मदा बांध के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करेगा;

(घ) क्या नर्मदा बांध के बारे में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विकासात्मक पहलुओं को पर्यावरणीय पहलुओं से अधिक महत्व दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्र नर्मदा बांध परियोजना जैसे अन्य लम्बित प्रस्तावों के बारे में निर्णय करते समय इन दिशा-निर्देशों का पालन करेगा?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) नर्मदा बाध के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिए गए निर्णय केन्द्र की विकासात्मक परियोजनाओं की नीति के बिल्कुल अनुरूप हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विकासात्मक लाभों और पर्यावरणीय मुद्दों पर उपयुक्त ध्यान दिया गया है और केन्द्र द्वारा दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है।

भारत-यूरोपीय संघ संबंध

557. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(ख) प्रधान मंत्री द्वारा यूरोपीय संघ की पिछली यात्रा के दौरान वहां के प्रमुख के साथ किन-किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ख) विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रवार इसके क्या निष्कर्ष निकले?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) 28 जून, 2000 को लिस्बन में हुए पहले भारत -यूरोपीय संघ शिखर-सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया था। इस शिखर सम्मेलन में आपसी हित-चिंता के विभिन्न द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई थी।

इस शिखर सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत और यूरोपीय संघ के बीच 21वीं शताब्दी में नई सामरिक साझेदारी बनाने के लिए आपसी सहमति होना था। शिखर सम्मेलन में पारित भारत यूरोपीय संघ संयुक्त घोषणा में संबंधों को गुणात्मक दृष्टि से उच्च स्तर तक ले जाने के लिए विस्तृत मार्ग निर्देशनों का प्रावधान है। कार्यवाही के लिए एक कार्य-सूची पर भी सहमति हुई जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यक क्षेत्रों में संयुक्त पहल शामिल

हैं। दोनों पक्ष आतंकवाद को रोकने और उसका सामना करने के लिए सहयोग करने पर तथा क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में उससे उत्पन्न चुनौतियों का मुकाबला करने पर भी सहमत हुए। यह सहमति हुई की भारत और यूरोपीय संघ अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित व्यापक अभिसमय के लिए मिलकर प्रयास करेंगे।

इस यात्रा से हमें संरक्षणवादी उपायों से जुड़े व्यापार से संबंधित अपनी चिंताओं और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित मामलों पर अपने विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर भी मिला। यह सहमति हुई कि दोनों पक्ष व्यापार को उत्तरोत्तर उदार बनाने, संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का विरोध करने और एक मुक्त, न्यायोचित और भेद-भाव रहित नियम आधारित बहु-पक्षीय व्यापार प्रणाली बनाने के लिए कार्य करेंगे ।

एड्स से होने वाला तपेदिक

558. श्री अनादि साहू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच आई वी/एड्स के साथ सम्बद्ध होने की वजह से तपेदिक के मामलों में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा एड्स से होने वाले तपेदिक को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) एच आई वी/एड्स शरीर की प्रतिरोध क्षमता को कम करता है और इसलिए इससे क्षय रोग के संक्रमण के क्षय रोग में विकसित होने के खतरे में वृद्धि होती है। एच आई वी नेगेटिव रोगियों में क्षय रोग के विकसित होने का आजीवन खतरा 5-10 प्रतिशत से बढ़कर एच आई वी पॉजिटीव रोगियों में 50 प्रतिशत हो जाता है। तथापि इस समय यह दर्शाने के लिए कोई प्रामाणिक आंकड़े नहीं हैं कि देश में एच आई वी से क्षय रोग में वृद्धि हुई है।

(ख) थियासिट्जोन के इस्तेमाल को छोड़कर एच आई वी संक्रमित क्षय रोगियों और गैर-एच आई वी संक्रमित क्षयरोगियों दोनों का उपचार एक जैसा है। थियासिटजोन के बजाय एच आई वी के ज्ञात अथवा संदिग्ध संक्रमण वाले रोगियों अथवा क्षय रोग से ग्रस्त अत्यधिक जोखिम वाले व्यक्तियों में इथाम्बुटोल का इस्तेमाल किया जा रहा है देश के सभी राज्यों में जहां एच आई वी की सीरा व्यापतता के 1 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन क्षय रोगियों के उपचार के लिए थियासिटजोन का इस्तेमाल पहले ही बन्द कर दिया गया है। उसी प्रकार शेष क्षेत्रों में जहां थियासिटजोन का इस्तेमाल किया जाता है, एच आई वी के संदिग्ध रोगियों के लिए इथाम्बुटोल भी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में एच आई वी के परामर्शी केन्द्रों के जरिए क्षय रोग सेवाएं प्रदान करने का विचार है और एच आई वी के पाजिटिव रोगियों और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के बीच सक्रिय रोगी की पहचान करने तथा विशेष रूप से एच आई वी संक्रमण की उच्च घटना वाले क्षेत्रों में एच आई वी क्षय रोग कार्यकर्त्ता तथा क्षय रोग में एच आई वी एड्स कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षित करने का भी प्रस्ताव है।

कैट/पैट

559. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और प्रान्तीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों में आज तक लम्बित पड़े हुए मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी है जो दो वर्षों से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हैं;

(ग) स्थानान्तरण से संबंधित लम्बित पड़े मामलों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके शीघ्र निपटान के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) सितम्बर, 30, 2000 को मौजूदा स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में 43,457 मामले लम्बित चल रहे थे जिनमें से, स्थानान्तरण से संबंधित 242 मामलों सहित, 20,584 मामले दो वर्ष से अधिक अवधि से

लम्बित चल रहे थे। राज्य-प्रशासनिक अधिकरणों में लम्बित चल रहे मामलों इत्यादि से संबंधित जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(घ) केन्द्र-सरकार और राज्य सरकारें, क्रमशः केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और राज्य-प्रशासनिक अधिकरणों के न्यायिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करतीं तथा अधिकरणों द्वारा सभी मामलों में निर्णय, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों इत्यादि के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक मामले के गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है।

[हिन्दी]

मिनरल-वाटर पर आई.एस. आई. मार्क

560. **श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मिनरल-वाटर की बोतलों पर आई.एस.आई. मार्क लगाना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस आदेश के बावजूद बिना आई.एस.आई. मार्क वाला मिनरल-वाटर धड़ल्ले से बिक रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) 29.9.2000 को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचना में भारतीय मानक ब्यूरो से यह अपेक्षा की गई है कि वह विनिर्माण एकक के सामयिक निरीक्षण तथा विनिर्माण एकक या बाजार से उठाए गए उत्पादों का नमूना लेने के पश्चात् यह प्रमाणित करे कि मिनरल-वाटर की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत निर्धारित मानकों एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त अधिसूचना, एककों को प्रासंगिक सांविधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपने आपको तैयार करने हेतु समुचित समय देते हुए 29.3.2001 से ही प्रभावी होगी। उस समय तक भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के अन्तर्गत कार्यान्वित की जा रही भारतीय मानक ब्यूरो प्रमाणीकरण योजना स्वैच्छिक स्वरूप की होगी। इसलिए बाजार में इस समय उपलब्ध सभी मिनरल वाटर पर आई.एस.आई. चिन्ह नहीं हो सकता।

[अनुवाद]

चिकित्सा भण्डार डिपो

561. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 14 मार्च, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2991 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर के परिशिष्ट-क की टिप्पणी के अनुसार भण्डार अधीक्षक, सहायक सम्पर्क अधिकारी, चालक पैकर, क्लीनर और बढ़ाई के पद केवल केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सा भण्डार डिपों के लिए ही स्वीकृत हैं और इन कर्मचारियों को अन्य स्थानों पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कितने भण्डार डिपों में अनचाहे कर्मचारियों को उनके तीन से पांच वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने से पहले ही संबंधित अधिकारियों द्वारा स्थानान्तरित कर दिया गया; और

(ग) सरकार का विचार इस संबंध में क्या निवारात्मक कदम उठाने का है ताकि निहित स्वार्थ वाले कर्मचारी प्रशासनिक तत्कालिकता के नाम पर निर्धारित अवधि से अधिक समय तक एक जगह न रहें और सरकारी काम के प्रति ईमानदार कर्मचारियों का उक्त सामान्य कार्यकाल अवधि से पहले स्थानान्तरण न हो?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अधीन विभिन्न पद्धतियों के अन्तर्गत भण्डारों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। तथापि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना परिवार कल्याण भण्डार, निर्माण भवन के लिए भण्डार अधीक्षक का एक पद और कनिष्ठ कार्पेन्टर का एक पद भी स्वीकृत किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत कार्य कर रहे यूनानी भण्डार डिपो को छोड़कर सभी भण्डारों के लिए पैकरों के पद स्वीकृत किए गए हैं।

(ख) जनहित और प्रशासकीय अत्यावश्यकताओं को ध्यान में रखकर स्टाफ का स्थानान्तरण और तैनाती की जाती है।

(ग) उपरोक्त ''ख'' को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-1

विभिन्न पद्धतियों के अंतर्गत भण्डारों के स्वीकृत पदों का ब्यौरा

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा भण्डार डिपो		परिवार कल्याण भण्डार डिपो		आयुर्वेदिक भण्डार डिपो	
सहायक सम्पर्क अधिकारी (एम)	1	भण्डार अधीक्षक	1	पैकर	2
भण्डार अधीक्षक	2	बढ़ई कनिष्ठ	2		
चालक ग्रेड 1 और 2	31	पैकर	2		
क्लीनर	5				
बढ़ई	1				
बढ़ई कनिष्ठ	1				
पैकर	17				
होम्योपैथिक भण्डार डिपो					
पैकर	1				

औषधीय पौधों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना

562. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति होम्योपैथि और अन्य पद्धतियों के विकास के लिए औषधीय पौधों हेतु राष्ट्रीय बोर्ड की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है/लिया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना का अनुमोदन कर दिया गया है। इस बोर्ड में केन्द्रीय मंत्रालयों, विभागों और अन्य स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड संरक्षण, खेती, विपणन और निर्यात आदि जैसे विभिन्न कार्यों का समन्वय करने के लिए एक अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और औषधीय पादप क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नीतियां और कार्यनीतियां भी तैयार करेगा।

जनसंख्या नियंत्रण

563. **श्री खारबेल स्वाइं:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों की जनसंख्या संबंधी अपनी नीतियां है और उन्हें गर्भ-निरोधकों की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उन राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यह सच है कि कुछ राज्यों के पास अपनी स्वयं की जनसंख्या नीतियां हैं। तथापि सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र सरकार द्वारा गर्भ निरोधकों की सप्लाई दी जा रही है।

(ख) आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, और उत्तर प्रदेश राज्यों ने अपनी स्वयं की जनसंख्या नीतियां अपनाई हैं। गर्भनिरोधकों के बारे में उनकी आवश्यकता के संबंध में संलग्न विवरण-1 से 3 अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रदान करते हैं

(ग) सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में कार्यनितियों सहित 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कुछ सामाजिक जनसांख्यिकीय लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जिनसे 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त हो जाएगा।

विवरण-1

निशुल्क निरोध की राज्यवार आपूर्ति की स्थिति 2000-01 (निरोध की संख्या मिलियन में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार शेष	1999-2000 के दौरान प्रयोग में लाए गए कण्डोम	2000-01 के लिए मांग	2000-01$ में आबंटित की गई मात्रा	4.11.2000 तक आपूर्ति की गई मात्रा	उपलब्ध कुल मात्रा (3+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	41.64	82.50	40.00	35.00	35.00
2.	असम	1.89	2.22	3.00	2.00	2.00	3.89
3.	बिहार	1.67	3.85	28.80	3.00	3.00	4.67
4.	दिल्ली	8.05	11.65	35.00	16.00	16.00	24.05
5.	गुजरात	0.00	63.62	90.00	60.00	56.00	56.00
6.	हरियाणा	0.00	25.84	37.00	25.00	23.00	23.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.12	4.75	7.00	5.00	5.00	5.12
8.	जम्मू व कश्मीर	1.59	0.49	2.00	1.00	1.00	2.59
9.	कर्नाटक	0.00	19.40	25.00	15.00	15.00	15.00
10.	केरल	0.00	10.48	21.00	10.00	10.00	10.00
11.	मध्य प्रदेश	0.00	103.14	150.00	80.00	71.00	71.00
12.	महाराष्ट्र	18.49	37.08	55.00	40.00	32.00	50.49
13.	उड़ीसा	0.00	19.50	22.43	15.00	15.00	15.00
14.	पंजाब	0.00	29.75	50.00	20.00	16.00	16.00
15.	राजस्थान	0.00	60.53	65.00	46.00	35.00	35.00
16.	तमिलनाडु	11.57	20.88	26.00	20.00	20.00	31.57
17.	उत्तर प्रदेश	0.00	137.40	300.00	120.00	88.00	88.00
18.	पश्चिम बंगाल	0.00	23.21	50.00	20.00	20.00	20.00
19.	मणिपुर	1.14	0.21	1.00		0.00	1.14
20.	मेघालय	0.12	0.01	0.30		0.08	0.20
21.	नागालैंड	0.20		0.20			0.20
22.	सिक्किम	0.17	0.03	0.20		0.06	0.23
23.	त्रिपुरा	0.00	1.27	1.08		1.00	1.00

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	अं. व नि. द्वीप समूह	0.02	0.15	0.00		0.00	0.02
25.	अरुणाचल प्रदेश	0.11	0.05	0.15		0.05	0.16
26.	चण्डीगढ़	1.45	0.49	1.00	1.00	1.00	2.45
27.	दा. और ना. हवेली	0.06		0.10		0.00	0.06
28.	गोवा	2.07	0.48	1.50	1.00	1.00	3.07
29.	दमन और दीव	0.15	0.08	0.10		0.00	0.15
30.	लक्षद्वीप	0.00	0.03	0.02		0.00	0.00
31.	मिजोरम	0.50	0.04	0.50		0.20	0.70
32.	पांडिचेरी	0.67	0.63	0.60		0.60	1.27
	रक्षा मंत्रालय*	0.00	1.73			0.00	0.00
	रेल मंत्रालय *	0.00	3.73			0.00	0.00
	एम एस डिपो#	0.87		10.00	10.00	6.01	6.88
	कुल	50.91	624.36	1066.48	550.00	473.00	523.91

#0.87 मिलियन में से 0.79 मिलियन निरोध छोटे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए और 10.0 मिलियन निरोध की मात्रा में से 3.2 मिलियन राजस्थान (2.0) त्रिपुरा (1.0) मिजोरम (0.2) को जारी किए गए।

*राज्यों द्वारा रेलवे और रक्षा मंत्रालय को आपूर्ति की गई मात्रा

$छोटे राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को निरोध के भण्डार की आपूर्ति नहीं की गई। उनकी मांग के अनुसार डिपो से आपूर्ति की जाती है।

विवरण-2

2000-2001 के दौरान आपूर्ति की गई कापर-टी का ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार शेष	2000-2001 के लिये राज्यों से प्राप्त आवश्यकताएं	वर्ष 2000-01 के लिए आबंटित मात्रा	15.11.2000 तक 2000-01 के दौरान आपूर्ति की गई मात्रा	2000-01 के दौरान कुल उपलब्धता	1999-2000 के दौरान प्रयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	2.925	4.000	3.000	1.000	3.925	2.850
असम	1.659	1.000	1.000	0.200	1.859	0.390
बिहार	3.139	4.370	2.000		3.139	1.820
गुजरात	2.610	6.000	4.500	0.500	3.110	4.140
हरियाणा	1.673	0.650	0.650	0.250	1.923	1.630

1	2	3	4	5	6	7
कर्नाटक	1.435	4.000	4.000		1.435	3.720
केरल	0.180	1.250	1.250	0.600	0.780	0.820
मध्य प्रदेश	1.423	5.500	5.400	1.400	2.823	5.720
महाराष्ट्र	2.101	4.000	4.000	0.500	2.601	3.920
उड़ीसा	2.748	2.000	2.000	0.500	3.248	1.890
पंजाब	4.594	6.500	4.000		4.594	3.950
राजस्थान	6.069	6.000	3.060	0.060	6.129	2.360
तमिलनाडु	2.660	4.000	4.000	1.410	4.070	4.390
उत्तर प्रदेश	9.941	39.000	15.000	2.000	11.941	21.000
पश्चिम बंगाल	1.281	2.000	1.610	0.610	1.891	0.780
हिमाचल प्रदेश	0.564	0.400	0.400	0.400	0.964	0.350
जम्मू कश्मीर	0.469	0.250	0.250	0.100	0.569	0.070
मणिपुर	0.000	0.300	0.300	0.300	0.300	0.060
मेघालय	0.139	0.024	0.024	0.024	0.163	0.022
नागालैण्ड	0.000	NR	0.010	0.010	0.010	NR
सिक्किम	0.070	0.012	0.012		0.070	0.010
त्रिपुरा	0.196	0.115	0.115		0.196	0.040
अं.व.नि. द्वीप समूह	0.009	0.019	0.020	0.020	0.029	0.009
अरुणाचल प्रदेश	0.098	0.030	0.030		0.098	0.016
चण्डीगढ़	0.195	0.050	0.050		0.195	0.050
दादर व नागर हवेली	0.003	0.005	0.005	0.005	0.008	0.003
दिल्ली	0.428	0.820	0.820	0.500	0.928	0.550
गोवा	0.046	0.035	0.035	0.035	0.081	0.029
दमन और दीव	0.011	0.002	0.002	0.002	0.013	0.002
लक्षद्वीप	0.009	0.002	0.002	0.002	0.011	0.001
मिजोरम	0.190	0.500	0.100	0.040	0.230	0.007
पांडिचेरी	0.018	0.030	0.030	0.030	0.048	0.040
रक्षा मंत्रालय	0.000				0.000	0.070
रेल मंत्रालय	0.045				0.045	0.090
कुल	46.928	92.864	57.675	10.498	57.381	60.799

विवरण-3

वर्ष 2000-2001 के दौरान आपूर्ति की गई माल एन का ब्यौरा (लाख सायकलस में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.2000 की स्थिति के अनुसार शेष	2000-2001 के लिये राज्यों से प्राप्त आवश्यकताएं	वर्ष 2000-01 के लिए आबंटित मात्रा	15.11.2000 तक 2000-01 के दौरान आपूर्ति की गई मात्रा	कुल उपलब्धता (3+5)	1999-2000 के दौरान उपयोग
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	18.770	45.000	35.000	10.000	28.770	31.020
असम	3.950	1.000	1.000	1.000	4.950	3.400
बिहार	60.720	25.000	18.000		60.720	5.120
गुजरात	4.240	34.610	30.000	5.000	9.240	23.030
हरियाणा	4.650	5.000	5.000	2.500	7.150	8.390
कर्नाटक	0.000	8.000	10.000		0.000	19.250
केरल	1.120	3.750	3.750	3.750	4.870	3.880
मध्य प्रदेश	0.000	87.500	100.000	30.000	30.000	80.430
महाराष्ट्र	0.000	35.000	27.600	8.850	8.850	46.770
उड़ीसा	7.400	14.000	13.280	13.280	20.680	14.830
पंजाब	0.000	17.750	20.000	20.000	20.000	14.950
राजस्थान	23.400	60.000	48.000	12.000	35.400	50.240
तमिलनाडु	32.090	29.000	25.000		32.090	26.550
उत्तर प्रदेश	32.350	246.000	115.000	75.130	107.480	109.370
पश्चिम बंगाल	5.960	81.250	60.000	18.000	23.960	41.200
हिमाचल प्रदेश	0.710	3.500	3.500	3.500	4.210	3.200
जम्मू कश्मीर	7.430	1.000	1.000	1.000	8.430	0.360
मणिपुर	0.560	1.000	0.270	0.270	0.830	0.130
मेघालय	1.850	1.000			1.850	0.190
नागालैण्ड	0.000		0.200	0.200	0.200	NR
सिक्किम	0.277	0.255	0.200	0.200	0.477	0.240
त्रिपुरा	0.000	2.500	2.500	2.500	2.500	3.530
अं.व.नि. द्वीप समूह	0.270	0.190			0.270	0.080

1	2	3	4	5	6	7
अरुणाचल प्रदेश	0.890				0.890	0.160
चण्डीगढ़	0.150	0.050			0.150	0.040
दादर व नागर हवेली	0.000	0.020	0.020	0.020	0.020	0.011
दिल्ली	1.230	2.090	1.280	1.280	2.510	1.000
गोवा	0.000	0.200	0.200	0.200	0.200	0.260
दमन और दीव	0.080	0.020	0.020	0.020	0.100	0.030
लक्षद्वीप	0.237	0.010			0.237	0.013
मिजोरम	0.800	1.000	0.200	0.200	1.000	0.180
पांडिचेरी	0.005	0.200	0.100	0.100	0.105	0.120
रक्षा मंत्रालय	0.000				0.000	0.500
रेल मंत्रालय	0.000				0.000	0.510
कुल	209.139	705.895	521.120	209.000	418.139	488.984

कावेरी जल विवाद

564. **श्री मणि शंकर अय्यर:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त, 1998 में उनकी अध्यक्षता में कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था;

(ख) तब से कितने सप्ताह वास्तविक रूप में मेट्टुर जलाशय में कावेरी न्यायाधिकरण के अंतिरम पंचाट में संलग्न अनुसूची में प्रति सप्ताह पानी छोड़े जाने की निर्धारित सीमा से 1 टीएमसी से कम या अधिक कावेरी नदी का पानी छोड़ा गया;

(ग) कैलेण्डर वर्ष 1999 और 2000 में जून से सितम्बर तक कुरूवाई कृषि मौसम के चार महत्वपूर्ण महीनों के दौरान पानी छोड़े जाने की निर्धारित सीमा की तुलना में वास्तविक जल प्रवाह से सप्ताहवार कितना प्रतिशत कम पानी छोड़ा गया है;

(घ) कैलेण्डर वर्ष 1999 में अक्तूबर से दिसम्बर तक पूर्वोत्तर मानसून के दौरान और कुरूवाई फसलों की ज्यादातर कटाई के बाद वर्ष 2000 में सितम्बर से अक्तूबर के महीनों में पानी छोड़े जाने की निर्धारित सीमा की तुलना में वस्तुतः सप्ताह-वार कितना प्रतिशत अधिक पानी छोड़ा गया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार कावेरी न्यायाधिकरण के अंतरिम पंचाट में प्रति सप्ताह पानी छोड़े जाने की निर्धारित सीमा के सप्ताह दर-सप्ताह क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में कावेरी नदी न्यायाधिकरण की स्पष्ट असफलता के अवलोकन में उच्चतम न्यायालय से अपनी सुनवाई फिर से शुरू करने का आग्रह करने का है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) माननीय प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में अगस्त, 1998 में कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन किया गया था।

(ख) से (ङ) कावेरी जल विवाद प्राधिकरण ने 25 जून, 1991 के अपने अंतरिम आदेश में कर्नाटक में स्थित जलाशयों से जल छोड़ने के लिए कर्नाटक राज्य को निदेश दिया है। ताकि तमिलनाडु के मेत्तूर जलाशय में एक वर्ष में जून से मई तक 205 टीएमसी जल की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। प्राधिकरण ने यह भी निदेश दिया है कि कर्नाटक राज्य विशेष मासिक पद्धति से नियमित रूप से जल छोड़ेगा। विशेष महीने के संबंध में 4 समान किस्तों में जल छोड़ा जाना है। यदि किसी विशेष सप्ताह में जल की अपेक्षित मात्रा छोड़ना संभव न हो तो उक्त कमी को अगले सप्ताह में पूरा किया जाना है। अधिकरण ने अपने दूसरे आदेश दिसम्बर, 1995 में यह स्पष्ट किया कि उनके 25 जून, 1991 के

आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि किसी विशेष सप्ताह में हुई जल की कमी को दूसरे सप्ताह में पूरा किया जाना है और यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी कमी को उसी विशेष महीने में पूरी की जाए जिस महीने यह हुई है। कमी पूरा न होने तक यह जुड़ती जाएगी। किसी विशेष वर्ष में कम अथवा अधिक जल छोड़ा जाता है तो उसे विशेष मौसम के समाप्त होने के पहले उचित ढंग से समायोजित किया जाएगा। कावेरी नदी प्राधिकरण का गठन अधिकरण के वर्ष 1991 के आदेश और इसके आगे के सभी संबंधित आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए किया गया था। कैलेंडर वर्ष 1999 और 2000 के दौरान कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार अपेक्षित प्रवाह की तुलना में मेत्तुर जलाशय में साप्ताहिक अन्त: प्रवाह का वितरण संलग्न है। कावेरी नदी प्राधिकरण ने अब तक दो बैठकें की हैं और कावेरी मानीटरी समिति ने छ: बैठकें की हैं।

विवरण

महीना	साप्ताहिक प्रवाह 1999 (टी.एम.सी.)		महीना	साप्ताहिक प्रवाह 2000 (टी.एम.सी.)	
	कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार मेत्तूर जलाशय में निर्धारित प्रवाह	मेत्तूर जलाशय में वास्तविक प्रवाह (तमिलनाडु सरकार की सूचना के अनुसार)		कावेरी जल विवाद अधिकरण के अंतरिम आदेश के अनुसार मेत्तूर जलाशय में निर्धारित प्रवाह	मेत्तूर जलाशय में वास्तविक प्रवाह (तमिलनाडु सरकार की सूचना के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
जून			जून		
1.	2.371	1.211	I	2.371	1.316
2.	2.371	2.865	Ii	2.371	0.502
3.	2.371	1.263	III	2.371	0.217
4.	3.048	5.077	IV	3.048	1.406
कुल मासिक	10.161	10.436	कुल मासिक	10.16	3.934
जुलाई			जुलाई		
1.	9.655	0.989	I	9.655	4.348
2.	9.655	0.956	II	9.655	3.781
3.	9.655	4.271	III	9.655	7.502
4.	13.794	17.894	IV	13.794	2.357
कुल मासिक	42.759	24.110	कुल मासिक	42.76	17.277
अगस्त			अगस्त		
1.	12.356	19.829	I	12.356	7.202
2.	12.356	23.968	II	12.356	3.487
3.	12.356	6.669	III	12.356	3.487
4.	17.652	5.413	IV	17.652	25.069
कुल मासिक	54.720	55.879	कुल मासिक	54.72	39.244

1	2	3	4	5	6
सितम्बर			सितम्बर		
1.	6.851	3.279	I	6.851	10.075
2.	6.851	2.026	II	6.851	10.569
3.	6.851	0.884	III	6.851	12.640
4.	8.808	4.017	IV	8.808	23.978
कुल मासिक	29.361	10.206	कुल मासिक	29.36	59.45
अक्टूबर			अक्टूबर		
1.	6.813	13.807	I	6.813	31.594
2.	6.813	9.313	II	6.813	38.540
3.	6.813	11.958	III	6.813	15.287
4.	9.732	46.874	IV	9.732	28.827
कुल मासिक	30.171	81.952	कुल मासिक	30.17	114.247
नवम्बर			नवम्बर		
1.	3.745	12.657	I	3.745	6.645
2.	3.745	6.415			
3.	3.745	4.765			
4.	4.815	15.590			
कुल मासिक	16.050	39.427			
दिसम्बर					
1.	2.342	6.071			
2.	2.342	4.490			
3.	2.342	4.196			
4.	3.345	5.325			
कुल मासिक	10.371	20.082			
कुल	193.593	242.092	उप जोड़	167.171	234.155

'ड्रिप' पोलियो टीकाकरण

565. श्री जार्ज ईडन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अभी तक वर्ष 1999 और 2000 के दौरान 'ड्रिप' पोलियों टीकाकरण पर सरकार द्वारा कितनी धनराशि व्यय की गई तथा तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में प्रत्येक 'ड्रिप' पोलियों टीकाकरण के द्वारा कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं, और तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) 1999-2000 और 2000-2001 के दौरान पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए राज्यवार जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण 1 में दिया गया है।

(ख) पल्स पोलियों रोग प्रतिरक्षीकरण के दौरों द्वारा कवर किए गए बच्चों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

विवरण-1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधियां (लाख रुपये में)	
		1999-2000	2000-2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1161.94	457.09
2.	अरुणाचल प्रदेश	185.10	6.31
3.	असम	785.73	393.18
4.	बिहार	1695.69	2206.53
5.	गोवा	35.83	5.99
6.	गुजरात	954.71	590.06
7.	हरियाणा	329.11	352.79
8.	हिमाचल प्रदेश	272.86	66.06
9.	जम्मू व कश्मीर	257.17	96.06
10	कर्नाटक	590.77	372.20
11.	केरल	525.41	130.25
12.	मध्य प्रदेश	2237.09	1334.82
13.	महाराष्ट्र	1269.71	516.61
14.	मणिपुर	138.51	9.52
15.	मेघालय	114.42	13.45
16.	मिजोरम	66.54	3.59
17.	नागालैंड	112.67	7.59
18.	उड़ीसा	899.83	145.73
19.	पंजाब	361.01	312.18
20.	राजस्थान	1200.65	939.58
21.	सिक्किम	63.15	2.45
22.	तमिलनाडु	880.43	329.70
23.	त्रिपुरा	90.63	12.80
24.	उत्तर प्रदेश	2876.25	3535.13
25.	प. बंगाल	1031.88	1104.74
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	14.41	2.09
27.	चंडीगढ़	30.23	5.15
28.	दादर एवं नागर हवेली	25.83	1.56
29.	दमन एवं दीव	34.26	0.98
30.	दिल्ली	24.01	0.60
31.	लक्षद्वीप	240.64	257.38
32.	पांडिचेरी	51.01	4.91
	कुल	18557.45	13217.09

विवरण-2

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	24 अक्टू. 1999	21 नव. 1999	19 दिस. 1999	23 जून 2000	27 फर. 2000	26 मार्च 2000	23 अप्रैल 2000	24 सित. 2000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अं.नि.द्वि. समूह	40095	40128	40004	40253				
2.	आंध्र प्रदेश	9848606	10446207	10343361	10250317				
3.	अरुणाचल प्रदेश	191835	197863	197187	198734				
4.	असम	4221984	4267636	4423809	4397860	4492651	4553661		
5.	बिहार	19301316	18269368	19815850	19057161	21209779	19919187		20035015
6.	चंडीगढ़	104773	110063	113480	115230				
7.	दा. एवं ना.हवेली	29250	29289	30900	31692				
8.	दमन एवं दीव	16492	17230	17993	18606				
9.	दिल्ली	1943749	2015191	2118412	2269537		1930688		2313104
10.	गोवा	119941	122799	124562	128113				
11.	गुजरात	6160034	5900755	6383787	6603064	6622070	6686777		
12.	हरियाणा	3185589	3335029	3456469	3543661				
13.	हिमाचल प्रदेश	669587	674656	681151	688383				
14.	ज. एंड कश्मीर	1499222	1536400	1447142	257854				
15.	कर्नाटक	6382044	7094088	7077449	6861814				
16.	केरल	2856848	2868981	2875708	2886227				
17.	लक्षद्वीप	6572		Not Reported	6725				
18.	मध्य प्रदेश	12136544	12348675	12511535	13769457	13476675	13415303		
19.	महाराष्ट्र	8686384	8783592	8893023	116742				
20.	मणिपुर	223888	323692	330647	299667				
21.	मेघालय	429890	421849	418940	426330				
22.	मिजोरम	110928	110089	109604	110920				
23.	नगालैंड	227333	232755	229348	237296				
24.	उड़ीसा	4031529	2532943	4568137	4601990	4639264	4317325	1981373	
25.	पांडिचेरी	95349	102089	102389	103934				
26.	पंजाब	3374277	3410874	3504395	3491648				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27.	राजस्थान	9636232	9850831	9795060	9010618	9864273	10028476		
28.	सिक्किम	72630	74685	73236	74265				
29.	तमिलनाडु	6888523	7040429	7212537	7290497				
30.	त्रिपुरा	386684	387972	392969	405540				
31.	उत्तर प्रदेश	29782249	30763206	31567427	31468584	31969325	32226046		31957229
32.	पं. बंगाल	8829634	9008168	8173979	9167293	9210050	9117830		7023754
	कुल	141490011	142317532	147030690	149290012	101484087	102195293	1981373	61329102

[हिन्दी]

सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों की मांग

566. श्री विजय गोयल: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए भारतीय इंजीनियरों की मांग विगत तीन वर्षों में बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधीब्यौरा क्या है इस संबंध में विभिन्न देशों से कितने अनुरोध प्राप्त हुए हैं और देश-वार अब तक कितने पेशेवर विदेश गए हैं;

(ग) क्या इससे हमारे देश में इंजीनियरों की कमी हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए अथवा देश के हित में इंजीनियरों को विदेश जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी कार्यदल द्वारा निर्धारित वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमेरिकी डालर के निर्यात-लक्ष्य के आधार पर नैसकॉम मैकिन्से रिपोर्ट ने वर्ष 2008 तक घरेलू स्तर पर कुल 223 लाख सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ की आवश्यकता बतायी है। इसके अतिरिक्त, अगले पांच वर्षों में पूरे विश्व में 15 लाख सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों की कमी रहेगी। यह संख्या संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप एवं जापान सहित दक्षिण पूर्व एशिया में प्राय: समान रूप से विभाजित है। सरकार विदेश में काम करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों के देश छोड़ने को विनियमित अथवा निर्देशित नहीं करती है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा स्तरों पर सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:- स्मार्ट विद्यालयों की स्थापना, आभासी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना, डीओईएसीसी योजना के जरिए अनौपचारिक क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षण तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कॉलेजों एवं अन्य इंजीनियरिंग कॉलेजों में सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े विषयों में विद्यार्थियों की भर्ती को बढ़ाना। किसी भी प्रकार की गंभीर कमी उत्पन्न होने की संभावना नहीं है।

प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अधीन लघु उद्योग

567. डा. जसवंतसिंह यादव: क्या लघु, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में विशेषकर अलवर जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत कितने लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं;

(ख) राजस्थान में इस योजना के अंतर्गत लघु और कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ग) इन आवेदन पत्रों को निपटाने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन आवेदन पत्रों को निपटाने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत राजस्था में 1993-94 से 1999-2000 के दौरान स्वरोजगार उपक्रम स्थापित करने हेतु 49864 शिक्षित बेरोजगार युवाओं को ऋण संवितरित कर दिए गए हैं। इस अवधि के दौरान अलवर जिले में 1814 व्यक्तियों को ऋण संवितरित किए गए मूल्यांकन अध्ययनों ने दर्शाया है कि अधिकतर मामलों में जहां भी ऋण संवितरित किए गए, वहां इकाईयां भी स्थापित की गईं।

(ख) राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है कि राज्य के जिला उद्योग केन्द्रों में 31.03.2000 की स्थिति के अनुसार 2089 प्रार्थना पत्र लम्बित पड़े थे।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मानकों के अनुसार बैंकों को प्रायोजित किए जाने वाले प्रार्थना पत्र लक्ष्य के 125% के बराबर होने चाहिए। इसलिए किसी भी वित्तीय वर्ष के अन्त में कुछ लम्बित प्रार्थना पत्र होना संभाव्य है। राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार चालू वर्ष के दौरान लम्बित प्रार्थना पत्र बैंकों को प्रायोजित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

मलेरिया और कुष्ठ रोग के लिए कर्नाटक से प्रस्ताव

568. श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:
श्री जी.एस. बसवराज:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से शहरी मलेरियां उन्मूलन कार्यक्रम हेतु अपने हिस्से के रूप में सामग्री के लिए पांच लाख रुपये और राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम हेतु 62 लाख रुपये जारी करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2000-2001 हेतु बजट का आवंटन कर दिया गया है लेकिन राज्य को निधियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के मुख्य कारण क्या हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) मलेरिया (शहरी) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (शहरी) के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 के दौरान कर्नाटक को सहायता देने के लिए 81.86 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

यह आवंटन अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार कर्नाटक को लार्वानासी दवाइयों एवं अन्य वस्तुओं की पूर्ति-हेतु किया गया है। इन मदों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

कुष्ठ:

राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2000-01 के दौरान कर्नाटक के लिए 199.75 लाख रुपये नकद और सामग्री के रूप में आबंटित किए गए हैं। इस आवंटन में से राज्य को 31.75 लाख रुपये की राशि पहले ही जारी कर दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विषाणुओं से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम हेतु निगरानी तंत्र

569. श्री सुरेश रामराव जाधव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में हर वर्ष विषाणुओं के कारण फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए एक कुशल निगरानी तंत्र विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) संचारी रोगों हेतु एक राष्ट्रीय समुदाय आधारित रोग निगरानी कार्यक्रम देश के 45 जिलों में प्रायोगिक तौर पर शुरू किया गया है। अंतत: इस कार्यक्रम को बढ़ाकर पूरे देश को कवर करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रकोपों के चेतावनी संकेतों की पहचान और इन प्रकोपों और रोगों

की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु तीव्र अनुक्रिया प्राप्त करना है। कार्यक्रम की कार्यनीतियां निम्नलिखित हैं:-

- प्रशिक्षण,
- प्रयोगशालाओं और कार्यालय का आधुनिकीकरण और समुन्नयन,
- केन्द्रीय स्तरों से परिधीय स्तरों तक रोग निगरानी के अनुबंध को सुदृढ़ करना,
- राज्य/क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं का नेटवर्क बनाना,
- सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण संबंधी कार्यकलाप,
- सम्प्रेषण और डाटा प्रोसेसिंग के इलेक्ट्रानिक तरीके।

परमाणु हथियारों पर भारत का प्रस्ताव

570. **श्री नरेश पुगलिया: क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 55वें सत्र में परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रस्ताव रखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में मतदान हुआ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) किन किन देशों ने (1) उक्त प्रस्तावों का समर्थन किया था (2) कौन-कौन से देश इन प्रस्तावों के विरुद्ध थे और (3) कितने देश तटस्थ रहे; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ङ) जी, हां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की 55वीं महासभा की प्रथम समिति के समक्ष "नाभिकीय हथियारों के प्रयोग पर प्रतिबंध से संबद्ध अभिसमय" पर अपना पारंपरिक संकल्प प्रस्तुत किया । इस प्रस्ताव के पक्ष में जिसे 30 देशों ने सहप्रायोजित किया, 101 मत पड़े, विरोध में 42 मत पड़े और 14 देशों ने भाग नहीं लिया।

(च) सरकार का मानना है कि नाभिकीय नीतियों मे प्रथम प्रयोग नहीं तथा नाभिकीय शस्त्र रहित राज्यों के विरुद्ध प्रयोग न करने का खुलासा होना चाहिए ताकि समूचे विश्व में नाभिकीय शस्त्रों को अवैध घोषित करने की प्रक्रिया आरंभ हो सके। नाभिकीय सस्त्रों के उपयोग और उनके उपयोग के खतरे पर प्रतिबंध लगाने वाले एक बहुपक्षीय करार से अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा सुदृढ़ होगी और इससे नाभिकीय हथियारों के उन्मूलन के लिए बातचीत का वातावरण बनेगा।

सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र

571. **श्री सुनील खां: क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल में सूचना और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की सहायता से केन्द्र की स्थापना करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) वह कौन सा राज्य है जहां सूचना और प्रौद्योगिकी केन्द्रों का तेजी से विकास हो रहा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) से (घ) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम और जम्मू तथा कश्मीर जैसे सर्वाधिक कम मूलसंरचनात्मक सुविधाओं वाले राज्यों के लिए सामुदायिक सूचना केन्द्रों (सीआईसी) की स्थापना की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। किसी अन्य राज्य में ऐसे केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

572. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना के कार्यान्वयन को सरल और व्यवस्थित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत एक वर्ष के दौरान जारी की गई और व्यय की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्यान्वयन को सुव्यवस्थित एवं सरल बनाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजन के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों की आवधिक समीक्षा की जाती है तथा समय-समय पर आवश्यक संशोधन किए जाते हैं।

(ग) चूंकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियां अव्यपगत होती हैं, 31/10/2000 तक के अवमोचन एवं व्यय के संचयी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

लोक सभा एवं राज्य सभा सांसदों को अवमोचन/व्यय का संक्षिप्त विवरण (31.10.2000 तक)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1993-2001				
		भारत सरकार द्वारा अवमोचन (रु. लाख में)	स्वीकृति राशि (रु. लाख में)	अवमोचन पर प्रतिशत स्वीकृत	किया गया व्यय (रु. लाख में)	अवमोचन पर प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	नामांकित	6700	5213.5	77.8	3379.9	50.4
2.	आंध्र प्रदेश	54795	49562.0	90.4	33872.4	61.8
3.	अरुणाचल प्रदेश	2565	2238.8	87.3	1600.7	62.4
4.	असम	17195	14110.0	82.1	10904.9	63.4
5.	बिहार	59910	49886.0	83.3	36334.3	60.6
6.	गोवा	2165	1519.2	70.2	1201.0	55.5
7.	गुजरात	31375	25908.0	82.6	17676.8	56.3
8.	हरियाणा	12425	10891.0	87.7	8349.3	67.2
9.	हिमाचल प्रदेश	6185	5283.8	85.4	4388.4	71.0
10.	जम्मू और कश्मीर	4200	3289.9	78.3	1855.9	44.2
11.	कर्नाटक	34250	28859.0	84.3	21846.8	63.8
12.	केरल	23225	19915.0	85.7	11790.9	50.8
13.	मध्य प्रदेश	48255	40607.0	84.2	31708.2	65.7
14.	महाराष्ट्र	55515	47683.0	85.9	28704.4	51.7
15.	मणिपुर	2715	2352.7	86.7	1978.3	72.9
16.	मेघालय	1915	1507.7	78.7	1428.3	74.6
17.	मिजोरम	1910	1707.0	89.4	1598.4	83.7

1	2	3	4	5	6	7
18.	नागालैंड	1660	1722.0	103.7	1510.0	91.0
19.	उड़ीसा	26740	22241.0	83.2	13949.2	52.2
20.	पंजाब	15405	12505.0	81.2	7002.4	45.5
21.	राजस्थान	31365	26819.0	85.5	17300.3	55.2
22.	सिक्किम	1710	1620.8	94.8	1501.1	87.8
23.	तमिलनाडु	55985	52907.0	94.5	42701.5	76.3
24.	त्रिपुरा	2415	2027.2	83.9	1072.3	44.4
25.	उत्तर प्रदेश	100475	85960.0	85.6	62424.6	62.1
26.	पश्चिम बंगाल	44055	36784.0	83.5	23956.0	54.4
27.	अंडमान निकोबार द्वीप	505	327.1	64.8	327.1	64.8
28.	चंडीगढ़	655	537.1	82.0	340.0	51.9
29.	दादर व नागर हवेली	955	843.5	88.3	493.2	51.6
30.	दमन व दीव	605	471.4	77.9	471.4	77.9
31.	दिल्ली	9195	7731.2	84.1	5482.7	58.6
32.	लक्षद्वीप	755	716.4	94.9	716.4	94.9
33.	पांडिचेरी	1710	1585.9	92.7	574.7	33.6
	कुल योग	659490	565331.6	85.7	398441.6	60.4

[अनुवाद]

कम्प्यूटर को प्रचालित करने से स्वास्थ्य को नुकसान

573. **श्री एस.पी. लेपचा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कम्प्यूटर को इस्तेमाल/प्रचालित करने से स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है;

(ख) क्या किसी संगठन द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) स्वास्थ्य के बारे में कम्प्यूटरों के उपयोग/चलाने के दुष्प्रभावों (यदि कोई हो) का मूल्यांकन करने के लिए भारत में अब तक कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

के.स.स्वा. योजना के आयुर्वेदिक अस्पतालों/दवाखानों में बवासीर क्लीनिक

574. **श्री अधीर चौधरी:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक अस्पतालों/दवाखानों में बवासीर का इलाज करने वाले कितने क्लीनिक हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक अस्पताल, लोदी रोड, नई दिल्ली में बवासीर का इलाज करने वाले क्लीनिक कब से चल रहा है;

(ग) क्या इस बवासीर क्लीनिक के लिए संबंधित प्राधिकारियों की आवश्यक अनुमति ले ली गई थी। यदि हां, तो उनकी तारीख-वार तथा संख्या वार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस क्लीनिक की शुरूआत के समय से जो विशेषज्ञ इसकी चिकित्सा कार्य करते हैं, उनके नाम क्या हैं; और

(ङ) इस क्लीनिक पर 1998-99 और 2000 के दौरान आज तक कितनी राशि व्यय की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) पाइल्स, फिस्टूला-इन एनो इत्यादि के रोगियों के उपचार के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड, नई दिल्ली में एक साप्ताहिक क्लिनिक चल रहा है।

(ख) यह सुविधा वर्ष 1990 में शुरू की गई थी।

(ग) जी, हां। अनुमति दिनांक 9.8.1990 के आदेश सं. 5-8/90/ सी एण्ड पी/के.स.स्वा.यो. के तहत प्रदान की गई थी।

(घ) डा. एस.के. शर्मा. सलाहकार (आयुर्वेद) सप्ताह में एक बार इस क्लिनिक में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त डा. आर. रेड्डी और डा. टी. दिवाकर राव जैसे अन्य नियमित डाक्टर भी रोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

(ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आयुर्वेदिक अस्पताल, लोधी रोड में पाइल्स क्लिनिक हेतु कोई अलग बजट प्रावधान नहीं किया जाता है। तथापि, आयुर्वेदिक दवाओं की खरीद हेतु आवंटित धनराशि में से इस खर्च को पूरा किया जाता है।

[हिन्दी]

अधिकारियों पर व्यय

575. श्री पी.आर. खूंटे: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में वर्ष-वार हज यात्रियों के साथ जाने वाले भारतीय अधिकारियों पर किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश के समक्ष वित्तीय संकट की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस व्यय को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्तमान हज यात्रा के दौरान कुल कितना व्यय होने का अनुमान है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान हज यात्रियों के साथ जाने वाले भारतीय अधिकारियों पर होने वाला व्यय निम्नलिखित है:-

वर्ष	कुल व्यय (रु.)
1997-98	5,70,57,587
1998-99	6,11,98,964
1999-2000	8,15,56,350

जबकि मितव्ययता बरतने के सभी प्रयास किये जाते हैं गौरतलब है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान हज समिति के जरिए हज करने वाले हज यात्रियों की संख्या लगभग 63,000 से बढ़कर लगभग 72,000 हो गयी है। जिसके कारण हजयात्रियों के साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या बढ़ी है। हज-1998 के लिए सरकार ने 398 अधिकारियों को सऊदी अरब भेजा जिसमें चिकित्सा मिशन तथा प्रशासनिक कर्मचारी शामिल थे। हज- 2000 के लिए कम से कम आवश्यकता के आकलन के आधार पर सरकार ने हज यात्रियों के साथ जाने वाले अधिकारियों की संख्या घटाकर 384 कर दी।

हज-2000 के लिए हज यात्रियों के साथ जाने वाले अधिकारियों पर 7,80,49,750 रु. का व्यय आने की आशा है।

[अनुवाद]

जल बंटवारा संबंधी समझौते

576. श्री टी. गोविन्दन: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नदी जल बंटवारे के संबंध में भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच विद्यमान समझौतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन समझौतों के अन्तर्गत कुछ परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) भारत और पड़ोसी देशों के बीच नदी जल के बंटवारे के संबंध में निम्नलिखित समझौते हुए हैं:-

(1) "सारदा बैराज, टनकपुर बैराज और पंचेश्वर बहुदेश्यीय परियोजना सहित महाकाली नदी के एकीकृति विकास" के संबंध में नेपाल की महामहिम सरकार तथा भारत सरकार ने बीच संधि। इस संधि पर 12 फरवरी, 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे और 5 जून, 1997 को इसकी अभिपुष्टि की गई।

(2) फरक्का पर गंगा नदी के जल के बंटवारे संबंधी भारत गणराज्य की सरकार और बंगलादेश जनतांत्रिक गणराज्य की सरकार के बीच संधि। इस संधि पर 12 दिसम्बर, 1996 को हस्ताक्षर किए गए थे।

(3) भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि इस संधि पर 19 सितम्बर, 1960 को हस्ताक्षर किए गए थे। तथापि, संधि 1 अप्रैल, 1960 से लागू हुई।

(ख) और (ग) उपरोक्त क्रम संख्या (क) (1) पर दिए गए समझौते के संबंध में पंचेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए केवल विस्तृत क्षेत्र सर्वेक्षण और अन्वेषण ही शुरू किए गए हैं। उपरोक्त क्रम संख्या (क) (2) पर उल्लिखित समझौते के संबंध में किसी भी परियोजना का निर्माण नहीं शुरू किया गया है।

मध्यावधि समीक्षा

577. **श्री अनन्त नायक**: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गरीबी उन्मूलन योजनाओं के क्रियान्वयन की मध्यावधि समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार तथ्य क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) जी, हां। गरीबी-रोधी कार्यक्रमों सहित नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) का मध्यावधि मूल्यांकन किया गया है। मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं जारी कर दी गई हैं तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के बारे में सूचना विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के मध्यावधि मूल्यांकन की मुख्य विशेषताएं

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम:

1980 में गरीबी में पर्याप्त रूप से कमी आई थी। गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का अनुपात 1973-74 के 54.9 प्रतिशत से गिरकर 1993-94 में 36 प्रतिशत हो गया। हालांकि नवीनतम अनुमान सुझाते है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के अनुपात एवं संख्या के अनुपात में कमी के संबंध में, नौवीं योजना में लगाए गए अनुमान योजना अवधि के प्रथम दो वर्षों में प्राप्त नहीं किए गए हैं।

ऐसी स्थिति के अग्रलिखित कारण हो सकते हैं: कृषि क्षेत्र में धीमा विकास जो सभी जगह समान भी नहीं रहा, श्रम समावेशन नहीं बढ़ा इसलिए वास्तविक मजदूरी की दर में वृद्धि कम ही हुई, सबसे गरीब वर्गों, विशेषकर जनजातियों के लोगों के हित के विरुद्ध काम करने वाली कुछ नीतियों का जारी रहना उत्तरी एवं पूर्वी राज्यों में सबसे गरीब वर्गों तक टीपीडीएस की अपर्याप्त अभिगम्यता, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों से उपाजा राजकोषीय सकट जिसके कारण राज्य सामाजिक क्षेत्रकों पर खर्च करने में उतने समर्थ नहीं रहे, ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्रक का सीमित विकास तथा खराब प्रशासन।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी): मूल्यांकन बिन्दु: कम महत्व के क्षेत्रों में निवेश, अव्यवहार्य परियोजाएं, निरक्षर एवं अकुशल लाभार्थी जिनके पास किसी उद्यम के प्रबंधन का कोई अनुभव नहीं है, बैंकों द्वारा सरोकारहीन तरीके से ऋण प्रदान किया जाना, कुछ परियोजनाओं जैसे डेयरी को अत्यधिक उधार दिया जाना, व्यापार, सेवा एवं साधारण प्रसंस्करण जैसी गतिविधियों पर कम जोर दिया जाना, गरीबी मुक्त लोगों का ठीक ढंग से चुनाव न किया जाना, बढ़ती हुई ऋणग्रस्तता, आईआरडीपी पर सरकार और बैंकों की क्षमता से अधिक उपाय होना।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम-सम्बद्ध कार्यक्रम: ट्राइसैम को आईआरडीपी के अनुरूप नहीं बनाया गया। ऐसे प्रशिक्षण केन्द्र जिनका यथार्थ में कोई अस्तित्व नहीं है। वृद्धि का भुगतान न किया जाना (छपरा अध्ययन) डवाकरा के माध्यम से कुछ राज्यों (आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात) में अच्छा काम हुआ।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना: (आईआरडीपी की उत्तरवर्ती स्कीम) का उद्देश्य समूह एप्रोच पर जोर देते हुए लघु

उद्यमों को बढ़ावा देना है। यह एक ऋण व सब्सिडी कार्यक्रम है। स्वयंसेवी समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना। विगत में सब्सिडी अभिमुखीकरण से भ्रष्टाचार फैला और उद्देश्यों का रूप बिगड़ा। अभी इसका मूल्यांकन करने करा सही समय नहीं आया है।

जवाहर रोजगार योजना: मूल्यांकन बिन्दु: अपर्याप्त रोजगार (समवर्ती मूल्यांकन के अनुसार 11 दिन) संसाधनों का कम प्रसार सामग्री श्रम मानदंडों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार (झूठी नामावलियां तैयार किया जाना)। परियोजनाओं पर कार्य ठेकेदारों द्वारा किया गया जो कम मजदूरी पर मजदूरों को रखते थे। सकारात्मक पहलू: स्थायी समुदायिक परिसम्पत्तियां तथा ग्राम पंचायतों को अधिकार प्रदान करना। अप्रैल, 1999 में इसे जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के रूप में पुन: अभिकल्पित किया गया। अब इसका प्राथमिक उत्तरदायित्व ग्रामीण आधारिक संरचना का विकास करना है। रोजगार गौण है। अभी इसका मूल्यांकन करने का सही समय नहीं है।

रोजगार आश्वासन स्कीम: शुरूआत में यह स्कीम मांग आधारित स्कीम थी। **निधियां बेहतर राज्यों को दी गई थी। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्याकन:** स्कीम को केन्द्रीय दिशा-निर्देशों का उल्लंखन करते हुए अधिकतर राज्यों में ठेकेदारों के माध्यम से निष्पादित किया जा रहा है। मजदूरी और सामग्री के लिए 60:40 के मानक का पालन नहीं किया जा रहा, ग्राम पंचायतों द्वारा सही नामावली नहीं रखी जा रही, परिवार कार्ड जारी नहीं किए गए हैं। ग्राम पंचायतों के पास नौकरी चाहने वालों के पंजीकरण की पद्धति प्रचलन में नहीं है, जलसंभर विकास के लिए 40 प्रतिशत निधियां और लघु सिंचाई के लिए 20 प्रतिशत निधियां उद्दिष्ट करने के केन्द्रीय मानकों का अनुपालन नहीं किया जा रहा।

अप्रैल, 1999 से इसे एकल मजदूरी रोजगार स्कीम के रूप में पुन: विरचित किया गया था, यह आबंटनात्मक बन गई, 30 प्रतिशत निधियां स्थानिक श्रम पलायन और संकटग्रस्त क्षेत्रों वाले जिलों को आवंटित की गई। पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है, इसे सार्वजनिक स्कीम नहीं होना चाहिए।

एनएसएपी: भली-भाति लक्षित है, कम लीकेज सूचित किए हैं, अधिक संसाधनों की आवश्यकता है

डिलीवरी मैकेनिज्म: गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में मुख्य कमजोरी उन लोगों द्वारा पर्याप्त भागीदारी का अभाव है जिनके लिए ये अभिप्रेत हैं। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भूमिका पर बल दिया जाना चाहिए।

राज्य पहलें: बेहतर स्वामित्व और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप कार्यक्रमों के डिजाइन में लोच के कारण बेहतर कार्य करती है। उदाहरणार्थ गोकुल ग्राम योजना, अपना गांव अपना काम, बहुमश्री।

ग्रामीण आवास: इंदिरा आवास योजना 1.1.1996 से एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) बन गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में इसकी यूनिट लागत 20,000 और पर्वतीय और जनजातीय क्षेत्रों में 22,000 है। 10,000 रुपये की यूनिट लागत पर मौजूदा आवासों का आधुनिकीकरण अब अनुमेय है। ऋण-सह-सब्सिडी का एक नया घटक भी जोड़ दिया गया है। किसी भी दिए गए गांव/ब्लॉक/जिलों में सभी परिवारों को कवर करने में काफी समय लगेगा यह गरीबों को वर्गों में संगठित करने में मदद की बजाय उन्हें विभाजित करने जैसा है। आदेशों के बावजूद ग्राम सभाएं लाभार्थियों के निर्धारण में सक्रिय नहीं है।

भूमि सुधार: ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आयसृजन के लिए भूमि तक पहुंच अभी भी महत्वपूर्ण है।

पट्टेदारी के उदारीकरण के माध्यम से भूमि तक पहुंच संभव है, लेकिन पट्टेदारी को छोटे और सीमांत किसानों तक सीमित होना चाहिए। उत्पादन की सामंतवादी/अर्द्धसामंतवादी पद्धतियों वाले क्षेत्रों में गरीबों के धारण-अधिकार की सुरक्षा के लिए मौजूदा कानूनों को और मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

जनजातीय भूमि का हस्तांतरण अनवरत रूप से जारी है लेकिन इसे रोके जाने की आवश्यकता है।

उत्तराधिकार नियमों और भूमि नियमों, दोनों में लिंगीय असमानता मौजूद है। कृषि भूमि के संबंध में उत्तराधिकार नियमों को लिंगीय रूप से अधिक समान बनाने के लिए संशोधित किए जाने की आवश्यकता है।

सूचना तक आसान पहुंच के लिए भूमि रिकार्ड अद्यतन बनाने और उसके कम्प्यूटरीकरण की आवश्यकता है।

शहरी विकास, आवास और गरीबी उन्मूलन:

सार्वजनिक नीति में शहरी गरीबी, उपेक्षा का एक महत्वपूर्ण और निरन्तर बना हुआ क्षेत्र है और आय में कमी और क्रय शक्ति को व्यक्त करता है जिसका कारण उत्पादक रोजगार में कमी, मुद्रास्फीति की उच्च दर, सामाजिक आधार संरचना तक पहुंच का आभाव है जिसके कारण लोगों की जीवन-दशा प्रभावित होती है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रही कुल शहरी जनसंख्या के 1993-94 के सरकारी अनुमान 32.36 प्रतिशत थे।

संशोधित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जिसे स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) के रूप में पुनः नामित किया गया है, में दो स्कीमें शामिल हैं (क) शहरी स्वःरोजगार कार्यक्रम (यूएसईपी) और (ख) शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम (यूडब्ल्यूईपी)। प्रभाव मूल्यांकन का सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

आई.ए.एस. अधिकारी

578. श्री राजो सिंह: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के कितने अधिकारी हैं;

(ख) इन सेवाओं के कितने अधिकारी केन्द्र और विभिन्न राज्यों में प्रतिनियुक्त हैं;

(ग) भारतीय विदेश सेवा के कितने अधिकारी आज की तारीख के अनुसार भारत और विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर हैं; और

(घ) प्रति वर्ष विभिन्न सेवाओं में कितने अधिकारियों की भर्ती की जाती है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार है:

भारतीय प्रशासनिक सेवा, (01.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार)	भारतीय पुलिस सेवा (30.8.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार)	भारतीय विदेश सेवा (17.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार)
5096	3253	606

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी विभिन्न राज्यों के संवर्गों के होते हैं। इस समय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 787 अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के 425 अधिकारी अपने-अपने राज्यों-संवर्गों से केन्द्रीय सरकार में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 60 अधिकारी और भारतीय पुलिस सेवा के 13 अधिकारी अपने-अपने संवर्गों से अन्तर राज्य-प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। जहां तक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों का संबंध है, इस सेवा के 21 अधिकारी अन्य मंत्रालयों/विभागों में प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं। भारतीय विदेश सेवा का कोई भी अधिकारी राज्यों में प्रतिनियुक्ति पर नहीं चल रहा है।

(ग) 17.11.2000 को मौजूद स्थिति के अनुसार, भारतीय विदेश सेवा के 190 अधिकारी भारत में सेवारत थे और 416 अधिकारी विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में/पदों पर तैनात थे।

(घ) भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा में पिछले पांच वर्ष में की गई वार्षिक भर्ती निम्नानुसार रही:-

वर्ष	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा	भारतीय विदेश सेवा
1996	80	100	16
1997	76	96	14
1998	55	84	16
1999	55	36	10
2000	56	36	08

[अनुवाद]

विदेशों में रोजगार के अवसर

579. श्री कालवा श्रीनिवासुलु: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में रोजगार चाहने वाले भारतीय श्रमिकों के लिए वहां रोजगार के अवसरों में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या विदेशों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) अधिकांश कर्मकार ठेकागत रोजगार के लिए खाड़ी देशों को

उत्प्रवास करते हैं। इन देशों में कर्मकारों की मांग में गिरावट आयी है। ऐसा मुख्यतः आर्थिक क्रियाकलापों की गति में कमी आने, स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने पर बल दिए जाने और इन देशों द्वारा कुछ तरह के जातीय संतुलन बनाए रखने के कारण हुआ है। कर्मकारों की मांग इन देशों की नीतियों द्वारा निर्धारित की जाती है। तथापि, भारतीय मिशन इस मामले में इन देशों की सरकारों से लगातार सम्पर्क बनाए हुए हैं।

[हिन्दी]

संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय श्रमिक

580. **श्री तुफानी सरोज:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त अरब अमीरात सरकार में कार्यरत भारतीय श्रमिकों की संख्या घटी है;

(ख) यदि नहीं, तो वर्तमान में कार्यरत भारतीयों की कुल संख्या क्या है;

(ग) क्या संयुक्त अरब अमरीता की सरकार ने भरतीय श्रमिकों की संख्या पर रोक लगाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका भारतीय श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी,हां। संयुक्त अरब अमीरात में इस समय भारतीयों की कुल संख्या लगभग 10 लाख है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत और पाकिस्तान से अकुशल, अर्धकुशल, कुशल कर्मकारों की भर्ती पर रोक है। तथापि, व्यवसायियों की भर्ती पर यह रोक लागू नहीं होती है। यह रोक इस कारण लगाई गई है क्योंकि (क) राष्ट्रीय जनसंख्या की तुलना में गैर अनुपातिक प्रवासी जनसंख्या से उत्पन्न जनसांख्यिकीय असन्तुलन; और (ख) अनिस्तत्व वाली परियोजाओं के लिए कंपनियों द्वारा बाहर से श्रमिकों की भर्ती के कारण श्रमिकों की बहुलता का सामना करने के लिए तथापि, मामला-दर-मामला आधार पर भारत में अभी भी भर्ती की अनुमति दी जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भविष्य निधि

581. **प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों के प्रशासन में कतिपय लापरवाही बरती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या मौके पर स्थिति का अध्ययन करने हेतु दिल्ली में कोई दल वहां भेजा गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(घ) भविष्य निधि के स्थानीय कार्यालय के कार्यकरण में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर्मचारियों भविष्य निधि के स्थानीय कार्यालय सामान्यतः संतोषजनक कार्य कर रहे हैं। तथापि, क.भ.नि. अंशदाताओं को त्वरित सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क.भ.नि. संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम आरंभ किया गया है। भ. निधि संबंधी दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। क.भ.नि. संगठन के सतर्कता तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। तथा भविष्य निधि दावों के निपटान के कार्य में कदाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाती है। है। लंबित भविष्य निधि दावों का क.भ.नि. संगठन के मुख्यालय में एक वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से आवधिक रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

सी.जी.एच.एस. के औषधालय खोलना

582. **डा. विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वसंत विहार में सी.जी.एच.एस. (ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक) औषधालय खोलने के लिए वसंत विहार स्थित केन्द्र सरकार आवासीय परिसर के केन्द्र सरकार कर्मचारी कल्याण संघ की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा वसंत विहार में सी.जी.एच.एस. औषधालय खोलने के लिए क्या कार्यवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वसंत विहार में एक एलोपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है लेकिन संसाधन की कमी और कर्मचारी निरीक्षण एकक की रिपोर्ट के कार्यान्वयन नहीं होने के कारण वहां फिलहाल कोई नया एलोपैथिक औषधालय खोलना संभव नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, वित्तीय कमी के कारण वसंत विहार में कोई होमियोपैथिक/आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

583. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.) के अंतर्गत स्वीकृति परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलंब को दूर करने हेतु सदस्यों और राज्य सरकारों के बीच संपर्क के लिए टेलीकान्फेरेंस प्रौद्योगिकी उपयोग करने का हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) टेलीकॉन्फेरेंस सुविधा की शुरुआत हेतु चयनित राज्य सरकारों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने तथा संदेहों को स्पष्ट करने के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र का विकास योजना के दिशा निर्देशों में जिलाध्यक्षों तथा स्थानीय अधिकारियों से संपर्क स्थापित करने के लिए सांसदों के सहयोग से आवधिक टेलीकॉन्फेरेंस का प्रावधान है। अधिक लागत एवं अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के अभाव में टेलीकॉन्फेरेंस को व्यवहार्य नहीं पाया गया। तथापि, योजना के सुचारू प्रबोधन के लिए जिलाध्यक्षों को, अनुशंसित/स्वीकृत/पूर्ण कार्यों की संख्या, प्राप्त/स्वीकृति निधियां/शेष राशि इत्यादि का ब्यौरा देते हुए मासिक विवरण प्रेषित करने का सुझाव दिया गया है। लोक सभा एवं राज्य सभा की सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना समितियां, अन्य बातों के साथ-साथ सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों की प्रगति की आवधिक समीक्षा करती है। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की लोक सभा समिति आवधिक अंतराल पर विभिन्न राज्यों में संसद सदस्यों, जिलाध्यक्षों तथा राज्य एवं केंद्रीय सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ सम्पर्क बैठकें भी आयोजित करती हैं। इनके अतिरिक्त, राज्य मंत्री (सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन) भी समय-समय पर विभिन्न राज्यों में सांसदों, जिलाध्यक्षों, संबंधित जिलाधिकारियों के साथ प्रगति की समीक्षा करने तथा अवरोधों को दूर करने के लिये बैठक बुलाते हैं। इस दृष्टि से, समान प्रयोजन के लिए इस स्तर पर टेलीकॉन्फेरेंस आयोजित करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता है।

पाकिस्तान में भारतीय अधिकारी के परिवार के सदस्यों पर हमला

584. **श्री रामचन्द्र पासवान:**
श्री राम जीवन सिंह:
श्री दिनेश चन्द्र यादव:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस्लामाबाद में सितम्बर, 2000 के आरंभ में भारतीय दुतावास के अधिकारी की नाबालिक पुत्रियों पर हमला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पाकिस्तान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मामले में क्या कार्रवाई की गई है और क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, हां।

(ख) 2 सितम्बर, 2000 को पाकिस्तान स्थित भारत के हाई कमीशन के स्टाफ सदस्यों की दो अवयस्क पुत्रियों के साथ एक घुसपैठियों द्वारा, जो हाई कमीशन के स्टाफ सदस्यों के एक मकान के कंपाउण्ड में घुस आया था, छेड़-छाड़ करने के प्रयास की गंभीर घटना हुई थी। पाकिस्तान के आसूचना अधिकारियों ने, जो मकान पर निगरानी रखे हुए थे, घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था।

(ग) भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को कड़ा विरोध किया था। इस निंदनीय अपराध के प्रति भारत का गंभीर दृष्टिकोट जताने के लिए पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था और भारत के हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात थी। भारत सरकार ने मांग की कि अपराधियों को पकड़ा जाए, उन पर मुकदमा चलाया जाए और वह चाहे कोई क्यों न हो, कानून के अनुसार उन्हें सजा दी जाए।

राजनयिक संबंधों से सम्बद्ध वियना अभिसमय, 1961 और भारत तथा पाकिस्तान में राजनयिक/कौंसली कार्मिकों के साथ व्यवहार के लिए द्विपक्षीय आचार संहिता के अनुसार हाई कमीशन और उसके कार्मिकों की सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी पाकिस्तान सरकार की है। सरकार ने पाकिस्तान को समय-समय पर वियना अभिसमय और द्विपक्षीय आचार संहिता के अंतर्गत उसके दायित्वों का स्मरण कराया है।

औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947

585. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल:
श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चिकित्सालयों, धर्मार्थ तथा शिक्षण संस्थाओं को औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की परिधि से बाहर रखने हेतु सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) औद्योगिकी विवाद अधिनियम, 1947 में प्रस्तावित विभिन्न संशोधन सामाजिक भागीदारों की जरूरतों तथा आर्थिक सुधारों के सामंजस्य पर आधारित हैं। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से पूर्व संशोधन प्रस्तावों की विभिन्न स्तरों पर संवीक्षा की जाती है। संशोधनों को अन्तिम रूप से अनुमोदित किए जाने के बाद ही इनके ब्यौरे सार्वजनिक किये जा सकते हैं।

केंद्रीय भंडारण में स्थानान्तरण

586. श्री राधा मोहन सिंह: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भंडारण में स्थानान्तरण और नियुक्तिया कामगार यूनियन के दबाव में आकर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कर्मचारियों के संबंध में विवरण क्या है जिन्हें एक स्थान पर अपना निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के पहले ही दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया;

(घ) क्या लेखन-सामग्री विभाग में नियुक्तियों के संबंध में कार्यकाल को केवल एक वर्ष ही कर देने का कोई प्रस्ताव है, चूंकि यह अति-संवेदनशील विभाग है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय भंडारण में स्थानान्तरण और तैनाती, स्थानान्तरण-नीति से संबद्ध मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार ही की जाती है जिनमें नियुक्ति की प्रकृति के आधार पर 03 से 05 वर्ष के सामान्य कार्यकाल का प्रावधान है। फिर भी, उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, कार्यालय-अनुशासन, कार्य-दक्षता की दृष्टि से अथवा अन्य प्रशासनिक लिहाजों से किसी भी कर्मचारी को उसके सामान्य कार्यालय से पहले ही, कभी भी स्थानान्तरित किए जाने का प्रावधान भी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नशा मुक्ति केन्द्र

587. श्री बृजलाल खाबरी:
श्रीमती जस कौर मीणा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नशा मुक्ति केन्द्रों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन केन्द्रों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने लोक लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) वर्ष 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 के दौरान मद्यपान तथा नशीले पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण की योजना के अंतर्गत वित्त पोषित नशा-मुक्ति तथा परामर्श केन्द्रों, इन केन्द्रों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता की सीमा तथा लाभान्वित लोगों के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	20.11.2000 की नशामुक्ति तथा परामर्श केन्द्रों की सं.	1997-98		1998-99		1999-2000	
			लाभार्थियों की संख्या	मंजूर किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	मंजूर किया गया अनुदान	लाभार्थियों की संख्या	मंजूर किया गया अनुदान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	15	3718	28.15	425	30.93	2644	71.22
2.	असम	8	998	3.13	347	19.03	1139	29.59
3.	बिहार	28	12843	108.35	9616	30.32	11796	44.38
4.	गोवा	5	551	9.22	209	6.18	1054	17.51
5.	गुजरात	13	15944	48.19	17977	44.46	22611	54.94
6.	हरियाणा	21	11227	57.16	25379	84.05	27021	94.09
7.	जम्मू व कश्मीर	2	165	10.59	168	13.65	385	10.12
8.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—
9.	कर्नाटक	18	2562	31.32	902	41.30	4819	71.69
10.	केरल	29	27923	13.59	24199	103.82	24779	119.24
11.	मध्य प्रदेश	11	10582	12.57	5336	33.58	7073	41.64
12.	महाराष्ट्र	60	9283	59.91	4170	124.32	18002	227.28
13.	मणिपुर	28	6773	67.98	5889	163.64	7081	158.07
14.	मेघालय	3	482	2.18	151	11.62	343	9.97
15.	मिजोरम	12	2702	26.43	2527	49.70	1962	51.01
16.	नागालैंड	9	1743	18.84	1826	32.05	1398	49.86
17.	उड़ीसा	36	14142	61.52	8537	103.80	15504	131.10
18.	पंजाब	17	19739	51.72	12791	62.42	17001	88.04
19.	राजस्थान	11	6024	42.82	5493	66.93	7578	66.54
20.	सिक्किम	1	447	2.06	640	—	138	3.12
21.	तमिलनाडु	36	23076	80.61	20043	65.46	25241	83.07
22.	त्रिपुरा	2	3507	5.01	5492	7.97	7187	9.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	उत्तर प्रदेश	56	42329	149.55	43961	235.74	34407	245.68
24.	पं. बंगाल	21	12454	62.10	6673	82.20	10163	116.27
25.	चंडीगढ़	2	2551	7.93	2617	9.98	3273	10.66
26.	दिल्ली	14	16199	98.91	20384	66.87	12143	60.49
27.	पांडिचेरी	2	1084	5.17	267	8.60	2089	5.43

केन्द्रीय भण्डारण का कार्यकरण

588. **डा. (श्रीमती) सुधा यादवः** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय भण्डारण में कंप्यूटर सहित कार्यालयी स्वचालित यंत्रों की दरें बाजार की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) कार्यालयी स्वचालित यंत्रों की दरों के संबंध में केन्द्रीय भण्डारण के कार्यकरण को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) कभी-कभी, केन्द्रीय भण्डार में इन मदों की दरें खुले बाजार में चल रहीं दरों से इस कारण थोड़ी ज्यादा होती हैं। कि केन्द्रीय भण्डार अपने ऊपरी खर्च की भरपाई करने की दृष्टि से, अपनी दरों में 3 से 5 प्रतिशत की गुंजाइश (मार्जिन) रखता है। और औसतन 60 से 90 दिन की अवधि में वसूली की शर्त पर, चीजें उधार बेचता है और मौके पर ही (ऑन-साइट) वारंटी-सेवाएं प्रदान करता है।

(ग) केन्द्रीय भण्डार द्वारा उत्पादकों/प्राधिकृत वितरकों से अपेक्षाकृत अधिक प्रतियोगी दरों पर वस्तुएं खरीदने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भण्डारण ने इन उत्पादों की आपूर्ति किए जाने के समय ही भुगतान कर दिए जाने पर 2 प्रतिशत की छूट देने की योजना आरंभ कर दी है।

[हिन्दी]

सीएमसी लिमिटेड की लेखा परीक्षा

589. **डा. सुशील कुमार इन्दौराः**
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को वैधानिक लेखा परीक्षक से 27 जुलाई, 2000 को सीएमसी लिमिटेड की वर्ष 1999-2000 की लेखाओं संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) क्या इसमें कई नकारात्मक लेखा पैरा या टिप्पणियाँ की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की पहचान कर ली हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सीएमसी लिमिटेड की वर्ष 1999-2000 की लेखाओं पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की टिप्पणियां मुख्यतः निम्नलिखित से संबंधित हैं;

(1) लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं करना।

(2) देनदारों/लेनदारों/अन्य देयताओं/पेशगियों/स्रोत पर कर की कटौती के प्रमाण-पत्रों पर समुचित नियंत्रण करने की आवश्यकता।

(3) वस्तुओं/सेवाओं की खरीद, बिक्री के लिए नियंत्रण तथा प्रलेखन को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता और साथ ही साथ आंतरिक लेखा परीक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता।

इन्हें नकारात्मक लेखा परीक्षा पैरा के रूप में नहीं माना जा सकता है। कंपनी ने लेखा परीक्षा की टिप्पणियों का उत्तर दे दिया है, जो निर्देशक मंडल के रिपोर्ट के साथ संलग्न है, जिसमें कंपनी ने प्रक्रियाओं/आवश्यकताओं में यथावश्यक संशोधन करने का वचन दिया है।

(घ) और (ङ) भाग (ख) तथा (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुन-पुन नदी पर बैराज का निर्माण

590. **श्री अरुण कुमार:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार सरकार का राज्य के हमिद नगर में पुन-पुन नदी पर बैराज के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो बैराज की वर्तमान स्थिति, अनुमानित लागत तथा इसके पूर्ण होने की क्या समय अवधि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय जल आयोग के विशेषज्ञों से इस संबंध में कोई अनुमान तथा अन्य ब्यौरा पहले ही प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) बैराज के पूरे होने पर कितने क्षेत्र में सिंचाई किए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) बिहार की सरकार से मई, 2000 में 84.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की पुन-पुन बैराज की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर टिप्पणियां राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। इस परियोजना की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा विभिन्न केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना पर निर्भर करती है। पूरा हो जाने पर यह परियोजना 13680 हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र को सिंचाई लाभ मुहैया कराएगी।

कार्निया की अंधता से ग्रस्त व्यक्ति और प्रत्यारोपण

591. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्रीमती रेणुका चौधरी:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत वर्षों के दौरान नेत्रदान के द्वारा कार्नियां के प्रत्यारोपण की स्थिति में सुधार नहीं हुआ है;

(ख) क्या सरकार ने न केवल संभावित नेत्र दानकर्त्ताओं को वरन मरणासन्न व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को नेत्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कोई प्रभावी कदम उठाया है; और

(ग) देश में राज्य-वार अनुमानतः कितने लोग कार्निया की अंधता से ग्रस्त हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) राष्ट्रीय सर्वेक्षण 1986-89 के अनुसार 1.52 प्रतिशत दृष्टिहीन व्यक्ति कोर्नियल ओपेसाटीज के कारण प्रभावित हैं। स्वच्छ मंडलीय रूप से दृष्टिहीन व्यक्तियों की राज्य वार संख्या उपलब्ध नहीं है।

रेंगली सिंचाई परियोजना

592. **श्रीमती हेमा गमांग:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की रेंगली बहुउद्देश्यीय सिंचाई परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत, कुल सिंचाई क्षमताओं और पूरे होने की संभावित तारीख क्या हैं;

(ग) क्या परियोजना का निर्माण कार्य आरंभ हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार परियोजना के विभिन्न पहलुओं में कितनी प्रगति हुई है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती बिजया चक्रवर्ती) : (क) से (च) संभवतः यह मामला योजना आयोग द्वारा 233.64 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अनुमोदित रेंगाली सिंचाई परियोजना से संबंधित है। इसके पूरा होने पर 4,23,600 हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई मुहैया की जानी थी। तथापि, यह सूचित किया गया है कि इसकी नवीनतम अनुमानित लागत 1892.5 करोड़ रुपये हैं जिसकी तुलना में मार्च, 2000 तक 600.50 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं। वर्ष 2000-2001 से संबंधित उड़ीसा के वार्षिक योजना दस्तावेज प्रारूप के अनुसार मार्च, 2000 तक हुई वास्तविक प्रगति निम्नानुसार है:

(1) बैराज (समाल नाम का)	पूर्ण
(2) मुख्य नहर एवं शाखाएं	68.50 कि.मी.
(3) संरचनाएं (मुख्य, शाखा एवं वितरिकाएं)	185 कि.मी.

यह संभावना है कि यह परियोजना वर्ष 2003 तक पूरी हो जाएगी।

भविष्य निधि कार्यालयों में अनियमितताएं

593. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जयभान सिंह पवैया:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भविष्य निधि कार्यालयों में बड़े पैमाने पर की जा रही अनियमिताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा भविष्य निधि के मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य निधि के मामलों का निपटान करने के लिए कोई समय- सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को भविष्य निधि देयों की देर से अदायगी किए जाने और कपटपूर्ण अदायगी किए जाने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त होती रही हैं।

(ख) कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को त्वरित सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में व्यापाक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भविष्य निधि दावों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान तंत्र को सुदृढ़ और गतिशील बनाया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संघठन के सतर्कता तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है। और भविष्य निधि दावों को निपटाने में कदाचार में लिप्त अधिकारियों के विरुद्ध तुरन्त कार्रवाई की जाती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मुख्यालय में एक वार्षिक कार्य योजना के माध्यम से लम्बित भविष्य निधि दावों का आवधिक रूप से प्रबोधन किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) सभी प्रकार से पूर्ण भविष्य निधि दावों को सम्बद्ध कर्मचारी भविष्य निधि कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् 30 दिन की समय-सीमा के भीतर निपटाया जाना अपेक्षित है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा

594. श्री राम मोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति
श्रीमती रेनु कुमारी:
श्री रूपचन्द पाल:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री शिवाजी माने:
श्री जोरा सिंह मान:
श्री ए. नरेन्द्र:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नौवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा पूरी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजना अनुमान और आबंटन के अनुसार चल रही है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां। नौवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज प्रारूप पर दिनांक 30 सितम्बर, 2000 को माननीय प्रधान मंत्री और अध्यक्ष, योजना आयोग की अध्यक्षता में हुई योजना आयोग की पूर्ण बैठक में विचार किया गया था। मध्यावधि मूल्यांकन दस्तावेज की मुख्य विशेषताओं की प्रतियां संसद पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान सकल घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में औसत प्रतिवर्ष 6.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है। यह कमी मुख्यतः कृषि, खनन व उत्खनन और विनिर्माण क्षेत्रक के वृद्धि निष्पादनों में कमी के कारण हैं, जबकि निर्माण, संचार, लोक प्रशासन एवं सामुदायिक सेवाएं में लक्ष्य से अधिक वृद्धि हुई है। घरेलू बचत और निवेश में लक्ष्य से 5 प्रतिशत से अधिक गिरावट हुई है। पूर्ण गिरावट सार्वजनिक क्षेत्र में हैं, जहां सार्वजनिक बचत में 70 प्रतिशत और सार्वजनिक निवेश में 23 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। बहरहाल, निजी निवेश में लक्ष्य से 3 प्रतिशत अधिक की वृद्धि हुई है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों अर्थात् 1997-98 से 1999-2000 में योजना के लिए केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सकल बजटीय सहायता में 8.6 प्रतिशत की गिरावट हुई है। इस अवधि के दौरान राज्यों द्वारा अनुमानित संसाधनों का मात्र 44.45 प्रतिशत मुहैया कराया गया है।

(घ) गिरावट के कुछ कारण निम्नलिखित हैं-

(1) संसाधन फ्रंट पर मुख्य रूप से दबाव के कारण केन्द्रीय योजना के लिए बजट सहायता में गिरावट

(2) राजस्व प्राप्तियों में प्रत्याशित उत्प्लावकता को कार्य रूप से परिणत नहीं किया गया

(3) पूर्वानुमान से अधिक गैर-योजना राजस्व में वृद्धि हुई।

(4) केन्द्र की राजस्व प्राप्तियों में गिरावट

(5) चालू राजस्व में न्यून संतुलन, न्यून विविध पूंजी प्राप्तियों, अपर्याप्त अतिरिक्त संसाधन जुटाव उपायों और राज्य स्तरीय लोक उद्यमों के असंतोषपूर्ण निष्पादन के कारण राज्यों की स्वयं की अनुमानित निधियों की वसूली में गिरावट

(ङ) राजकोषीय घाटा और मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, सेवाओं का उपयुक्त मूल्य निधारण, प्रतिस्पर्धा नीति, सब्सिडी का प्रभावी लक्ष्य निर्धारण, आदि कुछ उपाय हैं जिन्हें मध्यावधि मूल्यांकन में सुझाव गये हैं।

मिलावटी चाय

595. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में चार चावल मिलों से बड़ी मात्रा में मिलावटी चाय पकड़ी है;

(ख) क्या पिछले तीन वर्षों से महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्य में मिलावटी चाय का गिरोह सक्रिय है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त गिरोह की कार्यवाही को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही हैं;

(घ) क्या नकली चाय के उपयोग के कारण इन राज्यों के व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(च) क्या सामान्य चाय से मिलावटी चाय का भेद करने के लिए कोई तंत्र है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टाइफाइड और मलेरिया

596. **श्री प्रहलाद सिंह पटेल:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री पदमसेन चौधरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को टाइफाइड और मलेरिया के फैलने की वजह से देश के विभिन्न भागों में उत्पन्न भयंकर स्थिति की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छः माह के दौरान पता किए गए मामलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में स्थिति और अधिक भयंकर हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन रोगों को रोकने के लिए नये सिरे से क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) यह सत्य है कि सरकार के गहन प्रयासों के बावजूद टाइफाइड और मलेरिया के रोगी अभी भी देश में व्याप्त हैं। गत वर्ष में मलेरियां और आन्त्र ज्वर के सूचित रोगियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है:-

इन रोगों के प्रकोप से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

एक राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच लागत की भागीदारी 50:50 है। केन्द्र राज्यों को औषध एवं कीटाणुनाशक सहित आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तथापि, राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत उतर-पूर्वी राज्यों को शत-प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है। मलेरिया नियंत्रण की कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. रोग की शुरू में ही पहचान करना और उसका शीघ्र उपचार
2. कीटाणुनाशकों का चयनात्मक प्रयोग
3. व्यक्तिगत रोकथाम को बढ़ावा देना
4. क्षमता निर्माण और महामारी रोग से निपटने के लिए तैयारी।

इसके अतिरिक्त, मलेरिया के 7 स्थानिक मारी राज्यों के 100 जिलों में ध्यान केन्द्रित करने के लिए सितम्बर, 1997 से देश में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त एक व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना चल रही हैं।

टाइफाइड जो एक जल और खाद्य जनित रोग है, के नियंत्रण के लिए अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता, पर्यावरणिक स्वच्छता हेतु लोगों में जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ भोजन बनाने, एवं शुद्ध पेय जल के सेवन के प्रति जागरुकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा ब्यूरों के जरिए सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण अभियान तेज किए गए हैं। जल जनित रोगों की घटना की सघन मॉनीटरिंग और विशेषकर गर्मी और मानसून के दिनों में महामारी रोगों की रोकथाम के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय है।

विवरण

वर्ष 1999 में मलेरिया और आन्त्र ज्वर के सूचित रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मलेरिया	आन्त्र ज्वर
1	2	3
आंध्र प्रदेश	124806	79737
अरुणाचल प्रदेश	58243	—
असम	131048	—
बिहार	131898	—
गोवा	15380	183
गुजरात	64130	3740
हरियाणा	2604	—
हिमाचल प्रदेश	700	13843
जम्मू व कश्मीर	3574	17272
कर्नाटक	97274	32470
केरल	5141	15239
मध्य प्रदेश	527510	10643
महाराष्ट्र	137712	20092
मणिपुर	2652	4197
मेघालय	14798	35278
मिजोरम	14437	351
नागालैंड	3482	2311
उड़ीसा	423777	—
पंजाब	1113	—
राजस्थान	53154	2480
सिक्किम	14	0

1	2	3
तमिलनाडु	54067	6907
त्रिपुरा	14408	2619
उत्तर प्रदेश	99362	12066
प. बंगाल	222188	—
अं. एवं नि. द्वीपसमूह	937	3408
चंडीगढ़	456	—
दादरा एवं नागर हवेली	3303	3
दमन एवं दीव	53	—
दिल्ली	3702	3744
लक्षद्वीप	1	45
पांडिचेरी	149	2283
समस्त भारत	2212342	268944

-आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

-स्रोत: केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो

[अनुवाद]

नेताजी से संबंधित दस्तावेज

597. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में प्रकाशित ऐसे किसी दस्तावेज की जानकारी है जो नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जीवित होने की संभावना से संबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस दस्तावेज की प्रामाणिकता की जांच का आदेश दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) सरकार ने 29 अक्तूबर 2000 को, 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपी खबर 'सोवियत पत्रों से बोस रहस्य गहराया' देखी है।

(ग) और (घ) जबकि प्रेस रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में किसी विशिष्ट जांच का आदेश नहीं दिया गया है आधिकारिक स्तर पर रूसी सरकार से यह पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि क्या उनके पास नेता जी से संबंधित कोई दस्तावेज हैं। रूसी परिसंघ के विदेश मंत्रालय ने 27 सितम्बर, 1995 को सूचित किया था कि "रूसी संघीय सुरक्षा सेवा के केन्द्रीय पुरातत्व संग्रहण तथा रूस के आधुनिक इतिहास से संबंधित दस्तावेजों के रख रखाव एवं अवलोकन केन्द्र में की गई जांच के परिणामस्वरूप 1945 में तथा बाद के वर्षों में पूर्व यू एस एस आर के क्षेत्र में सुभाषचन्द्र बोस के प्रवास के बारे में कोई सूचना उजागर नहीं हुई है।" रूसी संघ के राज्य पुरातत्व सेवा ने 4 अगस्त, 1997 को सूचित किया कि "ऐतिसाहिक दस्तावेज संग्रहण के रख-रखाव केन्द्र में सुभाष चन्द्र बोस से संबंधित कोई सूचना नहीं है।" सुभाष चन्द्र बोस के कथित अदृश्य होने के जांच करने के लिए सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत गठित न्यायमूर्ति मुखर्जी आयोग द्वार की जा रही सुनवाई में इस मसले पर भी ध्यान दिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

शीतल पेय पदार्थ और विक्स वेपोरब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक

598. **मोहम्मद शहाबुद्दीन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेप्सी कोला/कोका कोला कंपनियों द्वारा निर्मित शीतल पेय पदार्थ और कॉलगेट कंपनी द्वारा निर्मित विक्स वेपोरब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाइसेंस देते समय कोई शर्तें लगाई थी;

(घ) क्या ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां उक्त शर्तों का उल्लंखन कर रही हैं और इस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार को इस प्रकार की कोई भी सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो यह दर्शाती हो कि पैप्सी कोला, कोका-कोला कंपनियों द्वारा बनाए जा रहे पेय उत्पाद या विक्स

वेपोरब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। विक्स वेपोरेब मैसर्स प्रोसेक्टर और गेम्बल का उत्पादन है न कि मैसर्स कोलकेट का।

(ग) एफ. वी. ओ. 1955 के अंतर्गत लाइसेंसे देते समय प्राय: यह सुनिश्चित किया जाता है। कि पेय बनाने वाले प्रत्येक निर्माता सांवधिक अपेक्षाओं और गुणवत्ता का उचित मानक रखते हैं।

इसी प्रकार औषध निर्माताओं को भी औषध एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं इसके तहत नियमों के अधीन औषध निर्माण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के पूर्व जी.एम.पी. के निर्धारित मानकों का पालन करना अनिवार्य है।

(घ) लाइसेंसे देने संबंधी शर्तों के उल्लंखन का ऐसा कोई उदाहरण सरकार के ध्यान में नही आया है।

(ङ) उपरोक्त ''घ'' के विचार से प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य मेला

599. मोहम्मद अनवारूल हक:
श्री राम प्रसाद सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने देश भर में स्वास्थ्य मेला आयोजित करने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को स्वास्थ्य मेलों में शामिल करने का हैं;

(घ) क्या इसमें केन्द्र सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले और जनसंख्या नियंत्रण हेतु काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

स्थान	दिनांक
मथुरा	17-20 सितम्बर, 2000
दिल्ली	16-25 अक्तूबर, 2000
कारगिल	21-23 अक्तूबर, 2000
पटना	19-21 नवम्बर, 2000

इम्फाल, लखनऊ, भोपाल, गुवाहाटी और जयपुर में यथासम्भव शीघ्र मेले आयोजित किए जाएंगे।

(ग) जी, हां। स्वास्थ्य मेले राज्य सरकार द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ, भारतीय आयुर्विज्ञान संघ, स्वास्थ्य परिचर्या फाउण्डेशन, रेड क्रास सोसाइटी और राज्य सरकार द्वारा चयनित गैर-सरकारी संगठन सामान्यत: स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से संबद्ध हैं।

तमिलनाडु के लघु उद्योग

600. श्री तिरूनावकरसू: क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु के पुड्डुकोट्टई में लघु उद्योगों को स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) लघु उद्योगों की स्थापना एक सतत् प्रक्रिया है और उनका संवर्धन मुख्यत: जिला उद्योग केन्द्र, पुडुकोटाई के माध्यम से किया जाता है, जो अनुरक्षक सेवाएं प्रदान करती है। अभिप्रेरक्षण संबंधी आंदोलन आयोजित करती है तथा बैंकों को ऋण आवेदनों का संसाधन एवं सिफारिश करती हैं, परियोजना रिपोर्ट तैयार करती हैं और अन्य सम्बद्ध सहायता भी देती है।

वर्ष 1998-99 और 1999-2000 के दौरान जिले में पंजीकृत नवीन लघु उद्योग इकाईयों की संख्या क्रमशः 778 और 705 थी।

मंत्रालयों के सुविधा फलक

601. डा. वी. सरोजा: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 सितम्बर, 2000 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में "इन्स्पेक्शन रीवील्स मोस्ट इंफोर्मेशन काउंटर्स डिफेक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न मंत्रालयों में सूचना और सुविधा फलक ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं; और

(ग) इन फलकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं की कार्यकुशलता में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभागों के अधिकारियों के दलों ने मार्च से जून, 2000 के दौरान सूचना और सुविधा काउंटरों की कार्य-प्रणाली का मौके पर मूल्यांकन किया है। इन दलों ने सूचित किया है कि हालांकि सूचना और सुविधा काउंटरों की समग्र कार्य-प्रणाली को संतोषजनक कहा जा सकता है, फिर भी कुछ कमियां ध्यान में आई हैं। इन दलों की विशिष्ट टिप्पिणियां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के संपर्क अधिकारियों को सूचित कर दी गई थी। इन काउंटरों का मूल्याकन करने और इनमें सुधार करने संबंधी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का यह एक हिस्सा है।

[हिन्दी]

आयोडिन की कमी से होने वाले विकारों पर कार्यक्रम

602. श्री हरीभाऊ शंकर महाले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आयोडीन की कमी से होने वाले विकारों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार हर वर्ष अलग-अलग कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यह धनराशि कब तक दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ग) और (घ) नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों हेतु धनराशि अभी तक निर्धारित नहीं की गई हैं।

विवरण-1

राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय आवंटन से संबंधित विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98	1998-99	1999-2000
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2.80	3.00	3.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.60	3.80	5.10

1	2	3	4	5
3.	असम	4.10	4.20	3.00
4.	बिहार	3.60	3.40	2.80
5.	गोवा	2.40	2.50	2.70
6.	गुजरात	4.30	4.50	4.50
7.	हरियाणा	3.10	3.10	3.40
8.	हिमाचल प्रदेश	3.10	3.30	3.50
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.90	2.90	2.70
10.	कर्नाटक	4.10	4.30	5.80
11.	केरल	3.90	3.90	3.40
12.	मध्य प्रदेश	3.30	3.30	2.80
13.	महाराष्ट्र	5.70	5.90	6.00
14.	मणिपुर	3.70	3.90	4.10
15.	मेघालय	3.70	3.70	3.90
16.	मिजोरम	3.50	3.70	3.90
17.	नागालैंड	3.50	3.60	3.80
18.	पंजाब	3.40	3.20	2.50
19.	राजस्थान	4.00	4.00	4.00
20.	सिक्किम	3.40	3.60	3.60
21.	त्रिपुरा	3.70	3.90	4.50
22.	उत्तर प्रदेश	5.10	5.10	3.50
23.	पश्चिम बंगाल	3.90	3.10	3.50
24.	उड़ीसा	4.10	4.30	4.90
25.	तमिलनाडु	4.10	4.30	4.00
	संघ राज्य क्षेत्र (विधान मंडल वाल	93.00	95.00	95.00
	दिल्ली	2.80	2.80	2.80
	पांडिचेरी	2.20	2.20	2.20
	कुल	98.00	100.00	100.00

विवरण-2

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र को धनराशि का आबंटन (चालू वर्ष 2000-2001)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण सेल की स्थापना	प्रचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा (रु. लाख में)	सर्वेक्षण प्रति जिला 10,000 रु. की दर से	आयोडीन अल्पता विकार मानीटरिंग प्रयोगशाला	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	3.00	1.00	0.40	0.50	4.90
2.	अरुणाचल प्रदेश	3.00	0.50	0.40	1.20	5.10
3.	असम	3.00	0.50	0.50	0.50	4.50
4.	बिहार	3.00	0.50	0.50	0.50	4.50
5.	गोवा	2.50	0.30	0.20	0.40	3.40
6.	गुजरात	2.50	1.00	1.00	0.40	4.90
7.	हरियाणा	2.50	0.80	0.50	0.40	4.20
8.	हिमाचल प्रदेश	2.50	0.80	0.40	0.50	4.20
9.	जम्मू एवं कश्मीर	2.50	0.40	0.40	0.40	3.70
10.	कर्नाटक	3.00	1.00	0.40	1.40	5.80
11.	केरल	2.50	1.00	0.40	0.50	4.40
12.	मध्य प्रदेश	2.50	1.00	0.40	0.40	4.30
13.	महाराष्ट्र	3.00	1.00	1.00	1.00	6.00
14.	मणिपुर	3.00	0.80	0.40	0.60	4.80
15.	मेघालय	3.00	0.80	0.40	1.00	5.20
16.	मिजोरम	3.00	0.80	0.20	1.00	5.00
17.	नागालैंड	3.00	0.80	0.20	0.60	4.60

नेत्रदान के बारे में कानून

603. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अस्पताल में मृत्यु के बाद नेत्रदान के बारे में कोई कानून बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कानून के पारित हो जाने के बाद देश में लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) नेत्रदान के संबंध में कोई कानून बनाने

का प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नेत्रदान की संख्या को बढ़ाने के लिए मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 में कतिपय सुधार करने पर विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

सरकारी कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण

604. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार समाज की बेहतरी के लिए इंटरनेट पर कार्यालयों और सरकारी सेवाओं के कम्प्यूटरीकरण का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) सरकारी कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अनेक मंत्रालयों/विभागों तथा उनके अधीन संगठनों ने उनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं के बारे में सूचना आसानी से सुलभ कराने की दृष्टि से अपने वेबसाइट स्थापित कर लिए हैं।

फाइलेरिया रोग का उन्मूलन

605. **श्री ए. ब्रह्मनैया:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय संक्रामक रोग विज्ञान संस्थान ने फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में फाइलेरिया रोग के प्रकोप का अध्ययन के लिए अधिक केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) फाइलेरिया रोग से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन-कौन से हैं; और

(ङ) इस बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय देश में फाइलेरिया के नियंत्रण हेतु नोडल एजेन्सी है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में शुरू किया गया और इस कार्यक्रम के अंतर्गत 206 फालेरिया नियंत्रण एककों और 199 क्लिनिकों के जरिए पुनरावृत्ति लार्वा रोधी उपायों तथा रोगी का पता करने उसका उपचार करने से शहरी क्षेत्रों में 48 मिलियन लोगों को बचाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के जरिए रोगी का पता लगाके उसका उपचार किया जाता है। भारत सरकार फाइलेरिया के उन्मूलन हेतु विश्व संधि का सहभागी है। लिम्फेटिक फाइलेरिया पर प्रभाव का अध्ययन करने हेतु 7 राज्यों के 13 उच्च स्थानिकमारी वाले जिलों के लोगों को वर्ष में डी ई सी की एक खुराक देने संबंधी एक पायलट परियोजना वर्ष 1997 से शुरू की गई है।

(ख) और (ग) देश में फाइलेरिया के प्रकोप का अध्ययन करने हेतु और अधिक केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान संस्थाएं नामतः वेक्टर नियंत्रण अनुसंधान केन्द्र, पांडिचेरी, क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र, भुवनेश्वर सहित राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, एवं मलेरिया रोधी कार्यक्रम निदेशालय फालेरिया के नियंत्रण में पहले से ही संलग्न हैं।

(घ) उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और उत्तर प्रदेश फाइलेरिया के उच्च स्थानिक मारी वाले राज्य हैं।

(ङ) रोग को कम करने हेतु निम्नलिखित प्रयास किए गए हैं:

- पुनरावृत्ति लार्वा रोधी उपाय:
- लार्विवोरस मछलियों से मच्छरों के प्रसव का जैविक नियंत्रण।
- सूक्ष्म-फाइलेरिया वाहको की पहचान करके और डाई-ईथाइल

  कार्बामेवाइन से उपचार करके परजीवी रोधी उपाय।
- फाइलेरिया के पुराने रोगियों के प्रभावी उपचार हेतु उन्हें अस्पतालों में भेजना।
- लोगों की जागरुकता बढ़ाने हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण संबंधी कार्यकलाप।

- 13 जिलों में वर्ष में व्यापक डी ई सी उपचार की एक खुराक की संभावना और प्रभाव का अध्ययन करने के लिए पायलट परियोजना।
- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के अंतर्गत 3 प्रशिक्षण संस्थाओं में चिकित्सा और परा-चिकित्सा स्टाफ का प्रशिक्षण।
- मानव स्वास्थ्य पर एलबेन्डाजॉल गोली के साथ-साथ डी ई सी के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए समुदाय आधारित नैदानिक परीक्षण शुरू किया गया है।

साइबर कानून

606. **श्री भीम दाहाल:** क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर कानून पर सलाह देने के लिए 21-सदस्यीय समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो समिति में कौन-कौन लोग हैं और समिति के निष्कर्ष और वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सरकार ने ''साइबर विनियमन सलाहकार समिति'' का गठन दिनांक 17.10.2000 को किया है।

साइबर विनियमन सलाहकार समिति की संरचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

भारत सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली
दिनांक 17 अक्टूबर, 2000

अधिसूचना

सा.का.नी. 790 (ई)- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 88 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा ''साइबर विनियमन सलाहकार समिति'' का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

1.	मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी	अध्यक्ष
2.	सचिव, विधायी विभाग	सदस्य
3.	सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
4.	सचिव, दूर संचार विभाग	सदस्य
5.	वित्त सचिव	सदस्य
6.	सचिव, रक्षा मंत्रालय	सदस्य
7.	सचिव, गृह मंत्रालय	सदस्य
8.	सचिव, वाणिज्य मंत्रालय	सदस्य
9.	उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
10.	श्री टी.के.विश्वनाथन, वर्तमान सदस्य-सचिव , विधि आयोग	सदस्य
11.	अध्यक्ष, नैसकॉम	सदस्य
12.	अध्यक्ष, इंटरनेट सेवा प्रदानकर्त्ता संघ	सदस्य
13.	निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	सदस्य
14.	प्रमाणन प्राधिकारी नियंत्रण	सदस्य
15.	क्रमवार, राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी सचिव	सदस्य
16.	क्रमवार, राज्यों के पुलिस महानिदेशक	सदस्य
17.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के क्रमवार, निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	सदस्य
18.	सीआईआई के प्रतिनिधि	सदस्य
19.	फिक्की के प्रतिनिधि	सदस्य
20.	एसोचम के प्रतिनिधि	सदस्य
21.	वरिष्ठ निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य-सचिव

2. केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार गैर-सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

3. समिति विशिष्ट बैठकों के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सदस्य रूप में सहयोजित कर सकती है।

[सं. 1(20)/97-आईआईडी (एनआईआई)/एफ 6]

(पी.एम.सिंह)
संयुक्त सचिव

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में वृद्धि

607. **श्री वाई.एस. विवेकानंद रेड्डी:**
श्री जी. मल्लिकार्जुनप्पा:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्या सरकार ने संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में विकास कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि में वृद्धि किए जाने का विरोध किया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों में वितरित करने के लिए उन्हें खाद्यान्नों का आवंटन करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि हां, तो मुफ्त अथवा नाममात्र के मूल्य पर वितरण के लिए प्रत्येक सदस्य को कितना खाद्यान्न दिया जाएगा; और

(घ) संसद सदस्य को कब तक खाद्यान्नों का आबंटन किए जाने की संभावना हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधि को बढ़ाने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा सावधानीपूर्व विचार किया गया और इस पर सहमत होना साध्य नहीं पाया गया।

(ख) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सांसदों के लिए खाद्यान्नों के आबंटन हेतु कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

संक्रमित रक्त आपूर्ति करने वाला गिरोह

608. **श्री रामजीवन सिंह:**
श्री दिनेश चन्द्र यादव:
श्री मोहन रावले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को यूरोप और उत्तरी अमेरिका में एच आई वी संक्रमित रक्त के लेबल बदलकर स्वस्थ रक्त के रूप में अन्य देशों को भेजने वाले गिरोह के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाल की रिपोर्ट में छपी जानकारी का ज्ञान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि यह कहानी मूलत: उस अपराधिक मामले से संबंधित है जिस पर अब आस्ट्रिया में कार्रवाई हो रही है। यह मामला वर्ष 1996 में आस्ट्रिक नेशनल लेगुलेटरी ऑथोरिटीज द्वारा अल्बोनिया कंपनी के विरुद्ध शुरू किया गया। संदर्भित रिपोर्ट वास्तव में विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट नहीं है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के सलाहकार ने अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दक्षिण अफ्रीकी सरकार के लिए शुरू किया था। यह सलाहकार रक्त निरापदता विशेषज्ञ नहीं है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के पास इस रिपोर्ट की प्रतियां नहीं हैं देश में आयातित सभी रक्त संघटकों/उत्पादों की सभी रक्ताधान संचारी संक्रमणों के लिए जांच की जाती है।

अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना

609. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान में सरकार की स्थापना में सहायता करने की इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नशीले पदार्थों के व्यापार के साथ-साथ होने वाली आतंकवादी गतिविधियों से संयुक्त राज्य अमरीका और रूस को अधिक चिंता हो रही है जो कि तालीबान की गतिविधियों के शिकार हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या वे देश आतंकवाद से लड़ने हेतु मार्गनिर्देशन के लिए भारत की ओर देख रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी की सरकार को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में मान्यता देता है तथा उसका समर्थन करता हैं।

(ग) से (ङ) अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तालिबान की आतंकवादी एवं उग्र अवधारणाओं तथा अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के साथ उनकी मिली-भगत से चिन्तित है। तालिबान के पाकिस्तानी आतंकवादी

ग्रुपों तथा पाकिस्तान के राज्य तंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध हैं जो जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। आई सी-814 के अपहर्ताओं के साथ तालिबान द्वारा दिखाई गई सहृदयता भी गौर करने योग्य है। अफगानिस्तान से संबद्ध भारत-रूस संयुक्त कार्यदल तथा आतंकवाद-विरोधी भारत अमरीका संयुक्त कार्यदल अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद का सामना करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के दृढ़ निश्चय की अभिव्यक्ति है।

जासूसी उपग्रह

610. श्री सुन्दर लाल तिवारी:
श्री तरूण गोगोई:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे अंतरक्षि क्षेत्र में कुछ विदेशी जासूसी उपग्रह विद्यमान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष-वार हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में पता लगाए गए विदेशी जासूसी उपग्रहों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस दिशा में क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) जी, नहीं। तथापि विदेशी उपग्रह अन्तर्राष्ट्रीय अन्तरिक्ष क्षेत्र में परिक्रमा करते हैं तथा भारत सहित पृथ्वी के सभी भागों के बारे में सूचना एकत्र करते हैं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों में उपग्रहों के किसी भी क्षेत्र पर परिक्रमा करने और सूचना एकत्र करने से रोकने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं।

भारत-ब्रिटेन संबंध

611. श्री प्रभात सामन्तराय: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो किन किन पर चर्चा हुई और इनके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) सरकार द्वारा भारत और ब्रिटेन के बीच संबंध सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। भारत और ब्रिटेन ने पिछले वर्ष के दौरान मंत्री और अधिकारी दोनों स्तरों पर द्विपक्षीय मसलों के संबंध में नियमित वार्ता की। चर्चा में अन्य बातों के साथ-साथ आतंकवाद का मुकाबला करने के सहयोग, व्यापार और वाणिज्य, सांस्कृतिक सहयोग, रक्षा सहयोग, कोंसली मामलों आदि को शामिल किया गया है। इन चर्चाओं से दोनों देशों को आपसी लाभकारी द्विपक्षीय सहयोग को संबर्द्धित करने के उपायों पर विचार करने का अवसर मिला।

(ग) और (घ) भारत और ब्रिटेन की सरकारों ने द्विपक्षीय संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई नए उपाए किए हैं। आतंकवाद तथा मादक द्रव्यों के दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए दोनों पक्षों द्वारा एक संयुक्त कार्यकारी दल की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अप्रैल 2000 में इंडिया-यू के. गोलमेज नामक एक गैर-सरकारी मंच का गठन किया गया है जिसका कार्य द्विपक्षीय संबंधों में सुधार लाने के उपायों पर भारत और ब्रिटेन की सरकारों को परामर्श देना है। सरकार ने ब्रिटेन में भारतीय अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एक भारतीय इतिहास और संस्कृति पीठ बनायी है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने की अपनी बचनबद्धता दोहरायी ताकि अगले दो वर्षों में 5 बिलियन पौंड के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई

612. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 अक्तूबर, 2000 को 'राष्ट्रीय सहारा' में 'केन्द्रीय भंडार में भी भ्रष्टाचार का बोलबाला' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पिछले वर्ष निलंबित किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है, उसके क्या कारण हैं और उनकी वर्तमान स्थिति क्या है और यदि अब तक निलंबन वापस लिया गया है तो उसके

क्या कारण हैं और उन कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या स्थानांतरणों और पदस्थापनों, आपूर्तिकर्त्ताओं और मदों के चयन तथा दोषपूर्ण खरीद नीति और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सतर्कता ईकाई को सुदृढ़ बनाने में प्रबंधन की असमर्थता के संबंध में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजा वाद और अनियमितताएं व्याप्त हैं; और

(ङ) यदि हां, तो केन्द्रीय भण्डार में व्यवस्था को ठीक करने हेतु क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां।

(ख) दिनांक 21.10.2000 के राष्ट्रीय सहारा में संदर्भित समाचार, एक संवाददाता की केन्द्रीय भण्डार के कार्मिकों से हुई बातचीत पर आधारित है और परन्तु उसमें उल्लिखित कुछ बातें पूरी तरह सही नहीं हैं।

(ग) जब दो चौकीदारों के ड्यूटी पर रहने के दौरान, 'पी' ब्लांक में, लेखन-सामग्री प्रभाग में जून, 2000 में चोरी का प्रयास हुआ, तब उन्हें निलंबित कर दिया गया। फिर भी, उन का निलम्बन, लगभग के सप्ताह बाद, आरम्भिक जाँच के परिणामस्वरूप, रद्द कर दिया गया, जिससे यह उजागर हुआ कि उनकी गलती नहीं थी। दिसम्बर, 1999 में एक वरिष्ठ प्रबंधक भी, कूट संख्याओं से संबंधित बुनियादी बातें सीखने में समर्थन बनाए जाने की दृष्टि से, लगभग एक सप्ताह के लिए निलंबित किया गया। फिर भी एक भण्डार में प्रभारी के रूप में तैनात जिस वरिष्ठ सैल्समैन को उस भंडार के माल में भारी कमी पाए जाने का कारण जून, 2000 में निलंबित कर दिया गया था वह अभी भी निलंबित चल रहा है। इसके अलावा, लखनऊ, मुम्बई और फरीदाबाद के क्षेत्रीय प्रबंधकों और मुम्बई क्षेत्र तथा दिल्ली क्षेत्र के दो कार्मिकों की सेवाएं समाप्त कर दी गईं क्योंकि उन्होंने गम्भीर चुकें की थीं।

(घ) और (ङ) भ्रष्टाचार और उस से संबद्ध अन्य मामलों का अन्वेषण करने और उस से निबटने हेतु केन्द्रीय भण्डारण मे एक पूर्ण विकसित सर्तता एकक है। उपर्युक्त सर्कता-एकक में कार्मिकों की संख्या, एकक के काम-काज के भार के अनुरूप है।

फेहरिस्त के माल और आपूर्तिकर्त्ताओं का चयन, अनुमोदित क्रय-नीति के अनुसार, आवश्यक जाँच-पड़ताल करने के बाद किया जाता है।

केन्द्रीय भंडार में स्थानान्तरण और तैनाती, यथासंभव व्यक्ति-निरपेक्ष आधार पर और बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थानांतरण-नीति के अनुसार की जाती है।

दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी

613. श्री बसुदेव आचार्य: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और अन्य सरकारी अस्पतालों में एक वर्ष में औसतन कितने मरीजों को देखा जाता है;

(ख) वहिरंग रोगी विभागों और बिस्तरों की तुलना में अस्पताल-वार चिकित्सकों और मरीजों का अनुपालन कितना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त अस्पतालों में मरीजों की दशा शोचनीय है और उनकी जांच करने के लिए चिकित्सकों के पास समय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने पर विचार किया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और दिल्ली में अन्य केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों के बाह्मय रोगी विभाग में आने वाले रोगियों की संख्या औसतन निम्नलिखित हैं:

वहिरंग रोगी विभाग (वार्षिक)

		विस्तर
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली	12-13 लाख	1596
सफदरजंग अस्पताल	15.16 लाख	1531
डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	12 लाख से अधिक	937
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज एवं संबद्ध अस्पताल	लगभग 9 लाख	877

(ग) और (घ) यद्यपि उपर्युक्त सभी अस्पतालों में रोगियों की काफी भीड़ होती है तथापि सभी रोगियों को देखा जाता है।

उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के विचार से अस्पताल सुसज्जित हैं और उपचार हेतु इन अस्पतालों में आए सभी रोगियों को चिकित्सा परिचर्या प्रदान की जाती है। गरीबों और जरूतमंदों को चिकित्सा सेवाएं नि:शुल्क प्रदान की जाती हैं।

सिंचाई क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी

614. श्री एस.डी.एन.आर. वाडियार: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सिंचाई एरियोजनाओं के कार्यान्वयन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में निजी क्षेत्र की प्रतिक्रिया क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती) : (क) और (ख) भारत सरकार ने सिचाई और बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की व्यवहार्यता और संभावना का पता लगाने के लिए तत्कालीन जल संसाधन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। इस समिति ने सितम्बर, 1995 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने, जल उपयोग कर्त्ता संघों की अधिकतम जल की आपूर्ति तथा पुन: भुगतान संबंधी ऋणस्थगन, मत्स्य कृषि का विकास, बागवानी के लिए जलाशय जल का सीमित उपयोग, जल क्रीड़ाओं का अधिकार, जलाशय क्षेत्रों में नौवहन, तटबंधों पर व्यापारिक उपयोग के लिए भूमि, आदि सहित पर्यटन, छुट्टी कर, अस्थायी कर मुक्त राजस्व/रियायती दरों पर ऋण आदि के प्रोत्साहन पर विचार करने के संबंध में सिफारिश की है।

(ग) यद्यपि, महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कुछ प्रमुख राज्यों ने सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की है और इनमें से गुजरात और महाराष्ट्र ने कुछ सीमित परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की संकल्पना को प्रायोगिक परियोजनाओं के रूप में प्रारंभ कर दिया है, अधिकांश राज्यों ने इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कम संभावना व्यक्त की है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

615. श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव:
मोहम्मद अनवारूल हक:

क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व बैंक की सहायता से बिहार में श्रमिकों के लिए एक व्यापक व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना आरम्भ करने का है;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त परियोजनाओं के तहत् महिलाओं के लिए नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) बिहार में उक्त योजना के तहत कितने प्रशिक्षण संस्थान चल रहे हैं और यह कहां-कहां चल रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार पूर्णिया तथा शिवहर डिविजन में महिलाओं के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो यह कब स्थापित कर दिया जाएगा; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) भारत सरकार ने बिहार सहित 28 राज्यों में वर्ष 1989-98 के दौरान विश्व बैंक की सहायता से एक व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना कार्यान्वित की है। एक नई विश्व बैंक सहाय्यित व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजना का प्रस्ताव राज्यों के साथ परामर्श के प्रारंभिक चरण में हैं। नई विश्व बैंक सहाय्यित परियोजना पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) नए औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना संबंधित राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मानव अंग बैंक

616. डा. अशोक पटेल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीघ्र ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मानव अंग के बैंक के खोले जाने का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर खर्च होने वाली अनुमानित राशि कितनी है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (घ) जी, हां। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सी.एन. केन्द्र में शीघ्र ही एक अंग पुनः प्राप्ति और बैंकिंग संगठन (ओ आर बी ओ) की स्थापना की जा रही है। इस परियोजना हेतु 7.21 करोड़ रु. की राशि पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है। अंग पुनः प्राप्ति और बैंकिंग संगठन के लिए भवन बनाया जा चुका है और इसे सुसज्जित किया जा रहा है। शुरूआत में निजी और सरकारी अस्पतालों सहित दिल्ली के सभी अस्पतालों का एक नेटवर्क स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके बाद, इस नेटवर्क का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया जाएगा।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्यात

617. **डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात को बढ़ाने की बहुत अधिक गुंजायश हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक किन संभाव्यताओं का पता लगाया गया है; और

(ग) निर्यात करने के लिए किन नए इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों का पता लगाया गया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इलेक्ट्रॉनिकी तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद ने भारतीय निर्यातकों को संभावित निर्यात बाजारों की जानकारी देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कई उपाय किए हैं। इन उपायों में शामिल है:-

* उद्योग विशिष्ट व्यापार मेलों तथा प्रदर्शनियों में भारतीय प्रतिभागिता आयोजित करना।
* बाजार सर्वेक्षण से संबंधित प्रतिनिधि मण्डल तैयार करना।
* सूचना के नियमित आदान प्रदान के लिए विश्वभर में प्रतिपक्ष संगठनों के साथ दीर्घावधि नीत गठबंधन करना।
* विदेशी व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों की मेजबानी करना।
* भारतीय इलेक्ट्रानिक क्षेत्र को बढ़वा देने के लिए विशेष रूप से विकासशील देशों में भारतीय औद्योगिक उत्पादन एवं प्रौद्योगिकीय प्रदर्शनियां (इन्डिया-टेक) आयोजित करना।

इलेक्ट्रानिकी के निर्यात में मुख्य रूप से एएम/एफएम रेडियों सेट, रेडियो कैसट प्लेयर, एम्पलीफायर, टेलीविजन, घड़ियां तथा दीवार घड़ियां आदि जैसे निम्न प्रौद्योगिकी तथा मध्यम प्रौद्योगिकी की उपभोक्ता स्थायी वस्तुएँ शामिल हैं। भारत में इन वस्तुओं के लिए बहुत ठोस आधार है लेकिन किफ़ायती लागत पर उत्पादन करने तथा उत्पादों की विद्यमान रेंज में ऐसी विशेषताएँ शामिल करने की आवश्यकता है जिनकी पूरे विश्व में काफी मांग है।

प्रसूति के दौरान महिलाओं की मौतें

618. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व में प्रसूति के दौरान होने वाली महिलाओं की मौतों में भारत का 30 प्रतिशत भाग है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में प्रसूति के दौरान राज्य-वार कितनी महिलाओं की मृत्यु की घटनाएं प्रकाश में आयी है;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1999 में यह अनुमान लगाया कि गर्भ एवं शिशु- जन्म से उत्पन्न समस्याओं के कारण विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 6 लाख महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। नूमना पंजीकरण प्रणाली द्वारा प्रदत्त मात्र मृत्यु-दर के अनुमान के अनुसार यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1.1 लाख महिलाएं मातृक कारणों से मर जाती हैं।

(ख) मातृ स्वास्थ्य, सन्तानोत्पत्ति एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का अभिन्न अंग हैं, जिसका उद्देश्य मातृक मौतों एवं रूग्णता को कम करना है। इस कार्यक्रम के तहत मातृ मौतों को कम करने के लिए विभिन्न कार्यकलाप लागू किए जा रहे हैं। ये अनिवार्य उपाय इस प्रकार हैं: आपात प्रसूति देखभाल, गर्भ संबंधी जटिलताओं से पीड़ित गर्भवती महिलाओं के लिए पंचायतों द्वारा रेफरल गाड़ियों की व्यवस्था का प्रावधान, अतिरिक्त स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं, स्टाफ नर्सों, डाक्टरों, एवं संवेदनाहरण विज्ञानी जैसे अनुबन्धित कार्मिकों का प्रावधान चुनिन्दा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 24 घंटे प्रसव सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 42 जिलों

में बच्चे के जन्म के दौरान जच्चा की मृत्यु दर 30 प्रतिशत से कम करने के लिए सुरक्षित प्रसव दर हेतु दाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए तथा 102 विपरीत स्वास्थ्य सूचकों वाले जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाने जैसी योग्यताओं के लिए धनराशि मुहैया कराई जा रही है।

(ग) मातृ मौतों की संख्या के बारे में राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भारत के महापंजीयक द्वारा बड़े राज्यों में वर्ष 1997 और 1998 के निम्नलिखित मातृ मृत्यु दरें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

मातृ मृत्यु दर

भारत एवं बड़े राज्य

बड़े राज्य	मातृ मृत्यु दर (1997)	मातृ मृत्यु दर (1998)
भारत	408	407
आंध्र प्रदेश	154	159
असम	401	409
बिहार	451	452
गुजरात	29	28
हरियाणा	105	103
कर्नाटक	195	195
केरल	195	198
मध्य प्रदेश	498	498
महाराष्ट्र	135	135
उड़ीसा	361	367
पंजाब	196	199
राजस्थान	677	670
तमिलनाडु	76	79
उत्तर प्रदेश	707	707
पश्चिम बंगाल	264	266

स्रोत: आर.जी.आई., एस.आर.एस., 1997,1998

पद आधारित रोस्टर

619. सरदार बूटा सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग ने 2 जुलाई, 1997 से आरक्षण प्रणाली को लागू करने के लिए "रिक्ति आधारित रोस्टर" शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू करने में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा सभी स्वायत्त/सांविधिक संगठनों, संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में 1, 2, 3, और 4 प्रवर्ग की सेवाओं में अतिरिक्त कर्मचारियों/कर्मचारियों की कमी, यदि कोई हो, की पहचान कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के 2 जुलाई, 1997 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/2/96-स्थापना (आरक्षण) के पैरा (5) के अंतर्गत विहित् प्रक्रिया के अनुसार की गयी है;

(घ) यदि हां, तो 2 जुलाई, 1997 की स्थिति के अनुसार उक्त प्रवर्गों में कितने कर्मचारी अतिरिक्त थे/कितने कर्मचारी की कमी थी;

(ङ) क्या उक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित विहित प्रक्रिया के अनुसार अतिरिक्त कम कर्मचारियों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा किए बिना "रिक्ति आधारित रोस्टर" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" शुरू किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस तथ्य को देखते हुए पद आधारित रोस्टर आरम्भ किये गये हैं कि पिछड़े वर्गों अर्थात अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों का आरक्षण पदों पर लागू होना चाहिए रिक्तियों पर नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ङ) और (च) उपर्युक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञापन सं. 36012/2/96-स्था. (आरक्षण), दिनांक 2 जुलाई, 1997 के अंतर्गत यथा

निर्धारित अधिकताओं/कमियों की पहचान करने की प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद "रिक्ति आधारित रोस्टरों" के स्थान पर "पद आधारित रोस्टर" आरम्भ किये जा रहे हैं।

[हिन्दी]

बाण सागर सिंचाई परियोजना

620. **श्री कांतिलाल भूरिया:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार बाण सागर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना की निगरानी कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को परियोजना पूरी करने हेतु शेयर लागत नहीं दी जा रही है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार जल्दी ही इन राज्य सरकारों को अपनी शेयर लागत का भुगतान करने के निदेश देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी हां।

(ख) बाणसागर सिंचाई परियोजना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की एक अन्तर्राज्यीय परियोजना है. इस परियोजना का निष्पादन बाणसागर नियंत्रण बोर्ड के निदेश और नियंत्रण में मध्य प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना की लागत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सरकारों द्वारा क्रमशः 2 : 1 : 1 के अनुपात में वहन की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार सरकार ने सितम्बर, 2000 तक अपने देय हिस्से से अधिक भुगतान कर दिया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनसंख्या नीति

621. **श्रीमती जस कौर मीणा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए एक नई जनसंख्या नीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नई जनसंख्या नीति के क्या उद्देश्य हैं; और

(घ) बढ़ती जनसंख्या पर इस नीति का क्या संभावित प्रभाव पड़ेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 को अपना लिया है और इसे 3 मार्च, 2000 को लोकसभा में रखा गया है।

(ग) राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का तात्कालिक उद्देश्य गर्भनिरोधन, स्वास्थ्य ढांचा, स्वास्थ्य कार्मिक की अपूरित आवश्यकताओं को पूरा करना तथा बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परिचर्या के लिए एकीकृत सेवा प्रदानगी उपलब्ध करना है। मध्यकालिक उद्देश्य अंतर्क्षेत्रीय प्रचालनात्मक कार्यनीतियों के तीव्र कार्यान्वयन के जरिये कुल प्रजनन दर को 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर तक लाना है। दीर्घकालिक उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को सतत आर्थिक-अभिवृद्धि, सामाजिक विकास और पर्यावरणिक सुरक्षा की आवश्यकता के अनुकूल स्तर पर प्राप्त करना है।

(घ) इस नीति में 2010 तक प्राप्त किये जाने वाले कुल सामाजिक जनांकिकीय लक्ष्यों का उल्लेख है जिनके द्वारा 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण को प्राप्त किया जायेगा।

[अनुवाद]

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं

622. **कर्नल (सेवानिवृत्त) सोनाराम चौधरी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर पश्चिमी जिलों में चिकित्सा सुविधाओं पर प्रतिव्यक्ति व्यय अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिमी राजस्थान के ग्रामीण लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राजस्थान के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण योजनाएं/कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार निधियों का समुचित उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जहां तक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय का संबंध है, राजस्थान राज्य कुछेक राज्यों से पिछड़ा हुआ है।

(ख) परिवार कल्याण के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची के कार्यान्वयन और प्रबंधन प्रधानता राज्य का विषय है। केंद्र जनसंख्या के सभी वर्गों तक नियमित रूप से पहुंच को सुनिश्चित बनाने के लिए सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सरकार ने पहले ही प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, भारत जनसंख्या परियोजना, राज्य स्वास्थ्य प्रणाली, परियोजनाओं, क्षेत्र परियोजनाओं और अनेक अन्य परियोजनाओं जैसी कई विशेष परियोजनाएं और कार्यक्रम शुरू किये हैं।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की राज्य सरकार को (नकद और सामग्री के रूप में) क्रमशः 9476.69 लाख रु. (1997-98), 11180.84 लाख रु. (1998-99) और 17545.57 लाख रु. (1999-2000) की धनराशि दी गी।

राज्य सरकार बुनियादी न्यूनतम सेवा कार्यक्रम में प्रदान की गई निधियों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता का भी उपयोग करती है।

वार्षिक योजना को अंतिम रूप देना

623. श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री माधवराव सिंधिया:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य वार योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ग) औद्योगिक और कृषि क्षेत्र की विकास दर का ब्यौरा क्या है और प्राथमिक, माध्यमिक और तकनीकी शिक्षा तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के संबंध में आवंटित और निर्धारित लक्ष्य क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं मध्य प्रदेश राज्यों की वर्ष 2000-01 की वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इन तीनों राज्यों के संबंध में अनुमोदित कोर योजना परिव्यय इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश-7708 करोड़ रु.; उड़ीसा-2665 करोड़ रु. एवं मध्य प्रदेश-4450 करोड़ रु.।

(ग) औद्योगिक एवं कृषि क्षेत्रक की विकास दरों को, योजना आयोग द्वारा आयोजना प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, वार्षिक आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता है। वर्ष 2000-01 के राज्यवार आवंटनों एवं प्राथमिक, गौण एवं तकनीकी शिक्षा एवं स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर

624. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान, जयपुर को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान संस्थान द्वारा वास्तविक रूप से कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या संस्थान द्वारा धन का दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को स्वीकृत वित्तीय सहायता निम्नलिखित हैं:

1997-98	1998-99	1999-2000
563 लाख रुपये	896 लाख रुपये	872 लाख रुपये

(ख) उक्त तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष संस्थान द्वारा निम्नलिखित राशि का उपयोग किया गया।

1997-98	1998-99	1999-2000
533.26 लाख रुपये	671.71 लाख रुपए	1094.78 लाख रुपए

(वर्ष 1999-2000 के खर्च में वर्ष 1998-99 के दौरान राज्य सरकार और अन्य प्राप्तियाँ/आय की बची हुई राशि भी शामिल हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिशु जन्म के दौरान मातृ मृत्युदर

6251. श्री भर्तृहरि महताब: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उड़ीसा राज्य में जन्म के समय मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं/सोचे गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जन्म मृत्यु दर के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। तथापि, भारत के महापंजीकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार देश के उड़ीसा राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। मातृ मृत्यु दर के संबंध में भारत के महापंजीयक से वर्ष 1998 के लिए उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते हैं कि मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश में उड़ीसा की अपेक्षा मातृ मृत्यु दरें अधिक हैं।

(ख) 1997 में देश में शुरू किए गए सन्तान उत्पत्ति एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नवजात शिशु एवं मातृ रुग्णता एवं मृत्यु दर को कम करने के लिए उड़ीसा सहित सभी राज्यों में कार्यकलाप लागू किये जा रहे हैं। ये कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

बच्चों के लिए

टीके से रोकी जा सकने वाली छह बीमारियों के रोग प्रतिरक्षीकरण, अतिसार एवं तीव्र श्वसन संक्रमण के कारण होने वाली मौतों पर नियंत्रण, विटामिन-ए की कमी के लिए बचाव एवं लौह तत्व की कमी से उत्पन्न रक्ताल्पता से बचाव तथा अनिवार्य नवजात देखभाल।

मां के लिए

कार्यकलापों में प्रसवपूर्व एवं प्रसवोत्तर जांच, सुरक्षित प्रसव तरीकों में सुधार, पोषण संबंधी रक्ताल्पता का उपचार एवं बचाव, टेटनस के लिए रोग प्रतिरक्षीकरण एवं बच्चों में अन्तर को बढ़ावा देना।

टेटनस के रोग प्रतिरक्षीकरण एवं बच्चों में अन्तर को बढ़ावा देने की दशा में सुधार के लिए विशेष प्रयास।

देश के उड़ीसा सहित 16 राज्यों में पता लगाए गए सीमावर्ती जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुधारने हेतु यूनिसेफ की सहायता से विशेष प्रयास किये जा रहे हैं।

रोग प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से एक नई परियोजना को भी अंतिम रूप दे दिया गया है जिसमें उड़ीसा के पांच जिले शामिल हैं। 142 जिलों में दाइयों को प्रशिक्षण देने की एक योजना लागू की जा रही है जिसमें उड़ीसा के ऐसे 14 जिले शामिल हैं जिनमें सुरक्षित प्रसव दर रखकर मातृ मृत्यु दर को 30 प्रतिशत से कम किया जाए। इसके अलावा, इस कार्यक्रम के तहत प्रसव सेवाओं में सुधार लाने के लिए लगाए जाने वाले शिविरों हेतु उड़ीसा के 7 जिलों सहित 102 जिलों की पहचान की गई है।

1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति बनाई गई है तथा भारत सरकार के विभिन्न विभागों एवं परिवार कल्याण विभाग की संबंधित बाल विकास सेवाओं के माध्यम से पोषण पर राष्ट्रीय कार्रवाई योजना लागू की जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के अतिरिक्त, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर का सीधा संबंध लोगों की सामान्य आर्थिक एवं सामाजिक विकास और अशिक्षा व गरीबी से होता है। इन सबसे निपटने के लिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों और अभिकरणों द्वारा जवाहर रोजगार योजना, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना और वयस्क साक्षरता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम चलाये जाते हैं।

[हिन्दी]

बेरोजगारी भत्ता

626. श्री रामदास आठवले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पिछले तीन वर्षों से ज्यादा समय से पंजीकृत बेरोजगार युवकों/युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कोई प्रभावी उपाय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को विभिन्न सामाजिक संगठनों/जन प्रतिनिधियों से इस संबंध में कोई ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) सरकार को बेरोजगारी भत्ते के भुगतान/कार्य के अधिकार के संबंध में आंध्र प्रदेश शिक्षक परिसंघ, हैदराबाद एवं हिंद मजदूर सभा (युवा समिति), मुम्बई से 1999 में ज्ञापन/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन संगठनों को इस बात के संकेत देते हुए उत्तर भेजा गया कि केन्द्र सरकार किसी भी श्रेणी के बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है।

[अनुवाद]

नि:शक्त व्यक्तियों को आरक्षण

627. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नि:शक्तता अधिनियम में, नि:शक्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरियों में तीन प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अधिनियम के प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) नि:शक्तता अधिनियम के प्रावधानों को कब तक लागू किया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार-संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में निहित प्रावधानों के अनुसार, नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों अथवा उनकी श्रेणी के लिए चुने गए पदों में से, कम से कम तीन प्रतिशत रिक्तियाँ, नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु आरक्षित की जानी अपेक्षित हैं।

(ख) से (घ) नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार-संरक्षण और पूर्ण प्रतिभागिता) अधिनियम की धारा 33 के केन्द्रीय सेवाओं में नियोजन से संबंधित प्रावधानों सहित, उपुर्यक्त अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व, केन्द्रीय सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों का होता है। सरकार ने नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को नौकरी में 3 प्रतिशत आरक्षण मुहैया करवाए जाने के प्रावधान का गंभीरतापूर्वक, पूर्णरूपेण कार्यान्वयन सुनिश्चित किये जाने के बारे में समय-समय पर अनुदेश जारी किये हैं।

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से मिली जानकारी के मुताबिक, 1.1.1998 की मौजूदा स्थिति के अनुसार, नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों हेतु चुने गए पदों के संदर्भ में, समूह 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' के पदों पर नि:शक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व क्रमशः 14.90%, 13.27%, 26.25% और 34.86% रहा।

भारतीय दूतावासों में भर्ती

628. श्री पी.डी. एलानगोवन: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुनियाभर के भारतीय दूतावासों में विभिन्न पदों के लिए कोई नई भर्तियां की हैं;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में विभिन्न भर्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों में भारतीय पुलिस सेवा कार्मिकों को सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है;

(घ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान देशवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विदेशों में विभिन्न भारतीय दूतावासों और मिशनों में विभिन्न रिक्त पदों का स्थानवार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) विदेश मंत्रालय के अधिकारियों/कार्मिकों को 3 वर्ष के एक सामान्य कार्यकाल के लिए, उन मामलों को छोड़कर

जिनमें कार्यकाल अपेक्षाकृत कम अवधि के लिए निर्धारित होता है, नियमित आधार पर हमारे विदेश स्थित मिशनों/केन्द्रों में तैनात किया जाता है। ये तैनातियां इस प्रयोजन के लिए गठित तीन बोर्डों द्वारा तय की जाती हैं, अर्थात् विदेश सेवा बोर्ड (एफ एस बी), वरिष्ठ स्थापना बोर्ड (एस ई बी) और कनिष्ठ स्थापना बोर्ड (जे ई बी)।

(ग) जी, हां।

(घ) इस संबध में एक विस्तृत चार्ट विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) शून्य।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

गत 5 वर्ष के दौरान भारतीय पुलिस अधिकारियों में से विदेशों में तैनाती सुरक्षा अधिकारियों की मौजूदा तैनाती

क्र.सं.	स्टेशन	मंत्री	कौंसलर	प्रथम सचिव
1.	बर्लिन	1	–	–
2.	कोलम्बो	–	1	–
3.	ढांका	–	1	–
4.	इस्लामाबाद	–	–	1
5.	काठमांडू	–	–	1
6.	लंदन	1	–	–
7.	मास्को	–	–	1
8.	ओटावा	–	1	–
9.	वाशिंगटन	1	1	–
	योग	3	4	3

[हिन्दी]

कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल

627. **डा. बलिराम:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में बसईदारापुर में एक कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल चल रहा है;

(ख) इन अस्पतालों के कार्यकरण की जांच के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कितने दौरे किये गए;

(ग) इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन अस्पतालों से संबद्ध कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बीमित व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जी हां।

(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बसईदारापुर के काम काज का नियमित रूपसे प्रमोधन किया जा रहा है। विगत तीन महीनों में वरिष्ठ अधिकारियों ने आठ बार क.रा.बी. अस्पताल का दौरा किया।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों में सुविधाओं की समीक्षा और सुधार एक सतत प्रक्रिया है। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल बसई दारापुर में विभिन्न चिकित्सा सुविधाएं जैसे गहन चिकित्सा कक्ष, हृदय गहन, चिकित्सा कक्ष, ईकोकार्डियोग्राफी, 24 घंटे आपात सेवाएं, रक्त बैंक, पूर्ण सुसज्जित बायोकेमिस्ट्री, विकृति विज्ञान और सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशालाएं पहले ही उपलब्ध हैं।

(घ) अन्य कर्मचारी राज्य बीमा अस्पतालों से रोगी बेहतर उपचार हेतु क. रा. बी. अस्पताल बसईदारापुर में भेजे जाते हैं। पश्चिमी और उत्तरी जोन से लगभग 3 लाख बीमाकृत व्यक्ति चिकित्सा देखभाल एवं उपचार हेतु बसईदारापुर अस्पताल से सम्बद्ध हैं।

[अनुवाद]

कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र में रोजगार

630. **श्री मणिशंकर अय्यर:** क्या लघु उद्योग, कृषि ग्रामीण उद्योग मंत्री दिनांक 2 अगस्त, 2000 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1583 के लिए दिए गए उत्तर कं. संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कृषि और ग्रामीण उद्योग क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा रोजगार, लक्ष्य निर्धारित न करने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या यह सच है कि औद्योगिक क्षेत्र में जिस प्रकार उच्च्व रोजगार सृजन संभावना है वैसी कृषि और ग्रामीण उद्योगों में नहीं है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और खादी ग्रामोद्योग आयोग इन निधियों का अपने कार्यान्वयन अभिकरणों नामत: राज्य/संघ शासित प्रदेश स्तर के खादी ग्रामोद्योग बोर्डों, संस्थानों, कोआपरेटिव सोसाइटियों इत्यादि को आबंटन करता है। सरकार ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करती।

(ख) ग्रामीण औद्योगिक क्षेत्र के पास अपेक्षाकृत कम निवेश से रोजगार सृजन के व्यापक अवसर हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

631. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री आर.एस. पाटिल:

क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत वर्ष 2002 तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाशक्ति बन जायेगा;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्यों की भारत को वर्ष 2002 तक सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महाशक्ति बनाने से पूर्व इस संबंध में किए जाने वाले कार्य की अधिकता की जानकारी है;

(ग) क्या माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स की यात्रा से उपर्युक्त तथ्यों के संबंध में कोई प्रोत्साहन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) और (ख) सरकार और उद्योग जगत दोनों ही सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की उच्च्व विकास दर को बनाए रखने की आवश्यकता से पूर्णतया जागरूक है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर एक राष्ट्रीय कार्य दल का गठन किया गया था। कार्य दल की रिपोर्ट में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के भावी विकास के लिए कार्य योजना और वर्ष 2008 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के सॉफ्टवेयर निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) बिल गेट्स के भारत दौरे से सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को काफी उत्साह मिला है। इनकी इस घोषणा की भारी सराहना की गई भारत पहले से ही सॉफ्टवेयर महाशक्ति था। सॉफ्टवेयर सेवाएँ उपलब्ध कराने में हमारी महत्वपूर्ण स्थिति की उनके द्वारा स्वीकृति की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया हुई।

नए राज्यों के लिए आई.ए.एस./आई.पी.एस. संवर्ग

632. श्री त्रिलोचन कानूनगो: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तीन नव-नर्मित राज्यों के लिए आई.ए.एस., आई.पी.एस. और संबद्ध सेवाओं के अन्य अधिकारियों के नए संवर्गों का सृजन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों के लिए नए संवर्ग के आबंटन में क्या प्रक्रिया अपनाई गई है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) सरकार ने, तीन नव-सृजित राज्यों: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.), भारतीय पुलिस-सेवा (आई.पी.एस.), और भारतीय वन-सेवा (आई.एफ.एस.) के नए संवर्ग सृजित किए हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार पुनर्गठन अधिनियमों के अधिनियमन के अनुसरण में, सरकार ने श्री यू.सी. अग्रवाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में, इन तीन राज्यों में से प्रत्येक राज्य के संबंध में अलग-अलग सलाहकारी समिति गठित की। संबंधित अविभाजित राज्य के मुख्य सचिव के अलावा, इन सलाहकारी समितियों में से प्रत्येक समिति में तीनों संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों अर्थात कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग, गृह-मंत्रालय एवं पर्यावरण और वन-मंत्रालय ने प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त तीनों सलाहकारी समितियों ने निम्नलिखित के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की-

(क) नव-सृजित राज्यों: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं के संवर्गों की आरंभिक पद-संख्या और गठन के साथ-साथ,

(ख) अखिल भारतीय सेवाओं के, पहले के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के संवर्गों के सदस्यों को अपनी-अपनी सेवा के उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड संवर्गों में आबंटित किए जाने के सिद्धांत।

सरकार ने तीनों सलाहकारी समितियों की रिपोर्टें, उनमें छोटे-मोटे आशोधन करके स्वीकार कर ली हैं और तद्नुसार, संगत संवर्ग-नियमों के साथ पठित तीनों पुनर्गठन अधिनियमों के अनुसार, अखिल भारतीय सेवाओं के उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड-संवर्ग गठित करने और भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस-सेवा और भारतीय वन-सेवा के अधिकारी इन संवर्गों को आबंटित करने में संबंधित अधिसूचनाएं, जारी कर दी गई हैं।

नव-सृजित राज्यों: उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड के संबंध में एक तरफ उन्हें संतुलित और व्यवहार्य संवर्ग मुहैया करवाने तथा दूसरी ओर कार्मिक आबंटित करने के व्यक्ति-निरपेक्ष और पारदर्शी मानक इस ढंग से लागू करने की दृष्टि से संबंधित सलाहकारी समितियां द्वारा एकरूप मानदंड अपनाए गए हैं। कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार के अविभाजित संवर्गों की, 'सीधे भर्ती' और 'पदोन्नत', 'स्थानीय' और 'बाह्य' तथा 'आरक्षित' और 'सामान्य' श्रेणियों के संबंध में मुख्य विशेषताएं, इनमें से बने दो संवर्गों में यथा संभव प्रतिबिंबित हों।

बेरोजगारी में वृद्धि

633. **श्री समर चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना से पूर्व रोजगार सृजन की अनुमानित वार्षिक वृद्धि 367.2 मिलियन थी जबकि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक रोजगार सृजन का अनुमानित स्तर 416.4 मिलियन था;

(ख) यदि नहीं, तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के संबंध में वास्तविक स्थिति क्या है; और

(ग) वर्तमान पंचवर्षीय योजना के दौरान रोजगार सृजन में अनुमानित वार्षिक वृद्धि कितनी है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो औसत वार्षिक रोजगार 367.2 मिलियन था उसमें नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 416.4 मिलियन की वृद्धि प्रक्षेपित की गई है। शिक्षित बेरोजगारों के नवीनतम अनुमान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के वर्ष 1993-94 के सर्वेक्षण से उपलब्ध हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित व्यक्तियों में से बेरोजगार 7.6% तथा शहरी क्षेत्रों में 7.9% हैं (सामान्य स्थिति के आधार पर)।

(ग) नौवीं योजना के दौरान रोजगार की प्रक्षेपित वार्षिक वृद्धि दर 2.44% है।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

634. **श्री सुल्तान सल्लाउद्दीन ओवेसी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली पर 1995-96 से बीमा चिकित्सा प्रभारों की काफी धनराशि देय हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली द्वारा अब तक कितनी धनराशि का भुगतान किया है;

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार को शेष धनराशि का भुगतान कब तक कर दिए जाने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) क.रा.बी. योजना के तहत चिकित्सा देखरेख पर व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम और राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित अधिकतम सीमा के अध्यधीन 7:1 के अनुपात में वहन किया जाता है। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन यथा स्वीकार्य 1997-98 तक के वर्षों का कर्म.रा.बी. निगम का सम्पूर्ण अंशदान आंध्र प्रदेश सरकार को जारी कर दिया गया है। निगम ने आंध्र प्रदेश सरकार को 1998-99 के लिए 17.34 करोड़ रुपये तथा 1999-2000 के लिए 21.36 करोड़ रुपये का ''लेखागत'' अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। योजना के अधीन शेष भुगतान यदि स्वीकार्य है तो यह भुगतान आंध्र प्रदेश सरकार से लेखा प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही कर दिया जायेगा।

लोकपाल विधेयक

635. **श्री पी.एस. गढवी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोकपाल विधेयक से संबंधित विधान बनाने के लिए गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) लोकपाल विधेयक को कब तक लागू कर दिया जाएगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और

प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, हां। वस्तुतः, सरकार ने लोकपाल विधेयक, 1998, पहले 03.08.1998 को लोक-सभा में पेश किया था। फिर भी, यह विधेयक, 26.04.1999 को सदन के भंग हो जाने के कारण व्यापगत हो गया।

(ख) और (ग) सरकार लोकपाल से संबंधित उपयुक्त विधान अधिनियमित, किए जाने के कदम उठाने पहले ही आरम्भ कर दिए हैं। वास्तव में, सरकार का प्रयास, लोकपाल विधेयक, यथाशीघ्र, फिर से पेश करने का है।

[हिन्दी]

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

636. **श्री रामचन्द्र बैंदा**: क्या **सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार और इष्टतम उपयोग के लिए प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की एक इकाई स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इन इकाइयों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है और इन पर व्यय होने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): (क) इलाहाबाद में सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) तथा ग्वालियर में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान (आईआईटीएम) के अतिरित केन्द्र सरकार का किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र में और आईआईआईटी को स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) इन दो आईआईटी के सुदृढ़ अवस्था प्राप्त होने तक आईआईटी में और पूंजीनिवेश करने का प्रस्ताव नहीं है।

जनसंख्या पर नियंत्रण

637. **श्री उत्तमराव पाटील:**
श्री नरेश पुगलिया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की जनसंख्या एक अरब हो गई है और जनसंख्या में और अधिक वृद्धि देश के विकास हेतु खतरनाक हैं;

(ख) जनसंख्या में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाएंगे;

(ग) क्या विश्व जनसंख्या दिवस 10 जुलाई, 2000 को मनाया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उस दिवस पर किसी कार्यक्रम की घोषणा की गई है/ प्रस्ताव किया गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, हां।

(ख) फरवरी, 2000 से सरकार द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 200 में कार्यनीतियों, जिनसे 2045 तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा, सहित 2010 तक प्राप्त किए जाने वाले कतिपय सामाजिक-जनांक्किीय लक्ष्य गिनाये गए हैं।

(ग) जी, हां। इसे 11 जुलाई को मनाया गया।

(घ) विकास पर उच्च जनसंख्या वृद्धि के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से देश भर में विभिन्न केन्द्रों में जनसंख्या दौड़ जैसे कार्यकलाप, गीत एवं नाटक प्रभाग के माध्यम से नाटक, हिन्दी-भाषी राज्यों में कवि सम्मेलन/मुशायरे और अन्य ऐसे कार्यकलापों का आयोजन किया।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

पारपत्र संबंधी परामर्शदात्री समिति

638. श्री हरिभाई चौधरी:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का पारपत्र संबंधी परामर्शदात्री समिति गठित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विदेश मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति पासपोर्ट कार्यालयों की कार्य प्रणाली पर निकट से निगरानी करती है। उन्होंने पिछले एक वर्ष में कई पासपोर्ट कार्यालयों का दौरा किया। पासपोर्ट कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर परामर्शदात्री समिति में भी विचार किया जा रहा है।

दुर्घटना प्रतिपूर्ति

639. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कामगारों को दुर्घटनाओं के लिए कामगार प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत की जाने वाली प्रतिपूर्ति की अदायगी अब तक नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या है;

(ग) सितम्बर, 2000 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कुल कितने मामले लंबित है; और

(घ) इन मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 में रोजगार के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप होने वाली अपंगता अथवा मृत्यु के मामले में कर्मकार या उसके आश्रितों को मुआवजा भुगतान किए जाने की व्यवस्था है। यह अधिनियम कारखानों, खानों, रेलवे, भवन एवं निर्माम उद्योग आदि जैसे कतिपय जोखिम भरे नियोजनों में नियोजित कर्मकारों पर लागू है। अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन राज्य सरकारों एवं संघशासित प्रशासनों द्वारा ही किया जा रहा है। इस प्रकार, अलग-अलग मामलों में भुगतान न किए गए मुआवजों के ब्यौरे केन्द्रीय रूप में नहीं रखे जाते हैं। मुआवजें का भुगतान न किए जाने अथवा विलम्ब से किए जाने के बारे में जैसे ही शिकायतें प्राप्त होती हैं, समुचित उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्हें संबंधित राज्य सरकार को अग्रेषित कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

जानवरों से फैलने वाली बीमारियां

640. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न जानवरों के माध्यम से फैल रही बीमारियों से महा-नगरों में अनेक व्यक्ति मौत का ग्रास बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) पशु मनुष्यों से निकट रूप से जुड़े रहते हैं और सीधे संपर्क अथवा उनके उत्पादों के माध्यम से विभिन्न रोगों के संरचण के लिए उत्तरदायी हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस, रेबीज, ब्रुसेलोसिस, हीडेटिडोसिस, टोक्सोप्लाजमोसिस इत्यादि कुछेक खास रोग हैं। ये रोग महानगरों में भी होते हैं।

इन रोगों के होने की सही बारम्बारता ज्ञात नहीं है,तथापि, मई, 2000 के अन्तिम सप्ताह में मुम्बई और थाने में लेप्टोस्पाइरोसिस फैला। रेबीज, जो संक्रमित पशुओं के काटने से संचारित होता है, इस रोगी की बारम्बारता के किसी विशेष पैटर्न का पता नहीं चलता और देश-भर में यह रोग एक समस्या के रूप में अनुभव किया जाता है।

(ग) महानगरों में पशु जन्य रोगों को फैलाने से रोकने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- सीरो निगरानी करने और संक्रमण का कारण सिद्ध करने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ समन्वयन करने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान से प्रभावित क्षेत्रों में दल भेजे गए।

- लेप्टोस्पाइरोसिस का शुरू में ही निदान करने के लिए चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
- वर्षा से पहले कृन्तक-रोधी कार्यकलाप बढ़ाए गए।
- राज्य सरकारों के माध्यम से लेप्टोस्पाइरोसिस की रोकथाम और उपचार के दिशानिर्देश दिए गए।
- संक्रमण रोकने के उपाय करने हेतु लोगों को सुग्राही बनाने के लिए सूचना, शिक्षा व सम्प्रेषण अभियान चलाए गए।
- इसके अतिरिक्त, रेबीज, की रोकथाम करने के लिए कुत्ते और अन्य पशुओं के काटे हुए रोगियों का उपचार करने के लिए सभी तृतीयक-अस्पतालों में वैक्सीन प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

गरीब रोगियों को चिकित्सा सहायता

641. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अस्पतालों में गरीब और असहाय रोगियों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने तथा अस्पताल से छुट्टी पर ऐसे रोगियों को वित्तीय सहायता/वाहन सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सफदरगंज अस्पताल, नई दिल्ली में ऐसे रोगियों के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रोगियो को उचित सहायता उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग और लेडी हार्डिंग मेडीकल कालेज और एसोसिएटिड अस्पतालों में गरीबों और नि:सहाय रोगियों और यात्रा सुविधा सहित निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाती है। ऐसे रोगियों को राष्ट्रीय रुग्णता सहायता फंड के तहत वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

सरकारी अस्पतालों सहित सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य मंत्री जी के विवेकाधीन अनुदान के तहत गरीब एवं जरूरतमन्द रोगियों को विशिष्ट उपचार/सर्जिकल कार्यकलापों हेतु अधिकतम, 20,000 रु. तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल सोसाइटी द्वारा संचालित एक रोगी परिचर्या कक्ष भी उपलब्ध है जहां पर अस्पताल से छुट्टी मिलने पर नि:सहाय रोगी रह सकते हैं।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है अत: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के नियंत्रणाधीन अस्पतालों के बारे में कोई सूचना नहीं रखता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक औषधालय, अस्पताल और अनुसंधानशालाएं

642. वैद्य विष्णुदत्त शर्मा: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना में राज्य-वार और स्थान-वार कितने आयुर्वेदिक औषधालय, अस्पताल और अनुसंधानशालाएं कार्यरत हैं;

(ख) इन स्थापनाओं में श्रेणीवार स्वीकृत स्टाफ की तुलना में फिलहाल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ग) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिए अपेक्षित मापदंड क्या हैं; और

(घ) पिछला आयुर्वेदिक औषधालय किस तारीख को खोला गया था?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) सूचना संलग्न विवरण-1 में दी गई हैं।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई हैं।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के आयुर्वेदिक औषधालय औचित्य और जनशक्ति एवं संशोधनों की उपलब्धता के आधार पर लाभान्वितों की आवश्यकता के अनुसार खोले जाते हैं।

(घ) पिछला के.स.स्वा. योजना का आयुर्वेदिक औषधालय के.स.स्वा. योजना नागपुर में 14.4.1986 को खोला गया।

विवरण-1

दिल्ली को छोड़कर विभिन्न शहरों में आयुर्वेद के के.स.स्वा.यो. औषधालयों की सूची

क्र.सं.	शहर के नाम	चिकित्सा पद्धति	पता
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	आयुर्वेद (यू)	काशविश महादेव ट्रस्ट बिल्डिंग, शाहपुर गेट, अहमदाबाद
2.	इलाहाबाद	,, (डी)	संगम प्लेस, 2, सिविल लाइन्स, सिविल रोड, इलाहाबाद
3.	बंगलौर	,, (यू) ,, ,,	सीजीएसएच डिस्पेंसरी नं.-3, बासनगुड़ी, बंगलौर, नं.-8, डोमलुर बंगलौर
4.	कलकत्ता	,, (यू)	आई सी ब्लाक, पालीक्लिनिक, साल्ट लेक, नियर ट्रंक रोड नं. 14, कलकत्ता
5.	चेन्नई	,, ,,	क्वार्टर नं. 125, बीसीजी वैक्सीन लैब क्वार्टर्स, सरदार पटेल रोड, गुइंडी, चेन्नई
6.	हैदराबाद	,, ,, ,, ,,	केन्द्रीय स्वास्थ्य भवन, बेगमपेट, हैदराबाद सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 2, नं- 10.3.273/10 हूमायु नगर, हैदराबाद,
7.	जयपुर	,, (यू)	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 4. डी-143/ए-7, कौशल्या मार्ग, बानी पार्क, जयपुर
8.	कानपुर	,, ,,	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 1, 126/टी/9, गोविन्द नगर, कानपुर
9.	लखनऊ	,, ,,	स्काईलार्क बिल्डिंग, नवल किशोर रोड, लखनऊ
10.	मेरठ	,, ,,	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 1, 171-डी- अबू लेन मेरठ
11.	मुम्बई	,, (डी)	न्यू एअरपोर्ट कालोनी, सांताक्रूज, मुम्बई
12.		,, ,,	सेन्ट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग, नं. 36, से. 7, मुम्बई
12.	नागपुर	,, (यू)	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. टाईम-2 क्वार्टर्स, सीपीडब्ल्यूडी कालोनी, सिविल लाइन्स, नागपुर
		,, ,,	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 5, श्री एस.एन. पटेल बिल्डिंग, रामबाग रोड, मेडिकल कालेज चौक, नागपुर
13.	पुणे	,, (यू)	स्वस्थ्य सदन, मुकुंद नगर, पुणे
14.	पटना	,, ,,	सीजीएचएस डिसपेंसरी नं. 2, 39, पिपुल को-आपरेटिव कालोनी, कंकड़बाग, पटना

नोट: (डी)- औषधालय और (यू) - एकक

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अन्तर्गत आयुर्वेद के केन्द्रीय सरकार स्वा. योजना औषधालयों/एककों की सूची

क्र.सं.	औषधालय/एककों के नाम	अवस्थिति
1.	किदवाई नगर, आयुर्वेद डिस्पेंसरी	नं. 61, डी-2, पृथक तल, किदवई नगर, सरकारी क्वार्टर।
2.	सै.-12, आर.के.पुरम, आ.डि.	सै.12, आर.के.पुरम, सरकारी क्वार्टर
3.	काली बाड़ी, आ. डि.	सी.जी.एच.एस. का अपना भवन
4.	नार्थ ऐवेन्यू, आ. डि.	क्वार्टर नं. 4, नार्थ ऐवेन्यू
5.	जनकपुरी-1 आ. डि.	सी-4 ए, जनकपुरी नई दिल्ली
6.	पश्चिम विहार, आ. यूनिट	ग्रीन अपार्टमेंट, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063
7.	दिल्ली कैंट, आ. यूनिट	सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी, नं.3 नजदीक सदरबाजार दिल्ली-8
8.	देव नगर, आ. यूनिट	313-314 टाइप-ई, देव नगर, नई दिल्ली
9.	गुडगांव आ. यूनिट	482/16 सिविल लाइन, गुडगांव
10.	कैंज्वा कैम्प आ. यूनिट	सी जी एच एस कैंज्वा कैम्प, हासपिटल/डिस्पेंसरी भवन, न्यू पुलिस लाइन, दिल्ली-9
11.	लक्ष्मीनगर आ. यूनिट	विकास मार्ग नजदीक लक्ष्मीनगर, चौक नई दिल्ली
12.	जंगपुरा आ. यूनिट	नं. 825,826 जंगपुरा सरकारी क्वार्टर नं. 4256 8 ब्लांक
13.	एम.बी. रोड आ. यूनिट	एम.बी. रोड, अपना भवन
14.	आयुर्वेद हॉस्पिटल, लोदी रोड	सी.जी.एच.एस. का अपना भवन

विवरण-2

आयुर्वेदिक डाक्टरों की स्वीकृत और कार्यरत संख्या

सं.	एकक के नाम	स्वीकृत सं.	कार्यरत सं,	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1.	अहमदाबाद	02	02	00
2.	इलाहाबाद	02	02	00
3.	बंगलौर	04	04	00
4.	भुवनेश्वर	शून्य	शून्य	शून्य
5.	कलकत्ता	02	01	01
6.	चेन्नई	02	02	00
7.	दिल्ली	40	37	03

1	2	3	4	5
8.	गुवाहाटी	शून्य	शून्य	शून्य
9.	हैदराबाद	04	04	00
10.	जबलपुर	शून्य	शून्य	शून्य
11.	जयपुर	02	02	00
12.	कानपुर	02	02	00
13.	लखनऊ	02	01	01
14.	मेरठ	02	01	01
15.	मुम्बई	04	04	00
16.	नागपुर	04	02	02
17.	पटना	02	01	01
18.	पूना	02	02	00
19.	रॉची	शून्य	शून्य	शून्य
20.	त्रिवेन्द्रम	शून्य	शून्य	शून्य
	योग	76	67	09

[हिन्दी]

जल भराव

643. **श्री छत्रपाल सिंह:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कई जिले और गांव गंभीर जल भराव की समस्या का सामना कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गये हैं/ उठाये जाने वाले हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) जी, हां। उत्तर प्रदेश राज्य के अनेक जिलों के कुछ भागों में जल भराव की समस्या का अनुभव किया जा रहा है।

(ख) केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत बहुत सी कुशल जल प्रबंधन गतिविधियां शुरू की गई हैं जिनमें ये शामिल हैं- खेत चैनलों, खेत नालियों का निर्माण, भूमि समतलन और भूमि को आकार देना, वाराबन्दी लागू करना, सतही और भू जल का संयुक्त उपयोग, उपयुक्त फसल पद्धति लागू करना, किसानों में समस्या के प्रति जागरुकता उत्पन्न करना। इसके अलावा, 1.4.1996 से एक नया घटक ''सिंचाई कमानों में जल जमाव क्षेत्रों का पुनरुद्धार'' भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है। इस मद के अन्तर्गत राज्य सरकार को 6000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अथवा व्यय की आधी राशि, जो भी कम हो, केन्द्रीय सहायता के रूप में दी जाती है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार विभिन्न स्कीमों के तहत जल जमाव क्षेत्रों के पुनरुद्धार के लिए दस वर्षीय योजना योजना क्रियान्वित कर रही है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में काली सूचि में दर्ज गैर-सरकारी संगठन

644. **श्री विनय कुमार सोराके:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न मंत्रालयों से अनुदान पाने वाले कई गैर-सरकारी संगठन धनराशि का दुरुपयोग कर रहे हैं;

(ख) क्या गुवाहाटी में मंत्री महोदय ने यह घोषणा की थी पूर्वोत्तर क्षेत्र के गैर-सरकारी संगठन वितरित अनुदान राशि का दुरुपयोग करते पाए गए है और मंत्रालय द्वारा ऐसे कई गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय ने गैर-सरकारी संगठनों पर प्रत्यक्ष निगरानी रखने के लिए अपना लेखा और जांच प्रकोष्ठ स्थापित किया है;

(ङ) क्या काली सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों की सूची अन्य सभी मंत्रालयों को वितरित कर दी गई है जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा पहले से ही कालू सूची में दर्ज गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान देते हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। तथापि यह सही है कि मंत्रालय से निधियां प्राप्त कर रहे कुछ स्वैच्छिक संगठन निर्मुक्त की गई निधियों के अनुरूप सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं और निधियों का दुरुपयोग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने मंत्रालय की योजनाओं को शुरू करने के लिए गैर सरकारी संगठनों को जागरूक करने और प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय के अधिकारियों के दल के साथ नवम्बर, 1998 में गुवाहाटी का दौरा किया।

(घ) मंत्रालय व्यापक रूप से राज्य सरकारों और नामित निरीक्षण एजेंसियों के प्रतिनिधियों से प्राप्त निरीक्षण रिपोर्टों पर निर्भर रहता है लेकिन निरीक्षण के लिए जहां यह अनिवार्य समझता है अपने अधिकारियों को भी नियुक्त करता है। गैर सरकारी संगठन सहायता अनुदान के लिए अपने आवेदन सहित संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करते हैं और इस मंत्रालय से सम्बन्ध मुख्य लेखा नियंत्रक चुनिंदा मामलों में लेखा परीक्षा करने के लिए अपने लेखा परीक्षा दल की नियुक्ति करता है।

(ङ) जी, हां।

(च) सरकार ने योजना आयोग को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है और जून, 2000 में इस तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर मंत्रालयों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक संगठन/गैर सरकारी संगठन संबंधी सचिवों की स्थायी समिति का गठन किया।

भारतीय वैज्ञानिकों को अनुमति

645. श्री बी.के. पार्थसारथी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में अमरीका ने भारतीय वैज्ञानिकों के मुक्त आवागमन पर लगे अवरोध हटा दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) इस संबंध में अमरीका कुछेक वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्यरत वैज्ञानिकों के वीजा आवेदनों की जांच अपनी घरेलू विनियमों के अनुरूप करता है। यही प्रक्रिया भारतीय वैज्ञानिकों पर भी लागू होती है। मई 1998 के नाभिकीय परीक्षणों के पश्चात अमरीका ने भारतीय वैज्ञानिकों की अमरीका यात्रा पर कड़े प्रतिबंध लगा दिये।

(ख) सरकार अमरीका को यह कहती रही है कि ऐसे प्रतिबंध भारत और अमरीका के बीच वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी सहयोग संबंधों के विकास की दिशा में अनुचित और प्रतिकूल हैं। अमरीकी फिजिकल सोसाइटी सहित अन्य अमरीकी वैज्ञानिक संगठनों ने भारत और अमरीका के बीच मुक्त वैज्ञानिक आदान-प्रदान पर लगे अमरीकी प्रतिबन्धों पर चिन्ता व्यक्त की। परिणामस्वरूप भारतीय वैज्ञानिक संगठनों के कई वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने हाल के महीनों में सरकारी कार्य से अमरीका की यात्रा की।

सरकारी कार्यालयों में पांच दिवसीय सप्ताह

646. श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी कार्यालयों और उपभोक्ता विभागों में पांच दिवसीय सप्ताह से होने वाले प्रभाव की क्या कोई समीक्षा की गई है;

(ख) क्या सरकार जानती है कि पांच दिवसीय सप्ताह से होने वाले विलंब से जनता प्रभावित हो रही है; और

(ग) सरकारी कार्यालयों में छह दिवसीय सप्ताह कराए जाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है/उठाने का विचार है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) छः कार्य दिवसीय सप्ताह के साप्ताहिक कार्य-घंटों में कोई कमी किए बिना जून, 1985 में

आरंभ की गई पांच-कार्य-दिवसीय सप्ताह-प्रणाली की प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा फरवरी, 1987 और नवम्बर, 1988 में किए गए अध्ययन के माध्यम से समीक्षा की गई और उपर्युक्त प्रणाली जारी रखे जाने की सिफारिश की गई। पांचवें केन्द्रीय वेतन-आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर उपर्युक्त प्रणाली की आगे समीक्षा किए जाने पर, उन सरकार विभागों को मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा करने तथा जहां कहीं, व्यवहार्य हो, छ:-कार्य-दिवसीय सप्ताह फिर से अपना लेने की सलाह दी गई है, जिनका काम-काज मुख्यत: जनता के संपर्क में आने-जनता से कार्य-व्यवहार किए जाने से जुड़ा हो अथवा वाणिज्यिक स्वरूप का हो।

[हिन्दी]

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

647. **श्री दिलीप कुमार मनसुखलाल गांधी:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सड़कों की ड्रफ्टिंग और डिजाइन तैयार करने तथा अन्य विकास कार्यों को पूरा किए जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एसे स्थानों पर जहां विकास कार्यों के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण करना कठिन है, विकास कार्य करने के लिए उठाए जा रहे वैकल्पिक कदमों का ब्यौरा क्या है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण, राज्य सरकार की स्थापित कार्यविधि के अनुसार संबंधित सांसद की अनुशंसा पर जिलाध्यक्षों द्वारा करवाया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

माणिसाना वेतन बोर्ड

648. **श्री नरेश पुगलिया:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने माणिसाना सिंह वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) माणिसाना सिंह वेतन बोर्ड की सिफारिशों पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (घ) दिनांक 25.7.2000 को प्रस्तुत माणिसाना वेतन बोर्ड की अन्तिम सिफारिशों पर सरकार अपने निर्णयों को शीघ्र अधिसूचित करेगी।

मेडिकल डेन्टल और फार्मेसी कालेज

649. **श्री कोलूर बसवनागौड:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार कुल कितने मेडिकल डेन्टल और फार्मेसी कालेज, हैं;

(ख) देश में कितने चिकित्सा विश्वविद्यालय हैं;

(ग) उक्त कालेजों में भारतीय दंत चिकित्सा परिषद द्वारा कितने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति दी गई है;

(घ) क्या कर्नाटक के विभिन्न डेन्टल कालेजों में प्रतिवर्ष कुल कितनी स्नातकोत्तर डेन्टल सीट उपलब्ध हैं;

(ङ) क्या कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक में स्नातकोत्तर डेन्टल सीट्स में वृद्धि के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दे दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 5 (पांच)

(ग) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद के अनुसार अब तक विभिन्न दन्त चिकित्सीय संस्थाओं में 9 विशेषज्ञताओं में 267 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की अनुमति दी गई है।

(घ) 355

(ङ) कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित दन्त चिकित्सा कालेजों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए अनिवार्यता प्रमाण-पत्र दिया हैं:-

1. कालेज आफ डेन्टल सांइसिज, देवेनगेर

2. बापूजी डेन्टल कालेज एवं अस्पताल, देवेनगेर

3. एम.आर.ए. डेन्टल कालेज, बंगलौर

4. पी.एम.वी.एम. डेन्टल कालेज एवं अस्पताल बागलकोट

(च) भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर केन्द्र सरकार ने देवेनगेर में स्थित दन्त चिकित्सा कालेज में सीटों में वृद्धि करने की पहले ही अनुमति दे दी है। बैंगलूर और बागलकोट में स्थित दन्त चिकित्सा कालेजों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने से संबंधित मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मेडिकल कालेज की संख्या	दन्त चिकित्सा कालेजों की संख्या	फार्मेसी कालेजों की संख्या	
				स्नातक कालेज	डिप्लोमा कालेज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	14	4	10	20
2.	असम	3	1	1	
3.	बिहार	11	7	5	7
4.	चंडीगढ़	1		1	2
5.	दिल्ली	4	1	2	8
6.	गोवा	1	1	1	1
7.	गुजरात	10	4	6	9
8.	हरियाणा	1	4	1	9
9.	हिमाचल प्रदेश	2	4		2
10.	जम्मू कश्मीर	4	1	1	(यु/एस 41)
11.	कर्नाटक	23	40	43	81
12.	केरल	6	2	3	20
13.	मध्य प्रदेश	6	3	3	7
14.	महाराष्ट्र	34	16	28	67
15.	मणिपुर	1			1
16.	उड़ीसा	3	2	6	19
17.	पांडिचेरी	2	1		
18.	पंजाब	6	10	1	20
19.	राजस्थान	6	3	4	10

1	2	3	4	5	6
20.	सिक्किम	—			1
21.	तमिलनाडु	17	13	25	36
22.	त्रिपुरा	—			1
23.	उत्तर प्रदेश	11	14	2	14
24.	पश्चिम बंगाल	7	2	1	7

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रदर्शनी

650. **डा. जसवंतसिंह यादव:** क्या लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग का विचार राजस्थान में प्रदर्शनी आयोजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन जिलों के नाम क्या हैं जहां ये प्रदर्शनियां आयोजित की जाएंगी;

(ग) इन प्रदर्शनियों के लिए कितनी धनराशि आंबटित की गई हैं; और

(घ) इन प्रदर्शनियों से खादी और ग्रामोद्योग आयोग कितना लाभान्वित होगा?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी हां।

(ख) खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा एक राज्यस्तरीय प्रदर्शनी जोधपुर में और तीन जिला स्तरीय प्रदर्शनीयां बीकानेर, कोटा और अजमेर जिलों में करने का प्रस्ताव है।

(ग) खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहायता पैटर्न के अनुसार के अनुसार राज्य स्तरीय प्रदर्शनी हेतु 1.50 लाख रुपये और जिला स्तरीय प्रदर्शनी हेतु 0.50 लाख रुपये संस्वीकृत किए गए हैं।

(घ) यह प्रदर्शनियां खादी ग्रामोद्योग उत्पादों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायता करेंगी। इससे खादी ग्रामोद्योग उत्पाद सप्लाई करने के लिए आदेश प्राप्त करने के अतिरिक्त प्रदर्शनी के दौरान संस्थानों को उनकी वस्तुएं बेचने में भी मदद मिलेगी।

सी.जी.एच.एस. नेटवर्क

651. **श्री शिवाजी विट्ठलराव काम्बले:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की आगमी तीन वर्षों के दौरान देश में सी.जी.एच.एस. नेटवर्क का विस्तार, उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार, स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिनांक 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार सी.जी.एच.एस. के तहत कितने परिवारों को इसमें शामिल किया गया है; और

(घ) विशिष्ट सेवाओं इत्यादि के माध्यम से आपातकालीन चिकित्सा सहायता के प्रावधान सहित औद्योगिक कामगारों को सी.जी.एच.एस. के अन्तर्गत चिकित्सा कवर में सुधार करने हेतु कार्य योजना का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना नेटवर्क के आधुनिकीकरण और उसके स्तर को बढ़ाना एक सतत प्रक्रिया है। वित्त मंत्रालय की कर्मचारी निरीक्षण इकाई ने के.स.स्वा.यो. के कर्मचारी मानकों के संबंध में अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 1999 में प्रस्तुत कर दी है। इसकी सिफारिशों की जांच की जा रही है। नए औषधालयों जिनके लिए पदों के सृजन की आवश्यकता होती है, को खोलने के मामले पर कार्रवाई इस रिपोर्ट पर निर्णय लेने के पश्चात ही की जाएगी।

(घ) इस योजना के अन्तर्गत 9,8 6,877 परिवारों को कवर किया गया है।

(घ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औद्योगिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती है।

एम.पी.एल.ए.डी.एस.

652. **कुमारी भावना पुंडलिकराव गवली: क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को एम.पी.एल.ए.डी.एस. के अंतर्गत बेघरों को घर उपलब्ध कराने के लिए महाराष्ट्र और केरल सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में उक्त राज्यों को कितनी-कितनी राशि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्य, सांसदों की अनुशंसा पर किए जाते हैं। यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के दिशा-निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित सांसद द्वारा, अनुशंसित सीमा तक निधियों का उपयोग इंदिरा आवास योजना के नियम एवं शर्तों और क्रिया विधि के अनुसार मकान उपलब्ध कराने के लिए किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में चिकित्सा महाविद्यालय

653. **श्री टी. गोविन्दन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अस्पतालों के लिए विश्व बैंक से सहायता

654. **श्री राजो सिंह: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से मध्यम स्तर के अस्पतालों की स्थिति को सुधारने हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया/लिया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) बिहार सरकार ने अपने 20 नवम्बर, 1999 के पत्र संख्या 10/विविध 19-21/99-416 (10) के तहत विश्व बैंक के सहायता अनुदान हेतु 4000 करोड़ रुपये का एक प्रस्ताव भेजा है जिसमें नैदानिक उपचारी और सूचना संबंधी सेवाओं में अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव है। इसमें मोटेतौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. आयातित अद्यतन उपकरण
2. स्वदेशी उपकरण
3. कम्प्यूटीकरण और नेटवर्किंग
4. दस वर्ष के लिए सभी उपकरणों हेतु ए एम सी
5. रैफरल मशीनों, नैदानिक किट, रि-ऐजेन्ट
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्राथमिक कार्य
7. कर और अन्य
8. जनशक्ति, कैशल आदि

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई है और राज्य सरकार को 30.3.2000 को सूचित किया गया है। कि राज्य को मौजूदा प्रणाली का विश्लेषण करना होगा और यह विश्लेषण मानव एवं सामग्री स्रोतों जैसे कि चिकित्सा और पदा कर्मचारियों की संख्या, भवन, बिजली की उपलब्धता, अपरेशुथियेटर, अपेक्षित पंलगों की संख्या, एम्बूलैन्स आदि और उसी के आधार पर आवश्यक आकलन करें।

विकास आयुक्त, योजना सचिव और स्वास्थ्य सचिव को स्मरण पत्र भेजे गये हैं और परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की सेवाओं की पेशकश की गई है लेकिन बिहार सरकार से कोई जबाव नहीं आया है।

बाल श्रम अधिनियम

655. **श्री पी.आर. खूंटे:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ख) बाल श्रम (प्रतिषेद तथा विनियमन) अधिनियम, 1986 को और अधिक कठोर तथा प्रभावी बनाने से संबंधित संशोधन के मामले पर, जुलाई 1987 में आयोजित राज्य श्रम मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। अधिनियम को अधिक कठोर बनाने के लिए सम्मेलन में दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों में यह भी शामिल थे (क) अपराध को संज्ञेय बनाया जाये (ख) दण्ड को और अधिक कठोर तथा निवारक बनाया जाए (ग) बच्चे की आयु के सबूत की जिम्मेदारी नियोक्ता की की जाए। इस संबंध में कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है।

[अनुवाद]

नीम हकीम

656. **श्री रामचन्द्र पासवान:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बावजूद देश में हकीमों का कारोबार अबाध रूप से फल-फूल रहा है;

(ख) क्या नीम हकीमों की बढ़ रही समस्या के मूल्यांकन के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में किन-किन उपायों पर विचार किया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य सरकार का विषय है और राज्य सरकारें और राज्य चिकित्सा परिषद जो कि चिकित्सा व्यवसायियों को पंजीकृत करती हैं जहां कहीं आवश्यकता होती है, कार्रवाई करती हैं। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने सूचित किया है कि 283 मामले विभिन्न पुलिस थानों को उचित कार्रवाही करने हेतु भेजा गया है। तथापि नीम हकीमों की व्याप्तता के बारे में देश व्यापी स्तर पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(घ) अयोग्य व्यक्तियों को चिकित्सा डिग्री-देने और चिकित्सा व्यवसाय के लिए प्रमाण-पत्र देने वाले अनधिकृत संस्थानों पर पाबंधी लगाने हेतु सरकार ने एक माड्ल वैधानिक प्रस्ताव बनाने के लिए कार्रवाई शुरू की है।

केन्द्रीय भण्डार

657. **श्री राधा मोहन सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय भण्डार में भारी मात्रा में चल रही वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) से (ग) केन्द्रीय भण्डार द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, पिछले दो वर्ष के दौरान, वित्तीय अनियमितता के चार मामले रहे हैं जो संलग्न विवरण में दर्शाए जा रहे हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय भण्डार में की गई वित्तीय अनियमितता के मामले

क्र.सं.	भण्डार का नाम	जिम्मेवार व्यक्ति का नाम	अनियमितताओं की प्रकृति	की गई कार्रवाई
1.	आर.के. पुरम 9 ए	श्री तमेश्वर सिंह	रोकड़ में 2,25,359-00 रुपये की कमी	(क) 1,12,336,-00 रुपये की धनराशि वसूल कर ली गई है (ख) विभागीय जांच पूरी कर ली गई है।
2.	एण्ड्रयूज गंज	श्री आर.एन. सक्सेना, वरिष्ठ विक्रेता	अभिकथित झूठी चोरी	विभागीय जांच के परिणामस्वरूप, संबंधित व्यक्ति को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
3.	नौरोजी नगर	श्री अनूप सिंह, वरिष्ठ विक्रेता	7 लाख रुपये के माल की कमी	(क) सम्पूर्ण धनराशि वसूल कर ली गई है। (ख) संबंधित व्यक्ति इस समय निलंबित चल रहा है। विभागीय जांच पूरी कर ली गई है।
4.	लेखन-सामग्री प्रभाग	श्री डी.के.जैन, वरिष्ठ प्रबंधक	एक मद विशेष की खरीद का भण्डार रजिस्टर में विभिन्न शीर्षों के तहत दर्ज किया जाना।	विभागीय जांच प्रगति पर है।

[हिन्दी]

बेरोजगार युवक

658. श्री बृजलाल खाबरी: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31 अगस्त 2000 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार रोजगार केन्द्रों में पंजीकृत युवकों की संख्या क्या है;

(ख) क्या बेरोजगार युवकों की संख्या में प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं;

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) 31 अगस्त, 2000 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों, जिनमें यह आवश्यक नहीं कि सभी बेरोजगार हों, की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। नाममात्र की वृद्धि हुई है। वृद्धि की यह प्रवृत्ति श्रम बाजार की आवश्यकताओं एवं पूर्ति के बीच असंगति के कारण दिखाई देती है।

(घ) नौवीं योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार तथा अल्प-रोजगार की उच्च दरों की प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में श्रम सघन सैक्टरों, सब-सैक्टरों तथा प्रौद्योगिकियों पर संकेन्द्रण से विकासात्मक प्रक्रिया में अधिक उत्पादक रोजगार सृजित करना है। इस प्रकार की कार्यनीति से बेरोजगार व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

विवरण

31.8.2000 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या

अगस्त, 2000

राज्य/संघ शासित प्रदेश	चालू रजिस्टर पर रोजगार चाहने वालों की संख्या (हजार में)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	3229.2
2. अरूणाचल प्रदेश	19.3
3. असम	1468.0
4. बिहार	3321.7
5. गोवा	104.4
6. गुजरात	1059.4
7. हरियाणा	802.2
8. हिमाचल प्रदेश	885.3
9. जम्मू व कश्मीर	162.0
10 कर्नाटक	1968.0
11. केरल	4091.3
12. मध्य प्रदेश	2584.3
13. महाराष्ट्र	4396.8
14. मणिपुर	389.5
15. मेघालय	35.2
16. मिजोरम	89.1
17. नागालैंड	36.9
18. उड़ीसा	985.2
19. पंजाब	537.0
20. राजस्थान	812.5
21. सिक्किम	
22. तमिलनाडु	4623.2
23. त्रिपुरा	294.1
24. उत्तर प्रदेश	2502.3
25. पश्चिम बंगाल	5787.3
संघ शासित प्रदेश	
26. अं. एवं नि. द्वीपसमूह	30.0
27. चंडीगढ़	95.5
28. दादर एवं नागर हवेली	4.5
29. दिल्ली	959.2
30. दमन एवं दीव	7.2
31. लक्षद्वीप	10.0
32. पांडिचेरी	137.1
केन्द्रीय रोजगार कार्यालय	
योग	41428.3

टिप्पणी: *इस राज्य में कोई भी रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद में धन का दुरूपयोग

659. डा. (श्रीमती) सुधा यादव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** 16 मई, 2000 के अतारांकित प्रश्न सं. 7774 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच अधिकारी को किस तारीख को नियुक्त किया गया,

(ख) क्या जांच पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) से (ग) वर्ष 1998 में नियुक्त जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट दे दी हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है।

भारत-सऊदी अरब संबंध

660. **श्री मोइनुल हसन:**
श्री त्रिलोचन कानूनगो:
श्री महबूब जहेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या सरकार का विचार सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस कार्य के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में किसी भारतीय प्रतिनिधि-मंडल का सऊदी अरब का दौरा तय था;

(च) यदि हां, तो क्या इसे स्थगित किया गया था; और

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, हां। भारत और सऊदी अरब के पहले से ही घनिष्ठ संबंध हैं और भारत-सऊदी अरब संबंधों को और अधिक मजबूत करने के प्रयास जारी हैं।

(ग) और (घ) उच्च- स्तरीय राजनैतिक क्रियाकलाप, द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि और सऊदी अरब में 1.5 मिलियन भारतीयों का नियोजन सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं।

(ङ) से (छ) हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एक उच्च-स्तरीय शिष्टमंडल के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर जाने वाले थे। हालांकि मध्य-पूर्व संकट तथा सऊदी नेताओं के असाधारण शिखर-सम्मेलन और अरब नेताओं के बीच अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में व्यस्त होने के कारण इस दौरे को स्थगित करना पड़ा।

पश्चिम एशिया की समस्या में भारत द्वारा मध्यस्थता

661. **श्री सुशील कुमार शिंदे:**
श्री कमल नाथ:
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:
श्रीमती रेणूका चौधरी:
श्री मणिशंकर अय्यर:
श्री माधवराव सिंधिया:
श्री महबूब जहेदी:
श्री जी.एम. बनातवाला:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेस्ट बैंक और गाजा मे फिलिस्तीनियों पर होने वाले हमलों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व संगठनों ने हमलों की निन्दा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में मध्यस्थता करने हेतु भारत सरकार से अनुरोध किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार का क्या दृष्टिकोण है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (च) सरकार ने हाल में जेरूसेलम, बेस्ट बैंक, गाजा तथा फिलीस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण और इजराइल के अन्य भागों में हुई हिस्सा की घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है। अरब लीग के अनुरोध पर मानवाधिकार आयोग का विशेष सत्र और महासभा का दसवां तात्कालिक विशेष सत्र क्रमशः जेनेवा (18-19 नवम्बर, 2000) और न्यूयार्क 18-20 अक्टूबर, 2000) में आयोजित किया गया। इन निकायों द्वारा पारित किये गए संकल्पों का भारत ने समर्थन किया। इन घटनाओं के संबंध में भारत सरकार इजराइल और फिलीस्तीनी नेताओं के संपर्क में है और इसका अब भी यह मानना है कि मध्य-पूर्व शांति प्रक्रिया में शामिल मसले अत्यन्त जटिल है और इसलिए संयम, बरतने की तथा भड़काने वाली कार्रवाइयों और शांति की प्रक्रिया में आंड़े आने वाली कार्रवाईयों से बचने की आवश्यकता है।

दरजंग सिंचाई परियोजना

662. **श्रीमती हेमा गमांग:**
श्री के.पी. सिंह देव:

क्या जल **संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने दरजंग सिंचाई परियोजना की दक्षिण-तटवर्ती नहर प्रणाली संबंधी निर्माण कार्य के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजनाओं के पूरा होने से क्या लाभ होंगे;

(घ) क्या इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार ने कोई वित्तीय सहायता संस्वीकृत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) से (ङ) संभवत: यह संदर्भ चल रही मध्यम सिंचाई परियोजना दारजंग सिंचाई परियोजना चरण-2 से है इस परियोजना के पूरा होने पर आंगुल जिला में 2.48 हजार हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई होगी। उड़ीसा राज्य सरकार की ओर से इस परियोजना को सहायता देने संबंधी कोई भी प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण संबंधी धनराशि

663. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा:
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान परिवार कल्याण हेतु राज्यों को आबंटित धनराशि जारी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य को बकाया धनराशि कब तक जारी कर दी जाएंगी और गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को उनकी मांग पर उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान नगद और वस्तु के रूप में राज्यवार प्रदान की गई धनराशि (नकद और वस्तु के रूप में) का ब्यौरा संलग्न विवरण-1 में दिया गया है। तथापि, राज्यों को दी गई धनराशि आमतौर पर उनकी वास्तविक जरूरतों से कम है। राज्यों द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्चे को बाद में राज्य के महालेखाकार से प्राप्त लेखा परीक्षित व्यय विवरण प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति कर दी जाती है। संबंधित राज्यों से प्राप्त लेखा परीक्षित व्यय विवरणों के संबंध में सभी बकाया राशि की पूरी तरह प्रतिपूर्ति की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में आज तक बकाया राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण 2 में दिया गया है।

विवरण-1

बकाया धनराशि सहित परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता-अनुदान (नगद और वस्तु के रूप में)

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	नगद	वस्तु के रूप में	कुल	नगद	वस्तु के रूप में	कुल	नगद	वस्तु के रूप में	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	8838.71	2387.25	11225.96	11652.79	2961.41	14614.20	16609.39	3023.31	19632.70
2.	अरूणाचल प्रदेश	147.73	89.65	237.38	144.06	75.75	219.81	231.20	103.35	334.55
3.	असम	3284.70	1165.61	4450.31	3260.45	1177.35	4437.80	7071.23	1421.68	8492.91
4.	बिहार	9894.51	2727.31	12621.82	8792.62	4025.28	12817.90	28435.89	4868.39	33304.28
5.	गोवा	168.13	38.70	206.83	184.83	58.94	243.77	243.44	82.50	325.94
6.	गुजरात	9446.00	1877.12	11323.12	10503.85	2108.13	12811.98	14612.87	2600.21	17213.08
7.	हरियाणा	3521.84	722.46	4244.30	2746.01	906.66	3852.67	3388.16	1019.59	4407.75
8.	हिमाचल प्रदेश	1123.72	307.30	1431.02	1973.97	399.57	2373.54	2069.01	338.33	2407.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	जम्मू व कश्मीर	1873.62	264.16	2137.78	1600.73	455.77	2056.50	1803.64	458.21	2261.85
10	कर्नाटक	5185.49	1275.84	6461.33	7681.02	2111.95	9792.97	16978.35	2107.70	19088.05
11.	केरल	2981.48	973.70	3955.16	4190.43	1313.51	5503.94	5487.87	1376.24	6884.11
12.	मध्य प्रदेश	8765.52	3227.78	9993.30	8566.08	4587.46	13153.54	11373.95	4988.02	16361.97
13.	महाराष्ट्र	8289.64	2388.04	10677.68	11164.04	3872.20	15036.24	11971.24	3924.85	15896.09
14.	मणिपुर	452.95	132.90	585.85	622.26	108.80	731.06	907.39	147.96	1055.35
15.	मेघालय	300.91	96.13	397.04	328.75	140.78	469.53	598.21	152.50	750.71
16.	मिजोरम	221.36	74.68	296.04	239.11	68.77	307.88	368.47	75.80	444.27
17.	नागालैंड	209.05	59.19	288.24	247.96	90.31	338.27	402.78	97.73	500.51
18.	उड़ीसा	4821.63	1337.46	6159.09	4710.89	1773.73	6484.62	6053.65	1765.56	7819.21
19.	पंजाब	2451.93	1117.79	3569.72	2558.65	1125.51	3884.16	2941.14	1246.95	4188.09
20.	राजस्थान	7299.73	2176.98	9476.89	8492.29	2688.55	11180.84	14307.20	3238.37	17545.57
21.	सिक्किम	218.87	46.00	264.87	307.72	41.68	349.40	416.73	68.33	485.06
22.	तमिलनाडु	10835.89	1924.08	12759.97	9197.30	2582.39	11779.69	21270.03	1833.16	23103.19
23.	त्रिपुरा	411.50	161.28	572.78	1781.61	193.98	1975.59	823.48	177.00	1000.48
24.	उत्तर प्रदेश	19276.48	5797.10	25073.58	42482.52	8773.56	51256.08	26295.63	10356.72	36652.35
25.	पश्चिम बंगाल	5201.99	2505.16	7707.15	11122.85	3172.95	14295.80	9003.46	2944.78	11948.24
	कुल	113223.36	32873.65	146097.01	154552.79	44814.99	199367.78	203664.41	48417.24	252081.85
	विधान सभा वाले संघ शासित क्षेत्र									
1.	पांडिचेरी	138.53	35.49	174.02	137.85	54.55	192.40	148.13	38.19	186.32
2.	दिल्ली	719.82	435.59	1155.41	1012.59	473.35	1485.94	2092.19	698.88	2791.07
संघ शासित क्षेत्र के लिए परिव्यय										
1.	अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह	100.34	22.06	122.40	104.60	19.00	123.60	0.00	0.00	0.00
2.	दादर और नागर हवेली	34.41	5.55	39.96	59.31	9.98	69.29	0.00	0.00	0.00
3.	चंडीगढ़	98.25	17.08	113.33	131.33	57.72	189.05	0.00	0.00	0.00
4.	लक्षद्वीप	13.25	5.91	19.16	30.05	5.01	35.06	0.00	0.00	0.00
5.	दमन और दीव	32.25	12.15	44.40	43.50	8.55	52.05	0.00	0.00	0.00
	कुल संघ शासित क्षेत्र	1134.85	533.83	1668.68	1519.23	628.16	2147.39	2240.32	737.07	2977.39
	योग	114358.21	33407.48	147765.69	156072.02	45443.15	201515.17	205904.73	49154.31	255059.04

नौवीं योजना के दौरान अनुदान

विवरण-2

राज्यों को बकाया धनराशि का भुगतान

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	निम्नलिखित वर्षों के दौरान			
		1997-98	1998-99	1999-2क	2000-01
1.	आंध्र प्रदेश	2373.40	3200.00	6587.17	7953.63
2.	अरूणाचल प्रदेश				
3.	असम	795.45		800.66	591.01
4.	बिहार	3525.17		16571.00	981.00
5.	गोवा				
6.	गुजरात	3817.69	4450.00	7407.09	
7.	हरियाणा	1306.85	686.76	754.71	1132.82
8.	हिमाचल प्रदेश		497.26	112.41	816.00
9.	जम्मू व कश्मीर	871.43	310.51		
10	कर्नाटक		1000.00	8304.82	
11.	केरल		380.19		
12.	मध्य प्रदेश				
13.	महाराष्ट्र		1286.60	302.54	1641.00
14.	मणिपुर		5.15		
15.	मेघालय				
16.	मिजोरम				
17.	नागालैंड				
18.	उड़ीसा	1107.99			
19.	पंजाब				
20.	राजस्थान	997.96	1450.00	5794.97	4953.43
21.	सिक्किम	2.33	78.07	66.38	242.04
22.	तमिलनाडु	4255.62	2072.33	9613.40	5299.73
23.	त्रिपुरा		1283.13		
24.	उत्तर प्रदेश	7457.73	27500.00	7240.20	494.98
25.	पश्चिम बंगाल	93.38	800.00	612.35	
	कुल सभी राज्य	26611.00	45000.00	64167.70	24105.64

[अनुवाद]

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/रेफरल अस्पतालों का कार्यकरण

664. श्री राममोहन गाड्डे:
श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति:
श्री शिवाजी माने:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और रैफरल अस्पतालों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और रैफरल अस्पतालों के कार्यकरण के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या निष्कर्ष निकला;

(घ) क्या अधिकांश सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और रैफरल अस्पताल में विभिन्न खामियां पाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) 30.6.1999 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। केन्द्र विभिन्न राज्यों में कार्यरत अन्य रैफरल अस्पतालों के संबंध में राज्यवार कोई आंकड़ा नहीं रखता है।

(ख) और (ग) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्रथम रेफरल एककों, जिला अस्पतालों, प्रसवोत्तर केन्द्रों आदि प्रशिक्षित स्टाफ, उपस्करों की उपलब्धता आपूर्तियां और उनके उपयोग का आकलन कराने के लिए जिला स्तर पर एक सुविधा सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत प्रत्येक बड़े राज्य के एक जिले प्रत्येक मध्यम आकार वाले राज्य से एक जिले के एक उपमंडल और प्रत्येक छोटे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से जिले के एक खण्ड को प्रत्येक महीने कवर किया जाता है।

(घ) और (ङ) सरकार को मुख्यत: बुनियादी ढांचे और प्रशिक्षित जनशक्ति के अपर्याप्त पहुंच के कारण स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में कतिपय खामियों के बारे में जानकारी है। जबकि स्वास्थ्य मूलत: राज्य का विषय हैं, केन्द्र सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को प्रभारित करते हैं, तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है राज्यों को बार-बार सलाह दी जाती है। कि वे इन केन्द्रों में रिक्तियों को भरने और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने सहित मौजूदा खामियों को दूर करने हेतु समुचित कदम उठाए।

विवरण

30.6.1999 की स्थिति के अनुसार देश में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	अद्यतन रिपोर्ट की तारीख
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	238	30.06.98
2.	अरूणाचल प्रदेश	9	28.02.99
3.	असम	105	31.03.95
4.	बिहार	148	30.06.99
5.	गोवा	5	30.06.99
6.	गुजरात	206	30.06.99
7.	हरियाणा	64	30.06.99
8.	हिमाचल प्रदेश	55	30.06.99
9.	जम्मू व कश्मीर	53	31.01.98
10	कर्नाटक	249	31.03.99
11.	केरल	80	30.06.99
12.	मध्य प्रदेश	342	30.06.98
13.	महाराष्ट्र	308	30.04.99
14.	मणिपुर	16	30.06.99
15.	मेघालय	13	30.06.99
16.	मिजोरम	6	31.01.99
17.	नागालैंड	5	30.04.99
18.	उड़ीसा	157	30.06.99
19.	पंजाब	105	30.06.99

1	2	3	4
20.	राजस्थान	263	30.06.99
21.	सिक्किम	2	31.05.99
22.	तमिलनाडु	72	31.03.98
23.	त्रिपुरा	11	30.06.99
24.	उत्तर प्रदेश	310	31.12.98
25.	प. बंगाल	99	30.06.98
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	4	31.01.99
27.	चंडीगढ़	1	31.12.98
28.	दादर एवं नागर हवेली	1	28.02.99
29.	दमन एवं दीव	1	30.06.96
30.	दिल्ली	—	30.06.96
31.	लक्षद्वीप	3	30.04.99
32.	पांडिचेरी	4	31.03.99
	अखिल भारत	2935	

अन्तर्राज्यीय जल-विवाद

665. **श्री विनय कुमार सोराके:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय जल-विवाद अधिनियम, 1956 को संशोधित करने का है;

(ख) यदि हां, तो अधिनियम में संशोधिन की किन मुख्य विशेषताओं के समाविष्ट किये जाने का विचार है; और

(ग) क्या आगामी सत्र के दौरान इस संबंध में किसी विधेयक को संसद में पुर: स्थापित किए जाने की संभावना है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जल-संसाधन मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद अधिनियम, 1956 में प्रस्तावित संशोधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर आधारित है जिन पर अंतर्राज्यीय परिषद भी सहमत है ये प्रस्ताव सरकार द्वारा विचार की अंतिम अवस्था में हैं।

गरीबी और महिलाओं पर वैश्वीकरण का प्रभाव

666. **श्री अशोक ना. मोहोल:**
श्री रामशेठ ठाकुर:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की भूमण्डलीकरण और ढांचागत समायोजन की नीतियां, गरीबी और महिलाओं पर अत्याचार की गटनाओं में बढ़ोत्तरी के लिए जिम्मेवार ठहराती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) क्या सरकार अपनी आर्थिक नीतियों की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): (क) और (ख) योजना आयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। पिछला ऐसा सर्वेक्षण 1993-94 में कराया गया था। जुलाई, 1999 से जून, 2000 की अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यय के संबंध में करवाए गए अगले वृहत् सर्वेक्षण से पूर्ण आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। इस प्रकार भूमंडलीकरण की नीति के प्रारम्भ एवं 1991 में किए गए संरचनात्मक समायोजनों से गरीबी के अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए ही उपलब्ध है। अत: आर्थिक सुधारों की अवधि के दौरान गरीबी में हुए परिवर्तन का पता लगाना संभव नहीं है। हालांकि दो नवीनतम अनुमानों, 1987-88 एवं 1993-94 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 2.9 प्रतिशतांक तक गिर गया है। सरकार द्वारा शुरू किए गए भूमंडलीकरण तथा संरचनात्मक समायोजन एवं महिलाओं के प्रति हिंसा के मध्य कोई संबंध स्थापित करना संभव नहीं है।

(ग) से (ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर, नियमित रूप से आर्थिक नीतियों की समीक्षा की जाती है।

दक्षेस (सार्क) शिखर सम्मेलन का स्थगन

667. मोहम्मद अनवारूल हक:
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह:
श्रीमती कांति सिंह:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवम्बर, 1999 में नेपाल में होने वाला प्रस्तावित दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का 11वां शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या;

(ग) इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस बीच में इस शिखर-सम्मेलन को आयोजित करने की कोई नयी तिथि निश्चित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) से (च) क्षेत्रीय सहयोग संबंधी एशियाई सहयोग का 11वां शिखर सम्मेलन जो 26-28 नवम्बर 1999 तक काठमांडू में संपन्न होना था, पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट के कारण स्थगित हो गया था। इस शिखर सम्मेलन के आयोजन की नई तिथियों को अभी तय नहीं किया गया है। तथापि, तकनीकि और कार्यात्मक सहयोग को मजबूत करने संबंधी सार्क गतिविधियां संपन्न हो रही हैं। दक्षिण एशियाई विकास कोष के शासी बोर्ड की बैठक इस वर्ष मई में मालदीव में संपन्न हुई थी। कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी सार्क तकनीकी समिति की एक बैठक जुलाई 2000 में काठमांडू में संपन्न हुई। अन्य तकनीकी समिति की बैठकें आयोजित करने की तारीखें विचाराधीन हैं।

केन्द्रीय भविष्य निधि की निगरानी

668. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु: क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय दक्षता और उचित प्रशासन के लिए अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रीय और उप क्षेत्रीय कार्यालयों की निगरानी करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के राजामुंद्री और अन्य क्षेत्रों में कार्यालयों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य में (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक वार्षिक व्यापारिक योजना तैयार की है ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा निष्पादित किये गए सभी कार्यकलापों का आवधिक प्रबोधन किया जा सके। इसके आलावा, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अपने कार्यकलापों से संबंधित मासिक रिपोर्टें/विवरणियों को केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त के कार्यालयों को भिजवाना अपेक्षित है। के.भ.नि. आयुक्त तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यों का निरीक्षण करके आवधिक संवीक्षा भी का जाती है

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश कार्यालय सहित कर्म, भवि. नि. कार्यालय सामान्यत: सन्तोषजनक रूप से कार्य कर रहे हैं। तथापि, कुछेक कर्म, भविष्य निधि कार्यालयों के कार्य के संबंध में छुट पुट शिकायतें हैं। कर्मचारी भविष्य निधि अंशदाताओं को तत्काल सेवा प्रदान करने की दृष्टि से, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में एक व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। भविष्य निधि दावों का तत्काल निपटान सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारणतन्त्र को सुदृढ़ तथा सक्रिय किया गाया है. क.भ.नि. संगठन के सतर्कता तंत्र को भी सुदृढ़ किया गया है तथा भविष्य निधि दावों से निपटान के अनाचार में शामिल अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

महिला संरक्षण गृह:

669. श्रीमती रेनु कुमारी: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संरक्षण गृह में व्यापक अनियमितताओं की जानकारी है जैसा कि 17 अक्तूबर, 2000 के '' हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नारी संरक्षण गृहों में महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संरक्षण गृह जैसा कि दिनांक 17 अक्तूबर, 2000 के ''हिन्दुस्तान'' में प्रकाशित हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा बनारस में चलाया जा रहा एक निराश्रित गृह है।

(ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार वे महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए अल्प बसेरा गृहों की स्थापना के लिए एक योजना कार्यान्वयत कर रहे हैं जो उन महिलाओं तथा बालिकाओं के लिए हैं जो या तो नैतिक खतरे के जोखिम में हैं अथवा पारिवारिक उपेक्षा से पीड़ित हैं और संबंध की परिणामी या भावात्मक अशांति से प्रभावित होते हैं। उन्होंने आगे बताया कि उन गृहों में संवासियों के विरुद्ध अत्याचारों की उन्हें कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं, जिन्हें उनके द्वारा सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज

670. **श्री वाई.एस. विवेकानन्द रेड्डी:** क्या **लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र के लिए उत्पादन शुल्क में छूट सीमा में वृद्धि और वित्तीय पैकेज सहित लघु उद्योगों के लिए कई उपायों की घोषणा की हैं;

(ख) क्या सरकार ने लघु उद्योगों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए क्रेडिट गारंटी योजना हेतु कोई धनराशि संस्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रोत्साहनों से लघु उद्योगों के कार्यों में कितना सुधार होने की संभावना है?

लघु उद्योग, कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग में राज्यमंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्यमंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) क्रेडिट के संबंध में सुगम पहुंच, समपार्श्विकता प्रतिभूति मुक्त संयुक्त ऋण जोकि 25 लाख रु. तक के होंगे, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सुधरे हुई बुनियादी संरचना के लिए पूंजीगत आर्थिक सहायता जैसे प्रोत्साहनों के माध्यम से लघु उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा।

अपरिष्कृत पानी की आपूर्ति

671. **श्री जी.एस. बसवराज:** क्या **जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने भाखरा बांध और दिल्ली में नांगलोई जल परिशोधन संयंत्र के बीच लाने-ले जाने के दौरान हुए उच्चस्तरीय अपरिष्कृत पानी के नुकसान संबंधी मामले की जांच के लिए एक विशेष दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो विशेषज्ञ दल ने किन मुख्य बिन्दुओं का अध्ययन किया;

(ग) क्या इस दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सिफारिशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

जल-संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती विजया चक्रवर्ती): (क) और (ख) दिल्ली को जल की आपूर्ति करने में जलवहन प्रणाली में होने वाली अत्यधिक हानियों के कारणों की जांच करने तथा इस समस्या से निपटने के लिए उपायों को सुझाने के वास्ते एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अरब देशों के साथ संबंध

672. **श्री प्रभात सामन्तराय:**
श्री महबूब जहेदी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अरब देशों तथा फिलीस्तीन के साथ संबंध में सुधारने के लिए कोई कदम उठाने जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक अरब के किन देशों के साथ द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत की गई है और बेहतर संबंध बनाए गए है?

विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) अरब देशों के साथ भारत के परम्परागत घनिष्ठ और ऐतिहासिक संबंध हैं। विभिन्न स्तरों पर नियमित वार्ता द्वारा इन संबंधों को और अधिक प्रगाट एवं प्रभावी बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, फिलिस्तीन, जार्डन, सीरिया, लेबनान, डिजीबूती, बहरीन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात तथा यमन के साथ परस्पर हित चिन्ता के मसलों पर द्विपीक्ष वार्ताएं की गई।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, "एम्स" में बिस्तरों की कमी

673. **श्री बसुदेव आचार्य:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के ओ.पी.डी. में आने वाले रोगियों की संख्या दस गुनी हो गई है जबकि वार्डों में विस्तरों की संख्या वही है जो कि 30 वर्ष पूर्व थी; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी स्थिति को सुधारने हेतु क्या आवश्यक कदम उठाये गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बाह्य रोगी विभागों में आने वाले रोगियों की संख्या कई गुनी बढ़ी है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बिस्तरों की संख्या भी गत 30 वर्षों में बढ़ी है और वहां इस समय बिस्तरों की संख्या का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं:

मुख्य अस्पताल	866 बिस्तर
तंत्रिका विज्ञान केन्द्र	180 बिस्तर
कार्डियो थोरासिस केन्द्र	180 बिस्तर
डा. आर. पी. केन्द्र	300 बिस्तर
आई.आर.सी.एच.	70 बिस्तर
डी-एडिक्शन केन्द्र	30 बिस्तर
कुल	1626 बिस्तर

इस समय आई आर सी एच का बिस्तार किया जा रहा है और इसके पूरा होने पर बिस्तर की कुल संख्या 150 होगी।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

674. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर गर्भ का चिकित्सीय समापन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, और

(ख) यदि हां, तो सभी केन्द्रों में ऐसा सुविधाएं प्रदान करने और निजी क्लीनिकों द्वारा अवैध गर्भपात रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जनशक्ति और आपरेशन थियेटरों/उपकरणों की कमी के कारण कुछेक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय गर्भ समापन (एम टी पी) की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत सुविधाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- केन्द्रीय स्तर पर एम.टी. पी उपकरण खरीदे जा रहे हैं और जब भी आवश्यकता होती है उनकी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उनके संबंधित चिकित्सा भंडार डिपों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है।

- भारत सरकार चिकित्सीय गर्भ समापन करने के लिए सप्ताह में एक बार अथवा कम से कम पखवाड़े में एक बार निर्धारित दिवस को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में दौरा करने के लिए एक चिकित्सीय गर्भ समापन की तकनीकों (सुरक्षित मातृत्व परामर्शदाताओं) में प्रशिक्षित डाक्टरों को लगाने के लिए राज्यों/संघ क्षेत्रों की सहायता कर रही हैं। इन डाक्टरों को 500/-रु. प्रतिदिन के दौरे के लिए दिए जाते हैं।

- कर्नाटक, मिजोरम और उत्तर प्रदेश ने मासिक आधार पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तैनात किए जाने वाले वरिष्ठ चिकित्सा परामर्शदाताओं की व्यवस्था करने का अनुरोध किया है क्योंकि उनको दूर-दराज के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का नियमित आधार पर दौरा करने के इच्छुक परामर्शदाताओं को शुल्क पर रखने में समस्याओं की सामाना करना पड़ता है। इस अवधारणा पर पुनः विचार किया गया है।

- गैर सरकारी क्षेत्र में मान्यता प्राप्त एम.टी.पी. केन्द्रों को एम.टी.पी. उपकरण और एम.टी.पी. तकनीक में नि:शुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान ने एम.टी.पी. विशिष्टीकृत कौशल प्रशिक्षण के लिए 238 संस्थाओं का पता लगाया है। एम.टी.पी. अधिनियम, 1971 परिस्थितियों और गर्भ समापन किए जा सकते वाले स्थान, कार्मिक, जो गर्भावस्था को समापन हेतु आपरेशन कर सकते हैं की अर्हताओं, अनुभव और प्रशिक्षण, चिकित्सीय गर्भ समापन के लिए स्थान का अनुमोदन करने की स्थितियों और गर्भवस्था समापन करने के संबंध में क्रियाविधियों/दर्ज करने की विभिन्न क्रियाविधियों को विनिर्दिष्ट करते हैं। चिकित्सीय गर्भ समापन अधिनियम 1971 में प्रस्तावित संशोधनों में एम.टी.पी. अधिनियम का उल्लंघन करने वाले निजी क्लीनिकों के मामले में कड़ी कैद की सजा की व्यवस्था है।

हिन्द महासागर तटीय देशों के साथ संबंध

675. **श्री भर्तृहरि महताब:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिन्द महासागर तटीय देशों के साथ घनिष्ठ संबंधित स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं; और

(ख) जिन क्षेत्रों में ये देश भारत के साथ सहयोग कर रहे हैं, उनका ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) भारत इन्डियन ओसन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन (आइ ओ आर-ए आर सी) के सदस्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है ताकि इस संगठन को मजबूत बनाया जा सके और सदस्य देशों के बीच आर्थिक और वाणिज्यक सहयोग को बढ़ाया जा सके।

व्यापार उदारीकरण, सरलीकरण और संवर्द्धन तथा साथ ही आर्थिक और तकनीकी सहयोग से संबंधित मसलों पर विचार करने के लिए व्यापार और निवेश से संबद्ध एक कार्यकारी दल का गठन किया गया है।

आई ओ आर-ए आर सी के सदस्य देशों के बीच आर्थिक क्रियाकलाप और सहयोग बढ़ाने के लिए इंडियन ओसन रिम एकेडमिक ग्रुप और इंडियन ओसन रिम बिजनेश फोरम भी सदस्य देशों के प्रयासों का समर्थन करता है। ओ आई आर-ए आर सी के तत्वावधान में जारी परियोजनाओं में सीमा-शुल्क प्रक्रियाओं का संलकन, निवेश व्यवस्थाओं का संकलन, इंडियन ओसन रिम आनलाइन बिजनेश नेटवर्क आई ओ आर -ए आर सी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण, नौ परिवहन, बीमा और पुनर्बीमा निवेशकों का मंच, व्यापार मेला, पर्यटन संवर्द्धन और विकास मानकों ओर प्रत्यायन में सहयोग इत्यादि शामिल हैं।

ठेका श्रमिक

676. **श्री समर चौधरी:** क्या **श्रम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उल्लंघन कर सभी सरकारी और सरकारी क्षेत्र की इकाईयों में ठेका श्रमिकों को काम पर लगा रही है और स्थायी नौकरी पर कर्मचारियों को हटाकर उनके स्थान पर ठेका श्रमिकों को लगाया जा रहा है और इस प्रकार स्थायी रोजगारों को खत्म किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा श्रमिकों के रोजगार को बचाने और कार्यरत श्रमिकों के रोजगार के लिए क्या रक्षा की गारंटी दी गई है;

(ग) क्या सरकार ने कानून के अंतर्गत किसी संस्थान में ठेका श्रमिकों को लगाने और कुल संख्या की तुलना में कार्यरत ठेका श्रमिकों की संख्या का उचित मूल्यांकन किया गया हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल):

(क) से (घ) सरकार को सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों दोनों में ही ठेका श्रम को लगाए जाने की जानकारी है। ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों में कतिपय प्रतिष्ठानों में ठेका श्रम के नियोजन को विनियमित करने तथा कतिपय परिस्थितियों के अधीन इसके उन्मूलन की व्यवस्था है ऐसा ठेका श्रम सभी प्रतिषिद्ध है जब समुचित सरकार ने अधिनियम, की धारा 10 के अधीन अधिसूचना द्वारा किसी प्रतिष्ठान में जांच/कार्य/प्रक्रिया में ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिसिद्ध किया हो। संबंधित समुचित सरकार अधिनियम, के उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों का क्रियान्वयन करती है। तथा इसका उल्लंघन एक दण्डनीय अपराध है। केन्द्रीय क्षेत्र में केन्द्रीय औद्योगिक सम्बद्ध तन्त्र द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। सरकार की जानकारी में लाए गए उल्लंघनों के

विशिष्ट मामलों को केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तन्त्र के संबंधित प्राधिकारियों को समुचित कार्रवाई हेतु संदर्भित किया जाता है।

2. दिसम्बर, 1996 में एयर इंडिया सांविधिक निगम बनाम यूनाइटेड लेबर यूनियन तथा अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, प्रक्रियाओं/कार्यों/जांचों में ठेका श्रम को लगाने वाले प्रतिष्ठानों के लिए ठेका श्रमिकों का नियमित आधार पर आमेलन करना बाध्यता है यदि समुचित सरकार ने इस अधिनियम की धारा 10 के अधीन अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रतिष्ठानों में ऐसी प्रक्रियाओं/कार्यों/जाचों, में ठेका श्रम को नियोजित करना प्रतिषिद्ध किया है।

3. अधिनियम तथा नियमों में आगे व्यवस्था है कि प्रत्येक प्रधान नियोजक तथा प्रत्येक ठेकेदार रजिस्टर तथा रिकार्ड तैयार करेगा तथा उनके द्वारा नियोजित ठेका श्रम का विवरण देते हुए विहित प्राधिकारियों की अर्ध वार्षिक विवरणियों प्रेषित करेगा। केन्द्रीय क्षेत्र में वर्ष 1997, 1998 तथा 1999 के दौरान अधिनियम के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों की परिधि में आए ठेका श्रमिकों की संख्या क्रमशः 5,88,678, 664,216 और 7,24,705 (अनंतिम) थी।

यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में अनियमितताएं

677. **श्री अरुण कुमारः**
श्री रघुनाथ झाः
श्री प्रभुनाथ सिंहः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने भारत में यूरोपीय संघ के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में अनियमितताओं का आकलन करने के लिए एक जांच समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो जांच समिति के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) यूरोपीय संघ समर्थित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रम में कोई अनियमितताएं नहीं रही हैं। इसलिए कोई जांच समिति गठित नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

ड्राप्सी (जलोदर) संबंधी रिपोर्ट

678. **श्री विलास मुत्तेमवारः** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ध्यान 7 अप्रैल, 2000 के टाइम्स ऑफ इंडिया में "66 ड्राप्सी डेथ इन 1998" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग दिल्ली इस महामारी के लिए जिम्मेदार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग एवं प्रयोगशालाओं की मिली भगत से व्यापारियों को बचाया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सी.ए.जी. ने दिल्ली में ड्राप्सी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(छ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या है; और

(ज) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा): (क) जी हां।

(ख) और (ग) दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले की जांच की है और खाद्य अपमिश्रण निवारण विभाग को इस महामारी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। इस की जांच करने के बाद केन्द्रीय जांच ब्यूरो सरसों के तेल को अर्गेमान के साथ अपमिश्रित, करने के लिए एक अपराधिक षडयंत्र रचने के लिए कतिपय व्यक्तियों/व्यापारियों के विरुद्ध अपर सत्र न्यायाधीश दिल्ली के समक्ष दो मुकदमें दायर किए हैं जिसके कारण ड्राप्सी हुई।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) से (ज) दिल्ली सरकार ने अनुसार इन्हें सी ए जी की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद इन्होंने सी ए जी को उपयुक्त

जबाब भेज दिया है और दिल्ली में ड्रप्सी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समुचित उपाय किया है।

राष्ट्रीय वेतन नीति

679. **श्री बीर सिंह महतोः** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नई राष्ट्रीय वेतन नीति लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) नई राष्ट्रीय वेतन नीति को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय मजदूरी नीति तैयार किए जाने के बारे में विगत कई वर्षों में अनेक मंचों पर चर्चा हुई हैं तथापि,, उसके संबंध में अभी तक कोई सुस्पष्ट अवधारणा नहीं बनी है क्योंकि मजदूरी आय, आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आदायगी क्षमता आदि जैसे कारकों से जुड़ी हुई हैं, जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य और एक उद्योग से दूसरे उद्योग में भिन्न-भिन्न हैं। अतएव पूरे देश में मजदूरी में एकरूपता बनाए रखना संभव नहीं है।

एक समान राष्ट्रीय मजदूरी नीति के न हो पाने पर केन्द्रीय सरकार ने 35/- रुपये प्रतिदिन की दर से एक राष्ट्रीय निम्नतम स्तरीय न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा विकसित की है जो राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग की सिफारिशों और कीमतों में बाद में हुई वृद्धि के आधार पर सतही स्तर पर 1996 में नियत की गई थी। अगस्त 1998 में निम्नतम स्तरीय न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 40/- रुपये कर दी गई और माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हुए पत्र लिखा कि किसी अनुसूचित रोजगार में न्यूनतम मजदूरी 40/- रुपये प्रतिदिन से कम न रखी जाए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर नम्वबर, 1999 से निम्नतम स्तर की न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 45/-रुपये प्रतिदिन कर दिया गया।

[अनुवाद]

लंबित श्रम संबधी मामले

680. **श्री हरिभाई चौधरीः** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रम न्यायालयों में श्रम संबंधी लंबित मामलों के निपटारे में काफी विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों से सितम्बर, 2000 तक कितने मामले लंबित है; और

(ग) सरकार द्वारा इन मामलों को शीघ्र निपटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में मामलों का निपटान प्रक्रियागत औपचारिकताओं और स्वाभाविक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए किया जाता है। मामलों के निपटान में विलम्ब के कुछ कारण निम्नलिखित हैं:

(1) दोनों आवेदकों की अनुपस्थिति।

(2) दस्तावेज दायर करने के लिए पक्षों द्वारा मांगा गया स्थगन

(3) सभी प्रक्रियागत औपचारिताएं पूरी करने के बाद पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति में लगा समय।

(ख) विभिन्न केन्द्रीय औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पिछले तीन वर्षों में लंबित मामलों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

क्रम संख्या	के.स.औ.अ.-सह श्रम न्यायालय का नाम	31 दिसम्बर की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या		
		1998	1999	2000 सितम्बर तक
1	2	3	4	5
1.	आसनसोल	167	309	406
2.	बंगलौर	587	441	492*
3.	कलकत्ता	231	184	200*

1	2	3	4	5
4.	चण्डीगढ़	1237	1372	1627*
5.	धनबाद-1	1112	1286	1486
6.	धनबाद-2	980	1170	1252*
7.	जबलपुर	1598	1229	1347
8.	जयपुर, 1.9.98 से कार्य करना आरंभ किया	—	177	120
9.	कानपुर	331	724	634
10.	लखनऊ, 15.6.99 से कार्य करना आरंभ किया	—	18	164
11.	नागपुर, 1.7.99 से कार्य करना आरंभ किया	—	52	208#
12.	नई दिल्ली	846	1057	1085
13.	मुंबई-1	204	189	201
14.	मुंबई-2	190	292	251
15.	हैदराबाद, अभी कार्य आरंभ किया जाना है।	—	—	—
16.	चेन्नई 15.3.2000 से कार्य करना आरंभ किया	—	—	65
17.	भुवनेश्वर, 5.6. 2000 से कार्य करना आरंभ किया	—	—	19
	कुल	7483	8500	9556

*अगस्त, 2000 तक की सूचना

#जुलाई, 2000 तक की सूचना

(ग) मामलों का शीघ्र निपटान सुनश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं:-

(1) सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए त्वरित कदम उठाए जाते हैं।

(2) समय-समय पर मामले को पीठासीन अधिकारियों के साथ उठाते हुए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में औद्योगिक विवाद के लंबित मामलों में कमी करने की आवश्यकता पर भी बल दिया जाता है।

(3) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-सह-श्रम न्यायालयों में पीठासीन अधिकारियों के उपयोग के लिए विभागीय नियम पुस्तक को अन्तिम रूप दिया गया है। आशा है की जाती है। कि मामलों का शीघ्र निपटान करने में पीठासीन अधिकारियों के लिए यह नियम पुस्तक उपयोगी रहेगी।

[अनुवाद]

घरेलू नौकर

681. श्री उत्तमराव ढिकले: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार घरेलू नौकरों की सेवा शर्तों को नियमित करने हेतु कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) से (ग) फिलहाल सरकार का घरेलू नौकरों की सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए विधान बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे कामगार असंगठित क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं और 15.10.1999 को स्थापित द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग के विचारणीय विषयों में से एक विषय असंगठित क्षेत्र के कामगारों को न्यूनतम संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए व्यापक विधान का सुझाव देना है।

[हिन्दी]

गरीबी रेखा से नीचे

682. मोहम्मद शहाबुद्दीन:
श्री हरिभाई चौधरी:
श्री के. मुरलीधरन:

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उदारीकरण नाति के कियान्वयन के कारण गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या और आवश्यक मूल वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है और इस प्रवृति के बढ़ते रहने की संभावना है जैसाकि देश और विदेश की कई एजेंसियों ने मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी:) (क) से (ङ) योजना आयोग, राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) द्वारा लगभग 5 वर्ष के अंतराल पर कराए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षणों से लगाता है। गरीबी के नवीनतम वर्ष 1993-94 के लिए उपलब्ध हैं जो उपभोक्ता व्यय के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों के पचासवें दौर पर आधारित है। जुलाई, 1999 से जून, 2000 की अवधि के दौरान उपभोक्ता व्यय के संबंध में करवाए गए अगले वहत् सर्वेक्षण से पूर्ण आंकड़े तैयार किए जा रहे हैं। ये सर्वेक्षण एक समय विशेष में उपभोक्ता व्यय के संबंध में आंकड़े प्रदान करते हैं और इन्हें प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक नीतियों के प्रभाव का आकलन करने के लिए अभिकल्पित नहीं किया जाता। इस प्रकार, आर्थिक सुधारों की नीति के प्रारम्भ एवं 1991 में शुरू किए गए उदारवाद के प्रारम्भ से गरीबी के अनुमान वर्ष 1993-94 के लिए ही उपलब्ध है। अत: आर्थिक सुधारों की अवधि के दौरान एवं पिछले तीन वर्षों के दौरान भी गरीबी में हुए परिवर्तन का पता लगाना संभव नहीं है। हालांकि दो नवीनतम अनुमानों, 1987-88 एवं 1993-94 की तुलना करने पर यह पाया गया है कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 2.9 प्रतिशतांक तक गिर गया है। इन दो वर्षों के लिए गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत के राज्य वार अनुमान संलग्न विवरण 1 व 2 में दिए गए हैं।

देश में गरीबी में कमी लाने के लिए त्रिपक्षीय कार्रवाई की जा रही है। ये है: (क) आर्थिक विकास की गति तेज करना (ख) साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, बुनियादी, जरूरतों को पूरा करना, समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के माध्यम से मानव एवं सामाजिक विकास आदि, एवं (ग) रोजगार एवं आय-सृजन कार्यक्रमों तथा गरीबों के लिए परिसम्पत्तियों के निर्माण के माध्यम से गरीबी पर सीधा प्रहार।

कुछ मूलभूत मदों की प्रति व्यक्ति निवल उपलब्धता के अनंतिम अनुमान नीचे दिए गए हैं:-

1. अनाज - 1999 में 428.8 ग्राम प्रतिदिन
2. दालें - 1999 में 38.6 ग्राम प्रतिदिन
3. खाद्य तेल - ये 1998-99 में 9.5 किलोग्राम
4. वनस्पति - 1998-99 में 1 किलोग्राम
5. वस्त्र - 1998-99 में 28.2 मीटर
6. चाय - 1998 में 676 ग्राम

विवरण-1

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और प्रतिशत 1987-88

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	96.38	20.92	64.05	40.11	160.43	25.86
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.75	39.35	0.08	9.94	2.83	36.22

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	73.53	39.35	2.22	9.94	75.75	36.21
4.	बिहार	370.23	52.63	50.70	48.73	420.93	52.13
5.	गोवा	1.31	17.64	1.65	35.48	2.96	24.52
6.	गुजरात	74.13	28.67	48.22	37.26	122.36	31.54
7.	हरियाणा	18.86	16.22	6.51	17.99	25.37	16.64
8.	हिमाचल प्रदेश	7.27	16.28	0.25	6.29	7.52	15.45
9.	जम्मू व कश्मीर	14.11	25.70	2.85	17.47	16.95	23.82
10	कर्नाटक	96.81	32.82	61.80	48.42	158.61	37.53
11.	केरल	61.64	29.10	26.84	40.33	88.48	31.79
12.	मध्य प्रदेश	200.02	41.92	64.29	47.09	264.30	43.07
13.	महाराष्ट्र	186.89	40.78	109.38	39.78	296.27	40.41
14.	मणिपुर	4.83	39.35	0.46	9.94	5.29	31.35
15.	मेघालय	5.18	39.35	0.30	9.94	5.48	33.92
16.	मिजोरम	1.46	39.35	0.25	9.94	1.70	27.52
17.	नागालैंड	3.49	39.35	0.18	9.94	3.66	34.43
18.	उड़ीसा	149.98	57.64	15.95	41.63	165.93	55.58
19.	पंजाब	17.09	12.60	8.08	14.67	25.17	13.20
20.	राजस्थान	104.97	33.21	37.93	41.92	142.90	35.15
21.	सिक्किम	1.31	39.35	0.04	9.94	1.36	36.06
22.	तमिलनाडु	161.80	45.80	69.27	38.64	231.07	43.39
23.	त्रिपुरा	8.49	39.35	0.35	9.94	8.84	35.23
24.	उत्तर प्रदेश	429.74	41.10	106.79	42.96	536.53	41.46
25.	प. बंगाल	223.37	48.30	60.24	35.08	283.61	44.72
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.83	45.80	0.26	38.64	1.09	43.89
27.	चंडीगढ़	0.08	14.67	0.76	14.67	0.84	14.67
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.79	67.11	–	–	0.79	67.11

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	दिल्ली	0.10	1.29	10.15	13.56	10.25	12.41
30.	लक्षद्वीप	0.07	29.10	0.10	40.33	0.17	34.95
31.	पांडिचेरी	1.33	45.80	1.72	38.64	3.05	41.46
	अखिल भारत	2318.79	39.09	751.69	38.20	3070.49	38.86

1. असम का गरीबी अनुपात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात को दमन व दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों गरीबी अनुपातों के लिए प्रयुक्त किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।

विवरण-2

राज्यों के संबंध में गरीबी रेखा से नीचे रह रही जनसंख्या और प्रतिशत 1993-94

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		संयुक्त	
		व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत	व्यक्तियों की संख्या (लाख में)	व्यक्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	79.49	15.92	74.47	38.33	153.97	22.19
2.	अरूणाचल प्रदेश	3.62	45.01	0.11	7.73	3.73	39.35
3.	असम	94.33	45.01	2.03	7.73	96.36	40.86
4.	बिहार	450.86	58.21	42.49	34.50	493.35	54.96
5.	गोवा	0.38	5.34	1.53	27.03	1.91	14.92
6.	गुजरात	62.16	22.18	43.02	27.89	105.19	24.21
7.	हरियाणा	36.56	28.02	7.31	16.38	43.88	25.05
8.	हिमाचल प्रदेश	15.40	30.34	0.46	9.18	15.86	28.44
9.	जम्मू व कश्मीर	19.05	30.34	1.86	9.18	20.92	25.17
10	कर्नाटक	95.99	29.88	60.46	40.14	156.46	33.16
11.	केरल	55.95	25.76	20.46	24.55	76.41	25.43
12.	मध्य प्रदेश	216.19	40.64	82.33	48.38	298.52	42.52
13.	महाराष्ट्र	193.33	37.93	111.90	35.15	305.22	36.86

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मणिपुर	6.33	45.01	0.47	7.73	6.80	33.78
15.	मेघालय	7.09	45.01	0.29	7.73	7.38	37.92
16.	मिजोरम	1.64	45.01	0.30	7.73	1.94	25.66
17.	नागालैंड	4.85	45.01	0.20	7.73	5.05	37.92
18.	उड़ीसा	140.90	49.72	19.70	41.64	160.60	48.56
19.	पंजाब	17.76	11.95	7.35	11.35	25.11	11.77
20.	राजस्थान	94.68	26.46	33.82	30.49	128.50	27.41
21.	सिक्किम	1.81	45.01	0.03	7.73	1.84	41.43
22.	तमिलनाडु	121.70	32.48	80.40	39.77	202.10	35.03
23.	त्रिपुरा	11.41	45.01	0.38	7.73	11.79	39.01
24.	उत्तर प्रदेश	496.17	42.28	108.28	35.39	604.46	40.85
25.	प. बंगाल	209.90	40.80	44.66	22.41	254.56	35.66
26.	अं. एवं नि. द्वीपसमूह	0.73	32.48	0.33	39.77	1.06	34.47
27.	चंडीगढ़	0.07	11.35	0.73	11.35	0.80	11.35
28.	दादर एवं नागर हवेली	0.72	51.95	0.06	39.93	0.77	50.84
29.	दमन व दीव	0.03	5.34	0.15	27.03	0.18	15.80
30.	दिल्ली	0.19	1.90	15.32	16.03	15.51	14.69
31.	लक्षद्वीप	0.06	25.76	0.08	24.55	0.14	25.04
32.	पांडिचेरी	0.93	32.48	2.38	39.77	3.31	37.40
	अखिल भारत	2440.31	37.27	763.37	32.36	3203.68	35.97

1. असम का गरीबी अनुपात, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, व त्रिपुरा के लिए प्रयुक्त किया गया है।
2. तमिलनाडु का गरीबी अनुपात पांडिचेरी तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के लिए प्रयुक्त किया गया है।
3. केरल का गरीबी अनुपात लक्षद्वीप के लिए प्रयुक्त किया गया है।
4. गोवा के गरीबी अनुपात को दमन व दीव के लिए प्रयुक्त किया गया है।
5. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात को चंडीगढ़ के ग्रामीण व शहरी दोनों गरीबी अनुपातों के लिए प्रयुक्त किया गया है।
6. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
7. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा एवं दादरा व नगर हवेली के व्यय वितरण को दादरा व नगर हवेली के गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु प्रयुक्त किया गया है।
8. हिमाचल प्रदेश के गरीबी अनुपात को जम्मू व कश्मीर के लिए प्रयुक्त किया गया है।

[अनुवाद]

बेरोजगार व्यक्ति

683. श्री भीम दाहाल: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी 1998 से अक्तूबर, 2000 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में कितने विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्ग तथा सामान्य श्रेणियों के व्यक्ति पंजीकृत थे; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिए गए?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) जनवरी-दिसम्बर, 1998 के दौरान (नवीनतम उपलब्ध) पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार कार्यालयों द्वारा पंजीकृतों की संख्या निम्न प्रकार दर्शाई गई है। इसमें सिक्किम को शामिल नहीं किया गया है। क्योंकि सिक्किम में कोई रोजगार कार्यालय नहीं है।

विवरण	पंजीकृतों की संख्या (हजार में)
विकलांग	0.8
अनसूचित जाति	10.7
अनुसूचित जनजाति	64.5
अन्य पिछड़े वर्ग	15.7
सामान्य श्रेणियां	216.9

(ख) जनवरी, 98 से दिसम्बर, 98 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में रोजगार कार्यालयों द्वारा 47 विकलांगों को रोजगार दिलाया गया।

कृषि मजदूर

684. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कृषि मजदूर हैं; और

(ख) इन मजदूरों हेतु राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुनि लाल): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

क्रम सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या (1991) की जनगणना के अनुसार)	30.6.2000 की स्थिति के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी
1	2	3	4
1.	भारत (जम्मू कश्मीर को छोड़कर)	74,597,744	
1.	आंध्र प्रदेश	11,625,159	30 रु. से 36.50 रु. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
2.	असम	844,964	45 रु. प्रतिदिन बगैर भोजन, आवास व वस्त्र, 38.60 रु. प्रतिदिन भोजन, आवास, व वस्त्र सहित
3.	बिहार	9,512,892	49.11 रु. प्रतिदिन
4.	गुजरात	3,230,547	34.00 रु. प्रतिदिन
5.	हरियाणा	896,782	74.30 रु. प्रतिदिन बगैर भोजन
6.	हिमाचल प्रदेश	58,668	26.00 रु. प्रतिदिन 45.00 रु. प्रतिदिन
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	38.00 रु. प्रतिदिन
8.	कर्नाटक	4,999,959	26.00 रु. प्रतिदिन
9.	केरल	2,120,452	30.00 रु. प्रतिदिन हल्के कार्य के लिए 40.20 रु. प्रतिदिन कठिन कार्य के लिए

1	2	3	4
10	मध्य	5,863,029	49.46 रु. प्रतिदिन
11.	महाराष्ट्र	8,313,223	39.00 रु. प्रतिदिन में 41.00 रु. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
12.	मणिपुर	47,350	55.00 रु. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 52.00 रु. प्रतिदिन पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा
13.	मेघालय	89,492	50.00 रु. प्रतिदिन
14.	नागालैंड	7,233	40.00 रु. प्रतिदिन
15.	उड़ीसा	2,976,750	42.50 रु. प्रतिदिन*
16.	पंजाब	1,452,828	69.10 रु. प्रतिदिन
17.	राजस्थान	1,391,670	60.00 रु. प्रतिदिन
18.	सिक्किम	12,851	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 अभी लागू किया जाना है
19.	तमिलनाडु	7,896,295	54.00 रु. प्रतिदिन
20.	त्रिपुरा	187,538	40.00 रु. प्रतिदिन
21.	उत्तर प्रदेश	7,833,258	47.00 रु. से 49.00 रु. प्रतिदिन
22.	पश्चिम बंगाल	5,055,478	58.90 रु. प्रतिदिन* (भोजन सहित) 62.10 रु. प्रतिदिन (बगैर भोजन)
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4,989	50.00 रु. प्रतिदिन (अंडमान) 53.00 रु. प्रतिदिन (निकोबार)
24.	अरुणाचल प्रदेश	20,054	35.60 रु. से 37.60 रु. प्रतिदिन (क्षेत्रों के अनुसार)
25.	चंडीगढ़	1,642	71.90 रु. प्रतिदिन
26.	दादरा और नगर हवेली	6,233	60.00 रु. प्रतिदिन
27.	दिल्ली	25,195	93.00 रु. प्रतिदिन
28.	गोवा	35,284	58.00 रु. प्रतिदिन
29.	दमन और दीव	1,199	35.00 रु. प्रतिदिन
30.	लक्षद्वीप	—	45.00 रु. प्रतिदिन
31.	मिजोरम	9,527	70.00 रु. प्रतिदिन
32.	पांडिचेरी	77,203	20.00 रु. से 22.00 रु. (पांडिचेरी क्षेत्र) 30.00 रु. प्रतिदिन हल्के कार्य हेतु 40.20 रु. प्रतिदिन कठिन कार्य हेतु (माहे क्षेत्र) 19.25 रु. से 26.25 रु. प्रतिदिन (यनम क्षेत्र) 20.00 रु. से 22.00 रु. प्रतिदिन (कराईकल क्षेत्र)

टिप्पणी: 1. न्यूनतम मजदूरी में परिवर्ती मंहगाई भत्ता भी शामिल है, जहां कहीं भी दिया जा रहा हो।

2. *मजदूरी की न्यूनतम दरों के साथ परिवर्ती मंहगाई भत्ते के प्रावधान का संकेत करता है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय मैं श्रीमती वसुंधरा राजे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (सभापति, उपसभापति और सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2000 जो 31 अक्तूबर, 2000 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 842 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 2367/2000]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

आठवीं, नौवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं लोक सभा के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वायदों और वचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

आठवीं लोक सभा

(1) विवरण संख्या 28 चौदहवां सत्र, 1989

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2368/2000]

नौवीं लोक सभा

(2) विवरण संख्या 49 दूसरा सत्र, 1990

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2369/2000]

दसवीं लोक सभा

(3) विवरण संख्या 45 पहला सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2370/2000]

(4) विवरण संख्या 38 दूसरा सत्र, 1991

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2371/2000]

(5) विवरण संख्या 41 तीसरा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2372/2000]

(6) विवरण संख्या 40 चौथा सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2373/2000]

(7) विवरण संख्या 34 पांचवां सत्र, 1992

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2374/2000]

(8) विवरण संख्या 40 छठा सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2375/2000]

(9) विवरण संख्या 24 आठवां सत्र, 1993

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2376/2000]

(10) विवरण संख्या 29 ग्यारहवां सत्र, 1994

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2377/2000]

(11) विवरण संख्या 25 तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2378/2000]

(12) विवरण संख्या 19 पन्द्रहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2379/2000]

(13) विवरण संख्या 17 सोलहवां सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2380/2000]

ग्यारहवीं लोक सभा

(14) विवरण संख्या 19 दूसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2381/2000]

(15) विवरण संख्या 17 तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2382/2000]

(16) विवरण संख्या 17 चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2383/2000]

(17) विवरण संख्या 15 पांचवां सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2384/2000]

(18) विवरण संख्या 13 छठा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2385/2000]

बारहवीं लोक सभा

(19) विवरण संख्या 13 पहला सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2386/2000]

(20) विवरण संख्या 10 तीसरा सत्र, 1998

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2387/2000]

(21) विवरण संख्या 9 चौथा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2388/2000]

तेरहवीं लोक सभा

(22) विवरण संख्या 6 दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2389/2000]

(23) विवरण संख्या 5 तीसरा सत्र, 2000

(खंड 1, 2 और 3)

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2390/2000]

(24) विवरण संख्या 1 चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2391/2000]

विनिवेश विभाग के राज्य मंत्री तथा योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण शौरी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1998-99 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2392/2000]

(3) निर्माण उद्योग विकास परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1999-2000 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2393/2000]

अपराह्न 12.02 बजे

[अनुवाद]

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त, निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) मुझे लोक सभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 21 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999 संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि पेटेंट (दूसरा संशोधन) विधेयक, 1999, संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 192वें सत्र के दूसरे चरण के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाया जाए।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित कोल इंडिया (अंतरण का विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 2000 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 21 नवम्बर, 2000 को हुई इसकी बैठक में यथा पारित कोल इंडिया (अंतरण का विनियमन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2000 तथा भारतीय विश्वविद्यालय (निरसन) विधेयक, 2000 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03 बजे

[अनुवाद]

संसदीय समितियां

कार्य का सारांश

महासचिव : महोदय मैं, 25 अक्तूबर, 1999 से 31 मई, 2000 की अवधि से संबंधित 'संसदीय समितियां (वित्तीय और

विभाग से संबद्ध स्थायी समितियों के अलावा) कार्य का सारांश' की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03¼ बजे

[अनुवाद]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

नौवां प्रतिवेदन

श्री पी.एम. सईद : (लक्षद्वीप): महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, मैं संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) के कार्यकरण पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

[अनुवाद]

केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक संबंधी संयुक्त समिति

(एक) प्रतिवेदन

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(दो) साक्ष्य

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग विधेयक, 1999 संबंधी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य का अभिलेख सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

समिति के लिए निर्वाचन

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

[अनुवाद]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं, निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:

"कि इस सभा के सदस्य मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि इस सभा के सदस्य मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, जो मंत्री नियुक्त हो जाने के कारण सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य नहीं रहे, के स्थान पर लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 312 (ख) के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से नियम 254 के उप नियम (3) के अंतर्गत समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 12.05 बजे

सरकारी विधेयक – पुरःस्थापित

[अनुवाद]

(एक) किशोर न्याय (बालकों की देख रेख और संरक्षण) विधेयक*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और उन बालकों, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण, उपचार का प्रबंध करते हुए तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनसे संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन और निपटान में बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए तथा इस अधिनियमिति के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके अन्ततोगत्वा पुनर्वास हेतु संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों और उन बालकों, जिन्हें देखरेख और संरक्षण की जरूरत है, उनके विकास की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए उचित देखरेख, संरक्षण, उपचार का प्रबंध करते हुए तथा बालकों के सर्वोत्तम हित में उनसे संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन और निपटान में बालकों के प्रति मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए इस अधिनियमिति के अधीन स्थापित विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से उनके अन्ततोगत्वा पुनर्वास हेतु संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मेनका गांधी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.11.2000 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.07 बजे

[हिन्दी]

(दो) ओरोविले (आपात उपबंध) निरसन विधेयक*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा"): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि ओरोविले (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि ओरोविले (आपात उपबंध) अधिनियम, 1980 का निरसन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री बची सिंह रावत "बचदा" : महोदय, मैं विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) देश के अनेक भागों में आई बाढ़ के बारे में

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, इस सम्मानित सभा के माननीय सदस्यों का ध्यान इस साल के सितम्बर माह में पश्चिम बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण पैदा हुई गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि सभा इसे एक दल का मुद्दा नहीं समझेगी क्योंकि यह मुद्दा बाढ़ के कारण गंभीर रूप से प्रभावित दो करोड़ लोगों से जुड़ा है।

माननीय कृषि मंत्री ने बाढ़ के दौरान वहां का दौरा कर जो परेशानी उठाई है, हम उसके लिए उनके आभारी हैं। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों को उन्होंने स्वयं देखकर कहा कि वहां स्थिति बहुत गंभीर है और वहां प्रत्येक स्थान से सहायता भेजने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उन्होंने केन्द्र सरकार से सहायता का आश्वासन भी दिया।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.11.2000 में प्रकाशित।

राज्य के 17 में से नौ जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से 2.18 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं; 19.20 लाख हैक्टेयर भूमि की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं; 1320 लोग मारे गए है और लगभग 438 करोड़ रुपये के मूल्य के लगभग दो लाख घर नष्ट हो गए हैं। केन्द्रीय दल भी वहां गया था राज्य सरकार ने कुल लगभग 5660 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से पहले ही 590 करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है।

आप जानते हैं ग्यारहवें वित्त आयोग ने प्राकृतिक आपदा आकस्मिक निधि नामक एक नई निधि के सृजन की सिफारिश की है। पिछली निधि से हमें 110 करोड़ रुपये मिले थे जो हमें मिल गए हैं। श्री पाटिल हाल ही में वहां गए थे किंतु यह अपर्याप्त है।

मैं कृषि मंत्री को दोष नहीं दे सकता हूं वे केवल सहायता राशि को प्राप्त कर उसका वितरण ही कर सकते है किंतु उन्होंने कहा था न तो उनके पास पैसा ही है और न ही कोई ऐसा बजटीय प्रावधान है। उन्होंने पत्र में यह लिखा था कि राज्य सरकार अपनी निधियों में से ही खर्च का वहन करे। मैं श्री नीतिश कुमार का दर्द भी समझ सकता हूं।

क्या करना है? 1580 करोड़ रुपये की हमारी मांग के विपरीत, हमें जो मिला है वह ऋण के रूप में ही दिया गया है। पश्चिम बंगाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने प्रधान मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से यह अनुरोध किया था कि ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप एक आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए एक अध्यादेश पारित किया जाए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नहीं बुलाया है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बुलाया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब तर्क यह है कि उस निधि के बिना कुछ किया ही नहीं जा सकता।

विशेष सहायता भी दी गई है। हमें खुशी है कि जब दूसरे राज्यों पर ऐसी आपदा आई, तब हमने सभा में विभिन्न राज्यों की मांगों का समर्थन कर अपना कर्त्तव्य निभाया। आंध्र प्रदेश को बड़ी विकट स्थिति का सामना करना पड़ा था। अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भी वैसी ही स्थिति का सामना किया। उड़ीसा के मामले में तो समूचा देश ही उसकी सहायता के लिए उठ खड़ा हुआ था इसलिए यह कोई, किसी दल विशेष का मामला नहीं है। जब भी देश के दूसरे भागों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, हमने नम्रतापूर्वक काम लिया किंतु दुर्भाग्यवश पश्चिम बंगाल के मामले में ऐसा नहीं किया गया। बिहार भी ऐसी ही समस्या का सामना कर रहा है। ऐसी आपदा कहीं भी, किसी भी क्षण आ सकती है। यदि भारत सरकार यह कहती है कि अपना खर्च, अपनी निधियों से जुटाना राज्य सरकार का दायित्व है तो यह बाढ़ या दूसरी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए किए जाने वाले पुनर्वास कार्य, या उन्हें राहत देने या देश के नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का भी हनन होगा। इसलिए अतिरिक्त सहायता के लिए एक भी पैसा नहीं दिया गया।

मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि इन आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए निधियां तुरंत दी जाए जिनके लिए हम कई बार अनुरोध कर चुके हैं। आज न केवल पश्चिम बंगाल के वाम मोर्चे के सांसदों ने ही प्रदर्शन किया बल्कि यह कहते हुए मुझे खुशी हो रही है दूसरे कई दलों के नेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। मैं कांग्रेस पार्टी, श्री शरद पवार, श्री चन्द्रशेखर और समाजवादी पार्टी और उन सभी का धन्यवाद करता हूं जिनके समर्थन से हमारी यह मांग सर्वसम्मति से रखी गई। मैं, इस बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलूंगा। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था, मैं आपसे अपील करता हूं कि इसे राजनैतिक मुद्दा न समझें। यह एक मानवीय मुद्दा है। यह मानवीय कष्ट और परेशानी हैं। इसके प्रति किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया जा सकता। हमने पंजाब या हरियाणा के किसानों को दी जाने वाली सहायता का विरोध नहीं किया। हमने कहा था कि यदि सहायता की आवश्यकता है तो वह दी जानी चाहिए किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अपेक्षित महत्व के अलावा किसी और आधार पर अलग-अलग राज्यों से अलग-अलग व्यवहार किया जाए। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल में राहत, पुर्ननिर्माण और पुनर्वास के काम के लिए तुरंत सहायता भेजी जाए। मैं यह मांग करता हूं। हम माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं। महोदय, मुझे आशा है कि वे भी सकारात्मक उत्तर देंगे किंतु यह सरकार का कर्त्तव्य भी है और मैं सभा के सभी वर्गों से यह अपील करता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुसीबत में पड़ी जनता का साथ दें।

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और श्री प्रियरंजन दासमुंशी, आप स्वयं को श्री सोमनाथ चटर्जी के अभी कहे कथन से सम्बद्ध कर सकते हैं

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदय, बिहार को एक पैसा भी सहायता के तौर पर नहीं दिया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश बाबू, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुदीप बंद्योपाध्याय और श्री दासमुंशी आप स्वयं को श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा अभी कहे गए कथन से सम्बद्ध कर सकते हैं

...(व्यवधान)

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम): महोदय, पश्चिम बंगाल में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण जान-माल की काफी अधिक हानि हुई है।

हमें अभी भी यही विश्वास है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर पूर्वी क्षेत्र और खास तौर पर बंगाल क्षेत्रीय असंतुलन का सबसे बड़ा शिकार रहा है। हममें से हर एक यह बात जानता है। इस बार क्या हुआ? जैसाकि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि इस बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। हालांकि मैं आंकड़ों के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं किंतु इसमें कोई शक नहीं है कि माननीय कृषि मंत्री कलकत्ता गए और उन्होंने मुख्य मंत्री जी से उनके निवास पर मुलाकात करी।

उन्होंने अधिकारियों से विस्तारपूर्वक चर्चा की। और जाहिर है कि आशा यही थी कि अब केन्द्र राज्य को सहायता उपलब्ध कराएगा। अपने दल की ओर से हम और अधिक सहायता की मांग करते हैं *...(व्यवधान)* मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं और मैं केवल दो या तीन मिनट और लूंगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चालीस नोटिस हैं, कृपया आप समझने की कोशिश कीजिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, उसमें मेरा नोटिस भी है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया दूसरे माननीय सदस्यों की चिंता भी देखिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। हम अधिक सहायता की मांग करते हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं एक अंतिम मुद्दा उठाना चाहूंगा। इस बार जो बाढ़ आई उसका कारण स्वयं मनुष्य के *...(व्यवधान)* मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बाढ़ का कारण इंसान ही थे। मैं बाढ़ के छोड़े गए पानी के बारे में कहना चाहता हूं। एक दिन में 2,23,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। यह सरकार की गलती थी *...(व्यवधान)* यह मानव-निर्मित बाढ़ थी। मैं केन्द्रीय जल आयोग को एक रिपोर्ट देना चाहता हूं।

इसलिए, मैं मांग करता हूं कि बाढ़ के कारणों की जांच होनी चाहिए। यह सामान्य मुद्दा नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मुद्दा है। कृपया समझने का प्रयत्न करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : जैसा मैंने पहले कहा है कि बाढ़ के कारणों की जांच करनी होगी यह मानवकृत बाढ़ थी। इसके लिए सरकार दोषी है क्योंकि सरकार ने सूचना दिए बिना पानी छोड़ा *...(व्यवधान)* महोदय, अभी मैंने अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदय, यह कोई साधारण मुद्दा नहीं है *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करता हूं। राज्य सरकार की निंदा की जानी चाहिए। राज्य सरकार की गलती के कारण लाखों एकड़ भूमि, करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ और अनेक लोगों की जानें गई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, आपके माध्यम से मैं सभा को एक बात बताना चाहता हूं। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल में हाल में आई बाढ़ को यूं ही न लें। यह अभूतपूर्व बाढ़ थी। इस बाढ़ में जान-माल, सड़क और बुनियादी सुविधाएं सभी नष्ट हुए। बाढ़ के कारण राज्य का सर्वाधिक नुकसान उठाने वाला जिला मुर्शिदाबाद है, जहां के संसद सदस्य श्री अधीर चौधरी यहां उपस्थित है।

मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस बाढ़ के कारण हुई क्षति पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। भारत सरकार ने इस मुद्दे पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया। मैं राजनीतिक लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा किए बिना कहता हूं कि यदि तटबंध क्षेत्रों के संरक्षण के लिए कोई विशिष्ट योजना होती और दूरदर्शिता अपनाई जाती, यदि मास्टर प्लान के संबंध में पहले से संकल्पना की जाती तो पश्चिम बंगाल सरकार इस विनाश को काफी हद तक और सही ढंग से रोक सकती थी *...(व्यवधान)* सरकार ने पर्याप्त धनराशि नहीं दी। सरकार के प्रयासों में कुछ कमियां थी। पार्टी के

कार्यकर्त्ताओं ने भी मुझे इस बारे में बताया। बीरभूम, मुर्शिदाबाद, नदियों में नदी तल काफी ऊंचा था। मयूराक्षी, तिलपारा और कानसावथी बैराजों के बारे में प्राधिकारियों ने यह संकेत तक नहीं दिया कि पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इससे माननीय त्रासदी हुई, हमने प्रत्येक के साथ सहयोग किया। यदि माननीय प्रधानमंत्री स्वयं स्थिति का आकलन करने पश्चिम बंगाल जाते तो मैं उनका आभारी होता। विपक्ष की नेता वहां गई थी, अतः मैं इस मामले में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मांग करता हूं कि भारत सरकार को पश्चिम बंगाल के लिए तत्काल पर्याप्त सहायता राशि सुनिश्चित करनी चाहिए और तत्पश्चात् राज्य की जनता *...(व्यवधान)* इस बाढ़ के कारण सर्वाधिक नुकसान श्री अधीर चौधरी के निर्वाचन क्षेत्र को हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वे भी अन्य माननीय सदस्यों के विचारों के साथ अपने विचार संबद्ध कर सकते है। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद नहीं है। यह 'शून्य-काल' है। मैं 'शून्य-काल' में सभी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दे सकता हूं। कृपया इस बात को समझें। अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मंत्री महोदय का उत्तर नहीं सुनना चाहते है?

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मुझे बोलने का अवसर मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। यह वाद-विवाद नहीं है। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपने कोई सूचना नहीं दी है। कृपया इस बात को समझें।

...(व्यवधान)

श्री अधीर चौधरी : मैंने लोगों की वास्तविक दशा के बारे में बोलने के लिए पहले ही सूचना दे दी है। मेरा कहना है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही इस बाढ़ के लिए जिम्मेदार हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री अधीर चौधरी, आपने कोई सूचना नहीं दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास सूचना देने वाले सदस्यों की सूची है। मैं उनको बोलने के लिए बुलाऊ या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : श्री अधीर चौधरी उस क्षेत्र के सदस्य हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप इस मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं दलों के नेताओं से भी अनुरोध करता हूं कि वे अपने-अपने दलों के सदस्यों को नियंत्रित करें। हर बात का राजनीतिकरण किया जा रहा है। यहां तक राष्ट्रीय आपदा के मुद्दे का भी राजनीतिकरण किया जा रहा है।

अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में बाढ़ से हुई क्षति और उसके बाद की स्थिति की चर्चा अभी सदन में कतिपय माननीय सदस्यों ने की है। माननीय सदस्यों ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया है कि जब वहां बाढ़ से भीषण तबाही हुई तो यहां से स्थिति का जायज़ा लेने के लिए केन्द्रीय टीम भेजी गई और उसके बाद प्रधान मंत्री जी के निर्देशानुसार मैं स्वयं वहां गया था। वहां की स्थिति का आकलन मैंने स्वयं भी किया और जो कुछ भी वहां की स्थिति मैंने देखी, उसके बारे में वहां भी मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था और आकर माननीय प्रधान मंत्री जी को भी हमने पूरी स्थिति से अवगत कराया। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति से भारी क्षति हुई है और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि राज्य सरकार के साथ भी बैठकर चर्चा हुई थी। अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात कही थी और उन्होंने लिख कर भी कुछ दिया था और मौखिक तौर पर भी बात कही थी। सभी बातों का उल्लेख करते हुए जो कुछ नुकसान हुआ है, फसल का नुकसान, इनफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान, सड़कों का नुकसान, लोगों के मकानों का नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ था। इसी स्थिति को देखते हुए तत्काल जो कुछ भी उपलब्ध था कैलेमिटी रिलीफ फंड का वह पूरा का पूरा पैसा रिलीज़ किया गया। ...*(व्यवधान)* पूरी बात सुन लीजिए। अभी बिहार की बात नहीं कर रहा हूं, पश्चिम बंगाल की बात कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल मंत्री महोदय का उत्तर ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : भाषण तो हम सभी देते हैं। यह लोक सभा भाषण देने की ही जगह है, किसी दूसरे काम की जगह नहीं है। यहां भाषण ही दिया जाता है और कुछ नहीं किया जाता है। अगर आपकी लोक सभा के बारे में कोई और राय है कि यहां भाषण के अलावा कोई और काम होता है तो बात दूसरी है।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): भाषण तो हम लोग देंगे, आप लोग पैसा देंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री नीतीश कुमार : पैसा भी देंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों क्या आप मंत्री महोदय से उत्तर सुनना नहीं चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : रघुवंश जी चाहेंगे तो उनकी बात का भी हम जवाब देंगे लेकिन पूरी बात सुन तो लीजिए। पश्चिम बंगाल के बारे में मैं बता रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : पहले कहा था कि इसके लिए एक ऐक्ट बनेगा और पैसा मिलेगा। वह ऐक्ट नहीं बना और कोई पैसा नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल में 2000-2001 का कैलेमिटी रिलीफ फंड में सेंटर शेयर रु. 75.83 करोड़ पूरा रिलीज किया गया है।

[अनुवाद]

राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 422.43 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत जारी की गई निधि का 20 प्रतिशत तक 'सब-मिशन' परियोजनाओं/योजनाओं पर खर्च किया जा सकता है, राज्य में ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए 50 ड्रिलिंग रिग उपलब्ध हैं। चालू वर्ष के दौरान त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत आवंटित 78.95 करोड़ रुपए में से 38.90 करोड़ रुपए की पहली किश्त जारी की जा चुकी है। इसके अलावा जारी 'सब-मिशन' परियोजनाओं के तहत 20 करोड़ रुपए जारी किए गए है।

क्षतिग्रस्त रेल लाइनों की मरम्मत की जा चुकी है और उन पर यात्री व माल रेल सेवाएं पुनः शुरू हो गई है बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को उपलब्ध कराई जा रही दर पर 20 किग्रा. प्रति परिवार की दर से 870,80 टन चावलों का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31, 34 और 35 पर 6.10.2000 से यातायात पुनः चालू कर दिया गया है। बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

फिर राज्य सरकार को 10,000 किलो लीटर मिट्टी तेल भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 1000 टन ब्लीचिंग पाउडर सहित निस्संक्रामक और अन्य औषधियां भेजी गई हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सेंट्रल टीम गठित की गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ भी केन्द्र सरकार समझेगी वह कार्रवाई करेगी।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो कुछ प्रश्न अभी तक उठाए, उनका उत्तर देने का मैंने प्रयास किया है। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.28 बजे

(इस समय श्री अजय चक्रवर्ती और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.29 बजे

(इस समय श्री अधीर चौधरी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये।)

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए। मैं आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, बी.सी.सी.एल. के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक बालासामी ऐकला तथा संस्थान के चार वरीय पदाधिकारियों के घर सी.बी.आई. ने छापे मारे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा के निवेदन के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाये।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपकी कार्य प्रणाली क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आता। जब मंत्री जी उत्तर दे रहे थे तो आप बोलना बंद नहीं कर रहे थे। यह क्या है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले अपने-अपने स्थान पर जाइए। आप सभा के बीचों-बीच खड़े होकर इस तरह के मामले को नहीं उठा सकते है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं। कृपया अपने-अपने स्थान पर जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हम इस तरह सभा की कार्यवाही का संचालन नहीं कर सकता हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अपराह्न 12.32 बजे

(इस समय श्री पवन सिंह घाटोवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आये और सभा पटल के निकट खड़े हो गये)

अध्यक्ष महोदय : आपके दल के नेता ने यह मामला उठाया है मैंने मंत्री महोदय को उत्तर देने के लिए कहा उन्होंने उत्तर दिया भी है और अब आप सभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रूपचन्द पाल, कृपया अपने दल के सदस्यों को अपने-अपने स्थान पर बैठने के लिए कहिए। यह सभा में मामले को उठाने का उचित तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले मेरी बात सुनिए। यदि आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो आप मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण मांग सकते है किन्तु इस तरह नहीं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.33 बजे

(इस समय श्री अजय चक्रवर्ती, श्री अधीर चौधरी, श्री पवन सिंह घाटोवार और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस बात को समझें कि सभा में अनेक मुद्दे उठाये जाने हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे कि शहरी विकास मंत्री जी दिल्ली के बारे में एक स्टेटमैंट दें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिए। मैंने श्री रघुनाथ झा को बोलने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): अध्यक्ष महोदय, बी.सी.सी.एल. के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक समेत संस्थान के चार पदाधिकारियों के घर सी.बी.आई. ने छापे मारे। इस छापे में अध्यक्ष के निवास स्थान से पांच लाख रुपये का विदेशी सामान, सात लाख रुपये के सोने के सिक्के सहित एक करोड़ रुपये की आय से अधिक सम्पत्ति को जब्त किया है जबकि 21 लॉकरों को सील करके रखा गया है। *...(व्यवधान)* ज्ञातव्य है कि 26 सांसदों ने संयुक्त हस्ताक्षर करके इस पदाधिकारी द्वारा बी.सी.सी.एल. में किये गये भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधान मंत्री से जांच करने की रिक्वैस्ट की है। प्रधान मंत्री जी ने इस पर जांच करने के आदेश दिये हैं। इस बीच कोयला विभाग के पदाधिकारियों और कोयला मंत्रालय ने प्रधान मंत्री के उस आदेश को अंधेरे में रख कर इस अधिकारी को बी.सी.सी.एल. का अध्यक्ष बनाने का काम किया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री रघुनाथ झा जी के भाषण के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : हम प्रधान मंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी को अविलंब हटाने का काम करें, जेल में भेजने का काम करें और पूरे मामले की जांच करायें कि कोयला मंत्रालय किस तरह से भ्रष्टाचारियों को बचा रहा है।

[अनुवाद]

श्री तरुण गोगोई (कलियाबोर): अध्यक्ष महोदय राज्य में हिन्दी भाषी लोगों की हत्या की जा रही है। असम में लगातार हत्यायें हो रही है। महिलाओं और बच्चों सहित निर्दोष लोग मारे गये हैं। 22 अक्तूबर और 17 नवम्बर के बीच एक माह से भी कम समय में भूमिगत आतंकवादियों द्वारा 41 लोगों, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई। इसके अलावा, हत्यायें, अपहरण और जबरदस्ती वसूली की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ये सभी पूर्व नियोजित और पूर्वविचारित हमले हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अन्य सभी नाम बुला सकूंगा। अन्यथा मुझे सभा स्थगित करनी होगी क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है।

श्री तरुण गोगोई : महोदय, असम के मुख्य मंत्री जी ने यह दावा किया है कि उन्हें खुफिया तौर पर पहले से ही जानकारी मिल गयी थी। उसके बावजूद सरकार इन हत्याओं पर काबू पाने में पूर्णतः असफल रही है। यह असम सरकार की अशक्तता और अकुशलता को दर्शाती है और सरकार निर्दोष लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में पूर्वणतः नाकामयाब रही है।

केन्द्र सरकार का यह भी कर्त्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के जान-माल की रक्षा करे। केन्द्र सरकार इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं कर रही है। इसलिए, हम असम में राष्ट्रपति शासन चाहते हैं। यदि आप असम को बचाना चाहते हैं तो गृह मंत्री जी को तत्काल असम का दौरा करना चाहिए और अपना वक्तव्य देना चाहिए। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : हान्दिक जी, आप श्री तरुण गोगोई जी की बात में शरीक हो सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): अध्यक्ष महोदय, आपने हमें अपने विषय का उल्लेख करने की अनुमति दी, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम सभी श्री तरुण गोगोई जी के साथ शरीक होते हैं। ...*(व्यवधान)* असम में निर्दोष लोग मारे गये हैं। तीन साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की निर्दयतापूर्वक हत्या की गई है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की यह जिम्मेदारी है कि वे इन हत्याओं को रोकने के लिए मिलकर कार्यवाही करें। महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस संबंध में वक्तव्य देना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि निकम्मी महंत सरकार को भी हटाया जाये। असम में राष्ट्रपति शासन लगाया जाये।

भाजपा का एक शिष्टमंडल भी वहां गया था। केन्द्र सरकार को आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री राजेन गोहेन (नौगांव): महोदय, कृपया मुझे बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आप भी इसी विषय पर बात करना चाहते हैं?

श्री राजेन गोहेन : जी हां। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, गृह मंत्री जी को इसका उत्तर देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह भी यही मुद्दा उठा रहे हैं।

श्री राजेन गोहेन : अध्यक्ष महोदय, आज असम की स्थिति काफी चिंताजनक है। पिछले 30 दिनों में, नरसंहार की 5 घटनाओं में 60 से भी अधिक लोग मारे गये हैं। ...*(व्यवधान)* पिछले कुछ वर्षों में असम में कमजोर राज्य सरकारें होने के कारण राज्य में आई.एस.आई. की गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है। राज्य पुलिस प्रशासन इस स्थिति का सामना करने में पूर्णतः असफल रहा है। असम में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण स्थिति से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की आवश्यकता की बजाय पैसा प्रमुख उत्प्रेरक बन गया है। सबसे खतरनाक बात तो यह है कि आई.एस.आई. ने अपनी गतिविधियां बरकरार रखने के उद्देश्य से 'उल्फा', 'एन.डी.एफ.बी.', 'एम.यू.एल.टी.ए.', 'एम.यू.एफ.एफ.ए.' आदि को समर्थन देना आरंभ कर दिया है।

आज इनमें से कई संगठन आई.एस.आई. के शिकंजे में हैं जो देश में अशांति फैलाने पर उतारू है और भारत को कमजोर बनाने का प्रयास कर रहा है। यह पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के विरुद्ध आरंभ किये गये परोक्ष युद्ध का ही एक भाग है।

अध्यक्ष महोदय : आप 'शून्य काल' में ही सब बातें नहीं कर सकते।

श्री राजेन गोहेन : महोदय, मैं बस एक बात और कहना चाहता हूं। असम में राजनीति में अपराधीकरण की वर्तमान प्रवृत्ति एक खतरनाक मोड़ ले रही है। यह सर्वविदित है कि असम में राजनीतिज्ञों के उग्रवादियों के साथ संबंध है और उन्होंने उल्फा के आगे आत्मसमर्पण भी कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार इस संबंध में कुछ कहना चाहती है?

श्री राजेन गोहेन : इसलिए, मेरा यह सुझाव है कि केंद्र सरकार को असम में राजनीतिज्ञों और उग्रवादियों के बीच सांठ-गांठ के इस मामले की जांच करनी चाहिए और ऐसे सभी राजनेताओं का पर्दाफाश करना चाहिए। ...*(व्यवधान)* कांग्रेस की सांठ-गांठ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को उत्तर नहीं देने दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रूगढ़): केंद्र सरकार को उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन करने दें ...*(व्यवधान)*

श्री संतोष मोहन देव : अध्यक्ष महोदय, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। उसे कार्यवाही-वृत्तांत से बाहर निकाला जाये।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो उसे निश्चित रूप से कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जायेगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : बैसीमुथियारी जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। इसे कृपया कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : बैसीमुथियारी जी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये। अध्यक्षपीठ की अनुमति के बिना आप कैसे बोल सकते हैं? कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइये।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(*व्यवधान*)*

अपराह्न 12.44 बजे

(दो) दिल्ली में लघु औद्योगिक इकाइयों को स्थानान्तरित किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): अध्यक्ष जी, सदन के सभी ओर के सदस्यों ने असम की स्थिति के बारे में जो चिन्ता व्यक्त की है, मैं समझता हूं, वह उचित है। असम में आज कानून और व्यवस्था की स्थिति, वहां के लोगों का जीवन और उनके वित्त आदि के बारे में ढेर सारी समस्याएं खड़ी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से सदन के सभी ओर के सदस्यों को इसकी चिन्ता होना स्वाभाविक है। उसके अनेक पहलू हैं, जिसकी चर्चा शून्य काल में करना असम्भव है, लेकिन मैं सदस्यों को आश्वासित करता हूं कि उन्होंने जिस गम्भीरता से यह विषय उठाया है, उसी गम्भीरता से मैं गृह मंत्री जी का ध्यान इस विषय की ओर आकर्षित करूंगा और जो भी संविधान के अंतर्गत केन्द्र सरकार का दायित्व होगा, वह दायित्व पूरा करने में केन्द्र सरकार हिचकिचाहट नहीं करेगी। मैं इतना ही कह सकता हूं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार): बोडोलैंड के बारे में हिन्दुस्तान की सरकार क्या करेगी?

[अनुवाद]

मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बैसीमुथियारी जी, कृपया शांत हो जाइये।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर): अध्यक्ष जी, पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली के अन्दर जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल आये हैं, उसका कारण सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है। उस आदेश के अनुसार केवल जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उन्हीं के ऊपर सरकार कार्रवाई करे, उनको दिल्ली से बाहर करे। लेकिन दिल्ली के चीफ सैक्रेटरी और दिल्ली म्यूनिसिपल कारपोरेशन ने यह कह दिया कि सारी की सारी 1,26,000 इंडस्ट्रीज को दिल्ली से बाहर कर दिया जाये। उसके कारण दिल्ली में आज हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी घरों के अन्दर चलने वाली छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज की संख्या लगभग एक लाख है।

लघु और कुटीर उद्योग चल रहे हैं, जिनमें चार-छः लोग काम करते हैं, उनके पूरे के पूरे घर को सील कर दिया। सारा सामान अंदर पड़ा हुआ है, लोगों को बाहर कर दिया है। उससे गुस्सा होकर दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। हम मांग कर रहे हैं कि दिल्ली के मास्टर प्लान को चेंज किया जाए। 1961 में यह प्लान बना था। उस समय दिल्ली के अंदर केवल 28 उद्योग बताए गए थे और दिल्ली की आबादी 30 लाख थी। आज करीब डेढ़ लाख उद्योग हो गए हैं और डेढ़ करोड़ के करीब आबादी हो गई है। उसके बावजूद एक भी इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली में नहीं बना। जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था और जब साहिब सिंह जी भी मुख्य मंत्री थे, हमने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था कि हम मास्टर प्लान को चेंज करेंगे। इसका कारण यह है कि दिल्ली की जो तीन मुख्य समस्याएं हैं, एक अनधिकृत बस्तियों को नियमित करना, दूसरा उद्योग और तीसरी समस्या यह है कि जो चार लाख दुकानें रिहाइशी एरिया में हैं, उनको नियमित करना, जब तक मास्टर प्लान में चेंज नहीं होगा, इनको हम ठीक नहीं कर सकते। इसलिए मेरा अनुरोध है कि शहरी विकास मंत्री जी यहां आकर मास्टर प्लान चेंज करने के बारे में वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं किसी को क्रिटीसाइज नहीं कर रहा हूं। कल जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि दिल्ली में जो मजदूर हैं, उन्होंने गुंडागर्दी फैलाई, उनमें गुंडे हैं और इस विषय को कर्नाटक के इश्यू के साथ जोड़ा गया, मैं समझता हूं यह दिल्ली के गरीब मजदूरों के साथ अन्याय है। एक वकील ने कहा कि वे यहां रोजी-रोटी के लिए आए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें रोजी-रोजी से ज्यादा चिंता लोगों के स्वास्थ्य की है। हम भी चाहते हैं कि प्रदूषित उद्योग यहां से बाहर जाएं, लेकिन जो उद्योग प्रदूषण नहीं फैलाते, जिनमें लगभग 15 लाख मजदूर काम कर रहे हैं, उनको बेरोजगार कर देना, उसकी रोजी-रोटी छीनना, यह हम नहीं होने देंगे। इसलिए मास्टर प्लान को चेंज करके यहां से प्रदूषित उद्योगों

को बाहर ले जाएं, लेकिन बाकी उद्योगों को किस तरह से दिल्ली में बसाया जाए, इसके बारे में शहरी विकास मंत्री जी यहां वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, लक्ष्मण सेठ जी और विजय गोयल जी ने भी इसमें शरीक होने की सूचनाएं दी हैं।

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा): महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से आपकी सूचना नहीं है।

श्री विजय गोयल : महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : समय नहीं है। कृपया बात को समझें। 38 सूचनाएं अभी और हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, असम के इश्यू पर चार लोग बोल सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं बोल सकते।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, केवल एक मिनट।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : दिल्ली के विषय पर हम नहीं बोलेंगे तो जनता क्या कहेगी।

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी ने कह दिया है।

श्री विजय गोयल : मेरा मत उनसे भिन्न है। इसलिए मुझे एक मिनट का मौका दे दें। पिछले दिनों दिल्ली में जो तांडव हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी है, सुप्रीम कोर्ट की है, दिल्ली सरकार की है या केन्द्र सरकार की है *...(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दिया दिल्ली सरकार को इम्प्लीमेंट करने के लिए। यहां की इंडस्ट्रीज बाहर जाने के लिए, रीलोकेट होने के लिए तैयार थीं, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। इसमें लघु उद्योगों का क्या कसूर है। दूसरा, मेरा यह कहना है कि पहले भ्रष्ट नौकरशाही इस सारी चीज को पनपने देती है, सारा कुछ हो जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आर्डर देता है। नौकरशाही जो सुस्त है, विल पावर नहीं है, उसको रातों-रात जगाया जाता है। इसलिए तुरंत मास्टर प्लान में तब्दीली करके, रीलोकेट करके लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए। इस पर प्रमोद महाजन जी को कुछ कहना चाहिए।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): अध्यक्ष महोदय, जो स्थिति दिल्ली में बनी हुई है, बहुत ही गंभीर तथा तनावपूर्ण है। काफी दिनों से यह मामला 1996 से चल रहा था, यह आपको विदित ही है। 19 अप्रैल 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि जो इंडस्ट्रीज नॉन-कनफर्मिंग एरियाज में हैं, उनकी पुनर्स्थापना दूसरे स्थानों पर हो, यह उनका ऑर्डर था। इस ऑर्डर के पालन में कोई प्ली देनी हो या कोई भी एप्लीकेशन देनी हो या अगर कोई सुझाव देना हो तो दिल्ली सरकार द्वारा 1996 से लेकर 1998 तक न तो कोई लैंड आइडेंटिफाई की गई और न वहां कोई इंफ्रास्ट्रचर बनाया गया तथा न सुप्रीम कोर्ट से कोई टाइम मांगा गया। 1996 से लेकर 1998 तक दिल्ली सरकार द्वारा बिल्कुल शिथिलता बरती गई। नवम्बर 1998 में जब नयी सरकार बनी तो उन्होंने तीन-चार महीने के अंदर ही दुबारा सुप्रीम कोर्ट में प्ली दायर की कि हम चाहते हैं कि मास्टर प्लान में चेंज हो और जहां 70 प्रतिशत इंडस्ट्रीज स्थापित हों, उनको नॉन-कनफर्मिंग एरियाज से कनफर्मिंग एरियाज में किया जाये। सिर्फ ऐसी इंडस्ट्रीज का फिर से री-लोकेशन किया जाये जो हैजारडुअस हों या जो पर्यावरण को दूषित करती हों। यह प्ली 1999 में सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में काफी कुछ विचार-विमर्श किया और उसके बाद मास्टर प्लान में चेंजेज के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सहमति दी। उसके बाद हमने दिल्ली कॉरपोरेशन से यह रिक्वेस्ट की कि लैंडरूल्स में भी चेंज हो, यह बात हमने अक्तूबर 1999 में रखी। इस बात को एक साल बीत गया और एक साल बाद सिर्फ एमसीडी तय करती है कि लैंड रूल्स चेंज हो या नहीं हो, उसके लिए एक साल लग गया। मैं यह नहीं कहना चाहता कि किस पोलिटिकल पार्टी की सरकार है, दिल्ली सरकार में है या एमसीडी में है, मैं इस बात को पोलिटिसाइज नहीं करना चाहता। *...(व्यवधान)*

श्री मदन लाल खुराना : आप जो बात कर रहे हैं, वह गलत है। *...(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : जो खुराना जी ने बात कही है, मैं उससे पूर्ण तरह से सहमत हूं। जो दिल्ली गवर्नमेंट की प्ली रही है कि मास्टर प्लान में जल्दी से जल्दी परिवर्तन लाया जाये जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट भी एक हद तक काफी कुछ तैयार था। मैं पूर्ण तरह से खुराना जी से सहमत हूं तथा सरकार से कहना चाहता हूं कि अर्बन डैवलपमैंट मिनिस्टर इस बात का जवाब दें कि उन्होंने सुओ-मोट्टो सुप्रीम कोर्ट में यह प्ली क्यों दायर की कि हम मास्टर पालन में चेंज करने के लिए कतई तैयार नहीं हैं। इस बात का यहां अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर जवाब दें। मैं खुराना जी

[श्री माधवराव सिंधिया]

की बात का पूर्ण तरह से समर्थन करता हूं। यहां अर्बन डैवलपमेंट मिनिस्टर साहब जवाब दें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह बात क्यों की तथा बिना सलाह-मशविरा के सुओ-मोट्टो क्यों किया? वह दिल्ली के मास्टर प्लान में कोई परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है जबकि उच्चतम न्यायालय दिल्ली मास्टर प्लान में परिवर्तन पर विचार करने और दिल्ली मास्टर प्लान में परिवर्तन करने के लिए और अधिक समय की अनुमति देने को तैयार था। शहरी विकास मंत्रालय ने यह पत्र क्यों लिखा। मैं यह जानना चाहता हूं। इसलिए मैं मदन लाल खुराना जी की बात का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, यह ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का है। ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने केवल उन्हीं इंडस्ट्रीज को हटाने की बात कही है, ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सरकार उत्तर दे रही है।

...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : मैं चाहता हूं कि इस मामले के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदथ : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप क्या तरीका अपना रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप मुद्दा उठा रहे हैं और फिर शोर मचा रहे हैं। यह सब क्या है?

...*(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा): महोदय, मैंने इस संबंध में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। क्या आप बतायेंगे कि मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का क्या हुआ? ...*(व्यवधान)* संसदीय कार्य मंत्री यहां बैठे हैं। उन्हें इस बारे में कुछ कहना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप तो मंत्री जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, मैंने इस संबंध में सूचना दी है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने मंत्री जी को बुलाया है। आप भी अन्य माननीय सदस्यों के साथ शरीक हो सकते हैं। कृपया यह बात समझने का प्रयास कीजिए कि सभी सदस्यों को बोलने का मौका नहीं दिया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, कृपया मुझे एक मिनट बोलने का समय दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी को बोलने दें।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मुझे सिर्फ एक मिनट का समय दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको एक मिनट का ही समय दूंगा। कृपया समय का भी ध्यान रखें।

श्री लक्ष्मण सेठ : धन्यवाद। महोदय, यह मामला सभी लोगों का काफी ध्यान आकर्षित कर रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी से इस संबंध में निर्णय लेने का अनुरोध करता हूं। ...*(व्यवधान)* इन छोटे उद्योगों में दो मिलियन मजदूर लगे हुये हैं। इन उद्योगों को बंद करने से दो मिलियन मजदूर नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। उनके हितों की रक्षा कैसे होगी? इस पहलू को स्पष्ट करना होगा। सम्माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था। फिर भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने मास्टर प्लान के संबंध में और इन प्रदूषणकारी उद्योगों को हटाने के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की? मैं इन दो मिलियन मजदूरों की रोजी-रोटी के बारे में काफी चिंतित हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात अब समाप्त कीजिए। माननीय मंत्री जी को उत्तर देना होगा।

श्री लक्ष्मण सेठ : महोदय, मैं चाहता हूं कि सरकार उन दो मिलियन मजदूरों को पुनः रोजगार दिलाने का आश्वासन दे जो विस्थापित हो जायेंगे अथवा जिनकी छंटनी की जायेगी। वे दिल्ली के गैर-नियोजित क्षेत्रों से इन छोटे उद्योगों को हटाने के कारण बेरोजगार हो जायेंगे। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): महोदय, हमें भी इस विषय पर दो मिनट बोलने के लिए दिए जाएं। ...*(व्यवधान)*

मेरी कांस्टीट्यूएंसी 40 लाख की आबादी वाली है। ...*(व्यवधान)* वहां कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण बहुत तबाही हुई है। उन्होंने उसका गलत अर्थ लगा वहां जो फैक्ट्रियां प्रदूषण नहीं फैलाती हैं उन्हें भी सील कर दिया है। ...*(व्यवधान)* यह सब कार्य मुख्य मंत्री जी के कारण से हुआ है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैंने आपका नाम भी पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इस मामले को बहुत सरलता से लिया जा रहा है। मास्टर प्लान बहुत सोच-समझ कर बना था और 1967-68 में जब दिल्ली के विकास के बारे में चर्चा हुई थी, उस समय केपिटल रीज़न की चर्चा हुई थी और कहा गया था कि दिल्ली में नये आवास और नयी फैक्ट्रियां लगाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन उसके बाद लगातार उसका उल्लंघन होता रहा है। उसका नतीजा यह हो रहा है कि सारी दिल्ली स्लम होती जा रही है। यहां के दिल्ली के निवासी और मदन लाल खुराना जी भी जानते हैं कि रोज 10,000 लोग दिल्ली में बाहर से आते हैं और इन्हीं झुग्गी-झोंपड़ियों तथा बस्तियों में जाकर बसते हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट की बहुत सी बातों से सहमत नहीं हूं, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यहां कुछ पर्यावरण के बारे में ध्यान देना चाहिए और जगमोहन जी उस दिशा में कुछ कदम उठा रहे हैं तो जितना कम से कम अन्याय हो सके या दुख उठाना पड़े, उसे उठाने की कोशिश हो। अगर हम लोग एक-दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें तो यह सही नहीं है। सही बात यह है कि उनके लिए नयी जगह ढूंढ़नी चाहिए और नयी जगह ढूंढ़ कर उन्हें वहां से हटाना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट और जगमोहन जी की निन्दा करना एक राजनीतिक तात्कालिक फायदे की भावना से हो सकता है, दूरगामी परिणाम देश और राजधानी के लिए नहीं हो सकते। महोदय, मैं जानता हूं जब 1967-68 में यह तय हुआ था, उस समय दुर्भाग्य या सौभाग्यवश मैं भी उसमें मौजूद था। यह किसी राजनीतिक भावना से प्रेरित नहीं था बल्कि दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रख कर किया गया था। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रमोद महाजन : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की जनता में दो दिन से असंतोष व्याप्त है, जिसके कारणों की चर्चा खुराना जी ने आज यहां उठाई है और चन्द्रशेखर जी तथा सभी सदस्यों ने इसमें योगदान किया है। इस संबंध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि यह क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी तो कोई व्यापक चर्चा होगी तभी पता चल सकता है। इस संदर्भ में सदन में सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमलनाथ : महोदय, वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार करने का कार्य अध्यक्ष का है न कि मंत्री का।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रमोद महाजन : मैं पहले अपनी बात पूरी कर लूं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 1.00 बजे

उन्होंने वहां वक्तव्य दिया और उनके वक्तव्य देने के बाद राज्य सभा ने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण की जगह ढाई घंटे की अल्पकालिक चर्चा करना मान लिया है और चर्चा शुरू की है। अगर लोक सभा में वक्तव्य के स्थान पर किसी भी नियम के अन्तर्गत, जिसकी अध्यक्ष की अनुमति दें, इस विषय पर चर्चा करनी हो तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। कालिंग अटेंशन करें या जैसा आप उचित समझें करें, इसमें सरकार की तरफ से कोई प्रतिरोध नहीं है। उसके बाद सदन की ओर से जो भी भावना बनेगी, उसके अनुसार हम दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

जहां तक मास्टर प्लॉन को अमेंड करने का सवाल है, सरकार इसमें कोई कठोर भूमिका लेकर नहीं खड़ी है। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लचीली भूमिका लेकर मास्टर प्लॉन को अमेंड करने के लिए भी तैयार हैं। सरकार उच्चतम न्यायालय के पास जाकर समय मांगने के लिए भी तैयार है। इसलिए जब इस सदन में चर्चा होगी, अभी दूसरे सदन में हो रही है तो दोनों सदनों का मिलकर जो मानस बनेगा, उसी के आधार पर केन्द्र सरकार दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाने में किसी भी प्रकार की कमी नहीं करेगी।

अपराह्न 1.01 बजे

[अनुवाद]

स्थगन प्रस्ताव

कृषक समुदाय के समक्ष गंभीर संकट

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, जैसा कि मैंने सुबह कहा था, मुझे स्थगन प्रस्ताव से संबंधित 77 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने श्री सुजान सिंह बुन्देला जिन्हें बैलेट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ हैं, को अनुमति दे दी है कि वह निम्न रूप में प्रस्ताव पेश करें:

> "कृषि उत्पादन लागत में हाल ही में हुई वृद्धि और कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी के कारण कृषक समुदाय के समक्ष आ रहा गम्भीर संकट।"

श्री सुजान सिंह बुन्देला का जो पत्र मुझे अभी-अभी मिला है उसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि उनके स्थान पर श्रीमती सोनिया गाधी को सभा की अनुमति प्राप्त करने तथा बहस की शुरूवात करने की अनुमति प्रदान की जाए। मैंने उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया है।

अब, श्रीमती सोनिया गांधी सभा की अनुमति प्राप्त कर सकती हैं।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति चाहती हूं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नवल किशोर राय (सीतामढ़ी): अध्यक्ष जी, हमारे नोटिस का क्या हुआ? हम सुबह से आकर यहां बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आज नहीं तो कल आपको बुलाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती सोनिया गांधी : अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उत्पादन लागत में हाल ही में हुई वृद्धि और कृषि जन्य वस्तुओं की कीमतों में आई कमी के कारण कृषक समुदाय के सामने आ रही भारी परेशानियों से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की अनुमति मांगती हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अनुमति का विरोध किया जा रहा है?

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है।

नियम 61 के अधीन, स्थगन प्रस्ताव अपराह्न 4.00 बजे या उससे पहले लिया जाता है। नियम 62 के अधीन इस पर बहस के लिए कम से कम 2 घंटा और 30 मिनट आबंटित किया जाता है। इस प्रस्ताव पर बहस अपराह्न 2.00 बजे शुरू की जा सकती है। मेरे विचार में, सभा इस पर सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : हां।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, आप द्वारा सभा को स्थगित किए जाने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं क्योंकि इस प्रस्ताव पर मत विभाजन होगा। आप बहस की शुरूवात अपराह्न 2.00 बजे करने जा रहे हैं तथा वह 2 घंटे 30 मिनट से कम नहीं हो सकती है, उससे अधिक हो सकती है। अत: आप बहस के लिए दिये जाने वाले समय के बारे में तथा मत विभाजन का समय बता सकते हैं ताकि उस समय सदस्य उपस्थित रह सकें। अत: यह बेहतर होता यदि आप मत-विभाजन का अनन्तिम समय बताएं।

अध्यक्ष महोदय : मत-विभाजन आज सायं 6.00 बजे होगा।

अपराह्न 1.02 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): अध्यक्ष महोदय, नियम 377 के अधीन मामलों को आप पटल पर रखा हुआ मान सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप इस मुद्दे को कुछ समय बाद उठा सकते हैं, इस समय नहीं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): हम इन्हें सभा के पटल पर रखा गया क्यों नहीं मानते हैं?

अध्यक्ष महोदय : हम इस मुद्दे को बाद में लेंगे, अभी नहीं।

अपराह्न 2.01 बजे

स्थगन प्रस्ताव

कृषक समुदाय के समक्ष गम्भीर संकट – *(जारी)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा उनका प्रस्ताव पेश किए जाने के पहले, मैं इस सभा को सूचित करना चाहता हूं, जैसा कि पहले तय किया जा चुका है कि मत-विभाजन सायं 6.00 बजे होगा। इस प्रकार इस पर बहस के लिए हमारे पास चार घंटे हैं। विभिन्न दलों के बीच समय का बंटवारा इस प्रकार किया गया है।

1.	भाजपा तथा सरकार में सम्मिलित अन्य सदस्य	1 घंटा 58 मिनट
2.	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	50 मिनट
3.	भाकपा (मा.)	15 मिनट
4.	तेलगुदेशम पार्टी	12 मिनट
5.	समाजवादी पार्टी	12 मिनट
6.	बसपा	06 मिनट
7.	ए.आइ.ए.डी.एम.के.	04 मिनट
8.	रा.कां.पा.	04 मिनट
9.	राजद	03 मिनट
10.	भा.रा.लो.द.	02 मिनट
11.	छोटे दल (सी.पी.आई./आर.एस.पी./ ए.बी.एल.सी./ए.आई.एफ.बी./एम.एल./ आर.एल.डी.) संयुक्त रूप से	06 मिनट
12.	निर्दलीय/एक सदस्यीय दल	08 मिनट

मैं सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आप समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार मूल विषय तक ही सीमित रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभा नियत समय के अन्तर्गत बहस पूरी कर सकेगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): अध्यक्ष महोदय, चूंकि आपने मत-विभाजन का समय नियत कर दिया है। इस प्रकार का समय नियत कर दिया जाता है। सायं 6.00 बजे का समय व्यावहारिक नहीं है क्योंकि यह इस प्रकार का मुद्दा है जिस पर दोनों पक्ष के सदस्य अपना विचार रखना चाहेंगे। इसलिए, कृपया कोई अन्य समय नियत करें क्योंकि चार घंटे का समय पर्याप्त नहीं होगा।

श्री माधवराव सिंधिया : इस समय, इसे सायं 6.00 बजे ही रहने दें लेकिन कृपया इसे बदलने की भी संभावना रहनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : बदलने की सम्भावना से आपका क्या तात्पर्य है? हमने पहले ही चार घंटे का समय निर्धारित कर दिया है। सामान्यतः, स्थगन प्रस्ताव पर बहस के लिए मात्र 2 घंटा और 30 मिनट का समय दिया जाता है।

श्री माधवराव सिंधिया : इसे रात्रि 8.00 बजे निर्धारित कर दे।

अध्यक्ष महोदय : अब, श्रीमती सोनिया गांधी बोलेंगी।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे देश में कृषि क्षेत्र में आए संकट से संबंधित स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए खड़ी हुई हूं। करोड़ों किसान और खेतिहर मजदूरों पर बहुत कठिन विपत्ति आ गई है लेकिन इस सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय किसान उत्पादन की बढ़ती हुई लागत तथा कृषि उत्पादों की गिरती हुई कीमतों के दोनों पाटों के बीच पिस रहा है। सरकार न तो लागत घटा रही है न तो और अधिक कीमत दिलाने को सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर रही है। यह स्पष्ट है कि यह सरकार सभी मोर्चों पर, जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है,' असफल रही है। इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस सम्माननीय सभा में किसानों और खेतिहर मजदूरों की आवाज उठाएं।

कोई नीति नहीं है, किसी प्रकार की दूरदर्शिता नहीं है, कोई कार्य योजना नहीं है। सभी निर्णय तदर्थ होते हैं। स्थायी कुछ नहीं होता। वास्तव में निर्णय सरकार पर पक्षपातपूर्ण दबाव से लिए जा रहे हैं तथा बदले जा रहे हैं जो कि अपने आप में कठिनाई में है। देश के हर कोने में कृषि क्षेत्र में संकट है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जो कि हरित क्रान्ति का केन्द्र है, अधिप्रापण तंत्र पूरी तरह असफल हो गया है और यदि इसे ठीक भी किया जाता है तो इसके पीछे उद्देश्य किसानों की भलाई नहीं बल्कि अपने अन्तर्विरोध से सरकार को गिरने से बचाना होता है।

महोदय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सूखे की चपेट में है लेकिन सरकार का ध्यान इस

[श्रीमती सोनिया गांधी]

पर नहीं गया है। बिहार, पश्चिम बंगाल और आन्ध्र प्रदेश के राज्य बाढ़ से बर्बाद हो गए हैं। इस पर नई दिल्ली द्वारा आवश्यक सहायता देने की बात तो छोड़ दीजिए, सहानुभूति भी नहीं दर्शायी गई है। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में चाय और रबर बागान का उद्योग पिछड़ रहा है। इस महामारी से लड़ने के लिए कुछ नहीं किया गया है। इस बीमारी से दक्षिण में हजारों नारियल के पेड़ बर्बाद हो गए हैं तथा बर्बाद हो रहे हैं। हर जगह चीनी की मिलें गन्ना की खपत नहीं कर पा रही हैं तथा देय मूल्य का भुगतान करने में भी असमर्थ हैं। उत्तर प्रदेश का मामला तो एकदम अलग है। यहां की स्थिति बहुत ही खराब है। एक के बाद एक चीनी की मिलें बन्द हो रही हैं। कर्मकारों को भुगतान नहीं दिया जा रहा है। उनके बकाया का भुगतान महीनों से नहीं किया गया है। उनका परिवार उधार लेने को बाध्य हो गया है; स्थिति और भी बदतर है कि उन्हें मांगना भी पड़ रहा है।

महोदय, बागवानी और डेरी उद्योग बिना सोचे समझे निर्यात करने के कारण नष्ट हो रहे हैं। सबसे अधिक नुकसान उठाने वाले छोटे एवं सीमांत कृषक जो कि अपनी जीविका की तलाश उस सूखी भूमि पर कर रहे हैं जहां कि सिंचाई के साधन नहीं हैं तथा जहां तिलहन, दालों, मोटे अनाज तथा कपास के उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने से स्थिति बहुत ही भयानक हो रही है, हमारे किसान जीवन से वंचित हो रहे है लेकिन इस सरकार को कृषि के क्षेत्र में आए संकट की कोई चिन्ता नहीं है। इसका मूल कारण पूर्णतः उपेक्षा तथा गंभीर पक्षपात है इसका कृषि क्षेत्र शिकार हुआ है।

महोदय, कृषि संबंधी योजना परिव्यय को पिछले साल के मुकाबले 500 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। पशुपालन में यह परिव्यय 60 करोड़ रुपये घटा दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट का जो प्रावधान किया गया है वह उसमें 100 करोड़ रुपया घटा दिया गया है। लोगों द्वारा कृषि में किया जा रहा निवेश वैसे ही कम हो गया है। सिंचाई परियोजनाओं पर न तो ध्यान दिया जा रहा है न तो उन्हें पूरा किया जा रहा है। पूरे देश में भूमिगत जल कम हो रहा है। कृषि पर ऋण बहुत ही कम है तथा इसी प्रकार की स्थिति कृषि संबंधी अनुसंधान और प्रसार के लिए बजट के प्रावधान की भी है। परिणामस्वरूप इस प्रकार की प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की जा रही है जो कि गरीब एवं छोटे किसानों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। राज्य पर्याप्त मात्रा में प्रमाणित बीज सस्ते मूल्यो पर उपलब्ध करवाने में असफल रहा है जिससे हमारे किसानों पर और बुरा प्रभाव पड़ रहा है।

महोदय, हमारा विश्वास है कि राष्ट्रव्यापी फसल बीमा व्यवहार्य तथा अत्यावश्यक है। दुर्भाग्य है कि इसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है।

आपदा राहत अपर्याप्त, अनुप्रयुक्त तथा पक्षपातपूर्ण है जैसा कि पिछले वर्ष उड़ीसा में आए भीषण चक्रवात के समय देखा गया; जैसा कि इस वर्ष अरूणाचल प्रदेश में आई बाढ़ के समय देखा गया था तथा जैसा कि पश्चिम बंगाल में अन्तर्सत्र विधि के दौरान देखा गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और यहां तक भा.ज.पा. शासित राज्य गुजरात में बनी निरंतर सूखे की स्थिति के प्रति केन्द्र का लापरवाहीपूर्ण रवैया समान रूप से अक्षम्य है। संबंधित मुख्यमंत्रियों, संबंधित सांसदों अथवा विभिन्न दलों के नेताओं द्वारा किए गए अनुरोधों में से किसी एक के अनुरोध से भी इस कठोर सरकार के रवैये में नरमी नहीं आयी।

अस्सी के दशक में जबकि देश ने कई एक भयंकरतम सूखों का सामना किया था खाद्यान्नों का उत्पादन 40% बढ़ा। गत पांच वर्षों में औसत विकास की दर दो प्रतिशत या उससे भी कम रह गयी है जो जिस किसी तरह हमारी जनसंख्या वृद्धि के साथ बराबरी बनाये रखने में समर्थ है। पिछले दशक में मोटे अनाजों की पैदावार 15 प्रतिशत बढ़ी। अब इसमें स्थिरता आ गयी है और यहां तक कि गिरावट आने लगी है। नौवें दशक में तिलहन की पैदावार 85 प्रतिशत बढ़ी; पर अब इसकी वृद्धि दर उसका एक-तिहाई या उससे भी कम रह गयी है। दलहनों की वृद्धि-दर घटकर 10 प्रतिशत पहुंच गयी है। कृषि विकास में हो रही कमी का अर्थ है ग्रामीण रोजगार में कमी। वस्तुतः इसका अर्थ सिर्फ ग्रामीण रोजगार में आयी कमी ही नहीं है बल्कि इसके परिणामस्वरूप सामाजिक तनाव बढ़ा है और हमारे बेरोजगार बहुत से युवक नक्सलवाद की तरफ मुड़े हैं।

यह सरकार इस चुनौती का सामना करने में निराशाजनक रूप से अक्षम साबित हुई है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की ईकाइयों को बेचने में ही मशगूल लगती है। इस सरकार ने हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद की ही अवहेलना की है। यह भूल गई है कि भारत गांवों का देश है। यह गांधीजी के तिलस्म -"निर्धनतम लोगों की पूजा" को भूल गई है। दशकों पहले पंडित जी ने कहा था, 'दूसरी कोई भी चीज इंतजार कर सकती है किन्तु कृषि नहीं'। यह सरकार इस उक्ति को भूल गयी है। यह किसानों को, खेतिहर मजदूरों को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया है। जनता के प्रति अपने प्राथमिक कर्त्तव्यों को भूल जाने के लिए इस सरकार को प्रताड़ित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे किसानों के हितों की रक्षा के लिए यथाशीघ्र विशिष्ट उपाय करें। इसलिए मैं इस सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करती हूं कि वे इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करें।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): अध्यक्ष महोदय, अपना वक्तव्य शुरू करने के पहले मैं बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक चरण के नोबेल पुरस्कार विजेता टी.एस. इल्यिट की निम्न पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। अपने 'हॉलो मेन' में टी.एस. इलियट ने कहा है:-

"वी आर द हॉलो मेन
वी आर द स्टफ्ड मेन
लीनिंग टुगेदर
हेडपीस फिल्ड विद स्ट्रा अँलास!
आवर ड्राई वॉएसेज, हवेन
वी विस्पर टुगेदर
आर क्वाइट एण्ड मीनिंगलेस
ऐज विन्ड इन ड्राई ग्रास
आर रैट्स फीट ओवर ब्रोकेन ग्लास
इन आवर ड्राई सेलर।"

मैं आशा करता हूं कि मुझे यहां विषय को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रस्तुत विषय बिल्कुल स्पष्ट है।

स्थगन प्रस्ताव पर बोलते हुए मैडेम सोनिया गांधी ने कुछ खास मुद्दों पर जोर देने की चेष्टा की है। मैं सोचता हूं कि प्रथम मुद्दे से ही प्रारम्भ करना मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। पहला मुद्दा कृषि क्षेत्र में दी गई सब्सिडी और इस बात से संबंधित है कि विभिन्न श्रेणियों के किसानों जैसे छोटे, मध्यम, सीमांत और अन्य को किस प्रकार की सहायता दी गई है?

अध्यक्ष महोदय, मैं चालू वर्ष के बजट प्रावधानों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जहां यह देखा जा सकता है कि स्वयं कृषि क्षेत्र में विभिन्न मदों में करीब 13,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गयी है। यूरिया हेतु यह सब्सिडी करीब 8,000 करोड़ रुपये है। उर्वरकों पर यह सब्सिडी 8,750 करोड़ रुपये है और किसानों को रियायती दरों पर नियंत्रण मुक्त उर्वरकों पर 4500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है और सब्सिडी इस तरह से दी जाती है ताकि किसानों को अपने उत्पाद या कृषि कार्य के लिए विशेष कठिनाई का सामना न करना पड़े।

यह देखा जा सकता है कि कृषि एवं सहायक क्षेत्रों के लिए 7,182.47 करोड़ रुपये के बजटीय प्रावधान हैं। कृषि को अपनी पटरी पर बनाये रखने के लिए यह राशि कम नहीं है।

अपराह्न 2.17 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

मैडेम गांधी योजना क्षेत्र के बारे में बोल रही थीं। मैं सम्माननीय सभा का ध्यान नौवीं संदर्शी योजना की तरफ आकृष्ट करता हूं। नौवीं संदर्शी योजना में माननीय सदस्यों ने यह टिप्पणी देखी होगी कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचागत विकास अपने लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सका। इसके लिए कौन जिम्मेवार था। मैं समझता हूं कि मुझे इसका जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। कृषि में बुनियादी ढांचा के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, कृषि अनुसंधान, सड़क, यातायात और विपणन आते हैं।

जहां तक सिंचाई का सम्बन्ध है मैडेम गांधी ने इसके बारे में सरसरी तौर पर एक टिप्पणी की थी। हममें से सभी जानते हैं कि कृषि को क्या प्राथमिकता दी जा रही है। कृषि को दी जा रही प्राथमिकता के साथ-साथ जल संचार विकास, लघु सिंचाई सुविधाओं और दूसरे अन्य संबंधित तथ्यों पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि भूमि को अच्छी तरह सींचा जा सके। यह एक वास्तविकता है कि देश के कुछ खास हिस्सों में जल स्तर घट रहा है। जलस्तर नीचे न हो इसके सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारे अनुसंधान किए जा रहे है जिससे कि किसानों को सिंचाई हेतु पानी मिल सके।

हाल ही में कुछ स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षणों के परिणाम अच्छे रहे हैं और वहां ठीक ढंग से सिंचाई की जा रही है।

जहां तक संचार का सवाल है तो इस संदर्भ में केवल निधियां ही आबंटित नहीं की गयी है बल्कि केन्द्रीय सड़क कर निधि पर एक अध्यादेश भी जारी किया जा चुका है। संचार एवं परिवहन के लिए और अधिक निधियां आवंटित की जायेगी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामानों को भेजने के लिए परिवहन बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। यह देखा जा सकता है कि हमारी सड़कों में बेहतर ढंग से बढ़ोत्तरी हो ताकि कृषि उत्पाद को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सके।

नौवीं पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति खाद्य वस्तुओं के उत्पादन को दुगुना करना और रोजगार क्षमता को बढ़ाना है। जब तक हमारे पास रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होंगे तब तक न किसान अपनी वस्तुओं को बेचने में सक्षम होंगे और न ही उपभोक्ता इन्हें खरीदने में सक्षम होंगे। इसलिए सभी चीजों पर एक साथ ध्यान दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान वस्तुओं का उत्पादन करे और इन्हें उचित मूल्यों पर बेच सकें। इसीलिए समय-समय पर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है।

पंजाब, हरियाणा और अन्य जगहों के बारे में जिक्र किया गया था। संभवत: इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि पंजाब में गेहूं उत्पादन के लिए बोनस दिया गया था। इस बात के

[श्री अनादि साहू]

मद्देनजर कि किसान परेशानी में न पड़े मक्का, कपास, गेहूं, धान, तिलहन और कई अन्य अनाजों पर सब्सिडी दी जाती है। सब्सिडी यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती है कि किसान कठिनाई में न पड़े।

जहां तक ऊर्जा क्षेत्र का सवाल है, वे कौन से सब्सिडी हैं जिन्हें इसलिए दिया जा रहा है ताकि छोटे या सीमांत किसान परेशानियों में न पड़े। बिजली की दर कीमत और प्रणाली पर निर्भर करती है। प्रणाली के अंतर्गत ट्रांसमिशन और अन्य बातें आतीं हैं; इसकी विवेचना करना मैं आवश्यक नहीं समझता। कीमत और प्रणाली ऐसी चीजे हैं जिनसे बिजली की दर बढ़ सकती है। किन्तु यह देखा गया है कि विगत दो वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार कर्मियों के सामूहिक प्रयास से कृषि क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बहुत अच्छी रही है और दूसरे क्षेत्रों के लिए 242.85 पैसे प्रति यूनिट की अपेक्षा किसानों के लिए बिजली की दर सिर्फ 29.66 पैसे प्रति यूनिट है। आप किसी भी रूप में तुलना करके देख सकते हैं। किसानों को बिजली पर सब्सिडी दी जा रही है ताकि उन्हें बिजली उपलब्ध हो तथा वे अपने खेतों की सिंचाई कर सकें।

कृषि के लिए बिजली की तीन प्रकार की दरें हैं। इसका वर्णन बहुत विस्तृत है और मैं यहां इसे आवश्यक नहीं समझता हूं। किन्तु इसे प्रयोग में लाया जा रहा है ताकि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध हो सके। तमिलनाडु और पंजाब सरकारों ने किसानों को बिल्कुल मुफ्त बिजली दी है और कई अन्य राज्य इस पर सब्सिडी देते है। करीब-करीब सभी राज्य इस पर सब्सिडी देते है। यद्यपि कि बिजली राज्य का विषय है और इसकी दर राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा तय होनी चाहिए, भारत सरकार अपने विवेक से राज्य सरकारों को राय देती रही है कि वे किस प्रकार किसानों को बिजली की आपूर्ति करे। इसलिए यह कहना कि किसान भारत सरकार से मदद नहीं पा रहे हैं, उचित नहीं है। भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की चर्चा करते समय सम्पूर्ण भारत को ध्यान में रखना चाहिए।

भारत में विगत दो वर्षों के दौरान तीन क्रांतिकारी कार्य हुए हैं। जहां तक किसान और कृषि का संबंध है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सम्मिलित प्रयास से हम जीन रिवोल्यूशन लाने तथा कृषि हेतु नए तरीके और नये उत्पाद विकसित करने में समर्थ हुए हैं।

मैडेम गांधी बीजों का उल्लेख कर रही थी। हमने संकर बीज और अधिक उत्पादन देने वाली प्रजाति के बीजों को तैयार करने में काफी उन्नति कर ली है। इन्हें उपलब्ध कराया जा रहा है। अधिक उत्पादन क्षमतावाली प्रजाति के बीजों को खरीदने, उत्पादित करने और उनके वितरण हेतु राज्य सरकारों को निगम बनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतएव मेरी समझ में यह कहना कि बीजों और उनके वितरण पर यथोचित ध्यान नहीं दिया गया है, सही नहीं है। जैसाकि मैंने कहा कि इस सरकार के विगत दो वर्षों के शासनकाल में तीन क्रांतिकारी कार्य हुए हैं।

पहला जीन रिजवोल्यूशन; दूसरा सूचना एवं संचार क्रांति। हमने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी विधेयक पारित किया है। किसी भी विकास के लिए चाहे वह कृषि क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, शिक्षा क्षेत्र हो अथवा कोई और क्षेत्र हो, सूचना एवं संचार अति महत्वपूर्ण हैं। सूचना और संचार के क्षेत्र में हम बहुत लम्बी छलांगे लगा रहे हैं ताकि भारत इस संदर्भ में सबसे आगे रहे। मैं समझता हूं कि भारत सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत निश्चित रूप से सबसे आगे है।

तीसरी क्रांति इको-टेक्नोलॉजी है जिसके पारम्परिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी का बेहतर समन्वय है। हम हमेशा से कहते आ रहे हैं कि हमें बाहरी विचारों के साथ-साथ स्वदेशी को भी अपनाना चाहिए। इसलिए यह समन्वय उचित तरीके से किया जा रहा है ताकि हमारे किसानों को परेशानी न हो।

[अनुवाद]

अब, मैं श्रीमती गांधी द्वारा स्थगन प्रस्ताव पर दिए गये भाषण में उल्लिखित मुद्दों पर आता हूं। उन्होंने उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पड़े सूखे, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में आई बाढ़ और नारियल पौधों पर लगे कीड़े का उल्लेख किया है। और जो पैनी टिप्पणी की गई है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार से कोई सहानुभूति नहीं मिली। मुझे लगता है यह उचित कथन नहीं है। भारत सरकार सभी प्रकार की सहायता प्रदान करती ही है। उड़ीसा में आए चक्रवात का ही उदाहरण लें। चक्रवात सर्वप्रथम मेरे जिले गंजम में आया। प्रधान मंत्री उस स्थान पर तत्काल पहुंचे। उन्होंने न केवल 50,000 रुपये मृतकों के परिवारों को दिये बल्कि उस समय की उड़ीसा सरकार को 500 करोड़ रुपये भी दिए, जिनमें से गुजारे के लिए 250 करोड़ रुपये अग्रिम धनराशि दी गई और 250 करोड़ रुपये चक्रवात से पीड़ितों की राहत के लिए थी। मैंने इसका विरोध किया था। मैंने प्रधान मंत्री से पूछा था कि गुजारे के लिए वे अग्रिम धनराशि क्यों दे रहे हैं और मैंने उन्हें बताया था कि 500 करोड़ रुपये की समग्र राशि गंजम जिले और खुर्दा जिले के प्रभावित हिस्सों को दिया जाना चाहिए। इस पर प्रधान मंत्री का कथन था कि उस समय सरकार कंगाल थी। उन्होंने यह बात कई तरह से नहीं कही थी। उन्होंने 'कंगाल' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उस समय सरकार के पास प्रशासन चलाने के लिए पैसा नहीं था। यदि हम, 250 करोड़ रुपये 5500 करोड़ रुपये की

राशि चक्रवात राहत राशि के रूप में नहीं देंगे तो यह राशि कर्मचारियों के वेतन देने में समाप्त हो जाएगी। अब, आप प्रधान मंत्री के दुःख का अंदाजा लगा सकते हैं जो उन्होंने गंजम जिलों और उड़ीसा के संपूर्ण तटीय क्षेत्र के लोगों के लिए महसूस किया होगा। राशि दी गई है। यदि राहत संबंधी कार्य पूरा नहीं किया गया तो, यह केन्द्रीय सरकार की गलती नहीं है। कोई भी यह नहीं सोच सकता कि केन्द्रीय मंत्री, जिनमें प्रधान मंत्री शामिल है, उड़ीसा और अन्य प्रभावित राज्यों में जाए और वहां के कार्य का आरंभ करें। यह राज्य सरकार का काम है कि वह कार्य को आरंभ करे। उन्हें ही इसे आरंभ करना है। उन्हें इसके लिए धनराशि दी जा चुकी है। पश्चिम बंगाल के लिए, 200 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि एक ही किश्त में दी जा चुकी है। अब तक कितना कार्य किया गया है? एक माननीय मंत्री कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ मानव-निर्मित है। शायद? परंतु मैं किसी विवाद में फंसना नहीं चाहता ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे बोलने दीजिए। माननीय सदस्य अपना प्रतिवाद बाद में कर सकते हैं। परंतु मुझे अपना भाषण देने दीजिए। यह देखा जा सकता है कि बाढ़-प्रभावित लोगों को निधि एक ही बार में दी गई ताकि उन्हें कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। कृषि की उपेक्षा करने का प्रश्न ही नहीं है क्योंकि कृषि हमारे देश का मूल आधार है। हमारी जनसंख्या का लगभग 75 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है। जब 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हो तो, यह नहीं कहा जा सकता कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। फसल बीमे के मामले को ही लें ...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): अब तक कुछ भी नहीं दिया गया ...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा): कृपया मेरे वक्तव्य में व्यवधान न डालें ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। माननीय सदस्य तब उत्तर दे सकते हैं जब उनके बोलने का मौका मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू : कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए। उन्हें मेरे भाषण में व्यवधान मत डालने दीजिए ...*(व्यवधान)* मैं दबाव में नहीं आने वाला मुझे जो कुछ पता है वह मैं कहूंगा। यदि उसमें कुछ गलत है तो, सदस्यों को यह आजादी है कि वे उचित समय पर इसका प्रतिवाद कर सकते हैं। इसलिए, किसी भेदभाव का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। फसल बीमा अभी भी जारी है ...*(व्यवधान)* जैसा कि मैंने पहले कहा है, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर उचित और व्यवस्थित ढंग से कार्य किया जाता है। वे लोग, जिनकी सरकारें इसे लागू करने के लिए कुछ नहीं करती वे ही इस सभा में स्थगन प्रस्ताव ला रहे है जिसकी निंदा की जानी चाहिए।

हमें हमारे देश की आज की परिस्थिति पर विचार करना चाहिए, आज जहां 210 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हो रहा है। मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ रहा है। तिलहन का उत्पादन बढ़ रहा है। मुझे लगता है, विपक्ष की नेता ने अपने भाषण में कहा है कि तिलहन बीजों का उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। मेरे पास एक किताब है उसमें यह लिखा है कि 2001 में तेल बीजों को निर्यात किया जा सकेगा क्योंकि इसके अच्छे उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है।

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, मैं यह कहता हूं, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह एक ऐसी खोखली बात है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। हम सबको एक होना चाहिए। कृषि के मामले में, हमें सार्थक प्रयास करने चाहिए। विकास हेतु समर्थन की सुहावनी समीर के साथ हम इस राज की सुन्दर धुन सुनते है।

[हिन्दी]

श्री महबूब जाहेदी (कटवा): मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहां बोलने के लिए मौका दिया है। आज हिन्दुस्तान के 75 प्रतिशत किसान मौत के किनारे पर खड़े हुए हैं और आप लोग जो उधर बैठे हुए हैं, ऐसी बात बोल रहे हैं जैसे आप लोग गांव के लड़के नहीं हैं और आप लोग कुछ जानते ही नहीं हैं कि क्या हालत हो रही है। पूरे हिन्दुस्तान में आप लोगों ने जय किसान-जय किसान का नारा दिया था, लेकिन अब किसान की ऐसी हालत हुई कि एकाध आदमी नहीं, बल्कि सात से ज्यादा किसानों को आज आत्महत्या करनी पड़ी। अब देखना है कि आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। आपने जो किया है, वह हम बताना चाहते हैं। इससे आपको पता लग जायेगा कि दूध के पाउडर के दाम 100 रुपये से 60 रुपये किलो कर दिया, देसी घी का दाम 160 रुपये से 100 रुपये किलो कर दिया। काफी का दाम 50 रुपये से 30 रुपये पर ले आये। मिर्च का दाम 2600 रुपये से 1300 रुपये ले आये। जो खाने का नारियल होता है, जिससे तेल बनता है, वह 10 रुपये का था, उसको दो रुपये पर ले आये। आज किसान को शुकरकेन का भाव नहीं मिलता है, चीनी का दाम नहीं मिलता है और सब कुछ बाहर से ले आते हैं। आप पाम आयल ले आये हैं, 40 हजार करोड़ की विदेशी मुद्रा खर्च करके और सोयाबीन ऑयल ले आये हैं और यहां वही बेच रहे हैं। अब इसके बाद हमारे कड़वे तेल का क्या होगा, सरसों का क्या होगा, सरसों का तेल निकालने के कारखाने का क्या होगा, वे सब बन्द होने जा रहे हैं। सोयाबीन तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन वह भी ला रहे हैं, पनीर ला रहे हैं, दूध

[श्री महबूब जहेदी]

भी ले आयेंगे, उसको कंडेंस्ड मिल्क बोलेंगे, सेमी कंडेंस्ड मिल्क बोलेंगे और ऐसा बोलकर आप उसे ला रहे हैं। यह सब आपने कब शुरू किया था, जब कंधार में आपका एयरोप्लेन उतर गया था, तब हम सब लोग बहुत बेचैन थे, उस समय अमेरिका के कामर्शियल डिपार्टमेंट के समर इसारल और आपके यहां के कामर्शियल डिपार्टमेंट के एन.एन. खान, दोनों ने बैठकर चिट्ठी के जरिये ऐसा कर दिया कि 714 चीजों पर से आयात नियंत्रण उठ गया।

आपने आयात शुल्क कई चीजों पर खत्म कर दिया। यह सरकार बहुत कमजोर है। पाकिस्तान में दूध पर 200 प्रतिशत टैक्स है, जो आयात होता है, इसी तरह बंगलादेश में 100 प्रतिशत टैक्स है। लेकिन हमारे यहां शून्य से थोड़ा ऊपर है। आपने ग्लोबलाइजेशन शुरू किया है। आप जानते हैं कि इससे किसान की क्या हालत हो रही है। आप सब्सिडी खत्म करते जा रहे हैं, अनुदान खत्म कर रहे हैं। यूरोपीयन यूनियन दूध पर 760 यू.एस. डालर का अनुदान देती है, यू.एस.ए. 706 डालर का देती है। लेकिन आपने खत्म कर दिया है। आपने कहा कि इससे दूध का निर्यात होगा, लेकिन आयात हो रहा है। आप चाहते भी हैं कि आयात ज्यादा हो, भले ही किसान मरे या जहन्नुम में जाए।

आपने खेत मजदूर के लिए कुछ नहीं किया। उनकी भलाई के लिए कोई एक्ट नहीं बनाया। आपने नेशनल पालिसी बनाई है कि विदेशी कम्पनीज और सामान यहां आए। इसके सिवा और कुछ नहीं किया। आपको कर्ज नहीं मिल रहा है। देश में 50-60 से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। तम्बाकू पैदा करने वाले, कपास पैदा करने वाले, गन्ना पैदा करने वाले मर रहे हैं। अब चावल पैदा करने वालों का भी नम्बर आ रहा है। आप बाहर से चावल मंगा रहे हैं। आपके मंत्री मुरासोली मारन साहब बोलते थे कि सिएटल में यह बहुत मुश्किल है।

[अनुवाद]

"सीटल समझौते के बाद, जो प्रश्न पूरे विश्व में गूंज रहा है क्या वैश्वीकरण अधिक दूर तक पहुंच गया है? यह भावना बढ़ रही है कि जिस निर्णय का लाखों नागरिकों , किसानों को और नुक्कड़ पर बैठ छोटे दुकानदार के दैनिक जीवन पर असर पड़ा है और श्रम शक्ति को हमारे राष्ट्रीय संसदीय संस्थानों से खीच कर उन्हें असंतुलित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों की अनिश्चित स्थिति के आधीन नहीं किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

अगर ऐसा किया तो किसान खत्म हो जाएगा। आपने 714 वस्तुओं पर टैक्स खत्म कर दिया। अप्रैल से और वस्तुओं पर भी खत्म करने जा रहे हैं। कुल मिला कर ऐसी 1429 वस्तुएं हो जाएंगी। अब तो चिकन परोसने के लिए भी विदेशी कम्पनीज आ गई हैं और ब्लैक मीट भी बाहर से आ रहा है।

आपने इरीगेशन के लिए कुछ नहीं किया। देश में एक तरफ सूखा है तो दूसरी तरफ बाढ़ आई हुई है। बंगाल में 1500 के ऊपर लाशें उठाई गई थीं। कितनी जमीन गई, कितने घर उजड़ गए, इसका कोई अनुमान नहीं है। दूसरी तरफ देश में सूखा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में और गुजरात में भयंकर सूखा पड़ा था।

वहां सूखा शुरू हो गया तो सूखा में वहां मरेंगे और बाढ़ में यहां मरेंगे। अभी तक इस बारे में सरकार ने जो नीतियां बनाई हैं, उनके बारे में आपको सोचना पड़ेगा और मल्टी नेशनल्स को रोकना पड़ेगा। बीजों के बारे में क्या किया गया है, बीज भी नहीं दे रहे हैं। वे वहां से आकर यहां ऐसा बीज बनाएंगे जो एक बार यूज होगा और बीजों से अगर कोई खराब चीज उड़कर चली जाये और मेरी जो कंवेंशनल जगह है, यदि वहां चली जाये तो वह जमीन भी बर्बाद हो जाएगी, यह आपको सोचना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* अभी पीडीएस का क्या होगा? डीजल के दाम का क्या होगा? मेरी दीदी कहां पर हैं? ...*(व्यवधान)* दीदी आज नहीं हैं।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : मैं तो हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महबूब जहेदी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महबूब जहेदी : बात यह है कि डीजल और पैट्रोल का क्या होगा? गैस में दस रुपया कम कर दिया है और केरोसिन ऑयल में एक रुपया कम कर दिया है। केरोसिन ऑयल जो कि हिन्दुस्तान के गरीब आदमी, खेतिहर मजदूर जलाते हैं, केवल एक रुपया कम कर दिया गया है। लेकिन डीजल का क्या होगा जो किसान की सबसे बड़ी चीजें हैं?

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : वैस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स ये लोग लेते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वे आपकी बात नहीं मान रहे है। यदि वे आपकी बात नहीं मान रहे है तो उनके भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री महबूब ज़ाहेदी : अभी खाद में सब्सिडी घटाई जा रही है। जो खाद का कारखाना था, वह बंद है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी के दो मिनट हैं।

श्री महबूब जाहेदी : मैं समाप्त कर रहा हूं। तीस तारीख को पूरे हिन्दुस्तान के कोने-कोने से गरीब किसान और खेतिहर मजदूर दिल्ली आ रहे हैं और आपके चारों तरफ रहेंगे और जो सच्चाई है, वह बोलेंगे। हम जितने भी सांसद सदन में हैं, कौन किसान हैं और कौन किसान नहीं हैं, यह बात हम नहीं सोच रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करता हूं कि जो गरीब किसान, खेतिहर मध्यम वर्गीय मजदूर तीस तारीख को दिल्ली आ रहे हैं, आप मेहरबानी करके उनको पूछ लीजिए कि यह क्या हालत है और जो एडजर्नमेंट मोशन दिया गया है, मैंने भी दिया है, उसकी क्या सच्चाई है, वह आपको मिल जाएगी, यही मेरी आपसे अर्ज है। हिन्दुस्तान की, देश की अर्थ-व्यवस्था की तथा आजादी की क्या हालत है, उसको देखते हुए किसान की क्या हालत होगी, यह आप सोच सकते हैं। इतना ही बोलकर मैं मोशन को पास करवाने के लिए अर्ज करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. वेंकटेस्वरलु आपकी पार्टी को 12 मिनट का समय मिला है। यदि आप सारा समय लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): उपाध्यक्ष महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम इस संकट की घड़ी में इस देश के किसानों के वाजिब हकों के बारे में चर्चा कर रहे है। पूरे देश में लगभग सभी राज्यों में, कृषि उत्पादों के मूल्यों में अभूतपूर्व गिरावट है। कृषि के इतिहास में कृषि उत्पादों के मूल्यों में इतनी गिरावट कभी नहीं आई, यह गिरावट केवल किसी एक विशेष फसल के मूल्यों में नहीं आई। अपितु कई महत्वपूर्ण फसलों के मूल्यों में आई है, विभिन्न राज्यों में लोगों का अस्तित्व कुछ फसलों पर ही निर्भर है ...*(व्यवधान)*

महोदय, मेरा निवेदन है कि सभा में शांति बनाई रखी जाए क्योंकि हम इस देश के किसानों के बारे में बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे है। मेरा मानना है कि यह मुद्दा किसी राजनीतिक दल से संबंधित न होकर देश के किसानों से संबंधित है। यह बहुत ही विरोधाभासी स्थिति है कि जहां एक ओर देश की एक तिहाई जनसंख्या के लिए खाने के लिए भोजन नहीं है और दूसरी ओर हम अक्सर चर्चा करते हैं और मीडिया में देख रहे हैं कि हमारे गोदाम खाद्यान्नों से भरे पड़े है। किन्तु अन्ततः परिणाम क्या है? किसानों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। उत्पादन लागत लगातार बढ़ रही है। आप फसल उगाने के लिए अपेक्षित किसी भी अवयव पर विचार कर सकते है। श्रमिकों की मजदूरी से लेकर बीजों उर्वरक, कीटनाशक डीजल तक सभी की कीमतों में वृद्धि हो रही है। किसी भी आदान में कोई छूट नहीं है। ऐसा कोई भी मद नहीं है जिसके मूल्यों हो में गिरावट आई हो। विगत छः-सात वर्षों से इनके मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही कृषि उत्पादों के मूल्यों में गिरावट आई है। इन दो क्षेत्रों अर्थात् आदानों की लागत और उत्पादों के मूल्यों में कोई समानता नहीं है। इस विशेष स्थिति में सरकार को किसानों की वास्तविक दशा पर विचार करना चाहिए और इस संबंध में कदम उठाने चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या सरकार द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त है या नहीं और यदि नहीं है तो वास्तव में क्या किया जाना चाहिए। महोदय, स्थिति यह है। अतः इन विशिष्ट दशाओं में हम सारी समस्या के तीन पहलुओं में बांट सकते हैं। पहला, फसल का उत्पादन, दूसरा पैदावार और मूल्य और तीसरा राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की नीतियां या वे मूल्यों को किस प्रकार कम कर रहे हैं और उनका किसानों पर क्या प्रभाव है जैसे मुद्दों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना।

अतः यदि हम इन बातों पर विचार करें तो स्थिति स्पट हो जाएगी। मैं समय की कमी के कारण इसकी विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। प्रश्न यह है कि विभिन्न फसलों की उत्पादन लागत में प्रतिवर्ष सात से बीस प्रतिशत की वृद्धि हो रही है।

दूसरा, ऋण के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि 1969 और 1980 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की शर्तों और विशेष दिशानिर्देशों के बावजूद कोई भी राष्ट्रीयकृत बैंक इन दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं कर रहा है। किसी बैंक द्वारा कृषि क्षेत्र को 18 प्रतिशत ऋण देने के लक्ष्य को कभी भी पूरा नहीं किया गया है। इस बारे में इस सम्माननीय सभा में कई बार चर्चा की गई किंतु फिर भी ऐसा नहीं किया गया। राष्ट्रीयकृत बैंकों से कृषि क्षेत्र को कुल औसत ऋण 13-14 प्रतिशत मिलता है और कुछ मामलों में यह इससे भी कम है। ऋण की शेष आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसानों को महाजनों के पास जाना पड़ता है जो बहुत ऊंजी ब्याज दर पर ऋण देते है। इस स्थिति में सुधार नहीं किया गया है।

इसके अलावा किसानों को घटिया किस्म के बीजों, कीटनाशकों और उर्वरकों की आपूर्ति की जाती है। हाल ही में इस सभा ने कीटनाशी अधिनियम में संशोधन किया है। बाजार में अच्छे और असली कीटनाशक उपलब्ध नहीं है। विशेष रूप से आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में कीटनाशकों की खपत काफी अधिक है। देश

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

कीटनाशकों के कुल उत्पादन के सात प्रतिशत की खपत आंध्र प्रदेश में होती है। वहां काफी मात्रा में नकली कीटनाशकों की आपूर्ति की जाती है। अधिनियम और उसके प्रावधान इस स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है। ये इस स्थिति में न्याय नहीं करते है। जहां तक कपास का मामला है। राज्य में कपास के घटिया बीजों की आपूर्ति की जाती है। अक्सर यह सुनने में आता है कि कपास उत्पादक आत्महत्या कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण उन्हें आपूर्ति किए गए घटिया व नकली बीज है। बीज बोने के बाद उसकी असलियत का पता फसल तैयार होने पर ही चलता है। जब तक सरकार अपनी नीतियों के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी, किसान इस स्थिति को नहीं सुधार सकते है। बीज (संशोधन) विधेयक लम्बित पड़ा है। इसके प्रावधानों को कठोर बनाया जाना चाहिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारों का प्रयोग करने वाली एजेंसियों को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

विरोधाभासी स्थिति यह है कि देश में अनुसंधान और विस्तार स्कन्धों के बीच उचित तालमेल नहीं है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी स्थिति व्याप्त है। इस देश में तकनीकी जानकारी की कमी नहीं है। देश में प्रतिभावान, अनुभवी और सक्षम कृषि वैज्ञानिक है। हमारे देश में अनेक प्रकार की प्रौद्योगिकी का विकास किया जा रहा है। जहां तक कृषि प्रौद्योगिकी का संबंध है, हम 54 देशों को इसका निर्यात कर रहे है। दुर्भाग्यवश इस देश में विकसित प्रौद्योगिकी किसानों तक नहीं पहुंच रही है। इस प्रकार हमारे देश में समृद्ध अनुसंधान आधार है और कमजोर व खस्ताहाल विस्तार स्कन्ध है। मेरा प्रश्न यह नहीं है कि क्या यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है या केन्द्र सरकार की। यदि केन्द्र सरकार कहती है कि विस्तार कार्य राज्य सरकार का विषय है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूं। अनुसंधान स्कन्ध और विस्तार स्कन्ध के बीच समन्वय स्थापित करना अन्ततः केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है। अक्सर हम कहते हैं कि विस्तार कार्य राज्य सरकार का दायित्व है। दुर्भाग्यवश इस समय मैं एक बात का उल्लेख करता हूं कि महान कृषि वैज्ञानिक डा. परोदा को हटा दिया गया है। मैं नहीं जानता कि इस सरकार को क्या हो गया था। किंतु सत्य यह है कि डा. परोदा को सेवा से हटा दिया गया है। यह शर्मनाक बात है कि एक उच्च योग्यता प्राप्त और प्रतिभावान वैज्ञानिक को सेवा से हटा दिया गया है। इसने देश के सभी कृषि वैज्ञानिकों को हतोत्साहित किया है।

यह एक स्वागतयोग्य कदम नहीं है। मेरे विचार से भारत सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या कृषि वैज्ञानिकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। इसके विपरीत मेरा सुझाव है कि कृषक समुदाय को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाए। ऐसे पुरस्कार डा. एम.एस. स्वामीनाथन और डा. आर.एस. परोदा जैसे वैज्ञानिकों को दिए जाने चाहिए। उन्हें पुरस्कृत करने के बजाए उन्हें झूठे बहानों पर पद से हटा दिया गया। यह वास्तव में देश के लिए शर्मनाक है।

हमारे यहां प्राकृतिक आपदाओं को निश्चित मान लिया जाता है। यहां आदान उपलब्ध है, फसल उगाई जाती है किंतु प्राकृतिक आपदाएं सब कुछ नष्ट कर देती हैं। ये किसानों का खून चूस रही हैं। कृषि उत्पादों का मूल्य नियत करते समय हमें इस पहलू को ध्यान में रखना होगा। कृषि मूल्य आयोग को भी इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं किस प्रकार किसानों को तबाह कर रही है।

मैं केवल पांच मिनट लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई यह है कि आवंटित समय

...(व्यवधान)

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): उन्हें हमारी पार्टी को आवंटित पूरा समय लेने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आपकी पार्टी को आवंटित पूरा समय ले लिया है।

श्री के. येरननायडू : इस संबंध में आंध्र प्रदेश गंभीर समस्या का सामना कर रहा है *...(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, मैं मुश्किल से पांच मिनट और लूंगा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : वाद-विवाद में भाग ले रहे कृषि मंत्री के अलावा यदि वित्त मंत्री भी सभा में उपस्थित होते तो उचित होगा *...(व्यवधान)* मैं नहीं जानता *...(व्यवधान)* वित्त मंत्री को भी सभा में उपस्थित रहना चाहिए था *...(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : महोदय, जहां तक कृषि का संबंध है, आप 100 के इतिहास को देखें। 97 वर्षों से फसलों का नुकसान हो रहा है। चार साल में एक बार फसल नष्ट हो जाती है। किंतु कृषि उत्पादों का मूल्य नियत करते समय इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है। कृषि उत्पादों का मूल्य नियत करते समय वास्तविक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाता है। इससे भारतीय किसानों को धक्का पहुंचता हैं।

इस सभा में फसल बीमा के मुद्दे पर कई बार वाद-विवाद किया गया। कृषि उत्पादों के मूल्यों का परिकलन करते समय गांव को एक इकाई माना जाना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं किया गया।

फसल बीमा योजना में संशोधन किया जाना चाहिए। एक व्यापक फसल बीमा योजना बनाकर इसे लागू किया जाना चाहिए।

मूल्यों के मुद्दे पर पुन: आते हुए, जैसा मैंने पहले कहा है कि मूल्य नियतन वास्तविक आधारों पर नहीं किया जाता है। कई आवश्यक बातों को ध्यान में रखा जाना कृषि मूल्य आयोग में कोई असली किसान प्रतिनिधि नहीं है इसलिए वास्तविक आकलन नहीं किया जाता है।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में समन्वय का अभाव है। विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय न होने के कारण यह विशिष्ट स्थिति पैदा हो रही है। कृषि मंत्रालय कह रहा है कि हमें अधिक उत्पादन करना होगा। वाणिज्य मंत्रालय कृषि मंत्रालय के साथ किसी प्रकार का समन्वय बनाए बिना आयात कर रहा है। हम नहीं जानते कि इस विशेष स्थिति में किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जाए। खाद्य मंत्रालय इन दो मंत्रालयों के साथ समन्वय नहीं कायम कर रहा है और उर्वरक मंत्रालय इन तीन मंत्रालयों के साथ समन्वय नहीं बना रहा है। क्या इन चार-पांच मंत्रालयों के बीच कोई समन्वय है? अन्तत: यही चार-पांच मंत्रालय ही किसानों के कल्याण के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन कृषि समुदाय पर इस विशेष मामले में उचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

प्रथम योजना के दौरान कृषि के लिए कुल 34.5 प्रतिशत बजट का विनियोग किया गया था। अब यह घटकर 19 प्रतिशत हो गया है। धीरे-धीरे भारतीय कृषि के साथ इस प्रकार बर्ताव किया जाने लगा है। आप कह सकते हैं कि इस देश में कृषि का क्षेत्र उपेक्षित है। इसे ठीक करने की जरूरत है। यह इतना हल्का विषय नहीं है। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण पहलू है। भारतीय कृषि को उचित गति देने की आवश्यकता है।

अपराह्न 3.00 बजे

आज क्या हो रहा है? एक तरफ किसान शोर मचा रहे हैं कि उनके उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जबकि दूसरी तरफ सरकार दूसरे देशों से अनेक वस्तुओं का अंधाधुंध आयात कर रही है। पिछले सप्ताह मैं केरल गया था। वहां नारियल किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने बताया कि खोपरा के मूल्य गिर गए हैं। इसके क्या कारण हैं? इसका कारण यह है कि सरकार दूसरे देशों से अनेक वस्तुओं का आयात कर रही हैं।

भारत की तुलना में मलेशिया में ताड़ के तेल की उत्पादन लागत पूर्णत: अलग हैं। हाल ही में, चार या पांच वर्ष पहले केन्द्र सरकार ने ताड़ के तेल के उत्पादकों को सब्सिडी दिया था। उन्होंने ताड़ के पेड़ लगाने को प्रोत्साहन दिया था और अब वे फसल के लायक तैयार हो गए हैं। अब स्थिति यह हो गई है कि वही किसान ताड़ के पेड़ों को उखाड़ने के लिए तैयार हो गए हैं क्योंकि ताड़ का तेल मलेशिया एवं अन्य देशों से सस्ती दर पर आयात किया जा रहा है। इस देश को यह जान लेना चाहिए कि यदि उसे दूसरे देशों पर निर्भर बनाया जाता है तथा यूरिया एवं अन्य वस्तुएं जो कि खेती में प्रयोग की जाती हैं का आयात जारी रखा जाता है तो किसान बहुत कठिनाई में पड़ जाएंगे। वे घरेलू उत्पादन को बनाए रखने की स्थिति में नहीं रहेंगे।

अब मैं सरकार द्वारा विचार करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पहला यह कि भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दूसरे, भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाजों की खरीद के लिए गुणवत्ता विनिर्दिष्ट में छूट होनी चाहिए।

वर्तमान में दी जा रही छूट पर्याप्त नहीं है। यदि किसी विशेष राज्य में राजनीतिक कारण सहित विभिन्न कारणों से, क्योंकि कोई छूट की मांग कर रहा है, छूट दी जाती है तो वह ठीक नहीं है। इसे सभी राज्यों में समान रूप से दिया जाना चाहिए। मटमैले, कच्चे, टूटे, धूमिल, अंकुरित, घुने हुए चावल के लिए छूट 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत कर दी जानी चाहिए। नमीयुक्त धान एवं चावल के लिए यह छूट 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तथा ऐसे चावलों जिसमें कचड़ा इत्यादि भी हो के लिए 1.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया जाना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम चावल खरीदने के बजाए धान की खरीददारी सीधे किसानों से कर सकता हैं, जैसा कि पंजाब राज्य में किया जा रहा है।

मैं गोदामों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। भंडारण की जो सुविधा इस समय उपलब्ध है वह 1980 के वर्षों में बनाई गई थी। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम ने कोई गोदाम नहीं बनाया है। इसलिए वे कह रहे हैं कि वर्तमान में गोदामों में भंडारण के लिए स्थान नहीं है। अत: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकार के समस्त भंडार भारतीय खाद्य निगम को सौंप दिए जाएंगे ताकि नई खरीद का कार्य कर सकें। यदि खरीद के कार्य में और देरी की जाएगी तो बाजार में माल की अधिकता हो जाएगी क्योंकि नई फसल पहले ही तैयार हो चुकी है तथा दूसरी नई फसल की बुवाई हो रही है।

इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश राज्य में 142 लाख टन धान का उत्पादन हुआ है। पिछले वर्ष का 30 से 40 लाख टन धान अभी पड़ा हुआ है। कुल योग मिलाकर 180 लाख टन हो गया। लेकिन पिछले वर्ष भा.खा.नि. ने कितनी खरीददारी की? पिछले वर्ष

[प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु]

भा.खा.नि. ने वादा किया था कि वह 46 लाख टन की खरीद करेगा लेकिन हमारी मांग पर उसने 55 लाख टन की खरीद की। इस वर्ष भी उसने आंध्र प्रदेश से 55 लाख टन की खरीद करने को कहा है। यह कार्य अविलम्ब किया जाना चाहिए। यदि खरीद का कार्य तेज नहीं किया जाता है तो किसानों को बाध्य होकर बिक्री करनी पड़ेगी। इसी प्रकार की स्थिति मक्का, सोयाबीन और मूंगफली की भी है। यदि ताड़ के तेल का आयात दूसरे देशों से किया जाएगा तो इससे न केवल ताड़ के तेल के उत्पादक प्रभावित होंगे बल्कि इससे मूंगफली के तेल, नारियल के तेल एवं अन्य खाद्य तेलों के उत्पादक भी प्रभावित होंगे।

अन्ततः मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि विश्व व्यापार संगठन की नीतियां जो कि 1.4.2001 से लागू की जाने वाली हैं, स्थगित नहीं की जाती हैं या उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे भारतीय कृषि बर्बाद हो जाएगी। यदि विकसित देशों और विकासशील देशों के बीच एक समान नीति नहीं बनाई जाती है तो विश्व व्यापार संगठन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो इसके बाद आयात शुल्क को बढ़ाना होगा। आज ताड़ के तेल पर आयात शुल्क 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसे बढ़ाकर 90 प्रतिशत किया जाना है। तभी एकरुपता आ सकेगी। विश्व व्यापार संगठन में एक प्रावधान किया गया है। कुछ बाधायें भी हैं। यदि हम इस स्थिति के अनुसार कार्य करने को तैयार नहीं होंगे, भारतीय किसान खतरनाक स्थिति में होंगे। हम भारतीय किसानों के साथ बहुत अन्याय करेंगे। सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उसे कोई अलग दृष्टिकोण नहीं रखना चाहिए। उन्हें उत्पादन, निर्यात एवं अन्य निवेशों पर अलग-अलग से विचार नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से यह अनुरोध करता हूं कि इस पर और उचित ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी तरह, न्यूनतम समर्थन मूल्य, चाहे यह बाजार में हस्तक्षेप के द्वारा या भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाए, की गारंटी दी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो. वेंकटेस्वरलु, कृपया बात समाप्त करें।

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : यदि एक बार आप किसी वस्तु के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दें तो इसका अर्थ है कि सरकार इसको किसी भी कीमत पर खरीदेगी। इस तरह का प्रावधान किया जाना है।

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): महोदय, वह प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध?

उपाध्यक्ष महोदय : अब, श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री अनिल बसु (आरामबाग): महोदय, मैं व्यवस्था संबंधी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अधीन आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

श्री अनिल बसु : आप कृपया, मेरी बात सुनें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुन रहा हूं। आप नियम बताएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय नहीं है। कृपया व्यवधान न डालें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री अनिल बसु : केन्द्र सरकार के अनेक मंत्रालयों का संबंध किसानों से है। अब, वह कौन सा मंत्रालय है जो कि इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है?

उपाध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न नियम के अनुकूल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस (त्रिचूर): महोदय, उन्होंने अपनी बात पूरी नहीं की है। उन्होंने यह नहीं कहा है कि वे प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या नहीं। हम यह बात उन्हीं से सुनना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री रामजीलाल सुमन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया, आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस, मैंने श्री सुमन जी को बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने कह दिया है कि व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन आप पुन: इस पर जोर दे रहे हैं।

श्री अनिल बसु : महोदय, आप सरकार को निर्देश दें।

उपाध्यक्ष महोदय : निर्देश देने संबंधी कोई कार्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस : प्रो. वेंकटेस्वरलु जी ने अंतिम रूप से यह नहीं बताया है कि वे प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं या विरोध।

उपाध्यक्ष महोदय : वह समर्थन कर रहे हैं या विरोध, यह उनकी अपनी इच्छा है।

श्री ए.सी. जोस : लेकिन आपने उनको बैठने के लिए कहा है। वह उसके बारे में बताना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं नहीं पूछूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : वह नहीं बताना चाहते हैं।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): निर्णय रोक लिया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जोस जी, हम सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

[हिन्दी]

रामजी लाल जी, आपकी पार्टी को 12 मिनट मिले हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, हम यहां किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आजादी के बाद किसानों और कृषि को जो संरक्षण मिलना चाहिये था, वह संरक्षण किसानों और कृषि को नहीं मिला। अभी कुछ समय पहले कृषि मंत्री ने नई कृषि नीति की घोषणा की थी लेकिन पिछले दस वर्षों से यह सरकार बगैर किसी नीति के चलती रही अर्थात् कोई कृषि नीति नहीं थी। इससे लगता है कि सरकार को खेती के प्रति जो लगाव होना चाहिये था, किसानों के प्रति जो हमदर्दी होनी चाहिये थी, वह सरकार में हमदर्दी नहीं रही।

अपराह्न 3.09 बजे

[**डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय, 1994-95 में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 5 प्रतिशत था जो अब घटकर 1.3 प्रतिशत रह गया है। आज किसानों की दुर्दशा का मूल कारण यह है कि किसान उत्पादन के लिये जिन चीजों का प्रयोग करता है, वे साधन उसे उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।

उत्तर प्रदेश में ही अभी सूखा पड़ा लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिकांश ब्लॉक्स को डार्क घोषित कर दिया गया। कोई किसान अगर बिजली का कनैक्शन लेना चाहे सिंचाई के लिए तो उसको बिजली का कनैक्शन नहीं मिल सकता। नहरों की सफाई के लिए राज्य सरकारों ने पैसा नहीं दिया। न तो नहरों की सफाई हुई जिससे पानी टेल तक पहुंचे और बिजली का नया कनैक्शन मिल नहीं सकता, तो किसान की पिछली फसल भी गई और यह फसल भी जा रही है। खाद का जो भाव है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो बाजरे की बिक्री हुई, उसमें 250-275 रुपये प्रति क्विंटल बाजरे का भाव था। खाद का दाम 470 रुपये है 50 किलो का। किसान को बरबाद करने और उसको तबाह करने का सुनियोजित और व्यवस्थित प्रयास चल रहा है। अभी जगह-जगह खुदकुशी के मामले प्रकाश में आते हैं और सबसे बुरी हालत आलू किसानों की हुई। मैं जिस इलाके से आता हूं वहां आलू किसानों की संख्या ज्यादा है। पिछले दो-तीन वर्षों से जो आलू का भाव रहा, किसान ने उत्पादन में जो पैसा लगाया, आलू का ट्रक लेकर कोई जयपुर और कोई मुम्बई गया, जब पूरा हिसाब लगाया तो तमाम किसान भरे हुए ट्रक छोड़कर चले आए क्योंकि जो भाड़ा बनता था, वह बिक्री से ज्यादा था। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि किसानों पर चौतरफा आक्रमण हो रहा है।

आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि रबी की फसल पैदा न करें क्योंकि उनके पास न तो खरीदने का इंतजाम है और न रखने का इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में भी यही हालत है। राज्य सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 530 रुपये घोषित किया है लेकिन खरीद केन्द्रों पर 300 रुपये प्रति क्विंटल से ज्यादा नहीं है। पूरे देश में किसानों की लूट हो रही है, उसको परेशान किया जा रहा है और

[श्री रामजीलाल सुमन]

बिजली, पानी और खाद की जो स्थिति है उसके चलते उसकी कमर टूट गई है। हमारे देश में दलहन की कमी है लेकिन हम उसका आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। 1998-99 में हमने 62874 टन दलहन का आयात किया और 1999-2000 में 83784 टन का निर्यात किया। परिणाम क्या निकलता है कि दाल के भाव आसमान को चले जाते है। हमारी कहीं तो कोई नीति होनी चाहिए। भारत के पास जितना सुरक्षित अन्न भंडारण होना चाहिए उससे दोगुना, तिगुना पड़ा हुआ है। परिणाम क्या होगा कि हम इसकी बिक्री करेंगे। पता चला है कि हम जो बिक्री कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, वह दाम 450.15 रुपये प्रति किलो है और हिन्दुस्तान के उपभोक्ता को 9 रुपये प्रति किलो मिल रहा है।

कुल मिलाकर स्थिति यह है कि चारों तरफ से किसानों को मारने का काम किया जा रहा है और सरकार का जो संरक्षण किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। मेरा आरोप है कि हर सरकार की प्राथमिकता होती है और प्राथमिकता के तौर पर किसानों की समस्याओं से निपटने का जो काम होना चाहिए, किसानों के हितों का जो संरक्षण होना चाहिए, खेती का जो संरक्षण होना चाहिए, उस संरक्षण को देने में यह सरकार कोताही कर रही है। समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण इसमें साफ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो दृष्टिकोण है आर्थिक सवालों में, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। लिहाजा, हम इस सवाल पर दोनों एक जैसा पाते हैं। यही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): सभापति महोदय, आज अनाज के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर है और जरूरत से ज्यादा अनाज हमारे गोदामों में है। इन सारी चीजों का श्रेय किसानों को जाता है। यदि किसानों ने लगन के साथ, मेहनत के साथ अनाज पैदा नहीं किया होता, तो आज भी हमें अनाज के लिए किसी और देश की ओर देखना पड़ता।

सभापति महोदय, विपक्ष के नेता ने "काम रोको प्रस्ताव" के जरिये, आज देश में किसानों की जो हालत है, उस पर चर्चा करने का अवसर इस सदन को दिया है। सरकार की जो नीति होती है, चाहे आज की सरकार हो, या पिछली सरकारें हों उसी के अनुसार देश में सभी काम चलाए जाते हैं। आज अलग-अलग राज्यों में किसानों को अलग-अलग मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए केवल आज की सरकार जिम्मेदार है, यह कहना भी उचित नहीं होगा। हम जो भी नीति अपनाते हैं उसका सीधा असर किसान पर पड़ता है।

सभापति महोदय, जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, उनका सीधा असर किसान पर होता है और किसान उनका भी शिकार होता है। कभी बाढ़ आती है और फसल बह जाती है और कभी सूखा पड़ता है, तो फसल सूख जाती है। महंगाई दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। चीजों के दाम दिनोंदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान जो इन सारी चीजों का उत्पादन करता है, उसको क्या मिल रहा है, यह देखने की चीज है। हर राज्य में हमें किसान दुखी दिखाई दे रहा है।

सभापति महोदय, हमारे किसान ज्यादातर प्राकृति पर निर्भर हैं। मैं महाराष्ट्र के जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं वह रत्नागिरि है। वहां भी इस वर्ष सूखा पड़ा है। वैसे तो सारे महाराष्ट्र में सूखा पड़ा है, लेकिन मेरा क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती थी, वहां भी इस वर्ष वर्षा समय पर नहीं हुई और सूखे की स्थिति पैदा हो गई है। वहां स्थिति यह है कि धान की फसल पूरी की पूरी खत्म हो गई।

सभापति महोदय, महाराष्ट्र में कपास, गन्ने और धान का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। मेरे क्षेत्र में नारियल का उत्पादन भी काफी होता है और धान का उत्पादन भी सबसे ज्यादा होता है। जो समर्थन मूल्य हम तय करते हैं वह समर्थन मूल्य किसानों को नहीं मिल रहा है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो। जो फसल किसान मेहनत और लगन के साथ लगाता है, उगाता है उसे लेकर जब वह बाजार में जाता है, तो उसे दाम नहीं मिलते। इससे किसान निराश हो जाता है। उसकी हिम्मत टूट जाती है।

इसलिए अब लोग धीरे-धीरे खेतों से हटकर शहरों की ओर रोजगार की तलाश में बढ़ने लगे हैं। इससे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। सरकार को इस बारे में गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। यदि किसान सुखी होगा और किसान को उसके माल का सही दाम मिलेगा तो किसान का युवक लड़का नौकरी की तलाश में शहरों में नहीं भटकेगा। इससे बेरोजगारी भी नहीं बढ़ेगी क्योंकि उसे उसी जमीन में रोज़गार मिल जायेगा। इसलिए यदि प्राथमिकता अलग-अलग विषयों के बारे में देनी है तो सबसे ज्यादा प्राथमिकता हमें किसानों की समस्याओं को देनी है। जब किसान अपने माल के उचित दाम की मांग करता है तो हम उसके माल का उसे उचित दाम नहीं दे पाते हैं। केन्द्र सरकार को इसलिए राज्यों को कुछ अधिकार देने चाहिए। वैसे तो राज्यों को अधिकार हैं लेकिन कुछ ज्यादा अधिकार देने की आवश्यकता है। जैसे महाराष्ट्र में कपास की ज्यादा फसल होती है। यदि महाराष्ट्र में कपास के निर्यात का अधिकार राज्यों को दिया होता तो कपास का उत्पादन करने वाले किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिलता। इसके अलावा उनको समय पर दाम मिलेगा तथा इससे कपास का उत्पादन भी बढ़ सकता है। महाराष्ट्र में गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है। यदि राज्यों को यह अधिकार दिया जाये कि वह शक्कर का निर्यात करे तो जो गन्ना पैदा करने वाले किसान हैं, उनको

ज्यादा दाम मिल सकता है। उनका हौसला और बढ़ सकता है, उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती हैं, उनको ज्यादा दाम मिल सकता है। उनका हौसला और बढ़ सकता है, उनकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो सकती है, किसान सुखी हो सकता है। ...*(व्यवधान)* मैं प्याज के बारे में भी बता रहा हूं। आज प्राकृति के ऊपर सारे किसान निर्भर हैं। आपको याद होगा कि प्याज ने बहुत बड़ा राजनीतिक चमत्कार किया था। राजनीतिक प्याज की वजह से चार राज्यों में चुनाव के क्या परिणाम आये थे, यह आप सबको पता है। आज वही स्थिति प्याज की महाराष्ट्र में है। ...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): उसके बाद ऐसा ही होगा। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते : क्या होगा, वह तो समय ही बतायेगा। रामदास जी, मैं राजनीति के संदर्भ में यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। जो भी बोल रहा हूं, किसानों के हित में बोल रहा हूं। जो वास्तविकता है और किसानों को जिन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, उसी को सदन के सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। आज महाराष्ट्र में प्याज की स्थिति भी वही है। अकाल वर्षा होने से किसानों का प्याज खत्म हो गया। आज फिर प्याज के दाम बढ़ने लगे हैं। एक ओर जब हमारे देश में प्याज की कमी है तो हम निर्यात करते हैं। जिस साल प्याज हमारे देश में होता है, उस साल हम प्याज आयात करते हैं। इसके बारे में भी केन्द्र सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। हमारे यहां के जो उत्पाद हैं, जो छोटो-छोटे किसान हैं या आज हमारा जो आलू है - अंकल चिप्स किस अंकल के हैं, आज हमारे वेफर्स कोई नहीं खाता। आज 100 ग्राम आलू से अंकल चिप्स बनता है। जिसके 9 रुपये से लेकर 12 रुपये तक लिये जाते हैं। आलू को कोई नहीं पूछता है। किसान को आलू का दाम नहीं मिल रहा है। इन सारी बातों पर सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की आवश्यकता है। किसान और व्यापारी इन दोनों के बीच काफी अंतर है। बाजार में ग्राहक को ज्यादा दाम देने पड़ते हैं। दाम बढ़ने की वजह से महंगाई बढ़ रही है जिससे व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं और किसान को कम से कम दाम मिल रहा है। यह जो विषमता है, इस विषमता को कम करने की आवश्यकता है और किसानों को ज्यादा से ज्यादा दाम देने की आवश्यकता है। केरोसीन का दाम एक रुपया कम हुआ। इससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। इसी तरह गैस के दाम 10 रुपये कम हुए। इससे भी कुछ राहत जरूर मिलेगी लेकिन किसान की जो मांग डीजल के बारे में है, उस पर भी राहत की मांग आ रही है। यह कोई गलत बात नहीं है। मांग विपक्ष की ओर से है या किसी और की तरफ से है, यह मांग तो किसानों की मांग है जिनको इन समस्याओं से जूझना पड़ता है। इससे दाम बढ़ रहे हैं। उसे सिंचाई के लिए पम्प लेना पड़ता है, उसके दाम बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि पम्प को चलाना है तो उसके लिए डीजल की आवश्यकता है। उसके भी दाम बढ़ रहे हैं।

आज किसान खेत में काम नहीं करना चाहता, वह कारखाने में काम करना चाहता है। वह शहरों में काम करना चाहता है क्योंकि वहां मजदूरी बढ़ रही है। किसानों को उसकी उपज के लिए या माल के लिए जो दाम मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है इसलिए देश का किसान दुखी है।

किसानों के इस मामले पर जो चर्चा यहां पर हो रही है, मैं अपनी पार्टी शिवसेना की ओर से किसानों के इस मामले में, इस संघर्ष में जहां पर भी योगदान की आवश्यकता है, हमारी पार्टी जरूर वह योगदान देगी लेकिन राजीतिक तौर पर यहां पर जो प्रस्ताव रखा गया है कि आज की सरकार किसानों की हालत के लिए जिम्मेदार है, यह कहना उचित नहीं होगा बल्कि पिछली कई सरकारों ने जो अलग-अलग नीतियां बनाई, गलत नीतियां बनाई, उनकी वजह से आज किसानों की यह स्थिति है। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और किसानों के प्रति हमदर्दी यहां पर चाहता हूं।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): माननीय सभापति महोदय, वर्तमान सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान की स्थिति बहुत जटिल हो गई है। इस कारण बहुत कठिनाईयों का सामना हमारे किसान भाई और बहनों को करना पड़ रहा है। मुझे आज भी स्मरण है, 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही थी, उस समय आप लोगों का नारा यही था - ''भाजपा का कहना साफ हर किसान का कर्जा माफ।'' यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि सत्ता में आने के बाद मध्य प्रदेश में किसानों के कर्जे माफ नहीं हुए, मात्र 10 हजार रुपये तक। यह शर्त उस समय घोषणा करते समय नहीं थी, चुनाव के समय नहीं थी।

लेकिन उस नारे को मैं स्मरण करता हूं और दोहराता हूं कि आज भाजपा का नारा - भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ - नहीं है, भाजपा का नारा आज - भाजपा का कहना साफ, हर किसान का पत्ता साफ - हो गया है। आज हमारे किसान की यह हालत हो गई है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक त्राहि-त्राहि मची हुई है। हमारे मंत्रिगण शायद गांवों में ज्यादा दौरा नहीं करते। सत्तारूढ़ दल के जो संसद सदस्य हैं, हो सकता है कि वे गांवों में न जाते हों। लेकिन मैं ग्रामीण इलाके का हूं और इसलिए मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* मैं यील्ड नहीं कर रहा हूं। यह गलत है। मैंने न साहू जी को इंटरप्ट किया, न किसी दूसरे को,

[श्री माधवराव सिंधिया]

किसी को परेशान नहीं किया। मेरी आदत नहीं है। मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि पार्लियामैंट्री नियमानुसार और हमारी परम्पराओं पर निगाह रखते हुए कार्य करें।

नीतीश कुमार जी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं, मेहनती हैं। लेकिन इनका दुर्भाग्य है, पता नहीं क्यों इनको प्रधान मंत्री द्वारा ऐसी स्थिति में झोंक दिया जाता है। जब कभी कोई दिक्कत का समय हो, आपत्ति आ रही हो या किसी का पतन हो रहा हो, वह यहां सही-सलामत चल रहे थे, 12-13 दिनों के लिए बिहार भेज दिए गए। वहां क्या नाटक हो गया, बेचारे वापिस लौटे। मुझे उनके प्रति बहुत सम्मान है। उनमें सहनशक्ति है, भारी सहनशक्ति। आज ऐसे समय जब कृषि क्षेत्र में हमारा किसान पतन के कगार पर आकर खड़ा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार उदासीन है, उपेक्षा की नज़र के साथ देख रही है और उसे उस कगार से धकेलने में संकोच नहीं कर रही है, ऐसे समय में फिर से आप ही उस मंत्रालय में विराजमान हैं। मुझे तो दया आती है क्योंकि मेरे दिल में आपके लिए इतना स्नेह और सम्मान है। ...*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): कांग्रेस ने जो काम बिहार में किया, उन्होंने वह काम नहीं किया। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है, यह बात सर्वविदित है। मैं इस स्थिति को बड़ी गंभीरता से लेता हूं। लेकिन किसान की जो उत्पादन लागत है, वह दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। फर्टिलाईजर सबसिडी के बारे में हमारे हाउस के चारों ओर से लोगों ने आवाज़ उठाई। मुझे मालूम है कि सत्तारूढ़ दल के समर्थक दल भी परेशान हैं, चिन्तित हैं। मुझे श्री वेंकटेशवरुलू और श्री अनंत जी की वाणी सुन कर खुशी हुई और मेरे दिल में फिर से विश्वास हो रही है कि पद-लोलुपता की दौड़ में कभी-कभी सत्ता के पीछे दौड़ते हुए जब लोग अपनी विचारधारा को भी ठंडे बस्ते में डाल देते है, अन्ततोगत्वा उनकी अन्तर्रात्मा की जीत होती है और अन्ततोगत्वा उनकी भी अन्तर्रात्मा बोलेगी और उसकी ही विजय होगी। आज श्री वेंकटेश्वरुलू और श्री अनंत की बात सुन कर मुझे यह विश्वास हुआ। ज्यादा देर नहीं है, छः बजे है जब आपने अपना जजमैंट रिजर्व करके रखा है। उस समय पूरा मामला उजागर होगा। लेकिन खाद की सबसिडी में जो कटौती हुई है, उससे किसानों का भारी नुकसान हुआ है। उसकी उत्पादन लागत तेजी से बढ़ रही है। चाहे डीजल को ले लीजिए - एक वर्ष के अंदर 64 प्रतिशत डीजल के भाव बढ़ गए। किसान पम्प कैसे चलाने वाला है, ट्रैक्टर कैसे चलाने वाला है। जब उसका माल मंडी में जाता है तो उसके यातायात का खर्चा बढ़ गया है। यह भार कौन उठाने वाला है।

मैं आपसे यही विनती करता हूं, मैं जानता हूं कि सरकारी खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, फिजीकल डैफीशिट पर आपको नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। यह मैं जानता हूं, लेकिन आप किसान पर मत बरसिये, क्योंकि यह हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है, हमारी बुनियाद है। अगर यह बुनियाद कमजोर हो जायेगी तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था ठप्प हो जायेगी। सब्सिडी के बारे में जो इतना कहा जाता है, मैं तो आपको यह कह रहा हूं, बताना चाहता हूं कि जो विकसित देश हैं, उनमें आज भी जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, मैन्युफैक्चरिंग रिवोल्युशन हो चुका है, तब भी भारी सब्सिडी कृषि क्षेत्र को दी जाती है। चाहे वह जापान हो, चाहे आस्ट्रेलिया हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटिड स्टेट्स हो, इसका एक अन्तर्राष्ट्रीय मापदण्ड होता है, इसकी एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक कॉम्पीकेटिड मापदण्ड है, उसको एग्रीगेट मैजरमेंट ऑफ सपोर्ट (ए.एम.एस.) कहा जाता है। उस मापदण्ड में जब यह अनुमान लगाया जाता है कि प्रत्येक देश में सब्सिडी कृषि क्षेत्र या किसी दूसरी क्षेत्र को कितनी मिल रही है, वह प्लस है या माइनस है तो उस मापदण्ड के अनुसार, यानि कि लेवल प्लेइंग फील्ड है कि नहीं तो ए.एम.एस. के अनुसार यह स्पष्ट हो गया है कि ओ.ई.सी.डी. कंट्रीज में, जो एडवांस्ड देश हैं, उनमें भारी सब्सिडी प्लस फैक्टर में है और भारत में माइनस 24 बिलियन डालर्स में यह सब्सिडी माइनस में है। जब आप सब्सिडी की बात करते हैं तो इस बात को व्यापक रूप से प्रचालित मत करना कि हमारे भारत के किसान को भारी सब्सिडी मिल रही है, जिससे अर्थव्यवस्था और खर्चे में बढ़ोत्तरी हो रही है और इसलिए कटौती होनी है तो उसी की सब्सिडी में होनी है, क्योंकि दूसरे देशों की तुलना में हमारी माइनस सब्सिडी हमें मिल रही है। अमेरिका अपने किसानों को लगभग 26 बिलियन डालर की सब्सिडी देता है, जबकि उनके छः मिलियन किसान हैं और हम 700 मिलियन किसानों को इस मापदण्ड के अनुसार 24 बिलियन डालर की माइनस सब्सिडी देते हैं। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि यह बात देश के हित में है और किसान के हित में है कि इस बात को सही तरीके से समझा जाये। आपने डीजल का भाव भी बढ़ा दिया, उसमें भी कोई रहम नहीं किया, लेकिन इस बात को कई बार लोग दोहरा चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

अब मैं खुले रूप से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, उस विषय पर आना चाहता हूं। अभी अनन्त राम गीते जी ने यह बात उठाई कि प्याज का आयात हो रहा है, जब प्याज की फसल एक नया कीर्तिमान स्थापति कर रही है। मैं उनकी इस बात के पूर्ण रूप से सहमत हूं। जब सरकार बार-बार ऐसे समय पर आयात करती है, जब आपकी रिकार्ड हारवेस्ट होती है तो हमारे दिल में, हमारे मन में संदेह पैदा होता है।

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): आप आयात बोल रहे हैं या निर्यात बोल रहे हैं?

श्री माधवराव सिंधिया : मैं आयात की बात कर रहा हूं, मैं प्याज की बात नहीं कर रहा। मैंने एक उदाहरण दिया कि रिकार्ड फसल के समय फिर से आयात किया गया। 1998 में गेहूं की 74 मिलियन टन की हमारी रिकार्ड फसल थी, यह ऑल टाइम रिकार्ड है। मैं सरकार से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में जब 74 मिलियन टन की फसल आपको मिली और आपके एफ.सी.आई. के गोदाम पूरी तरह से भरे हुए थे, ऐसे समय में आस्ट्रेलिया से आठ मिलियन टन गेहूं के आयात की क्या आवश्यकता थी, वह भी जीरो ड्यूटी पर? हम नहीं चाहते कि अपने मन में संदेह करें या शंका करें।

पर यह स्वाभाविक है कि हमारे मन में इस बारे में प्रश्न चिन्ह पैदा होता है। इसी तरह शक्कर का 15 मिलियन टन का रिकार्ड उत्पादन हुआ। सरकार ने क्या किया, जीरो परसेंट ड्यूटी पर आयात किया। मैं यह नहीं दोहराऊंगा कि कारगिल का युद्ध चल रहा था, ऐसे समय में क्यों पाकिस्तान से आयात किया गया। कई राष्ट्रों से आयात किया गया। हमारे उत्तर प्रदेश के किसानों की कमर टूट गई। हमारे शक्कर के कारखाने घाटे में पहुंच गए। वे किसानों को पेमेंट नहीं कर पाए। हमारे किसानों को गन्ने की फसल को जलाना पड़ा। जब 15 मिलियन टन रिकार्ड हार्वेस्ट थी तो जीरो प्रतिशत पर आपने आयात क्यों किया? इसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है। अगर आयात करना था तो कम से कम ड्यूटी बढ़ाते। लोग चीखते-चिल्लाते रह गए। छः महीने के बाद जीरो से 27.5 प्रतिशत किया, फिर लोग चीखे तो पांच महीने के बाद उसे बढ़ा कर 60 प्रतिशत कर दिया। मैं कहता हूं कि यह भी कम है। अमेरिका में शक्कर पर 130 प्रतिशत ड्यूटी है, यूरोपीयन यूनियन में शक्कर पर 200 प्रतिशत ड्यूटी है, बंगलादेश में 200 प्रतिशत है, थाईलैंड में 100 प्रतिशत है, कोलम्बिया में 130 प्रतिशत है और भारत में शून्य प्रतिशत से बढ़ा कर बड़ी मुश्किल से 27.5 प्रतिशत की और फिर धक्का लगा कर 60 प्रतिशत तक पहुंचाया गया। हम पूछना चाहते हैं क्यों? सब्सिडाइज्ड आयात आ रहे हैं, आप हमारे किसानों को क्यों मार रहे हो, यह देरी क्यों हो रही है? एडिबल ऑयल के बारे में अखबार में आया है कि पामोलीन को बढ़ाकर 65 प्रतिशत कर दिया गया।

[अनुवाद]

यह देरी क्यों की जा रही है? इसलिए, हमारे मन में प्रश्न उठता है और हमें संदेह होता है कि ये बड़े सौदे किस प्रकार के हैं।

[हिन्दी]

राजीव जी ने तिलहनों के लिए टेक्नोलॉजी मिशन बनाकर एक बीड़ा उठाया था। 1986 से लेकर 1989 तक तीन वर्षों में आयल सीड का उत्पादन 85 प्रतिशत बढ़ा। इस सरकार के पहले वर्ष में उसकी किसान की कमर तोड़ने के लिए 128 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, एडीबल आयल के आयात में। इसका क्या कारण है?

सभापति महोदय : मैं आपको रोक नहीं रहा हूं। आपके दल की ओर से छः माननीय सदस्य और बोलने वाले हैं। कृपया इसका ध्यान रखें।

सरदार बूटा सिंह (जालौर): बहुत महत्वपूर्ण स्पीच है, ऐसे मुद्दे कौन उठाएगा।

सभापति महोदय : मैंने रोका नहीं है।

श्री माधवराव सिंधिया : मैं समझ रहा हूं। ऐसे सब्सिडाइज्ड आयात क्यों हो रहे हैं, जब हमारे देश में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है। अगर हो रहे हैं तो हम ड्यूटी बढ़ाने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? इन प्रश्नों का जब तक जवाब नहीं देंगे, हमारे मन में आशंका बनी रहेगी कि आपका असली कारण क्या था। मुझे नीतीश जी पर दया आती है। इनकी ईमानदारी पर अंगुली नहीं उठा रहा, लेकिन आप कही बड़े षडयंत्र का शिकार न बन जाएं।

[अनुवाद]

श्री नीतीश जी आप पर विपत्ति आती रहती है। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप तो इतने दिनों तक इतने विभागों के मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री का क्या काम है, आप अच्छी तरह से जानते हुए भी यह कह रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): इसलिए, वे एक मित्र की तरह चेतावनी दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया : मैं वह मानने के लिए तैयार हूं। जब दोष ठहराया जाएगा तो आप पर ही टोपी पहनाई जाएगी। सावधान रहें! जो क्यूआर्ड रेज हुए हैं कि भारत की जो टीम सिएटल में चर्चा करने के लिए गई थी, उसने समझौते पर हस्ताक्षर किए।

[श्री माधवराव सिंधिया]

वह बहुत विचित्र समझौता हुआ था। उसके बारे में ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई। जैसे इस सरकार को आदत है, यहां तक कि एक प्रवक्ता सिर्फ कैबिनेट के लिए श्री प्रमोद महाजन जी को बना दिया है। जहां देखो, खूब पब्लिसिटी हो रही है, काम कुछ नहीं है लेकिन इस बारे में पब्लिसिटी नहीं हुई। क्यों? समझौते पर हस्ताक्षर कराये गये जिसमें कृषि वस्तुओं पर आयात के उदारीकरण की अवस्था थी।

[अनुवाद]

कृषि संबंधी आयातों के उदारीकरण पर गत वर्ष दिसम्बर में सिएटल में हस्ताक्षर किया गया था।

[हिन्दी]

वह लिबराइजेशन का समझौता था। उसमें हमारी कृषि संबंधी जो बाते हैं, उनके हितों पर पूरी तरह से कुठाराघात हुआ। जो इम्पॉरटेंट सैक्शंस थे, वे एकदम से कैसे उड़ गये, जो आयात की पाबंदी थी, वह किस पर से उठी है? आज खुली छूट है। ओजीएल पर गेहूं, चावल, दूध, ज्वार, बाजरा, चाय और कोकोनट, पोल्ट्री, एग्स, मैज इत्यादि चीजें, बचा क्या है, अभी तो मैंने कुछ चीजें निकाली हैं, बैजीटेबल्स और फ्रूट्स भी हैं। डब्ल्यू.टी.ओ. के अंतर्गत जो व्यवस्था है, अब आप यह न कहें कि डब्ल्यूटीओ ने कांग्रेस रिजाइम मे साइन किया था तो हमें क्या करना है। डब्ल्यूटीओ एक अम्ब्रैला एग्रीमेंट होता है। बार-बार इसके बारे में गलतफहमी फैलाकर लोगों की आंखों मे धूल झोंकने का प्रयत्न किया जा रहा है। डब्ल्यूटीओ एक अम्ब्रैला एग्रीमेंट होता है जिसके अन्तर्गत टैरिफ एंड ट्रेड रैस्ट्रिक्शंस के लिए बायलेटरल नैगोसिएशंस की पूरी गुंजाइश है तथा इसके अनुसार कुछ प्रोडक्ट्स पर 300 प्रतिशत तक यह ड्यूटी लगाई जा सकती है। लेकिन इसको ओजीएल पर डाल दिया गया। क्यों? इस बात पर आपने टैरिफ बैरियर्स एंटी-डंपिंग सैफगार्ड मैजर्स क्यों नहीं लिये, यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह सब गुप्त रूप से क्यों किया जा रहा है? इसकी पब्लिसिटी क्यों नहीं की गई? जो विकसित देश हैं, उनके दबाव में पूरी तरह से हमारी सरकार आ रही है वह चाहे विदेश नीति हो या अर्थ नीति हो या कृषि नीति हो। इस बारे में बहुत सी आपत्ति उठाई गई हैं। जब हल्ला किया गया, उसके बाद धीरे-धीरे उन्होंने ड्यूटी बढ़ा दी। आज आप बाजार में जायेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा घरेलू उत्पादन होता है चाहे फॉर्मर का कृषि पर आधारित वस्तुओं का उत्पादन हो, आप देखेंगे।

[अनुवाद]

आपको स्विस की चिप्स मिलेगी, न्यूजीलैंड के सेब और दुग्ध के उत्पाद मिलेंगे। आपको थाइलैण्ड का बिस्कुट मिलेगा तथा आपको ब्राजील की चाकलेट मिलेगी।

[हिन्दी]

हमारे घरेलू उत्पादकों का क्या हो रहा है? हम लोगों को पूरी तरह से दूसरी बार हमारे इतिहास में यह सरकार गुलामी की ओर ले जा रही है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि हमारे हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर का सेब का उत्पादनकर्त्ता, पंजाब और उत्तर प्रदेश में गेहूं का किसान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का सोयाबीन का किसान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का शक्कर का किसान, आन्ध्र प्रदेश और बिहार का चावल तथा धान का किसान दक्षिण में पॉम-ऑयल, कोकोनट के किसान कहां जाने वाले हैं? कोकोनट का आधा दाम हो गया है और प्लांटेशन दक्षिण में जलाये जा रहे हैं। उनकी यह हालत हो गई है। सुपारी का भाव 15000 रु. से लेकर 18000 रु. प्रति क्विंटल था। आज साढ़े चार हजार से छः हजार रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। आप दूध के मामले में अगले कुछ महीनों में आक्रमण देखने वाले हैं।

[अनुवाद]

उन्होंने आयात के लिए सारे बंधन खोल दिए है जिससे और तत्संबंधी उत्पादों की भरमार होने वाली है।

[हिन्दी]

हमारी अधिकतर महिलाएं दूध के उत्पादन पर अपना जीवनयापन करती हैं, वे कहां जाने वाली हैं। अभी हमारे एक भाई साहब ने पोल्ट्री की बात कही। चाय की हालत यह है कि कीनिया, श्रीलंका और बंगलादेश से आ रही है। हमारे दक्षिण, पूर्व और नार्थ-ईस्ट के भाई क्या करने वाले हैं। इस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन मैं आपकी बात मानते हुए शार्ट में अपनी बात कहूंगा। मेरा सरकार से सिर्फ यही निवेदन है कि आप 714 आइटम्स पर पहली अप्रैल, 2000 को क्यू.आर. उठाएं। उस समय ड्यूटीज़, टेरिफ, एंटी डम्पिंग मेजर्स, आपको जो सेफ गार्ड्स घरेलू उत्पादों के लिए लेने चाहिए थे वे आपने नहीं लिए - चाहे वह किसान हो, स्माल स्केल इंडस्ट्री हो या दूसरे क्षेत्र हों। इसलिए वह पिसता गया। अब पहली अप्रैल, 2001 को 715 आइटम्स पर क्यू.आर. और उठाने वाले हैं, उसकी तो कम से कम तैयारी करिए। उसमें अंदाज लगाइए कि हमारे कमजोर क्षेत्र कौन से हैं, जिनकी हमें रक्षा करनी पड़ेगी। अभी से आपका टेरिफ, ड्यूटी स्ट्रक्चर स्थापित होना चाहिए कि फरवरी, मार्च में हम यह करने वाले हैं। इसके लिए हम आपसे श्वेत-पत्र मांगते हैं। आप यह जल्दी से जल्दी प्रस्तुत करिए कि आप क्या-क्या टेरिफ्स और ड्यूटीज तब तक स्थापित करने वाले हैं ताकि हमारा किसान और न पिसे। पंजाब में 200 किसानों ने आत्महत्या की। आंध्र प्रदेश से भी रिपोर्टें आई हैं, पूरे देश भर से आ रही हैं। नीतीश कुमार जी, मेरा यही निवेदन है कि दोबारा ऐसी स्थिति न आए।

महोदय, अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जैसे अभी साहू साहब ने कहा कि हमारा बजट बढ़ा है। मैंने अपने बजट भाषण में पिछले वर्ष कहा था कि यह सही नहीं है, वस्तुस्थिति ठीक उल्टी है।

[अनुवाद]

बजट में तिलहन के विकास के लिए 40 प्रतिशत की कटौती की गई; अनाज विकास कार्यक्रम पर 75 प्रतिशत, कृषि विपणन तथा बाजार की बुनियादी सुविधा पर 25 प्रतिशत, मृदा और जल संरक्षण पर 65 प्रतिशत; ऋण कार्यक्रम संबंधी सहकारिता पर 60 प्रतिशत, पशुपालन पर 30 प्रतिशत, डेरी विकास पर 35 प्रतिशत, ग्रामीण रोजगार और रोजगार आश्वासन कार्यक्रम पर 30 से 40 प्रतिशत और बागवानी तथा सब्जी की फसलों पर 50 प्रतिशत की कटौती की गई। यह गत वर्ष का बजट था। बहुत ज्यादा कटौती की गई हैं। यदि श्री साहू जी मेरा बजट पर दिए गए पिछले वर्ष का भाषण पढ़े होते तो वहां उन्हें सारे आंकड़े मिलते और उन्होंने, आज, जो कहा है वह नहीं कहते।

[हिन्दी]

महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी 70 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है, उनकी कितनी बुरी हालत हो रही है। उन पर हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था आधारित है, वह पूर्ण रूप से कमजोर हो जाएगी। जहां सब्सिडी में कटौती हो रही है, बजट स्लेश हो रहे हैं, उत्पादन लागत बढ़ रही है, इनफ्रास्ट्रक्चरल इनवेस्टमेंट गिर रहा है, इनडिस्क्रिमिनेट इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, ऐसे समय में प्रोक्योरमेंट की दुख भरी गाथा पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है। जहां प्रोक्योरमेंट भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर नहीं हुआ, जब तक हल्ला-गुल्ला और आंदोलन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आज जो प्रस्ताव हमारे सामने है वह पूर्ण रूप से उचित है। मैं सब समर्थक दलों से यही निवेदन करूंगा कि वे अपनी अंतर्रात्मा को टटोल कर सही निर्णय पर पहुंचे। आप सही मार्ग पर चल रहे हो या नहीं, अगर किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हो तो मैं विश्वास करता हूं कि आपकी अंतर्रात्मा की जीत होगी और इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस सरकार की नीतियों के विरुद्ध आप भी अपना रोष प्रकट करोगे।

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर): माननीय सभापति महोदय, विरोधी पक्ष की ओर से स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से देश के किसानों की समस्याओं के संबंध में यहां चर्चा हो रही है। आदरणीय सोनिया जी ने और अनेक माननीय सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। अभी-अभी श्री माधवराव जी अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। जब हम किसानों की समस्याओं को लेकर यहां चर्चा करते हैं तो यह क्यों भूल जाते हैं कि देश की आजादी के बाद किसानों की आर्थिक हालत को सुधारने में अगर कोताही रही है तो उसके लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)* जब देश आजाद हुआ तो देश की आजादी के लिए लड़ने वालों और हमारे किसानों ने यह सोचा था कि आजादी के बाद हमारे स्वयं के नेताओं की सरकार होगी और इस देश में कृषि को प्रधानता दी जाएगी। लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि आजादी के बाद हमारे पंडित जी वैसे तो विद्वान और महान नेता थे किन्तु वे पाश्चात्य संस्कृति में पले थे और उन्हें देश की कृषि व्यवस्था की जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार से किसान खेती करता है, किस प्रकार से कृषि उपज पैदा करता है, इस बात का अनुभव उन्हें ठीक से नहीं था। उन्होंने विकास के नाम पर देश को औद्योगिक क्षेत्र में कुछ लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन इस देश में अन्य देशों की तुलना में न तो औद्योगिक विकास हुआ है न ही कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ है। मैं ऐसे अनेक उदाहरण दे सकता हूं जहां छोटे-छोटे देशों ने इन क्षेत्रों में विकास हमारे से ज्यादा किया है। नाइजीरिया, इजराइल, कनाडा, आस्ट्रेलिया आदि देशों ने हमसे ज्यादा खाद्यान्न पैदा किया है। मैं अमरीका और अन्य बड़े देशों की बात नहीं करता। उन देशों में प्रति हैक्टेयर खाद्यान्न का उत्पादन हमारे देश की तुलना में दो-गुना और तीन-गुना है।

मैं कांग्रेस पार्टी के उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि वे 40-45 वर्ष तक शासन में रहे, फिर भी छोटे-छोटे देशों की तुलना में हमारे देश का उत्पादन कम क्यों है? केवल डेढ़ वर्ष की बात को लेकर हमारी सरकार की खिंचाई करने के लिए और अपना विरोधी पक्ष का दायित्व ठीक न निभाने के कारण और देश की जनता में अपने प्रति अनास्था की भावना को देखते हुए उन्होंने हल्ला करने का प्रयास किया है। जबकि माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी कृषि नीति पर बहस कराने के लिए प्रस्ताव लोक सभा में दे दिया। यह प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर से लाया गया तो सरकार की ओर से साफ कहा गया कि जिस भी नियम के अन्तर्गत आप चर्चा कराना चाहते हैं सरकार तैयार है। परन्तु आसंदी के निर्णय को नजरंदाज किया गया, केवल इसलिए कि वे यह दिखाना चाहते हैं कि उन्हें किसानों से हमदर्दी है। आज से दो-तीन साल पहले हमारे किसानों की क्या हालत थी? अगर आप तुलना करेंगे और निष्कर्ष निकालेंगे तो पायेंगे कि यह सरकार पहले की सरकारों की तुलना में अच्छा काम कर रही है। आदरणीय माधवराव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केन्द्र की सरकार तो कैरोसीन पर, डीजल पर और एलपीजी पर सब्सिडी दे रही है लेकिन आपके सान्निध्य में चलने वाली मध्य प्रदेश की सरकार जिसके मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी हैं जो शायद आपका कहना न मानते हों लेकिन आदरणीय सोनिया जी का कहना तो मानते हैं।

[श्री थावरचन्द गेहलोत]

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने डीजल कैरोसिन और पैट्रोल पर 8 परसैंट सेल्स टैक्स लगाया है। क्या आपमें साहस है कि किसानों के हित में वह सैल्स टैक्स हटाने के लिए उनसे कहें? यदि आप किसानों के हमदर्द हैं तो मेरा निवेदन है कि आप मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को पार्टी की ओर से निर्देश दें कि वह पैट्रोलियम पदार्थों पर सेल्स टैक्स वापस ले लें। इससे किसानों का भला होगा। मध्य प्रदेश का जो पिछला बजट आया, उसमें मध्य प्रदेश में किसानों के काम में आने वाली हर वस्तु पर 4 परसैंट, 8 परसैंट और 10 परसैंट टैक्स लगा है। यदि आप में साहस है तो किसानों की हमदर्दी के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कहें कि वह टैक्स वापस ले लें। सारे देश और प्रदेश के किसानों को पर्याप्त पानी, बिजली चाहिए। हर खेत में पानी पहुंचना चाहिए। वह अब तक क्यों नहीं पहुंचा? अनेक वर्षों से बाढ़ और सूखे की समस्या से निपटने के लिए एक बार नहीं अनेक बार ऐसे प्रस्ताव आए हैं कि जिन नदियों में निरन्तर 12 महीने पानी बहता है, उनका पानी गर्मियों और ठंड के दिनों में जहां सूख जाता है, वहां लाया जाए। क्या आपकी सरकारों ने इस प्रकार का कोई प्रयास किया? छोटे-मोटे नदी नालों में बरसात का पानी आता है। वह बह कर सीधे बड़ी नदी में, फिर उससे बड़ी नदी में और फिर समुद्र में मिल जाता है। वाटर लैवल डाउन होने से रोकने का क्या आपने कोई प्रयास किया? यदि किया तो यह समस्या अभी तक क्यों बनी है? क्या आप इस पर विचार करेंगे। मैं एक नहीं अनेक उदाहरण मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकारों के बारे में देकर इस बात को सिद्ध कर सकता हूं। आप किसानों के विरोधी हैं। आपको किसानों से कोई लेना-देना नहीं है। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों, व्यापारियों के हिमायती हैं। आप राजघरानों की शैली से सरकार चलाते हैं और उनके समर्थक रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): गेहलोत जी, आप बोलते जाएं, जो मन में आए, बोलते जाएं। आपको कोई नहीं रोकेगा।

अपराह्न 4.04 बजे

(श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन* **हुए)**

श्री थावरचन्द गेहलोत : सभापति महोदय, मुझे आज चतुर्वेदी जी को मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह जी की सरकार के बारे में जानकारी देने में आनन्द आ रहा है।

परसों मध्य प्रदेश के सभी सांसदों ने मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ वहां के सूखे के बारे में चर्चा की थी। उसमें बहुत से इससे संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ। वहां की सरकार ने सुखे के समय वहां के किसानों, जनता और कृषि मजदूरों को राहत दिलाने की दृष्टि से कोई अच्छे प्रयास नहीं किए और न ही अच्छे प्रयास करने की शुरूआत की। ...*(व्यवधान)* महाराष्ट्र के बारे में भी ऐसी ही स्थिति है। जब हमने इस बारे में उनसे चर्चा की तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में सूखा पड़ा है, केन्द्र सरकार से इस काम के लिए सहायता के तौर पर 715 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। हमने उनसे कहा कि हम यह दिलाने के लिए तैयार हैं, हम बात करने के लिए तैयार हैं, आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, राजनीति से ऊपर उठ कर इस संकट के समय आपके साथ हैं लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं कि अभी तक आपने क्या किया? मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि 45 जिलों में 17 जिलों के सूखे का परिणाम वहां के सरकार के पास अभी तक नहीं आया है। क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट के रिजल्ट अभी तक नहीं आए। सब जानते हैं कि अगस्त के बाद मध्य प्रदेश में बरसात नहीं हुई। इससे फसलों का नुकसान हुआ। राहत कार्यों और किसानों को रिलीफ दिलाने के लिए क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट करके परिणाम आने चाहिए लेकिन वे नहीं आए। अगस्त में बरसात समाप्त हो गई, सितम्बर में फसल आ गई, अक्तूबर में मार्किट में बिक गई। मुख्य मंत्री जी कहने लगे कि हम परिणाम दो दिन में मंगवा लेंगे। फसल मार्किट में चली गई, किसानों के घर चली गई। आप क्रॉप कटिंग एक्सपैरिमैंट के परिणाम कहां से लाकर देंगे?

इस प्रकार की लापरवाही मध्य प्रदेश सरकार वहां के किसानों के साथ कर रही है। सूखे से निपटने के लिये उस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। हमने उनसे कहा कि केन्द्र सरकार से कुछ पैसा मिल सकता है लेकिन राज्य सरकार क्या व्यवस्था करेगी। हमने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है फिर भी हमारा जो बजट है, उसमें विभिन्न विभागों से उसकी कटौती करके कुछ रिलीफ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार की हालत न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि राजस्थान, महाराष्ट्र में भी है फिर ये किस मुंह से कहते हैं कि यहां की सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। मेरा तो यह कहना है कि इस सरकार ने किसानों के हित में कई अच्छे काम किये हैं और कई अच्छे काम करने का निर्णय लिया है। इसका प्रमाण यह है कि केन्द्रीय कृषि मंत्री जी ने नई कृषि नीति की घोषणा की है जिसमें किसानों के हित और कृषि के विकास के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं। मुझे विश्वास है कि श्री नीतीश कुमार और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी किसानों के हित के लिये काम करेंगे और किसानों का उत्थान करके इस देश का विकास करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों ने इस देश को गर्त में डाला है, हम इस प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे।

कुमारी मायावती (अकबरपुर): सभापति महोदय, देश में किसानों की दुर्दशा को लेकर सदन में जो काम रोको प्रस्ताव आया

है और जिस पर चर्चा चल रही है, मैं इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करती हूं।

सभापति महोदय, सारा सदन जानता है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और अधिकतर जनसंख्या कृषि पर आधारित है। इसलिये भारत सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों के हितों के लिये काम करे लेकिन वर्तमान सरकार किसानों के हितों का पूरा ध्यान नहीं रख पा रही है। किसानों की समस्यायें केवल कृषि मंत्रालय से ही नहीं जुड़ी हुई है वरन् अन्य कई अन्य मंत्रालयों से भी जुड़ी हुई हैं। अच्छा होता यदि कृषि मंत्री के साथ-साथ अन्य संबंधित मंत्रालयों के मंत्री भी यहां मौजूद होते।

सभापति महोदय, मैं कोई लम्बी-चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहती। मैं केवल 2-3 बातों की तरफ इस सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। आज इस देश में किसानों को क्या चाहिये? किसानों को कृषि के लिये हर तरह से सस्ते साधन चाहिये। जब उनकी फसल तैयार हो जाये तो बाजार में उसे उसका उचित दाम मिलना चाहिये, चाहे वह देश के किसी भी सूबे से आता हो और किसी भी प्रकार की खेती से जुड़ा ही क्यों न हो।

हर किसान चाहता है कि उसको सस्ते साधन मिलें और उसकी फसल का उचित दाम उसको मिले। लेकिन सरकार ऐसा कुछ नहीं कर पा रही है जिसके कारण किसान हर क्षेत्र में काफी दुखी है। इतना ही नहीं, जो हमारे किसानों के लिए या उनके हित के लिए राष्ट्रीय कृषि नीति भारत सरकार बनाती है उस नीति में हम किसानों के हित के मामले में कम सोचते हैं लेकिन जिस पार्टी की सरकार होती है उसको उससे कितना लाभ हो रहा है या उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको कितना लाभ हो रहा है, उसके बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो राष्ट्रीय कृषि नीति है वह सही बनानी चाहिए जिससे किसानों को पूरा लाभ मिल सके।

दूसरे, जब हम किसानों से संबंधित आयात और निर्यात के बारे में सोचते हैं, किसानों की विभिन्न फसलों को लेकर जब हम आयात और निर्यात के बारे में सोचते हैं तो हम उस समय किसानों का लाभ कम सोचते हैं, अपना लाभ ज्यादा सोचते हैं। उससे भी किसान काफी दुखी रहता है। उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, वहां गन्ना बहुत पैदा होता है और आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और गन्ना किसान और मजदूर बड़े दुखी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में काफी गन्ना मिलें कौड़ियों के भाव बेच दी हैं। अब किसान किधर जाएगा, किसान की जो फसल है वह कहां जाएगी? मिलों में जो मजदूर काम कर रहे हैं, वे कहां जाएंगे? भारत सरकार को अंकुश लगाना चाहिए कि यदि कोई भी राज्य सरकार किसानों की फसलों से संबंधित कोई भी मिल वगैरह बेचती है तो केन्द्र की अनुमति लेना उसमें जरूरी हो लेकिन उत्तर प्रदेश में बहुत बुरा हाल हो रहा है और वहां कोई अंकुश नहीं है, मिलें धड़ाधड़ बेची जा रही हैं।

इसी प्रकार गन्ने के साथ-साथ वहां पर आलू पैदा होता है और इस बार भी आलू की अच्छी फसल हुई है। किसान बड़ा दुखी है कि उनको उचित दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा। कोल्ड स्टोरेज की हालत भी बड़ी खराब है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के किसी भी प्रदेश में जाएं तो जहां-जहां भी जो मुख्य फसलें होती हैं और उससे जुड़े हुए जो किसान हैं, वे बड़े दुखी हैं। जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, चाहे सूखा पड़े, चाहे बाढ़ आए, तो उस समय भारत सरकार का जो रवैया हमने देखा है कि किसानों को जो रिलीफ दी जाती है, उसमें भी राजनीति हमें नजर आती है। मान लीजिए, किसी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। वहां पर सूखा पड़ा है या बाढ़ आई है तो बीजेपी के नेतृत्व में जो केन्द्र की सरकार चल रही है, उसको बड़ी चिन्ता होती है। जिन प्रदेशों में दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, यदि वहां पर ऐसा हो जाए तो सरकार को कोई चिन्ता नहीं होती है। इसलिए आज पश्चिमी बंगाल के लोग वहां आई बाढ़ से तबाही को लेकर संसद के मुख्य द्वार पर ऐजिटेशन कर रहे थे और जीरो आवर में भी किसानों की समस्याओं को लेकर अपनी बातें रखीं, लेकिन उधर वह बहुत दुखी हैं, क्योंकि भारत सरकार उनके साथ जो निष्पक्षता वाला रवैया अपनाना चाहिए, वह नहीं अपना रही है।

सभापति महोदय, आज किसान बहुत दयनीय स्थिति में हैं। देश के किसी कोने में कभी बाढ़ आती है, कभी सूखा पड़ता है तथा कभी कोई और प्राकृतिक आपदा आती है, लेकिन सरकार किसानों के हित के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वह किसानों के हित में काम करे और दलगत राजनीति से उठकर उसे किसानों के हित में सही फैसले लेने चाहिए। मैं आपके माध्यम से इस सदन में निवेदन करना चाहती हूं कि आज पूरे देश के किसान दुखी हैं। हर दृष्टि से आज किसान बड़ा दुखी है क्योंकि उसे सरकार की ओर से बराबर साधन नहीं मिल रहे हैं, हर साधन की कमी है। किसान के जरूरत की चीजों के भाव आसमान छू रहे हैं और जिन चीजों को किसान पैदा कर रहा है उनके दाम बहुत कम हैं।

सभापति महोदय, आप किसी भी पहलू से देखें, देश के किसान आज सबसे ज्यादा परेशान और हताश हैं। उनके संबंध में यह सरकार हर दृष्टि से फेल हुई है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन है कि किसानों के हित में आप जरूर

[कु. मायावती]

सोचें और जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। हम आपको आवश्यक सहयोग देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस समय पूरे देश में किसानों की जो दुर्दशा है, उसे तत्काल सुधारा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, देश में किसानों की दयनीय दशा को दृष्टिगत रखते हुए ही आज सदन में यह "काम रोको प्रस्ताव" लाया गया है। इस प्रस्ताव के विपक्ष में हम, सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं और न ही इस प्रस्ताव के पक्ष में हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं, बल्कि हम तो किसानों के हित में इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि आज किसान हर क्षेत्र में बड़ा दुखी है। सरकार की यदि नीतियों को देखें, तो चाहे राष्ट्रीय कृषि नीति हो, आयात-निर्यात नीति हो या कोई और नीति हो, सरकार सिर्फ अपने हित में सोचती है, किसानों के हित में नहीं। इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि किसानों के हित में सरकार उचित फैसले ले। देश की अधिसंख्य जनसंख्या आज खेती पर निर्भर है और हमारे देश की रीढ़ खेती है। इसलिए इस तरफ ध्यान दिया जाना नितान्त आवश्यक है।

सभापति महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं।

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर): सभापति महोदय, आज "काम रोको प्रस्ताव" देश में किसानों की स्थिति के सम्बन्ध में ऊपर सदन में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो कुछ भी कांग्रेस की ओर से या विपक्ष की ओर से किसानों के संबंध में भाषण हुए हैं, उनसे उनकी राजनीतिक विचारधारा का भी प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। जब सिंधिया जी बोल रहे थे, तो उससे मुझे ऐसा लगा कि विचारधारा का भी प्रश्न कृषि के सवाल पर वे उठा रहे थे।

सभापति महोदय, मैं देहात से आता हूं, इसलिए जानता हूं कि किसानों की स्थिति क्या है। आज स्थिति यह है कि बिहार में किसानों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की बिक्री नहीं हो रही है। किसान की चाहे धान हो या मक्का, जब वह उन्हें लेकर बाजार में जाता है, तो दुकानदार उन्हें खरीदने के लिए तैयार नहीं हैं। मेरे दिमाग में यह बात नहीं आ रही है कि बिहार में अनाज की बिक्री क्यों नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? क्या इसका संबंध कृषि नीति से है या हम जो नीतियां चला रहे हैं, उनकी वजह से किसान को परेशानी झेलनी पड़ रही है, या हम लोग जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के अनुसार काम कर रहे हैं, उसकी वजह से तो ये बातें नहीं हो रही हैं? यह भी सोचने और देखने की जरूरत है।

यह सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। अखबारों के माध्यम से हम जानते हैं और सरकार की ओर से भी यह घोषणा की गई है कि एफ.सी.आई. के गोदाम में इतना अनाज है कि अब केन्द्रीय सरकार के लिए और अनाज खरीदना संभव नहीं है। उस अनाज की खपत कैसे हो, उसकी बिक्री कैसे हो, उसका बाजार कैसे हो, बाजार मिले तो वह कहां मिलेगा और बाजार नहीं मिल रहा है तो उसके कारण क्या हैं - ये सारे प्रश्न हैं। इसलिए जब चर्चा इस बात की होती है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के दबाव में 714 चीजों के ऊपर प्रतिबंध को हटा लिया गया है तब यह भी देखना चाहिए कि 714 चीजों में से कौन सी ऐसी चीज है जो कृषि वस्तु से बनती है या सीधे कृषि का उत्पादित माल है। अगर भारत की मार्केट में वह माल सीधे आ रहा है, उस पर प्रतिबंध नहीं है और बाजार में उसकी बिक्री हो रही है तो कहीं उसका असर तो नहीं है। उस पर यह असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है। फिर जब अप्रैल महीने में 715 चीजों पर आप फिर प्रतिबंध हटायेंगे तो आप देखें कि उसमें कृषि के कितने उत्पादित माल हैं। फिर बाजार में उनकी वहां से सीधी बिक्री होगी तो कृषि पर वह क्या प्रभाव डालेगा, इसे भी देखने की जरूरत है। इसलिए बिहार में धान, मक्का या दूसरी फसल की बिक्री नहीं हो रही है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि वह बिक्री क्यों नहीं हो रही? यदि वह माल दुकानदार या व्यापारी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार उसकी व्यवस्था क्यों नहीं कर रही ताकि छोटे-छोटे किसान अपने माल को बेच सकें। जब व्यापारी कहते हैं कि मुझे पैसा दीजिए तो किसान कहता है कि हमारे पास तो गल्ला बेचकर ही पैसा आता है। उस पैसे से हम तेल, नमक आदि दूसरी चीजें खरीदते हैं। जब माल बिकेगा ही नहीं तब हम इसे कैसे खरीदेंगे? मैं पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार हर ब्लाक से माल खरीदने के लिए कोई व्यवस्था करेगी या नहीं? ...*(व्यवधान)* बिहार में तत्काल परेशानी का कारण अनाज की बिक्री का न होना है। इसलिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को प्रखंड स्तर पर किसानों के अनाज की बिक्री के लिए कोई तात्कालिक व्यवस्था करनी चाहिए।

इसी तरह बिहार प्रदेश में खेती बहुत पिछड़ी हुई है। अभी भी हमारे राज्य में 95 प्रतिशत से अधिक जमीन की जुताई हल से होती है। हमारे राज्य में खाद का इस्तेमाल देश के दूसरे राज्यों से बहुत कम होता है। इसी तरह हमारे राज्य में ट्रैक्टर या हारवैस्टर का इस्तेमाल पूरे देश में जितने भी राज्य हैं, उससे बहुत कम होता है। इसलिए हमारे राज्य में अगर कोई शहर भी है तो वह ग्रामीण शहर है जैसे पटना है। पटना कोई औद्योगिक शहर नहीं है बल्कि वह ग्रामीण शहर है। इसके बावजूद हम कहते हैं कि वह बिहार राज्य की राजधानी है लेकिन वह ग्रामीण शहर है। सिंधिया जी यहां से चले गये, मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से पूछना चाहता हूं कि पटना अगर आज ग्रामीण शहर है तो इसमें उनका कितना योगदान है? आजादी के 52-53 वर्ष बीत जाने के बाद भी पटना औद्योगिक शहर नहीं हो सका, क्या इसमें यह जो डेढ़ या तीन साल तक चलने वाली सरकार है, उसका दोष है?

अगर बिहार की खेती में पूंजीवादी प्रवेश होता, उस तरह की खेती होती तो पटना भी एक औद्योगिक नगर होता, एक शहर होता। लेकिन इस आधुनिक युग में भी हमारी राजधानी ग्रामीण राजधानी है। इसलिए राजनैतिक दृष्टिकोण से किसानों के प्रश्न पर सोचना अच्छी बात नहीं है। हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि हमारे देश की 70 फीसदी जनता गांवों में बसती है। जो हमारी ग्रामीण जीवन पद्धति, परम्परा और संस्कृति है, वह संस्कृति नष्ट होती जा रही है। अगर उसकी जगह किसी नई संस्कृति को आना है तो उसके लिए कोई योजना है या नहीं। मैं समझता हूं कि उसके लिए कोई योजना नहीं है। मैं इसी के साथ एक बुनियादी प्रश्न जोड़ना चाहता हूं। अभी जो कृषि नीति घोषित की गई है, संभवतः उस पर बहस होने वाली है। उसमें कृषि सुधार, भूमि सुधार के संबंध में चर्चा है। लेकिन मैं एक प्रश्न कृषि मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि कहीं उसका भी तो उसकी हालत पर असर नहीं है। इस पर विचार किया जाना चाहिए। कृषि और भूमि सुधार के लिए, बड़ी जोत और उसमें पट्टेदारी निजी क्षेत्रों को देने की बात की गई है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती की खेती निजी क्षेत्र में ही है। हर किसान के पास छोटी और बड़ी जोत है। कहीं इसका संबंध निजी क्षेत्र औद्योगिक एवं व्यापारिक घराने और कॉरपोरेट जगत से तो नहीं है? कहीं अंतर्राष्ट्रीय जगत या कॉरपोरेट जगत से तो इसका संबंध नहीं है। अगर संबंध है तो मैं समझता हूं कि हमारे देश में, हमारे जीवन में एक बुनियादी परिवर्तन होने वाला है क्योंकि यह पूरे भारत के जीवन को बदल डालेगा। होना चाहिए या नहीं, मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता, इस पर बहस होगी, लेकिन हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जगत के कॉरपोरेट अगर हिन्दुस्तान के कॉरपोरेट जगत को समझते हैं, अगर उन्होंने इसे पढ़ा है तो उसका असर बाजार में कहीं नहीं पड़ रहा है। अगर उसका असर बाजार में पड़ रहा है तो आपके पास उसका क्या उपाय है। उसका उपाय निकालना पड़ेगा। कृषि नीति से इस देश में जो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि छोटे किसानों से लेकर बड़े किसानों तक उनको पट्टे पर जमीन देनी है तो किसे देनी है। पूरे ग्रामीण जीवन में खेत मजदूरों से लेकर किसान, धनी हो, गरीब हो, छोटा हो, अगर उसके जीवन में परिवर्तन होता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था होगी। क्या कृषि नीति बनाते समय यह योजना बनी है?

मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, गन्ने का उपयोग नहीं हो रहा है, लाभकारी मूल्य मिलना तो बहुत दूर की बात है। किसानों को लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, खेती आधुनिक ढंग से होनी चाहिए, पर हैक्टेयर उत्पादन बढ़ाना चाहिए, लेकिन यह सब बहुत दूर की बात है।

मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर भी विचार होना चाहिए। इसमें राजनैतिक विचारधारा और एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में अभी बाढ़ आई, जिसमें मेरा क्षेत्र मुंगेर भी पड़ता है और बगल के क्षेत्र भागलपुर, जमुई, सीतामढ़ी भी पड़ते हैं। पूरा उत्तरी बिहार बाढ़ से तबाह है। सिर्फ मुंगेर के जिलाधिकारी ने कहा है कि 148 करोड़ रुपये की जान और धन की हानि हुई है। इतना ही नुकसान भागलपुर, सखीसराय, खगड़िया और सीतामढ़ी में भी हुआ है। हमें मालूम नहीं है कि राज्य सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकर को बाढ़ में जन-धन की कितनी हानि हुई है, उसकी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को दी है कि नहीं। लेकिन अगर राज्य सरकार ने रिपोर्ट दी है तो बिहार को अभी तक क्या मिला है? खगड़िया और भागलपुर बाढ़ से बहुत प्रभावित जिले हैं, वहां बहुत तबाही हुई है। सिर्फ मेरे जिले में 50 हजार मिट्टी के मकान गिर गये हैं। यह सरकारी रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है। लोगों के पास वहां रहने के लिए घर नहीं हैं, ऐसी स्थिति है। जितने साधन, जितना इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां बर्बाद हुआ है, जो भी सिंचाई के साधन बर्बाद हुए हैं, जितनी भी मकान ध्वस्त हुए हैं, इन सारी चीजों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ चूंकि यह काम रोको प्रस्ताव राजनैतिक दृष्टिकोण से रखा गया है, इसलिए मैं इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री पूर्णो ए. संगमा (तुरा): सभापति महोदय, मैं समय के बारे में पूर्ण रूप से सचेत हूं। अतः, मेरी बात संक्षेप में होगी। मैं केवल तीन बातें कहूंगा।

महोदय, कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। दुर्भाग्य से इस क्षेत्र की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था का सतत विकास तभी होगा जबकि कृषि की औसत विकास दर चार प्रतिशत होगी। वर्तमान स्थिति क्या है? यदि आप गत 15 वर्षों में कृषि की विकास दर देखें, तो आपको पता चलेगा कि यह 3.6 प्रतिशत पर स्थिर हो गई है।

आर्थिक सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि यह चार प्रतिशत होनी चाहिए, वर्ष 1990 से 1997 तक खाद्यान्न उत्पादन में बढ़ोत्तरी की संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत रही है जबकि जन्म दर में वृद्धि की दर 2.1 प्रतिशत रही है। मैं यह बात इस सभा को केवल यह याद दिलाने के लिए कह रहा हूं कि हालांकि हमें खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर होने पर गर्व है फिर भी आज वास्तविकता यह है कि जनसंख्या विकास की दर, खाद्यान्न उत्पादन की विकास दर से कहीं अधिक है। अतः, हमें अत्यधिक सावधान रहना होगा। मेरे विचार से देश में दूसरी हरित

[श्री पूर्णो ए. संगमा]

क्रान्ति की आवश्यकता है। डा. स्वामीनाथन ने भी इसी बात पर बल दिया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि हरित क्रान्ति का विस्तार पूर्वी गंगा क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी और मध्य भारत तक होना चाहिये। नये क्षेत्रों तक हरित क्रांति का विस्तार करने के लिए स्वभाविक तौर पर निवेश की आवश्यकता है। आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है:

''यह विकास सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण परिसंपत्तियों में उच्च निवेश और ग्रामीण सड़कों, सिंचाई, कृषि अनुसंधान और विस्तार सेवाओं, मृदा-संरक्षण सिंचाई और वाटरशेड-प्रबंधन सहित सुदृढ़ आधारभूत संरचना में सरकारी व्यय को बढ़ावा देने का सुझाव दिया गया है।''

इस प्रकार, इन क्षेत्रों में हमें पर्याप्त निवेश करना है। जैसाकि पूर्व वक्ताओं ने भी बताया है कि कृषि क्षेत्र में दुर्भाग्य से पर्याप्त निवेश नहीं किया जा रहा है। अतः, हमारे देश में कृषि प्रबंधन के बारे में गहराई से विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए आयोजना और निगरानी की आवश्यकता होगी।

दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस समय की स्थिति, विशेष स्थिति है, संकट की स्थिति है। 1999-2000 के आर्थिक सर्वेक्षण में भी कहा गया है कि खाद्य पर राजसहायता देने के लिए करीब 8,500 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं ...*(व्यवधान)* मेरे विचार से यह धनराशि 8,200 करोड़ रुपये है। अतः, एक ओर, हम राजसहायता प्राप्त खाद्य की खरीद के लिए इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं वहीं दूसरी ओर, आज उसको लेने वाला कोई नहीं हैं। भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अतिरिक्त स्टॉक है। तेल के डिपुओं में अतिरिक्त स्टॉक है। खाद्य तेल क्षेत्र की भी यही स्थिति है। नेफेड के पास भी काफी स्टॉक है। दूसरी ओर, हम इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं और निवेश कर रहे हैं। क्यों? मेरे विचार से इसका कारण बहुत स्पष्ट है। यह प्रबन्धन की असफलता है। मैं इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूं कि यह प्रबन्धन की पूर्ण असफलता है। मैं यह नहीं जानता कि खाद्यान्न और तेल का बाजार-मूल्य, भारतीय खाद्य निगम अथवा नेफेड अथवा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाले राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों से सस्ता किस प्रकार है। एक ओर हम यह कहते हैं कि खाद्यान्न हमारे पास अतिरेक में है और दूसरी ओर करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं। मेरे विचार से, इसका कारण सिर्फ कुप्रबन्धन है। हमें अपने देश में वितरण प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। हमें भारतीय खाद्य निगम और अन्य एजेंसियों के कार्यकरण का व्यवसायीकरण करना होगा।

समय का ध्यान रखते हुए, तीसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं जैसाकि पहले भी कहा जा चुका है कि इस संकट का मुख्य कारण खाद्यान्न और तेल का आयात है।

पिछले दो वर्षों में हमने आवश्यक वस्तुओं का, चाहे वह चीनी हो अथवा खाद्य तेल, अंधाधुंध आयात किया है। पाकिस्तान और ब्राजील से हम चीनी का आयात कर रहे हैं। पिछले वर्ष मुझे बताया गया है कि पेट्रोलियम पदार्थों के पश्चात् सबसे अधिक आयात खाद्य तेल का किया गया है। अनेक सदस्य पहले ही हमारे किसानों की दयनीय दशा का उल्लेख कर चुके हैं। चाहे वह चीनी का क्षेत्र हो या गेहूं का अथवा केरल के रबड़ उत्पादकों का या फिर कोई अन्य स्थान हो, हमें अत्यधिक सावधानी से काम लेना होगा।

मैं विश्व व्यापार संगठन के प्रति अपनी वचनबद्धताओं के बारे में जानता हूं। परन्तु हमारे पास उसका खाका नहीं है। मेरे विचार से सरकार ऐसा कर सकती है और उसे इस संबंध में उचित कदम उठाने चाहिये। जैसा कि श्री माधवराव सिंधिया ने कहा है इसका एक कारण यह है कि हमारे पास आयात शुल्क लगाने की शक्ति है। हमने आयात शुल्क के बिना तेल का आयात करने की अनुमति क्यों दी? कल ही सरकार ने तेल के आयात पर शुल्क लगाने का निर्णय किया है। ऐसा संभवतः इसलिये किया होगा क्योंकि आज सभा में इस विषय पर चर्चा होनी थी। अतः, ऐसे क्षेत्र हैं, जिनका उपयोग किया जा सकता है और सरकार सुधारात्मक उपाय कर सकती है ...*(व्यवधान)* मैं उन बातों का दोहराना नहीं चाहता जो पहले ही कही जा चुकी हैं।

मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं - मेरे विचार में हमें उनसे सबक लेना चाहिये -मैक्सिको में 'निफ्टियर' के अंतर्गत सस्ते आयात के परिणामस्वरूप मकई की कीमतों में आई गिरावट के कारण सात-आठ लाख लोगों की जीविका समाप्त हो गई। ऐसा ही मास्को की अर्थव्यवस्था में हुआ। फिलीपीन्स में खाद्यान्न क्षेत्र का महत्व धीरे-धीरे कम किया गया और यही स्थिति आज हमारे देश की है। फिलीपीन्स में ऐसा वर्ष 1998 में हुआ और उसका परिणाम यह हुआ है कि ऐसी स्थिति आ गई है कि कुछ ही वर्ष पूर्व कुल कृषि आयात में चावल का आयात 35 प्रतिशत तक बढ़ गया। अतः, हमें बहुत सावधानी से काम करना चाहिये।

मैं अंधाधुंध आयात के हक में नहीं हूं, इससे किसानों के लिए अनेक समस्याएं पैदा होती है। परन्तु जब हम किसानों के बारे में बात करते हैं तो हम कृषि क्षेत्र के बारे में बात करते हैं, लेकिन कई बार हम उन लोगों के बारे में भूल जाते है जो कृषि मजदूर हैं, दैनिक मजदूरी पर कार्य करते हैं, हमारे देश में 315

मिलियन कार्यकारी श्रमशक्ति हैं, उसमें से 110 मिलियन कृषि मजदूर हैं। उनकी जीविका उनकी दैनिक मजदूरी है। मेरे विचार से सरकार को उस पर विचार करना चाहिये।

कुछ समय तक मैं श्रम मंत्रालय में रहा हूं। मैं कृषि मजदूरों की स्थिति से परिचित हूं। देश के श्रम मंत्रियों के इस संबंध में अनेक सम्मेलन हुए हैं कि उनके लिए क्या किया जा सकता है। उसमें एक सुझाव यह था कि कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए जिस प्रकार केरल में एक कानून है, उसी प्रकार का कानून भारत सरकार कृषि मजदूरों के लिए ला सकती है। मेरे विचार से यह मसौदे की अंतिम स्थिति में है और सरकार को उस विधेयक विशेष पर शीघ्रता से कार्य करना चाहिये जिससे कृषि मजदूरों के कल्याणकारी उपायों का विनियमित करेगा।

आजादी के पश्चात् हमने कृषि क्षेत्र में काफी प्रगति की है। दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में, जैसाकि मैंने कहा है, जहां तक विकास दर का सम्बन्ध है, यह स्थिर रही है। इसका अधिकांश श्रेय केवल किसानों और कृषि मजदूरों को ही नहीं बल्कि हमारे वैज्ञानिकों को भी जाता है। हमारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के क्षेत्र में अत्यधिक प्रशंसनीय कार्य किया है। दुर्भाग्य से, मुझे यह पता चला है कि हमारे वैज्ञानिकों का मनोबल पूरी तरह गिरा है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, डा. आर.एस. पड़ौदा और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के सचिव को जिस प्रकार से सेवा से हटाया गया है, वह उचित नहीं है। वह चालू वर्ष में भारतीय विज्ञान कांग्रेस संगठन (इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन) के अध्यक्ष भी हैं। इंडियन साइंस कांग्रेस की बैठक शीघ्र ही होने जा रही है और उसका उद्घाटन प्रधान मंत्री करेंगे। मैं नहीं जानता कि भारत के प्रधान मंत्री उस व्यक्ति जिसे उनकी सरकार ने ही पदच्युत किया है, के साथ किस प्रकार मंच पर आयेंगे। डा. आर.एस. पड़ौदा को हटाये जाने के बारे में डा. एम.एस. स्वामीनाथन, डा. अब्दुल कलाम, डा. खुश इत्यादि के लेख से मैं वास्तव में बहुत चिंतित हूं। जिस ढंग से एक लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक के साथ व्यवहार किया गया है उस पर केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेश के अनेक प्रसिद्ध वैज्ञानिकों, जिनमें नोबेल पुरस्कार विजेता डा. नॉरमन ई. बारलॉग हैं ने भी अपना दु:ख और क्षोभ व्यक्त किया है।

अत:, मैं मंत्री महोदय से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता हूं। मैं नहीं चाहता कि हमारे देश के वैज्ञानिकों का जिन्होंने हमारे देश की इतनी अधिक सेवा की है, मनोबल गिरे। अत: मैं श्री नीतिश कुमार से व्यक्तिगत रूप से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का निवेदन करता हूं। यदि वे अपने निर्णय में परिवर्तन करते हैं, तो यह हमारे वैज्ञानिकों की ही नहीं, बल्कि भारतीय कृषि, जो हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, की महान सेवा होगी।

श्री रामजीवन सिंह (बलिया, बिहार): सभापति महोदय, कृषि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा चल रही है। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने चिन्ता जताई, उन्होंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। यह सदन उस पर गंभीरता से विचार कर रहा है, यह अच्छी बात है। कांग्रेस पक्ष के उपनेता सिंधिया जी इस समय यहां मौजूद नहीं हैं, वे चर्चा कर रहे थे कि वर्तमान सरकार ने फर्टिलाइजर, डीजल की कीमत बढ़ाई, जिसके कारण किसानों पर यह मार पड़ी है। सिंधिया साहब यहां मौजूद होते तो शायद इस बात को महसूस करते कि कीमतें आज नहीं बढ़ी, बल्कि जब 1991 में राव जी की सरकार थी उस समय कीमतें बढ़ीं। 1991-92 में फास्फेटिक फर्टिलाइजर की खपत करीब सवा तीन लाख मिलियन मीट्रिक टन थी। इन्होंने 25 अगस्त, 1992 को फास्फेटिक और पोटाश फर्टिलाइजर को डिकंट्रोल कर दिया, जिसका असर यह हुआ कि 1993-94 में फास्फेटिक फर्टिलाइजर की खपत 3.21 मिलियन टन से घट कर 2.61 मिलियन टन पर चली गई। उसी तरह पोटाश की खपत 1991-92 में 1.391 मिलियन टन थी, जब उसे डिकंट्रोल किया गया, तब कीमत बढ़ी, वितरण घटा और वह 0.99 मिलियन टन पर चला गया। उसका परिणाम यह निकला कि जहां डीएपी खाद 4700 रुपए प्रति टन थी, वह 1992-93 में डिकंट्रोल करने के बाद अचानक 8300 रुपए प्रति टन पर चली गई। तब एनपीके का रेश्यो बिल्कुल घट गया, जिसका असर उत्पादन, जमीन और अनाज पर पड़ा। यह स्थिति लगातार चलती रही है, प्रत्येक सरकार ने कीमतें बढ़ाने और घटाने का काम किया है। इसी तरह वह डीजल की चर्चा कर रहे थे। डीजल का दाम 1973 में दिल्ली शहर में 83 पैसे प्रति लीटर था। सन् 1980 में उसकी कीमत बढ़कर 2 रुपये 28 पैसा हो गयी और 1981 में 2 रुपये 67 पैसा हो गयी तथा फिर उसी साल 1981 में वह बढ़कर 3 रुपये 02 पैसा प्रति लीटर हो गयी और वह बढ़ते-बढ़ते 1997 में 10 रुपये 34 पैसा हो गयी। आप बताएं कि 1980 से लेकर 1991 तक किसकी सरकार थी? सन् 1996-97 में जब रिकार्ड उत्पादन इस देश में हुआ तो आपने विदेशों से आयात किया। वह किसके समर्थन वाली सरकार थी? सब जानते हैं कि वह एनडीए की सरकार नहीं थी, वह आपकी सरकार थी। चाहे गेहूं के आयात का मामला हो या चीनी के आयात का मामला हो, आपने कोई ठोस कृषि नीति नहीं बनाई।

यह बात सही है कि हमारा खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है, आत्मनिर्भरता आई है लेकिन यह भी सही है कि प्रति-व्यक्ति खपत घटती चली जा रही है। आजादी के बाद के इन 50 वर्षों में कोई ठोस कृषि नीति बनाई ही नहीं गयी और कृषि की अहमियत को भी ठीक से नहीं समझा गया। हमारा वर्ल्ड-ट्रेड में

[श्री रामजीवन सिंह]

शेयर 1951 में 2.6 प्रतिशत था और आज वह घटकर 0.6 प्रतिशत पर चले आये हैं। हमने कृषि को महत्व नहीं दिया और यह सब आपके 50 वर्षों के समय में हुआ है। आज स्थिति यह है कि सभी कह रहे हैं कि कृषि में लैंड रिफोर्म करो लेकिन किसानों की समस्या को उन लोगों ने ठीक से नहीं समझा है। दो-चार एकड़ वाले किसानों की बात तो छोड़ दीजिए, जिन किसानों के पास 100 एकड़ जमीन है और दूसरा कोई रोजगार नहीं है वह भी अपनी जमीन बेचे बिना अपनी लड़की का विवाह नहीं कर सकता है, अपने बेटे की बीमारी का इलाज नहीं करा सकता है। दो अक्टूबर को मैं अपने क्षेत्र में था। वहां का पैक्स अध्यक्ष बता रहा था कि जब वह किसान से कर्जा वापिस मांगने के लिए जाता है तो किसान कहता है कि गेहूं ले लो क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। वह कह रहा था कि उसके पास 100 मन गेहूं, 50 मन मक्का, और 25 मन सरसों है बेचने के लिए, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए दुर्गा-पूजा के अवसर पर वह अपने बच्चों को पांच रुपये का कपड़ा भी नहीं दे सका है। महोदय, यदि चीनी और प्याज की कीमत बढ़ जाती है तो सरकार बदल जाती है लेकिन लाखों टन आलू सड़ जाए, हजारों एकड़ में गन्ना जलाना पड़े तो कुछ नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर यह व्यवस्था किसके लिए है?

आपको सुनकर हैरानी होगी कि अगर कोई किसान पम्पिंग सैट, ट्रैक्टर, खाद, बीज आदि के लिए बैंक से ऋण लेता है और किसी लाचारी के कारण अदा नहीं कर पाता है तो उसे जेल भेज दिया जाता है और उसका सारा खर्चा किसान से वसूला जाता है, लेकिन किसी ने बैंक में डकैती डाली और वह पकड़ा गया तो उसको खिलाने का सारा खर्चा सरकार देगी। किसान से ऋण की उगाही के लिए सारा खर्चा किसान को स्वयं देना पड़ता है।

आज सिंचाई, बिजली की कमी की बात होती है लेकिन केवल उससे ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं होता है। हरियाणा इसका उदाहरण है। हरियाणा में 1987 में जब माननीय देवीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय वहां बिजली और सिंचाई पर्याप्त थी लेकिन किसान कर्ज में दबे थे। उन्होंने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि यदि वे सरकार में आये तो किसान का 10 हजार रुपये तक का कर्जा माफ कर देंगे और वे चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से जीते थे।

मैं भारत सरकार को और उसके कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम कृषि नीति के संबंध में पहल तो की है और वह इसी सत्र में पास भी हो जायेगी।

अभी तक इस देश में कोई भी दाम-नीति नहीं बनी है। सन् 1949 में जब इस देश में सूखा पड़ा था, अकाल की स्थिति आई थी तो उस समय के प्रधान मंत्री माननीय जवाहर लाल जी ने माननीय रफी अहमद किदवई जी की अध्यक्षता में प्राइस-पॉलिसी के लिए एक कमेटी बनाई थी। उसमें कहा गया कि किसनिया सामान और कारखनिया समान के बीच दामों का निर्धारण हो। 50 वर्षों से आज तक इसका निर्धारण नहीं हुआ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1960 और 1965 के बीच में गेहूं का दाम 40 रुपए मन थे और उस समय ट्रैक्टर के दाम करीब 15 से 20 हजार रुपए थे। किसान 400-500 मन गेहूं बेच कर एक ट्रैक्टर खरीदता था। आज गेहूं के दाम 200 रुपए प्रति मन और ट्रैक्टर के दाम तीन लाख रुपए हैं। उसे ट्रैक्टर खरीदने के लिए जहां 400 से 500 मन अनाज बेचना पड़ता था, आज किसानों को 1500 मन अनाज बेचना पड़ता है।

अपराह्न 4.56 बजे

(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा *पीठासीन हुईं*)

1960 के दशक में गेहूं के दाम 40 रुपए मन और दस ग्राम सोने के दाम 100 रुपए थे। किसान ढ़ाई-तीन मन गेहूं बेच कर अपनी बेटी और पतोहू के लिए थोड़ा बहुत सोना खरीद लेता था। आज गेहूं के दाम 200 रुपए और सोने के दाम 4400-4500 रुपए है। अब उसे 20 से 25 मन गेहूं बेचना पड़ रहा है। कारखाने में बनने वाली चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और किसनिया सामान के दाम कम होते जा रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई संतुलन नहीं है। यदि आप किसानों को बचाना चाहते हैं तो दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए।

पिछले 50 वर्षों में पोस्ट हारवैस्ट टैक्नॉलोजी पर ध्यान नहीं दिया। यदि इस तरफ ध्यान दिया होता तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। उत्पादन, भंडारण और वितरण पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहा। इसके चलते ये सब हो रहा है।

अब मौसम का फिर से अध्ययन करना चाहिए। विज्ञान के इतने ज्यादा परीक्षण हुए हैं कि नेचर की नैचुरल गति डिस्टर्ब हो गई। आज हमारी खेती पुरानी पद्धति पर चल रही है। इस दिशा में हमें सोच विचार करना चाहिए।

मैं कृषि मंत्री और सरकार से कहना चाहता हूं कि कृषि उत्पाद को देखते हुए जो आयात-निर्यात हो, उस पर सतर्कता से विचार करना चाहिए। नहीं तो बेचारा किसान मार खाएगा। मैं स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं और भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन चीजों पर ध्यान दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): इधर आप विरोध कर रहे हैं, उधर अनुरोध कर रहे हैं और हम आपका अवरोध कर रहे हैं।

श्री रामजीवन सिंह : इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हैं?

आप नीति बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि जब तक इस देश का किसान सुखी नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि देश के विकास का रास्ता खेतों की हरियाली से खुलेगा। जब तक देश के किसान और खेतिहर मजदूर सुखी नहीं होंगे तब तक देश तरक्की नहीं करेगा। आप ऐसी नीति बना कर आगे चलें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदया, यह अतिविशिष्ट प्रस्ताव पर की गई असाधारण चर्चा है। जैसा कि सभी जानते हैं, स्थगन प्रस्ताव में सरकार की निन्दा की जाती है। इस प्रस्ताव को सरकार द्वारा हल्के-फुल्के ढंग से लिया गया।

मेरे मित्र, श्री नीतीश कुमार यहां उपस्थित है। वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री और इन सबसे उपर उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री की सोची-समझी अनुपस्थिति पर मैं अपना विरोध प्रकट करता हूं। यह छोटी-मोटी उपेक्षा का मामला नहीं वरन् किसानों के हित की खुली अवहेलना है। मुझे लगता है कि यदि सरकार इस पर कार्रवाई न करें, तो कम से कम इस पर तुरंत ध्यान अवश्य देना चाहिए।

महोदया, यह सरकार द्वारा लाई गई आपदा है, जिसका सामना किसान कर रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

यह तो होना ही था। यह कार्य केवल गैर-जिम्मेदार और विचारण-क्षमताहीन सरकार ही कर सकती है। आज जो कृषकों की विकट परिस्थिति है, उसकी मिसाल स्वतंत्र भारत में कही नहीं मिलती।

जैसा कि मेरे कई मित्रों ने यहां कहा है, पिछले एक साल से आदानों, विशेषकर सरकार द्वारा प्रशासित आदानों, जैसे डीजल, उर्वरक और बिजली दरों में भारी वृद्धि हुई है। मेरी याददाश्त में यही एक वर्ष है - यदि मेरी याददाश्त सही न हो तो, आप मेरी बात में संशोधन कर सकते हैं - जब सारे देश में फसल की कीमतों में भारी गिरावट आई है। यह भारी दु:ख और शर्मिंदगी की बात हैं। देश में अनाज की अधिकता नहीं है। भारतीय खाद्य निगम की गोदामों में इसकी अधिकता है क्योंकि यदि आप रिकार्ड को देखेंगे, आप पाएंगे कि प्रति एकड़ अनाज के उत्पादन में संतोषजनक वृद्धि नहीं हुई है, प्रति व्यक्ति खाद्य की उपलब्धता में संतोषजनक वृद्धि न होने के बावजूद, भारतीय खाद्य निगम की गोदामों से अनाज नहीं उठाया गया।

संगमा जी ने उचित रूप से खेत-मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित किया है। कृषकों और कृषि मजदूरों की समस्याएं आपस में अत्याधिक जुड़ी हुई हैं। यदि कृषि उत्पादों की कीमतें गिरती हैं तो, इसके साथ ही खेत मजदूरों की मजदूरी भी कम हो जाएगी।

हम संपूर्ण कृषि क्षेत्र की बात कर रहे हैं। यह हमारे सकल घरेलु उत्पाद में लगभग 30 प्रतिशत का योगदान देता है। हमारे देश का लगभग 65 प्रतिशत मजदूर इसी क्षेत्र में रोजगार पाता है फिर भी, इस क्षेत्र को गरीब बनाया जा रहा है और इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि यह कुछ अवसर में से एक है जब मेरे शब्द किसानों की दुर्दशा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। जब किसानों और खेत मजदूरों की खरीद सामर्थ्य में कमी आएगी तो इससे उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपका उत्पाद कौन खरीदेगा। इनके बने साबुन, यहां तक कि सस्ता निरमा धुलाई साबुन, इनके बने कपड़े कौन खरीदेगा? कृषि क्षेत्र की समृद्धि और औद्योगिक विकास में एक प्रतीकात्मक रिश्ता है। इन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता।

यह समस्या पूर्वानुमान थी। दूसरी तरफ बैठे मेरे कई मित्र यह कहना चाहते थे कि यह समस्या कोई आज पैदा नहीं हुई है।

मैं उन में से नहीं हूं जो कहते हैं कि पिछले 50 सालों से किसान स्वर्ग में हैं या सातवें आसमान पर हैं। मैं उन लोगों में से हूं जो विश्वास करते है कि किसानों को वह नहीं मिला जिनके वे हकदार थे। परंतु आज किसानों की स्थिति पहले से भी बदतर हुई है। यह इस सरकार की पिछले दो वर्षों में जानबूझकर अपनाई गई नीतियों का परिणाम है।

मैं यहां तथ्यों का हवाला देता हूं। मैं यहां केवल एक आंकड़े का उल्लेख करना चाहूंगा। दिल्ली में, 1998 में, देसी परमल चावल का थोक मूल्य 868 रुपये था। यह बात 1998 की है। सितम्बर, 1999 में चावल की कीमत घटकर 862 रुपये हो गई। इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि 1999 में चावल की कीमत कम हो रही थी तेजी से नीचे गिर रही थी या रसातल में जा रही थी। परमल चावल की कीमत क्या है? मैं चावल के एक ही किस्म की बात कर रहा हूं। मैं आपको सूक्ष्म विवरण के बोझ तले नहीं दबाना चाहता। आज, अक्टूबर में, इस चावल की कीमत 842 रुपये है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? मुझे यकीन है कि श्री नीतीश कुमार ने इसे महसूस किया होगा। मैंने उन्हें कई विभिन्न अवतारों में जाना है। मैंने प्रेस में भी श्री नीतीश कुमार के हमारे एक और मित्र, श्री शांता कुमार से आंतरिक कलह की छपी खबरों को देखा है, हमें इससे कुछ भी लेना देना नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): श्री राम विलास पास के अतिरिक्त।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं केवल विचारों के संघर्ष की बातें कर रहा हूं, और न कि गुटों के आपसी कलह का जो हमारी राजनैतिक परंपरा में बहुधा पाया जाता है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं इसे विचारों के संघर्ष के रूप में देखता हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : हमें आपके आपसी कलह से कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें परिणामों की चिंता है, और परिणाम शून्य है क्योंकि आपके पास राजनैतिक इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति कहां हैं? गेहूं के साथ भी यही कहानी है। मक्का, पाम तेल, सोयाबीन, मूंगफली तेल और इत्यादि की भी यही कहानी है। यदि समय हो तो मैं इसका विस्तृत ब्यौरा दे सकता हूं।

काश, श्री यशवंत सिन्हा यहां होते। वे अब वित्तीय आतंकवादी बन गये है। वे हर वक्त हमें वित्तीय घाटे की याद दिलाते रहते हैं; मैं उन में से हूं जो थोड़ा अर्थशास्त्र जानता है, मुझे भी इस बारे में चिंता है। क्या वे जानते है कि अभी भी यूरोपियन संघ के आम बजट का 50 प्रतिशत से अधिक भाग यूरोप की आम कृषि नीति के वित्तपोषण पर खर्च किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमरीका जो कि उदारीकरण का स्वर्ग है में कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क 245 प्रतिशत तक लगाया जाता है। हमारे मित्र पूछ रहे थे, कि पिछले 50 सालों में हमने क्या किया है? वह यह कि 1968-69 तक के पहले तीन दशकों में औसत वार्षिक उत्पादन 68-69 मिलियन टन रहा है। 1998-99 में यह 198 मिलियन टन हुआ है। उत्पादन क्षमता में तीन गुना वृद्धि हुई है।

श्री संगमा दूसरी हरित क्रांति की बात कर रहे थे। मैं भी यह सुहाना सपना देख रहा था। परंतु, आज दूसरी हरित क्रांति एक दुःस्वप्न सी लगती है। जब हम प्रथम हरित क्रांति से ही निपट पाने में असमर्थ है तो इस दूसरी क्रांति के उलझाव से कैसे जूझेंगे? मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि हमें उत्पादन बंद कर देना चाहिए। आंध्र प्रदेश के हमारे हाइटेक मुख्य मंत्री ने पहले ही तंबाकू के लिए क्राप हॉलिडे की घोषणा कर दी है। वे शीघ्र ही चावल इत्यादि फसलों पर क्राप हॉलिडे की घोषणा कर सकते हैं। इसमें शायद अच्छाई भी हो सकती है।

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): क्राप हॉलिडे किसानों के हित के लिए ही है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : ठीक है मैं आपका समर्थन कर रहा हूं।

श्री के. येरननायडू : उच्च न्यायालय भी इसका समर्थन कर रहा है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उच्च न्यायालय ने हमेशा किसानों की उन्नति का समर्थन किया है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : श्री येरननायडू, आप क्रॉप हॉलिडे का समर्थन कर रहे है क्योंकि, सभा में आपकी संख्या के बावजूद - जिसके कारण रा.ज.द. की यह सरकार टिकी हुई हैं - फिर भी आप इस नीति-हीन सरकार पर किसी भी प्रकार का दबाव डालने में असमर्थ रहे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप समर्पण कर रहे हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : और, आप सरकार की आलोचना का लाभ नहीं उठा सकते ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : आपने आज मेरा भाषण सुना। आपने मेरे साथी को अपने विचारों की बेबाक अभिव्यक्ति भी सुनी होगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि, श्री नायडू - यहां लोक सभा में - और श्री नायडू वहां हैदराबाद में, इस प्रकार आप दोनों जगहों का लाभ नहीं उठा सकते। आप सरकार के आलोचक भी हों और हमारे स्थगन प्रस्ताव का विरोध भी करें दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। हम आपकी परख अब से एक घंटे बाद करेंगे।

श्री के. येरननायडू : हम विरोध करने के लिए तैयार है। परंतु विरोध करना समस्या का कोई हल नहीं है। हमें आपस में बैठ कर बात-चीत करनी होगी और हमें सरकार को सलाह देनी होगी।

सभापति महोदय : आप अध्यक्षपीठ की आज्ञा के बिना बोले जा रहे हैं। पहले ही हमारे पास समय कम है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदया, मेरे मित्र श्री माधव राव सिंधिया ने मात्रात्मक प्रतिबंध उठाए जाने से उत्पन्न समस्या का उल्लेख किया है। किंतु मैं घिर कर आई समस्याओं से हैरान हूं। अप्रैल 2001 से चावल और गेहूं पर मात्रात्मक प्रतिबंध पूर्णतः उठा दिए जायेंगे। इसके पश्चात् क्या होगा? कुल राष्ट्रीय उत्पाद के तीन प्रतिशत का हमें अनिवार्यत आयात करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि इस वर्ष और पिछले एक वर्ष में हुए दो प्रतिशत चार मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन को

संभालने में हम असमर्थ है, तो अगले वर्ष से अनिवार्यत: आयातित - 6 मिलियन टन - खाद्यान्नों को हम किस प्रकार संभालेंगे?

भारतीय खाद्य निगम के गोदामें में 40 मिलियन टन का भंडारण है। भारतीय खाद्य निगम के मंत्री कहां हैं? क्या वे आए हैं? जी हां मैं श्री शांता कुमार को उनके कुशल अकर्मण्यता पर दाद देता हूं। वे अपने विशाल गोदामों पर खुशी से बैठे हैं। देश में ऐसे कई भाग है जो सूखे से प्रभावित है, और कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां बाढ़ से पूर्णत: तबाही हो चुकी है। परंतु भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से उन्हें अनाज की कोई पूर्ति नहीं हो रही है।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर): उनके प्रस्ताव को मंत्री मंडल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें ऐसा कहने दीजिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : इसलिए, वे भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पड़े अनाज का क्या करेंगे?

मैं मिरयालगुडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि हूं जहां नागार्जुन सागर परियोजना से थोड़ा पानी मिलता हैं इसलिए केवल किसानों को ही नहीं, धान कुटाई मालिकों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका माल कोई नहीं खरीद रहा है। माननीय कृषि मंत्री, क्या आप मुझसे यह कहना चाहते हैं कि - "देखिए श्री जयपाल रेड्डी, मैंने अनाज का खरीद मूल्य बढ़ा दिया है?" श्री नीतीश कुमार, मैं चाहता हूं कि भारतीय खाद्य निगम चावल की खरीद पिछले वर्ष के मूल्य के आधार पर करे न कि इस वर्ष के मूल्य के आधार पर। यह वर्ष उन अनोखे वर्षों में से है जब बाजार दर अनाज के खरीद मूल्य से बहुत कम है।

[अनुवाद]

अत:, इस समस्या से बचा नहीं जा सकता है। मैं नहीं समझता हूं कि यह समस्या आकस्मिक रूप से उत्पन्न हुई है। मेरे विचार से यह भाजपा की आनुवंशिक विशेषता है। यह भाजपा के वर्गभेद का सूचक है क्योंकि भाजपा ने सैदव भारत के असंख्य शहरी क्षेत्रों के सम्पन्न वर्ग का प्रतिनिधित्व किया है। वे न तो शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के बारे में जानते हैं और न ही ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के बारे में जानते हैं।

सभापति महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, कृपया, अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदया, मैं बस अभी अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : इतनी अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : बात तो सही है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : भाषा कोई भी हो।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय मंत्रियों को परेशान करने वाली इस घटना के बारे में जानकारी होगी कि खाद्यान्नों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट आ रही है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि खाद्यान्नों का सहज निर्यात का विकल्प अब आपके पास नहीं है।

लेकिन मूल्य स्तर कुछ भी हो, खाद्यान्नों का निर्यात कीजिए और गोदाम खाली कीजिए। कृपया सूखाग्रस्त क्षेत्रों में खाद्यान्न भेजिए। यद्यपि गोदाम भरे हुए हैं लेकिन फिर भी लोग खाद्यान्नों के अभाव में भूखे मर रहे हैं। यहां मैं आपको चौथे दशक में अमरीका और पश्चिमी देशों में आई मंदी के बारे में याद दिलाना चाहता हूं लोग सड़कों पर भूखे मर रहे थे लेकिन गोदाम भरे हुए थे ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : अमरीका का उदाहरण सही उदाहरण है ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : ये केवल इसी तरह से समझ सकते हैं। ये केवल अमरीका की भाषा समझते हैं। दुर्भाग्य से, श्री पी.ए. संगमा के समुदाय के प्रयासों के लिए धन्यवाद कि हम सब विशुद्ध अंग्रेजी में दक्ष हुए, हमें कुछ अमरीकी अंग्रेजी भी सीखनी होगी।

कम से कम मेरे मित्र प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु ने कहा है कि अब राज्य सरकार अपने स्रोतों से भण्डारण स्थान उपलब्ध कराने हेतु तैयार है। इसका उपयोग कीजिए।

महोदया, मुझे एक और अन्तिम बात कहनी है। श्री नीतीश कुमार बहुत प्रसन्न हैं कि उनके पास बहुत बढ़िया कृषि नीति है। मैंने देर रात तक इस कृषि नीति का अध्ययन किया है। लेकिन मुझे इसमें कोई नई बात नहीं मिली। इसमें शोर-शराबा ज्यादा है लेकिन है कुछ नहीं। इसमें घिसी-पिटी, सामान्य बातें हैं, इसमें

[श्री एस. जयपाल रेड्डी]

भारी-भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और इसमें अहानिकर बातें हैं।

मुझे विश्वास है कि इनके उत्तर में यही बात दोहराई जाएगी।

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): सभापति महोदय, आज यहां किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहां किताबों की ज्यादा चर्चा हो रही है और जिस क्षेत्र की चर्चा होनी चाहिए, उसकी कम हो रही है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। इस सारी चर्चा के बावजूद यह सत्य है कि पिछले सालों में हमारा देश खाद्यान्न के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो चुका है। जयपाल रेड्डी जी बता रहे थे कि देश में फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया के सब भंडारण भरपूर हैं। इसमें कोई शक नहीं है। ...*(व्यवधान)* भारत सरकार के घर में लक्ष्मी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यह भी वास्तविकता है कि आज देश में ऐसे इलाके भी बहुत हैं जहां भुखमरी है, जैसे उड़ीसा से भुखमरी की रिपोर्ट आ रही है। नौ-दस एकड़ जमीन वाला किसान भी अब अपना गांव छोड़ कर बाहर भाग रहा है। उड़ीसा के पश्चिम प्रांत, छत्तीसगढ़ का इलाका और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में आज हालत बहुत बिगड़ी हुई है। हम यहां किसानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बाढ़ के बारे में भी बताया। बंगाल में बाढ़ आई है जबकि गुजरात, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में अकाल पड़ा है। हम इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। संगमा जी बता रहे थे कि पौपूलेशन ग्रोथ के हिसाब से हमारे कृषि क्षेत्र में इतना उत्पाद नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। लेकिन यह भी सच है, जैसा मैंने कहा कि पिछले कई सालों में कृषि उत्पादन में हमने काफी तरक्की की है। देश में यह एक विचित्र स्थिति है कि कुछ क्षेत्रों में भरपूर भंडार है जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान रास्ता रोको आन्दोलन कर रहे थे क्योंकि वहां इतना गेहूं पैदा हुआ है कि उसे रखने की जगह नहीं है। गेहूं रखने के लिए उड़ीसा भेजा जा रहा है। जिस देश में खाद्यान्न रखने की जगह नहीं है, उस देश में लोग भूख से मर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आता कि गलती कहां है। हमारी नीतियों में गलती है या नीतियों के कार्यान्वयन में गलती है।

मैडम सोनिया गांधी किसानों की दुर्दशा के बारे में काफी दु:ख प्रकट कर रही थीं। मुझे याद है 1966-67 की बात जब कालाहांडी में उस समय अकाल पड़ा था और श्रीमती इंदिरा गांधी वहां गई थीं। उसका बहुत प्रचार हुआ लेकिन वहां के किसानों की 25-30 साल पहले जो स्थिति थी, अभी भी वही है। 1986 में स्वर्गीय राजीव गांधी वहां गए थे। जहां तक मुझे याद है, मैडम सोनिया गांधी भी उनके साथ थीं। सारे विश्व में चर्चा हुई थी। वहां फानस फूंजी नामक महिला ने पेट भरने के लिए अपने चौदह साल के लड़के को 40 रुपये में बेच दिया। वहां के लोग ऐसा खाना खाते थे, जिसे हम बासी भात कहते हैं। श्री राजीव गांधी ने उसे अपने मुंह में डाला था। सारी दुनिया में उनकी फोटो आई थी, चर्चा हुई, अखबारों में आया और वहां के लोगों ने सोचा कि शायद उनके भाग्य में कुछ परिवर्तन होगा।

अब सन् 2000 समाप्त होने वाला है, लेकिन वहां के किसान की आज भी वही स्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आज यहां विपक्ष में जो लोग बैठे हैं, वे सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जबकि 53 साल की आजादी में ज्यादातर वही लोग सत्ता में थे, इसलिए कब तक यह सिलसिला जारी रहेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता है। आज जब हम लोग अकाल की चर्चा कर रहे हैं तो मैं आपको फिर उड़ीसा की ओर ले जाना चाहता हूं। मैं सुबह साहू जी का भाषण सुन रहा था कि जहां भी अकाल होता है, जहां भी बाढ़ आती है, आज पश्चिम बंगाल के भाईयों ने काफी शोर-शराबा किया कि सरकार वहां कुछ मदद नहीं कर रही है। हमारे यहां उड़ीसा में 500 से 700 करोड़ रुपये की फसल का नुकसान हुआ है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वहां के कम से कम 150 गांवों में यह सत्र शुरू होने के पहले मैं घूमकर आया हूं, आज वहां ऐसे भी किसान हैं, जिनके घर मे अनाज का एक दाना भी नहीं है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि वहां के किसान आज गांव छोड़कर आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाग रहे हैं। आप अगर फाटाबाजी और टीटलागढ़ रेलवे स्टेशनों पर जाएंगे तो हर दिन देखेंगे कि वहां से हजारों की संख्या में किसान भाग रहे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आज तक केन्द्र सरकार को इस स्थिति की जानकारी है कि नहीं है। मुझे यह भी मालूम नहीं कि अगर केन्द्र सरकार को जानकारी है तो केन्द्र का कोई कर्त्तव्य होता है कि नहीं।

रोज, हजारों किसान दूसरे राज्यों को पलायन कर रहे हैं। उड़ीसा में ही नहीं वरन् निकटवर्ती क्षेत्रों से भी अर्थात् हाल ही में गठित छत्तीसगढ़ राज्य से भी हजारों किसान रोज पलायन कर रहे है। वे अपने बच्चों, स्त्रियों और बूढ़े माता-पिता के साथ पलायन कर रहे हैं। हर कोई गांव छोड़ कर जा रहा है, पूरे गांव अब खाली हो गए हैं। यहां पंजाब में गेहूं बिक नहीं रहा है, इतना उत्पादन हुआ है और वहां छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में चावल के बिना भुखमरी की रिपोर्ट आ रही हैं, यह आज स्थिति है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि कहां हम लोगों की गलती है। इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। इस संबंध में कुछ आत्म विश्लेषण किया जाना चाहिए।

मैं एक-दो मुद्दे और उठाऊंगा। अब किसानों के लिए क्राप इंश्योरेंस होता है, जहां तक मुझे मालूम है, जब क्राप इंश्योरेंस का उनको कम्पेंसेशन मिलना चाहिए, हर एक किसान, लगभग सभी

छोटे किसान ऋणी हैं। जब वे सोसायटी अथवा बैंक से ऋण लेते हैं तो 2 प्रतिशत बीमा जमाराशि के रूप में काट लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

तो मुझे यह समझ में नहीं आता कि यह किस तरह की इंश्योरेंस पालिसी है।

[अनुवाद]

किसानों को इस बीमा के कारण वर्ष-दर-वर्ष कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। सरकार को उन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना होगा जो किसानों को परेशान कर रही हैं।

[हिन्दी]

मेरा केवल यही आखिरी शब्द है कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं।

[अनुवाद]

उड़ीसा के पश्चिमी भाग में इस समय भारी सूखा पड़ा है। महोदया, जैसाकि आप जानती हैं कि पिछले वर्ष ही भीषण चक्रवात के कारण राज्य का दो-तिहाई भाग पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और इस वर्ष राज्य के पश्चिमी भाग तथा तटीय क्षेत्र के कुछ जिले भी भारी सूखे की चपेट में है। राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। मेरी समझ में नहीं आता कि केन्द्र सरकार उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात जैसे गरीब राज्यों का बचाव कब करेगी।

[हिन्दी]

बिहार भी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन आज जो कार्य स्थगन प्रस्ताव आया है,

[अनुवाद]

मैं इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता हूं - मैं नहीं जानता कि यह मेरा सौभाग्य हैं अथवा दुर्भाग्य - क्योंकि मैं राजग का सदस्य हूं।

सभापति महोदय : लेकिन आप इस मत का समर्थन करते हैं।

श्री प्रसन्न आचार्य : महोदया, तकनीकी रूप से मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता हूं लेकिन यदि मैं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में भूखमरी के कगार पर खड़े उन गरीब किसानों की परेशानियों को व्यक्त नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्त्तव्य में पूर्ण रूप से विफल हो जाऊंगा।

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली): सभापति महोदया, किसानों के समर्थन में इस स्थगन प्रस्ताव में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदया, एक महान तमिल कवि, तिरूवेलूवर ने 2000 वर्ष पूर्व एक कविता लिखी थी और मैं इसे पहले तमिल में उद्धृत करूंगा और इसके बाद अंग्रेजी में इसका अर्थ बताऊंगा। उन्होंने लिखा, 'उझुत्सुन्दु वलवरे वलवर, मुसवेल्लाम तोझुत्सुन्दी पिल सेलवार' इसका अर्थ है कि जो हल चलाता है और अन्न पैदा करता है वही इस पृथ्वी पर रहने का हकदार है लेकिन अन्य उनका अनुसरण कर सकते है। उस महान कवि, तिरूवेलूवर ने 2000 वर्ष पूर्व यह लिखा था। हमारे देश में अब किसानों की क्या स्थिति है? इस राजग सरकार ने उच्च प्रौद्योगिकी से लेकर कृषि क्षेत्र तक सब कुछ विनिवेश कर दिया है।

महोदया, मैंने दुग्ध उत्पादों के आयात के संबंध में दो सप्ताह पहले एक अतारांकित प्रश्न पूछा था। कल ही मुझे माननीय कृषि मंत्री से इसका उत्तर प्राप्त हुआ है। मेरा प्रश्न था कि क्या यह सरकार 1992 के दुग्ध उत्पाद आदेश को वापस लेगी या नहीं। मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि सरकार उस आदेश को वापिस नहीं लेगी। इसका क्या अभिप्राय है? यह राजग सरकार विदेशी कृषि को प्रोत्साहन दे रही हैं लेकिन भारतीय किसानों की उपेक्षा की जा रही है। मैं इस सरकार पर इसका आरोप लगाता हूं।

महोदया, कृषि संगठित क्षेत्र नहीं है। उद्योग एक संगठित क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र में सी.आई.आई. और एफ.आई.सी.सी.आई. जैसे संगठन हैं जो उनकी शिकायतें और समस्याएं उठाते रहते हैं लेकिन कृषि क्षेत्र की शिकायतों और समस्याओं को व्यक्त करने के लिए कोई व्यापार मंडल है? क्या भारत अथवा किसी राज्य में ऐसा कोई संगठन है? नहीं, ऐसा कोई संगठन नहीं है। उत्पादकों के मूल्य उनकी लागत को पूरा करने हेतु पर्याप्त नहीं है। वे बहुत अधिक धनराशि निवेश करते हैं लेकिन उन्हें पर्याप्त प्रतिफल नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए गन्ना उत्पादकों के मामले को ही लीजिए। वे अपने उत्पाद के लिए 1000 रुपये प्रति टन की मांग कर रहे हैं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। यही स्थिति चाय उत्पादकों की है। वे घाटा उठा रहे हैं। उन्हें आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है।

महोदया, मैं अपने मित्रों द्वारा उठाए गए मुद्दों से सहमत हूं, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता हूं। इन किसानों द्वारा शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करने का क्या कारण है? तीन-चार पीढ़ी पहले ये

[श्री पी.एच. पांडियन]

सब किसान थे। लेकिन अब उन्होंने या तो डॉक्टर अथवा वकील बनना पसंद किया है। उन्होंने कृषि छोड़ दी है।

महोदय, आज किसान की क्या स्थिति है? क्या किसानों को स्वामित्व का अधिकार प्राप्त है? वर्ष 1972 में जब मेरी पार्टी ए.आई.ए.डी.एम.के. का गठन हुआ तो हमने एक सिद्धांत बनाया और इस सिद्धांत का प्रतिपादन भारत रत्न, एम.जी.आर. ने किया - कि किसानों को स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री स्व. डा. अन्ना और डा. एम.जी.आर. ने कृषि भूमि सुधार शुरू किए थे। लेकिन मौजूदा सरकारें किसानों के लाभ के लिए योजनाएं नहीं बना पाई हैं।

कांग्रेस और भाजपा कभी न कभी सत्ता में रहीं। यद्यपि हमारा क्षेत्रीय दल है लेकिन हमने केन्द्रीय स्तर पर अनेक कृषि भूमि सुधारों का समर्थन किया है। लेकिन ये पार्टियां खरी नहीं उतरी।

केन्द्र सरकार भारतीय किसानों के हितों की रक्षा करने में विफल रही है। भारतीय किसान क्या कर रहा है? वह कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। भारतीय किसानों में नेतृत्व का अभाव है। मैं बारह वर्ष पूर्व दिल्ली में हुए किसान मार्च के बारे में जानता हूं। वह मार्च चण्डीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हुआ। दूसरा किसान मार्च बम्बई से दिल्ली तक हुआ। केन्द्र में राजनैतिक सत्ता किसानों की रक्षा करने में विफल रही है। किसान बहुमत में है लेकिन उनके पास आर्थिक क्षमता नहीं है जिससे कि वे अपनी लॉबी बना सकें। किसानों की मंत्रियों के साथ कोई लॉबी नहीं है।

वोट मांगते समय हम किसानों से वायदा करते हैं कि हम उन्हें जमीन और अनेक रियायतें देंगे। क्या केन्द्र सरकार ने ट्रैक्टरों पर से उत्पाद शुल्क हटाया है? नहीं, ट्रैक्टरों पर से उत्पाद शुल्क नहीं हटाया गया लेकिन दुग्ध उत्पाद आयात आदेश से 1995 में आयात शुल्क हटा लिया गया। अब इसे बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है लेकिन उस समय आयात पर कोई शुल्क नहीं था। सरकार पम्प सैटों पर से उत्पाद शुल्क हटा सकती थी। सरकार पम्पसैटों पर से केन्द्रीय बिक्री कर हटा सकती थी। राज्य सरकारें पम्प सैटों पर से बिक्री कर हटा सकती थी।

सरकार कार उद्योग को बढ़ावा देती है। मीडिया में विज्ञापन दिए जा रहे थे कि कोई भी केवल 9,900 रुपये देकर नई कार खरीद सकता है। क्या किसान को इतनी जल्दी ट्रैक्टर मिल सकता है? नहीं। क्या उसे इतनी शीघ्र पम्प सैट मिल सकता है? नहीं। उसे ब्लॉक विकास अधिकारी के पास जाना पड़ेगा जो यह प्रमाणित करेगा कि क्या पम्प सैट पर्याप्त पानी उठा सकता है। कृषि स्तर पर अनेक बाधाएं है।

इस स्थगन प्रस्ताव के दौरान हम सभी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों की शिकायतों पर चर्चा करते हैं क्योंकि किसान धीरे-धीरे कृषि करना छोड़ रहा है। यदि सभी किसान दिल्ली में आकर बस जाएंगे तो खेती कौन करेगा? यदि सभी कृषि कार्य ठप्प हो जाएगा तो आपको भोजन कौन देगा? किसान देश का पालनहार है। श्री संगमा ने कहा है कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। यहां मेरे विचार उनसे भिन्न है और मैं कहता हूं कि वे देश के पालनहार हैं हम कार उद्योग के बिना रह सकते हैं लेकिन हम कृषि समुदाय के बिना नहीं रह सकते हैं। केवल किसान ही जीवन के अधिकार की गारंटी देता है।

किसान अन्न पैदा करता है कृषि उत्पाद के लिए विपणन सुविधा नहीं है क्योंकि किसानों की कोई लॉबी नहीं है। वे खाद्य सामग्री बनाने के लिए कच्चा माल तैयार करते हैं। एक गरीब किसान को अपने चावल के लिए 10 रुपये और अपनी सब्जियों के लिए 5 रुपये प्रति कि.ग्रा. मिलते हैं। स्टार होटलों में कितनी राशि वसूल की जाती है? कुक्कुट फार्म में एक कि.ग्रा. चिकन को क्या लागत है और स्टाल होटल में इसका कितना मूल्य है? क्योंकि उनकी लॉबी है और उन्हें पर्याप्त समर्थन प्राप्त है। उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकार भारत में किसानों की रक्षा करने में विफल रही है।

ए.आई.डी.ए.डी.एम.के. की ओर से मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह किसानों की रक्षा करे।

हमने चाय उत्पादकों, गन्ना उत्पादकों के लिए 1000 रुपये प्रति टन की दर निश्चित करने तथा कावेरी के मुद्दों पर तमिलनाडु की सड़कों पर आवाज उठाई।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि अनेक प्रकार की छूटे हैं। केन्द्र ने आंध्र प्रदेश के तम्बाकू के किसानों के लिए 10 करोड़ जारी किये है, तमिलनाडु के रबर के किसानों के लिए 50 करोड़ रुपये जारी किये हैं तथा पंजाब के किसानों के लिए 350 करोड़ रुपये का पैकेज दिया है। लेकिन धान के किसानों के लिए पैकेज कहां है? यहां गेहूं की लाबी है लेकिन धान की कोई लाबी नहीं है। हम धान के लिए इस सरकार पर निर्भर है। तमिलाडु के तंजौर जिले, पंजाब और आन्ध्र प्रदेश जैसे अन्य राज्यों के किसानों की धान संबंधी कोई लाबी नहीं है।

सभापति महोदय : है।

श्री पी.एच. पांडियन : उनकी कोई लाबी नहीं है। अतः हम केवल स्थगन प्रस्ताव के समय किसानों की आवाज उठा सकते हैं।

सभापति महोदया, कृपया मुझे दो मिनट और दें ताकि मैं अपना भाषण पूरा कर सकूं।

श्री पी.एच. पांडियन : महोदया, परेशान किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक परेशान किसान आत्महत्या करता है तथा एक परेशान उद्योगपति या परेशान चूककर्त्ता नहीं। केवल परेशान किसान आत्महत्या करता है। किस कारण से? इसलिए कि वह मदद देने के योग्य नहीं रहता; उसे सरकार द्वारा मदद दी जा रही है। उसके उत्पाद के लिए कोई समर्थन मूल्य नहीं है।

अत:, इस प्रकार तो सरकार को चाहिए कि वह हर स्थिति में सभी किसानों की सहायता करे चाहे वह धान उगा रहा हों या गेहूं।

सभापति महोदया, एक और बात का उल्लेख किया जाना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को अस्तित्व में आया। इसे 31 दिसम्बर, 2004 तक पूरा किया जाना है। अत:, इसके लिए अभी चार वर्ष बाकी हैं। अत:, 2004 तक, इन सभी आवश्यक वस्तुओं का आयात विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से किया जाना है।

मैं अपने दल की तरफ से इस सरकार से जानना चाहता हूं कि विश्व व्यापार संगठन क्या है। यह विश्व व्यापार संगठन क्या है? वे किन वस्तुओं का आयात करने जा रहे हैं? हम इस मुद्दे को इस सम्माननीय सभा में कई अवसरों पर उठा चुके हैं। *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): किस सरकार ने सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर किए? *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : इसीलिए मैं कहता हूं कि एक समय कांग्रेस सरकार थी और अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है। *...(व्यवधान)* यद्यपि हमारे दल क्षेत्रीय स्तर के हैं लेकिन हम अखिल भारतीय स्तर पर लोगों का समर्थन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि इस सम्माननीय सभा में एक श्वेत पत्र रखे जिसमें यह बताया जाए कि किन-किन वस्तुओं को आयात किया जाना है तथा कौन सी छूट दी जानी वाली हैं।

सभापति महोदया : श्री पी.एच. पांडियन, कृपया अब समाप्त करें।

...(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : मैडम, विश्व व्यापार संगठन में एक शर्त यह है कि सब्सिडी हटा ली जाए। *...(व्यवधान)* मैं किसानों के बारे में बात कर रहा हूं। *...(व्यवधान)* हमने अपनी जमीन बेच दी और हम वकील बन गए। मेरे पास अपने गांव में 20 एकड़ जमीन थी, मैं मूलत: एक किसान हूं। पिछली तीन पीढ़ियों तक हम किसान रहे लेकिन प्रव्रजन के कारण हमने अपनी जमीन बेच दी। किसलिए? *...(व्यवधान)* आप कोट पहनकर हल नहीं चला सकते। *...(व्यवधान)*

किसानों का स्तरोन्नयन किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर किसान की स्थिति क्या है? इसका कारण उद्योग नहीं है। कृषि कोई उद्योग नहीं है।

अत: मैं इन कारकों से इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करता हूं तथा इस सभा के राजग के सदस्यों सहित सभी सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज): हम इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : आपको किसानों के मत मिल रहे है। इसलिए आपको चाहिए कि इस सभा में इस प्रस्ताव के पक्ष में मत देकर किसानों के हित का समर्थन करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री आदि शंकर (कुड्डालोर): सभापति महोदया, मैं आपको डी.एम.के. पार्टी की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बहस में भाग लेने की अनुमति प्रदान की।

हमारे देश में 75 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। देश के सर्वांगीण विकास मे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

गत दो दशकों में सरकार ने कृषि क्षेत्र में अत्यन्त कम निवेश किया है। यह निवेश करने की गिरती हुई प्रवृत्ति को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष कृषि के लिए योजनागत आबंटन घटता रहा है। राष्ट्रीय कृषि नीति में भी कृषि में पूंजी की अपर्याप्तता पर चिन्ता की गई है।

मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि कृषि में विनिवेश करने की अत्यन्त आवश्यकता है जो कि देश की अर्थव्यवस्था में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

कृषि संबंधी स्थायी समिति ने अपनी अनुदानों की मांग संबंधी अनेक प्रतिवेदनों में यह पुरजोर सिफारिश की है कि इस क्षेत्र में निवेश की घटती हुई प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए तथा योजना आबंटन को बढ़ाया जाए।

[श्री आदि शंकर]

किसानों को उपलब्ध क्रेडिट सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं। छोटे एवं सीमांत कृषक ऋण देने वाली संस्थाओं के पास आराम से नहीं पहुंच पाते हैं तथा वे उन उधारदाताओं से ऋण लेते हैं जो कि उनका शोषण करते हैं। ये वित्तीय संस्थाएं बहुत ऊंची दर पर ऋण वसूलती हैं। सहकारी बैंक अत्यंत ऊंची ब्याज दर 15 प्रतिशत से लेकर 18 प्रतिशत की वसूली करते हैं। इस संबंध में कुछ राज्यों की सरकारें किसानों के ऋण के बोझ को उठाने के लिए तैयार हुई हैं लेकिन नाबार्ड ने राज्यों की सरकारों को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। इस बहस के दौरान सरकार को चाहिए कि कम से कम वह कृषि संबंधी सभी ऋणों के ब्याज को माफ करने के लिए आगे आए।

खेतिहर मजदूर और भूमिहीन किसान भारत की कृषि के रीढ़ हैं। लेकिन सरकार ने खेतिहर मजदूरों तथा भूमिहीन कृषकों के हितों की अनदेखी कर दी है। परिणामत: खेतिहर मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। शीघ्र ही संसद में रखी गई राष्ट्रीय कृषि नीति भी खेतिहर मजदूरों तथा सीमांत कृषकों के हितों पर मौन है। जब तक उनके हितों की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाता तो कृषि क्षेत्र में की गई प्रगति का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। यहां मुझे यह कहने में अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि डा. कैलाइंगनार के कुशल नेतृत्व में तमिलनाडु में किसानों को नि: शुल्क बिजली दी गई है। मुझे यह कहने में भी अत्यन्त प्रसन्नता हो रही है कि किसानों के कल्याण के लिए, तमिलनाडु सरकार ने एक किसान कल्याण बोर्ड की स्थापना की है।

कृषि में कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाकर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इस बात पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए।

वर्षों से कृषि कम लाभकारी हो गई है क्योंकि सरकार किसानों को उनके उत्पाद को बनाए रखने तथा जीविका चलाने हेतु लाभकारी मूल्य दिलाने में उदासीन रही है। डा. कैलाइंगनार के नेतृत्व में तमिलनाडु की सरकार ने तमिलनाडु के प्रत्येक तालुक में किसानों के लिए बाजार खोल रखे हैं जिन्हें 'उझावर चंदाई' कहा जाता है।

हमने यह देखा है कि दालों, तिलहनों और कपास संबंधी तकनीकी मिशनों से भी आशा के अनुरूप प्राप्ति नहीं हुई है। किसान उत्पादन नहीं बढ़ा सके हैं क्योंकि उन तक नई तकनीक नहीं पहुंच सकी है। गत वर्ष शुरू किया गया कपास संबंधी तकनीकी मिशन अभी तक अपना प्रभाव नहीं बना पाया है। आन्ध्र प्रदेश और अन्य राज्यों के कपास का उत्पाद करने वाले किसान प्रत्येक वर्ष आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उनकी फसल बर्बाद हो जाती है और सरकार मूकदर्शक बनी हुई है।

विश्व व्यापार संगठन के आने से कृषि एक अत्यन्त जटिल व्यापार बन गई है। यहां, विश्व व्यापार संगठन के अहितकार परिणामों से किसानों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार की पूरी तरह जिम्मेदारी है। लेकिन यह पहले ही देखा जा चुका है कि किसानों का हित सस्ते खाद्य तेलों तथा दुग्ध उत्पादों के आयात के कारण प्रभावित होता है। हमारी दृढ़ इच्छा है कि सरकार को चाहिए कि किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए वह आयात शुल्क की दर को उचित बनाए।

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति महोदय, विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी द्वारा प्रस्तावित काम रोको प्रस्ताव पर बहस हो रही है और उसका समर्थन करते हुए मशहूर सांसद श्री जयपाल रेड्डी जी ने कहा है कि

[अनुवाद]

''स्थगन प्रस्ताव सरकार की निन्दा करने के बराबर है।''

[हिन्दी]

उन्होंने प्रोटैस्ट किया तो कुछ मंत्री यहां आए। वोट का समय करीब आने पर मंत्री यहां आ रहे हैं। कितनी लापरवाही है? अभी तक की बहस में यह बात निर्विवाद है कि इस देश के किसानों की दुर्दशा है। उनकी हालत बहुत खराब है। उस पक्ष के लोगों ने भी कबूल किया है कि किसानों की हालत बहुत खराब है। वह क्यों खराब है? इस पर विचार करने की जरूरत है? उसका कैसे इलाज होगा, मैं उसके बारे में संक्षेप में कहना चाहता हूं। भाजपा और उसके सहयोगी दलों को तीन बरस सत्ता में रहते हो गए है। मैं चुनौती देता हूं कि एक भी निर्णय, एक भी फैसला वह बताएं जो किसानों के पक्ष और भलाई के लिए लिया गया है। यदि किसी की जुबान में ताकत है तो वह बताए। कोई भी ऐसा एक उदाहरण नहीं दे सकता। इन्होंने किसानों के विरोध में फैसले किए। यदि ऐसी बात नहीं है तो उसे गिना दें।

एक माननीय सदस्य : किसान क्रैडिट कार्ड बनाए गए।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह बहुत होशियार हैं। कहते हैं कि क्रेडिट कार्ड से किसानों की बड़ी भारी भलाई की। यह कहते हैं कि किसान खुशहाल है। मैं इनकी पार्टी के सदस्यों का भाषण सुन रहा था। उनको यहां सच बात कहनी चाहिए। इस प्रस्ताव के ऊपर यह सरकार गिर सकती है लेकिन इस समय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। हम नहीं चाहते कि इस पर वोटिंग तुरन्त हो। इसलिए हम सब्र कर रहे हैं। हमारी दूसरे दलों से बातचीत हो

रही है। यह एक भी ऐसा उदाहरण दे नहीं सकते जो किसानों के पक्ष में हो। इन्होंने डीजल, मिट्टी के तेल और गैस के दाम बढ़ा दिए। ममता बहन के चलते मिट्टी के तेल और गैस के दाम घटे हैं। डीजल के बारे में कहा जाता है कि येरननायडू और चन्द्रबाबू नायडू के चलते उसके दाम कम होंगे। बाहर इस बात की हवा गर्म है कि चन्द्रबाबू नायडू जब समर्थन वापस लेने की धमकी देंगे तो डीजल के दाम घटेंगे। यदि इस तरह से देश चलाने की बात होगी तो देश कैसे तरक्की करेगा? कहा गया कि ऑयल पूल घाटा होने के कारण इनके दाम बढ़ाए गए। अब त्यागपत्र की धमकी मिलने से इनके दाम भी घट जाएंगे। क्या ऐसी नीति के चलते देश चलाया जाता है? ऐसे में देश के किसानों का क्या होगा? यह विचार करने की जरूरत है। देश के कोने-कोने के किसानों में त्राहि मची है। केरल में नारियल और रबड़ का किसान तबाह है। महाराष्ट्र में कपास का किसान तबाह है, आन्ध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश में गन्ना, धान और गेहूं का किसान तबाह है। बिहार में सभी फसलों को पैदा करने वाले किसान तबाह हैं। वहां जूट पैदा करने वाले किसान भी तबाह हैं। किसानों की ऐसी दुर्दशा के चलते वे आत्महत्या कर रहे हैं। यह इस बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? यह सरकार किसान विरोधी है। डीजल, बिजली, सिंचाई और बीज की कीमतें बढ़ीं। उनको दी जाने वाली सबसिडी में कमी की गई। इन्होंने सारे फैसले किसानों के खिलाफ किए। किसानों का सामान कोई पूछ नहीं रहा है और न ही उसे कोई खरीद रहा है। 510 रुपए साधारण धान के दाम निर्धारित किए गए लेकिन वे उसे भी नहीं खरीदेंगे। यह धोखाधड़ी है। किसान उसे 3-4 रुपए किलों में बेचने पर मजबूर हो रहा है। सरकारी गोदामों में चार करोड़ टन अनाज जमा है। वह बाहर भी रखा है। बाहर जो जगह थी, वहां भी स्टोरेज हो गया। ...*(व्यवधान)* ऐसा कैसे कह सकते हैं?

मैं पागल नहीं कह सकता हूं। बाजार में गेहूं का भाव 5-6 रुपये किलो है जबकि सरकारी दुकान पर दाम 9 रुपये किलो है। इसलिये इस बात के लिये पागल कहा जायेगा या बदमाश कहा जायेगा? इसका आखिर क्या हिसाब है?

[अनुवाद]

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तपन सिकदर): मेरे विचार से यह असंसदीय है। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने किसी को ऐसा नहीं कहा है। वह अधिनियमन की बात कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : मैं यही बताना चाहता हूं कि बाजार में 6 रुपये दाम है जबकि पी.डी.एस. पर 9 रुपये है। आखिर क्या हिसाब है, क्या यह टैक्नालाजी है? लोग कहां से खरीदेंगे? सरकार के गोदाम भरे पड़े हैं और सरकार सोचती है कि इनको कैसे खाली करवाया जाये। यही सोचकर कि इसके दाम कम कर दिया जायें और व्यापारियों के हाथ सस्ते दाम पर बेचे। बाजार में 5 रुपये भाव है लेकिन व्यापारियों को 6 या साढ़े 6 रुपये के भाव बेचा। अब आप बताइये कौन खरीदने जायेगा? इस प्रकार पी.डी.एस. पर 9 रुपये, व्यापारियों के यहां 6 रुपये जबकि बाजार में 5 रुपये है। इस गेहूं को कोई नहीं खरीदता है। अब सुनते हैं कि सरकार विदेशों में अनाज भेजने की सोच रही है। अन्तर्राष्ट्रीय दाम तो 4-5 रुपये प्रति किलो है। श्री प्रसन्ना आचार्य बता रहे थे कि गेहूं बाहर भेजा जायेगा। देश में गरीब आदमी को दो-ढाई रुपये किलो की कीमत पर गेहूं मिल रहा था। अब गरीब को सस्ता नहीं देने वाले हैं लेकिन बाहर भेजेंगे। उड़ीसा में कालाहांडी क्षेत्र में लाखों लोग भूख से मर रहे है, उन्हें नहीं देने वाले हैं लेकिन गरीबों को मिलने वाले अनाज में 20-30 पैसे की वृद्धि करते तो बात होती लेकिन गेहूं का दाम एक ही बार में दुगना कर दिया। सरकार ने ए.पी.एल. के लिये गेहूं का दाम बढ़ाया, हमें समझ में बात नहीं आती कि आखिर सरकार क्या चाहती है।

सभापति महोदय, मैं सरकार को खबरदार और सावधान करता हूं कि सरकार इस प्रकार से किसानों के साथ धोखाधड़ी न करे। अनाज रखने के लिये सरकार के पास जगह नहीं, इसलिये वह धोखाधड़ी कर रही है। किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने वाली नहीं है। इससे किसान निरुत्साहित होंगे और वे खेती कम करेंगे। अब देश की फूड सिक्यूरिटी को खतरा होने वाला है। इस सरकार के होते हुये वर्तमान में खतरा तो है ही, भविष्य में भी खतरा होने वाला है। इन्होंने वर्तमान को नष्ट किया है, और अब भविष्य को नष्ट करने वाले हैं। इसलिये मैं किसान विरोधी इस सरकार को सावधान करना चाहूंगा कि देश में किसानों का कोलाहल हो रहा है। कुछ दिन पहले श्री वी.पी. सिंह और श्री सुरेन्द्र मोहन ने किसानों का आह्वान किया था और उत्तर प्रदेश में किसान विकास मंच भी बनाया है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आप डिस्टर्ब मत करें। इनको बोलने दें।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : सरकार किसानों के विरुद्ध काम कर रही है और आप हुंकारी भर रहे हैं। आपके पास क्या उपाय है? आप देश के समझबूझ वाले लोग हैं। देश के लिये फूड सिक्यूरिटी के लिये सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिये। इस देश में

[श्री रघुवंश प्रसाद सिंह]

100 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं जिनके लिये यह प्राबल्म है। वे फूड वैपन के शिकार हो सकते हैं। इस खतरे से सावधान करने के लिये किसानों का यह सवाल है। मैं एक मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि 1997 में बिहार में धान खरीदने के लिये 123 सेंटर खोले गये थे लेकिन वहां 100 सैंटर अब काट दिये गये हैं और कहा गया कि केवल 23 सैंटर ही धान खरीदेंगे। जब कृषि मंत्री इसका जवाब देंगे तो वे कहेंगे कि यह फूड से रिलेटेड है, मैं जवाबदेही नहीं, हम तो प्रोक्योरमेंट के लिये नहीं और फिर वे कहेंगे कि कृषि मंत्री के हाथ में क्या है?

सायं 6.00 बजे

ये लाचारी दिखाएंगे। इससे कैसे समझा जाए कि देश के किसान का भला होगा। जब कृषि मंत्री कहें कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम कहेंगे कि ये लोग नौकरी कर रहे हैं। क्या मंत्री लोग नौकरी कर रहे हैं सरकार में? कभी-कभी बिहार भी चले जाते हैं और लियन पर वापस आ जाते हैं। सभी विद्वानों ने कहा है कि देश के अर्थशास्त्र की रीढ़ किसान है और किसानों की मेहनत से ही हम आत्मनिर्भर हुए हैं लेकिन हर निर्णय जब किसान के खिलाफ होगा और डब्ल्यू.टी.ओ. में 714 आइटम में किसानों के 300 से ज्यादा सामान और कृषि उपकरण आते हैं और 715 वाला आइटम विदेश से आ रहा है। आज तेल का उत्पादन करने वाला किसान भी तबाह है। जब 12 लाख टन तेल की शॉर्टेज थी तो क्यों 40 लाख टन तेल आयात किया गया? कोई जवाब दे। आलू का किसान भी तबाह है। कोई कोल्ड स्टोरेज में रखने को तैयार नहीं है। 2 करोड़ 40 लाख टन आलू पैदा होता है, उसका 50 प्रतिशत भी रखने की जगह नहीं है कोल्ड स्टोरेज में। इस वजह से सारे किसान तबाह हैं और इस सरकार ने अभी तक जो भी ब्लैक मार्केटियर्स हैं या काला धन रखने वाले हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है। इन्होंने डीजल और खाद के दाम बढ़ा दिये और किसानों पर खर्च का बोझ बढ़ाया लेकिन 52000 करोड़ रुपया लोगों पर जो इन्कम टैक्स बकाया है उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। 58000 करोड़ रुपया एन.पी.ए. पर है। आपने क्या कार्रवाई की? इसलिए इनके सारे फैसले काला बाजारियों के पक्ष में हैं और किसान के खिलाफ हैं। इसलिए किसान विरोधी सरकार को हम चाहते हैं कि इस मोशन के जरिये वोट करके गिरा दिया जाए नहीं तो किसानों का आंदोलन होगा, किसान उठेगा और जो जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान का नारा देते हैं और काम करते हैं क्षय किसान, क्षय जवान, क्षय विज्ञान, ये क्षय करने का काम कर रहे हैं। इसलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। सारे सहयोगी दलों ने इकट्ठा होकर पीडीएस में अनाज की कीमतों को रोलबैक करने के लिए कहा लेकिन ये किसी की नहीं सुनने वाले। इन्होंने दाम नहीं घटाए और एफ.सी.आई. के गोदाम भरे हुए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को नहीं मिल रहा। फूड सिक्यूरिटी पर इस सरकार के रहते हुए खतरा है इसलिए देश बचाने के लिए इस सरकार को गिराना जरूरी है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज): महोदया, चूंकि छह पहले ही बज चुके हैं अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब तक सभी सदस्यों के भाषण समाप्त न हो जाए तब तक चर्चा का समय बढ़ाने के लिए सभा की राय ले ली जाए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : मैं सभा की राय जानना चाहता हूं। कुछ और वक्ता है। जिन सदस्यों ने हाथ खड़े किए हुए हैं उनके नाम उनके सचेतकों ने पीठासीन अधिकारी के पास नहीं भेजे हैं। अतः, हमारे पास जो सूची है, उसमें उनके नाम नहीं हैं। अब, यदि वे चाहे कि मैं उन्होंने बोलने के लिए समय दूं तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी हमारे पास अभी छह वक्ताओं के नाम सूची में है और अन्य सदस्य भी इंतजार कर रहे हैं। यदि आप सभी सहमत हो तो हम चर्चा का समय एक घंटा बढ़ा दें।

अनेक माननीय सदस्य : चर्चा का समय एक घंटा बढ़ाया जाये।

सभापति महोदय : सभा इस बात के लिए सहमत हो कि सायं 7.00 बजे तक इस पर मत-विभाजन हो।

[हिन्दी]

डा. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): सभापति महोदय, पार्टी के हिसाब से ही टाइम दीजिएगा।

सभापति महोदय : मल्होत्रा जी, आपके जो नाम आए हैं, वह आपके सहयोगी पार्टियों के मिलाकर आए हैं।

एक राउंड तो सबको देना होगा। सैकिंड राउंड में देखेंगे। हम उसे सावधानीपूर्वक कर रहे हैं।

डा. विजय कुमार मल्होत्रा : महोदया, जो कुल समय आप बढ़ाएं, उसके अनुपात में सभी पार्टियों का समय बढ़ा दें।

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ): सभापति महोदया, इस सदन में किसानों की समस्याओं पर बहस हो रही है और किसानों को ही बोलने के लिए समय नहीं दिया जा रहा है।

सभापति महोदय : थोड़ा टाइम ले लीजिए।

[अनुवाद]

सभी वक्ताओं का भाषण समाप्त होने के पश्चात् सरकार और प्रस्तावक उत्तर देंगे। उसमें एक घंटा और लग जायेगा। प्रत्येक सदस्य बोलना चाहता है परंतु हरेक को अनुमति नहीं दी जा सकती।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): सभापति महोदया, मैं विपक्ष के नेता द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदया, देश के किसान अभी बुरी तरह से प्रभावित हैं और देश भर में वे कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, जिसके प्रति हम अत्यधिक चिंतित हैं। यदि हम स्थिति को नहीं संभालेंगे तो यह नियंत्रण से बाहर चली जाएगी। यह ठीक ही है कि स्थगन-प्रस्ताव उचित समय पर लाया गया है। हम, सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने विपक्ष के नेता द्वारा प्रस्ताव पेश करते समय उसका विरोध नही किया था। स्वभावत:, इससे यह पता चलता है कि संपूर्ण सभा और इस देश के सभी राजनीतिक दल किसानों की समस्याओं के बारे में चिंतित हैं।

महोदया, यदि इस देश के कृषि क्षेत्र की उपेक्षा होती है तो निश्चित रूप से सारा देश प्रभावित होगा। इस देश के किसानों पर बाढ़ और सूखे की मार तो पड़ती ही है इसके साथ ही साथ उन पर डीज़ल और उर्वरकों की कीमतों का भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अत:, हमें इस ओर उचित ध्यान देना होगा। कीमतों में वृद्धि करते समय, हमें निश्चित रूप से इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि देश के गरीब से गरीब वर्ग के लोग प्रभावित न हों।

महोदया, हाल ही में गैस, पेट्रोल, डीज़ल और मिट्‌टी के तेल की कीमतों में वृद्धि की गई है। अंतत: गैस के मूल्यों में दस रुपये की कमी अर्थात् 25 प्रतिशत और मिट्‌टी के तेल में एक रुपये अर्थात् 35 प्रतिशत की कमी की गई है, जिसकी हम सराहना करते हैं। हम प्रधान मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने उचित समय पर निर्णय लिया। परंतु हमें और अधिक खुशी होती यदि डीजल की कीमत में भी कुछ सीमा तक कटौती की जाती ताकि किसानों को वास्तव में फायदा होता। मुझे प्रसन्नता होती यदि यह प्रस्ताव सभा में लाया जाता और इस चर्चा में भाग लेने वाला प्रत्येक राजनीतिक दल उस पर अपने विचार व्यक्त करता। ऐसा इसलिए, क्योंकि डीजल से अधिकांश किसान प्रभावित होते हैं। परंतु हम सरकार के अगले निर्णय का इंतजार करेंगे जो, जहां तक डीजल की कीमतों में वृद्धि का संबंध है, पर पुनर्विचार कर सकती है।

महोदया, हम कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहते हैं। पहली बात यह है कि देश में यथासंभव अधिकतम शीतागारों की आवश्यकता है। मैं आपको पश्चिम बंगाल के आलू उत्पादकों के अनुभव बता सकता हूं। पश्चिम बंगाल राज्य में कृषकों ने अधिकतम आलू उत्पादन किया।

परन्तु शीतागारों की सुविधा न होने की वजह से किसानों को आलू की विवशपूर्ण बिक्री करनी पड़ा और जब इस प्रकार उन्होंने एक रुपये प्रति किलोग्राम आलू बेचा। उसके पश्चात् किसानों ने भविष्य में आलू न उगाने का निर्णय किया क्योंकि उन्हें इस संकट से उबरने के लिए सब कुछ बेचना पड़ा और भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

हमारी ओर से एक अन्य प्रस्ताव यह है कि जहां तक किसानों का सम्बन्ध है, फसल बीमा योजना को अनिवार्य किया जाना चाहिये। हाल ही में, पश्चिम बंगाल के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बीमा कंपनियों से एक पैसा भी नहीं मिल सका क्योंकि इस फसल बीमा योजना राज्य में लागू नहीं की गयी है। इसकी व्यापक आलोचना हुई है। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को इसके बारे में लिखा और राज्य सरकार ने यह स्वीकार किया कि यह उनकी बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को शामिल नहीं किया। अत:, देश भर के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत अनिवार्य रूप से लाया जाना चाहिये।

पिछले बजट में पचास लाख किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड का प्रस्ताव रखा गया था। हमने प्रस्ताव किया कि अगले बजट में ये कार्ड 25 लाख किसानों को दिये जाने चाहिये।

अपराह्न 6.12 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* **हुए)**

मैं श्री येरननायडू द्वारा उठाए गए किसानों द्वारा प्रयुक्त किये जाने वाले आयातित सामग्री पर अत्यधिक सीमा-शुल्क लगाने संबंधी मुद्दे की पूर्ण प्रशंसा करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। अन्यथा गरीब किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे।

किसानों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक उर्वरक पर राजसहायता प्रदान करनी पड़ेगी। बाढ़ प्रभावित लोगों को केन्द्र सरकार से अधिकतम सहायता प्राप्त होनी चाहिये। हमने सभा में आज सुबह तत्संबंधी मांग रखी थी। स्वतंत्रता के पश्चात् पूर्वी क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा की गई है और इसमें क्षेत्रीय असंतुलन की पूर्ण झलक दिखाई पड़ती है। मैं केन्द्र सरकार से पश्चिम बंगाल के लोगों को विशेष रूप से बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए सभी प्रकार का सहयोग प्रदान करने का निवेदन करता हूं। आज

[श्री सुदीप बंद्योपाध्याय]

सुबह मैं एक मुद्दा उठाना चाहता था। यह इस वर्ष 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच दो बेराजों से बाढ़ का पानी छोड़ने के बारे में है। पश्चिम बंगाल में लाखों लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वे बेघर हो गये हैं। जब तक कि केन्द्रीय सहायता उनके पास नहीं पहुंचती। उनके पास जिंदा रहने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई है।

वहां क्या हुआ, उसके तथ्य और आंकड़े देने में मैं केवल दो मिनट लूंगा। 18 सितंबर को तिलपाड़ा बेराज से बिना कोई चेतावनी दिए 43,167 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। अगले दिन यह 1,29,238 क्यूसेक हो गया और उसके बाद वाले दिन 1,57,903 क्यूसेक होगया। दुर्गापुर क्षेत्र में यह 20 सितम्बर को 33,200 क्यूसेक था। 21 सितंबर को 1,07,850 क्यूसेक था; 22 सितम्बर को यह 1,66,000 क्यूसेक था और 23 सितंबर को यह बढ़कर 2,23,292 क्यूसेक हो गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, वहां पानी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था और बेराजों को खुला छोड़ दिया गया था। अत: यह आदमी द्वारा लाई गई बाढ़ थी। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): ऐसा बारिश होने की वजह से किया गया था। यह बारिश की तीव्रता को दर्शाता है *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : यह आदमी द्वारा लाई गई बाढ़ थी और पश्चिम बंगाल में इससे लाखों किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यह राज्य सरकार के काम करने का ढंग है*...(व्यवधान)*

पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक बिक्री वसूला जाता है। पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में अधिकतम बिक्री कर वसूल कर ही है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिये *...(व्यवधान)* महोदय, समस्या क्या है और यदि मैं इन बातों का उल्लेख करूं, तो उसमें गलत ही क्या है?

श्री अनिल बसु (आरामबाग): ये सारे आंकड़े पश्चिम बंगाल ने केन्द्र सरकार को भेज दिये हैं। अब मेरे मित्र की समस्या क्या है? *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इस प्रकार महोदय, पश्चिम बंगाल में यह मानव-निर्मित बाढ़ थी। लाखों-लाख किसान प्रभावित हुए और हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक अति गंभीर मामला है। सभा में सभी सदस्य एक अति गंभीर मामले पर चर्चा कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : महोदय, अब वह कैसे बोल सकते हैं? क्या आपने उन्हें बोलने की अनुमति दी है? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में किसी असंगत मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। वह सभा का दुरूपयोग कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया इस प्रकार व्यवधान मत डालिए।

श्री सुदीप बंद्योपाध्याय : इस प्रकार, जहां तक पेट्रोलियम पदार्थों का सम्बन्ध है, भारत में सबसे अधिक बिक्री कर पश्चिम बंगाल सरकार वसूल कर रही है। परन्तु उनका कहना है कि उनकी जनता द्वारा समर्थित सरकार है और इस प्रकार वे बड़े-बड़े वायदे कर रहे हैं। मुझे आशा है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगी कि पश्चिम बंगाल के किसानों को राहत मिले और उनके ऊपर पश्चिम बंगाल सरकार बेफिजूल का बोझ न डाले और इसके साथ-साथ पश्चिम बंगाल के किसानों को बचाने के लिए केन्द्र सरकार सभी प्रकार की सहायता प्रदान करे। यह हमारी सकारात्मक मांग है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती रमा पायलट बोलेंगी। यह सभा में उनका प्रथम भाषण है। अत:, कृपया शांति बनाये रखें।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा पायलट (दौसा): उपाध्यक्ष जी, आज इस सदन में काम रोको प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है, मैं उसे अपनी मान्यता प्रदान करते हुए कुछ तथ्य आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी। हम जब छोटे थे और माता-पिता ने हमें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा तो हमारे पास जो पुस्तकें आईं, उनमें हमें एक विषय पढ़ाया जाता था जिससे सभी माननीय सदस्य अवगत होंगे और रहे हैं कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। इसका मतलब यह होता है कि हिन्दुस्तान उस पर आधारित है, उसकी आधारशिला कृषि है। आज दोपहर से, जब से बहस चल रही है, तकरीबन सभी माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार रखे हैं और किसानों की तकलीफ के हर मुद्दे उठाए हैं। मैं उनको दुबारा दोहरा कर सदन का समय खराब नहीं करना चाहती। मैं उन सभी तथ्यों से, जिनमें किसानों का दुख जाहिर हुआ, सहमत हूं। अपनी तरफ से मैं यह भी कहना चाहती हूं कि जब किसान दुखी है लेकिन सरकार उस दुख को और बढ़ा दे, यह दुख की बात है। जब किसान इतना तंग आ जाए, जो किसान धरती का सीना चीर कर अपने छोटे बच्चों का पेट भरता है, वह आत्म हत्या करने पर मजबूर हो जाए, आंध्र प्रदेश में ऐसे बहुत से किसानों ने आत्म

हत्याएं कीं जिनको अपने कृषि उत्पादों का मूल्य वाजिब नहीं मिला और कृषि करने के लिए, कृषि का सामान खरीदने के लिए बैंकों से पैसा नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपसे कह चुका हूं कि यह उनका प्रथम भाषण है। कृपया उनके भाषण में व्यवधान न डाले।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा पायलट : आंध्र में भी किसानों पर कोई कम दुख नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि आंध्र में हत्याएं नहीं हुईं।

ऐसा भी नहीं हुआ कि पंजाब ने उस दुख को नहीं देखा हो, उस किसान के लिए सरकार ने सब्सिडी यहां से दी है, लेकिन उस सब्सिडी का कितना पैसा पंजाब में मिला। कोई कहीं बांट दिया गया, कोई कहीं बांट दिया गया और उसमें जो बचा-खुचा था, उसमें अधिकारियों के लिप्त होने की वजह से उनको एक पैसा भी सब्सिडी नहीं मिला। वहां का किसान इतनी बुरी तरह से तंग था कि कितना धान हमने पैदा किया, उन्होंने बच्चों सहित वहां पर मेहनत मजदूरी की और कर्ज लेकर धरती का पेट चीरा और वहां धान पैदा किया। उस धान को सड़ते हुए सबने देखा। क्या केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के पास कोई कानून नहीं था कि उस किसान पर थोड़ा रहम खाती, जो धान उसने अपने 10-10 साल के बच्चों को खेत में भेजकर फसल पैदा की, उस फसल को खरीद सकती। किसान के लिए जो मूल्य निर्धारित किया गया है, उसका जो सपोर्ट प्राइस थी, वह तक किसान को प्राप्त नहीं हुई। 500 रुपये क्विंटल का भाव किसान के लिए सरकार ने तय किया, उत्तर प्रदेश में मेरे पास भी थोड़ी सी जमीन है, मैं भी उसमें खेती करती हूं और मैंने भी धान की पैदावार ली है। लेकिन मेरा धान आज भी खेत के अन्दर पड़ा हुआ है। वहां के 4-6 जिले गाजियाबाद, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ आदि में सरकार की तरफ से कोई भी कांटा धान खरीदने के लिए नहीं लगाया गया, जो किसान की पैदावार को तोलकर ले जाये। मजबूरी में उनको प्राइवेट आढ़तियों के पास जाना पड़ा। प्राइवेट आढ़तियों ने अपनी मनमर्जी से पैसा दिया, वह उनको कबूल करना पड़ा। उसका अर्थ यह हुआ कि जो कुछ उसके उत्पादन में पैसा लगाया था, उस उत्पादन का पैसा भी उस खेती से किसान को प्राप्त नहीं हुआ और न हो रहा है। किस तरह से देश का किसान अपना और अपने बच्चों का निर्वाह कर सकता है और वह देश जिसकी 70 प्रतिशत से ज्यादा जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है और गांवों में रहती है।

ऐसे गांवों का उद्धार अगर सरकार इसी तरह से करती रही, जैसे अब हो रहा है तो मैं नहीं समझ सकती कि क्या होगा। जितना लिब्रलाइजेशन अब हो रहा है, उसमें विदेशों से सामान मंगाया जा रहा है। वहां से कृषि का सामान भी मंगाया जा रहा है, जो बाजार में क्रीमीलेयर के व्यक्ति और परिवार खरीदते हैं और अपने घर सामान को ले जाते हैं। गरीब किसान और गरीब जनता को वह सामान बाजार में देने के लिए मजबूरी है और सड़ा-गला, छोटा-मोटा जैसा भी सामान उसके लिए बचता है, उसे वह ले जाता है। आज देश में बाहर से सेब आयात हो रहा है और हमारा हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कितने ही किसानों के बागानों में से माल ही नहीं उठाया जाता और आगे मंडी तक ले जाने में उनको रखना पड़ता है तो वह वहां पर सड़ जाता है। यहां बाजार में सौ रुपये किलो सेब मिल रहा है, जो देखने में खूबसूरत है और उसको हमारे लोग खरीद रहे हैं। जो किसान 4-6 महीने, साल भर तक फलों की देखभाल करता है, उसमें पैसा खर्च करता है, उसका सारा परिवार उसमें लगा रहता है, उसको आज बाजार नहीं मिल रहा है। आज न केवल खाद्यान्न और फल, बल्कि दलहन और तिलहन आदि चीजों का यही हाल है। आज सदन में इस बात की बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा है कि क्या दशा तिलहन और तेलों की हो रही है। महीने भर पहले मैंने अखबार में एक लेख पढ़ा था, जिसमें एक व्यक्ति ने तुलना की हुई थी कि मैं बाजार गया और वहां पर मैंने अपने विस्तर के लिये बैडशीट देखी तो मुझे बहुत सुन्दर लगी। मैंने उसकी कीमत पूछी तो दुकानकार ने बताया कि इसकी कीमत 300 रुपये है। मैंने देखा तो उस पर मेड इन में किसी बाहर के देश का नाम लिखा हुआ था, मुझे अब याद नहीं है। उसने दूसरी चादर देखनी चाही और उसका भाव पूछा तो उसने बताया कि यह 500 रुपये की है। जब उसने पता किया तो वह चादर मेड इन इंडिया की थी। जब हमारे पास ऐसा सामान बाहर से आ जायेगा जो हमारा उपभोक्ता कम पैसों में लेगा तो हमारा पैदा करने वाला किसान अपने माल को कहां लेकर जायेगा, कौन कंज्यूमर, कौन उपभोक्ता उसके माल को लेगा तो कहने का मतलब यह है कि हर तरह से किसान को दबाया जा रहा है, चाहे वह बाजार की बात हो, चाहे वह उत्पादक वस्तुओं की बात हो, खाद की बात हो, बिजली की बात हो, बीज की बात हो, हर तरह से उसको मार पड़ रही है, चारों तरफ से मार पड़ रही है।

चूंकि इन सब बातों पर इस सदन में चर्चा हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि उनको दोहरा कर मैं सदन का समय खराब करूं। लेकिन मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। देश की 30 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है। उनको थोड़ी सी भी तकलीफ हो तो सभी चिंतित हो जाते हैं। जैसे अभी दिल्ली में तीन-चार दिनों से

[श्रीमती रमा पायलट]

हो रहा है। यहां के छोटे-बड़े उद्योगों को बाहर ले जाने की बात थी तो देश की राजधानी में काफी शोर मचा। इस बात से सदन भी अवगत है। इस बात को लेकर आंदोलन हुआ, गोली चली, बसों को जलाया गया। न जाने कितने पैसे का नुकसान हुआ। क्योंकि 30 प्रतिशत जनता शहरों में रहती है, बाकी गांवों में रहती है, कई बार ऐसे मौके आए हैं जिससे सरकार की नीतियों की वजह से सरकार को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन सिर्फ 30 प्रतिशत जनता के लिए। जबकि 70 फीसदी लोग जो गांवों में रहते हैं, सरकार की नीतियों की वजह से कई बार उनको अपनी फसल में आग लगानी पड़ी। उनको मार्केट नहीं मिली और अपना गन्ना जलाना पड़ा। लेकिन उन्होंने न तो कभी जुलूस निकाला और न ऐसी उद्दंडता दिखाई, जो राजधानी में दिखाई गई। लेकिन फिर भी किसानों की समस्याओं के प्रति हमारी सरकार जागरूक नहीं होती। इसके विपरीत शहरी लोगों के लिए कितनी जागरूक है, इसका यहां से पता चलता है कि उनके लिए मीटिंग्स हो रही हैं और सोचा जा रहा है कि आगे क्या किया जाए। किसानों के लिए कोई भी कदम सरकार की तरफ से नहीं उठाया गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बराबरी इसी देश के 70 प्रतिशत लोगों के साथ क्यों नहीं की जा रही है। मैं इससे बहुत क्षुब्ध हूं और चाहती हूं कि सरकार अपने नीतियों पर विचार करे। जिनसे आज का किसान जो पहले से ही कर्ज में दबा हुआ है और दबता चला जा रहा है। मैं सरकार से अपील करना चाहूंगी कि वह ऐसी नीति बनाए जिससे किसान को कर्ज लेने में सहूलियत हो। बैंकिंग्स सिस्टम आसान हो। किसान अनपढ़ है, जागरूक नहीं है इसलिए ऐसी व्यवस्था हो कि वह बैंक में जाकर आसानी से लोन ले सके, जिससे अपने कार्यों को आगे बढ़ा सके। किसान को अपनी बेटी की शादी करने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। ऐसी सुविधाएं उसे मुहैया कराई जाएं कि कम दर पर उसे लोन मिले। अच्छा हो कि पूरी सब्सिडी मिले और उसकी फसल के बिकने तक उस पर कोई ब्याज नहीं लगे। जब वह फसल बेच ले तब ब्याज लगाया जाए। किसानों के साथ बहुत धोखाधड़ी की जाती है। यदि यहां से कुछ सुविधा उसे लोन के लिए बैंकों में दी जाती है तो वह जब बैंक जाता है तो वहां दलाल बीच में आ जाते हैं। अगर उसे 5000 रुपए लोन चाहिए, तो वे उससे 500 रुपये अपनी कमीशन के ले लेते हैं यह कहकर कि हम तुम्हें लोन दिला देंगे। अब चूंकि हमारे देश का अधिकांश किसान अनपढ़ है इसलिए वह 500 रुपए दे देता है, क्योंकि बच्ची की शादी की तारीख न निकल जाए इसलिए उसे यह खून का घूंट पीना पड़ता है।

मैं सदन में कहना चाहती हूं कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। किसी पार्टी को अपने हित के लिए ऐसी नीति नहीं बनानी चाहिए और न अपने हित के लिए बोलना चाहिए। हम राजनीति से ऊपर उठ कर ऐसी नीतियां बनाएं, जिससे किसानों को फायदा हो सके। सभी दलों को मिलजुल कर मीटिंग करनी चाहिए। उसमें बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों को भी बुलाया जाए और ऐसी नीति बनाई जाए, जिससे किसानों को किसी भी तरीके से तकलीफ न हो। वह जो कर्ज में दबता चला जा रहा है, न दबे और अपने खेत में टेक्नोलॉजी आधारित कृषि करके उत्पादन कर सके।

श्री साहिब सिंह (बाहरी दिल्ली): सभापति जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सभी सदस्यों ने यह कहा है कि हिन्दुस्तान कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। बहुत सी बातें अभी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस के जो किसान नेता हैं, उनमें श्री माधवराव सिंधिया जी ने, श्री जयपाल रेड्डी जी ने और सोनिया गांधी जी ने भी किसानों की बातें रखी है। बहुत से किसान नेताओं ने यहां किसानों की बातें रखी हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ): वह किसानों की नेता हैं। ...*(व्यवधान)*

सरदार बूटा सिंह (जालौर): सोनिया जी देश की नेता हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री साहिब सिंह: इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि वह किसानों की नेता नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* मैंने यह बात इसलिए ही कि अभी बूटा सिंह जी कह रहे थे कि आप सच्चाई बोलना। मैंने अगर इनको किसान का नेता कहा तो शायद यह बात असत्य होगी, इसलिए यह बोल रहे हैं। मैंने कहा कि चूंकि इन्होंने कहा है कि सच बोलना तो शायद मेरे से झूठ बात निकल गई होगी, इसलिए यह चिल्लाये होंगे। अभी कुमारी मायावती जी भी बोली हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी बातें कही हैं। यह बात सही है कि प्रारम्भ से ही जब से यह देश आजाद हुआ है, किसानों को इस देश की सरकारों से जो अपेक्षा थी, देश की आजादी के बाद किसी भी सरकार ने किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया। अगर किसानों की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य किया होता तो किसान की आज यह हालत नहीं होती। यहां तक कि जो कानून लैंड एक्विजिशन एक्ट अंग्रेजों ने 1894 में बनाया था कि जब चाहे किसान की जमीन ले लो और कान पकड़कर उसे बाहर निकाल दो तथा साल-दो साल, पांच साल में उसको मुआवजा कौड़ियों के भाव में दे दो। आज तक 1894 का लैंड एक्विजिशन एक्ट बदला नहीं है। अगर किसानों की चिंता किसी को रही होती तो यह कानून पचास वर्ष में बदल चुका होता लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह कानून अभी तक नहीं बदला है। यह सरकार जो इस वक्त है, वह इस कानून को बदलने पर विचार

कर रही है लेकिन यह कानून बदला नहीं है लेकिन यह सरकार विचार कर रही है। इस बात को कौन नहीं जानता कि इस देश का किसान हमेशा से कर्ज में दबा रहा है। यह बात सभी जानते हैं कि किसान एक बार कर्ज लेता है तो दस पीढ़ियों तक उसका कर्ज उतरता नहीं है और इसीलिए छोटूराम जी, जो एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, उन्होंने कानून बनाया था कि किसान के ऊपर जो कर्ज होगा, वह उसे वापस नहीं देना पड़ेगा, उसका कर्ज माफ कर दिया जाएगा। हमारी सरकार ने भी एक बार किसानों के कर्जे माफ किये थे, बहुत अच्छा कदम उठाया था। लेकिन यह बात सही है कि आज भी जब किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसे अपनी फसल गिरवी रखनी पड़ती है तब जाकर उसे पैसा मिलता है और जो पैसा नहीं दे पाता तो किसान को आत्महत्या करनी पड़ती है। यदि वह पैसा नहीं दे पाता तो वह अपने गुर्दे को, अपने खून को बेचता है तब कहीं जाकर वह पैसा दे पाता है। मैं इस सरकार की तारीफ करूंगा कि जब से यह सरकार में आये हैं, कुछ योजनाएं लागू की गई हैं। ...*(व्यवधान)* जो कृषि नीति बनाई है, वह एक अलग बात है लेकिन क्या इस बात से कोई झुठला सकता है कि किसान को पैसे की जरूरत पड़ती है तो अब तक करीब 70 लाख किसान क्रैडिट कार्ड ले चुके हैं। किसान को क्रैडिट कार्ड कैसे मिल गया? 70 लाख किसानों ने कैसे क्रैडिट कार्ड लिये हैं? किस सरकार ने इन्हें ये क्रैडिट कार्ड दिये हैं? फसल के बीमा की बात तो लगातार पचास सालों से चलती रही लेकिन किस सरकार ने किसानों की फसल का बीमा किया? पचास साल बाद कृषि नीति भी इस सरकार ने बनाई है, इस बात से कोई झुठला नहीं सकता, यह सच्चाई है। लेकिन मैं यह बात भी कहना चाहता हूं कि जैसे संगमा साहब कह रहे थे कि किसानों की तरफ ध्यान देने के लिए जिस तरह से प्लानिंग होनी चाहिए, मोनीटरिंग होनी चाहिए, उसकी बेहद कमी है।

इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इस देश में जो भी फसल पैदा होती है वह किसान के भाग्य से पैदा होती है। परमात्मा की कृपा होती है तो उसे फसल मिल जाती है। वह मौसम पर निर्भर करता। कभी उसकी फसल तबाह हो जाती है और कभी बहुत ज्यादा हो जाती है। परमात्मा की कृपा हुई तभी हमें खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में मिले, हमारे सारे गोदाम भर गए। किसान की फसल की जो भी कीमत तय होती है उसे कम से कम वह प्राइस तो मिलनी चाहिए। उसकी जो भी लागत आती है, उसे उसकी सपोर्ट प्राइस तो मिलनी ही चाहिए। अगर किसान को सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी तो किसान तबाह हो जाएगा। पहले जो सरकारें रहीं उन सरकारों ने इस पर बहुत तवज्जह नहीं दी। इस सरकार ने सपोर्ट प्राइस देने के लिए बहुत सारी योजनाएं लागू की हैं। पहले जो चीजें कभी नहीं खरीदी गई वे चीजें भी इस सरकार ने खरीदी हैं। किसान को उसका भी लाभ मिला है। हरेक प्रदेश में पैसे देने की कोशिश की है। कुछ लोगों की शिकायत है कि अपने राज्यों में पैसा मिलता है, दूसरे राज्यों में नहीं मिलता। उसकी एक नीति बननी चाहिए, जिसके मुताबिक जिस प्रदेश को आवश्यकता है उसे पैसा मिलना चाहिए।

महोदय, मांग और पूर्ति का सवाल आता है, क्योंकि जितनी भी प्राइसेस फिक्स होती हैं वे तो मांग और पूर्ति से होती हैं। अगर पूर्ति ज्यादा हो और मांग सीमित रहे, मांग वही रहे, बढ़े नहीं तब तो कीमत निश्चित रूप से कम होगी। आज जो हमारे सारे भंडार भरे हुए हैं उन्हें कैसे खाली किया जाए, इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि बीपीएल में जहां लोग हैं, वे राज्य भी अनाज नहीं उठा रहे। वह अनाज भी आज भंडारों में पड़ा हुआ है। उस अनाज को उठाने के लिए वे लोग तैयार नहीं हैं। यह भी सच है कि आज भी देश में ऐसे लोग हैं जिन्हें पेट भर खाना नहीं मिलता। इस बात की जांच करके हमें अनाज उन प्रदेशों में भेजना चाहिए, उन लोगों तक पहुंचाना चाहिए। सरकार यह भी निर्णय ले कि हम बहुत सस्ते दाम पर दो रुपए किलो तक भी उन्हें अनाज देने को तैयार हैं, लेकिन इन सबके अंदर राज्यों को भी रूचि लेनी पड़ेगी। यह बात सही है कि किसान आर्गनाइज्ड नहीं है, जो दूसरे लोग आर्गनाइज्ड हैं वे सरकारों से फायदा उठा लेते हैं। किसान आर्गनाइस नहीं है तो उसके लिए कौन काम करेगा। यह संसद जानती है कि कृषि प्रधान देश में किसानों को कितना सम्मान मिलना चाहिए। हम सब लोगों ने इस विषय पर जो चर्चा आरम्भ की है, मैं मानता हूं कि इसकी बहुत आवश्यकता थी। यहां जो चर्चा हुई है, इससे जो मुद्दे सामने आए हैं उन पर गौर करने की आवश्यकता है। यह सही है कि कुछ राज्यों में डीजल और पैट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन कुछ राज्यों में सेल्स टैक्स बहुत बढ़ा हुआ है, उन राज्यों को भी इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। बंगाल में जिस तरह सेल्स टैक्स हैं, अगर बंगाल की सरकार किसान के हित में बात करना चाहती है तो उन्हें कम से कम डीजल के ऊपर एकदम सेल्स टैक्स कम करना चाहिए।

महोदय, आयात-निर्यात की जितनी बातें चल रही हैं, उन पर हमारी सरकार ने अभी एक फैसला लेकर जितना एडीबल आयल है उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। हमने पाम आयल पर 15 से 25 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है और कई चीजों पर 35 से 65 प्रतिशत तक बढ़ाई है। मैं यह बात जरूर कहूंगा कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, यह अगर कुछ पहले बढ़ा दी जाती तो इसका किसान को अधिक लाभ हो सकता था। किसान की सरसों पिछले सालों में दो हजार रुपए क्विंटल बिकी थी, आज वह 1000-1100 रुपए क्विंटल बिक्री है। इसमें कुछ संदेह नहीं है कि हमारी कुछ ऐसी फसलें और खाद्यान्न हैं जिनकी कीमतें बढ़ी हैं। पिछली बार चना, उड़द, शुगर, काटन की कीमतें बढ़ी हैं लेकिन यह बात भी

[श्री साहिब सिंह]

सही है कि चावल और गेहूं वगैरह की कीमतें घटी हैं। इन पूरी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे देश में बाहर से जो चीजें खाद्यान्न आदि आने हैं उन पर बहुत गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है ताकि ज्यादा इंतजार न करना पड़े। छः-छः महीने तक फाइल पैंडिंग न रहे, उस पर तुरंत कार्यवाही हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जी.एम. बनातवाला (पोन्नानी): महोदय, माननीय विपक्षी नेता द्वारा प्रस्तावित स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं हां बोलने के लिए खड़ा हूं।

महोदय, सरकार की गलत नीतियों और बार-बार किए गये अनुरोध को नजरअंदाज करने के कारण ही किसानों की हालत बदतर हुई है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में शुल्क सहित अथवा कम शुल्क पर विभिन्न कृषि उत्पादों के निर्बाध राज सहायता प्राप्त आयात से हमारा देश विदेशों के लिए डंपिंग का क्षेत्र बन गया है। इसके साथ ही अन्य कई बाते हैं। मैं यह महसूस करता हूं सरकार इस लक्ष्य को नजरअंदाज करते हुए कि दूसरे अपने किसानों को कितना संरक्षण प्रदान करते हैं, किसानों को राजसहायता देने में और रवैया अपनाती है।

महोदय, ऐसी कई बातों को मैं आपके समक्ष रख सकता हूं। मैं यह अनुभव करता हूं कि 700 से अधिक वस्तुएं बिना सोचे-समझे खुला सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अंतर्गत रखी गई हैं और आगामी वर्ष में भी इसमें इतनी ही मदें जोड़ने का विचार है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने में आनाकानी करके और किसानों से कृषि उत्पादों की खरीद के मामले में प्रबंधन के पूर्ण अभाव के कारण यह विनाशकारी स्थिति पैदा हो रही है। बजट आवंटनों में भी बिना सोचे-समझे भारी कटौती की जा रही है। कृषि आदानों के मूल्यों में विशेषकर मिट्टी के तेल और डीजल आदि के शासित मूल्यों में वृद्धि हुई है।

इन सबके परिणामस्वरूप, और सरकार की विचारहीन और निर्दयी नीतियों के कारण ही यह गंभीर संकट पैदा हुआ है और किसानों की बुरी हालत हुई है। इसके परिणामस्वरूप ही किसानों के कृषि उत्पादों के मूल्यों में काफी गिरावट आई है। जिससे संपूर्ण देश के किसानों को काफी नुकसान हुआ है।

समय की कमी के कारण, मैं केवल केरल का ही उल्लेख करूंगा। केरल में नारियल, रबड़, काली मिर्च, कॉफी और अन्य सभी कृषि उत्पादों पर संकट छाया है। पॉमतेल के अंधाधुंध आयात से कोपरा और नारियल तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई, जो पिछले दस सालों में न्यूनतम है। इसलिए ऐसी स्थिति है। नारियल के मामले में - महोदय, आप केरल की अर्थव्यवस्था को जानते हैं - संपूर्ण कृषि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई भाग में नारियल की खेती होती है। लगभग 5 मिलियन लोगों का जीवनयापन नारियल के उत्पादन पर निर्भर है। यह सरकार ऐसी है, जिसकी गलत नीतियों की वजह से ही कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई है, क्योंकि सरकार ने किसानों के हित में न तो कच्चे नारियल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को निर्धारित करने में और न ही किसानों से कच्चे नारियल की खरीद करने की कोई जिम्मेदारी ली है।

इसलिए, मैं यह जोर देकर सभा के सामने कहता हूं कि सरकार देश के छोटे, सीमांत और जोखिम ग्रस्त किसानों का संरक्षण करने में बुरी तरह असफल रही। इसलिए, मेरी पार्टी, विपक्ष के नेता द्वारा लाए गये स्थगन प्रस्ताव का पुरजोर समर्थन करती है।

किसानों के हित में और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के हित में इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं हैं।

[हिन्दी]

डा. सुशील कुमार इन्दौरा (सिरसा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज काम रोको प्रस्ताव के तहत किसानों की दुर्दशा के बारे में चर्चा हो रही है। यदि सही मायने में देखा जाए तो इस दुर्दशा के पीछे क्या कारण हैं और क्या परिस्थितियां रहीं या इसके लिए पूर्व की सरकारें जिम्मेदार रहीं या हम देश में कोई ऐसी नीति नहीं बना पाए जिसके तहत हम किसानों की दशा सुधार देते। यदि सही नीति बनती तो किसानों की यह दुर्दशा नहीं होती। वास्तव में देखा जाए तो हरियाणा और पंजाब के किसानों को समृद्ध माना गया है लेकिन आज हरियाणा और पंजाब के किसान समृद्ध होने के बाद भी कर्ज में दबे हैं। यदि दूसरी स्टेट्स में देखा जाए तो आन्ध्र प्रदेश की सरकार किसानों को इस बात की हिदायत देती है कि वे रबी की फसल न उगाए क्योंकि उनके पास खाद्यान्न के भंडारण की कमी है, वे उनको खरीदने में असमर्थ हैं। यदि बिहार की स्थिति देखी जाए तो वहां धान ढाई सौ रुपए से पौने तीन सौ रुपए तक में खरीदा जाता है और किसान को उसकी पूरी कीमत नहीं मिल पाती। यदि उत्तर प्रदेश की बात देखें तो स्वयं खाद्य मंत्री ने कहा कि वहां का धान 300-350 रुपए में खरीदा जाता है। इसका क्या कारण है? आज ऐसी परिस्थितियां क्यों बनी? यदि हकीकत में देखा जाए तो देश में अनाज के भंडार भरे हैं। सभी लोग कहते हैं कि हमारा कृषि प्रधान देश है। यहां के किसानों ने मेहनत करके उपज बढ़ाई। हमारे अनाज के भंडार भरे पड़े हैं।

इसके साथ-साथ इतिहास को देखें और गेहूं के उदाहरण को लें तो हमने गेहूं का आयात भी किया है। किसानों ने उपज को बढ़ाया तो हमने गेहूं के आयात को भी बढ़ाया जिससे भंडारण का बढ़ना स्वाभाविक था। यदि पिछले रिकॉर्ड को देखें तो वर्ष 1996 में 105 लाख टन भंडारण था। वर्ष 1996 में आयात 10 लाख टन किया। इसी तरह हर वर्ष कभी 10 लाख टन, कभी 15 लाख टन और कभी 20 लाख टन मंगाया। इस तरह से भंडारण बढ़ता गया। आज यह स्थिति हमारे सामने खड़ी है। राजनीतिज्ञों और बुद्धिजीवियों का मकसद यह था कि देश के किसान समृद्ध हों। आज भारत देश के किसान चौधरी देवी लाल जी को अपना मसीहा मानते हैं। क्यों मानते हैं? देवीलाल जी ने अपनी नीतियों से किसान को समृद्ध बनाने की कोशिश की। जब कभी भी नीति बनी तो किसान का हित देखा। उन्होंने किसानों को 24 घंटे बिजली, पानी दिया ताकि किसान अपनी फसल को बढ़ा सके। उन्होंने किसानों को खाद के दूसरे साधन मुहैय्या कराए। आज चौधरी देवीलाल की नीति पर चलने वाली सरकार हरियाणा में है। आज गन्ने का भाव 110 रुपए क्विंटल है जो पूरे भारतवर्ष से ज्यादा है। यह किसानों के हित की बात है। धान की खरीद देखी जाए तो पिछले रिकॉर्ड को देखे तो किसान का 60 परसैंट धान हरियाणा सरकार ने खरीदा जिससे किसान का हित हो। यदि हमारी सरकार यह पालिसी बनाए कि किसान को कैसे समृद्ध किया जा सकता है, किसानों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं किसान ने पूरी मेहनत से जिम्मेदारी के साथ इस देश की उपज को बढ़ाया है।

यह कहा जाता था कि भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में पिछड़ा हुआ है लेकिन किसान ने अपनी मेहनत से अनाज पैदा करके विदेशों को भेजा है। मैं गेहूं के मामले में उदाहरण देना चाहूंगा कि गेहूं निर्यातक देश अमरीका, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा में अनाज की उपज दर 1997 में क्रमश: 2673, 2996, 1846 और 2360 थी जबकि भारत में यह दर 2689 रही। उसके बावजूद हमारे देश से गेहूं का निर्यात होता रहा। पिछले दिनों आस्ट्रेलिया, ब्राजील और कनाडा से हमारे देश में गेहूं आयात किया गया। इसके पीछे क्या कारण रहे? इसके पीछे भारतीय खाद्य निगम का हाथ रहा क्योंकि वह सही ढंग से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। मैं इसके लिये मिसमैनेजमेंट शब्द कहूंगा क्योंकि देश में अनाज का भंडार बढ़ता गया और किसानों पर आफत आई।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारत सरकार की इस बात के लिए तारीफ करना चाहूंगा कि सरकार ने पिछले दिनों खाद्यान्न समिति बनाई जिसमें अनेक विशेषज्ञ होंगे। वे इस बात का पता लगायेंगे कि खाद्यान्न का किस प्रकार से इस्तेमाल हो सकता है। मैं श्री नीतीश कुमार की तारीफ करने से पहले कटाक्ष करना चाहूंगा और किसानों के हक की बात कहूंगा कि पिछले सालों में कृषि की कोई ऐसी नीति नहीं बनाई थी जो इस सरकार ने बनाई है। हमें इस बात का डर भी है कि सरकार ने जो खाद्यान्न समिति बनाई है, उस पर डब्ल्यू.टी.ओ. की काली छाया न पड़े। देश के लोग इस बात से डरते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. की छत्रछाया में किसानों की लैंड होल्डिंग जो 2-4 एकड़ है, उसमें वे मजदूर बनकर उसकी गुलामी न करें। मेरा सुझाव है कि किसानों को समृद्ध बनाने के लिये ऐसी नीति बनाई जाये जिससे किसानों को न केवल डीजल बल्कि हर चीज सही दाम पर मिलने लगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि जैसे पंजाब में किसानों पर आफत आई तो सरकार ने करोड़ों रुपये की आर्थिक सहायता देकर उनका हित किया, उसी प्रकार यदि बिहार या हरियाणा में ऐसी आफत आई तो सरकार अपना मुंह मोड़ लेती है। ऐसी भेदभाव की नीति नहीं होनी चाहिये। सरकार ने जो नई कृषि नीति बनाई है, उसका फल एक साल में पकने वाला नहीं है क्योंकि पिछले वर्षों में किसानों की जो दुर्दशा हुई है, वह एक दिन में या एक दो साल से नहीं हुई! इसका बीज बहुत पहले बोया गया था। अब नई नीति के तहत फल पकने के लिये थोड़ा वक्त चाहिये और सरकार किसानों के हित की बात करे। यहां का किसान फले फूले और सरकार किसानों का भला करे, हम यही चाहते हैं। इसलिये हम इस काम रोको प्रस्ताव का विरोध करते हैं।

श्री जे.एस. बराड़ (फरीदकोट): उपाध्यक्ष महोदय, मैं लीडर आफ दी अपोजीशन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा लाये गये काम रोको प्रस्ताव के हक में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने अपने विरोधी भाइयों के भाषण सुने कि किसानों के प्रति उनकी क्या भावनायें हैं। मैं अपने मित्र डा. साहिब सिंह वर्मा का बड़ा सम्मान करता हूं जिन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो न इतिहास पर आधारित है और न तर्क पर आधारित है।

उन्होंने कांग्रेस का विरोध करते हुए कहा है कि पुरानी नीतियां इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्मा साहब और सारे सदन को जो इस देश का सर्वोच्च सदन है, अगर इस देश में हरित क्रांति आई, अगर यह देश सैल्फ सफीशियेन्ट हुआ फूड प्रोडक्शन में और कोई कांग्रेस पार्टी की नहीं, बल्कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर एक उपलब्धता पर यह देश मान कर सकता है पिछले पचीस वर्षों में अगर देश में कृषि के क्षेत्र में इंकलाब आया तो वह कांग्रेस पार्टी की नीतियों से आया। कांग्रेस पार्टी के महान नेताओं की बात से आप मुनकर नहीं हो सकते। आप पंडित जवाहर लाल नेहरू के भाखड़ा डैम के भाषण से मुनकर नहीं हो सकते हैं, आप श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की किसानों के प्रति जो देन है, उससे मुनकर नहीं हो सकते हैं। ...*(व्यवधान)* ये मेरा समय ले रहे हैं।

[श्री जे.एस. बराड़]

कांग्रेस पार्टी को यह मान हासिल है कि अगर देश के सबसे बड़े ईमानदार नेता ने जय जवान जय किसान का नारा दिया तो वह भी लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिया। इसलिए इस दलील में कोई वजन नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि जब इस देश के किसान और मेजारिटी लोग देश की जंगे आजादी की लड़ाई में हिस्सा ले रहे थे और शहीद भगत सिंह के चाचा अजित सिंह ने नारा दिया 'पगड़ी संभालो देश के किसानों', तो उस समय नारा लगाया कि 'दाना-दाना हिन्द का, विदेशी ब्रदर ले गए', लेकिन आज मैं इस सदन में इल्ज़ाम लगाना चाहता हूं कि एन.डी.ए. और एन.डी.ए. के पार्टनर्स ने दाना-दाना हिन्द का और किसान का लहू निचोड़ा है किसानों की नीतियों के ऊपर। मैं अपने तर्क भी सदन में रखना चाहूंगा। उर्दू के मशहूर शायर इकबाल ने किसान के लिए जो कहा था वह मैं बताना चाहता हूं और कहते भी हैं कि इतिहास अपने आपको दोहराता है। इकबाल ने किसानों की तरफ देखते हुए कहा था–

''जिस खेत से दहकां को मयस्सर न हो रोटी

उस खेत के हर गोशा ए गंदम को जला दो।''

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाइन्थ डाउन बैट्समैन हूं। समय कम है लेकिन मैं थोड़े में अपनी बात पूरी करूंगा। चार उदाहरण मैं देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप लक्ष्मीगंज में हजारों गन्ना उत्पादक जिनका 2000 करोड़ रुपया चीनी मिलों पर बकाया है, वह ऐजिटेशन कर रहे थे। वहां किसान आंदोलन चला हुआ है और इस एनडीए गवर्नमेंट के राज में 29 में से 14 चीनी मिलें बंद हैं। 11 अक्तूबर को केरल के कोचीन बंदरगाह का घेराव नारियल का उत्पादन करने वाले किसान क्यों कर रहे हैं? वह इसलिए कर रहे हैं कि मलेशिया से नारियल लाया जा रहा है और वे इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि यह उनकी तबाही का कारण बना हुआ है। तीसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि 12 अक्तूबर को कर्नाटक के मैंगलोर बंदरगाह पर हजारों किसानों ने जो रबड़ और चाय का उत्पादन करते हैं उन्होंने इतने बड़े संघर्ष का ऐलान किया मगर आपकी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है? मैं आपसे इस बात का जवाब लेना चाहता हूं। अब मैं ऑपरेटिव पार्ट पर आना चाहता हूं।

मैं बहुत खुश होता अगर हमारे पड़ोसी सूबे के शांता कुमार जी यहां बैठे होते। वह एक दो मिनट के लिए यहां से चले गए हैं। मैं पंजाब के धान के प्रोक्योरमेंट की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सायं 7.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब में किसानों की जो लूट हुई है उसका बयान नहीं किया जा सकता। आजकल भाखड़ा डैम और पंजाब की नहरों से अन्न पैदा नहीं होता, बल्कि आज किसान खुदकुशी कर रहा है और किसानों की लाशें भाखड़ा डैम में इसलिए बहती हैं कि एक-एक महीने किसान मंडियों में घूमता रहा, लेकिन उसका अन्न प्रोक्योर करने वाली कोई एजेंसी नहीं थी। केन्द्र सरकार की एजेंसी भी 15 दिन लेट आई। केन्द्र की ओर से 370 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया, लेकिन उससे पहले पंजाब के किसानों की लूट होती रही और 540 रुपए प्रति क्विंटल का माल 400 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदा जाता रहा। इसका मुख्य कारण था कि केन्द्र सरकार की एफ.सी.आई. और प्रदेश सरकार की प्रिक्योरमेंट एजेंसियों ने धान की खरीद 15 दिन लेट शुरू की थी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन में आज चुनौती देकर कहना चाहता हूं कि पंजाब के किसानों के लिए केन्द्र सरकार की ओर से जो 370 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है, उसमें से एक रुपया भी पंजाब के किसानों को नहीं मिला। इससे बदतर कोई स्थिति हो नहीं सकती, लेकिन यह सरकार किसानों की बात करती है। मैं बताना चाहता हूं कि यह जरूरी नहीं कि किसानों की बात केवल जाट ही कर सकता है या मेरे जैसा कोई व्यक्ति ही कर सकता है, किसान की बात तो महात्मा गांधी जी ने भी की थी, जो एक बनिया परिवार से थे और उन्होंने सिर्फ एक लाठी लेकर देश का आह्वान किया, लेकिन उनको भी भाजपा और आस.एस.एस. ने नहीं छोड़ा। मैं साहब सिंह जी की ओर मुखातिब होकर बताना चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जो 12-12 घंटे ट्रैक्टर चलाकर भी यहां आते हैं और किसान और खेत की बात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन-चार मुद्दों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बड़ी सनसनीखेज बात यह है कि एफ.सी.आई. के चेयरमैन पंजाब के टूर पर गए और पूरे पंजाब में घूम-घूम कर उन्होंने टूर किया, जो फेयरफैक्स और अन्य घोटालों के चक्कर में ब्राऊन बनकर अमरीका में रहे, जिन्होंने अपना पासपोर्ट भी बदला, उन्होंने बिना यूनिवर्सिटी की राय लिए, पंजाब का दौरा करके कहा कि पंजाब का 80 प्रतिशत माल खरीदने लायक नहीं है। नीतीश कुमार जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एफ.सी.आई. के चेयरमैन को यह अधिकार किसने दिया कि बिना यूनिवर्सिटी की राय लिए वे यह ऐलान कर दें कि पंजाब का 80 प्रतिशत माल खरीदने लायक नहीं है?

महोदय, मैं आज इस सदन में सरकार पर सीधा इलजाम लगाना चाहता हूं कि जब अकाली दल के मंत्रियों ने वह धान

400 रुपए प्रति क्विंटल खरीद लिया, तब इस सरकार ने पंजाब में धान का खरीद मूल्य 540 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा। पंजाब के अकाली मंत्रियों ने लाखों टन धान किसानों से 400 रुपए प्रति क्विंटल में खरीदकर उसी को सरकारी एजेंसी को 540 रुपए प्रति क्विंटल में बेच दिया। मैं पुनः इल्जाम लगाना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार का पंजाब में 540 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदने का फैसला अकाली मंत्रियों के हित के लिए किया गया है। आम किसान की जेब में उसमें से एक रुपया भी नहीं गया। इससे अधिक शर्म की बात और क्या होगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भाजपा और एन.डी.ए. पार्टनर की सरकार पर इल्जाम लगाना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों का लहू चूसने वाली है। मैं यहां कैबिनेट मंत्री शांता कुमार जी की प्रशंसा करना चाहूंगा कि उन्होंने देश में बेतहाशा अन्न भंडार को देखते हुए कैबीनेट में यह प्रस्ताव पेश किया कि एफ.सी.आई. के गोदामों में जो करोड़ों और अरबों रुपए का माल भरा पड़ा है उसे एक या दो रुपए सस्ता करके देश के गरीब लोगों को दे दिया जाए, लेकिन भाजपा की नीति, अमरीका के ऊपर और फॉरेन फार्मर्स के ऊपर आधारित होने के कारण उनके प्रस्ताव को नहीं माना गया और अनाज को बर्बाद होने दिया जाए, किन्तु उसे गरीब को नहीं दिया जाए, यह नीति सरकार अपना रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में कहना चाहता हूं कि यदि गोदामों में भरे लाखों टन अन्न को रिमूव नहीं किया गया, तो आने वाले समय में गेहूं की फसल बर्बाद हो जाएगी। किसानों के हित में कांग्रेस के समय में खासकर श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री राजीव गांधी और उनसे पहले पं. जवाहर लाल नेहरू तथा लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो काम किया, वह काम यह सरकार 100 जन्म लेकर भी नहीं कर सकती है। इसलिए मैं इस "काम रोको प्रस्ताव" का समर्थन करता हूं। मेरा एक और पाइंट रह गया है।

सभापति महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा के लिए सभा का समय केवल 7 बजे तक ही बढ़ाया गया है। इसलिए, मेरा निवेदन है कि सभा का समय और बढ़ाया जाए *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा चर्चा समाप्त होने तक समय बढ़ाए जाने पर सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी, नहीं *...(व्यवधान)*

श्री जे.एस. बराड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और मुद्दा उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

श्री कमलनाथ (छिंदवाड़ा): महोदय, हम आधा घंटे तक समय और बढ़ा सकते है *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि यह स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है, इसलिए इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। इसलिए, हम आधा घंटा समय और बढ़ाकर चर्चा को समाप्त करेंगे।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बराड़, अब आप भाषण समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जे.एस. बराड़ : अपोजिशन की लीडर श्रीमती सोनिया गांधी जी को एडजर्नमैंट मोशन लेकर आई हैं, उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहता हूं कि देश में किसानों ने जो खुदकुशियां की हैं, उसके ऊपर इस सदन में एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बने ताकि जिन किसानों ने खुदकुशियां की हैं, उनकी खातिर हम लड़ाई लड़ सकें।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार): मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश करूंगा। *...(व्यवधान)* आज हम किसानों की बात कर रहे हैं लेकिन हमें दुख से कहना पड़ रहा है कि किसान वही किसान नहीं है जो कृषि कार्य कर रहा है। जो फार्मर्स की बात बोलता है, वही किसान है। यह फार्मर्स कौन हैं? जिसके पास फार्म हाउस है, वही किसान है। स्वतंत्रता पूर्व हमारे देश में जो फ्यूडल सिस्टम रहे, स्वतंत्रता से पहले 1942 में अगस्त क्रांति का आंदोलन हुआ। नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के नेतृत्व में आई.एन.ए. का गठन हुआ, लड़ाई हुई, संग्राम हुआ, पोस्टल विद्रोह हुआ, अनेक विद्रोह हुए लेकिन 1947 के बाद हमारे भारत की जो जमीन जमींदारों के पास रही, उस संबंध में भी हमें कुछ करना चाहिए। जो आदमी काश्त करेगा, उसके पास कुछ तो जमीन रहनी चाहिए। स्वतंत्रता के बाद कोई सोशल रेवोल्यूशन, कोई सांस्कृतिक रेवोल्यूशन आदि कुछ नहीं हुआ। जब हम लोग विरोध पक्ष में आये तब हमने इस बारे में बात की। लेकिन जब भूमि सुधार आदि के बारे में प्रश्न उठाये गये, मैं श्री पी.ए. संगमा जी को बधाई देता हूं, उन्होंने आज इस बात को हाउस में उठाया। भूमि सुधार में पहले जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। जिसके पास ज्यादा जमीन है, वे कितने

[श्री अमर राय प्रधान]

आदमी हैं? जो खेतीहर मजदूर हैं, वहीं ज्यादा है। संपूर्ण जनसंख्या का 60 प्रतिशत भाग कृषि पर निर्भर है जिनमें खेतिहर मजदूर या खेतों पर काम करने वाले हैं। खेतीहर मजदूरों के लिए हमने क्या किया है, यह भी सोचना चाहिए। ऐसी बातें कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको भी बोलता हूं और उनको भी जरूर बोलूंगा।

आपने क्या किया है। हां, कानून पास किया है लेकिन क्या कानून पास किया है। 1953 में ऐस्टेट ऐक्वीजीशन एक्ट और लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास किया, उसके बाद सब भूल गए। सिक्स्थ प्लान के बाद आपकी भी सरकार रही। देखिए, उधर एक पैसा भी नहीं है। आप भूल गए। पश्चिम बंगाल और केरल को छोड़ कर और किसी जगह भूमि सुधार नहीं हुआ। आप किसान का हित करना चाहते हैं, गरीब आदमी का हित करना चाहते हैं, यह कभी नहीं हो सकता। खेतों में काम करना है तो जो पौजीटिव स्टैप्स लेने चाहिए उनमें भूमि सुधार पहला है। आज आंध्र, बिहार में क्या चल रहा है। जो कुछ हो रहा है नक्सल हो रहा है। मेन चीज भूमि सुधार है जो नहीं हुई है। ...*(व्यवधान)* बंगाल में भूमि सुधार हुआ। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने कहा था कि हम इसे लाईसैंस से खत्म कर देंगे, लेकिन जब श्री ज्योति बसु की सरकार आई, उसने तय किया कि भूमि सुधार होना चाहिए। ...*(व्यवधान)* भूमि सुधार होना चाहिए, सिर्फ नक्सल कहने से नहीं होगा।

ऐग्रीकल्चर मार्किटिंग पॉलिसी से संबंधित मंत्री जी कहां हैं। किसान आत्म हत्या कर रहा है। इस बार चावल सात रुपये किलो बिक रहा है। ...*(व्यवधान)* पासवान जी, आपकी सरकार है, थाईलैंड से छः रुपये किलो चावल ले आओ। यह किसान को बचाने का रास्ता नहीं है। इससे किसान और गरीब हो जाएगा। आपको मार्किटिंग पॉलिसी में घोषणा करनी चाहिए कि किस वस्तु का कितना मिनिमम प्राइस होगा, जैसे गेहूं के लिए इतना दाम, जूट के लिए इतना दाम। उससे नीचे नहीं जाना चाहिए।

हमारे क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा टमाटर और हरी मिर्च होती है। दो सौ ट्रक हर रोज हमारे क्षेत्र से आते हैं। लेकिन हालत क्या है। कभी मार्किट हो जाए तो ठीक है नहीं तो किसान टमाटर बाजार में लाकर रास्ते में फेंक कर चले जाते हैं, किलो के 25 पैसे भी नहीं मिलते। इस हालत को सुधारने के लिए कुछ करना चाहिए। किसान के हित की बात करनी चाहिए। मैं फार्मर की बात नहीं कर रहा हूं। छोटा किसान, जिसके पास एक एकड़ जमीन है, खेतीहर मजदूर को आप बचाना चाहते हैं तो सरकार की कृषि नीति को बदलना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। इस कार्य को जल्दी करना चाहिए नहीं तो प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी और खाना भी नहीं मिलेगा। आप राजी हैं, डब्ल्यू.टी.ओ. में हमने नाम लिखाया। अभी पी.एल.-480 का मामला हुआ। हम इस बार पी.एल. 480 नहीं करेंगे, डब्ल्यू.टी.ओ. 880 करेंगे - यह बंद करना चाहिए। भारत ऐसा महान् देश है वहां जमीन है, पानी ज्यादा है, लेकिन यदि इसका इस्तेमाल ठीक ढंग से करें, खेतीहर मजदूर को ठीक ढंग से काम दें तो मुझे आशा है कि हम और आगे बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। देश के हित में यह कार्य करना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सदन में चर्चा हो रही है और विपक्ष के माध्यम से कार्य स्थगन प्रस्ताव सदन में आया है।

वैसे किसानों की समस्या पर तो चर्चा कई अवसरों पर होती है। कहीं बाढ़ आती है तो भी किसान की समस्या आती है। कहीं सुखाड़ होता है तो भी किसान की समस्या आती है। कहीं न कहीं किसान की समस्या पर हम करते रहते हैं। आज हमने दिल और दिमाग में सोचा था कि यह किसान का सवाल है और इस पर सरकार के विपक्ष में भी वोट देना हो तो मुझे दे देना चाहिए। लेकिन जब हमने देखा कि किसानों की बात कौन उठा रहा है तो किसानों की बात की शुरूआत सोनिया जी कर रही हैं, जिनका किसानों और कृषि से कोई सम्बन्ध ही नहीं है, कोई लेना-देना ही नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर (मयिलादुतुरई): आप क्या बोल रहे हैं, आप कुछ जानते ही नहीं हैं।

[अनुवाद]

यह बिल्कुल........*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्यों उन्हें प्रोवोक कर रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम इतनी अच्छी बात बोल रहे हैं, उपाध्यक्ष जी।

[अनुवाद]

श्री मणिशंकर अय्यर: उनके कहने का अर्थ क्या है? ...*(व्यवधान)* वे बिल्कुल बोल रहे हैं ...*(व्यवधान)* वे प्रत्येक ...*(व्यवधान)* वे ऐसा नहीं कह सकते ...*(व्यवधान)* यह बिल्कुल झूठ है ...*(व्यवधान)*

सायं 7.18 बजे

[हिन्दी]

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणिशंकर अय्यर : महोदय जी नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थानों पर वापस जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक है तो उसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी होगी, तो उसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

सायं 7.20 बजे

(इस समय श्री कांतिलाल भूरिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये।)

श्री संतोष मोहन देव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...*

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है उसमें कुछ गलत नहीं है। वे इस तरह क्यों व्यवधान डाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि यह बहुत गम्भीर विषय है। इससे हमारे लाखों-लाख किसान भाई पीड़ित हैं। इस मामले को व्यक्तिगत टिप्पणी न करते हुए एक स्तर हम जमा कर रखें और संसद की गरिमा के अनुसार कार्य करें, यह मेरा नम्र निवेदन है। इसलिए व्यक्तिगत टिप्पणी करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, जिस समय साहिब सिंह जी बोल रहे थे, उन्होंने जब सोनिया गांधी जी को किसान नेता कहा तो कइयों को आपत्ति हुई, लेकिन जब मैंने यह कहा कि इनको खेती की जानकारी नहीं है तो इतना शोर क्यों कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विषय पर बोलें।

श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी (खजुराहो): अगर हम प्रधान मंत्री जी जब साइंस पर बोलें और यह कहें कि इन्हें जानकारी नहीं है कि क्या यह उचित होगा, क्या आप अलाऊ करेंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : किसानों की अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग समस्याएं हैं। सारे देश का बोझ 70 फीसदा किसानों पर पड़ता है। देखा जाए तो सारे लोग किसान नहीं हैं। कृषि पेशे से जुड़े हुए लोग भी इन 70 फीसदी में आते हैं, जबकि उनमें किसान नहीं होते। कई खेत मजदूर भी होते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : रामदास जी इस तरह से आपको चांस नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था कि आपको चांस दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : जो कृषि मजदूर होते हैं, उनकी समस्याएं अलग हैं। फसल के बोने से लेकर कटाई तक वे मजदूरी करते हैं। हमारे बिहार में उनकी हिस्सेदारी होती है। उनकी समस्या यह होती है कि फसल ज्यादा से ज्यादा हो। इसी तरह जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनकी समस्या अलग है। वे कृषि से उत्पादन करके एक बरस तक जीवन बसर नहीं कर पाते। जिन किसानों को खाने के लिए थोड़ी बहुत फसल होती है, उनको बेटी की शादी, बच्चों की पढ़ाई, दवा आदि की समस्या आ जाती है।

उनकी समस्या अलग होती है। वे चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कुछ सुविधा मुहैया हो जिससे कृषि का उत्पादन बढ़ सके। हम यह कहना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : कांग्रेस पार्टी को तो हमारा बोलना अच्छा नहीं लगता है, अगर आपको भी अच्छा नहीं लगता तो हम बोलना छोड़ देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है। टाइम बहुत कम है, इसलिए कह रहा हूं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह किसान से जुड़ा हुआ सवाल है और ज्यादा समय उन लोगों को मिला जो किसान के विषय में जानते भी नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* यह समय हमारे जैसे लोगों को मिलना चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर : आप किसानों के बारे में क्या जानते हैं?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हम किसानों की समस्या आपके सामने और सदन के सामने रखना चाहेंगे। जो गांव की पीड़ा है, गांव के किसानों की पीड़ा है, उनके दिल धधक रहे हैं, उनके सवालों को आपके बीच में हम रखना चाहते हैं। हम आपके बीच में सवाल उठाना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्गीय किसान हैं, उनको परिवार से सुविधा चाहिए लेकिन सरकारी सुविधा उन्हें मुहैया नहीं हो पाती। जब कभी सामानों के दाम भी बढ़ जाते हैं, जैसे खाद से सब्सिडी घटाई गई और खाद के दाम बढ़े, डीजल के दाम बढ़े हैं, किसानों को इससे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार के सामने और सदन के सामने किसानों की बात चिल्लाने से नहीं रखी जा सकती। हमें किसानों की पीड़ा को महसूस करना पड़ेगा। बिहार में नहर नहीं हैं। यदि कुछ इलाकों में नहरें हैं तो वे कामयाब नहीं हैं। अगर कांग्रेस का नाम लेंगे तो ये लोग गुस्सा होंगे। कांग्रेस के जमाने में नहरों की खुदाई की गई और सारे पैसे उस समय के नेताओं और ठेकेदारों की जेब में चले गये और किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा। एक तरफ नहर खुदाई के नाम पर किसान की जमीन ले ली गई और दूसरी तरफ खुदाई का काम पूरा नहीं हुआ। कार्यालय खोल दिये गये, बड़े-बड़े भवन बना दिये गये, अफसर बिठा दिये गये लेकिन किसानों को पानी नहीं मिल पाया। जिस समय किसानों की फसल को पानी की आवश्यकता होती है, उस समय उन्हें पानी नहीं मिलता है। जब किसानों की फसल उग जाती है और जिस समय पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, उस समय नहर खोल देते हैं तो बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है यानि किसानों को जमीन का नुकसान, सरकारी रुपये का नुकसान और उसके बाद फसलों की बर्बादी और उल्टे किसानों को नोटिस जारी कर दिया जाता है कि इतने रुपये का पानी आपको दिया गया और उनके मवेशियों को भी खोल लेते हैं। ये सरकारी त्रुटियां हैं और किसान जेल जाते हैं। किसानों की पीड़ा को हमें नजदीक से देखने की आवश्यकता है। किसान महंगाई की मार से अपनी फसल का उत्पादन नहीं बढ़ा पाते हैं और सरकारी सुविधा भी उन्हें मुहैया नहीं हो पाती। खाद के दाम बढ़ गये, डीजल के दाम बढ़ गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि तीन वर्ग के किसान होते हैं। तीसरे वर्ग के जो किसान होते हैं, उनके पास जमीन-जायदाद ज्यादा है और वे खेती से अन्न उत्पादन करके बाजार में बिक्री करने का काम करते हैं। उनकी स्थिति बहुत नाजुक है। जब खेती से माल की उगाई करते हैं, खासकर बिहार के किसानों की स्थिति यह हो गई है कि उनके माल को खरीदने वाला कोई नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : हालांकि सरकार की एजेंसी है, जैसे अन्न खरीदने के लिए गोडाउन भी बने हुए हैं लेकिन एजेंसी के माध्यम से सही ढंग से सामान की खरीद नहीं हो सकती है। बिहार के किसान गेहूं और मक्का मवेशी को दाना के रूप में खिला रहे हैं और अन्न सड़ रहा है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करूंगा कि प्रखंड स्तर पर एक क्रय केन्द्र खोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अभी तो शुरू किया है। किसानों के लिए प्रखंड स्तर पर क्रय केन्द्र खोल देना चाहिए ताकि क्रय केन्द्र में सामान की बिक्री कर सकें और उचित दाम मिल सके। किसानों के मूल्यों को तय करने में काफी गंभीरता की जरूरत पड़ेगी ताकि तीसरे वर्ग के जो किसान हैं, अगर ज्यादा मूल्य भी हो गया है तो दूसरे वर्ग के किसानों को नुकसान हो जाएगा और कम मूल्य हो गया तो जो बड़े किसान हैं, जो खेती से पैदा करके बिक्री करते हैं, उनको काफी नुकसान होगा। इसलिए मूल्यांकन करने में बहुत गंभीरता की आवश्यकता है। नई जनरेशन कृषि पेशे से भाग रही है। उन्हें दिल्ली और गुजरात में जाकर 1200 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की नौकरी मिल जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से किसानों को ज्यादा प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

आज नई उम्र के लोग 1200, 1500 और 2000 रुपए के लिए भाग रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप नहीं बोलने दीजिएगा तो हम अंत में सरकार से आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार किसानों की दयनीय स्थिति पर गंभीरता से चिन्तन और विचार करे। बहुत से मामलों में केन्द्र और राज्यों के कानून और नियमों की बात को लेकर किसानों को उचित सुविधा मुहैया नहीं हो पाती है, इसलिए हम चाहेंगे कि इस नियत में शिथिलता बरतते हुए और समन्वय बनाते हुए गांवों के किसानों को सुख-सुविधा मुहैया कराने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार उचित कदम उठाए। इसके साथ ही हम देश के कृषि वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देते हैं कि उन्होंने देश का उत्पादन बढ़ाने में अपनी अहम् भूमिका निभाई। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। ...*(व्यवधान)* लोग कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से बात नहीं होना चाहिए, लेकिन यह क्या हो रहा है, लोग राजनीति ही कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से ही इस प्रस्ताव को लाए हैं, इसलिए मैं इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार का समर्थन करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम): इनमें से कोई इंसान यह नहीं कह सकता कि मैं अपना ट्रेक्टर नहीं चलाता और मेरी खेती-

बाड़ी है। यह जो हाथ है इस पर हम नेलपालिश नहीं लगाते हैं। ...*(व्यवधान)* इससे हम खेत को जोतते हैं। ...*(व्यवधान)* यह कितने शर्म की बात है कि ऐसे मौके पर ये लोग महिलाओं के बारे में हंसते हैं, ये इंसान नहीं हैं। इनका कोई हक नहीं बनता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा में बहुत शोर-गुल हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य, आप इस सभा में एक महिला सदस्य को क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : यहां कुछ बुजुर्ग कह रहे थे कि जिनको जानकारी नहीं है वे बोलना नहीं चाहते हैं। क्या उन्हें जानकारी नहीं कि किसानों के आधे हिस्से में औरत भी खेतीबाड़ी में काम करती है। आप क्या बात कर रहे हैं। ये नहीं जानते कि आज के दिन देश में ऐसे हालात हो चुके हैं कि मेरी जैसी मां भी आत्महत्या के बारे में सोच रही है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं नेताओं से सहयोग चाहता हूं। माननीय सदस्य से व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं इस व्यवहार का विरोध करती हूं।

[हिन्दी]

आज के दिन किसान की यह हालत हो गई है कि किसान की नौजवान लड़कियों से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वह किसान की लड़की है।

ये सोचते हैं कि भविष्य में इस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : महोदय, अब आपको सभा का समय और बढ़ाना पड़ सकता है। कृपया अब इस बार समय को अंतिम रूप से बढ़ाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, मुझे सभा का समय बढ़ाना पड़ेगा। क्या सभा समय को एक घंटा और बढ़ाने पर सहमत है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, सभा का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाता है, श्रीमती रेणुका चौधरी जारी रख सकती हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : आज आंध्र प्रदेश में कहा जा रहा है कि रबी का क्रॉप होलिडे लीजिए। शायद सरकार को इसका मतलब समझ में नहीं आया है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम कहीं पर छुट्टी मनाने जाएं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्रॉप होलिडे अगर किसान करेगा तो सरकार क्या मदद करने वाली है। उन किसानों और श्रमिकों का क्या होगा जो इस पर निर्भर हैं क्योंकि उनकी रोजी-रोटी तो उन्हें उसी से मिलेगी। एक जमाने में किसानों को बहुत सम्मान दिया गया था जब "जय जवान, जय किसान" का नारा दिया गया था। खेती में लगी हुई किसान की आत्मा देश का गौरव है और उसी किसान के कारण हमने किसी देश से झोली फैलाकर यह नहीं कहा कि हमको खाना खिलाओ। आज भारत का किसान देश के करोड़ों लोगों को खिलाने की स्थिति में है। आज हमारा किसान हमारे देश के लोगों को खिलाने की ताकत रखता है। आज इस एडजर्नमेंट मोशन में स्टीरियो-टाइप बिहेवियर मुझे मिल रहा है। ...*(व्यवधान)* आज भारत अपने करोड़ों लोगों को खिलाने की स्थिति में है। आज भारत में कोई भी कृषि नीति नहीं है। फूड क्रॉप्स से कैश-क्रॉप में बैलेंस बदल गया है। जब तक हम इस पर निगाह नहीं रखेंगे तब तक जो हालात देश के कुछ हिस्सों में हो रहे हैं उनसे छुटकारा नहीं मिलेगा। आप टिश्यू-कल्चर लाए हैं लेकिन उसकी दूसरी जेनरेशन और रिजेनरेशन नहीं हो पा रही है। स्पूरिअस पैस्टीसाइटस के कारण किसान बर्बाद हो रहे हैं। आज किसान वही फसल उगाता है जो उसका पड़ोसी किसान उगाता है। लेकिन जब हमने तकनीकी अपनाई तो हमने यह योजना नहीं बनाई कि जब इसकी बम्पर क्रॉप होगी तो हम कैसे इसको मिनिमम स्पोर्ट प्राइस देंगे। आज ग्रामीण बैंकों में लैंडिंग होती नहीं है लेकिन रिक्वरी के लिए बैंक वाले किसान के घर आकर खड़े हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में इसके कारण कम से कम 60 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। ...*(व्यवधान)* क्या आप जानते हैं कि जब हम कह रहे हैं कि रबी की क्रॉप होलिडे करो तो उसका कारण यह है कि हम आपकी रबी के लिए पानी नहीं दे सकते हैं। इस हालात में आप बताइये कि किसान को हम क्या सहूलियत पहुंचा सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसे समय पर हमारा फर्ज बनता है कि हम किसान

[श्रीमती रेणूका चौधरी]

की मदद करें। हमारे बीच में एक श्री एन.जी. रंगा थे और एक जमाने में स्वर्गीय सरदार पटेल थे जिन्होंने किसानों के लिए सत्याग्रह किया था।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह की टीका टिप्पणी ठीक नहीं है। बड़े ही खेद की बात है। इस ओर से बहुत शोर आ रहा है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा ही चलता रहेगा तो कोई भी अपनी बात पूरी नहीं कर पाएगा। यदि कोई, इस ओर से टीका-टिप्पणी शुरू करता है तो दूसरा उस पक्ष से भी आक्षेप लगाना, टीका-टिप्पणी करना प्रारम्भ कर देता है। हम यहां अपना बाहुबल दिखाने नहीं आए हैं। हम यहां गरिमापूर्ण ढंग से केवल अपने विचार व्यक्त करने आए हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रूडी, कृपया मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी :.......*

[अनुवाद]

श्री सी.पी. राधाकृष्णन (कोयम्बटूर): महोदय, ये दूसरे सदस्यों के बारे में इस तरह कैसे बोल सकती हैं? आप इसकी अनुमति दे रहे हैं। इसीलिए इस ओर से टीका-टिप्पणी हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, मैं ये सभी टिप्पणियां कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। मैं यह सब हटा दूंगा। मैं किसी को भी अनुमति नहीं दूंगा। मैं किसी को भी इस प्रकार बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, केवल किसान ही देश के दूर-दराज के ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां उनके परिवारों के लिए कोई आधारभूत सुविधा तक ही नहीं है।

[हिन्दी]

उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल नहीं जा सकते। यदि उनके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है तो उनके लिए वहां अस्पताल नहीं है। फिर भी इन लोगों का इस धरती से लगाव है। वे देश के कोने-कोने में बस रहे हैं। वे देशवासियों को खिलाने के लिए अपने खून को पानी बनाकर फसल उगाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

हमें एक विस्तृत नीति की आवश्यकता है। देश में कानून समान नहीं है। कृषि भूमि कानून और औद्योगिक भूमि कानूनों में समानता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्रीमती रेणूका चौधरी : जी हां।

राज्य सरकारों, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश को इस वित्त वर्ष में कृषि के लिए अब तक निधियों का आबंटन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

आंध्र प्रदेश में बिजली सप्लाई नहीं की जाती लेकिन वहां की सरकार कम्प्यूटर के बारे में बात करती है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु (तेनाली): यदि, महोदया, रेणूका चौधरी केवल आंध्र प्रदेश की ही बात कर रही हैं तो उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है क्योंकि वे कृषि के बारे में कुछ भी नहीं जानती ...*(व्यवधान)* अधिकतर ध्यान कृषि क्षेत्र पर ही दिया जा रहा है ...*(व्यवधान)*

श्री के. येरननायडू : महोदय, हम सभा को बता चुके हैं कि आंध्र प्रदेश सरकार किसानों के हितों की रक्षा कैसे करती है ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : वे कह रही हैं कि वहां किसानों के लिए बिजली नहीं है। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : यह रिकॉर्ड में है कि कृषि पर होने वाले व्यय को खत्म कर दिया गया है। मैं इसे चुनौती दूंगी और इसे सिद्ध करूंगी ...*(व्यवधान)*

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, अब खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : सभी 'चुनौती' शब्द कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिए गए है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : महोदय, मैं अपनी सहयोगी को एक शब्दकोश यह देखने के लिए दूंगी कि 'चुनौती' शब्द असंसदीय नहीं है। इनका अंग्रेजी का ज्ञान कम है ...*(व्यवधान)*

प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : सभी जानते हैं कि आप कितनी शक्तिशाली हैं ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करती हूं कि सरकारों को अधिक सक्रिय बनना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए और किसानों के लिए आधारभुत संरचना का निर्माण करना चाहिए। आपात आधार पर बैंकों को निर्देश देने होंगे कि कुछ समय के लिए वह वसूलियां रोक दें। राज्य सरकारों पर यह सुनिश्चित करने का दबाव होना चाहिए कि कृषि जगत की विद्युत आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाए। उन्हें विद्युत आपूर्ति स्थाई रूप से दी जानी चाहिए क्योंकि अस्थाई विद्युत आपूर्ति और उसके उतार-चढ़ाव से उनकी मोटरें जल जाती हैं। मोटरों की रिवांइडिंग पर छोटे किसान हर बार 3,000 या 5,000 रुपये खर्च नहीं कर सकते। इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सबसे अंतिम वक्ता। अध्यक्ष महोदय ने श्री भड़ाना को केवल दो मिनट बोलने की अनुमति दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे भी दो मिनट बोलने का समय दिया जाए ...*(व्यवधान)* महोदय, उसमें मेरा नाम भी है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अवतार सिंह भड़ाना (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्याओं को लेकर इतने महत्वपूर्ण विषय पर देश का ध्यान खींचने और चर्चा कराने के लिये हमारे लीडर आफ दी अपोज़ीशन यह काम रोको प्रस्ताव लाई हैं। मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस विषय पर यहां इतनी देर से चर्चा हो रही है और किसानों के इस महत्वपूर्ण विषय को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है।

सायं 7.46 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

मेरी आप लोगों से विनती है कि थोड़ा इस सदन की गरिमा का भी ध्यान रखें। माननीय वाजपेयी जी की हमेशा से विरोधी दल के नेता के रूप में भूमिका रही है जिनके साथ कभी इस तरह का व्यवहार नहीं हुआ है जो आज इस सदन में हो रहा है। आप इस सदन में एक नई परम्परा डाल रहे हैं। यदि आप इस तरह की परम्परा डालेंगे तो ठीक नहीं है ...*(व्यवधान)* यह किसानों का मामला है। आज पूरे देश का किसान जूझ रहा है जिसके बारे में हम आज यहां चर्चा करने आये हैं। आप इस मामले को गंभीरता से लें।

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के किसानों की बात बताना चाहूंगा कि मैंने पिछली बार भी गन्ना किसानों की दुर्दशा के बारे में उल्लेख किया गया था। उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. की सरकार है और यहां भी आपकी सरकार है। वहां किसानों के साथ बी.जे.पी. की सरकार बहुत बुरा बर्ताव कर रही है। मिलें किसानों का गन्ना नहीं ले रही हैं और मिलों ने किसानों के गन्ने का पिछला पेमेंट तक नहीं किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और सारे सदन को बताना चाहता हूं कि मेरठ में मऊखास मिल को चालू नहीं किया गया है और जो चालू थीं, उन्हें बंद कर दिया गया है। इससे किसान बहुत बुरी हालत में हैं। मैं समझता हूं कि जब तक गन्ना किसानों को पेमेंट नहीं मिलेगी, वे कोई खर्चा नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश में एक तरफ जहां किसानों पर रिकवरी का सरकार का करोड़ों रुपया बकाया है, वहां दूसरी तरफ किसानों को बेइज्जत करके उनके ट्रैक्टर, भैंसें कुड़क की जा रही हैं और किसानों को लॉक अप में बंद किया जा रहा है। किसानों के साथ इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। मेरी इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना है कि राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में कोई नीति बनाई जाये जिससे किसान बर्बाद होने से बच सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, मैंने मंत्री महोदय का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। यह कोई तरीका नहीं है

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। ये क्या है?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा में व्यवधान उत्पन्न ना करें। यह एक गंभीर मामला है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त अन्य कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष की नेता द्वारा प्रस्तुत कार्य स्थगन प्रस्ताव पर सदन में लगभग छः घंटे से चर्चा चल रही है। अब इसमें किसानों की समस्या के संबंध में व्यापक चर्चा हुई है। कोई एक या दो स्पेसेफिक सवाल इसमें नहीं उठाए गए हैं, बल्कि अनगिनत सवाल इसमें उठाए गए हैं। अनेक माननीय सदस्यों ने कई बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे अपील कर रहा हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। अब समय नहीं है।

...(*व्यवधान*)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री आठवले, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : इससे पता चलता है कि आप इस मामले के प्रति गंभीर नहीं हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैं आपसे एक बार फिर अपील करता हूं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(*व्यवधान*)*

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, बहुत हो गया।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में कई विषय उठाए गए हैं और इस सीमित समय में, इस सीमित चर्चा में, यह संभव नहीं होगा कि जितने भी विषय उठाए गए हैं, उन सारे विषयों की विस्तृत चर्चा हो सके। सदन को ज्ञात है, अध्यक्ष महोदय आपको भी मालूम है कि सरकार ने आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति अपनाई उसकी घोषणा की, और उसे सदन में रखा। पिछले सत्र में मैंने नोटिस भी दिया और इच्छा व्यक्त की थी कि सदन राष्ट्रीय कृषि नीति पर चर्चा करे, लेकिन वह चर्चा नहीं हो सकी है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती अगर पिछले सत्र में ही इस पर चर्चा हो जाती, लेकिन समय नहीं मिल पाया। मैं चाहता हूं कि इस सत्र में इस पर चर्चा हो। ...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): मैं व्यवस्था के प्रश्न की बात कर रहा हूं। महोदय, मुझे अनुमति दी जाए।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे पहले नियम दिखाइए। मुझे बताइए कि नियम क्या कहता है।

श्री पी.सी. थामस : मैं अपना व्यवस्था का प्रश्न, प्रक्रिया नियम के नियम 376 के अधीन उठा रहा हूं। मैं यह बताना चाहूंगा कि विभिन्न दलों को दिया गया समय स्पष्ट है किंतु सभी दलों ने निर्धारित समय से कहीं अधिक समय लिया है। केरल कांग्रेस जैसे कुछ एकल व्यक्ति दलों ने भी किसानों का प्रतिनिधित्व किया है। इसलिए मैं इस विषय पर बिना कुछ बोले नहीं बैठूंगा।

दरअसल, वाणिज्य मंत्री श्री मुरासोली मारन यहां उपस्थित नहीं है किंतु वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री को यहां रहना चाहिए। चाय, कॉफी, मसाले जैसी सभी वस्तुएं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आनी चाहिए किंतु क्योंकि ये वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आती हैं इसलिए इन वस्तुओं से संबंधित मामलों पर कोई उत्तर नहीं देगा।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। अब मंत्री महोदय अपना उत्तर जारी रख सकते हैं। मंत्री जी के उत्तर के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री थामस, बहुत हो गया। मैं आप से दोबारा अपील करता हूं, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. थामस : मैं आपको आदेशों को चुनौती नहीं दे रहा हूं किंतु किसानों के लिए मुझे बोलने की अनुमति न देने पर, विरोधस्वरूप मैं सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

सायं 7.58 बजे

(इस समय, श्री पी.सी. थामस सभा-भवन से बाहर चले गए।)

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी अपना उत्तर जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 7.59 बजे

(इस समय श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी सभा भवन से बाहर चले गए)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : अध्यक्ष महोदय, छः घंटे लबी चर्चा चली है। इसमें जितने विषय उठाए गए हैं उनके बारे में मैं अपनी बात कहां से और किस सवाल से शुरू करूं, यह एक समस्या है। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने अनेक विषय उठाए हैं। मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरतापूर्वक सुन रहा था। मैंने केवल उन्हीं की नहीं बल्कि अन्य सभी वक्ताओं की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार की ओर से जब उत्तर दिया जा रहा है, वक्तव्य दिया जा रहा है, तो उसी गंभीरता का परिचय दिया जाए।

रात्रि 8.00 बजे

(इस समय श्री रामदास आठवले और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

माधव राव सिंधिया जी बोल रहे थे। वे कांग्रेस पार्टी के उप नेता हैं। उनके लिए मेरे मन में बड़ा सम्मान है लेकिन उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के लोग, मंत्री या उनके संसद सदस्य गांव में जायें तो उनको गांव की समस्या की जानकारी मिलेगी। अब मैं इस देश का कृषि मंत्री हूं। हम लोग किसी बड़े घराने में पैदा नहीं हुए हैं। बहुत ही मामूली घर में, गांव में पैदा हुए हैं। इसलिए जब भी कहीं जाना है तो वहां जाना ही है जिसकी चर्चा आपने की और मैं समझता हूं कि इस सदन में मैं तो दोनों पक्षों की बात लेकर कहता हूं कि ज्यादातर लोग ग्रामीण अंचल से चुनकर आये हैं इसलिए किसी के बारे में चाहे वह राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हो या उस पक्ष का हो, यह कहना मुनासिब नहीं होगा कि लोग गांव में नहीं जाते। लोक सभा के सदस्यों को अपने क्षेत्र में जाना ही है और ऐसा कोई माननीय सदस्य यहां नहीं बैठा है जिनको गांव की समस्या की जानकारी नहीं होगी। उसमें दिलचस्पी होना या न होना एक अलग बात हो सकती है। इसलिए आपका यह कहना कि लोग नहीं जाते और अगर जायें तो पता चले। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : हमने यह कहा था कि जिस तरह का आपका रवैया है, ऐसा लगता है। मैं नहीं कह रहा था कि यही बात है परन्तु मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप लोग शायद गांव नहीं जा रहे हैं। आपने जो स्पष्टीकरण दिया, मैं उससे पूर्ण रूप से सहमत हूं।

श्री नीतीश कुमार : आपने स्वीकार कर लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। अब आपने रवैये की बात कही। आपके द्वारा एक साथ कई आरोप लगा दिये गये हैं। कहां से शुरू किया जाये, देश के अंदर शुरू किया जाये या देश के बाहर शुरू किया जाये, हम समझते हैं कि आपने ज्यादा वक्त इस पर लगाया कि किसान की हालत इसलिए खराब हुई है कि चीजों का बुरी तरह इम्पोर्ट हो रहा है और बिना सोचे समझे सरकार ऐसी नीति अख्तियार कर रही है जिसकी वजह से सब चीजों का अंधाधुंध इम्पोर्ट हो रहा है। यह भी आरोप लगाया गया कि जो कृषि उत्पाद हैं, उनकी कीमतें गिर रही हैं। उसके कहने का मतलब यही है कि बाहर से इम्पोर्ट हो रहा है। अगर यह बात है तो सभी जानते हैं कि डब्ल्यू.टी.ओ. का नेगोसियेशन एन.डी.ए. सरकार के समय नहीं हुआ था। यह भी आपने कहा कि अब इस बात को उठाया जायेगा। ...*(व्यवधान)* हमने तो कहा लेकिन आप पहले पूरी बात सुन लें। हमने तो सबकी बात सुनी है। अगर आप हमारी बात से संतुष्ट होंगे तो वोटिंग नहीं करायेंगे और असंतुष्ट हुए तो वोटिंग करायेंगे इसलिए उसकी बात नहीं है। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए। डब्ल्यू.टी.ओ. या गैट नेगोसियेशन आदि जो कुछ हुआ, सिंधिया साहब, यह सब उसी सरकार के द्वारा किया गया जिस सरकार के आप मंत्री थे। जो कुछ भी उस समय हुआ ...*(व्यवधान)* हम कोई आक्षेप नहीं लगायेंगे, हम तो तथ्य रखेंगे। जो कुछ भी हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया : डब्ल्यू.टी.ओ. का मतलब आपको अभी भी समझ में नहीं आया। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : विश्व व्यापार संगठन के अन्तर्गत एक नहीं अनेक समझौते हुए। उसी के अंतर्गत कृषि पर एक समझौता हुआ। ...*(व्यवधान)* हम सब आपको ठीक से जानते हैं। कोई नया परिचय देने की जरूरत नहीं है। इस सदन में सब लोग एक दूसरे को बढ़िया से जानते हैं। इसलिए सबको एक दूसरे की बात सुन लेनी चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो एतराज की बात हो, उस पर एतराज भी दर्ज करा देने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन हमारा वाक्य अभी पूरा नहीं हुआ है। क्या यह सच्चाई नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी, उस समय गैट समझौते पर हस्ताक्षर हुए। आपने कहा कि अम्बरेला एग्रीमैंट हुआ। उस डब्ल्यू.टी.ओ. में अनेक समझौते हुए जिसमें से एक समझौता एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर भी कहलाता है। ...*(व्यवधान)* आप पूरी बात सुन लीजिए। आप वकील चंडीगढ़ के होंगे। आपको इस बार डब्ल्यू.टी.ओ. में डिस्प्यूट सैटलमैंट में भेज दिया जायेगा। अगर आप बहुत इच्छुक हैं तो सरकार को कभी भी किसी डिस्प्यूट में डब्ल्यू.टी.ओ. में जाना होगा तो हम आपको ही भेज देंगे। वहां जाकर आप ठीक से बात करिये। इसलिये पहले आप बात को पूरी सुन लीजिए तब उस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करें। ...*(व्यवधान)* एग्रीमैंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत, एग्रीकल्चर पर हुए किसी समझौते के अन्तर्गत आज बाजार कृषि उत्पादों के लिए नहीं खोला जा रहा है। सच पूछा जाये तो आप यह बात अपनी ही पार्टी के नेता श्री मनमोहन सिंह जी से पूछ लीजिए कि यह बाजार क्यों खुल रहे हैं?

बहुत कहा जा रहा है कि क्यू.आर. हटाने के लिए सन् 2003 तक के लिए हमारे पास समय था। लेकिन आप डब्ल्यू.टी.ओ. डिस्प्यूट सैटलमैंट में हार चुके हैं। सन् 2001 तक आपको हर तरह की पाबन्दियों को हटा देना है। आपको अपना पूरा बाजार खोल देना है। उसी सिलसिले में यह बाजार खुल रहा है न कि एन.डी.ए. की सरकार ने किसी प्रकार का कोई समझौता डब्ल्यू.टी.ओ. में बाद में किया है जिसके अन्तर्गत यह बाजार खुल रहा है। इससे बड़ा असत्य कोई दूसरा नहीं हो सकता। यह पूरा इसलिए खुल रहा है कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमैंट की पोजीशन ठीक हो गई। बैलेंस ऑफ पेमैंट की पोजीशन ठीक नहीं थी, उसी का सहारा लेकर आप सन् 2003 तक रोक सकते थे लेकिन डब्ल्यू.टी.ओ. डिस्प्यूट सैटलमैंट में आप हार गए। सन् 2001 के 31 मार्च के बाद एक अप्रैल से आपको पूरा बाजार खोल देना है। डब्ल्यू.टी.ओ. या गैट समझौता माननीय वाजपेयी जी की सरकार ने नहीं किया, यह समझौता उस सरकार ने किया जिसमें आप माननीय मंत्री थे। ...*(व्यवधान)* आपको दुबारा मौका मिलेगा। इसलिए यह आरोप लगाना कि सरकार बिल्कुल दरवाजा खोल रही है, इससे बढ़ कर गैर-मुनासिब बात कोई और नहीं हो सकती। ...*(व्यवधान)*

श्री श्यामाचरण शुक्ल (महासमुन्द): आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : श्यामाचरण शुक्ल जी, आप अपने भाई विद्या चरण शुक्ल जी को छत्तीसगढ़ में समझाइए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नीतीश जी, आप चेयर को ऐड्रैस कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : आज बाजार खुल रहा है और इसमें हमारी सरकार का कोई कसूर नहीं है। यह सच है और अगर यह गलत है तो डा. मनमोहन सिंह जी से, जो उस समय वित्त मंत्री थे, यह बात पूछ ली जाए।

श्री माधवराव सिंधिया : आप बैलेंस बढ़ाइए, इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाइए, ऐंटी डम्पिंग मेजर्स कीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : सिंधिया साहब, जब आप मौका देंगे, हम वहां आ जाएंगे। अब सवाल है कि बाजार खुल गया। लेकिन

हमारे पास दो इन्स्ट्रूमैंट्स हैं - एक टैरिफ रिस्ट्रिक्शन और दूसरा ऐंटी डम्पिंग मेजर्स। यह दो मेजर्स हमारे पास हैं। आप कहते हैं कि उसका इस्तेमाल कीजिए। यह कहा गया कि सरकार ने बाजार इस कदर खोल दिया जिसका नतीजा यह हुआ कि हमारे यहां पूरा सामान आ गया और किसानों के लिए आफत पैदा हुई। हम आपकी जानकारी के लिए तथ्य रखना चाहते हैं। 1998-99 में जो ऐग्रीकल्चरल इम्पोर्ट हुआ, उसकी टोटल वैल्यू 12,584.08 करोड़ रुपये है। 1999-2000 में यह घट कर 11,510.09 करोड़ रुपये हो गया। हमारे समय में ऐग्रीकल्चरल इम्पोर्ट बढ़ा नहीं बल्कि घटा है। जहां तक यह सवाल है कि ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का टोटल इम्पोर्ट से क्या शेयर है, 1998-99 में जहां ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का टोटल इम्पोर्ट में शेयर 7.05 प्रतिशत था, 1999-2000 में वह घट कर 5.63 प्रतिशत हो गया। यह हमारे आंकड़े हैं। आप चाहें तो इसे चुनौती दे सकते हैं। जो इम्पोर्ट हो रहा है, यह आंकड़े उसके आधार पर हैं। अब यह बात है कि इम्पोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं बढ़ाई। अब सवाल यह है कि कहां-कहां समस्या आ रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल (कानपुर): टोटल इम्पोर्ट कितना हुआ, यह बताइए।

श्री नीतीश कुमार : हमने टोटल इम्पोर्ट बता दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पूरा करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : टोटल ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट 1998-99 में और टोटल ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट का क्या शेयर है, वह भी हमने बता दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : भूरिया जी, यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : ये तथ्य अकाट्य हैं और यह साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि श्री वाजपेयी जी की सरकार में इस अवधि में ऐग्रीकल्चर इम्पोर्ट बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। इससे हमारे किसानों पर किसी भी प्रकार की आफत इसके चलते नहीं आने दी जायेगी। मैं आपके सामने और तथ्य रखना चाहता हूं। संगमा साहब ने कहा, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे हमारे अध्यक्ष थे, हमको माफ करियेगा, अगर आपने कहा कि इम्पोर्ट ड्यूटी लगी ही नहीं तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगी हुई है। इस साल दो बार इम्पोर्ट ड्यूटी कई चीजों पर रिवाइज हुई है। एक बार 12 जून को रिवाइज हुई और फिर 21 नवम्बर को रिवाइज हुई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या चल रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय द्वारा अपना भाषण पूरा करने के बाद, माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : यह बात सही है कि हमारे यहां अगर किसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर बाहर से इम्पोर्ट का असर पड़ा है तो वह एडीबल ऑयल पर है। खाने के तेल पर उसका असर पड़ा है। हमारे यहां जितना इसका उत्पादन है और जितनी जरूरत है, उसमें एक गैप है, उसमें एक कमी है। बावजूद इसके कि टैक्नोलोजी मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड पल्सेस चल रहा है, उसके बाद भी तिलहन में, तेल में और दलहन में हम पूरे तौर पर आत्मनिर्भर नहीं हो पाये हैं। उस दिशा में कदम बढ़ाया जा रहा है। उस पर मैं बाद में अगर सदन के पास समय होगा तो आ सकता हूं। लेकिन इम्पोर्ट से जो नुकसान हुआ है, वह एडीबल ऑयल के चलते हुआ है। उसके ऊपर में 3-3 बार ड्यूटी को रिवाइज किया गया है और इस साल दो बार रिवाइज किया गया। पामोलीन पर इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है, हर चीज पर बढ़ाई गई है। लेकिन एक समस्या आती है, जब इम्पोर्ट ड्यूटी तेल के बारे में बढ़ाने की बात आती है तो हम तो चाहते हैं, कृषि मंत्रालय चाहता है कि ड्यूटी और बढ़ा दी जाये, चूंकि हम प्रोड्यूसर के इंटरैस्ट को देखने के लिए बैठे हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय को कंज्यूमर इंटरेस्ट को भी देखना है। हमें वह दिन याद है कि प्याज के मामले में क्या हुआ था। 1998 में प्याज की माला पहन कर आप लोग घूम रहे थे। 1998 में क्या हुआ था, 1998 में प्याज का एक्सपोर्ट हुआ था, चूंकि आपका कमिटमेंट था और उस साल फसल पर मौसम का असर पड़ा था, उसके चलते बाजार में प्याज की कमी हुई थी। उस समय की सरकार पर आरोप लगा था कि आपने अपनी डिमांड को देखे बगैर एक्सपोर्ट कर दिया। आप लोग तो ज्यादा दिन सत्ता में रहे, आपने तो सरकार में रहते हुए, सत्ता में रहते हुए इतने दिन इस मामले को देखा है और आपको यह मालूम है कि एक्सपोर्ट मार्केट आपका इन्तजार नहीं करेगा। अगर आपको कमिटमेंट किया है कि हम एक्सपोर्ट करेंगे और अगर आप हर साल प्याज जैसी चीजों का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपकी प्याज खाने के लिए वहां के लोग दो साल इन्तजार नहीं करेगा। इसलिए किसानों के इंटरैस्ट में प्याज का हर साल एक्सपोर्ट करना होगा। लेकिन उस बार क्या हुआ कि प्याज के दाम बढ़े तो इन्होंने खूब

[श्री नीतीश कुमार]

आंसू बहाये, आपने जार-जार आंसू बहाये और लोगों की आंखों से भी इतने आंसू आप लोगों ने बहवा दिये कि तीन-तीन राज्यों में बी.जे.पी. को नुकसान उठाना पड़ा। उधर जब बी.जे.पी. चुनाव हारती है तो उसके अगले दिन से प्याज की कहानी बन्द हो जाती है। आज जब प्याज के किसानों को प्याज की कीमत नहीं मिली तो मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आज उनकी आंख में आंसू क्यों नहीं आये। कल तो जब दिल्ली के बाजारों में प्याज महंगी थी तो आप लोग आंसू बहा रहे थे, लेकिन आज किसान को कीमत नहीं मिल रही है, कम कीमत मिल रही है। आपने जो बवंडर खड़ा किया, आपके डर से अगली बार एक्सपोर्ट रोक दिया गया और जब एक्सपोर्ट रोक दिया गया तो किसानों को नुकसान हुआ। इस बार आपकी परवाह किये बगैर एक्सपोर्ट की इजाजत दी गई। एक-एक लाख और 50 हजार टन करके चार लाख 50 हजार टन प्याज के निर्यात की इजाजत इस बार दी गई। बीच में कुछ दिन के लिए थोड़े से भाव बढ़े। मैं अभी महाराष्ट्र में लासलगांव होकर आया हूं, जो एशिया का प्याज की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है, वहां के प्याज के किसानों के बीच से होकर आया हूं। वहां पर जो समस्या थी, वह एक सप्ताह, डेढ़ सप्ताह के लिए थी। जो नो आब्जैक्शन सर्टिफिकेट दिया जाता है, वह देना बन्द कर दिया गया था, लेकिन तत्काल उसको चालू किया गया और अब एक्सपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारे किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिल सके। आज इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने में दिक्कतें आती हैं। आज फाइनेंस मिनिस्टर से अन्दर हम इस पर बहस करते हैं। लेकिन जब बाहर निकल कर आते हैं तो बताते हैं कि अगर पामोलीन को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, पर सोयाबीन पर 45 प्रतिशत से अधिक ड्यूटी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि उस पर बाउंड रेट 45 प्रतिशत है। वह किसने तय किया, श्री यशवंत सिन्हा ने तय किया, श्री मुरासोली मारन ने तय किया था क्या श्री वाजपेयी ने तय किया, यह बाउंट रेट आपने तय किया।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): यह सरासर असत्य बात कह रहे हैं। आप लोगों को मुगालते में न डालें, भ्रमित न करें ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : मैं जो कह रहा हूं, वह सही है। हम गलत बोलें तो आप हमारे खिलाफ प्रिवीलेज मोशन लाएं ...*(व्यवधान)* अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो आपके हाथ में हथियार है, आप उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अपनी बात कहने से आप मुझे नहीं रोक सकते। यह बाउंड रेट पर एग्रीमेंट आन एग्रीकल्चर बिल्कुल फंस गया था, जब गैट पर समझौता हो रहा था। उस समय समझौते के दौर में बात आई, उस समय लोगों ने कहा कि चलो ले लो बाउंड रेट तय कर लो, इम्पोर्ट पर जितना रिस्ट्रक्शन लगाना हो, बाउंट रेट तय कर लो। जापान 200 प्रतिशत तक या 500 प्रतिशत से भी अधिक तक बाउंट रेट लगा सकता था, इम्पोर्ट ड्यूटी का। तब आप क्यों ठिठक गए। प्राइमरी प्रोडक्टस पर 100 प्रतिशत, प्रासेस पर 150 प्रतिशत, एडीबल आयल पर 300 प्रतिशत, सोयाबीन को छोड़ कर, उस पर बाउंट रेट 45 प्रतिशत है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) आप सरकार में हो, आप जवाब दें।

श्री नीतीश कुमार : हम तो बता रहे हैं। आप लोगों ने तय किया वह बाउंट रेट। आज आप लोगों ने हमारे हाथ बांध दिए हैं, हम उससे आगे नहीं जा सकते। संसद में जब इस पर बहस होती थी, उस समय हम विपक्ष में थे। हम इस बात को कहते थे ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के तेल को छोड़ कर, जिंस पर 45 प्रतिशत ड्यूटी है ...*(व्यवधान)* यही तो रोना है कि सोयाबीन तेल पर 45 प्रतिशत है लेकिन इस बारे में भी अगर और कोई कदम उठाए जा सकते हैं, वह उठाने में पीछे नहीं रहेंगे और यहां के किसानों के हित में रक्षा करने में जो भी होगा वह करेंगे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

यहां पर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में कहा गया। शायद सोनिया जी ने भी कहा। आपको मालूम है कि दूध पर परम्परागत तौर पर बाउंड रेट आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था। यह स्वाभाविक था। जब से आप गैट के संस्थापक सदस्य हैं, 1947 से, तब से दूध पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत था। इसलिए था कि हम लोग इसमें आत्मनिर्भर नहीं थे इसलिए बाहर से दूध का पाउडर सहायता के तौर पर आता था। सिंधिया जी आप बड़े स्कूल में पढ़े होंगे। हम लोग गांव में प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं। याद है दूध घोल-घोल कर हम लोगों को इसी पाउडर को मिड डे मिल्क के तौर पर दिया जाता था। वह विदेश से आता था, डिब्बों में। मास्टर साहब हम लोगों को हमीं से बना कर हमीं को पिलाते थे। यह मैं गांव के स्कूल की बात कर रहा हूं। आप बड़े स्कूल में पढ़े हैं, आपको कहां पता है। सोनिया जी को कहां से याद होगा, इसके बारे में सोचना ही बेकार है। हम लोग अपेक्षा ही नहीं करते।

एक माननीय सदस्य : आप आयातित दूध पीकर पले हैं।

श्री नीतीश कुमार : हम नहीं पले हैं। हम तो बता रहे हैं कि हमें सहायता के तौर पर जो दूध का पाउडर आता था, उसे पिया है। पिछली बार ज्यादा दूध का पाउडर नहीं आया। लेकिन देखा गया कि 17,000, 18,000 टन के करीब आया है। देखा गया कि इस पर आयात शुल्क शून्य प्रतिशत है। फिर इसमें जो-जो सम्बद्ध देश थे, उनके साथ अलग से समझौता किया गया। जो

शून्य प्रतिशत बाउंट रेट था, उसको 60 प्रतिशत किया गया। वह आयात शुल्क लगा दिया गया 12 जून, 2000 को। आप बताएं कि उसके बाद कौन सा दूध आ रहा है।

कहां दूध आ रहा है, आप बताइए। आप उदाहरण दीजिए, उस पर तत्काल कार्यवाही की जाएगी लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। ऐसे ही एक अफवाह फैल जाती है और आज आपको मालूम है कि ये दाम क्यों गिरे हैं? उसका एक कारण है। यह आपके द्वारा चलाया हुआ एक भ्रम है। एक अफवाह इस बारे में फैला दी जाती है कि बाहर से इतना कुछ आ रहा है, इसका भी असर पड़ता है। जो बाजार के प्राइवेट ट्रेडस हैं, वे किसानों का सामान नहीं खरीदते हैं। सरकार पूरी तौर पर अपनी ताकत भी लगा देगी तो भी जितना एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, उसे नहीं खरीद सकती। लेकिन सरकार खरीदना चाहती है, अधिक से अधिक खरीदना चाहती है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले वर्षों में प्रोक्योरमेंट बढ़ता चला गया है और इस बार अगर रखा है तथा कैबिनेट ने फैसला दिया है कि राज्य सरकारें प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। डीसेंट्रेलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बारे में सरकार ने नीति विषयक निर्णय लिया है और हर राज्य सरकार को इसकी सूचना दी गई है। बार-बार राज्य सरकारों से कहा जा रहा है कि आप प्रोक्योरमेंट करिए। *...(व्यवधान)* जो भी इसमें घाटा होगा, हम वहन करेंगे लेकिन प्रोक्योरमेंट कुछ राज्य सरकारें कर रही हैं। कई राज्य सरकारें प्रोक्योरमेंट नहीं कर रही हैं लेकिन केन्द्र की तरफ से सिर्फ एफ.सी.आई. ही एजेंसी नहीं है। अब हर राज्य सरकार को अधिकार है कि वह जितना केन्द्र चाहे, उतना केन्द्र प्रोक्योरमेंट के लिए खोल सकते हैं। जो राज्य सरकारें चाहें, वे खोल सकती हैं, प्रोक्योरमेंट कर सकती हैं। आखिर किसानों के लिए और क्या किया जा सकता है? अगर इम्पोर्ट हो रहा है तो उसे रोकने के लिए हम इम्पोर्ट टैरिफ बढ़ाएंगे। अगर उसके बाद भी परिस्थिति ऐसी होगी तो हम एंटी-डंपिंग मैजर्स लेने से भी नहीं हिचकिचाएंगे। कोई रास्ता माल डंप नहीं कर सकेगा। किसानों की हालत सुधारने के लिए एक तरफ प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है और दूसरी तरफ बाहरी हमले से उनको बचाने का उपक्रम किया जा रहा है। यही हमारे पास उपाय है और अगर इसके अलावा और कोई उपाय काबिल किसान नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, उनके पास है तो वे बता दें, उस पर भी हम गौर करेंगे और उस पर भी कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे।

कांग्रेस पार्टी का एक उच्चस्तरीय शिष्ट मंडल मुझसे मिला था। मेरे पास श्री बलराम जाखड़, भूतपूर्व कृषि मंत्री, श्री अर्जुन सिंह और श्री शिवराज पाटील आए थे। उन्होंने अपनी चिन्ताएं प्रकट की थीं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी उन्हें आपकी बात स्वीकार्य नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी (मिरयालगुडा): महोदय, उन्होंने अभी-अभी जो कहा है वह गलत है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हम उनके सुझावों पर भी गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। जहां कहीं भी अगर दलगत भेदभाव से उठ कर देश के किसानों के हित में कोई कदम उठाना है तो हम उस कदम को उठाने के लिए तैयार हैं। आप हमें अपनी सलाह और सुझाव दीजिए कि और कौन से कदम उठाने हैं। हमने कृषि नीति लाई है, इसका यही उद्देश्य है। संगमा जी, आप जो भाषण दे रहे थे, हम चार प्रतिशत से अधिक ग्रोथ रेट हासिल करना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, एक स्पष्टीकरण *...(व्यवधान)* उन्होंने मेरे ऊपर टिप्पणी की है, मैं उनसे स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : जयपाल रेड्डी साहब, आप जरा बैठिए। आपसे तो हमारे पुराने संबंध हैं। *...(व्यवधान)* आप तो इधर के आदमी थे, उधर कहां चले गए। आप तो हम लोगों के साथ थे। आप इतनी बढ़िया अंग्रेजी बोलते थे, आप जब जनता दल में अंग्रेजी बोलते थे तो हम लोगों को लगता था कि एक अंग्रेजी का आदमी दां हमारे पास भी है, जो सोमनाथ बाबू और सिंधिया जी की बातों का जवाब दे देगा। आप भी उधर ही चले गए। *...(व्यवधान)* हमने आपका पूरा भाषण सुना, उसमें एक भी तथ्य नहीं था, सारी लच्छेदार अंग्रेजी थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी : महोदय, इससे पता चलता है कि माननीय मंत्री जी को अपने उत्तर पर विश्वास नहीं है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : महोदय, कुछ मुद्दे उठाए गए हैं कि किसानों के हित के लिए और क्या काम करना है। किसानों को ऋण चाहिए, भारत सरकार ने ऋण देने के लिए किसान क्रेडिट

[श्री नीतीश कुमार]

स्कीम लागू की और उससे 70 लाख से ज्यादा किसान लाभान्वित हो चुके हैं। लक्ष्य से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बांटे गए। ...*(व्यवधान)* किसान को रिस्क कवर करना चाहिए। आप बोल देते हैं कि किसान आत्महत्या कर रहा है। वह क्यों आत्महत्या कर रहा है, अगर उसका नुकसान होता है तो उसकी भरपाई होनी चाहिए। इसलिए बीमा को व्यापक बनाया गया। पहले फसल बीमा योजना थी और वह ऋण लेने वाले किसानों पर लागू थी। अब राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है, जो किसान ऋण नहीं लेगा, उसके लिए भी यह बीमा उपलब्ध है। हम इस कृषि बीमा की भी समीक्षा कर रहे हैं ताकि पंचायत को इकाई बनाएं। अगर एक पंचायत में नुकसान होगा तो उसकी भरपाई दी जा सके। इसके लिए राज्य सरकारों के कृषि मंत्रियों के साथ हमने 14 सितम्बर को बैठक की है, उसके बाद हम लोग आगे कार्यवाही कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

किसानों को स्टोरेज की समस्या आती है। इसके लिए भारत सरकार ने एक स्कीम शुरू की है - केपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम। कोल्ड स्टोरेज लगाने की योजना है, जिसमें कई चीजें रख सकते हैं- जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पोटेटो आदि कुछ भी आप रख सकते हैं। ...*(व्यवधान)* हम 12 लाख टन केपेसिटी इस नौवीं पंचवर्षीय योजना काल में ही क्रियेट करना चाहते हैं। आठ लाख टन का रिन्यूवल और माडर्नाइजेशन चाहते हैं और इसके अलावा साढ़े चार लाख टन प्याज के भंडारण की क्षमता विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए केपिटल इनवेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम लागू की गई है। 25 प्रतिशत भारत सरकार केपिटल सब्सिडी देगी और जो भी इसमें लेना चाहता है - चाहे सरकारी, निजी कम्पनी, कार्पोरेशन या कोआपरेटिव, इसका कोई भी लाभ ले सकता है। इस बारे में सदन में विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। एक नहीं अनेक स्कीमें चलाई गई हैं।

कहा जाता है कि सीड खराब आया है। आज सीड एक्ट है, सीड कंट्रोल आर्डर है, सब कुछ आपके पास है लेकिन इसे लागू करने की जवाबदेही राज्यों पर है। आंध्र के बारे में जून में दिल्ली में शिकायत मिली थी और तुरंत राज्य सरकार को खबर दी गई थी कि कुछ खराब किस्म के सीड प्रचलन में हैं, ऐसी शिकायत मिली है। वहां की राज्य सरकार ने तत्काल उस सूचना पर कार्यवाही की। अनेकों जगहों पर छापे मारे गए और उस तरह की चीजों पर कार्यवाही की। आज सीड के लिए कहा गया कि सीड नहीं मिलता है। अब पता नहीं आंकड़े हैं। ...*(व्यवधान)*

महोदय, आज मुझे इजाजत दें तो मैं डिटेल से बता सकता हूं। यह तो कृषि है - ''हरि अनंत, हरि कथा अनंता।'' आप अगर मुझे इजाजत दें तो एक-एक सीड पर, पेस्टीसाइड, माइक्रो न्यूट्रीएंट्स, पानी, बिजली पर, एक-एक चीज पर विस्तार से चर्चा की जा सकती है कि सरकार ने और कौन से कदम उठाए हैं। सीड के मामले में कहीं-कहीं गड़बड़ी है। आज हमारा उतना नियंत्रण नहीं है। इसलिए जो सीड एक्ट 1966 का है उसमें हम संशोधन करने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं ताकि अगर सीड से किसी की फसल खराब हो जाए, कोई बताए कि इसमें इतना अंकुरण होगा और वह नहीं होता है तो हम नया सीड एक्ट लाना चाहते हैं, जिसमें किसानों को उस सीड कम्पनी द्वारा कम्पनसेशन देना पड़ेगा।

वह सीड कंपनी ही व्यापार कर सकेगी जो हमारे यहां अपने को रजिस्टर्ड करायेगी। इस तरह से एक सीड एक्ट पर हम काम कर रहे हैं। वह सीड एक्ट लाकर हम लोगों को बचाएंगे। पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल हमारे देश में घटता जा रहा है और यह एक शुभ लक्षण है। इंटिग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में जितनी तकनीक पैदा हुई है उसका डिस-एमीनेशन धीरे-धीरे गांवों में हो रहा है और लोग कम से कम पेस्टीसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे है। पेस्टीसाइड्स कितना बिका और बाहर से कितना आया, इसके भी आंकड़े अब उपलब्ध हैं। अब तो यहां का पेस्टीसाइड्स बाहर भी जाता है, इसलिए इनपुट का जहां तक सवाल है इन सब चीजों पर, एक-एक बिंदू पर हम लोगों के द्वारा कार्यवाही की जा रही है और नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी उन्हीं चीजों पर फोकस भी करती है। हमारा जो ग्रीन-रैवोल्यूशन का इलाका कहलाता है वह इलाका अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंच चुका है। लेकिन पूर्वी इलाका, वह बीच का इलाका जहां एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल्टी है उसको भी टेप करना एग्रीकल्चरल पॉलिसी का पहला लक्ष्य रखा गया है। अगर आप हमारी नीति को समझेंगे तो उसमें सब कुछ आपको मिलेगा और अगर आप नहीं समझना चाहते हैं तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा। मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। इसलिए हमारे लिए तो वह देवता है, आपके लिए वह पत्थर है क्योंकि आपकी हमदर्दी किसानों से नहीं है। आपको तो इस पर पाइंट स्कोर करना है। अगर यह बात नहीं होती तो कल क्यों एडजर्नमेंट मोशन पर चर्चा शुरू नहीं हुई। कल हम तैयार थे लेकिन कल आप तय नहीं कर पाये थे कि कौन एडजर्नमेंट मोशन मूव करेगा। इसलिए आपने पूरा का पूरा दिन सदन का बेकार कर दिया। उससे किसानों का कितना हित हुआ, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। आप रचनात्मक सुझाव दीजिए और बैठकर बात कीजिए, हमारी कृषि नीति सदन में रखी हुई है। कृषि नीति पर अनेक बार चर्चा हुई है और इस सदन में 10वीं लोक सभा के समय में भी चर्चा हुई है लेकिन आजादी के बाद से आज तक कृषि नीति बन नहीं पाई है।

सन् 1990 में उस समय के वित्त मंत्री जी ने, जबकि श्री जयपाल रेड्डी जी जनता दल में थे और राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार थी, कहा था कि देश में एक राष्ट्रीय कृषि नीति होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी : आपने मेरा नाम लिया है लेकिन आप तो ...*(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार : बात यह है माननीय रेड्डी साहब कि हम नहीं जानते थे कि आप माननीया सोनिया जी के यहां अपना ग्राफ ऊंचा करने के लिए अपनी भाषा भी बिगाड़ लेंगे। हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप हमें किसी का .... कहियेगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम किसी के .... नहीं हो सकते हैं, साथी हो सकते हैं सहयोगी हो सकते हैं, मित्र हो सकते हैं लेकिन .... होना हमारी नियमित और स्वभाव में नहीं है। आप उधर जाकर .... करेंगे, मुझे मालूम नहीं है, आपको ही .... मुबारक हो। ...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, हम भारत में किसानों की स्थिति के बारे में बहस कर रहे हैं। हम इसी पर बहस कर रहे हैं। यह कहते हुए मुझे अफसोस है। ...*(व्यवधान)*

श्री माधवराव सिंधिया (गुना): महोदय, कृषि मंत्री का दृष्टिकोण अत्यन्त खेदजनक है। यह अत्यन्त अनुचित है। यह अत्यन्त अफसोस की बात है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : हमने सभी राजनैतिक पार्टियों की बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के लोग भी आये थे। सारे किसान संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों को बुलाया था। पार्लियामेंट एनैक्सी में 13 सितम्बर को मीटिंग हुई और 14 सितम्बर को सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों और खाद्य मंत्रियों के साथ चर्चा हुई। अब पर्दे के पीछे कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं होगा, पूरी पारदर्शिता के साथ होगा। इसलिए हमने पूरे डाक्यूमेंट्स सारे दलों को भेजे और जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी जी कांग्रेस प्रैसीडेंट की हैसियत से सम्मिलित हैं, इनको हमने पूरे डाक्यूमेंट्स भेजे। उसके बाद लोगों ने अपने-अपने सुविचारित मत 13 सितम्बर को दिये और 14 सितम्बर को राज्यों के कृषि और खाद्य मंत्रियों की बैठक में भी सारी रायें आई। जो मतैक्य है उसके अनुसार हम दस्तावेज तैयार कर रहे हैं और उसके आधार पर हम डब्ल्यू.टी.ओ. में जो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चरल पर मैनडेटेड रिव्यू चल रहा है उसमें अपनी राय रखेंगे। हम मांग करेंगे कि विकसित देश अपनी घरेलू सब्सिडी को घटाएं, विकसित देश अपनी एक्सपोर्ट सब्सिडी बंद करें और हम मांग करेंगे कि हमारे जैसे मुल्क के लिए फूड-सिक्योरिटी के लिए अलग से बॉक्स होना चाहिए।

विकसित देश डब्ल्यू.टी.ओ. में समझौते की आड़ लेकर बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। एक बक्से में सबसिडी एलाउड है। आपने एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के बारे में बात की। यह बहुत सामान्य चीज है। एक-एक व्यक्ति को एग्रीमेंट मेजर ऑफ सपोर्ट के बारे में जानना चाहिए और कम से कम संसद सदस्यों को जरूर जानना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं कि अमेरिका बहुत ज्यादा सबसिडी दे रहा है। दूसरे विकसित देश भी बहुत ज्यादा सबसिडी दे रहे हैं। नॉन प्रोडक्ट स्पैसिफिक और प्रोडक्ट स्पैसिफिक सबसिडी को मिला कर एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट को लें। यदि हमारी यह बात मान ली जाए, तब वह सही मायने में भारत के हित में होगा। भारत में एग्रीकल्चर में नैगेटिव सबसिडी दी जाती है लेकिन वह डब्ल्यू.टी.ओ. के मंच पर बहस करने के लिए है।

आप जानते हैं कि भारत सरकार कई चीजों पर सबसिडी देती है। यह एक अलग चर्चा है। हम मांग करेंगे कि रिसोर्स पुअर फार्मर की परिभाषा एक होनी चाहिए। हमारे यहां चार-पांच एकड़ वाला गरीब किसान है। किसी जगह 50 एकड़ वाला गरीब किसान है। हम मांग करेंगे कि रिसोर्स पुअर फार्मर की एक परिभाषा होनी चाहिए। इसके लिए जो मदद दी जाए उसे एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट के दायरे से बाहर कर दिया जाए, हम यह मांग करने जा रहे हैं। सिंधिया साहब, पिछली बार की तरह नहीं होगा कि संसद में इसे कौन कहे? पहले एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को भी मालूम नहीं होता था कि कॉमर्स मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज ने डब्ल्यू.टी.ओ. से क्या नैगोसिएशन किया? इस बार एग्रीकल्चर का जो समझौता हो रहा है, उसके बारे में माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि एग्रीकल्चर के समझौते के बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ही डील करेगी। उसने देश भर के लोगों की राय लेकर इसे तैयार किया। हम उसे मजबूती के साथ रखेंगे। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हिन्दुस्तान की इज्जत दुनिया में बढ़ी है। आज वे दिन लद गए जब वर्किंग लंच पर राष्ट्रपति मिलते थे। आज लोग पलक पावना बिछा कर स्वागत करने के लिए खड़े रहते हैं। वह जमाना बदल गया। हमारी इज्जत बढ़ गई। ...*(व्यवधान)* हम मजबूती के साथ इसे रखेंगे। हम अपने पैर पीछे नहीं हटाएंगे। इसमें आपने पहले गलतियां की थी। हम अब उसे दुरुस्त करना चाहते हैं। आप इसमें जरूर सहयोग दीजिए। इससे भारत के किसानों की ही नहीं, सम्पूर्ण भारतवर्ष के हित की रक्षा होगी। मैं किसानों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने के लिए आग्रह करता हूं कि सदन में कृषि नीति पर व्यापक बहस कराई जाए। दो-तीन दिन तक जितने विषय आएंगे, उसके बाद हर चीज का जवाब देने के लिए आप कई घंटों का समय मुझे दें। इतना कह कर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह कार्य स्थगन प्रस्ताव को रिजैक्ट कर दें।

श्रीमती सोनिया गांधी (अमेठी): महोदय, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमारे स्थगन प्रस्ताव की बहस में भाग लिया। दुर्भाग्य से सबको बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृतांत से निकाल दिया गया।

[श्रीमती सोनिया गांधी]

मिल सका जो कि बोलना चाहते थे फिर भी उठाए गए मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए इस सभा में बहुत कहा जा चुका है। सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों तथा कृषि मंत्री को छोड़कर दलगत भावना से हटकर सभी माननीय सदस्यों के भाषणों से यह सहमति बनती दिखाई देती है कि कृषि क्षेत्र पर तुरन्त और शीघ्र ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। और यह स्पष्ट है कि यह तो केवल शुरूवात है, यह तो राष्ट्रव्यापी बहस की शुरूवात मात्र है।

सत्ता पक्ष हमारी मांगों का जवाब देने में असफल रहा है। वास्तव में कृषि मंत्री ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी है। उन्होंने हमारे अनेक प्रश्नों को छोड़ दिया है। वास्तव में उनके पास बहुत सारे आंकड़े हैं जो कि वे हमें कागज पर दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि वे गांव में रहने वाले हैं। वे गांव में रहते हैं। हम इस बात की सराहना करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उन्हें मालूम है कि गांव में जीवन कैसा होता है। मैं यह बताना चाहती हूं कि वे अपने आंकड़ों से, आपकी बात से हमें संतुष्ट नहीं कर पाए।

मेरा यह भी विश्वास है कि वे अपने गांव के लोगों को भी सन्तुष्ट नहीं कर पाएंगे। इसका उत्तर किसान देंगे, हमारे देश के किसान। इसका उत्तर हमारे देश के किसानों द्वारा दिया जाएगा और हम उस उत्तर की प्रतीक्षा करेंगे। हमें ज्ञात है कि उत्तर क्या होने जा रहा है।

हमारा मूल प्रश्न यह है कि सरकार ने बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया है, उचित एवं सही कीमत दिलाने के लिए भी कुछ नहीं किया है। यह निराशाजनक स्थिति है कि माननीय मंत्री जी हमारे किसानों तथा खेत पर कार्य करने वाले मजदूरों को किसी भी प्रकार की राहत दिलाने में असमर्थ रहे हैं। हमें विश्वास है, हम जानते हैं, कि हमारे किसान चक्की में पिस रहे हैं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः इस सभा से अनुरोध करती हूं कि इस प्रस्ताव का समर्थन करें तथा सरकार की इस प्रकार निन्दा करें कि किसानों की परेशानियों को दूर करने के लिए तथा कृषि क्षेत्र में आ रही गिरावट को रोकने के लिए वह समग्र प्रभावी कृषि नीति बनाने के बारे में सोंचे।

मैं सभा के सभी वर्गों से अनुरोध करती हूं कि दलगत भावना से ऊपर उठकर किसानों तथा खेत मजदूरों के साथ मजबूती से खड़े होंवे तथा स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि सभा अब स्थगित हो।"

अनेक माननीय सदस्य : हम मत-विभाजन चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। दीर्घाएं खाली कर दी जाएं-

अध्यक्ष महोदय : अब महासचिव।

महासचिव : स्वचालित मतदान रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग करते समय सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाए:

1. मत विभाजन शुरू होने से पहले प्रत्येक सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाए और वहीं से इस प्रणाली का उपयोग करें।
2. जैसा कि दिख ही रहा है अध्यक्ष महोदय की कुर्सी के दोनों ओर "प्रदर्शन पट्ट के ऊपर लाल बल्ब" जल रहे हैं। इसका अर्थ है कि मतदान प्रणाली शुरू हो चुकी है।
3. मतदान के लिए पहली घंटी के तुरन्त बाद निम्नलिखित दोनों बटनों को एक साथ दबाएं, यथा:

   (1) हेड फोन प्लेट पर सदस्य के सामने एक "लाल" बटन, और

   (2) सीटों के डेस्कों के ऊपर लगे निम्नलिखित बटनों में से कोई एक बटन:

'पक्ष में'	-	हरा रंग
'विपक्ष में'	-	लाल रंग
'भाग नहीं लिया'	-	पीला बटन

4. दोनों बटनों को तब तक दबाए रखना जरूरी है जब तक दूसरी घंटी सुनाई दे और लाल बल्ब बुझ न जाएं।

   महत्वपूर्ण निर्देश : माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखें कि यदि दूसरी घंटी बजने तक दोनों बटनों को दबाये नहीं रखा जाएगा तो उनका मत दर्ज नहीं होगा।

5. मत विभाजन के दौरान पीले बटन (पी) को न दबाएं।
6. सदस्य अपने मत को प्रदर्शन बोर्ड और अपनी डेस्क पर भी देख सकते हैं। यदि उनका मत दर्ज नहीं होता है तो वे पर्चियों द्वारा मतदान के लिए कह सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, तीन सदस्यों सर्वश्री डा. विक्रम सरकार, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक और श्रीमती रमा पायलट को अभी तक सीट/विभाजन संख्या आवंटित नहीं की गई है। उन्हें अपना मतदान अंकित करने के लिए 'पक्ष में'/'विपक्ष में' छपी हुई पर्ची दी जाएगी।

ये सदस्य अपने पसंद का मत पर्ची पर यथास्थान हस्ताक्षर और नाम लिखकर, परिचय पत्र संख्या, निर्वाचन क्षेत्र एवं राज्य और दिनांक का विवरण देकर अंकित कर सकते हैं।

अब, दीर्घाएं खाली कर दी गई हैं।

प्रश्न यह हैः

''कि सभा अब स्थगित हो।''

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

मत-विभाजन संख्या-1 **पक्ष में**

अपराहून 8.55 बजे

अजय कुमार, श्री एस.

अब्दुल्लाकुट्टी, श्री ए.पी.

अम्बरीश, श्री

अय्यर, श्री मणि शंकर

अलवी, श्री राशिद

आचार्य, श्री बसुदेव

आठवले, श्री रामदास*

आल्वा, श्रीमती मार्ग्रेट

ईडन, श्री जार्ज

उस्मानी, श्री ए.एम.गुलाम

ओला, श्री शीश राम

कमलनाथ, श्री

करूणाकरन, श्री के.*

कुमारासामी, श्री पी.

कुरुप, श्री सुरेश

कृष्णदास, श्री एन.एन.

कौर, श्रीमती प्रेनीत

खां, श्री अबुल हसनत

खां, श्री सुनील

गमांग, श्रीमती हेमा

गांधी, श्रीमती सोनिया

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

गामलिन, श्री जारबोम

गालिब, श्री जी.एस.*

गावित, श्री माणिकराव होडल्या

गोगोई, श्री तरूण

गोविन्दन, श्री टी.

घाटोवार, श्री पवन सिंह

चक्रवर्ती, श्री अजय

चक्रवर्ती, श्री स्वदेश

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चतुर्वेदी, श्री सत्यव्रत

चिन्नासामी, श्री एम.

चेन्नितला, श्री रमेश

चौधरी, श्री अधीर

चौधरी, श्री विकास

चौधरी, श्री समर

चौधरी, श्रीमती रेणूका

चौधरी, श्रीमती संतोष

जहेदी, श्री महबूब

जायसवाल, श्री श्रीप्रकाश

जार्ज, श्री के. फ्रांसिस

जालप्पा, श्री आर.एल.

जोस, श्री ए.सी.

ठाकुर, डा. सी.पी.

डूडी, श्री रामेश्वर

डोम, डा. रामचन्द्र

तिवारी, श्री नारायण दत्त*

तिवारी, श्री सुन्दर लाल

तोपदार, श्री तरित बरण*

थामस, श्री पी.सी.

दास, श्री नेपाल चन्द्र

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

दासमुंशी, श्री प्रियरंजन
दिनाकरन, श्री टी.टी.वी.
देव, श्री संतोष मोहन
नरह, श्रीमती रानी
नायक, श्री ए. वेंकटेश
पटेल, श्री आत्माराम भाई
पटेल, श्री ताराचंद शिवाजी
पटेल, श्री दह्याभाई वल्लभभाई
पटेल, श्री दिन्शा
पटेल, श्री धर्म राज सिंह
पांडियन, श्री पी.एच.
पाटिल, श्री अमरसिंह वसंतराव
पाटिल, श्री आर.एस.*
पाटील, श्री उत्तमराव
पाटील, श्री लक्ष्मणराव
पाटील, श्री श्रीनिवास
पायलट, श्रीमती रमा*
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री सुकदेव
पासी, श्री सुरेश
प्रमाणिक, प्रो. आर.आर.
प्रसाद, श्री जितेन्द्र*
फारूक, श्री एम.ओ.एच.
बंसल, श्री पवन कुमार
बखला, श्री जोवाकिम
बनातवाला, श्री जी.एम.
बराड़, श्री जे.एस.
बसवनागौड़, श्री कोलूर
बसवराज, श्री जी.एस.
बसु, श्री अनिल

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बुन्देला, श्री सुजानसिंह
बेगम नूर बानो
बोचा, श्री सत्यनारायण
बौरी, श्रीमती संध्या
भगोरा, श्री ताराचन्द*
भडाना, श्री अवतार सिंह
भाटिया, श्री आर.एल.
भूरिया, श्री कांतिलाल
मंडल, श्री सनत कुमार
मकवाना, श्री सवशीभाई
मलयसामी, श्री के.
महंत, डा. चरणदास
महाले, श्री हरीभाऊ शंकर
मायावती, कुमारी
मीणा, श्री भेरूलाल
मुनियप्पा, श्री के.एच.
मुरलीधरन, श्री के.*
मुरूगेसन, श्री एस.
मुर्मु, श्री रूपचन्द
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन, श्री पी.
यादव, श्री अखिलेश
यादव, श्री रमाकान्त
राजवंशी, श्री माधव
राजूखेडी, श्री गजेन्द्र सिंह
राजेन्द्रन, श्री पी.
राधाकृष्णन, श्री वरकला
रामुलू, श्री एच.जी.*
राय, श्री सुबोध*
रायप्रधान, श्री अमर

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रियान, श्री बाजू बन

रेड्डी, श्री एन. जनार्दन

रेड्डी, श्री एस. जयपाल (मिरयारगुडा)

रेड्डी, श्री वाई.एस. विवेकानन्द

लाहिड़ी, श्री समीक (डायमंड हार्बर)

लेपचा, श्री एस.पी. (दार्जिलिंग)

वर्मा, श्री रवि प्रकाश (खीरी)

वर्मा, श्री राजेश (सीतापुर)

वाडियार, श्री एस.डी.एन.आर. (मैसूर)

व्यास, डा. गिरिजा

शर्मा, कैप्टन सतीश

शिंदे, श्री सुशील कुमार

शिवकुमार, श्री वी.एस.

शुक्ल, श्री श्यामा चरण

श्रीनिवासन, श्री सी.

संगमा, श्री पूर्णो ए.

सईद, श्री पी.एम.

सनदी, प्रो. आई.जी.

सर, श्री निखिलानन्द

सरडगी, श्री इकबाल अहमद

सरोज, श्री तूफानी

सरोज, श्रीमती सुशीला

सरोजा, डा. वी.

सांगतम, श्री के.ए.*

सिंधिया, श्री माधवराव

सिंह, राजकुमारी रत्ना

सिंह, श्री खेलसाय

सिंह, श्री बलबीर*

सिंह, श्री राजो

सिंह, श्री लक्ष्मण

सिंह, श्रीमती श्यामा

सिंह, सरदार बूटा

सिंह, डा. रघुवंश प्रसाद

सिंह देव, श्री के.पी.

सुदर्शन नाच्चीयपन, श्री ई.एम.

सुब्बा, श्री एम.के.

सुरेश, श्री कोडीकुनील (अडूर)

सेठ, श्री लक्ष्मण

सेन, श्रीमती मिनाती

सेल्वागनपति, श्री टी.एम. (सेलम)

सोराके, श्री विनय कुमार (उदुपी)

हमीद, श्री अब्दुल

हसन, श्री मोइनुल (मुर्शिदाबाद)

हान्दिक, श्री विजय (जोरहाट)

विपक्ष में

अडसुल, श्री आनन्दराव विठोबा

अनंत कुमार, श्री

अब्दुल्ला, श्री उमर (श्रीनगर)

अर्गल, श्री अशोका (मुरैना)

अहमद, श्री दाऊद

आंग्ले, श्री रमाकांत

आचार्य, श्री प्रसन्न

आजाद, श्री कीर्ति झा

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण

आदि शंकर, श्री

आदित्यनाथ, योगी

आर्य, डा. (श्रीमती) अनिता

इन्दौरा, डा. सुशील कुमार (सिरसा)

ए. नरेन्द्र, श्री

एटकिन्सन, श्री डेन्जिल, बी.

एम. मास्टर मथान, श्री

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

कटारा, श्री बाबूभाई के.

कटारिया, श्री रतन लाल

कथीरिया, डा. वल्लभभाई

कन्नप्पन, श्री एम.

कश्यप, श्री बली रामा

कस्वां, श्री राम सिंह

कानूनगो, श्री त्रिलोचन

काम्बले, श्री शिवाजी विट्ठलराव

कुप्पुसामी, श्री सी.

कुमार, श्री अरुण

कुमार, श्री वी. धनंजय

कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह

कुसमरिया, डा. रामकृष्ण

कृपलानी, श्री श्रीचन्द

कृष्णन, डा. सी.

कृष्णमराजू, श्री

कृष्णमूर्ति, श्री के. बलराम

कृष्णास्वामी, श्री ए.

कौशल, श्री रघुवीर सिंह

खंडेलवाल, श्री विजय कुमार

खण्डूड़ी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र

खन्ना, श्री विनोद

खान, श्री हसन

खुराना, श्री मदन लाल

खूंटे, श्री पी.आर.

खैरे, श्री चन्द्रकांत

गंगवार, श्री सन्तोष कुमार

गढ़वी, श्री पी.एस.

गांधी, श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल

गांधी, श्रीमती मेनका

गाड्डे, श्री राम मोहन

गावीत, श्री रामदास रूपला

गीते, श्री अनंत गंगाराम

गुढ़े, श्री अनंत

गुप्त, प्रो. चमन लाल

गेहलोत, श्री थावरचन्द

गोयल, श्री विजय

गोहेन, श्री राजेन

गौड़ा, श्री जी. पुट्टास्वामी

गौतम, श्रीमती शीला

चक्रवर्ती, श्रीमती विजया

चन्देल, श्री सुरेश

चीखलीया, श्रीमती भावनाबेन देवराजभाई

चौधरी, श्री निखिल कुमार

चौधरी, श्री पदमसेन

चौधरी, श्री मणिभाई रामजीभाई

चौधरी, श्री राम टहल

चौधरी, श्री हरिभाई

चौबे, श्री लाल मुनि

चौहान, श्री निहाल चन्द

चौहान, श्री शिवराज सिंह

चौहान, श्री श्रीराम

जगन्नाथ, डा. मन्दा

जगमोहन, श्री

जटिया, डा. सत्यनारायण

जाधव, श्री सुरेश रामराव

जायसवाल, डा. मदन प्रसाद

जायसवाल, श्री शंकर प्रसाद

जैन, श्री पुष्प

जोशी, श्री मनोहर (मुम्बई उत्तर मध्य)

झा, श्री रघुनाथ (गोपालगंज)

ठाकुर, डा. सी.पी. (पटना)

डिसूज़ा, डा. (श्रीमती) बीट्रिक्स (नामनिर्दिष्ट)

ढिकले, श्री उत्तमराव (नासिक)

तिरूनावकरसु, श्री (पुडुक्कोट्टई)

तिवारी, श्री लाल बिहारी (पूर्वी दिल्ली)

तुड़, श्री तरलोचन सिंह (तरनतारन)

तोमर, डा. रमेश चंद (हापुड़)

त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि (देवरिया)

त्रिपाठी, श्री ब्रजकिशोर (पुरी)

त्रिपाठी, श्री रामनरेश (सिवनी)

दग्गुबाटि, श्री राम नायडू (बापतला)

दत्तात्रेय, श्री बंडारू (सिकन्दराबाद)

दाहाल, श्री भीम (सिक्किम)

दिलेर, श्री किशन लाल (हाथरस)

दिवाथे, श्री नामदेव हरबाजी (चिमूर)

दुरई, श्री एम. (येन्डानासी)

नाईक, श्री राम*

नाईक, श्री श्रीपाद येसो

नायक, श्री अनन्त

निषाद, कैप्टन जय नारायण प्रसाद

नीतीश कुमार, श्री

पटनायक, श्रीमती कुमुदिनी*

पटवा, श्री सुन्दर लाल

पटेल, डा. अशोक

पटेल, श्री आत्माराम भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मानसिंह

पद्मानाभम, श्री मुद्रागाड़ा

परस्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री प्रकाश

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

पलानीमनिक्कम, श्री एस.एस.

पवैया, श्री जयभान सिंह

पांजा, डा. रंजीत कुमार

पांजा, श्री अजित कुमार

पाटसाणी, डा. प्रसन्न कुमार

पाटिल, श्री बसनगौडा रामनगौड (यत्नाल)

पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.

पाटील, श्री जयसिंगराव गायकवाड़

पाटील, श्री बालासाहिब विखे

पाठक, श्री हरिन

पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण

पाण्डेय, श्री रवीन्द्र कुमार

पासवान, डा. संजय

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री रामचन्द्र

पासी, श्री राजनारायण

पोटाई, श्री सोहन

पोन्नुस्वामी, श्री ई.*

प्रधान, डा. देवेन्द्र

प्रधान, श्री अशोक*

प्रसाद, श्री वी. श्रीनिवास

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

बंद्योपाध्याय, श्री सुदीप

बचदा, श्री बची सिंह रावत

बदनोर, श्री विजयेन्द्र पाल सिंह

बनर्जी, कुमारी ममता

बन्शीवाल, श्री श्याम लाल

बरवाला, श्री सुरेन्द्र सिंह

बालू, श्री टी.आर.

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह
बिश्वास, श्री आनन्द मोहन
बेहरा, श्री पद्मनाव
बैंदा, श्री रामचन्द्र
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोस, श्रीमती कृष्णा
ब्रह्मनैया, श्री ए.
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री ब्रह्मानन्द
मल्लिकार्जुनप्पा, श्री जी.
मल्होत्रा, डा. विजय कुमार
महताब, श्री भर्तृहरि
महतो, श्रीमती आभा
महरिया, श्री सुभाष
महाजन, श्री वाई.जी.
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मांझी, श्री रामजी
मांझी, श्री परसुराम
मान, श्री जोरा सिंह
माने, श्री शिवाजी
मल्याला, श्री राजैया
मिश्र, श्री राम नगीना
मीणा, श्रीमती जस कौर
मुखर्जी, श्री एस.बी.*
मुण्डा, श्री कड़िया
मुनि लाल, श्री
मुर्मू, श्रीसालखन
मूर्ति, श्री ए.के.

*पर्ची के माध्यम मे मतदान किया।

मूर्ति, श्री एम.वी.वी.एस.
मेहता, श्रीमती जयवंती
मोहले, श्री पुन्नू लाल
मोहिते, श्री सुबोध
यादव, डा. (श्रीमती) सुधा
यादव, डा. जसवंतसिंह
यादव, श्री जगदम्बी प्रसाद
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री शरद
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
येरननायडू, श्री के.
रमण, डा.
राजा, श्री ए.
राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राठवा, श्री रामसिंह
राणा, श्री काशीराम
राणा, श्री राजू
राधाकृष्णन, श्री सी.पी.
राधाकृष्णन, श्री पोन
राम, श्री ब्रजमोहन (पलामू)
रामचन्द्रन, श्री गिनगी एन.*
रामैया, श्री गुनीपाटी
रामैया, डा. बी.बी.
राय, श्री नवल किशोर
राव, श्री एस.बी.पी.बी.के. सत्यनारायण
राव, श्री गंता श्रीनिवास
राव, श्री डी.वी.जी. शंकर
राव, श्री वाई.वी.
रावत, प्रो. रासासिंह
रावत, श्री प्रदीप

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

रावले, श्री मोहन
रूडी, श्री राजीव प्रताप
रेड्डी, श्री ए.पी. जितेन्द्र
रेड्डी, श्री गुथा सुकेन्दर
रेड्डी, श्री जी. गंगा
रेनू कुमारी, श्रीमती
वनगा, श्री चिंतामन
वर्मा, प्रो. रीता
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वसावा, श्री मनसुखभाई डी.
वाजयेपी, श्री अटल बिहारी
विजयन, श्री ए.के.एस.
विजया कुमारी, श्रीमती डी.एम.
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र
वीरेन्द्र कुमार, श्री
वुक्कला, डा. राजेश्वरम्मा
वेंकटेस्वरलु, प्रो. उम्मारेड्डी
वेंकटस्वामी, डा. एन.
वेंकटेस्वरलु, श्री बी.
वेणुगोपाल, श्री डी.
वेत्रिसेलवन, श्री वी.
वैको, श्री
शर्मा, वैद्य विष्णु दत्त
शशि कुमार, श्री
शांडिल्य, कर्नल (सेवानिवृत्त) डा. धनी राम
शान्ता कुमार, श्री
शाह, श्री मानवेन्द्र
शाहीन, श्री अब्दुल रशीद
श्रीकांतप्पा, श्री डी.सी.
श्रीनिवासुलु, श्री कालवा
षणमुगम, श्री एन.टी.
सरकार, डा. बिक्रम*
सांगवान, श्री किशन सिंह
साथी, श्री हरपाल सिंह
सामन्तराय, श्री प्रभात
साहू, श्री अनादि
साहू, श्री ताराचंद
सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी
सिंह, कैप्टन (सेवानिवृत्त) इन्द्र
सिंह, चौधरी तेजवीर
सिंह, डा. रामलखन
सिंह, श्री चन्द्र प्रताप
सिंह, श्री टीएच. चाओबा
सिंह, श्री दिग्विजय
सिंह, श्री प्रभुनाथ (महाराजगंज)
सिंह, श्री बहादुर
सिंह, श्री महेश्वर
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री रामजीवन
सिंह, श्री रामपाल
सिंह, श्री साहिब
सिकदर, श्री तपन*
सिन्हा, श्री यशवन्त
सी. सुगुणा कुमारी, डा. (श्रीमती)
सेठी, श्री अर्जुन
सेनगुप्ता, डा. नीतीश
सोमैया, श्री किरीट
सोलंकी, श्री भूपेन्द्र सिंह
स्वाइं, श्री खारबेल
स्वामी, श्री चिन्मयानन्द
हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज

*पर्ची के माध्यम से मतदान किया।

अध्यक्ष महोदय: सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जाये। पिछली बैंचों पर बैठे सदस्य कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

शुद्धि के अध्यधीन,* मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है:

पक्ष में : 139

विपक्ष में : 248

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

रात्रि 8.56 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का चौदहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय, सदस्यों, आज के लिए सूचीबद्ध नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जायेगा।

रात्रि 8.56$^{1}/_{2}$ बजे

नियम 377 के अधीन मामले@

(एक) राजस्थान के अजमेर जिले के किशनगढ़-मदनगंज नगर में रेल उपरि पुल का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अजमेर जिले (राजस्थान में किशनगढ़ मदनगंज नामक एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मण्डी एवं संगमरमर का महत्वपूर्ण उत्पादन केन्द्र हैं जहां देश के कोने-कोने से लोग संगमरमर (मार्बल) खरीदने आते हैं। वर्तमान में यह नगर रेलवे लाइन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा दो भागों में विभक्त है। संगमरमर की समस्त गैंग मशीनों की फैक्टरियां तथा उत्पादित सामग्री का केन्द्र एक तरफ है तथा मदनगंज-किशनगंज कस्बा एक तरफ है। इन्हें जोड़ने वाला मुख्य मार्ग रेलवे स्टेशन के पास से गुजरता है जो बार बार रेलगाड़ियों के आवागमन के कारण कई बार बंद रहता है, जिससे आने-जाने तथा यातायात की भारी समस्या खड़ी हो जाती है। घंटों तक लम्बी लम्बी कतारें लग जाती हैं जिसके कारण औद्योगिक उत्पादन तथा व्यापारियों एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को मण्डी में अपनी उपज लाने ले जाने एवं जन साधारण के आवागमन में बहुत रुकावट उपस्थित हो जाती है। कई बार अवांछित दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं।

अतः इस मार्ग पर रेलवे स्टेशन के पास एक ऊपरी मार्ग बनना अत्यंत आवश्यक है। अनेक बार जन प्रतिनिधियों, संगठनों, राजनैतिक दलों, व्यापारिक संगठनों द्वारा रेलवे के उच्चाधिकारियों को इस रूपनगढ़ रोड किशनगढ़-मदनगंज में रेलवे क्रासिंग पर एक बड़ा उपरी पुल बनाने हेतु अनेक प्रतिवेदन दिये जा चुके हैं फिर भी कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनसाधारण की कठिनाई बढ़ती ही चली जा रही है। जबकि इस मण्डी तथा संगमरमर केन्द्र से सरकार को भी करों के रूप में भारी आमदनी होती है।

अतः रेल मंत्रालय, भारत सरकार से आग्रहपूर्वक अनुरोध है कि अजमेर जिले में स्थित किशनगंज-मदनगंज नगर में रेलवे स्टेशन के पास स्थित रूपनगढ़ रोड पर रेलवे क्रासिंग पर ऊपरी ब्रिज अविलम्ब बनवाया जाये, जिससे आवागमन बाधित न हो।

(दो) झारखण्ड की प्रस्तावित राजधानी राँची में बाई-पास का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): मैं सरकार का ध्यान रांची जिले में बाई पास न होने के कारण होने वाली दिक्कतों की ओर दिलाना चाहता हूं। रांची झारखण्ड राज्य की प्रस्तावित राजधानी है और रांची में 15 लाख के लगभग आबादी है और आये दिन शहर में यातायात रुक जाता है, जिससे एक तरफ तो लोगों को काफी असुविधा होती है और लोगों को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में काफी देरी लगती है और पेट्रोल पदार्थ की बेकार में खपत होती है तथा आये दिन दुर्घटना होती है। जबकि छोटे-छोटे कस्बों में बाईपास सड़क की व्यवस्था है।

झारखण्ड की राजधानी और 15 लाख की आबादी के बाद अभी तक रांची में बाईपास की व्यवस्था नहीं हो पायी है।

---

*पक्ष में : 139 + 14 (सर्व श्री रामदास आठवले, ताराचन्द भगोरा, श्री जी.एस. गालिब, के. करुणाकरण, के. मुरलीधरन, आर.एस. पाटिल, श्रीमती रमा पायलट, सर्वश्री जितेन्द्र प्रसाद, एच.जी. रामुलु, सुबोध राय, के.ए. सांगतम, बलबीर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, तरित बरण तोपदार) - 153

*विपक्ष में : 248 + 8 (श्री एस.बी. मुखर्जी, राम नाईक, श्रीमती कुमुदिनी पटनायक, श्री ई. पोन्नुस्वामी, अशोक प्रधान, गिनगी एन. रामचन्द्रन, डा. विक्रम सरकार, श्री तपन सिकदर) - 256

@सभा पटल पर रखे माने गए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि रांची शहर में बाई पास का निर्माण जनहित में अविलंब करवाया जाये।

(तीन) गुजरात में बनासकांठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाई चौधरी (बनासकांठा): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पाकिस्तान सीमा से जुड़े अपने संसदीय क्षेत्र बनासकांठा में टी वी ट्रांसमीटरों के अभाव की तरफ दिलाना चाहता हूं कि थनेरा, थरा और दयोदर में टी वी ट्रांसमीटर नहीं है, जिसके कारण वहां पर पाकिस्तान के कार्यक्रम देखे जाते हैं। इस तरह हमारे देश के नागरिकों को राष्ट्रीय विचारधारा से अलग करने का प्रयास किया जाता रहा है। इन स्थानों पर टी.वी. ट्रांसमीटर लगाने की सारी सुविधायें उपलब्ध हैं और राष्ट्रीय हित में हैं, जिससे हम पाकिस्तान के कुप्रचार के शिकार नहीं हो सकें।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि थनेरा, थरा और दयोदर में टी.वी. ट्रांसमीटर स्थापित किये जायें और बनासकांठा में एक रेडियो स्टेशन शीघ्र स्थापित किया जाये।

(चार) मध्य प्रदेश के रतलाम में भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रदान की गई भंडारण क्षमता का पूर्ण उपयोग करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): भारतीय खाद्य निगम के हाल ही के एक निर्णय के कारण देश भर में हजारों की संख्या में कर्मचारियों के सामने संकट खड़ा हो गया है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा उसके अधीन कई महत्वपूर्ण स्थानों में स्थित ''भण्डार'' बंद किये जा रहे हैं जिनकी भंडारण क्षमता वास्तविक रूप में 10 हजार से ऊपर होकर 14 हजार तक की है। इनमें रतलाम जैसा महत्वपूर्ण केन्द्रीय स्थान भी है, जहां से नीमच, मंदसौर, रतलाम व झाबुआ की खाद्यान्न की आवश्यकताएं पूरी की जाती रही हैं। यह स्थान ब्राड गेज व मीटर गेज से जहां जुड़ा हुआ है वही राष्ट्रीय राजमार्ग व राजकीय राजमार्ग से भी जुड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन होने के कारण लोडिंग, अनलोडिंग की सारी व्यवस्थाएं हैं। निगम के इस अचानक लिये गये निर्णय से जहां हजारों कर्मचारी संकट का अनुभव कर रहे हैं वहीं साथ के जिलों में ''भण्डारण'' की व्यवस्था बिगड़ने व सप्लाई व्यवस्था भी गड़बड़ाने की पूरी आशंका है। भंडारण का कार्य अन्य एजेंसी को सौंपे जाने की दशा में स्वनिर्भरता नहीं रहेगी और जन सामान्य को अत्यधिक कठिनाई हो सकती है। रतलाम में वर्तमान में भंडारण व्यवस्था यद्यपि नौ हजार ही प्रदर्शित की गयी है किंतु वास्तव में भंडारण सदैव ही 10 से 14 हजार टन तक का हुआ है।

अतः मेरा सार्वजनिक उपभोक्ता मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रतलाम की मध्यवर्ती स्थिति व भंडारण क्षमता को देखते हुए वहां की भंडारण व्यवस्था यथावत रखी जावे जिससे जनसाधारण को यथावत सुविधा मिलती रहे साथ ही कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष व उनकी कठिनाई दूर हो सकेगी।

(पांच) बिहार में शेखपुरा जिला मुख्यालय में डाकघर भवन का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगुसराय): मेरे बेगुसराय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत शेखपुरा जिला मुख्यालय में पोस्ट ऑफिस बनाने का भवन स्वीकृत किया गया है। जमीन भी उपलब्ध है, लेकिन आज तक उक्त भवन का निर्माण नहीं होने के कारण बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि वहां के लोगों की समस्याओं को देखते हुए शीघ्र भवन निर्माण कराने का आदेश देने की कृपा की जाये।

[अनुवाद]

(छह) नारियल गिरी का समर्थन मूल्य 5000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री के. मुरलीधरन (कालीकट): मैं आपका ध्यान केरल राज्य के नारियल उत्पादकों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। देश की अर्थव्यवस्था को विश्व बाजार के लिए खोलने और केरल राज्य में विभिन्न कृषि उत्पादों के अधिक आयात से संकट उत्पन्न हो गया है और केरल राज्य के बाजार में निम्न गुणवत्ता वाले 23 रुपये प्रति किलोग्राम के पामोलीन और खाद्य तेलों के अनियंत्रित आयात के कारण नारियल गिरी और नारियल उत्पादों के मूल्यों में कमी आने के कारण ये संकट और गहरा गया है। नारियल की खेती लगभग 10.5 लाख हेक्टेयर में होती है जबकि उसका फसल योग्य क्षेत्र 34 प्रतिशत है और यह राज्य की कृषि आय का 35 प्रतिशत है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि नारियल की खेती में 30 लाख कृषक लगे हुए हैं जिनमें से 90 प्रतिशत लघु और सीमांत किसान हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि नारियल का मूल्य नारियल गिरी और नारियल के तेल पर आधरित है। भारत सरकार ने पूर्व में जो अधिकतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, वह गिरी उत्पादन की लागत कारकों की तुलना में पूर्ण रूप से कृषकों के लिए अलाभकारी और अवास्तविक है।

अत:, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह गिरि का अधिकतम समर्थन मूल्य 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अधिक करे और खाद्य तेलों के आयात शुल्क में भी वृद्धि करे।

(सात) वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में ग्राम और जिला पंचायतों के लिए निधियां जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री दह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र के वित्त आयोग ने दमन और दीव की जिला पंचायत, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं का अध्ययन किया है और सरकार को अंतरिम और अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत और जिला पंचायत को एक बारी में क्रमश: 3.00 लाख और 10.00 लाख रुपये का अस्थायी आधार पर अनुदान दिया जाना चाहिए। तीन वर्ष बीत गये हैं परंतु आज तक इस कार्य के लिए कोई वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है।

अत:, मैं सरकार से वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुपालन में ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों को धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) खनन क्षेत्र का निजीकरण किये जाने संबंधी निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): तीन वर्ष के अंतराल में सरकार ने दूसरी बार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के अतिरिक्त खुली खातों और कोयला तथा लिग्नाइट को निजी कंपनियों को देने का फैसला किया है। अब तक निजी कंपनियों को कोयला खनन की अनुमति केवल रक्षित उद्देश्यों के लिए दी जाती थी।

6 अप्रैल, 2000 के अपने निर्णय में मंत्रिमंडल ने कोयला खनन (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में उपयुक्त संशोधनों को स्वीकृति दी है। अत: अब निजी कम्पनियां प्रवेश कर सकती है। अब सरकार को प्रस्तावित संशोधन करने के लिए संसद में विधेयक पुर:स्थापित करना पड़ेगा। यह देश के हित में होगा। आप याद कर सकते हैं कि खनन कार्य निजी हाथों में था और वहां भ्रष्टाचार का बोलबाला था। इसके अतिरिक्त निजी खान मालिकों द्वारा कोयला खनिकों का अनियंत्रित शोषण किया जाता था। इन सब बातों को समाप्त करने के लिए खनन कार्य का राष्ट्रीयकरण किया गया था।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि खनन क्षेत्र को ऐसे निजी हाथों में न सौंपे जिनके रिकार्ड अच्छे नहीं रहे हैं। मैं सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला खानों की पुरजोर मांग करता हूं ताकि देश आत्मनिर्भर हो सके। कोयला उद्योग के निजीकरण और छठे मजदूरी समझौते को अंतिम रूप देने में विलंब करने के विरोध में केन्द्रीय भारतीय मजदूर संघ ने 20 नवम्बर से 22 नवम्बर, 2000 तक हड़ताल करने का आह्वान किया है। उसमें लगभग छह लाख कर्मचारियों ने भाग लिया है, जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया की सभी कोयला इकाइयों ने उत्पादन करना बंद कर दिया है।

(नौ) विशाखापत्तनम में नेचर पार्क का विकास किये जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम): आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम शहर एक अति महत्वपूर्ण और दर्शनीय शहरी क्षेत्र है, जो बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यह शहर तेजी से औद्योगिक शहर में विकसित हो रहा है और इसे राज्य की दूसरी राजधानी का महत्व प्राप्त हो चुका है। शहर में पर्यावरणीय, शिक्षा और मनोरंजन के लिए स्थान का होना अति अनिवार्य है। आंध्र प्रदेश के वन विभाग ने एक प्रकृति उद्यान के निर्माण और विकास के लिए एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 15.82 करोड़ रुपये है। इस प्रकृति उद्यान को एक वन क्षेत्र खंड, कंबालंकॉन्ड में 6832 हैक्टेयर क्षेत्र में विकसित करने का प्रस्ताव है।

मैं सरकार से इस परियोजना को मंजूरी देने और धनराशि प्रदान करने का अनुरोध करता हूं ताकि विशाखापत्तनम शहर की पर्यावरणीय, शैक्षिक, मनोरंजनकारी और सौंदर्यपरक आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

(दस) दिसम्बर 2000-मार्च 2001 के दौरान, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधियों की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर): मैं सरकार का ध्यान इलाहाबाद के गंगा-यमुना नदी के तट पर दिसम्बर से मार्च माह के बीच में 21वीं शताब्दी के लगने वाले पहले महाकुम्भ मेले की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रयाग में पूरे देश और विदेश से 7-8 करोड़ श्रद्धालु महाकुम्भ मेले में आने की संभावना है। कुम्भ मेला तथा अगल-बगल के क्षेत्रों में अपार भीड़ होने की वजह से रेलगाड़ी, हवाई जहाजों और सड़क मार्ग पर आने-जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्पेशल गाड़ियों, हवाई जहाज एवं बसों का इंतजाम केन्द्र सरकार को करना पड़ेगा। जो यात्री कुम्भ मेला तथा आसपास के क्षेत्र में रहेंगे तथा उनके लिए पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था और आवागमन के लिए सड़कों का निर्माण अति आवश्यक है। यमुना नदी पर रक्षा विभाग

द्वारा भीड़ का दबाव कम करने के लिए हर कुम्भ मेले में अस्थायी रूप से बेली पुल का निर्माण किया जाता था, परन्तु इस बार रक्षा विभाग द्वारा पुल का निर्माण नहीं किया जा रहा है। पुल न बनने से मेले में अत्यधिक भीड़ होने पर भगदड़ में हजारों की संख्या में लोगों की जान जा सकती है। इसलिए यमुना नदी पर पुल का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आतंकवादी भी कोई बड़ा विस्फोट मेले में कर सकते हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि मेले में जन सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार अतिरिक्त धन मुहैया कराये। साथ ही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए अधिक से अधिक उपाय करें और पूरे मेले को कन्ट्रोल करने के लिए समुचित उपाय भी करें।

(ग्यारह) महाराष्ट्र के उस्मानाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री शिवाजीराव विट्ठलराव काम्बले (उस्मानाबाद): मैं व्यापक जनहित में महाराष्ट्र में अपने निर्वाचन क्षेत्र उस्मानाबाद में सरकारी मोबाइल टेलीफोन सेवा से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

टेलीफोन विभाग ने हाल ही में महाराष्ट्र और गोआ में पूना और औरंगाबाद नगर में सरकारी मोबाइल टेलीफोन सेवा को मंजूरी दी है। बी.पी.एल, ए.टी. एण्ड टी. और बिरला इत्यादि इन बड़े शहरों में मोबाइल टेलीफोन सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। उस्मानाबाद निर्वाचन क्षेत्र मराठवाड़ा में स्थित है, जिसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। इन बड़े शहरों के बजाय सरकार को इस पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र में मोबाइल सुविधा प्रदान करनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार, सरकार ने इस कार्य के लिए सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र कर ली हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र उस्मानाबाद में लोग मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के उद्घाटन की तिथि का इंतजार कर रहे हैं।

अत: मैं सरकार से इस मामले पर विचार करने और यथाशीघ्र मोबाइल टेलीफोन सेवा प्रदान करने का अनुरोध करता हूँ।

(बारह) कारगिल स्थित विमानपत्तन को शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता

श्री हसन खान (लद्दाख): 35 करोड़ रुपये की लागत से कारगिल में हवाई-अड्डे का निर्माण अब लगभग पूरा हो गया है। यह कारगिल के दूरदराज और ऐतिहासिक स्थान को देश के अन्य भागों के साथ जोड़ेगा जबकि अभी यह बर्फ में छह महीने से भी अधिक समय के लिए उससे कटा रहता है। इस सीमावर्ती जिले को शीघ्र जोड़ने में इस क्षेत्र के लोगों और इस क्षेत्र की अत्यधिक प्रतिकूल स्थितियों में सेवारत बहादुर जवानों और उनके परिवारों के लिए एक स्मरणीय सेवा होगी। कारगिल में हवाई सेवा निश्चित रूप से घरेलू और विदेशी पर्यटकों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित करेगी। जहाँ तक भारतीयों का संबंध है, कारगिल में टाइगर हिल, तोलोलिंग, मुराको, बटालिक और चोरबारिला तीर्थाटन के नये केन्द्र बन गये हैं जैसाकि प्रत्येक भारतीय को पता है कि इन नामों से राष्ट्र को गरिमा प्राप्त हुई है और भारत माता को इन पर गर्व है। विदेशी पर्यटकों के लिए कारगिल लद्दाख का केन्द्रीय स्थल है जहां से वे इस क्षेत्र में किसी भी दिशा में साहसिक यात्रा और प्राकृतिक दृष्यावलोकन दौरों की योजना बना सकते हैं और जहां से उनका समय भी कम लगेगा और थकान भी कम होगी। नागर-विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि वह इस नये विमान पत्तन के लिए उड़ान योजना सहित अंतिम औपचारिकताओं को शीघ्र पूरा करे। हम कारगिल के लोग अत्यधिक असुरक्षित और प्रतिकूल स्थितियों में वहां हवाई अड्डा बनाने का कार्य पूरा करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उसकी कार्यकारी एजेंसियों का अभिवादन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.57 बजे

तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 23 नवम्बर, 2000/2 अग्रहायण, 1922 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
बुधवार,22 नवम्बर,2000/ 1 अग्रहायण ,1922 (शक)
का
शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
105	नीचे से 5	श्री ए.ब्रम्हनैया	श्री ए.ब्रह्मनैया
313	8	6251	625
317	नीचे से 4	627	629
361	नीचे से 5-6	श्रीमती विजया चक्रवती	श्रीमती विजया चक्रवर्ती
538	नीचे से 8	'ठाकुर,डा.सी.पी' का लोप कीजिए ।	
542	7	'सुरेश,श्री कोडीकुनील' का लोप कीजिए ।	
542	19	अर्गल,श्री अशोका (मुरैना)	अर्गल,श्री अशोक
544	8	'गौड़ा, श्री जी.पुट्टास्वामी' का लोप कीजिए ।	
545	24	'पटेल,श्री आत्माराम भाई' का लोप कीजिए ।	

पी.एल.एस.–48/11/3/2000 (एन०)
280

© 2000 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स जैनको आर्ट इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।